योदश माला, खंड 31, अंक 2

मंगलवार, 18 फरवरी, 2003
29 माघ, 1924 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

55
17.9.2003

बारहवां सत्र

(तेरहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

PARLIAMENT LIBRARY
No. ...55...
Date... 25/9/03...

(खण्ड 31 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : पचास रुपये

सम्पादक मण्डल

गुरदीप चन्द मलहोत्रा
महासचिव
लोक सभा

डा० (श्रीमती) परमजीत कौर सन्धु
संयुक्त सचिव

शारदा प्रसाद
प्रधान मुख्य सम्पादक

विद्या सागर शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

पीयूष चन्द्र दत्त
सम्पादक

परमजीत कौर
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय-सूची

[त्रयोदश माला, खंड 31, बारहवां सत्र, 2003/1924 (शक)]

अंक 2, मंगलवार, 18 फरवरी, 2003/29 माघ, 1924 (शक)

विषय	कॉलम
हैलेनिक पार्लियामेंट के प्रेजिडेन्ट का स्वागत .	1
सदस्यों द्वारा निवेदन	
अयोध्या मामले पर प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में	1-20
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 1 और 2	20-40
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 3 से 20	40-92
अतारांकित प्रश्न संख्या 1 से 152	92-318
सभा पटल पर रखे गए पत्र	319-320
विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति .	320-322
याचिका समिति	
चौबीसवां प्रतिवेदन .	322-331
विश्व कप में खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने के बारे में.	331-336
नियम 377 के अधीन मामले	
(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: चालू करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता	
योगी आदित्यनाथ	347
(दो) भारतीय मूल की अन्तरिक्ष यात्री स्व. कल्पना चावला को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रेश पटेल .	348
(तीन) गुजरात में तटीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने की आवश्यकता	
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर . .	348
(चार) गुजरात के कच्छ और अन्य जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री पी०एस० गढ़वी	349

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
(पांच) बिहार में बक्सर से फरक्का तक गंगा नदी में अंतर्देशीय नौपरिवहन के विकास के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री राजो सिंह	349
(छह) "अंगिका" भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
श्री सुबोध राय	349
(सात) देश में जल के बेहतर प्रबंधन के लिए नदियों को जोड़ने की परियोजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता	
श्री वाई०वी० राव	350
(आठ) देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता	
श्री रामजीलाल सुमन	351
(नौ) महाराष्ट्र में औरंगाबाद में तेल डिपुओं को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता	
श्री चन्द्रकांत खैरे	351
(दस) बिहार में रोहतास-सासाराम-बलिया बरास्ता बक्सर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता	
श्री राम प्रसाद सिंह	351
(ग्यारह) कर्नाटक में किसानों द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर ब्याज को माफ किए जाने की आवश्यकता	
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा	352
(बारह) राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों में तेल और गैस भंडारों की खोज में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी	352
(तेरह) बिहार के मुंगेर जिले में जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता	
श्री ब्रह्मानन्द मंडल	353
जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक—*पारित*	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री टी०आर० बालू	354
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन	356

विषय	कॉलम
श्री रामपाल सिंह . .	361
श्री मोइनुल हसन .	362
डा० रघुवंश प्रसाद सिंह .	364
श्री रमेश चेन्नितला .	366
श्री बिक्रम केशरी देव .	371
श्री धर्मराज सिंह पटेल .	373
श्री प्रबोध पण्डा	374
श्री रामदास आठवले	375
खण्ड 2 से 6 और 1	383-384
पारित करने के लिए प्रस्ताव	383-384
निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक—*विचाराधीन*	
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
श्री अरुण जेटली	384
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	390
श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी	400
श्री हन्नान मोल्लाह .	409
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति	416
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन .	417
श्री अनादि साहू	424
श्री शिवराज वि० पाटील .	427
श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर	428
श्री अजय चक्रवर्ती .	430
श्री बिक्रम केशरी देव .	432-434

लोक सभा

मंगलवार, 18 फरवरी, 2003/29 माघ, 1924 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

हैलेनिक पार्लियामेंट के प्रेजिडेन्ट का स्वागत

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों सबसे पहले मैं एक घोषणा करना चाहता हूं।

मैं अपनी ओर से तथा सभा के माननीय सदस्यों की ओर से भारत की यात्रा पर आए हैलेनिक पार्लियामेंट के प्रेजिडेन्ट, महामहिम श्री एपोस्तलोस क्राकलामनिस का स्वागत करता हूं।

वह रविवार 16 फरवरी, 2003 को भारत पहुंचे। वह इस समय विशेष प्रकोष्ठ में बैठे हैं। हम कामना करते हैं कि हमारे देश में उनका प्रवास सुखद और लाभप्रद हो। हम उनके माध्यम से यूनान के राष्ट्रपति तथा वहां की पार्लियामेंट और मित्र जनता को अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं।

पूर्वाह्न 11.03 बजे

[हिन्दी]

सदस्यों द्वारा निवेदन

अयोध्या मामले पर प्रश्नकाल के निलम्बन के बारे में

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। अयोध्या का मामला बहुत गंभीर है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप क्या कहना चाहते हैं, कहें। एक सदस्य बोलें, बाकी सभी बैठ जाएं।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आज़ाद (दरभंगा) : क्वैश्चन अवर के बाद ज़ीरो ऑवर आएगा, माननीय सदस्य तब बोलें, नहीं तो हमें भी अवसर मिलना चाहिए। हमने भी नियम 193 के तहत नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठें।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य-स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आज़ाद : हम भी इस विषय पर बोलना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : *आपसे पहले मुलायम सिंह जी खड़े हुए हैं,* इसलिए मैंने उनको बोलने की इजाज़त दी है। मैं सुनना चाहता हूं कि वह क्या कहना चाहते हैं।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि सदन सही ढंग से चले लेकिन सत्तापक्ष के लोग तैयार नहीं हैं कि सदन चले तो हम क्या करें। हम पूरी तरह से तैयार हैं कि सदन चले। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी जो विषय सामने रखना चाहते हैं, वह मैं सुनना चाहता हूं। मैंने उनको प्रश्नकाल से पहले इसलिए इजाज़त दी है कि अगर वे कुछ कहना चाहते हैं प्रश्नकाल स्थगन के बारे में तो मैं सुनना चाहता हूं। बाद में आप भी कह सकते हैं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया है और हमारी आपसे प्रार्थना है कि कार्य स्थगन प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए आज सदन की कार्यसूची की मदों को स्थगित करके अयोध्या विवाद पर चर्चा होनी चाहिए। आज देश के सामने बड़े गंभीर संकट हैं। एक तरफ आंतरिक अशांति है और दूसरी तरफ सीमा पर भी हमारी सुरक्षा नहीं हो पा रही है। हमारा दुश्मन आतंकवादियों को प्रशिक्षित करके, हमारी संसद और विधान सभाओं पर हमला करता है, अक्षरधाम मंदिर पर हमला करता है। लालकिला भी सुरक्षित नहीं है। देश के सामने यह गंभीर खतरा है। आर्थिक संकट भी है। पूरे देश का आर्थिक विकास रुका पड़ा है। आज किसान की पैदावार की लूट हो रही है, भुखमरी है और किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं। *(व्यवधान)* मैं यही कह रहा हूं कि आपकी सरकार असफल रही है। *(व्यवधान)* आप बोलने दीजिए। मैं बता रहा हूं। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, श्री मुलायम सिंह यादव यहां जिस अयोध्या मामले को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे उस पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में निम्नलिखित सदस्यों से 20 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :

1. श्री विलास मुत्तेमवार
2. श्री जी०एम० बनातवाला
3. श्री अजय चक्रवर्ती
4. श्री रामजी लाल सुमन
5. श्री लक्ष्मण सेठ
6. कुंवर अखिलेश सिंह
7. श्री तूफानी सरोज
8. श्री मुलायम सिंह यादव
9. श्री रवि प्रकाश वर्मा
10. श्रीमती सुशीला सरोज
11. श्री राममूर्ती सिंह वर्मा
12. श्री धर्म राज सिंह पटेल
13. श्री रूपचन्द पाल
14. श्री सोमनाथ चटर्जी
15. श्री जी०एम० बनातवाला
16. श्री ई० अहमद
17. श्री बसुदेव आचार्य
18. श्री बीर सिंह महतो
19. श्री रामदास आठवले, और
20. श्री सुनील खां

अयोध्या मामले पर मुझे ये सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मुझे देश में सूखे की स्थिति पर भी निम्नलिखित सदस्यों से पांच सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

श्री प्रकाश परांजपे (ठाणे) : ये बहुत महत्वपूर्ण हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मेरे लिए तो एवरी नोटिस इम्पोर्टेंट है।

[अनुवाद]

निम्नलिखित सदस्यों से सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

1. श्री प्रियरंजन दासमुंशी
2. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी
3. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल
4. श्री शंकरसिंह वाघेला, और
5. श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी

इनके अलावा, मुझे माननीय सदस्य, श्री एच०डी० देवगौड़ा से भी एक सूचना प्राप्त हुई है। उन्होंने गन्ना उत्पादकों की दुर्दशा के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। श्री रामजीलाल सुमन ने पोटा के कथित दुरूपयोग के संबंध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

मुझे ये विभिन्न सूचनाएं प्राप्त हुई हैं माननीय सदस्यों से मुझे काफी संख्या में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं।

मुझे प्रश्नकाल के निलम्बन के लिए भी सूचना प्राप्त हुई है। यह सदैव प्राथमिकता वाली होती है। मुझे श्री बसुदेव आचार्य और श्री रूपचन्द पाल से प्रश्नकाल के निलम्बन के संबंध में सूचना प्राप्त हुई है। मैं इन दोनों सदस्यों से सुनना चाहता हूं कि वे प्रश्नकाल का निलम्बन क्यों चाहते हैं। अयोध्या मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसीलिए, उससे पहले मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : मान्यवर अध्यक्ष जी, इस विषय पर हमने भी कार्य-स्थगन प्रस्ताव दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अयोध्या, मामले पर स्थगन प्रस्ताव के संबंध में सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, उनकी संख्या काफी अधिक होने के कारण मैंने श्री मुलायम सिंह यादव को बोलने की अनुमति दी है। मेरा निवेदन है कि श्री मुलायम सिंह यादव कुछ मिनटों के लिए बोलें। मैं सत्ता पक्ष के सदस्यों को भी इस मुद्दे पर बोलने की अनुमति दूंगा। अब यह निर्णय सदन द्वारा लिया जाए कि क्या प्रश्नकाल का निलम्बन करके सदस्य इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं। अतएव, सबसे पहले श्री

मुलायम सिंह यादव कुछ मिनटों के लिए इस पर अपनी टिप्पणी दें। श्री मुलायम सिंह यादव, यह वह बहस नहीं है जो हमने शुरू की थी।

[हिन्दी]

हमने इस पर चर्चा शुरू नहीं की है। एडजर्नमेंट मोशन क्यों चाहिए और क्वैश्चन आवर क्यों सस्पेंड करना चाहिए – इस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं, वह मैं सुनना चाहता हूं।

श्री विनय कटियार (फैजाबाद) : अध्यक्ष जी, आपने बहस की अनुमति दे दी है। इसलिए मुझे आपकी व्यवस्था पर कुछ नहीं कहना है, मैं केवल इतना ही कहूंगा कि अयोध्या के इश्यू का जिक्र जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में आया है, तो राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की बहस के दौरान इस विषय पर व्यापक रूप से चर्चा हो सकती है। इसलिए यह ज्यादा उचित होगा कि इस विषय पर उस समय बहस हो जाए और इस समय क्वैश्चन आवर को स्थगित नहीं करना चाहिए। इसलिए मेरा आपसे आग्रह और निवेदन है कि इसके लिए आप कोई समय तय कर दें, तब इस पर चर्चा हो सकती है और हम यहां देर तक बैठकर उस चर्चा को सुन सकते हैं। अन्यथा इस पर नोटिस देना, हर बार क्वैश्चन आवर को स्थगित करना, एक परम्परा बन जाएगी और हर बार ऐसा किया जाएगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस समय क्वैश्चन आवर को चलने दिया जाए और अयोध्या के इश्यू पर चर्चा खूब हो, लेकिन पहले प्रश्न-काल हो जाए और उसके लिए आप समय निश्चित कर दें।

अध्यक्ष महोदय : आपका जो पक्ष है, वह मैंने सुन लिया। यदि सदन की सहमति हो, तो इसमें मुझे कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन वे क्वैश्चन-आवर क्यों स्थगित कराना चाहते हैं, इसे जानने के लिए मैंने उन्हें इजाजत दी है। इस विषय में वे क्या कहना चाहते हैं, पहले उनको सुनिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैं बता रहा था कि देश में सुरक्षा का संकट है, देश की अर्थ-व्यवस्था का संकट है, देश में सूखे का सवाल है, अयोध्या विवाद है, इतनी सारी समस्याओं को यह सरकार हल करने में असफल रही है। सरकार इन सारे मोर्चों पर विफल रही है, नाकामयाब रही है। इसके कारण देश की अर्थ-व्यवस्था, सुरक्षा व्यवस्था चौपट हो गई है। जब इस प्रकार की गंभीर समस्याएं आती हैं और सरकार हल नहीं कर पाती है, तो लोग अयोध्या की समस्या ले आते हैं।

अयोध्या मामले के परिणाम क्या होंगे। जब उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में फैसला होने के लिए कार्यवाही हो रही थी, उसी वक्त उच्चतम न्यायालय ने 1994 में एक फैसला दिया। उन्होंने कहा कि पूरी विवादित भूमि है।

अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है इसलिए हम इसमें थोड़ा पढ़ना चाहेंगे। आपने हमें जो निर्देश दिया है, हम उसी के अनुसार संक्षेप में पढ़ेंगे। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, बिहार में लोग मर रहे हैं, अपहरण हो रहा है। *(व्यवधान)* फेक एनकाउंटर होता है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : महोदय, मैं बताना चाहता हूं, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, आप जल्दी खत्म करिए।

(व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके निर्देश के अनुसार बहुत कम समय ले रहा हूं। *(व्यवधान)* मैं थोड़ा सा पढ़ कर सुनाना चाहता हूं – पूर्व मुख्य न्यायाधीश जे०एस० वर्मा की अयोध्या मुद्दे पर राय – उन्होंने कहा कि वह इस मामले में 1994 में दिए गए अपने फैसले का स्पष्टीकरण दे रहे हैं, क्योंकि अक्सर इसकी गलत व्याख्या की जाती है और इसे तोड़-मरोड़ दिया जाता है। संवाद समिति वार्ता के अनुसार न्यायमूर्ति वर्मा ने कहा। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, जस्टिस वर्मा के संबंध में मुझे भी कुछ कहना है। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : इस पर कटियार जी को कितनी परेशानी हो रही है। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैंने कहा कि मुझे भी इस विषय पर बोलने की इजाजत दी जाए। ये जस्टिस वर्मा को कोट कर रहे हैं इसलिए मैं भी कुछ कहता हूं। *(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी बोलने की अनुमति दी जाए। *(व्यवधान)*

श्री मुलायम सिंह यादव : आप जरा गंभीरता से मेरी बात को सुनिए। माननीय न्यायमूर्ति वर्मा जी ने कहा कि मैं राष्ट्रहित में अपनी चुप्पी तोड़ रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग फैसले में कही गई बातों की गलत व्याख्या कर रहे हैं।

न्यायमूर्ति वर्मा जी ने कहा कि सरकार अयोध्या में अधिग्रहीत भूमि में से कोई हिस्सा किसी को नहीं दे सकती। अधिग्रहीत संपूर्ण भूमि केन्द्र सरकार के हाथ में है और संबंधित मुकदमे का फैसला होने तक किसी को नहीं सौंपी जा सकती। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार के नियंत्रण में जितनी भी जमीन है वह विवाद में है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी, जब इस विषय पर चर्चा होगी, तब आप बोलिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि भूतपूर्व मुख्य नयायाधीश जे०एस० वर्मा का एक फैसला है। उन्होंने कहा है कि मैं देशहित में अपनी जुबान खोल रहा हूं, देशहित में यह फैसला है और ये उसकी ऐसी व्याख्या कर रहे हैं। *(व्यवधान)* इसका नतीजा क्या होने वाला है। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार (फैज़ाबाद) : इसके बाद आप हमारी बात को भी जरूर सुनिएगा, अन्यथा देश में गलत संदेश जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : मुलायम सिंह जी के बोलने के बाद, मैं आपकी पार्टी के माननीय सदस्य को भी बोलने की इजाजत देने वाला हूं।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष महोदय, कटियार जी हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि मुख्य न्यायाधीश कह रहे हैं कि हमें देशहित में अपनी जुबान खोलनी पड़ रही है। ये पूरे देश का वातावरण खराब कर रहे हैं। इन्होंने कह दिया कि पूरी जमीन विवादित है। *(व्यवधान)* हम पूछना चाहते हैं कि सरकार ने उच्चतम न्यायालय में जाकर क्यों इस तरह का दावा पेश किया कि उस जमीन को किसी संस्था को दे दिया जाए। इस अखबार को पढ़ने से आपको पता चलेगा। इसमें साफ लिखा है कि न तो यह किसी विश्व हिन्दू परिषद का सवाल है और न ही किसी अन्य पक्ष का। उसके बाद भी ये विवाद खड़ा करना चाहते हैं। इसके द्वारा भाजपा पूरा राजनैतिक लाभ उठाने का प्रयास करेगी। विश्व हिन्दू परिषद को संतुष्ट करेंगे। केवल हमें उच्चतम न्यायालय में पूरा विश्वास है। *(व्यवधान)* केन्द्र सरकार अपनी सरकार को चलाने के लिए देश में गृह युद्ध छेड़ने की पूरी कोशिश कर रही है।

यह काफी गम्भीर मामला है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि सरकार तत्काल इसे वापस ले। जो देश की अन्य गम्भीर समस्याएं हैं, उन पर सरकार ध्यान दे। इन गम्भीर समस्याओं में विपक्ष ने हमेशा सरकार से सहयोग किया है। पूरे विपक्ष ने देश की गंभीर समस्याओं के लिए जितना समर्थन इस सरकार का किया, आज तक इतिहास में किसी सरकार को उतना समर्थन नहीं मिला। उसके बाद भी यह नाकारा सरकार हो गई है। आप कभी भावना को उभारेंगे और लोगों की भावना को ठेस पहुंचाएंगे? इस तरह से कानून ला-लाकर पूरे देश में राजनैतिक लाभ उठाने के लिए भाजपा की गृहयुद्ध छेड़ने की पूरी साजिश है। *(व्यवधान)* यह देश के सामने गम्भीर चिन्ता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय हम आपसे अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सारी कार्यवाही रोककर मेरा कार्य-स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कीजिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि देशहित और राष्ट्रहित में, जब देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश बोले हैं तो क्या हम चुप रहेंगे? इसमें हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है, पूरे सदन की जिम्मेदारी है। हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि हमने कोई राजनैतिक सवाल उठाया है. हमने देशहित में सवाल उठाया है और हम चाहते हैं कि पूरा सदन इस पर गम्भीरता से विचार करे, इसलिए हम चाहते हैं *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : जस्टिस जे०एस० वर्मा को इन्होंने गलत ढंग से कोट किया है, इसलिए हमें इस विषय पर बोलना है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मेरी कठिनाई आप समझ सकते हैं। मैं सोमनाथ चटर्जी जी के बाद आपको बोलने की इजाजत देने वाला हूं। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, मुझे केवल एक मिनट में अपनी बात कहनी है। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : जब इनका नोटिस नहीं है, तो ये क्या बोलेंगे? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि इनका नोटिस है, इसलिए मैंने इनको पहले बोलने की इजाजत दी है।

श्री विनय कटियार : जब अयोध्या का इश्यू आता है, अयोध्या का जब मामला आयेगा तो मैं अपने आप में नोटिस हूं, क्योंकि मैं वहां से आता हूं। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : विनय कटियार जी का तो कई मामलों में नोटिस हैं, पोटा में भी इनका नोटिस है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : देखिये, मुझे हाउस कंडक्ट करना है। आप कृपया सहयोग कीजिए।

श्री मुलायम सिंह यादव : अध्यक्ष जी, मेरी बात तो रह गई। आप कार्यवाही रोककर इस विषय पर चर्चा आज ही पूरे दिन करा ली जाये, यही मेरी प्रार्थना है। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : हमें भी माननीय जस्टिस वर्मा के विषय में आधे मिनट में अपनी बात कहनी है। माननीय सोमनाथ चटर्जी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, मैं उनके बीच में बोलना नहीं चाहता। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिये, प्लीज।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आप उनकी इजाजत लीजिए। इसमें हमारा क्या है। *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : इससे देश में गलत संदेश जा रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको इजाजत देने को तैयार हूं, लेकिन आप अभी जरा बैठिये। श्री सोमनाथ चटर्जी को मैंने इजाजत दी है।

कुंवर अखिलेश सिंह : सोमनाथ जी नहीं बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे?

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, हमने कार्य स्थगन प्रस्ताव की यह सूचना बिना सोचे विचारे नहीं दी है *(व्यवधान)* देशभक्ति उनका एकाधिकार नहीं है। वे इस देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। हम इस देश की एकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं। *(व्यवधान)* मैं श्री येरननायडू, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और उन सब लोगों, जो धर्मनिरपेक्षता की बातें करते हैं, से जानना चाहता हूं कि उन्होंने कैसे इन विघटनकारी ताकतों के सम्मुख घुटने टेक दिए *(व्यवधान)*

उन्होंने अपने साथियों की खिंचाई करते हुए यह क्यों नहीं पूछा? *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रकाश परांजपे : हिन्दी चीनी भाई-भाई वाले चीन की तरफदारी करते हैं *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री परांजपे, कृपया आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने अभी बोलना शुरू किया है। कृपया श्री सोमनाथ जी की बात सुनिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मित्रों, आप सभी जानते हैं कि मैंने श्री सोमनाथ चटर्जी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सोमनाथ चटर्जी जी को इजाजत दे दी थी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : कुछ लोग साजिश करके सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री रामदास आठवले (पंढ़रपुर) **:** ये देश को बर्बाद करना चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। ये मानवता और देश के दुश्मन हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया बैठिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा था, और मैंने सोचा कि संबंधित दलों के कुछ नेता इस बात का स्पष्टीकरण देंगे कि वे प्रश्नकाल का क्यों निलम्बन करना चाहते हैं? इसीलिए, मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी। सभी सदस्यों से मेरा निवेदन है कि वे उनकी बात सुने, मैं सत्तापक्ष के सदस्यों को भी बोलने की अनुमति दूंगा। ऐसा नहीं है कि इस पूरे मामले में सारा राष्ट्र केवल एक पक्ष की ही बात सुने। अतः, श्री सोमनाथ चटर्जी के बाद श्री मल्होत्रा को बोलने की अनुमति दी जाएगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, उनकी बात सुनें, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। येन प्रकारेण वे बहुमत में है चाहे वे किसी भी गठबंधन में हो। *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष महोदय, क्या यह जरूरी है कि हम इनको हर बार बीच में डालें? *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : हमें चिन्ता इस बात की है कि अचानक हम पाते हैं कि सरकार द्वारा इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय में आवेदन दिया गया है। किसलिए? इसकी क्या तात्कालिकता थी? सरकार ने किसी को भी विश्वास में नहीं लिया। इतने महत्वपूर्ण मुद्दों पर, जानबूझकर विपक्षी दलों को उपेक्षित किया गया है।

जब चीजें उनके नियंत्रण से बाहर हो जाती हैं, तब वे विपक्ष को विचार-विमर्श के लिए बुलाते हैं, और विचार-विमर्श का बहाना करते हैं। महोदय, धर्मसम्मेलन 22 फरवरी को हो रहा है और यह तिथि धर्मसम्मेलन के बहुत नजदीक है। क्या ये धर्मसम्मेलन से संबद्ध है? सरकार ने इतनी फुर्ती से इसके लिए आवेदन किया है, इसके क्या कारण है? यह इसलिए किया गया है क्योंकि सरकार यथास्थिति में परिवर्तन करना चाहती है, लेकिन उच्चतम न्यायालय ने यथास्थिति

बनाये रखने के बारे में पहले से ही आदेश पारित किया हुआ है। ऐसा कौन सा आसमान टूटा जा रहा है कि आज सब कुछ उलटा-पलटा जा रहा है? यह मामला न्यायालय में लंबित है। 1994 का निर्णय इस बारे में बिलकुल स्पष्ट है। न्यायमूर्ति वर्मा ने इस बात को स्पष्ट किया है कि जब आदेश 1994 उच्चतम न्यायालय ने पारित किया था तो उसका क्या मन्तव्य था। अब वे एक ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां अविवादित भूमि के बहाने वे इसे वी०एच०पी० को सौंप देंगे जिसने हिन्दुओं के हितों के संरक्षण पर एकाधिकार किया हुआ है। इसके लिए उसे किसने अधिकृत किया, यह केवल वही जानते हैं। इसलिए यह कोई साधारण मामला नहीं है। यह उच्चतम न्यायालय में आवेदन करना मात्र नहीं है। यह वहां की यथास्थिति को परिवर्तित करने की एक कुत्सित चाल है ताकि इस देश में अज्ञानता और कट्टरता को पनपने का मौका मिले। वे इस पूरे मामले का सांप्रदायिकीकरण कर इससे फायदा उठाना चाहते हैं। ये लोग दंतहीन वाघों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। किसी ने आपको दंतहीन वाघ बनाकर रख दिया है। आप अपना दिमाग क्यों नहीं लगाते? *(व्यवधान)* इसलिए यह साधारण मामला नहीं है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिये।

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : हमारी पार्टी न्यायालय के निर्णय को मानेगी। टी०डी०पी० एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है।

डा० एस० वेणुगोपाल (आदिलाबाद) : हम न्यायालय के निर्णय का सम्मान करेंगे *(व्यवधान)*

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी ने कल कहा था *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। उन्हें अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री के० येरननायडू : महोदय, इनका भाषण पूरा होने के बाद मुझे बोलने की अनुमति दीजिये। यह मेरा अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, कल माननीय राष्ट्रपति जी ने कहा था कि न्यायापालिका द्वारा इस मामले को सुलझाया जाना चाहिए। अब, ये कहते हैं कि न्यायापालिका द्वारा इस मामले में शीघ्र अति शीघ्र निर्णय दिया जाये। स्पष्टरूप से, इसका आशय मुख्य मुद्दे को निपटाये जाने से है, जो उपयुक्त न्यायालय के समक्ष लंबित है, और इसके बावजूद मुख्य मुद्दे पर निर्णय हुए बगैर, यथास्थिति में परिवर्तन केसे किया जा सकता है? महोदय, इसलिए हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। यह देश के धर्म को आधार पर विभाजित करने की कुत्सित चाल हैं *(व्यवधान)* वे सोचते हैं कि हर जगह गुजरात की घटनाएं दोहरायी जायेंगी। मैं समझता हूं कि हमारे इतिहास का यह बहुत ही शर्मनाक अध्याय था जिसमें हजारों लोगों की लाशों पर राजनीतिक दलों ने अपनी रोटियां सेंकने की कोशिश की *(व्यवधान)* इसीलिए मैं कहता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह कोई साधारण मामला नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि इस पर स्थगन प्रस्ताव के तहत तुरंत चर्चा करायी जाये। मैं समझता हूं कि आप इसे मान लेंगे।

अध्यक्ष महोदय : श्री मल्होत्रा आप अपना भाषण शुरू करें इसके पहले मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं।

[हिन्दी]

डा० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, जितना टाइम श्री मुलायम सिंह और सोमनाथ चटर्जी ने बोलने के लिए लिया है, उससे ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं टाइम की चर्चा नहीं कर रहा हूं।

[अनुवाद]

मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैंने लीक से हटकर सदस्यों को बोलने की अनुमति दी है। मैंने सोचा था कि इस विषय पर सत्तापक्ष को भी अपना मत स्पष्ट करना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि आपको भी उतना ही समय दिया जायेगा जितना उन्हें दिया गया है। मेरा केवल इतना अनुरोध है चूंकि प्रश्नकाल का लगभग आधा समय व्यतीत हो गया है, इसलिए मैं यथाशीघ्र प्रश्नकाल शुरू कर देना चाहता हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसलिए, इस मुद्दे पर श्री विजय कुमार मल्होत्रा अपना मत स्पष्ट करेंगे। उसके बाद, कांग्रेस पार्टी का कोई नेता इस विषय पर अपना मत रखेगा और फिर मैं शून्यकाल शुरू कर दूंगा।

[हिन्दी]

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, अभी *(व्यवधान)*

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, अयोध्या का मामला आया है इसलिए अयोध्या के सदस्यों को बोलने देना चाहिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बोलने का चांस दे दूंगा।

श्री विनय कटियार : पहले हमको बोलने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, पहले मल्होत्रा जी बोलेंगे।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, आपके सामने सिर्फ एक छोटा सा सवाल था कि क्वैश्चन आवर सस्पैंड किया जाए या नहीं। क्वैश्चन आवर सस्पैंड करने के बारे में इनको आरग्यूमैंट्स देने चाहिए थे। इन्होंने उसके बजाए सारे मैरिट के सवाल उठाए। कोई आसमान नहीं टूट पड़ता कि अगर इस पर एक घंटे के बाद बहस हो जाए। हम चाहते हैं कि अयोध्या पर बहस हो। हम इनको बताना चाहते हैं कि अयोध्या पर कांग्रेस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और मुलायम सिंह जी का कितना गलत नजरिया है। अयोध्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट की जजमैंट लेकर गैर-विवादित भूमि पर राम मंदिर न बने, देश के साथ इससे ज्यादा विश्वासघात कोई नहीं हो सकता। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : पूरी जमीन विवादास्पद है। मल्होत्रा जी का कथन बिल्कुल असत्य है। *(व्यवधान)* ये जान-बूझकर गुमराह कर रहे हैं। *(व्यवधान)* यह बहुत गंभीर मामला है। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : ये संविधान की हत्या करना चाहते हैं। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपके नेता ने अपनी भूमिका रखी है। अब इनको बोलने का पूरा अधिकार है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये। अखिलेश जी, प्लीज़, आप बैठिए।

(व्यवधान)

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, पिछले साल प्रधान मंत्री जी के यहां सारी पोलीटिकल पार्टीज़ की मीटिंग हुई है। सबने मिलकर यूनैनीमसली कहा कि इसका फैसला जल्दी हो, न्यायालय इसका जल्दी फैसला करे और इसके लिए सर्वसम्मति बनी। अगर उसी के लिए न्यायालय से कहा जा रहा है कि इसका फैसला जल्दी करो फिर आज यह सवाल क्यों उठाया जा रहा है। क्या इससे ज्यादा कोई अनैतिक बात हो सकती है? इससे ज्यादा कोई इममॉरेल चीज हो सकती है कि जो सब फैसला करें और उस पर हम अमल करें तो उसके खिलाफ सवाल उठाए जाएं। *(व्यवधान)* हम भी जानते हैं कि अयोध्या का सवाल है परन्तु बिहार में कब तक राजशाही राज चलेगा। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : इनसे पूछिए कि उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया अपनी सीट पर जाइए। आप अपनी जगह से बात कर सकते हैं।

कुंवर अखिलेश सिंह : वहां पोटा का दुरुपयोग हुआ है। *(व्यवधान)* राजा भैया को गिरफ्तार किया गया। उनके बूढ़े पिता को गिरफ्तार किया गया। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी जगह से बोलिए, आप यहां से नहीं बोल सकते।

कुंवर अखिलेश सिंह : ये उत्तर प्रदेश में सीधे जातीय उन्माद पैदा कर रहे हैं। ये पूरे प्रदेश को खून और दंगों में झोंकना चाहते हैं। *(व्यवधान)* अगर उत्तर प्रदेश में स्थिति नहीं सुधरी तो सीधे संघर्ष होगा। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : श्री सोमनाथ चटर्जी ने लॉ एंड आर्डर और देश की बात की। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : इन्हें देश का ख्याल नहीं है। उत्तर प्रदेश में पोटा का किस तरह दुरुपयोग हो रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। आप ऐसे ही खड़े हैं।

(व्यवधान)

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : श्री सोमनाथ चटर्जी ने जो सवाल उठाया, ये उसकी काट में क्या बोल रहे हैं। *(व्यवधान)* ये किस विषय पर बोल रहे हैं। *(व्यवधान)* क्वैश्चन आवर सस्पैंड हो या नहीं, उस बारे में सवाल है लेकिन ये क्या बोल रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : अध्यक्ष जी, *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामदास जी, आपके ऊपर किसी ने कोई आरोप नहीं किया। आप बैठिए।

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, पश्चिम बंगाल में गैंग रेप हो रहे हैं, इसके बारे में हमने आपको नोटिस दिया है। पांच वर्ष से पचास वर्ष तक की महिलाओं के साथ बलात्कार किए जा रहे हैं। यहां ऐसे सवाल उठाए जाएं, हम आपसे मांग कर रहे हैं, बिहार के बारे में चर्चा की मांग कर रहे हैं। *(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : यह बिल्कुल विषयांतर है, इसका अयोध्या से क्या मतलब है। मल्होत्रा जी को अयोध्या के बारे में बोलने के लिए कहा गया है। *(व्यवधान)*

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : बिजनस ऐडवाईज़री कमेटी में *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया मल्होत्रा जी को बोलने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए। सोमनाथ चटर्जी का भाषण हुआ, सबने सुना। मुलायम सिंह जी का भाषण सुना। यह कौन सा तरीका है कि आप दूसरे नेताओं का भाषण नहीं सुनेंगे। प्लीज़ आप बैठिए।

(व्यवधान)

डॉ० विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, आपको यह फैसला करना है कि आप इन विषयों को उठाने की अनुमति किसे दें या किसे न दें परंतु सोमनाथ जी को इसका जवाब देना चाहिए कि जब राष्ट्रगान हो रहा था तो इनके मुख्य मंत्री बैठे हुए क्यों थे? *(व्यवधान)* राष्ट्रगान के लिए सारे लोग, सारे ऑफिसर्स खड़े हो गये लेकिन वे बैठे हुए थे। क्या राष्ट्रगान का ऐसा अपमान कोई मुख्य मंत्री कर सकता है? *(व्यवधान)* परंतु इसका जवाब इनको देना चाहिए जब वह यहां अपना विषय उठाएं। *(व्यवधान)* मैं भी इनसे कहना चाहता हूं कि अयोध्या मामले का हल होना हिन्दू और मुसलमान दोनों के हित में है परंतु ये सारे देश में आग लगाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अयोध्या का मामला लटकता रहे, देश में साम्प्रदायिक दंगे होते रहें और ये वहां पर अपने वोटों की खातिर लाशों का ढेर खड़ा करना चाहते हैं। *(व्यवधान)* हम चाहते हैं कि अयोध्या का मामला हल हो जाए, दोनों में समन्वय पैदा हो जाए और क्वश्चन ऑवर सस्पेंड किये बिना आप फैसला करें कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रवीण राष्ट्रपाल (पाटन) : उन्हें आलोचना करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। आपने उन्हें बोलने की अनुमति ही क्यों दी?

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मैंने शिवराज पाटील जी का नाम लिया है। आप बैठिये।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील (लातूर) : महोदय, देश के समक्ष अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल का निलम्बन किया जा सकता है *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कीर्ति झा आज़ाद जी, आप बार-बार बीच में क्यों खड़े हो रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आज़ाद : सर, ये राष्ट्रभक्त हैं। आप इनसे पूछिये तो सही *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि० पाटील : महोदय, मैं इस बात को एक बार फिर दोहराना चाहता हूं कि देश के समक्ष अति महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा के लिए प्रश्नकाल को विगत में स्थगित किया गया है। ऐसे मुद्दे से महत्वपूर्ण दूसरा महत्वपूर्ण मुद्दा कोई नहीं है जो देश को ही बांटता है। यदि सरकार न्यायालय में जा रही है, वहां आवेदन कर रही है, उस भूमि के वापस करने की अनुमति मांग रही है जिसे उसने अधिग्रहीत किया था, देश को विभाजित करने वाली बातों में सरकार शामिल हो रही है *(व्यवधान)* तो प्रश्नकाल को स्थगित करके भी इस तरह के मुद्दे पर सभा में चर्चा की जानी चाहिए। हमने सोचा था कि सूखे का मसला ज्यादा महत्वपूर्ण है, हमने सोचा था ये मसला ज्यादा महत्वपूर्ण है, इराक का मसला ज्यादा महत्वपूर्ण है और दूसरे मुद्दे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। यदि सरकार ऐसे कदम नहीं उठा सकती जिनसे देश की एकता मजबूत हो अपितु ऐसे कदम उठाती है जिनसे देश में विभाजनकारी प्रवृत्तियों को बढ़ावा मिलता है, तो इन मुद्दों पर चर्चा प्रश्नकाल को स्थगित करके भी की जानी चाहिए *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विनय कटियार : अध्यक्ष जी, अयोध्या की चर्चा हो रही है, क्या अयोध्या वालों की बात आप नहीं सुनेंगे? यह बड़ा अन्याय हो रहा है। *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस बारे में कुछ कहने दीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आप मुझे तो सुनिए।

श्री जी०एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अध्यक्ष महोदय, हमारा सबसे अहम मसला है और हमको नहीं बोलने दिया जा रहा है। *(व्यवधान)*

[**جناب جی۔ایم۔ بنات والا (پونانی):** اسپیکر صاحب، ہمارا سب سے اہم مسئلہ ہے اور ہم کو بولنے نہیں دیا جا رہا ہے۔۔۔(مداخلت)]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप नहीं चाहते कि मैं कोई टिप्पणी करूं तो आप क्या चाहते हैं?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे कुछ कहने दीजिये। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे सहयोग देंगे।

(व्यवधान)

श्री जी०एम० बनातवाला : आप अपनी बात कहने से पहले कृपया मेरी बात सुने *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगणों, जैसा कि आप सब इस बात से अवगत हैं मेरी यह इच्छा बिल्कुल नहीं है कि मैं सदस्यों को बोलने से रोकूं। यदि आप चाहते हैं कि इस मुद्दे पर अभी चर्चा हो, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जायें। सभा की कार्यवाही को चलाने के लिए कुछ अनुशासन तो होना ही चाहिए। अखिलेश जी, मैंने आपको बहुत टॉलरेट किया है। यह कोई तरीका नहीं है। बनातवाला जी, आप भी बैठिये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप पहले मेरी बात सुने फिर अपनी बात कहें। कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : सत्तापक्ष को कोई आपत्ति नहीं है, उन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : कम से कम आप मुझे तो सुनिये।

(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष जी हमारा भी नोटिस है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामजीलाल सुमन जी, यह तरीका ठीक नहीं है। अध्यक्ष को आप बोलने नहीं देंगे तो कैसे चलेगा?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपनी बात कहने दीजिये। मैं आपको यह बात स्पष्ट कर देता हूं कि विगत सत्र में हमने सभा के कार्य का संचालन बहुत अच्छे ढंग से किया था। इसकी न केवल मीडिया द्वारा प्रशंसा की गयी थी अपितु इस देश के लोगों ने भी इसको सराहा था। इस बार भी मैं चाहता हूं कि सभा में प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा हो।

सौभाग्य से, सत्तापक्ष को इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है और वह अयोध्या सहित सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। हम अपराह्न 1.00 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक कर रहे हैं। कार्यमंत्रणा समिति में सभी महत्वपूर्ण मुद्दे जिसमें अयोध्या सहित, सूखे की स्थिति, बिहार की स्थिति, पोटा और दूसरे मुद्दे जिन्हें श्री देवे गौडा जी ने यहां, उठाया है, पर चर्चा की जायेगी। मैं इस सभा को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मैं यह स्वयं सुनिश्चित करूंगा कि इस सत्र में सभी मुद्दों पर चर्चा की जाये। इसमें कोई संदेह नहीं कि हम यहां चर्चा के लिए आये हैं। इसलिए उन सदस्यों को जिन्हें अभी बोलने का मौका न मिल पाये, बाद में बोलने का मौका दिया जायेगा। यदि आप चाहते हैं कि अयोध्या मुद्दे पर आज ही अपराह्न 2.00 बजे से चर्चा शुरू हो तो हम ऐसा कर सकते हैं। इस पर न तो सत्तापक्ष को कोई आपत्ति है और न ही अध्यक्षपीठ को। मैं व्यक्तिगत रूप से यह अनुभव करता हूं कि अयोध्या जैसे संवेदनशील मुद्दे पर जल्दी से जल्दी चर्चा होनी चाहिए। इसलिए मैं उन मुद्दों पर सभा में चर्चा कराने की अनुमति दे रहा हूं। यदि माननीय सदस्यों को लगता है कि सूखे का मुद्दा ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वे आज इस पर चर्चा कर सकते हैं, और अयोध्या मुद्दे पर कल चर्चा की जा सकती है। इस पर कार्यमंत्रणा समिति में चर्चा की जायेगी। लेकिन तब तक के लिए इस सभा से मेरा यह अनुरोध है कि प्रश्नकाल का आधा समय व्यतीत हो चुका है और मैं इस स्थिति में नहीं हूं कि किसी मुद्दे पर चर्चा कराये जाने के लिए मैं प्रश्नकाल निलंबित कर दूं। इसलिए, जो मुझे स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं दी गयी हैं मैं उन्हें अस्वीकृत करता हूं। लेकिन मुद्दों पर चर्चा के लिए कोई अड़चन नहीं हैं। सभी मुद्दों पर चर्चा की जा सकती है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे अपना वक्तव्य पूरा करने दीजिए। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। 1.00 बजे कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है। हम इस मामले पर आज ही चर्चा कर सकते हैं। इस पर यहां चर्चा की जा सकती है।

श्री जी०एम० बनातवाला : जो माननीय सदस्य कार्यमंत्रणा समिति में हैं वे बोल चुके हैं और जो कार्यमंत्रणा समिति में नहीं है उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जा रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह सच नहीं है। यह आवश्यक नहीं है कि कार्यमंत्रणा समिति के सदस्यों को ही बोलने का मौका दिया जाए। यहां कोई गलत बयानी मत कीजिए। यह कोई सही वक्तव्य नहीं है।

इसलिए अब मेरे पास प्रश्न काल को आरंभ करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कृपया सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

श्री के० येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आप व्यक्तिगत रूप से इसका खुलासा कर सकते हैं।

डा० एस० वेणुगोपाल : माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय : आपने मेरी अनुमति नहीं मांगी है। मैंने उनको बोलने की अनुमति दी है। कृपया बैठ जाइए। वे आपके दल के सदस्य है। जब आपके दल के नेता खड़े होते है तो आपको बैठ जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : चटर्जी साहब ने मेरा नाम भी कोट किया था। येरननायडू साहब का और मेरा भी नाम उन्होंने कोट किया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर डिसकशन के समय आपको जरूर बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह ठीक नहीं है। मेरा नाम भी कोट किया गया है इसलिए मुझे भी सफाई देने का मौका दिया जाए और मेरे साथ न्याय किया जाए।

अध्यक्ष महोदय : जब आपका नाम लिया गया, तब आपने बोलने की इजाजत नहीं मांगी थी। अब आप बैठ जाएं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : चर्चा के दौरान मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

श्री के० येरननायडू : माननीय अध्यक्ष महोदय, श्री सोमनाथ चटर्जी ने मेरा और मेरी पार्टी का नाम लिया है। मैं सभा में यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि मेरी पार्टी एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। हम राजग सरकार को अपना समर्थन न्यूनतम सांझा कार्यक्रम के आधार पर दे रहे हैं। यदि इसलिए यदि सरकार, धार्मिक नेता और राजनैतिक दल यह समस्या सुलझाने में नाकाम रहते हैं तो हमें न्यायालय के विनिर्णय का पालन करना होगा। इसलिए तदैपा को शीर्ष न्यायालय पर विश्वास है। हमें न्यायालय के निर्णय का पालन करना ही होगा। सभी राजनैतिक दलों को न्यायालय के फैसले का पालन करना चाहिए। न्यायालय जो कोई भी निर्देश दे हमें उसका पालन करना होगा।

हम घुसपैठ की समस्या का सामना कर रहे हैं। हमें आतंकवाद से लड़ना है। हमें इन सभी प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करनी है।

पूर्वाह्न 11.39 बजे

[अनुवाद]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाएं

\+

1. **श्री बीर सिंह महतो** :
   प्रो० दुखा भगत :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में ग्रामीण रोजगार सृजन योजनाएं लागू की हैं;

(ख) यदि हां, तो इन योजनाओं की मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इन योजनाओं से लाभान्वित लोगों का योजनावार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का दसवीं योजना के दौरान इन योजनाओं को चालू रखने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णम राजू) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एस०जी०आर०वाई०) और स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एस०जी०एस०वाई०) नामक दो प्रमुख कार्यक्रम क्रियान्वित किए जाते हैं।

एस०जी०आर०वाई० पंचायतीराज संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों को मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए क्रियान्वित की जाती है। जबकि एस०जी०एस०वाई० ऋण व सब्सिडी योजना के माध्यम से आय-सर्जक स्थायी परिसंपत्तियां उपलब्ध कराते हुए स्व-रोजगार उपलब्ध कराने के लिए क्रियान्वित की जाती है ताकि गरीब लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। एस०जी०आर०वाई० के अंतर्गत 2001-2002 के दौरान 5229.78 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए और 2002-2003 (दिसम्बर, 2002 तक) के दौरान 4113.12 लाख श्रम दिवस सृजित किए गए।

एस०जी०एस०वाई० के अंतर्गत 2001-2002 के दौरान 9.38 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी गई और 2002-2003 (दिसम्बर, 2002 तक) के दौरान 3.70 लाख स्वरोजगारियों को सहायता दी गई है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन योजनाओं को बंद करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

श्री बीर सिंह महतो : माननीय अध्यक्ष, महोदय, उत्तर में यह स्वीकार किया गया है कि 2002-2003 में स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सृजित कार्यदिवस 2001-2002 के मुकाबले कम थे। वर्ष 2002-2003 में स्वर्णजयंती स्वरोजगार योजना के अंतर्गत जिन स्वरोजगारियों को सहायता दी गई थी उनकी संख्या 2001-2002 की तुलना में, बहुत कम है। ये आंकड़े कागजों पर है परंतु वास्तविकता यह है कि इनकी संख्या बहुत कम है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने चल रही रोजगार सृजन स्कीमों का निचले स्तर पर आकलन किया है यदि हां तो उसके परिणाम क्या हैं? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री यादव, आपने उस समय बोलने की अनुमति नहीं मांगी थी।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष जी, मैं बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अभी प्रश्नकाल शुरू हो गया है। मैं आपको चर्चा के समय मौका दूंगा।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : सर, मैं तो माननीय सोमनाथ जी ने मेरे नाम पर जो प्रश्नचिन्ह लगाया है, उस पर सफाई देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : आपको मौका मिलेगा।

[अनुवाद]

श्री बीर सिंह महतो : महोदय, केन्द्र सरकार प्रति वर्ष विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से लगभग 20,000 करोड़ रु० व्यय करती है। इतना पैसा खर्च करने के बाद भी इन योजनाओं में जितना विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। प्लानिंग कमीशन की रिपोर्ट में भी इसका जिक्र हुआ है।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा पूछा गया प्रश्न रोजगार सृजन से संबंधित स्कीमों के बारे में है। दो प्रमुख योजनाएं विशेषकर एस०जी०एस०वाई० और एस०जी०एस० वाई० का कार्यान्वयन केन्द्र द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबों के लिए रोजगार सृजन हेतु किया गया है। इसके आधार पर माननीय सदस्य कह रहे थे कि वर्ष 2002-03 में कार्यनिष्पादन कम हुआ है।

मैं अब 2001-02 के आंकड़े को सदस्यों की जानकारी के लिए पढ़ूंगा। हालांकि केन्द्र सरकार से नकद के रूप में मिलने वाला हिस्सा 3,789 करोड़ रु० था और अनाज भाग के रूप 34.52 लाख टन था, रोजगार सृजन लगभग 5229 लाख कार्यदिवस था। मानीनय सदस्य 2002-03 के जिन आंकड़ों का हवाला दे रहे हैं वह दिसम्बर 2002 को न कि मार्च 2003 तक के। स्वाभाविक रूप से तीन महीनों के आंकड़े जिसकी जानकारी अभी सभी राज्यों से प्राप्त होनी है इन आंकड़ों में नहीं जोड़े गये हैं। इसलिए जो भी आंकड़े दिए गये हैं यानि 2,937 रुपये की नकद राशि और 31.46 लाख टन का खाद्यान्न कम नहीं हैं क्योंकि उस वर्ष के दौरान दिसम्बर के अंत तक रोजगार सृजन 4,113 लाख कार्यदिवस था। इसलिए मैं महसूस करता हूं कि राज्यों से अभी जानकारी आनी बाकी हैं।

प्रश्न का दूसरा भाग योजना आयोग की रिपोर्ट और उसकी इस टिप्पणी से संबंधित था कि कार्यनिष्पादन बहुत अच्छा नहीं है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम ग्रामीण रोजगार से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों पर बहुत सारा पैसा खर्च कर रहे हैं। इसलिय यह सच नहीं है कि कार्यनिष्पादन अच्छा नहीं है। यदि आप रोजगार सृजन के लिए चलाए जा रहे ग्रामीण विकास के विभिन्न कार्यक्रमों के संपूर्ण परिदृश्य को देखें तो एस०जी०आर०वाई० और एस०जी०एस०वाई० दोनों में, विशेषकर जैसा कि मैंने आपको एस०जी०आर०वाई० के बारे में बताया है, काफी उपलब्धि हासिल हुई है। स्वर्णजयंती सड़क योजना में भी आप पाऐंगे कि 12,12000 से अधिक स्वयं सहायता समूहों हैं जिनमें लगभग 9.38 लाख स्वरोजगार हैं। इसलिए यह पर्याप्त है *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पाटील, आप जितना संभव हो संक्षेप में बोलिए।

श्री बीर सिंह महतो : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न नियंत्रक और महालेखा परिक्षक रिपोर्ट से संबंधित है जिसने रोजगार सृजन योजना में कुछ अनियमितताएं पाई है जैसे निधियों का अन्यत्र उपयोग, राज्य सरकारों द्वारा निधियों के निर्गम में हुआ विलम्ब और कार्यान्वयन एजेन्सियों द्वारा निधियों का दुरूपयोग हुई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कैग रिपोर्ट की टिप्पणियों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है।

दूसरे, हाल ही में उन्होंने राज्यों में जिला स्तर पर एक संसद सदस्य की अध्यक्षता में निगरानी और सर्तकता समितियों का पुनर्गठन किया है। मैं जानना चाहता हूं कि इन सर्तकता और निगरानी समितियों के भूमिका कार्यकरण और शक्तियां क्या हैं।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, प्रथम प्रश्न निधियों के अन्यत्र उपयोग से संबंधित है। कुछ राज्यों में ऐसे उदाहरण सामने आए हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से इन कार्यक्रमों के लिए प्राप्त निधियों का उपयोग कहीं और किया है। जहां तक निधों के दुरूपयोग

का प्रश्न है जो भी शिकायते राज्यों से सीधे प्राप्त हुई हैं उसकी जांच की जा रही है। साथ ही उनको यह कहा गया है कि इस पर रोक लगायी जाए और यह देखा जाए कि इन निधियों का सर्वोत्तम उपयोग कैसे किया जाए और इन मामलों को कैसे निपटाया जाए।

जहां तक सतर्कता और निगरानी समितियों का प्रश्न है, उन्होंने सही कहा है कि हमने समितियों के सभापतियों और सदस्यों को दिशानिर्देश दिए है। इसलिए मेरे विचार से इन दिशानिर्देशों के अनुसार इन समितियों के सदस्यों को पूरा अधिकार है कि वे यह देखें कि कैसे ग्रामीण विकास के इन कार्यक्रमों को, विशेषकर योजना बनाने से लेकर खाते बनाने तक प्रत्येक चरण में अच्छी तरह कार्यान्वित किया जाए। इसलिए, समिति के सभी सदस्यों को प्रत्येक चरण की निगरानी और जांच करनी होती है।

अध्यक्ष महोदय : अब प्रो० दुखा भगत। वे यहां नहीं है।

श्री ए० कृष्णास्वामी : अध्यक्ष महोदय, मैं सर्तकता और निगरानी समिति के सभापति के संबंध में माननीय मंत्री से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न पूछने का ढ़ंग नहीं हैं। कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे जो कुछ भी कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपके प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दी है। आप तब तक प्रश्न नहीं पूछ सकते जब तक मैं आपको अनुमति नहीं दूंगा।

श्री ई० पोन्नुस्वामी : मैं, माननीय मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि एस०जी०एस०वाई० योजना के अंतर्गत तमिलनाडु को कितने टन नि:शुल्क खाद्यान्न मुहैया कराया गया है चूंकि 5000 करोड़ रु० मूल्य के 50 लाख टन खाद्यान्न राज्य को प्रति वर्ष प्रदान किया जाएगा। 5000 करोड़ रु० जोकि वेतन और सामग्री के मूल्य की पूर्ति के लिए रखे गये हैं तमिलनाडु के लिए उसमें से कितनी निधि का आवंटन किया गया था और इस योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ पहुंचा है?

मेरा दूसरा प्रश्न है कि स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत उनका कहना है कि 9.38 लाभार्थि थे। परंतु इस योजना के कार्यान्वयन में शामिल तमिलनाडु के कितने अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया है? यद्यपि तमिलनाडु सूखा प्रभावित राज्यों में से एक है फिर काम के बदले अनाज कार्यक्रम तमिलनाडु में पूरी तरह क्यों नहीं परिचालित किया गया?

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : जहां तक तमिलनाडु में विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत निधियों के आवंटन का प्रश्न है मेरे पास कार्यक्रम-अनुसार विस्तृत विवरण है। इसलिए मैं कार्यक्रम अनुसार पूरे आवंटन को जारी नहीं कर सकता। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं तो मैं निश्चित रूप से प्रत्येक कार्यक्रम के प्रत्येक वित्तपोषण का ब्यौरा दे सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि विवरण बड़ा है और यह सच है कि इसमें समय लगेगा।

तथापि काम के बदले अनाज कार्यक्रम के संबंध में तमिलनाडु को प्रति महीने मांग के अनुसार लगभग एक लाख टन का पर्याप्त कोटा दिया गया था। इसलिए उनकी मांग के अनुसार उन्होंने जो कुछ भी कहा उसकी पूर्ति कर दी गयी।

श्री ए० कृष्णास्वामी : माननीय ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा अग्रेषित राज्य सर्तकता और निगरानी आयोग से संबंधित दिशानिर्देशों को राज्य सरकार ने कार्यान्वित नहीं किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार केन्द्रीय मंत्री के दिशानिद्रेशों को अस्वीकार कर रही है या नहीं। इसका खुलासा सभा के समक्ष किया जाना चाहिए।

हमारे लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मंत्री जी को इसका उत्तर देने दीजिए। इसका उत्तर नहीं दिया गया है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा : महोदय, माननीय सदस्य ने बुनियादी सवाल उठाया है। केन्द्रीय सरकार ने एक कमेटी बनाकर सभी लोगों को लॉलीपॉप थमा दिया है। राज्य सरकार के अधिकारी एक भी बैठक नहीं बुला रहे हैं। जब यह स्थिति है, तो आप अपना सर्क्युलर वापिस लें या इसको इम्पलीमेंट करायें। इस स्थिति को साफ तो करना ही होगा। *(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह : सभी राज्यों में यही स्थिति है *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह इस बात के ध्यान में रखेंगे।

(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जायें। माननीय सदस्यों ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। श्रीमती रेणुका चौधरी आप अपना प्रश्न पूछे इसके पहले मैं चाहता हूं कि मंत्री जी अपना जवाब दें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं मंत्री जी से उत्तर देने के लिए कह रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, उत्तर प्रदेश में भी यही हो रहा है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। मैं मंत्री जी को उत्तर देने के लिए कहता हूं।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, निगरानी और सतर्कता समितियां बनाये जाने पर प्रत्येक राज्य में एक मिलीजुली प्रतिक्रिया हुई है।

वास्तव में, 27-28 जनवरी को दिल्ली में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों के सम्मेलन के दौरान इस पर भी चर्चा की गयी थी। वहां उपस्थित राज्य के प्रत्येक मंत्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की थी कि इसे किया जाना चाहिए, लेकिन आठ राज्यों की प्रतिक्रिया इस बारे में अच्छी नहीं रही और वे हमारे परिपत्रों दिशानिर्देशों अथवा आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं *(व्यवधान)* तथापि, ऐसा नहीं है कि केवल कुछ राज्यों ने ही इस विचार का स्वागत किया है, अपितु हमने इन समितियों से बहुत सी अच्छी रिपोर्टें भी प्राप्त की है, और माननीय संसद सदस्यों ने पिछले चार या पांच वर्षों से इन समितियों को गठित किये जाने की इच्छा व्यक्त की थी *(व्यवधान)* वास्तव में, यह एक ऐसा प्रश्न है जिस पर वाद-विवाद किया जाना चाहिए और मैं इस विषय पर वाद-विवाद की मांग करने वाले माननीय सदस्यों में से एक था

(व्यवधान)

[हिन्दी]

कुंवर अखिलेश सिंह : अध्यक्ष महोदय, सूखाराहत कार्यों के लिए जो पैसा दिया जाता है, वह वहां खर्च नहीं किया जाता है। उत्तर प्रदेश की भी स्थिति यही है *(व्यवधान)* यह संसद की गरिमा का प्रश्न है। आप हमारे संरक्षक हैं। आप इस बारे में केन्द्र सरकार को निर्देश दीजिये।

[अनुवाद]

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम : मंत्री महोदय मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने आपके परिपत्र की अवज्ञा की है।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, जो राज्य आपके अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, आप उन्हें पुनः पत्र लिख सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, यही बात तो मैं कह रहा था। मैं उन सबको पुनः पत्र लिखने वाला हूं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती रेणूका चौधरी, क्या आप प्रश्न पूछना नहीं चाहती?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रेणूका चौधरी : ये मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे आपकी पार्टी के ही लोग हैं।

[अनुवाद]

माननीय सदस्यों, मैंने मंत्री जी को निर्देश दिया है। अब कृपया शांति बनायें रखें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उनसे कहा है कि वह उन राज्यों को पुनः पत्र लिखे जो परिपत्रों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इन समितियों को गठित करना समय की आवश्यकता थी, जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों द्वारा यह सही कहा गया है कि विभिन्न राज्य सरकारों ने केन्द्रीय निधि को अन्यत्र खर्च कर उसका दुरूपयोग किया है।

विडम्बना यह है कि केनद्रीय नेतृत्व और माननीय संसद सदस्यों की इस बारे में निर्णय करने की कोई भूमिका नहीं होती कि ये निधियां किसे आवंटित की जायें और इन्हें आवंटित करने के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्र कौन से हैं। इसलिए, इस मुद्दे पर वास्तव में मैं मंत्री महोदय का आभारी हूं कि उन्होंने स्वयं ही सोच विचार कर

इन समितियों को गठित करने का फैसला किया है। तथापि, अब हम यह जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार के पास ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जिनसे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य सरकारें केन्द्र के अनुदेशों का पालन करें। हम इन समितियों में नाममात्र के लिए या दिखावे के लिए नहीं रहना चाहते। हम यह जानना चाहते हैं कि ग्रामीण विकास निधियों की आवंटन प्रक्रिया और उनके उपयोग में जो कमियां हैं और जिनके करण निधियों का दुरूपयोग किया जाता है, जब हम इन बातों को अपनी सिफारिशों के माध्यम से केन्द्र सरकार के संज्ञान में लाते हैं, तो ये सिफारिशें कितनी प्रभावकारी होती हैं। हम जानना चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस बारे में क्या करेगी। इस बात को स्पष्ट किया जाना चाहिए। हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि स्थानीय नौकरशाही किस तरह से कार्य करती है। यही बात इन्दिरा आवास योजना के साथ लागू है, जहां माननीय संसद सदस्यों के समिति की किसी पुरानी रिपोर्ट के कारण किसी भी तरह के प्राधिकार से वंचित कर दिया गया है और राज्यों सरकारों ने बड़ी खुशी से अपने विधायकों को इन्दिरा विकास योजना के अंतर्गत निधियां आवंटित कर दी हैं। इसलिए, मैं इस बारे एकदम सटीक स्पष्टीकरण चाहता हूं।

श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील : महोदय, जहां तक शक्तियों का सवाल है, हमने इन समितियों के प्रत्येक सदस्य को तथा राज्य सरकारों को इस बारे में दिशानिर्देश परिचालित कर दिए हैं। इन दिशानिर्देशों में यह बताया गया है कि इन समितियों के सदस्यों और सभापतियों को प्रत्येक ग्रामीण विकास कार्यक्रम की निगरानी करने की शक्तियां प्राप्त हैं। इसलिए, उन मामलों में जहां कुछ राज्य हमारे अनुदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं, हम निश्चित रूप से उन्हें पत्र लिखेंगे और निगरानी तथा सतर्कता के लिए इन समितियों को सर्वाधिक सक्षम समितियां बनायेंगे और इन सभी कार्यक्रमों की देखभाल करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 2, श्री रामजीवन सिंह

[हिन्दी]

अवैध आप्रवासी

+

*2. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री शीश राम सिंह रवि :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में पाकिस्तानी एवं बांगलादेशी नागरिकों का अवैध आप्रवास अधिक और वैध अवधि से अधिक समय तक यहां रूकना बे-रोकटोक जारी है;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी नागरिकों, विशेषकर पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों की राज्य-वार और देश-वार संख्या कितनी है, जो वर्ष 2002 के अंत तक अपने यात्रा दस्तावेज की वैधता खत्म होने के बाद भी इस देश में रह रहे हैं;

(ग) आज की तारीख के अनुसार उन विदेशी नागरिकों की देश-वार संख्या कितनी है जिनका पता नहीं लग पा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने हाल ही में देश में पाकिस्तानी नागरिकों की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान आज की तारीख तक प्रत्येक वर्ष देश-वार कितने विदेशी नागरिकों को उनके देशों को वापस भेजा गया है; और

(छ) सरकार द्वारा पाकिस्तान और बांगलादेश से अवैध रूप से आने वाले लोगों को रोकने, उनका पता लगाने और उन्हें उनके देशों को सौंपने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (छ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) ऐसी रिपोर्टें मिली हैं कि बांगलादेशी नागरिक बड़े पैमाने पर देश में अवैध रूप से प्रवेश कर रहे हैं और ये लोग लम्बी, खुली और सुभेद्य सीमा होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर जांच और रोकथाम के बावजूद देश में घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं। बताया जाता है कि बड़ी संख्या में बांगलादेशी और पाकिस्तानी नागरिक निर्धारित अवधि के बाद भी देश में रह रहे हैं।

(ख) वर्ष 2001 से संबंधित ब्यौरे, अनुबंध-I पर दिए गए हैं।

(ग) केवल पाकिस्तानी नागरिकों को लापता बताया गया है और 31.10.2002 की स्थिति के अनुसार इनकी संख्या 2321 बताई गई।

(घ) और (ङ) पाक-वीसा आवेदकों के पूर्व सत्यापन की पद्धति जनवरी 2002 से शुरू की गई है।

(च) ब्यौरे अनुबंध-II पर दिए गए हैं।

(छ) भारी संख्या में अवैध रूप से आने की समस्या मुख्यत: बांगलादेश से है। देश में भारी संख्या में अवैध रूप से आने वालों को रोकने के लिए सरकार ने कई उपाय किए हैं, जिनमें सीमा सुरक्षा बल को सुदृढ़ करना और उसे आधुनिक और विकसित उपकरणों/यंत्रों से सुसज्जित करना, सीमा सुरक्षा बल की और टुकड़ियां खड़ी करना, सीमा चौकियों के बीच की दूरी कम करना, गस्त बढ़ाना, सीमा सड़कों

•

के निर्माण और सीमा पर बाड़ लगाने के कार्यक्रम में तेजी लाना, निगरानी उपकरणों की व्यवस्था करना आदि शामिल हैं। भारत में अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए विदेशी विषयक अधिनियम 1946 की धारा 3(2) (ग) के तहत, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को शक्तियां दी गई हैं। इसके अलावा, देश में अवैध रूप से रह रहे पाकिस्तानी और बांगलादेशी नागरिकों का पता लगाने और उन्हें तत्काल वापस उनके देश में भेजने के लिए विशेष अभियान चलाने के लिए उन्हें समय-समय पर प्रशासनिक निर्देश भी जारी किए जाते हैं।

अनुबंध-I

वर्ष 2001 में भारत में निर्धारित अवधि के बाद तक रह रहे विदेशी नागरिकों के देश-वार ब्यौरे

अफगानिस्तान	10158
अल्जीरिया	9
अंगोला	3
अर्जटीना	9
आरमीनिया	2
आस्ट्रेलिया	336
आस्ट्रीया	133
अजरवाईजान	1
बहरीन	8
बंग्लादेश	24443
बारबादोस	0
बेलारूस	33
बेल्जीयम	96
बेलिज	1
बोलीबाई	0
बोसनिया और हरजीवगेविना	1
बोतस्वाना	0
ब्राजील	34
ब्रुनो	1
ब्रिटिश ओवरसीज सिटीजन	1
बुलगारिया	7
कम्बोडिया	8
कमेंरुन	0
कनाडा	894
चाड	0
चिली	5
चीन	198
चीन(ताईवान)	16
कोलोम्बिया	5
कांगो	1
कोस्टोरिका	0
करोटिया	9
क्यूबा	6
साईप्रस	0
चेक	167
डेनमार्क	157
डजीवाऊरी	0
डोमनिकल रिपब्लिक	0
इक्वाडोर	0
मिस्त्र	25
एल-सल्वाडोर	0
इरिटोरिया	6
इस्टोनिया	2
यूथोपिया	114
फिजी	25
फिनलैंड	120
फ्रांस	369
गाम्बिया	0

जोरजिया	3	लेबनान	9
जर्मनी	779	लेसेथो	1
घाना	19	लाईबेरिया	0
ग्रीस	17	लीबिया	2
गुनिया	2	लिथूनिया	1
गुनिया बिस्सू	0	लक्ष्मवर्ग	2
गुयाना	4	मगासे (मंडगास्कार)	0
हेती	3	मालावी	4
हांगकांग	4	मलेशिया	879
हंगरी	22	मालद्वीप	89
आईसलेंड	0	माल्टा	4
इन्डोनेशिया	142	मारीसस	488
ईरान	172	मेक्सिको	19
इराक	30	मोलदोवा	1
आयरलेंड	53	मंगोलिया	30
इसराईल	174	मोरक्को	2
इटली	230	मोजम्बिक	2
आईवरी कोस्ट	0	म्यांमार	285
जापान	282	नाम्बिया	2
जोर्डन	64	नीदरलैंड	387
काजिकीस्तान	20	न्यूजीलैंड	84
कीनिया	277	निकारागुआ	0
कोरिया (उत्तरी) डी०पी०आर०	0	नाईजीरिया	148
कोरिया (दक्षिण)	418	नोर्वे	32
कुवैत	1	ओमान	15
खर्रागस्तान	16	अन्य	7
लाओस	3	पाकिस्तान	6748
लटबिया	2	फिलिस्तीन	4

पानामा	1	सूरीनाम	0
पपुआ न्यू गुयाना	0	स्वाजीलैंड	3
पारागुआ	0	स्वीडन	80
पेरु	5	स्विटजरलैंड	42
फिलीपाईन्स	64	सीरिया	33
पोलेन्ड	30	तजाकिस्तान	9
पुर्तगाल	22	तनजानिया	76
कतर	5	थाईलैंड	350
रोमानिया	17	टोंगो (टोगो)	1
रुस	378	त्रिनिदाद और तोबंगो	11
रवान्डा	2	तुनीसिया	2
सोमाया (प०) टोगोलीस	0	टर्की	30
सउदी अरब	12	तुर्कीमिनिस्तान	1
सेनेगल	1	यू०एस०ए०	1102
सिचलीस	29	उगांडा	149
सियारा लोन	1	उक्रेन	31
सिंगापुर	347	यू०ए०ई०	7
सिंगापुर स्टेटप्लस	0	यू०के०	1388
सलोवाक रिपब्लिक	4	उरगेव	0
सलोवीनिया	5	उजवेकिस्तान	17
सोमालिया	109	बेनजुला	4
द० अफ्रीका	37	वियतनाम	160
स्पेन	46	यमन	77
श्रीलंका	620	यूगोस्लाविया	20
स्टेटल्यस	33	जाइरे	8
स्टेटल्यस मलेशिया	5	जाम्बिया	12
स्टेल्यस तिब्बत	266	जिम्बावे (रोडेसिया)	12
स्टेटल्यस सिंगापुर	2		
सूडान	120	कुल	55171

वर्ष 2001 में भारत में निर्धारित अवधि के बाद तक रह रहे विदेशी नागरिकों के राज्य-वार ब्यौरे

आन्ध्र प्रदेश	33
असम	18
बिहार	18
चंडीगढ़	47
छत्तीसगढ़	15
दादरा और नगर हवेली	0
दमण और द्वीव	0
दिल्ली	19304
गोवा	1
गुजरात	532
हरियाणा	388
हिमाचल प्रदेश	2
जम्मू और कश्मीर	0
कर्नाटक	121
केरल	193
मध्य प्रदेश	381
महाराष्ट्र	572
मेघालय	0
उड़ीसा	72
पांडिचेरी	1
पंजाब	517
राजस्थान	4231
तमिलनाडु	3628
त्रिपुरा	420
उत्तर प्रदेश	454
उत्तरांचल	1
प० बंगाल	24222
कुल	55171

अनुबंध-II

वर्ष 1999-2001 के दौरान प्रत्यावर्तित विदेशी नागरिकों का देश-वार ब्यौरा

देश	1999	2000	2001
1	2	3	4
अफगानिस्तान	25	15	9
आस्ट्रीया	1	0	0
बहरीन	0	0	1
बग्लादेश	14079	6040	7854
बेलारस	3	3	8
कैमरुन	0	0	2
चीन	1	3	1
कांगो	0	0	1
डेनमार्क	0	1	0
इरीटेरिया	0	1	0
जर्मनी	0	3	1
इंडोनेशिया	20	1	146
ईरान	6	10	6
जोर्डन	1	0	0
कीनिया	9	6	11
लाईबेरिया	0	0	1
मलेशिया	0	0	1
माली	1	0	0
म्यांमार (वर्मा)	386	240	446
नामीबिया	1	0	0
नीदरलेंड	2	0	0
नाईजीरिया	4	11	20
नोर्वे	0	1	0
अन्य	0	1	0

1	2	3	4
पाकिस्तान	195	108	490
प्लेस्टाईन	0	1	1
पुर्तगाल	1	0	1
रुस	0	3	1
सऊदी अरब	0	0	2
सोमालिया	0	0	2
श्रीलंका	9	40	22
स्टेटल्यस	0	1	0
स्टैटल्यस तिब्बत	10	6	8
सूडान	1	0	3
स्विटजरलेंड	1	0	0
तनजानिया	0	3	2
टर्की	0	1	0
थाईलेंड	50	0	28
उक्रेन	1	1	1
यूगांडा	0	1	0
यू०के०	0	1	1
यू०एस०ए०	0	0	1
उजबेकिस्तान	0	6	0
जाएरे	0	1	0
कुल	14807	6509	9071

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह अवैध आप्रवास से संबंधित है। आप सब इसके बारे में समाचार पत्र-पत्रिकाओं में पढ़ते रहे हैं। अब, यह प्रश्न हमारे सामने है। सदस्य महोदय को अपना प्रश्न पूछने दें।

(व्यवधान)

श्री संतोष मोहन देव : कृपया इसे प्रश्न सं० 4 के साथ जोड़ दें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीवन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था कि पिछले वर्षों में पाकिस्तानी और बांगलादेशी नागरिक, जो वीजा लेकर आये थे और जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई, ऐसे कितने लोग भारत में रह रहे हैं। सरकार ने विभिन्न देशों का ब्यौरा दिया है जिसके आधार पर बताया है कि करीब 55,171 ऐसे विदेशी नागरिक हैं जो निर्धारित समय सीमा के बाद भी देश में रह रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्य विषयों के बारे में नहीं जाना चाहता लेकिन जैसा सरकार ने बताया कि वर्ष 2001 में बांगलादेश के 24443 ऐसे नागरिक हैं जो समय सीमा के बाद भारत में रह रहे हैं और पाकिस्तान के 6748 नागरिक ऐसे हैं जो समय सीमा के बाद यहां रह रहे हैं। लेकिन बाद में सरकार ने बताया कि वर्ष 1999-2002 की अवधि में, जो समय सीमा के बाद यहां रहे थे और जिन्हें वापस किया गया, उनकी संख्या 1999 में 14079, 2000 में 6046 और 2001 में 7854 है।

अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2001 के आंकड़े लेता हूं जिसमें बताया गया कि बांगलादेश के 24443 नागरिकों में से 7854 नागरिकों को वापस किया गया। आज भी बांगलादेश के 16 हजार, 589 नागरिक ऐसे हैं जो अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं। सरकार ने आगे बताया कि पाकिस्तान के 6748 नागरिक अवैध रूप से रह रहे हैं जिनमें से 108 आदमियों को वापस किया गया। इस तरह से पाकिस्तान के 5955 नागरिक यहां अवैध रूप से रह रहे हैं जिनकी वीज़ा अवधि की सीमा समय समाप्त हो गई है और उन लोगों की पहचान हो गई है, उनको वापस करने में सरकार को क्या कठिनाई आ रही है?

अध्यक्ष महोदय, आज बांगलादेश के लोग अवैध रूप से घुसपैठ करके भारत में रह रहे हैं। उनकी संख्या डेढ़ करोड़ से चार करोड़ तक बताई जाती है। ऐसे अनेक आंकड़े अखबारों में आते रहते हैं लेकिन निर्विवाद रूप से इन लोगों की बहुत बड़ी संख्या है जो करीब-करीब दो करोड़ है, सरकार द्वारा उन्हें वापस करने के लिये कौन सी कार्यवाही की गई है? *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप डॉयरेक्ट प्रश्न पूछिये, प्रश्न लम्बा मत पूछिये, नहीं तो उत्तर नहीं आयेगा क्योंकि अब 12 बज गये हैं।

श्री रामजीवन सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न है कि इन लोगों को वापस करने में सरकार को क्या कठिनाई आ रही है। अभी हाल ही में बांगलादेश के विदेश मंत्री यहां आये थे, उनसे अवैध रूप से रह रहे नागरिकों को वापस करने के लिये क्या बातचीत या व्यवस्था की गई है?

[अनुवाद]

श्री अधीर चौधरी : महोदय, मैंने इस विषय पर एक नोटिस दिया है। यह पश्चिम बंगाल राज्य से संबंधित है। वहां बहुत अत्याचार

हो रहा है। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। कृपया इस मुद्दे पर आधा-घंटे की चर्चा की अनुमति प्रदान करें *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है, उसके तीन पहलू हैं। विषय बहुत गंभीर है। हमारा देश इस तरह की अवैध आप्रवास की समस्या का लंबे समय से सामना कर रहा है। इस विषय के संदर्भ में हमारे पास जो आंकड़े हैं, उनके हिसाब से जिनका आइडेंटिफिकेशन इल्लीगल हो जाता है, उसके लिए विदेशियों विषयक अधिनियम 1946 की धारा (3)(2)(ग) के अनुसार विभिन्न राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को विदेशियों की पहचान करने, उनका पता लगाने और यदि आवश्यक हो तो उन्हें देश से बाहर निकालने की शक्तियां प्रत्यायोजित की गयी हैं। इसके लिए कानूनी प्रक्रिया अपनायी जाये या नहीं, यह राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों की इच्छा पर निर्भर करता है। इसलिए, इसका कोई सवाल ही नहीं कि हम उन्हें देश से बाहर नहीं कर रहे हैं। राज्य सरकार के पास इस कार्य के लिए पर्याप्त तंत्र उपलब्ध है। जहां तक अवैध नागरिकों के वापस भेजने के प्रश्न का संबंध है, यह एक लम्बी प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत जैसा माननीय सदस्य ने बताया कि वर्ष 2001 में बांगलादेश के 24443 नागरिक यहां थे।

मध्याह्न 12.00 बजे

यह प्रक्रिया ऐसी है जिनमें उन्हें ढूंढना पड़ता है, वे सारे देश में फैले हुए हैं, उन्हें ढूंढकर हर प्रदेश इस विषय पर अपनी कार्रवाई करेगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि इस विषय की गंभीरता को देखते हुए दो बड़े कदम हमारी सरकार ने उठाये हैं। पहला कदम इस विषय की गंभीरता को राज्यों तक पहुंचाने के लिए इस वर्ष एक महानिदेशकों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। बाद में इसी महीने की 8 तारीख के मुख्यमंत्रियों का भी एक सम्मेलन आयोजित किया गया। जहां राज्य सरकारों ने सर्वसम्मति से इस बात पर सहमति व्यक्त की कि राज्य सरकारें इस मुद्दे के जोरदार ढंग से और दृढ़ता से उठायेंगी और जो लोग वैध वीसा के वगैर, और वैध कागजातों के बगैर देश में रह रहे हैं उनकी पहचान की जायेगी और उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

श्री मोहन रावले : अध्यक्ष महोदय, इससे समस्या का समाधान नहीं हुआ है। इस विषय पर पूरी चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री चन्द्रकांत खैरे : इस पर आधा घंटे की चर्चा होनी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : होम मिनिस्टर स्वयं कह चुके हैं की एक करोड़ से ज्यादा बंगलादेश के लोग हिन्दुस्तान में रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस विषय पर हाफ-एन-ऑवर डिस्कशन दे रहा हूं। इसलिए अभी प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है।

[अनुवाद]

प्रश्नों के लिखित उत्तर

एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के साथ वार्ता

*3. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु :***
डा० रामचन्द्र डोम :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्रोह की समस्या के समाधान हेतु नागा नेताओं और केन्द्र सरकार के बीच हाल ही में हुई शांति वार्ता का ब्यौरा और परिणाम क्या है;

(ख) पूर्वोत्तर में सांस्कृतिक और भाषाई विभाजन के आधार पर पुनर्सीमांकन और वृहत् नागालैंड की मांग पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) उनकी मांगों के संबंध में अन्य पड़ौसी राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के साथ मुद्दे को सुलझाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) अगले दौर की वार्ता कब तक आयोजित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) भारत सरकार और एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) के प्रतिनिधियों के बीच जनवरी, 2003 के महीने में शांति वार्ता हुई थी। वार्ता के दौरान, एन०एस०सी०एन० (आई०एम०) ने अन्य मुद्दों के साथ-साथ नागा लोगों की अलग पहचान से संबंधित अपनी मांगों और नागा क्षेत्रों के एकीकरण के बारे में अपना पक्ष रखा था। वार्ता के दौरान यह सहमति बनी थी कि जब तक कोई स्थायी समझौता नहीं हो जाता तब तक औपचारिक वार्ता जारी रखी जाए। इस बीच, दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण एवं हिंसा मुक्त वातावरण पैदा करने की आवश्यकता पर बल दिया।

असम, मणिपुर और अरूणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने नागा क्षेत्रों के एकीकरण की मांग के संबंध में अपनी आशंका व्यक्त की। भारत

सरकार समय-समय पर अपने इस पक्ष की पुष्टि करती रही है कि अन्य पूर्वोत्तर राज्यों की राज्यक्षेत्रीय अखंडता पर आंच नहीं आने दी जाएगी। अगले दौर की वार्ता के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की गई है।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाया जाना

*4. **श्री संतोष मोहन देव :**
श्री परसुराम माझी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इसके लिए राज्य-वार कितनी राशि आवंटित की गई है;

(ग) तत्संबंधी राज्य-वार कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) प्रत्येक राज्य में बाड़ लगाने के कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (घ) जी हां, श्रीमान। सरकार ने भारत-बांग्लादेश सीमा पर पहले चरण में 857.37 कि०मी० और दूसरे चरण में 2429.5 कि०मी० लम्बी बाड़ लगाने की स्वीकृति दी है। बाड़ लगाने के कार्य के संबंध में किए गए व्यय के चरण-वार और अब तक हुई वास्तविक प्रगति के राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार है :–

चरण-I

राज्य का नाम	वास्तविक		दिसम्बर, 2002 तक किया गया व्यय
	स्वीकृत बाड़ की लम्बाई	की गई प्रगति	
पश्चिम बंगाल	507.00 कि०मी०	507.00 कि०मी०	8908.93 लाख
असम	152.31 कि०मी०	149.294 कि०मी०	1928.83 लाख
मेघालय	198.06 कि०मी०	198.06 कि०मी०	2839.00 लाख
कुल	857.37 कि०मी०	854.354 कि०मी०	13676.76 लाख

चरण-II

राज्य का नाम	वास्तविक		दिसम्बर, 2002 तक किया गया व्यय
	स्वीकृत बाड़ की लम्बाई	की गई प्रगति	
पश्चिम बंगाल	1021.00 कि०मी०	155.42 कि०मी०	4686.66 लाख (जनवरी, 2003 तक)
असम	71.50 कि०मी०	–	शून्य
मेघालय	201.00 कि०मी०	7.30 कि०मी०	254.00 लाख
त्रिपुरा	736.00 कि०मी०	9.53 कि०मी०	546.00 लाख
मिजोरम	400.00 कि०मी०	शून्य	शून्य
कुल	2429.50 कि०मी०	172.55 कि०मी०	5486.66 लाख

बाड़ लगाने की परियोजना का पूरा कार्य 2007 तक पूर्ण होने की संभावना है।

इस कार्य को और जल्दी पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

आई०एस०आई० की गतिविधियां

*5. **श्री मणिभाई रामजीभाई चौधरी :**
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०एस०आई० ने देश में विशेषकर कश्मीर और पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी गतिविधियों में तेजी लाने के लिए एक रणनीति बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आई०एस०आई० से जुड़े कितने लोगों को पकड़ा गया है और उनके विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त विदेशी आतंकवादियों सहित कितने आतंकवादी पकड़े गए/मारे गए;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान, राज्य-वार, कितने सिविलियन/सुरक्षा कर्मी मारे गए/घायल हुए और कितनी सम्पति की हानि हुई;

(च) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विदेशों द्वारा उग्रवादियों और अन्य संबंधित संगठनों का वित्तपोषण किया जा रहा है और हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं;

(छ) यदि हां, तो उन संगठनों और देशों का ब्यौरा क्या है जो उग्रवादियों/संगठनों को धन और हथियार उपलब्ध करा रहे हैं; और

(ज) सरकार ने देश में आतंकवाद से लड़ने और उसे जड़ से खत्म करने हेतु क्या रणनीति बनाई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) पाक आई०एस०आई० ने देश के विभिन्न भागों में सीमा पार से आतंकवाद, तोड़फोड़, विनाश और जासूसी करने जैसी करने जैसी विभिन्न प्रकार की भारत-विरोधी गतिविधियों में कोई कमी नहीं की है।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान की जासूसी/आतंकवादी गतिविधियों के कारण देश के विभिन्न भागों में गिरफ्तार किए गए/मारे गए व्यक्तियों के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :–

वर्ष	पाक जासूसी माड्यूल्स		पाक समर्थित आतंकवादी माड्यूल्स		
	पता लगाए गए माड्यूलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	निष्क्रिय किए गए माड्यूलों की संख्या	गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
2000	19	43	25	141	5
2001	17	29	59	164	13
2002	35	85	26	66	2

(ङ) आतंकवादी हिंसा में मारे गए सिविलियन और सुरक्षा कर्मियों के आंकड़े केन्द्र सरकार द्वारा सभी राज्यों के संबंध में नहीं रखे जाते हैं। तथापि, जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2000-2002 के दौरान राज्य में आतंकवादी हिंसा में 2851 सिविलियन और 1386 सुरक्षा कर्मी मारे गए। आतंकवादी हिंसा से राज्य में सरकारी इमारतों, शैक्षणिक संस्थानों, निजी घरों, पुलों, दुकानों तथा अस्पतालों को भी काफी नुकसान पहुंचा।

(च) और (छ) प्राप्त आसूचना से देश के विभिन्न भागों में आतंकवादी गतिविधियों के लिए पाक आई०एस०आई० और अन्य गुप्त चैनलों/संगठनों से धन प्राप्त होने तथा शस्त्रों की आपूर्ति करने का पता चलता है।

(ज) देश में आतंकवाद से लड़ने तथा उसका जड़ से खातमा करने के उद्देश्य से, सरकार ने एक सुसमन्वित और बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें सीमा प्रबंधन और तटवर्ती सुरक्षा को सुदृढ़ करना, आसूचना तंत्र को सक्रिय करना, ऑपरेशन आधारित सुसमन्वित आसूचना द्वारा आई०एस०आई० की योजनाओं को निष्क्रिय करना तथा राज्य पुलिस और केन्द्रीय सुरक्षा बलों का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन शामिल है। अभी तक पोटा, 2002 के अंतर्गत 32 आतंकवादी संगठन अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, सूचना का आदान प्रदान करने और सीमा पर अपराध तथा आतंकवाद से निपटने के लिए नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार सहित विभिन्न देशों के साथ बहुत से संयुक्त कार्य दल गठित किए गए हैं।

[अनुवाद]

जम्मू-कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज

*6. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :**
श्रीमती रेणूका चौधरी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार रोजगार के लिए निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके युवाओं को रोजगार प्रदान करने और बन्दूक उठाने वाले एवं उग्रवाद में शामिल गुमराह युवकों को राष्ट्र की मुख्य धारा में लाने के लिए अन्य साधन उपलब्ध कराने और रोजगार के अवसर सृजित करके कश्मीर के लोगों के लिए एक आर्थिक पैकेज देने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो पैकेज एवं इसके लिए प्रदान की जाने वाली धनराशि तथा उपलब्ध कराई गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ग) कश्मीर के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा के बाद अब तक क्या प्रगति हुई/उपलब्धि हासिल की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) प्रधानमंत्री ने, 23.5.2002 को अपने जम्मू और कश्मीर दौरे के दौरान,

जम्मू और कश्मीर के लिए ''रोजगार, रेल और सड़क विकास, राहत और सुरक्षा'' के लिए 6000.00 करोड़ रु० से अधिक के पैकेज की घोषणा की। पैकेज में शामिल मुख्य स्कीमों/परियोजनाओं में रेलवे, सड़क, टेक्सटाईल का विकास, सेब और अखरोट के लिए कृषि जोन, बागवानी का विकास, चेनाब और झेलम के निम्न जलग्रहण क्षेत्रों की परिस्थितिक बहाली, सीमा क्षेत्र का विकास कार्यक्रम, सुरक्षा उपाय जैसे, इंडिया रिजर्व की दो बटालियनें खड़ी करना, विशेष अभियान ग्रुपों को प्रोत्साहन, जम्मू और कश्मीर स्वयंसेवी बल को बेहतर प्रशिक्षण और शस्त्र, ग्राम सुरक्षा समितियों के स्वयंसेवी सदस्यों को बेहतर शस्त्र, और राहत उपाय जैसे सीमावर्ती प्रवासियों और कश्मीरी प्रवासियों के लिए राहत संबंधी दरों में वृद्धि और जम्मू और कश्मीर में सामीवर्ती प्रवासियों के लिए नए टेन्ट और आम जन सुविधाएं, पुलिस अस्पतालों का उन्नयन, आतंकवादियों द्वारा मारे गए पुलिस कार्मिकों की विधवाओं के लिए पुनर्वास केन्द्र और आतंकवादियों द्वारा मारे गए पुलिस कार्मिकों के अनाथ बच्चों के लिए स्कूल। प्रधान मंत्री के पैकेज में उल्लिखित कुछ को 5 से 10 वर्ष का समय सीमा में कार्यान्वित की जानी है।

इसके अलावा, औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग ने जून, 2002 में ''जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए नई औद्योगिक नीति और अन्य रियायतें'' अधिसूचित की है, जिसमें पूंजी निवेश, इमदाद, ब्याज इमदाद, बीमा प्रीमियम आयकर छूट इत्यादि शामिल है।

इसके अलावा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालय, समय-समय पर जम्मू और कश्मीर पर लागू होने वाली परियोजनाएं और स्कीमें स्वीकृत करते रहे हैं।

जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार की, उन आतंकवादियों के लिए आत्मसमर्पण की नीति है जो अपना हृदय परिवर्तन करके आत्मसमर्पण करने का निर्णय लेते हैं, जिसके तहत अन्य बातों के साथ-साथ, स्वरोजगार स्कीमों/अवसरों का फायदा उठाने के लिए प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने की व्यवस्था है।

(ग) मई, 2002 के प्रधान मंत्री के पैकेज में शामिल सभी स्कीमों/परियोजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है, जिनका नियमित रूप से प्रधान मंत्री कार्यालय और गृह मंत्रालय के साथ-साथ संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों द्वारा प्रबोधन किया जाता है।

[हिन्दी]

समेकित बाल विकास योजना का क्रियान्वयन

*7. **श्री रतन लाल कटारिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में उन ब्लॉकों की संख्या कितनी है जिनमें समेकित बाल विकास योजना (आई०सी०डी०एस०) क्रियान्वित की जा रही है;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त योजना के अंतर्गत कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं;

(ग) उक्त योजना के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं और क्या इन उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) इस योजना पर प्रति वर्ष कुल कितनी राशि व्यय की जा रही है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) 5292 सामुदायिक विकास खण्ड तथा 360 शहरी झोंपड़-पट्टियां।

(ख) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 (30.9.2002 तक) के दौरान लाभान्वित बच्चों की संख्या क्रमश: 241.15 लाख, 315.04 लाख तथा 332.20 लाख थी।

(ग) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :–

(i) 0-6 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों की पोषाहारीय व स्वास्थ्य स्थिति में सुधार करना;

(ii) बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और सामाजिक विकास की नींव डालना;

(iii) मृत्यु दर, रुग्णता, कुपोषण और स्कूली पढ़ाई बीच में छोड़ देने के मामलों को कम करना;

(iv) बाल विकास के संवर्धन हेतु विभिन्न विभागों के बीच नीति और कार्यान्वयन का कारगर समन्वयन सुनिश्चित करना; और

(v) समुचित पोषाहारीय व स्वास्थ्य शिक्षा के माध्यम से बच्चों की सामान्य स्वास्थ्य और पोषाहारीय आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए माताओं की क्षमता को बढ़ाना।

इन उद्देश्यों की प्राप्ति एक सतत् प्रक्रिया है। वर्ष 1998-99 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 से पता चला है कि कम वज़नी बच्चों (0-3 वर्ष) का प्रतिशत घटकर 47, शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 67.60 और जन्म के समय कम वज़नी शिशुओं का प्रतिशत घटकर 22.70 रह गया है, जबकि 1992-93 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1 के समय ये आंकड़े क्रमश: 53.40%, 78.50 और 33% थे।

(घ) वर्ष 2000-01, 2001-02 तथा 2002-03 (13.2.2003 तक) के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्मुक्त कुल राशि क्रमशः 1224.02 करोड़ रुपए, 1545.87 करोड़ रुपए तथा 1602.14 करोड़ रुपए थी।

[अनुवाद]

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत धनराशि का आबंटन/उपयोग

*8. **श्री सुबोध मोहिते :***
श्री भर्तृहरि महताब :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम० जी०एस०वाई०) के अंतर्गत धनराशि आवंटन करने के बाद भी ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता सुधारने में समर्थ नहीं है, जैसा कि 27 जनवरी, 2003 के "इकानोमिक टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और आज की तारीख तक प्रत्येक राज्य को कितनी राशि जारी की गई और इस योजना के अंतर्गत अब तक क्या उपलब्धियां रही है;

(घ) व्यय न की गई राशि का राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या सड़कों को जोड़ने और उनमें सुधार संबंधी कार्य को 2007 की समय-सीमा तक पूरा कर लिया जाएगा, और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस दिशा में क्या उपाय किए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) और (ख) जी, नहीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में (पी०एम० जी०एस०वाई०) उच्च गुणवत्ता वाली सड़कों के निर्माण पर बल दिया जाता है तथा योजना में कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित ग्रामीण सड़कों की गुणवत्ता को सुधारने के लिए कार्यकारी तंत्र तथा त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण और निगरानी प्रणाली में सुधार का प्रावधान है।

(ग) और (घ) निधियों की वर्षवार रिलीज, 1.1.2003 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि तथा दिसम्बर, 2002 तक पूर्ण हो चुके सड़क कार्यों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। राज्य सरकारों को 2001-02 के लिए निधियां अंतिम तिमाही में रिलीज की गई थीं। हालांकि, 2000-01 के सड़क कार्य कुल मिलाकर पूरे हो चुके हैं, विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने तथा निविदा में समय लगने की वजह से 2001-02 के कार्यों को आरम्भ करने में कुछ समय लगा।

(ङ) और (च) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम०जी० एस०वाई०) का उद्देश्य वर्ष 2007 तक 500 लोगों से अधिक की आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क से न जुड़ी सभी बसावटों को सड़क सम्पर्क मुहैया कराना है। सभी राज्यों को पात्र बसावटों का पता लगाने और कोर-नेटवर्क, जिससे अपेक्षित निधियों का सही-सही आकलन लगाया जा सके, बनाने के लिए कहा गया है। कार्यक्रम के लिए मौजूदा वित्त-पोषण, जो हाई स्पीड डीजल पर उपकर के 50% अंश से प्राप्त होता है, को बढ़ाए जाने की जरूरत है तथा विश्व बैंक और एशियन विकास बैंक सहित एजेंसियों ने कार्यक्रम के वित्त-पोषण में अपनी रूचि दिखाई है।

पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वर्षवार रिलीज तथा दिसम्बर, 2002 तक पूर्ण हो चुके सड़क कार्यों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण

(करोड़ रु० में)

राज्य	2000-01 के दौरान रिलीज की गई राशि	2001-02 के दौरान रिलीज की गई राशि	2002-03 के दौरान रिलीज की गई राशि दिसम्बर, 02 तक	1.1.2003 की स्थिति के अनुसार बकाया राशि	दिसम्बर, 02 तक पूर्ण हो चूके सड़क कार्यों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1. आंध्र प्रदेश	195.00	224.65		29.59	1486
2. अरूणाचल प्रदेश	40.95	45.00	35.00	39.82	204
3. असम	75.00	80.00		34.14	125

1	2	3	4	5	6
4. बिहार	149.90	0.00		117.94	0
5. छत्तीसगढ़	92.41	98.62		38.20	13
6. गोआ	5.00	5.00		5.00	57
7. गुजरात	59.81	60.00		15.17	318
8. हरियाणा	25.18	30.00		27.98	18
9. हिमाचल प्रदेश	60.00	72.09		32.42	124
10. जम्मू-कश्मीर	20.00	0.00	35.00	41.25	0
11. झारखण्ड	110.05	120.00		116.90	20
12. कर्नाटक	100.57	108.37		99.60	332
13. केरल	19.71	27.65		21.96	0
14. मध्य प्रदेश	217.64	248.00		145.96	160
15. महाराष्ट्र	130.21	134.50		97.90	800
16. मणिपुर	40.00	40.00		48.67	404
17. मेघालय	34.95	45.72		24.72	208
18. मिजोरम	19.93	26.53	20.00	18.23	18
19. नागालैण्ड	19.75	25.53		8.61	116
20. उड़ीसा	179.70	175.00		130.67	259
21. पंजाब	24.66	55.00		14.96	79
22. राजस्थान	140.09	150.00		42.66	567
23. सिक्किम	13.16	20.00		6.30	30
24. तमिलनाडू	99.25	88.57		22.44	789
25. त्रिपुरा	24.75	26.85		26.84	193
26. उत्तर प्रदेश	321.11	348.11		184.85	5128
27. उत्तराचंल	60.63	70.00		91.70	22
28. पश्चिम बंगाल	135.00	149.65		176.48	53
कुल (राज्य)	**2414.41**	**2474.84**	**90.00**	**1660.96**	**11522**

1	2	3	4	5	6
	संघ राज्य क्षेत्र				
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप	10.59	0.00	0.00	10.33	0
30.	दादरा और नागर हवेली	0.00	5.00	0.00	4.65	0
31.	दमन व दीव	5.00	0.00	0.00	5.00	0
32.	दिल्ली	0.00	5.00	0.00	5.00	0
33.	लक्षद्वीप	0.00	4.89	0.00	4.89	0
34.	पांडिचेरी	5.00	0.00	0.00	2.31	50
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	20.59	14.89	0.00	32.18	50
	कुल योग	2435.00	2489.73	90.00	1693.14	11572

उप-प्रधान मंत्री का विदेश दौरा

*9. **श्री अधीर चौधरी :**
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने हाल ही में सिंगापुर, फ्रांस, कतर, थाईलैंड और अन्य देशों का दौरा किया है और वहां के अपने समकक्ष मंत्रियों से चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो संबंधित देशों के साथ हुई चर्चा और हस्ताक्षर किए अनुबंधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फ्रांस, कतर और थाईलैंड आतंकवाद से लड़ने के लिए भारत को कोई भी सहायता प्रदान करने के लिए सहमत हो गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या दौरे के दौरान किसी प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान्। उप-प्रधान मंत्री ने उन देशों के नेताओं के साथ विचार-विमर्श करने के लिए हाल ही में कतर और फ्रांस (20 जनवरी, 2003 से 25 जनवरी, 2003 तक) के साथ-साथ थाईलैंड और सिंगापुर (30 जनवरी से 5 फरवरी, 2003 तक) का दौरा किया।

(ख) दौरे के दौरान संबंधित देशों से किए गए विचार-विमर्श और हस्ताक्षर किए गए करार का ब्यौरा विवरण-I के रूप में दिया गया है।

(ग) और (घ) तीनों देशों के साथ आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में निकट सहयोग रखने के बारे में सिद्धांत रूप में एक व्यापक सहमति है। आतंकवाद से लड़ने/सुरक्षा सहयोग के बारे में फ्रांस के साथ एक संयुक्त कार्य दल पहले से ही है। थाईलैंड और कतर के साथ संयुक्त कार्य दल बनाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की गई है।

(ङ) और (च) फ्रांस के दौरे के दौरान फ्रांस के साथ एक प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। संधि के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण बातें विवरण-II के रूप में संलग्न है।

विवरण-I

उप प्रधानमंत्री का कतर और फ्रांस का दौरा
(दिनांक 20 जनवरी से 25 जनवरी, 2003)

उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवानी के साथ सरकारी प्रतिनिधि मंडल (उप प्रधानमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी, उप प्रधानमंत्री के निजी सचिव, विशेष निदेशक, आसूचना ब्यूरो, संयुक्त सचिव (पी०पी०), गृह मंत्रालय, संयुक्त सचिव (ई०डब्ल्यू०सी०) विदेश मंत्रालय तथा संयुक्त सचिव (गल्फ) विदेश मंत्रालय) ने कतर का दौरा किया तथा कतर में 21 व 22 जनवरी, 2003 को प्राधिकारियों से विचार-विमर्श किया।

अपने दौरे के दौरान उप प्रधानमंत्री ने महामहिम शेख हमद बिन खलीफा अल-थानी, कतर राज्य के अमीर, महामहिम शेख मोहम्मद बिन खलीफा अल-थानी, उप प्रधानमंत्री, महामहिम शेख हमद बिन जस्सिम बिन जबोर अल-थानी, कतर राज्य के विदेश मंत्री तथा महामहिम अब्दुल्ला बिन हमद अल-अत्तियाह, ऊर्जा एवं उद्योग मंत्री से मुलाकात की तथा भारत-कतर द्विपक्षीय संबंधों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया तथा भारत की सुरक्षा संबंधी चिंताएं उजागर की।

22 जनवरी, 2003 को यह प्रतिनिधि मंडल कतर से फ्रांस गया। पेरिस में 22 जनवरी, 2003 से 25 जनवरी, 2003 तक अपने प्रवास के दौरान उप प्रधानमंत्री ने फ्रांसीसी प्राधिकारियों से भारत-फ्रांस द्विपक्षीय सहयोग पर विचार-विमर्श किया तथा 24.1.2003 को उप प्रधानमंत्री ने प्रत्यार्पण संधि पर हस्ताक्षर किए। पेरिस में ठहरने के दौरान उप प्रधानमंत्री ने फ्रांस के प्रधानमंत्री श्री जीन पियरे रैफ्रेन, आंतरिक मंत्री, श्री निकोलस सरकोजी, न्याय मंत्री, श्री डोमिनिक परबेन, परिवहन मंत्री श्री गिल्लैस डी० रोबियन तथा रक्षा मंत्री सुश्री माइकेल एलियट मारलेई से मुलाकात की।

उप प्रधानमंत्री का थाइलैंड/सिंगापुर का दौरा
(30 जनवरी, 2003 से 5 फरवरी, 2003)

उप प्रधानमंत्री श्री एल०के० आडवानी के साथ एक सरकारी प्रतिनिधिमंडल (केन्द्रीय गृह सचिव, उप प्रधानमंत्री के विशेष कार्य अधिकारी, उप प्रधानमंत्री के निजी सचिव, संयुक्त सचिव (एस०ई०ए०), विदेश मंत्रालय, निदेशक (पी०पी०) गृह मंत्रालय) ने थाइलैंड का दौरा किया तथा 31 जनवरी, 2003 तथा 1 फरवरी, 2003 को थाइलैंड में अधिकारियों के साथ बातचीत की।

इस दौरे के दौरान भारत के उप प्रधानमंत्री ने महामहिम श्री थकसिन शिनवात्रा, थाइलैंड के प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात की तथा उप प्रधानमंत्री श्री विस्सनु क्रिया-ंगम से पूर्ण बैठक की। श्री वान मुहमद नूर तथा आंतरिक मंत्री और श्री पुराचाई प्यूमसोम्बून, न्याय मंत्री ने उप प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

विशेष रूप से आतंकवादी गतिविधियों, जो इस क्षेत्र में स्थायित्व के लिए खतरा बनी हुई है के संबंध में सुरक्षा सहयोग पर विचारों सहित द्विपक्षीय संबंधों की पूर्ण और विस्तृत पुनरीक्षा की गई। इस बात पर सहमति हुई कि सुरक्षा पर थाइलैंड-भारत संयुक्त कार्य दल की बैठक शीघ्र ही की जाए। दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि, आपराधिक मामलों में पारस्परिक विधिक सहायता संधि, दोषसिद्ध बंदियों के स्थानांतरण पर एक करार और स्वापक नियंत्रण पर एक समझौता ज्ञापन संपन्न करने पर सहमति हुई। बायो-टेक्नोलोजी, स्पेस अप्लीकेशन्स, नागर विमानन, पर्यटन और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग में विविधिता लाने तथा बढ़ाने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।

थाइलैंड से यह प्रतिनिधिमंडल 2 फरवरी, 2003 को सिंगापुर गया। 2 फरवरी, 2003 से 5 फरवरी, 2003 तक सिंगापुर में ठहरने के दौरान उप प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री एस०आर० नाथन, प्रधानमंत्री श्री गोह चोकटोंग उप प्रधानमंत्री व वित्त मंत्री श्री ली० हिस्न लून्ग, गृह मंत्री श्री वोंग कानसेंग तथा व्यापार व उद्योग मंत्री श्री जार्ज योन्ग बून यो से विचार-विमर्श किया।

उप प्रधानमंत्री ने 4 फरवरी, 2003 को दक्षिण-पूर्व एशियाई अध्ययन संस्थान, सिंगापुर, में "सुरक्षा और सहयोग पर नए दृष्टिकोण" पर एक व्याख्यान दिया। अपने व्याख्यान में उप प्रधानमंत्री ने सुरक्षा और विकास के बीच अन्तर्निर्भरता तथा आतंकवाद से लड़ने के लिए क्षेत्रीय और वैश्विक सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने आतंकवाद के वैश्विक जाल के दक्षिणपूर्व एशिया की ओर बढ़ने की समस्या तथा जनसंहार के हथियारों के बड़ी मात्रा में निर्माण संबंधी समस्याओं पर भी प्रकाश डाला।

उप प्रधानमंत्री ने सिंगापुर के साथ सुरक्षा संबंधी मुद्दों के अतिरिक्त भारत-सिंगापुर द्विपक्षीय सहयोग, व्यापार और उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों पर भी विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया।

विवरण-II

भारतीय गणतंत्र तथा फ्रांस गणतंत्र के बीच प्रत्यर्पण संधि की कुछ मुख्य-मुख्य बातें

24.1.2003 को भारत के उप प्रधानमंत्री के फ्रांस दौरे के दौरान भारत और फ्रांस के बीच प्रत्यर्पण संधि पर हस्ताक्षर हुए। करार की कुछ मुख्य-मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :-

(i) कोई व्यक्ति जो प्रत्यर्पणयोग्य अपराध का अभियुक्त अथवा दोषसिद्ध होने के कारण अनुरोध करने वाले राज्य द्वारा वांछित हो, तो उसे प्रत्यर्पित कर दिया जाए।

(ii) करार में नो-लिस्ट मैथड की व्यवस्था है तथा ऐसा कोई भी अपराध प्रत्यर्पण योग्य अपराध होगा जिसमें कम से कम दो वर्ष की अवधि की कारावास की सजा दी गई हो। किसी दोष सिद्ध व्यक्ति के मामले में, किसी प्रत्यर्पण योग्य अपराध में कारावास की शेष अवधि कम से कम नौ महीने होनी चाहिए।

(iii) वित्तीय मामलों, सीमा शुल्क अथवा मुद्रा विनिमय संबंधी अपराध प्रत्यर्पण योग्य अपराध होंगे।

(iv) यदि अपराध जिसके लिए प्रत्यर्पण वांछित है राजनीतिक अपराध है अथवा इस प्रकार के किसी अपराध से जुड़ा है तो प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। इससे बहुउद्देश्यीय स्वरूप वाले अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के अंतर्गत इन अपराधों को राजनीतिक अपराध नहीं मानने के कारण करार करने वाले देशों के दायित्वों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि ऐसा विश्वास किया जाता है कि प्रत्यर्पण की मांग किसी, व्यक्ति पर उसकी नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, अथवा राजनीतिक विचार-धारा के कारण अभियोग चलाने अथवा दंडित करने के लिए की जा रही है तो प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।

(v) ऐसे अपराधों के लिए प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा जो सैन्य विधि के अंतर्गत तो अपराध हो परन्तु सामान्य अपराधिक कानून के तहत अपराध नहीं हो। करार में अन्य गंभीर अपराधों को राजनीतिक अपराध बचाव दलील के दायरे से बाहर रखने के लिए प्रावधान है जैसे जीवन के विरुद्ध अपराध, किसी व्यक्ति वास्तविक निष्ठा अथवा स्वतंत्रता तथा संपत्ति।

(vi) स्थानीय अभियोजन सुनिश्चित किए बगैर प्रत्यर्पण का अनुरोध करने वाले देश के राष्ट्रिकों को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा।

(vii) यदि उस देश जिससे अनुरोध किया गया है द्वारा, ऐसे अपराध के लिए जिसमें मांगा गया हैं, अंतिम निर्णय पहले ही दे दिया गया है, या, यदि वांछित व्यक्ति उस देश के अनुसार समय व्यपगत होने के कारण अभियोजन अथवा दंड से उन्मुक्त हो गया है अथवा अनुरोध करने वाले अथवा उस देश जिसमें अनुरोध किया गया है, ने उसे माफी प्रदान कर दी हो बशर्ते कि उत्तरवर्ती देश अपने घरेलू कानून के अनुसार अभियान चलाने में सक्षम हो, तो प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा।

(viii) यदि अनुरोध करने वाले देश में किया गया अपराध मृत्यु दंड दिए जाने योग्य है और अनुरोध किए गए देश में मृत्यु दंड दिए जाने योग्य नहीं है तो ऐसी स्थिति में तब तक प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा जब तक अनुरोध करने वाला देश यह आश्वासन नहीं देता कि उसे मृत्यु दंड नहीं दिया जाएगा और यदि मृत्यु दंड दे दिया गया हो तो उसे कार्यान्वित नहीं किया जाएगा।

नगर निकायों के लिए पर्याप्त धनराशि प्रदान करने हेतु निर्देश

*10. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का नगर निकायों के लिए पर्याप्त धनराशि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकारों के लिए मार्गनिर्देश जारी करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार शहरी स्थानीय निकायों द्वारा जारी किए गए बांडों के लिए गारंटी प्रदान करने पर सहमत हो गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए धनराशि उपलब्ध कराने हेतु क्या उपाय किए गए हैं?

शहरी विकास गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) और (ख) जी, नहीं। संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची की प्रविष्टि-5 के अनुसार ऐसे पहलुओं को राज्य सरकार द्वारा देखा जाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि पंचायती राज चूंकि राज्य का विषय है इसलिए पंचायती राज संस्थानों के लिए धनराशि के अंतरण के लिए राज्य जिम्मेदार हैं। संविधान के अनुच्छेद 243-जी के अनुसार राज्य सरकारों को ऐसी शक्तियां दी गई है जिससे वे कानून बनाकर पंचायतों को ऐसी शक्तियां और प्राधिकार प्रदान कर सकते हैं जिससे वे स्वशासन के संस्थान के रूप में कार्य कर सकें।

[हिन्दी]

जाली मुद्रा

*11. **श्रीमती रीना चौधरी :**
श्री कैलाश मेघवाल :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन से मार्ग और तरीके हैं जिनके माध्यम से देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर और अस्थिर करने हेतु जाली मुद्रा की तस्करी की जाती है और इन गतिविधियों में शामिल देशों और एजेंसियों के नाम क्या है;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज तक जाली नोटों की तस्करी के कितने मामले पकड़े गए और ये जब्त नोट किन-किन वर्ग मूल्य के हैं;

(ग) कितने मामले दर्ज किए गए, कितने मामलों का न्यायालय में चालान किया गया और कितने लोगों को दंडित किया गया एवं आज की तिथि तक जांच एजेंसियों के पास लंबित मामलों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा जाली नोटों की तस्करी और वितरण को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) उपलब्ध जानकारी से यह पता चलता है कि उच्च/अत्युत्तम किस्म के भारतीय जाली मुद्रा नोटों के निर्माण के पीछे पाकिस्तान है तथा ऐसे नोटों की घुसपैठ गुप्त तरीके से पाकिस्तान, नेपाल तथा बांग्लादेश से लगी सीमाओं, तटवर्ती क्षेत्रों से घुसपैठ तथा दुबई आदि से वायुमार्ग से अवैध आयात के द्वारा की जाती है। दुबाई से लाई जा रही जाली मुद्रा सामान्यतया टीवी सेटों, प्लास्टिक के जारों, खिलौनों, पिचकारियों तथा अन्य घरेलू सामान्य में छुपाई जाती है। जम्मू और कश्मीर में जाली मुद्रा लाने वालों में मुख्यत: घुसपैठ करने वाले आतंकवादी होते हैं। पाकिस्तानी आई०एस०आई० तथा अपराध जगत के तत्व इन गति-विधियों में संलिप्त हैं।

(ख) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित की गई सूचना के अनुसार वर्ष 1999, 2000 तथा 2001 के दौरान बरामद की गई/पकड़ी गई जाली मुद्रा का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा संकलित सूचना नीचे दी गई है :–

वर्ष	वर्ष के दौरान दर्ज किए गए जाली मुद्रा के मामलों की संख्या	वर्ष के प्रारंभ में बकाया मामलों सहित पुलिस की जांच पड़ताल के लिए जाली मुद्रा के मामले	वर्ष के अंत में पुलिस की जांच पड़ताल के लिए जाली मुद्रा के मामले	जाली भारतीय मुद्रा नोटों के संबंध में वे मामले जिनके आरोप पत्र दाखिल किए गए	वर्ष के प्रारंभ में लम्बित मामलों सहित न्यायालय में विचारण के लिए जाली मुद्रा के मामले	वर्ष के अंत में जाली मुद्रा के वे मामले जिन पर न्यायालय में विचारण चल रहा है	दोष सिद्ध मामले
1999	1349	5127	3655	698	2863	2439	146
2000	1514	5965	4432	876	3252	2719	173
2001	934	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०	उ०न०

(घ) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ''पुलिस'' और ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं अत: जाली मुद्रा के मामलों सहित अपराध को दर्ज करने, जांच पड़ताल करने और रोकथाम करने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से राज्य सरकारों की है।

देश में जाली मुद्रा नोटों के परिचालन को रोकने के लिए सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय जांच ब्यूरो में केवल जाली मुद्रा नोटों की ही जांच-पड़ताल के लिए एक विशेष यूनिट स्थापित करना, देश में जाली मुद्रा नोटों की तस्करी रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल/सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा सतर्कता बढ़ाना, बड़े मूल्य के नोटों में विशेष सुरक्षा विशेषताएं शामिल करना और जनता के लाभ के लिए अखबारों और इलैक्ट्रोनिक मीडिया के जरिए सुरक्षा विशेषताओं पर जानकारी प्रसारित करना शामिल है। जाली मुद्रा के परिचालन से व्युत्पन्न समस्त समस्याओं की सम्पूर्णता से जांच करने के लिए वित्त मंत्रालय, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय भारतीय रिजर्व बैंक तथा मुद्रणालयों के प्रतिनिधियों को लेकर गठित विशेषज्ञों की एक उच्च स्तरीय समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है जिसके आधार पर भारतीय बैंक नोटों में अतिरिक्त विशेषताएं शामिल करने हेतु अनुमोदित की गई है जिससे जाली मुद्रा बनाना अति दुष्कर हो जाएगा।

विवरण

वर्ष 1999 के दौरान (बरामद की गई/पकड़ी गई)
(राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार

मूल्य

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	500		100		50		20		10	
		आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	517	43	808	165	295	199	13	0	179	0
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	44	0	39	0	0	0	0	0	10
3.	असम	224	261	86	273	0	1	0	0	20	47
4.	बिहार	578	0	2579	0	22	0	29	0	24	0
5.	गोवा	0	0	0	7	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	961	389	1095	6333	116	106	1	1	11	11
7.	हरियाणा	0	356	0	1718	0	50	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	47	0	315	0	0	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	941	441	1068	5726	102	0	1	0	48	18
11.	केरल	372	273	282	3653	9	1	21	0	98	5
12.	मध्य प्रदेश	17	0	9	0	1	0	0	0	1	0
13.	महाराष्ट्र	2506	261	3113	514	147	46	2	1	32	40
14.	मणिपुर	0	263	0	4	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	25	0	19	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	2270	0	323	0	0	0	0	0	82
17.	नागालैंड	0	2	0	2	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	3	0	3	0	4	0	0	0	1	0
19.	पंजाब	0	580	0	77	0	6	0	28	0	6
20.	राजस्थान	114	152	3488	771	30	1	3	0	9	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	2057	356	2627	1119	191	649	10	0	128	12

जाली मुद्रा के संबंध में ब्यौरा
तथा मूल्यवार)

5		2		1		कुल नग			रु० में मूल्य		
आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर+एम	आर	एस	आर+एम
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	1812	407	2219	356100	47950	404050
0	0	0	0	0	0	0	93	93	0	26000	26000
0	0	0	0	0	0	330	582	912	120800	158320	279120
1	0	0	0	0	0	3233	0	3233	548825	0	548825
0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	700	700
0	0	0	0	0	0	2184	6840	9024	595930	833230	1429160
0	0	0	0	0	720	0	2844	2844	0	353020	353020
0	0	0	0	0	0	0	22	22	0	11000	11000
0	0	0	0	0	0	0	362	362	0	55000	55000
0	0	0	0	0	0	2160	6185	8345	582900	793280	1376180
0	0	0	0	0	0	782	3932	4714	216050	501900	717950
0	0	0	0	0	0	28	0	28	9460	0	9460
0	0	0	0	0	0	5800	862	6662	1572010	184620	1756630
0	0	0	0	0	0	0	267	267	0	131900	131900
0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	14400	14400
0	0	0	0	0	0	0	2675	2675	0	1168120	1168120
0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	1200	1200
0	0	0	0	0	0	11	0	11	2010	0	2010
0	0	0	0	0	0	0	697	697	0	298620	298620
0	0	0	0	0	0	3644	924	4568	407450	153150	560600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	5013	2136	7149	1302230	322470	1624700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	त्रिपुरा	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	39	811	396	34258	99	92	4	0	11	286
25.	पश्चिम बंगाल	1163	38	3903	9209	43	1	26	0	67	4
	कुल (राज्य)	9492	6635	19457	64525	1059	1152	110	30	629	521
	संघ शासित क्षेत्र										
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	253	1	55	0	2	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली	226	1	4949	2	67	0	10	0	37	0
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	0	1	0	24	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	2479	3	5004	26	69	0	10	0	37	0
	कुल (अखिल भारत)	11971	6638	24461	64551	1128	1152	120	30	666	521

नोट 1. (आर)- बरामद किए गए (बैंकों, खजानों आदि में पकड़े गए नोटो की संख्या)
(एस)- पकड़े गए (पुलिस तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा पकड़े गए नोटो की संख्या)

वर्ष 2000 के दौरान (बरामद की गई/पकड़ी गई)
(राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार
मूल्य

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	500		100		50		20		10	
		आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2048	40	1966	5814	126	230	7	0	42	1
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
3.	असम	540	521	291	207	1	1	0	0	46	2
4.	बिहार	1946	0	6040	0	58	0	20	0	10	0

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	500	500
0	0	0	0	0	0	549	35447	35996	64240	3838760	3903000
0	0	0	10	0	0	5202	9262	14464	975140	940010	1915150
1	0	0	10	0	720	30748	73593	104341	6753145	9834150	16857295
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	310	1	311	132100	500	132600
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	7289	3	7292	1611820	700	1612520
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	25	25	0	2900	2900
0	0	0	0	0	0	7599	29	7628	1743920	4100	1748020
1	0	0	10	0	720	38347	73622	111969	8497065	9838250	18335315

जाली मुद्रा के संबंध में ब्यौरा तथा मूल्यवार)

5		2		1		कुल नग			रु० में मूल्य		
आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर+एम	आर	एस	आर+एम
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	4189	6085	10274	1227460	612910	1840370
0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	200	200
0	0	0	0	0	0	878	731	1609	299610	281270	580880
1	0	0	0	0	0	8074	0	8074	1580400	0	1580400

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.	गोवा	0	5	0	99	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	2094	8512	1792	4493	27	28	0	0	4	4
7.	हरियाणा	0	583	0	851	0	0	0	11	0	18
8.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	13	0	0	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	0	368	0	160	0	168	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	2074	655	1553	9551	287	830	2	0	53	2989
11.	केरल	1155	727	380	50	11	2	0	0	65	33
12.	मध्य प्रदेश	1161	30	107	49	5	0	0	0	26	0
13.	महाराष्ट्र	8523	936	6684	5788	385	139	11	1	48	14
14.	मणिपुर	0	300	0	96	0	0	0	0	0	0
15.	मेघालय	0	3	0	4	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	775	0	10	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	3	0	39	0	0	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	190	1	29	3	3	0	0	0	1	0
19.	पंजाब	153	1311	3	13038	0	10	0	0	0	2
20.	राजस्थान	6237	925	1533	1218	35	8	1	0	8	0
21.	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1520	207	2632	9048	132	14	4	0	71	3421
23.	त्रिपुरा	0	3	0	90	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	4205	22333	2741	106692	65	86	10	1	177	1636
25.	पश्चिम बंगाल	1881	86	3386	810	42	0	22	0	56	2
	कुल (राज्य)	33727	38324	29137	158125	1177	1516	77	13	607	8122
	संघ शासित क्षेत्र										
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	2314	17	102	1	1	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	0	104	104	0	12400	12400
0	0	0	0	0	0	3917	13037	16954	1227590	4706740	5934330
0	178	0	0	0	0	0	1641	1641	0	377890	377890
0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	1300	1300
0	0	0	0	0	0	0	696	696	0	208400	208400
0	0	0	0	0	0	3969	14025	17994	1207220	1353990	2561210
0	0	0	0	0	0	1611	812	2423	616700	368930	985630
0	0	0	0	0	0	1299	79	1378	591710	19900	611610
0	0	0	0	0	0	15651	6878	22529	4949850	1053910	6003760
0	0	0	0	0	0	0	396	396	0	159600	159600
0	0	0	0	0	0	0	7	7	0	1900	1900
0	0	0	0	0	0	0	785	785	0	388500	388500
0	0	0	0	0	0	0	42	42	0	5400	5400
0	0	0	0	0	0	223	4	227	98060	800	98860
0	0	0	0	0	0	156	14361	14517	76800	1959820	2036620
0	0	0	0	0	0	7814	2151	9965	3273650	584700	3858350
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	4359	12690	17049	1030590	1043210	2073800
0	0	0	0	0	0	0	93	93	0	10500	10500
0	65	0	0	0	0	7198	130813	138011	2381820	21856705	24238525
0	0	0	0	0	0	5387	898	6285	1282200	124020	1406220
0	243	0	0	0	0	64725	206343	271068	19843660	35132995	54976655
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	2417	18	2435	1167250	8600	1175850
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29.	दमन और दीव	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	दिल्ली संघ शासित क्षेत्र	5391	26	3548	365	464	4	1	0	33	1
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	6	307	0	140	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	7711	351	3650	506	465	4	1	0	33	1
	कुल (अखिल भारत)	41438	38675	32787	158631	1642	1520	78	13	640	8123

नोट 1. (आर)- बरामद किए गए (बैंकों, खजानों आदि में पकड़े गए नोटो की संख्या)
(एस)- पकड़े गए (पुलिस तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा पकड़े गए नोटो की संख्या)

वर्ष 2001 के दौरान (बरामद की गई/पकड़ी गई)
(राज्य/संघ शासित क्षेत्र वार

मूल्य

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	500		100		50		20		10	
		आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	2626	1928	3959	13921	235	2236	5	1	45	27
2.	अरूणाचल प्रदेश	0	2	0	83	0	0	0	0	0	24
3.	असम	504	875	402	1720	7	33	3	0	5	0
4.	बिहार	2148	0	4597	0	101	0	5	0	16	0
5.	गोवा	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	गुजरात	5591	3353	3126	4450	160	350	1	1	15	15
7.	हरियाणा	0	579	0	445	0	7	0	0	0	0
8.	हिमाचल प्रदेश	0	1	0	1	0	1190	0	0	0	0
9.	जम्मू और कश्मीर	199	1718	224	3362	51	95	0	0	0	0
10.	कर्नाटक	1352	916	3585	3269	357	3892	2	0	60	33
11.	केरल	1081	281	266	2362	11	184	0	0	37	0
12.	मध्य प्रदेश	269	35	74	25	8	0	0	0	21	0
13.	महाराष्ट्र	11422	4176	7913	18220	549	149	3	0	68	7
14.	मणिपुर	0	494	0	117	0	0	0	1	0	0

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	500	500
0	0	0	0	0	0	9437	396	9833	3073850	49710	3123560
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6	447	453	3000	167500	170500
0	0	0	0	0	0	11860	862	12722	4244100	226310	4470410
0	243	0	0	0	0	76585	207205	283790	24087760	35359305	59447065

जाली मुद्रा के संबंध में ब्यौरा तथा मूल्यवार)

5		2		1		कुल नग			रु० में मूल्य		
आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर	एस	आर+एम	आर	एस	आर+एम
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	9	0	0	0	0	6870	18122	24992	1721200	2468235	4189435
0	0	0	0	0	0	0	109	109	0	9540	9540
0	0	0	0	0	0	921	2628	3549	292660	611150	903810
0	0	0	0	0	0	6867	0	6867	1539010	0	1539010
0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	6000	6000
0	600	0	0	0	0	8893	8769	17662	3116270	2142170	5258440
0	0	0	0	0	1	0	1032	1032	0	334351	334351
0	0	0	0	0	0	0	1192	1192	0	60100	60100
0	0	0	0	0	0	474	5175	5649	124450	1199950	1324400
0	0	0	0	0	0	5356	8110	13466	1052990	979830	2032820
0	0	0	0	0	0	1395	2827	4222	568020	385900	953920
0	0	0	0	0	0	372	60	432	142510	20000	162510
0	542	0	0	0	0	19955	23094	43049	6530490	3920230	10450720
0	0	0	0	0	0	0	612	612	0	258720	258720

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15.	मेघालय	0	0	0	174	0	0	0	0	0	0
16.	मिजोरम	0	192	0	632	0	0	0	0	0	0
17.	नागालैंड	0	416	0	6	0	11	0	0	0	0
18.	उड़ीसा	799	50	124	18	7	1	1	0	2	0
19.	पंजाब	0	1892	0	2921	0	491	0	0	0	0
20.	राजस्थान	2683	6849	3406	1773	67	25	0	0	13	3
21.	सिक्किम	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0
22.	तमिलनाडु	1704	503	4645	5486	247	13	2	0	76	219
23.	त्रिपुरा	0	103	0	157	0	0	0	0	0	0
24.	उत्तर प्रदेश	4089	11365	3782	9334	94	445	12	0	123	28
5.	पश्चिम बंगाल	2280	7	7017	194	130	3	24	0	98	0
	कुल (राज्य)	36747	35747	43120	68676	2024	9125	58	3	579	356
	संघ शासित क्षेत्र										
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	1	0	1	0	3	0	0	0	0
27.	चंडीगढ़	2897	2	153	5	5	0	0	0	0	0
28.	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.	दिल्ली	5141	400	6963	440	357	0	3	0	12	0
1.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	पांडिचेरी	0	0	0	11	0	55	0	0	0	0
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	8038	403	7116	457	362	58	3	0	12	0
	कुल (अखिल भारत)	44785	36150	50236	69133	2386	9183	61	3	591	356

ट 1. (आर)- बरामद किए गए (बैंकों, खजानों आदि में पकड़े गए नोटो की संख्या)
(एस)- पकड़े गए (पुलिस तथा अन्य एजेन्सियों द्वारा पकड़े गए नोटो की संख्या)

2. आंकड़े अस्थायी है।

3. 1000 रुपये मूल्य के बरामद 11 पकड़े गए 97

4. कुल नोट (आर+एस) = 215995+108 = 216100

5. रु० में कुल मूल्य 53009374+108000

13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
0	0	0	0	1	0	1	174	175	1	17400	17401
0	0	0	0	0	0	0	824	824	0	159200	159200
0	0	0	0	0	0	0	433	433	0	209150	209150
0	2000	0	0	1	0	934	2069	3003	412291	36850	449141
0	0	0	0	0	0	0	5304	5304	0	1262650	1262650
0	0	0	0	0	0	6169	8650	14819	1685580	3603080	5288660
0	0	0	0	0	0	0	6	6	0	600	600
0	2	0	0	0	1	6674	6224	12898	1329650	802951	2132601
0	0	0	0	0	0	0	260	260	0	67200	67200
1	0	0	0	0	0	8101	21172	29273	2428875	6638430	9067305
0	0	0	0	0	0	9549	204	9753	1849660	23050	1872710
1	3153	0	0	2	2	82531	117062	199593	22793657	25216737	48010394
0	0	0	0	0	0	0	5	5	0	750	750
0	0	0	0	0	0	3055	7	3062	1464050	1500	1465550
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	12476	840	13316	3284830	244000	3528830
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	6	66	72	0	3850	3850
0	0	0	0	0	0	15537	862	16399	4748880	250100	4998980
1	3153	0	0	2	2	98068	117924	215992	27542537	25466837	53009374

[अनुवाद]

छात्राओं के लिए उच्च/गैर-पेशेवर शिक्षा

*12. **श्री वी० वेत्रिसेलवन :**
श्री सुबोध राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार छात्राओं के लिए नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु एक नई योजना शुरू करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को पूरी धनराशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में स्नातक स्तर तक नि:शुल्क गैर-व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का भी है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिये जाने की संभावना है;

(ज) क्या सरकार का शिक्षा के प्रसार के लिए स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग लेने का भी प्रस्ताव है; और

(झ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (झ) सरकार उच्चतर शिक्षा में महिलाओं की अधिक सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए एक स्कीम तैयार कर रही है। इस स्कीम के संघटकों को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

सामान्य पूल के आवासों का आवंटन

*13. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में और दिल्ली से बाहर सामान्य पूल के आवासों के आवंटन की प्रतीक्षा सूची में राज्य-वार कितने सरकारी कर्मचारी हैं और ये कब से प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) सरकार द्वारा सामान्य पूल के लिए और अधिक मकानों के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं और इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) सामान्य पूल के नगर-वार कितने मकान अनधिकृत कब्जे में हैं;

(घ) पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में पहचान किए गए अनधिकृत निर्माण/किराए के मामलों/गैराज के दुरूपयोग के मामलों का श्रेणी-वार और नगर वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) सम्पदा निदेशालय द्वारा नगर-वार, अब तक कितने व्यक्तियों को मकान खाली करने का नोटिस दिया गया है; और

(च) सरकार द्वारा इन सरकारी कॉलोनियों में गलत गतिविधियों को रोकने हेतु क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) दिल्ली में आवंटन हेतु प्रतीक्षारत सरकारी कर्मचारियों की संख्या विवरण-I में दी गई है। दिल्ली के अलावा अन्य शहरों के बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ख) सरकार ने आवास स्टाक में बढ़ोत्तरी हेतु पहले ही उपाय किये हैं और वर्तमान में 4371 मकानों का निर्माण विभिन्न अवस्थाओं में है, जिनके ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(ग) दिल्ली में कुल 652 सामान्य पूल आवासों पर अनधिकृत कब्जा है (अर्थात् रखने की प्राधिकृत अवधि के बाद कब्जा)। लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम 1971 के अंतर्गत ऐसे मामलों में परिसरों को खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दिल्ली के अलावा अन्य शहरों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) दिल्ली में गत तीन वर्षों में अनधिकृत निर्माण/गैराजों के दुरूपयोग के 2747 मामलों तथा उप किराएदारी के 3054 मामलों का पता चला है जिनके ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) दिल्ली के संबंध में गत तीन वर्षों के दौरान संपदा निदेशालय के संपदा अधिकारियों द्वारा लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत कुल 4736 कारण बताओं नोटिस जारी किए गए हैं। इनमें से कुल 329 मामलों पर अंतिम आदेश होना लंबित है। दिल्ली के अलावा अन्य शहरों के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(च) सरकारी आवास का आवंटन सरकारी कर्मचारियों को उनके वास्तविक उपयोग हेतु किया जाता है। जब भी आवंटन की शर्तों का उल्लंघन तथा अवैध क्रियाकलापों की सूचना मिलती है, आवंटन नियमों के तहत समुचित कार्रवाई की जाती है। स्वत: अपनी ओर से और प्राप्त शिकायतों के आधार पर क्वार्टरों की आकस्मिक जांच एक सतत प्रक्रिया है।

विवरण-I

दिल्ली में सामान्य पूल वास के आबंटन के प्रतीक्षारत सरकारी कर्मचारियों की संख्या

क्र० सं०	राज्य	किस्म	कब से प्रतीक्षा में शामिल पूर्तिकर्ता तारीख/ शामिल वेतन	प्रतीक्षारत व्यक्ति
1.	दिल्ली	I	09.11.1992	3662
		II	02.01.1980	20319
		III	30.11.1977	11219
		IV	03.04.1973	4955
		IV विशेष	1.1.1996/रु० 16700(सा०पू०) 1.1.1996/रु० 10750(का०पू०)	3137
		V ए	1.1.1996/रु० 17900(सा०पू०) 1.1.1996/रु० 15900(का०पू०)	2871
		V बी	1.1.1996/रु० 18650(सा०पू०) 1.1.2000/रु० 15900(का०पू०)	1327
		VI ए	1.1.1996/रु० 22400(सा०पू०) 1.1.1996/रु० 22400(का०पू०)	709
		VI बी	26.2.2001/रु० 26000	72
		VII	1.1.1996	143
		VIII	1.1.1996	155
			कुल	48569

विवरण-II

देशभर में विभिन्न स्थानों पर सामान्य पूल रिहायशी आवास के निर्माण के लिए मंजूरी जारी की गई है जो कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में इस प्रकार है :–

क्र० सं०	स्थान	पहले से कार्यान्वयन अधीन क्वार्टरों की सं० (पूर्व स्वीकृतियों के अन्तर्गत)	इस वर्ष जारी की गई स्वीकृतियों के अंतर्गत क्वार्टर	क्वार्टरों की कुल सं०
1	2	3	4	5
1	नई दिल्ली	766		766
2	मुम्बई/	242	28	270
	नई मुम्बई	1018	–	1018
3.	कोलकत्ता	120	–	120
4.	पुने	–	215	215
5.	गोवा	–	33	33
6	श्रीनगर	252	–	252
7	शिमला	264	–	264
8.	लखनऊ	72	–	72
9	आगरा	120	–	120
10	जयपुर	310	–	310
11	गंगटोक	106	–	106

1	2	3	4	5
12.	पटना	24	—	24
13.	अगरतला	96	—	96
14.	फतासील	144	—	144
15.	नागरपुर	252	—	252
16.	पोर्टब्लेयर	336	—	336
17.	त्रिवेन्द्रम	84	—	84
18.	बंगलौर	165	—	165
	योग	4371	276	46.7

उपर्युक्त 4371 क्वार्टरों में से 1454 क्वार्टर पहले ही पूरे हो चुके है। इस वर्ष अन्य 392 क्वार्टर विभिन्न स्थानों पर पूरे किए गए हैं जो इस प्रकार है :–

स्थान	क्वार्टरों की सं०
आर के पुरम, सेक्टर-X नई दिल्ली	200
पटना	24
फातासील/गुवाहाटी	136
अगरतल्ला	32
जोड़	392

विवरण-III

अनधिकृत निर्माण/गैराजों का दुरूपयोग आवास का प्रकार

	I	II	III	IV	IV विशेष/ डी-II	डी-I/सी-II/ सी-I/बगलें	कुल
वर्ष 2000	35	1616	42	14	—	115	1822
वर्ष 2001	—	561	51	66	119	01	798
वर्ष 2002	—	110	16	—	—	01	127
कुल	35	2287	109	80	119	117	2747

संदिग्ध उप किरायेदारी

वर्ष	टाइप-I	टाइप-II	टाइप-III	टाइप-IV	टाइप-V	कुल
2000	164	154	110	07	—	435
2001	859	638	445	08	01	1951
2002	338	245	81	04	—	668
कुल	1361	1037	636	19	01	3054

स्वजलधारा योजना

***14. श्री पी०सी० थामस :**
श्री एन० जनार्दन रेड्डी :

क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वजलधारा योजना को सफलतापूर्वक आरंभ किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके अंतर्गत राज्यवार कितनी परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं;

(ग) इस योजना के अंतर्गत कितने गांवों और विद्यालयों को शामिल किए जाने की संभावना है और दसवीं योजना के दौरान योजना के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(घ) क्या कुछ राज्यों ने योजना के क्रियान्वयन के संबंध में आपत्ति उठायी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई निगरानी तंत्र गठित किया है ताकि आरंभ की गई योजनाओं को समय-सीमा के अनुसार क्रियान्वित किया जाए; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) माननीय प्रधान मंत्री ने 25.12.2002 को स्वजलधारा योजना की शुरूआत की। इस योजना की मुख्य बातें इस प्रकार हैं– (i) मांग-आधारित योजना और सामुदायिक भागीदारी का दृष्टिकोण; (ii) सभी पेयजल योजनाओं का निर्माण कार्यान्वयन, संचालन, रख-रखाव और प्रबंध पंचायत/समुदाय द्वारा किया जायेगा; (iii) समुदाय द्वारा पूंजी लागत में नकद रूप में आंशिक भागीदारी की जाएगी; (iv) पेयजल परिसंपत्तियों का पूर्ण स्वामित्व ग्राम पंचायतों के पास होगा; और (v) प्रयोक्ता/पंचायतों द्वारा संचालन और रख-रखाव किया जायेगा। सुधार के सिद्धांतों को अपनाने वाले ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्वजलधारा योजना के पात्र होंगे। आज तक अनुमोदित परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) ग्रामीण लोगों को प्रतिदिन प्रतिव्यक्ति कम-से-कम 40 लीटर जल उपलब्ध कराने के लिए देश के सभी आंशिक पेयजल सुविधा वाले और पूर्ण पेयजल सुविधा वाले गांवों में स्वजलधारा का कार्यान्वयन किया जाता है। यह योजना देश के उन ग्रामीण स्कूलों के लिए भी है जहां पेयजल की सुविधा नहीं है।

(घ) और (ङ) सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के ग्रामीण जल आपूर्ति मंत्रियों ने 5 दिसम्बर, 2002 को आयोजित राज्यों के मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में स्वजलधारा का स्वागत किया।

(च) और (छ) स्वजलधारा के दिशा-निर्देशो के अनुसार, शुरू की गयी परियोजनाओं को इसकी स्वीकृति की तारीख से 1 वर्ष के अंदर पूरा किया जाना चाहिए। जिला कार्यान्वयन एजेंसी (जिला परिषद/जिला जल और स्वच्छता मिशन) पर्यवेक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार हैं।

विवरण

क्र० सं०	राज्य	एन०एस०एस०सी० द्वारा अनुमोदित
1.	उत्तर प्रदेश	479
2.	आंध्र प्रदेश	566
3.	उड़ीसा	309
4.	गुजरात	30
5.	हिमाचल प्रदेश	89
6.	मध्य प्रदेश	44
7.	महाराष्ट्र	786
8.	हरियाणा	2
9.	तमिलनाडु	238
10.	पश्चिम बंगाल	5
11.	दादर व नगर हवेली	1
12.	दमन व दीव	1
	कुल	2550

*इनमें विद्यालयों के लिए प्रस्ताव शामिल हैं।

[हिन्दी]

आतंकवादी ग्रुपों को मदद करने वाले स्वैच्छिक संगठन

***15. श्री रवीन्द्र कुमार पांडेय** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कुछ स्वैच्छिक संगठन आतंकवादी ग्रुपों को मदद कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करवाई है;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं जो सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं और ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इन संगठनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ङ) रिपोर्टों के अनुसार, निम्नलिखित स्वैच्छिक संगठनों के पूर्वोत्तर क्षेत्र में आतंकवादी संगठनों के साथ चोरी-छिपे संबंध है :–

(i) मानव अधिकार संग्राम समिति (मास)

(ii) मानवाधिकार पर पूर्वोत्तर समन्वय समिति (एन०ई०सी० सी०एच०आर०)

(iii) यूनाईटेड कमेटी, मणिपुर (यू०सी०एम०)

(iv) मानवाधिकारों के लिए नागा पीपुल्स मूवमेंट (एन०पी० एम०एच०आर०)

(v) नागा स्टूडेन्ट्स फेडरेशन (एन०एस०एफ०)

यह बताया गया है कि ये स्वैच्छिक संगठन, आतंकवादी गतिविधियों का खुले आम समर्थन और बढ़ावा देने में संलिप्त नहीं है। ये स्वैच्छिक संगठन, आतंकवादी संगठनों के साथ गुप्त रूप से सम्पर्क रखते हैं। तथापि, पूर्वोत्तर के 13 आतंकवादी संगठनों को विधि विरूद्ध क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत विधि-विरूद्ध संगठन घोषित किया गया है।

उपरिल्लिखित पांच स्वैच्छिक संगठनों में से किसी को भी भारत सरकार से वित्तीय सहायता नहीं मिल रही है।

गरीबी उपशमन कार्यक्रम के अंतर्गत उपलब्धियां

*16. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक की मध्यावधि विकास रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार सहस्त्राब्दि विकास के संदर्भ में गरीबी उपशमन के मामले में निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में काफी पीछे चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का गरीबी उपशमन के प्रति कोई सकारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस०जे०एस०आर०वाई०) नामक केन्द्र प्रवर्तित शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम, जो 1 दिसंबर, 1997 को शुरू की गई थी, में व्यक्तियों/समूहों द्वारा लघु उद्यम लगाने और लक्षित शहरी गरीब आबादी के कौशलों को बढ़ाने पर भी जोर दिया जाता है। 541 करोड़ रु० के कुल परिव्यय से इस कार्यक्रम को 10वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखा गया है।

देशभर में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीब स्लम वासियों को आश्रय/उन्नत आश्रय मुहैया कराने के लिए एक नई केन्द्र प्रवर्तित स्कीम, वाल्मीकि अंबेकर योजना (वाम्बे) भी दिसंबर, 2001 में शुरू की गई थी। स्कीम की शुरूआत से लेकर अब तक 106.038 रिहायशी यूनिटों और 20.817 शौचालय सीटों के निर्माण के लिए 211.87 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

इसके अतिरिक्त अगस्त, 1996 में शुरू किए गए राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन०एस०डी०पी०) के अंतर्गत जल आपूर्ति, बरसाती पानी निकासी, सामुदायिक स्नानघर, मौजूद मार्गों को चौड़ा करना और खड़ंजे बिछना, सीवर, सामुदायिक शौचालयों, मार्गों में बिजली आदि जैसी भौतिक सुविधाओं द्वारा शहरी स्लमों में सुधार करने के लिए राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। कार्यक्रम के प्रारंभ से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा यथा सूचित 1.1.2003 तक केन्द्र सरकार द्वारा जारी 2009.87 करोड़ रु० की कुल राशि में से 1386.55 करोड़ खर्च किए गए हैं और लगभग 3.48 करोड़ स्लम वासी इस कार्यक्रम से लाभान्वित हुए हैं।

छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव

*17. **डा० चरण दास महंत** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को छावनी क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांवों को आवासीय क्षेत्र घोषित करने के संबंध में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में 62 छावनी बोर्डों के अंतर्गत आने वाले गांवों में रह रहे लोगों को मूलभूत सुविधाएं प्रदान नहीं की जा रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस समस्या के समाधान हेतु क्या कार्य-योजना तैयार की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) जी, नहीं।

(घ) लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

शहरी स्वच्छता मिशन की स्थापना

***18. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने बड़े शहरों की सफाई के लिए शहरी स्वच्छता मिशन की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक ऐसे शहरी स्वच्छता मिशन स्थापित न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उच्चतम न्यायालय ने 14 जनवरी, 2003 को बड़े शहरों की सफाई हेतु शहरी स्वच्छता मिशन की स्थापना में अधिक विलंब के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है;

(घ) क्या उच्चतम न्यायालय ने उर्वरकों के विकल्प के रूप में नगरों के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और शहरी कम्पोस्ट के विपणन हेतु व्यापक योजना बनाने के बारे में भी केन्द्र सरकार को कहा है;

(ङ) यदि हां, तो इस केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) ऐसे शहरी स्वच्छता मिशन को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्री (श्री अनन्त कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय ने दिनांक 14 जनवरी, 2003 के अपने आदेश में शहरी स्वच्छता मिशन की स्थापना तथा उर्वरकों के लिए एक विकल्प के रूप में शहरी कम्पोस्ट का विपणन करने सहित ठोस कचरा प्रबंधन में सुधार करने के लिए रिट याचिका (सिविल) सं० 888/96 के बारे में रिट याचिकाकर्त्ता श्रीमती अलामत्रा एच० पटेल द्वारा दिए गए विशेष सुझावों का उत्तर देने के लिए केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार को निदेश दिया है।

(ङ) योजना आयोग ने 10वीं योजना में "शहरी स्वच्छता मिशन" नामक राज्य क्षेत्र कार्यक्रम किस्म के एक नए कार्यक्रम का प्रस्ताव किया है जिसमें शहरी ठोस कचरा प्रबंधन के लिए 2000 करोड़ रु० के प्रस्तावित अतिरिक्त आबंटन से सैनिट्री लैण्ड फिल और कम्पोस्ट बनाने के संयंत्रों की स्थापना करने तथा नालों का सुधार करने हेतु विशेष केन्द्रीय सहायता के साथ शहरी स्थानीय निकायों की सहायता करने पर बल दिया गया है। मिशन के दिशा-निर्देशों पर योजना आयोग एवं भारत सरकार के संबंद्ध मंत्रालयों/विभागों के बीच परामर्श चल रहा है।

उर्वरकों के विकल्प के रूप में शहरी कम्पोस्ट के विपणन के संबंध में कृषि एवं सहकारिता मंत्रालय का विचार है कि शहरी कम्पोस्ट एक विपुल(बल्क) सामग्री है जो केवल 1-3% की मात्रा में पोषकों की आपूर्ति करती है। इसका मृदा के भौतिक तत्वों पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है तथा यह पूरक पोषक स्रोत के रूप में उपयोगी है। तथापि, फसलों को पोषक आपूर्ति का मुख्य स्रोत रासायनिक उर्वरक है जो 16-60% मात्रा में पोषकों की आपूर्ति करते हैं। फसलों की अधिक उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए रासायनिक उर्वरकों का कोई उद्देश्यपरक विकल्प नहीं है। कृषि और सहकारिता मंत्रालय तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सतत कृषि उत्पादन एवं मृदा उर्वरकता बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों के साथ आर्गनिक खादों (शहरी कम्पोस्ट सहित) का योगिक उपयोग करने की आवश्यकता से सहमत हैं। तथापि, कृषि में बड़े पैमाने पर सुरक्षित सीमा के भीतर विषैले तत्वों और प्रदूषकों की सीमा अनुरक्षित करनी पड़ेगी और इसकी किस्म पर नजर रखनी होगी।

कम्पोस्ट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए, कृषि मंत्रालय कम्पोस्ट संयंत्र स्थापित करने जैसी अवस्थापना का सृजन करने हेतु सहायता दे रहा है ताकि किसानों को संगत कीमत पर अधिक से अधिक कम्पोस्ट उपलबध हो सके और उसकी लागत में कमी की जा सके। यह योजना अक्तूबर, 2000 में राज्यों को अंतरित कर दी गई है जिनमे ऐसी योजनाओं के लिए उपलब्ध कराई गई समग्र निधियों के भीतर इस गतिविधि को शुरू करने की उम्मीद की गई है।

(च) शहरी स्वच्छता मिशन की स्थापना करने के लिए भारत सरकार द्वारा इस स्तर पर कोई वचनबद्धता अथवा समय सीमा नहीं दी जा सकती है।

वैश्विक अनुसंधान संगठन

***19. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सही है कि भारत ने विश्व के नौ अनुसंधान संस्थानों के साथ अनुसंधान संबंधी गठबंधन किया है जैसाकि 22 जनवरी, 2003 के 'इंडियन ऐक्सप्रेस' में "इंडिया फोर्सेज ए रिसर्च एलायंस" शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उपरोक्त देशों के उन अनुसंधान संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनके साथ भारत ने वैश्विक अनुसंधान संगठन (जी०आर०ए०) बनाया है;

(घ) इस संगठन के माध्यम से सदस्य संस्थानों को किस तरह के लाभ प्राप्त होने की संभावना है;

(ङ) क्या सभी संस्थान अद्यतन सूचना और प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने के लिए स्वतंत्र हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डॉ० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) जी, हां। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् (सी०एस० आई०आर०) भारत ने वैश्विक अनुसंधान गठबंधन (जी०आर०ए०) की स्थापना के लिए विश्व भर से आठ अन्य समान विचाराधारा वाले अग्रणी वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संगठनों के साथ भागीदारी की है। प्रतिभागी संस्थानों में भारत का सी०एस०आई०आर०, मलेशिया का एस०आई०आर०आई०एम० बरहाद, दक्षिण अफ्रीका का सी०एस० आई०आर०, आस्ट्रेलिया का सी०एस०आई०आर०ओ०, डेनमार्क का डी०टी०आई०, फिनलैंड का वी०टी०टी०, जर्मनी का एफ०एच०जी०, नीदरलैंड का टी०एन०ओ० एवं संयुक्त राज्य अमरीका का बैटेल मैमोरियल इंस्टीट्यूट शामिल हैं।

किसी एक सदस्य की पहुंच से बाहर की विश्व की समस्याओं एवं मुद्दों के वैश्विक समाधान उपलब्ध कराने के लिए अपने मानव-संसाधन एवं अवसंरचनात्मक संसाधनों के साथ सहक्रिया एवं उन्हें सामूहिक रूप से एकत्रित करने के लिए जी०आर०ए०, वैश्विक वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी संगठनों की नेटवर्किंग करना चाहता है। सर्वप्रथम जी०आर०ए० के विचार पर सी०एस०आई०आर०-दक्षिण अफ्रीका प्रिटोरिया द्वारा अप्रैल, 2002 में आयोजित बैठक में चर्चा की गई। दिल्ली में जनवरी, 2003 को सम्पन्न बैठक में इसे औपचारिक रूप दिया गया। प्रारम्भ में जी०आर०ए० के नर्व सेंटर की स्थापना एक वर्ष की अवधि के लिए सी०एस०आई०आर०-दक्षिण अफ्रीका में की गई है।

(घ) जी०आर०ए० का घोषित उद्देश्य 'वैश्विक निधियन के माध्यम से वैश्विक कल्याणार्थ वैश्विक ज्ञान पूल' तैयार करना है। तदनुसार, इसके अंतर्गत समाज के लाभार्थ वृहत् प्रभाव वाली परियोजनाएं आरंभ की जाएंगी। जल, स्वास्थ्य, ऊर्जा, परिवहन, जलवायु परिवर्तन तथा डिजिटल डिवाइड प्राथमिकता वाले क्षेत्र हैं। किसी एकल संस्था की क्षमता के बाहर की वैश्विक समस्याओं पर वृहत वैश्विक निधियन का उपयोग कर संयुक्त कार्यकरण एवं सहयोग द्वारा ये संस्थान लाभान्वित होंगे।

(ङ) और (च) इस गठबंधन द्वारा आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं के संबंध में ये संस्थान परियोजना विशिष्ट की सफलता के लिए आवश्यक समझी जाने वाली सीमा तक सूचना की भागीदारी कर सकते हैं।

[हिन्दी]

उच्च शिक्षा के लिए दी जाने वाली राजसहायता को वापस लेना

*20. **श्री रामजी लाल सुमन :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उच्च शिक्षा के लिए दी जा रही राजसहायता को वापस लेने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस प्रयोजन के लिए औसत कितनी वार्षिक राजसहायता दी गयी;

(ग) राजसहायता वापस लिए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद का 10 प्रतिशत शिक्षा के लिए आबंटित करने की प्रतिबद्धता जताई थी; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा महासागर विकास मंत्री (डा० मुरली मनोहर जोशी) : (क) से (ग) उच्च शिक्षा पर व्यय की गई राशि को सरकार आर्थिक सहायता नहीं मानती है। यह मानव संसाधन विकास में एक निवेश है तथा इसे कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) और (ङ) वर्ष 1992 में यथा संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसार सरकार का प्रयास शिक्षा पर परिव्यय को सकल घरेलू उत्पाद के छः प्रतिशत तक लाने का है।

[अनुवाद]

संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों का अन्तरण

1. **श्री पवन कुमार बंसल :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ प्रशासन ने संघ राज्य क्षेत्र में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक रूप से निर्धारित कार्यों का अन्तरण अभी तक नहीं किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन कार्यों का अन्तरण कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार, संविधान की अनुसूची-xi में सूचीबद्ध 29 विषयों के संबंध में चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने पंचायती राज संस्थाओं को अभी तक कार्यों का अंतरण नहीं किया है।

(ख) और (ग) पंचायती राज राज्यों का विषय होने की वजह से संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से अपेक्षित है कि वे पंचायतों को ऐसी शक्तियां दे जिससे वे स्व-शासन की संस्थाओं के रूप में कार्य कर सकें। केन्द्र सरकार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के साथ-साथ अन्य राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों को उच्च-स्तरीय बैठकों और मुख्य मंत्री और राज्य के पंचायती राज मंत्रियों से पत्राचार के जरिए इस बात के लिए प्रेरित कर रही है कि वे पंचायतों को शक्तियां प्रदान करें।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता

2. **श्री बसुदेव आचार्य** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की योजना आई०सी०डी०एस० के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित करने की है चूंकि पंचायतों के साथ उनको लगाने के बाद उनका कार्य कई गुना बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा किये जा रहे विभिन्न कार्यों को ध्यान में रखते हुए उनके मासिक भुगतान को 700 रुपए और 400 रुपए से बढ़ाकर क्रमश: 2500 रुपए और 1500 रुपए करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो मासिक भुगतान में कब तक वृद्धि किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) से (ङ) आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों द्वारा प्रदान की जा रही महत्वपूर्ण सेवाओं को मान्यता प्रदान करते हुए, सरकार ने 1 अप्रैल, 2002 से आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों के मानेदय में 500/-रुपए प्रति माह तथा आंगनवाड़ी सहायिकाओं के मानदेय में 240/-रुपए प्रति माह वृद्धि करने का जनवरी, 2003 में निर्णय लिया है। इस बारे में आवश्यक आदेश राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को जारी किये जा चुके हैं।

समेकित बाल विकास सेवा (आई०सी०डी०एस०) स्कीम में यह परिकल्पना की गई है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियां तथा सहायिकाएं स्थानीय समुदायों की अवैतनिक कार्यकर्त्रियां होंगी, जो जरूरतमंद बच्चों, गर्भवती तथा शिशुवती माताओं को सहायता देने में आगे आएंगी। अत:, उनको नियमित सरकारी कर्मचारी मानना न तो औचित्यपूर्ण होगा और न ही व्यवहार्य।

[हिन्दी]

संस्कृत भाषा को प्रोत्साहन

3. **श्री चिन्मयानन्द स्वामी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दसवीं योजना के दौरान संस्कृत भाषा के प्रोत्साहन पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है;

(ख) क्या सरकार का विचार स्कूलों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) दसवीं योजना के दौरान भारत सरकार, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपनी निम्नलिखित तीन एजेन्सियों/स्कीमों के माध्यम से देश में संस्कृत भाषा के संवर्धन हेतु 150.00 करोड़ रु० आवंटित किए हैं :-

i) संस्कृत शिक्षा का विकास

ii) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली

iii) महर्षि संदीपनी राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान, उज्जैन

इसके अतिरिक्त संस्कृत के संवर्धन तथा विकास के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दो संस्कृत सम विश्वविद्यालयों नामत : i) राष्ट्रीय संस्कृत, विद्यापीठ, तिरूपति तथा ii) श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली तथा ऐसे अन्य विश्वविद्यालयों, जिनमें संस्कृत विभाग हैं, को भी निधियां प्रदान की जाती हैं।

इसके अलावा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न राज्य सरकारों की अपनी योजनाएं हैं।

(ख) और (ग) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

कापार्ट द्वारा शुरू की गई परियोजनाएं

4. **श्री प्रबोध पण्डा :**
श्री राजो सिंह :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001-2002 और वर्ष 2002-2003 के दौरान कापार्ट द्वारा राज्य-वार और योजना-वार प्राप्त/कार्यान्वित परियोजनाओं और प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इन परियोजनाओं के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठन-वार और परियोजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत/जारी/उपयोग की गई;

(ग) क्या गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें क्या उपलब्धि प्राप्त हुई और इस योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितने लोग विशेषकर आदिवासी लाभान्वित हुए;

(ङ) क्या धनराशि के दुरूपयोग के मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(च) यदि हां, तो परियोजना-वार और गैर-सरकारी संगठन-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या उक्त अवधि के दौरान राज्यों के कुछ परियोजना प्रस्ताव कापार्ट के पास लंबित पड़े हैं;

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(झ) इन परियोजनाओं को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (झ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा को बढ़ावा

5. **डा० जसवंत सिंह यादव :**
श्री शिवाजी माने :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार विद्यार्थी समुदाय में सूचना प्रौद्योगिकी शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने और इसका विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार, विशेषकर महाराष्ट्र में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी युक्त सेवाओं को बढ़ावा देने हेतु परियोजनाएं भी आरंभ की हैं और क्या इस आशय का कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन संबंधी संशोधित योजना देश के विद्यालयों में कम्प्यूटर को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2001-2002 में शुरू की गई। विद्यालयों में कम्प्यूटर साक्षरता एवं अध्ययन संबंधी संशोधित योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता राज्यों/संघ शासित प्रदेशों द्वारा प्रस्तुत की गई कम्प्यूटर शिक्षा योजनाओं के आधार पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को प्रदान की जा रही है। इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय संगठन और नवोदय विद्यालय समिति प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश में एक विद्यालय को 'स्मार्ट' विद्यालय में परिवर्तित करेंगे। प्रत्येक स्मार्ट विद्यालय को 25 लाख रु० तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार से प्राप्त कम्प्यूटर शिक्षा योजना के आधार पर 9.00 करोड़ रु० की वित्तीय सहायता 180 विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को संस्वीकृत की गई थी। इसमें से, 4.50 करोड़ रु० की राशि प्रथम किस्त के रूप में वर्ष 2001-2002 के दौरान राज्य सरकार को प्रदान की गई। इसके अलावा केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति ने केन्द्रीय विद्यालय, बी०ई०जी०, पुणे तथा, जवाहर नवोदय विद्यालय अमरावती को स्मार्ट विद्यालय में परिवर्तित करने हेतु अभिनिर्धारित किया है।

शामिल किए गए विद्यालयों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग कम्प्यूटरों के उपयोग के संबंध में छात्रों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से कम्प्यूटर उपलब्ध कराने हेतु

कालेजों की सहायता कर रहा है। 3919 कालेजों को कम्प्यूटर सुविधाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गई है। कालेजों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण-I

कम्प्यूटर सुविधाओं हेतु सहायता प्राप्त स्कूलों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	स्कूलों की संख्या
महाराष्ट्र	180
त्रिपुरा	50
छत्तीसगढ	100
दादरा और नगर हवेली	14
हरियाणा	100
पश्चिम बंगाल	300
पंजाब	200
आंध्र प्रदेश	500
तमिलनाडु	200
मणिपुर	50
गोवा	50
उत्तर प्रदेश	300
हिमाचल प्रदेश	100
मिजोरम	40
सिक्किम	29
मध्य प्रदेश	390
गुजरात	300
मेघालय	59
कर्नाटक	150
नवोदय विद्यालय समिति	
केन्द्रीय विद्यालय संगठन	
कुल	3112

विवरण-II

कम्प्यूटर सुविधाओं हेतु सहायता प्राप्त कॉलेजों की राज्य-वार संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	पहली बार सहायता प्राप्त कालेजों की संख्या
आंध्र प्रदेश	317
अरूणाचल प्रदेश	3
असम	121
बिहार/झारखंड	195
दिल्ली	62
गोवा	9
गुजरात/दमन/दीव	241
हरियाणा	129
हिमाचल प्रदेश	37
जम्मू एवं कश्मीर	28
कर्नाटक	325
केरल	171
मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़	321
महाराष्ट्र	503
मणिपुर	41
मेघालय/मिजोरम/नागालैंड	17
उड़ीसा	208
पांडिचेरी	8
पंजाब/चण्डीगढ़	206
राजस्थान	141
तमिलनाडु	211
त्रिपुरा	8
उत्तर प्रदेश/उत्तरांचल	305
पश्चिम बंगाल	312
अखिल भारत कुल योग	3919

दंगों के दौरान पुलिस की भूमिका

6. **श्री जी०एम० बनातवाला : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साम्प्रदायिक और अन्य दंगों का सामना करने में पुलिस की भूमिका में सुधार करने के लिए किए गए/किए जाने वाले प्रस्तावित उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ख) राज्यों को इस संबंध में जारी किए गए केन्द्रीय दिशा-निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र दंगों पर नियंत्रण हेतु पुलिस के उचित प्रशिक्षण और कम खतरनाक हथियार प्रदान करने हेतु कोई धनराशि आवंटित करता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का आवंटन तथा उपयोग किया गया है; और

(ङ) दंगों के दौरान और उसके बाद की स्थिति में अनुचित राजनैतिक हस्तक्षेप जिससे उनके उचित कार्यकरण पर प्रभाव पड़ता है, से पुलिस बल को बचाने हेतु क्या उपाय किए गए है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुसार "पुलिस राज्य का विषय होने के कारण, प्राथमिक रूप से यह राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है कि वह इस संबंध में आवश्यक उपाय करे। तथापि, केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों को सुनिश्चित करने की सलाह देती रहती है कि पुलिस बल अपना धर्मनिरपेक्ष और निष्पक्ष स्वरूप बनाए रखते हैं। राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्टें, जिनमें सांप्रदायिक दंगों से निपटने से संबंधित सिफारिशें भी हैं, आवश्यक कार्रवाई हेतु सभी राज्य सरकारों को अग्रेषित कर दी गई थीं।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। केन्द्र सरकार राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को 50:50 शेयर के आधार पर सहायता प्रदान करती है जिसमें प्रशिक्षण और दंगा नियंत्रण इत्यादि के लिए कम खतरनाक हथियारों का प्रावधान शामिल है। गत तीन वर्षों में आबंटित निधियां तथा विभिन्न राज्यों में उनका उपयोग संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) पुलिस को सांप्रदायिक दंगों के दौरान और दंगों के बाद की स्थितियों में राजनैतिक हस्तक्षेप से अलग रखने सहित राष्ट्रीय पुलिस आयोग और पुलिस सुधारों पर पद्मनाभय्या समिति की सिफारिशें कार्यान्वयन हेतु राज्यों को भेज दी गई है।

विवरण

राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु योजना – 2000-01 और 2001-02 – जारी निधियां/उपयोग की स्थिति
(रु० करोड़ में) (16.1.2003 की स्थिति के अनुसार स्थिति)

राज्य का नाम	वर्ष 1999-2000 के दौरान जारी की गई केन्द्रीय निधियां	उपयोग की स्थिति	2000-01 से वार्षिक आबंटन	2000-01 राज्य अंशदान सहित अनुमोदित योजना	जारी की गई वास्तविक निधियां (केन्द्रीय अंशदान) 2000-01	उपयोग की स्थिति 2000-01 (केन्द्रीय और राज्य अंशदान)	2001-02 राज्य अंशदान सहित अनुमोदित योजना	जारी की गई वास्तविक निधियां (केन्द्रीय अंशदान) 2001-02	उपयोग की स्थिति 2001-02 (केन्द्रीय और राज्य अंशदान)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	3.5478	3.5478	82.00	144.04	72.02	142.82	154.405	77.2025	43.3945
अरूणाचल प्रदेश	1.771	1.771	05.20	2.30	01.15	02.30	8.82917	04.414585	6.2282
असम	47.715	47.715	38.70	73.15	36.575	33.39	77.18	38.59	शून्य
बिहार	5.0853	5.0853	54.00	115.17	57.585	23.001	108.00	54.00	शून्य
छत्तीसगढ़	—	—	19.00	41.15	20.575	39.25	43.94	21.97	18.69
गोवा	शून्य	शून्य	02.00	4.04	02.02	03.54	4.00	02.00	2.50
गुजरात	5.703	5.703	50.00	119.53	59.76	111.55	100.00	50.00	42.31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
हरियाणा	3.1952	3.1952	22.10	56.67	28.325	56.67	48.9211144	24.4605572	48.92
हिमाचल प्रदेश	4.3782	4.3782	06.70	1.34	01.34	01.34	12.7589	06.37945	शून्य
जम्मू और कश्मीर	0.4077	0.4077	28.50	61.65	30.825	61.64	57.00	28.50	50.40
झारखण्ड	—	—	18.00	80.30	40.15	46.59	57.87	28.935	57.87
कर्नाटक	6.213	6.213	75.00	165.70	82.85	162.51	153.9597	76.97985	93.34
केरल	1.8999	1.8999	31.50	58.57	29.28	46.76	62.230374	31.115187	49.64
मध्य प्रदेश	8.4636	8.4636	53.00	108.97	54.49	108.97	106.00091	53.000455	79.37
महाराष्ट्र	5.6882	5.6882	92.10	166.20	83.10	135.88	184.20	92.10	112.90
मणिपुर	0.1731	0.1731	10.50	8.20	04.10	01.453	9.90492	04.95246	शून्य
मेघालय	0.1297	0.1297	5.50	3.08	01.54	01.09	10.3829168	05.1914584	शून्य
मिजोरम	1.7338	1.7338	5.50	9.91	04.95	09.91	11.00	05.50	11.00
नागालैण्ड	1.6437	1.6437	13.50	5.68	02.84	05.68	26.8855	13.44275	26.94075
उड़ीसा	0.5230	0.5230	30.50	61.15	30.575	33.11	61.00	30.50	19.29
पंजाब	0.4232	0.4232	32.10	71.51	35.76	64.345	64.1997940	32.0998974	24.40
राजस्थान	शून्य	शून्य	61.10	91.05	45.525	32.342	122.20	61.10	32.343
सिक्किम	शून्य	शून्य	03.20	3.66	01.83	00.21	5.7447	2.87235	शून्य
तमिलनाडु	1.6396	1.6396	68.10	153.00	76.50	131.69	136.20	68.10	136.20
त्रिपुरा	1.7779	1.7779	05.60	12.79	06.39	12.79	11.20	05.60	10.31
उत्तर प्रदेश	9.5106	9.5106	123.52	247.94	123.97	117.45	232.099	116.0495	10.24
उत्तरांचल	—	—	06.58	11.01	05.50	10.04	16.888	08.444	01.20
पश्चिम बंगाल	7.615	7.615	56.50	120.95	60.475	44.55	113.00	56.50	शून्य
कुल	72.00	72.00	1000.00	1998.00	1000.00	1434.821	2000.00	1000.000	877.48645

केन्द्रीय भण्डार में अनियमितताएं

7. श्री रघुनाथ झा : क्या उप-प्रधान मंत्री 17.07.02 के अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच अधिकारियों ने अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले;

(ख) उन रिपोर्टों पर क्या कार्रवाई की गई है और क्या केन्द्रीय भंडार को हुए नुकसान की वसूली करने के लिए इन रिपोर्टों के आधार पर कोई मामला बनाया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और उनसे कब तक यह राशि वसूल ली जाएगी और उससे कितनी धनराशि मिलने की संभावना है;

(घ) क्या वित्तीय अनियमितताओं और तथ्यों को गलत ढंग से बताने और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक सम्पत्ति रखने के और मामले प्रकाश में आए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) कर्मचारियों द्वारा अवैध सम्पत्ति के संचय को रोकने, सतर्कता-प्रभाग को सुदृढ़ करने ओर सभी कमियों को दूर करने के उद्देश्य से इसे और अधिक प्रभावी बनाने और केन्द्रीय भंडारों को सभी तरह से पूर्ण रूप से कम्प्यूटरीकृत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) जांच-अधिकारियों ने दिनांक 17.07.2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 431 के साथ लगाए गए श्री डी०के० जैन से संबंधित अनुबन्ध-I के क्रम संख्या 4 और श्री एम०सी० आचार्य से संबंधित अनुबन्ध-II के क्रम संख्या 3 में उल्लिखित मामलों के बारे में अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत कर दी हैं। जांच-अधिकारी की रिपोर्ट की जांच-पड़ताल करने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी ने श्री डी०के० जैन पर लगाए गए आरोप वापस ले लिए हैं और श्री एम०सी० आचार्य को निम्नतर पद पर पदावनत करने की शास्ति लगाई है। श्री एम०सी० आचार्य से वसूली किए जाने का मामला तैयार किया गया और उनसे समूची धनराशि पहले ही वसूल कर ली गई।

(घ) केन्द्रीय भण्डार इस समय स्टॉक-विसंगति के एक संदिग्ध मामले और आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक परिसम्पत्ति रखे जाने के एक मामले की जांच-पड़ताल कर रहा है।

(ङ) प्रबन्धकों और उनसे ऊपर के स्तर के अधिकारियों से सम्पत्ति की विवरणी ली जाती है और जहां-कहीं आवश्यक हो, उपर्युक्त विवरणी की छान-बीन की जाती है। केन्द्रीय भण्डार में कम्प्यूटरीकरण चरणों में किया जा रहा है।

आयातित और घरेलू कोयले का मूल्य

8. **श्री महबूब जहेदी** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयातित कोयले का मूल्य सस्ता है और इसमें घरेलू कोयले की अपेक्षा अधिक ताप क्षमता है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने मई 1996 में प्रकाशित एकीकृत कोयला नीति संबंधी समिति की अपनी रिपोर्ट में उक्त दावे को स्वीकार नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उपकर, रायल्टी, उत्पाद शुल्क आदि जैसे विभिन्न शुल्क घरेलू कोयले की उत्पादन लागत में जोड़े जाते हैं जबकि सी०आई० एफ० और आयात शुल्क को आयातित कोयला पर लगाया जाता है, इसमें रेल द्वारा ढुलाई शामिल नहीं जो कि दूरी पर निर्भर है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या योजना आयोग ने अपनी उक्त रिपोर्ट (परिशिष्ट 2.8) में आयातित और घरेलू कोयले के तुलनात्मक मूल्य दिए हैं जो इस बात पर पर्याप्त प्रकाश डालते हैं कि देश के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण और मध्य क्षेत्रों में उत्पादित घरेलू कोयले के मूल्य आयातित कोयले के मूल्य से कम हैं; और

(छ) यदि हां, तो कोयले के आयात करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) भारतीय कोयले का औसत पिटहैड विक्रय मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सी०आई०एफ० मूल्य की तुलना में रुपए में प्रति टन आधार पर सबसे कम मूल्यों में से एक है। तथापि, परिवहन लागत सहित विभिन्न उपभोग बिन्दुओं पर लंबी दूरी के परिवहन पर भारतीय कोयले का पहुंच मूल्य काफी अधिक है। विदेशी कोयला राख तत्व तथा इकाई उष्मामान की दृष्टि से बेहतर है। इसलिए, कुछ तटीय अवस्थानों पर प्रति थर्म आधार पर भारतीय कोयला मंहगा हो सकता है।

(ख) और (ग) योजना आयोग द्वारा समेकित कोयला नीति पर गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आयातित कोयला सभी अवस्थानों पर कैलोरिफिक मान आधार पर घरेलू कोयले की अपेक्षाकृत मंहगा है और यह उत्तरी तथा केन्द्रीय क्षेत्रों में बंदरगाहों से उनकी दूरी के चलते अधिक है। तथापि, समिति ने यह बताया कि आयातित कोकिंग कोयला घरेलू कोयले से मंहगा प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत आयातित कोयले तथा घरेलू कोयले की लागत तुलना पर कोल इंडिया लि० तैयार किए गए एक विवरण और कोकिंग कोयले पर इस्पात मंत्रालय द्वारा बनाए गए अन्य विवरण पर आधारित है।

(घ) कोयला कंपनियों द्वारा कोयले का अधिसूचित किया गया मूल्य कोयले का पिट हैड मूल्य होता है, जिसमें अन्य – उपभोक्ताओं तक पहुंचने पर सांविधिक कर तथा परिवहन प्रभार जोड़े जाते हैं। कोयले के विक्रय मूल्य पर लगने वाली उगाहियां निम्नानुसार हैं :–

(1) रायल्टी;

(2) उपकर (केवल पश्चिम बंगाल में उत्पादित कोयले के संबंध में);

(3) रेत भराई उत्पाद शुल्क (एस०ई०डी०);

(4) बिक्री;

(5) भाड़ा; और

(6) स्थानीय कर

(ङ) विभिन्न प्रासंगिक संविधियों के प्रावधानों के अनुसार रायल्टी, उपकर, एस०ई०डी०, बिक्री कर तथा स्थानीय कर जैसी उगाहियां केवल घरेलू कोयले पर लागू होती है और इसलिए ये आयातित कोयले पर नहीं लगाये जाते हैं।

(च) जी, हां।

(छ) एकीकृत इस्पात संयंत्रों के द्वारा कोकिंग कोयले का आयात 80 के दशक के प्रारंभ से कोकिंग कोयले की अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा की घरेलू रूप से अनुपलब्धता/अपर्याप्त उपलब्धंता के चलते किया जा रहा है। 90 के दशक के प्रारंभ में, कोयले के आयात के उदारीकरण से पर्यावरणीय कारकों तथा अवस्थान विशिष्ट अवतरित लागत के कारण कुछ उपभोक्ताओं द्वारा घरेलू कोयले के साथ मिश्रित करने के लिए नॉन – कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है।

नमक योजना भूमि, मुम्बई

9. **श्री किरीट सोमैया :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास मंत्री के नेतृत्व में एक मंत्री समूह ने जनवरी, 2003 में नमक योजना भूमि, मुम्बई का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्होंने क्या टिप्पणियां की;

(ग) क्या उन्होंने मुम्बई में घोषणा की है कि फरवरी, 2003 में मुम्बई के लोगों के लिए नमक योजना भूमि का दोहन करने के लिए पूर्ण प्रस्ताव को अंतिम रूप दे दिया जाएगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है;

(च) सरकार और मंत्री समूह द्वारा इस प्रस्ताव पर कब तक कार्रवाई किए जाने की संभावना है और इसे कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है; और

(छ) नमक योजना भूमि हेतु आरक्षित भूमि इसकी वैद्यानिक स्थिति, इसके स्वामित्व, इसके कब्जे, इसकी वर्तमान स्थिति का स्थल-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (च) जी, हां। मंत्रीदल ने मुम्बई में विभिन्न स्थानों में नमक योजना भूमियों का दौरा किया और तत्काल उपलब्ध नमक योजना भूमियों के तुरन्त विकास करने की जरूरत बताई। इन भूमियों के विकास के लिए विस्तृत प्राविधियां इस प्रयोजन के लिए गठित मंत्रीदल के विचारार्थ तैयार की जा रही हैं।

(छ) नमक योजना भूमि की स्थिति सहित उनके ग्रामवार ब्यौरे संलग्न विवरण-I और II में हैं।

विवरण-I

मुम्बई स्थित नमक योजना भूमि के ग्रामवार ब्यौरे

क्र० सं०	ग्राम	कुल भूमि (हेक्टेयर)
1.	दहिसार	175.00
2.	मालवाने	18.00
3.	पहाड़ी	40.00
4.	मुलंड	456.00
5.	नहूर	86.00
6.	झांडुप	220.00
7.	कंजुर	598.00
8.	वडाला	164.00
9.	अनिक	54.00
10.	तुरभे	148.00
11.	मंडाले	105.00
12.	चेम्बर	57.00
13.	घाटकोपर	56.00
	कुल	2177.00

विवरण-II

नमक योजना भूमि का सार

1.	विकास के लिए उपलब्ध भूमि			346.00 हेक्टेयर
2.	विकास योजना में संशोधन के साथ विकास के लिए उपलब्ध कराये जाने वाले अतिरिक्त क्षेत्र			
	(i) एन०डी०जेड० के तहत क्षेत्र	71.00 हेक्टेयर		
	(ii) सी०आर०जेड०-II के तहत क्षेत्र	74.00 हेक्टेयर		321.00 हेक्टेयर
	(iii) सी०आर०जेड०-III के तहत क्षेत्र	176.000 हेक्टेयर		
3.	पहले ही आवंटित किये जा चुके क्षेत्र			
	(i) राज्य सरकार एजेंसियों (भांडुप सीवरेज परियोजना के लिए दी गयी 75.00 हेक्टेयर भूमि सहित जो सी०आर० जेड०-I) के तहत आती है।	194.00 हेक्टेयर		269.00 हेक्टेयर
	(ii) केन्द्र सरकार एजेंसियां	75.00 हेक्टेयर		
4.	स्वामित्व विवाद वाले क्षेत्र			134.00 हेक्टेयर
5.	अतिक्रंमित क्षेत्र			
	(i) बहमंजिली विकास	156.00 हेक्टेयर		174.00 हेक्टेयर
	(ii) स्लम	18.00 हेक्टेयर		
6.	विकास के लिए अनुपलब्ध क्षेत्र			
	(i) सी०आर०जेड०-I के तहत क्षेत्र	923 हेक्टेयर		933.00 हेक्टेयर
	(i) नहूर गांव में अदालती मामले में गंवायी गयी क्षेत्र	10.00 हेक्टेयर		
	शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय के अधीन कुल भूमि			2177.00 हेक्टेयर

[हिन्दी]

देश में आदर्श ग्रामों का निवास

10. **श्री सुरेश चन्देल :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हडको ने देश में आदर्श ग्रामों के विकास हेतु विशेष योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और स्थल-वार ब्यौरा क्यां है; और

(ग) चुने गए ग्रामों का ब्यौरा क्या है और इन आदर्श ग्रामों का विकास करने हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभापटल पर रख दी जाएगी।

हिमनदियों के संबंध में अनुसंधान कार्य

11. **श्रीमती जयाबहन बी० ठाकर : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिमनदियों के लगातार पिघलने और उनके आकार के सिकुड़ने के मद्देनजर सरकार ने हिमनादियों सम्बंधी अनुसंधान कार्य शुरू करने के लिए हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय संस्थान स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी ऐसे संस्थान की स्थापना की गई है;

(ग) यदि हां, तो इसकी स्थापना किस तारीख को की गई थी; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या कारण हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (घ) वर्तमान में सरकार द्वारा 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान हिमाचली हिमनदियों में फील्ड आपरेशन एवं अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय केन्द्र (एन०सी०एफ०ओ०आर०एच०-जी०) की स्थापना करने की एक योजना पर कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित केन्द्र स्थापित करने पर एक विस्तृत प्रस्ताव पहले ही तैयार किया जा चुका है। योजना आयोग द्वारा गठित हिमाचली हिमनदियों पर उप समिति की सिफारिशों के अनुसार यह राष्ट्रीय केन्द्र वाडिया हिमालयी भू विज्ञान संस्थान, देहरादून (उत्तरांचल) अथवा स्नो एंड एवेलेंच स्टडी स्टैब्लिशमेंट (एस०ए०एस०ई०), मनाली, हिमाचल प्रदेश के साथ स्थित होना चाहिए। एन०सी०एफ० ओ०आर०-एच०जी० के आरंभ हो जाने के बाद सरकार द्वारा क्षेत्र – विशिष्ट हिमनदीय अध्ययनों को शुरू करने हेतु मुख्य केन्द्र की अन्य क्षेत्रीय इकाइयों की स्थापना करने पर विचार किया जा सकता है।

[अनुवाद]

आतंकवादियों का वित्त पोषण

12. **श्री मोहन रावले** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को यूरोपीय देशों के माध्यम से आई० एस०आई० प्रमुख अय्यूब ठेकर द्वारा भारत में अपने गतिविधियां चला रहे आतंकवादियों को धन उपलब्ध कराने के बारे में ब्रिटिश अधिकारियों के पास ठोस प्रमाण होने की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अय्यूब ठेकर की गिरफ्तारी के लिए ब्रिटिश सरकार के साथ कोई बातचीत की है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) यह मामला विभिन्न राजनीतिक और शासकीय स्तरों पर ब्रिटिश सरकार के साथ उठाया गया है ताकि उन्हें इस बात की प्रति सुग्राही बनाया जा सके कि सरकार इस मामले को कितना महत्व देती है।

[हिन्दी]

झारखण्ड द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु प्रेषित प्रस्ताव

13. **श्री ब्रज मोहन राम** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) झारखण्ड सरकार द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास हेतु भेजे गए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है; और

(ख) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) भारत सरकार द्वारा रांची में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र को स्थापित करने की स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी गई है और अपनी पूंजी लागत के हिस्से का एक भाग इसके द्वारा नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम (एन०सी०एस०एम०) को पहले ही जारी किया जा चुका है, जो इस परियोजना के लिए कार्यान्वयक एजेंसी है। परियोजना की पूंजी लागत का वहन संस्कृति विभाग, भारत सरकार और झारखण्ड सरकार द्वारा समान रूप से किया जाना है। झारखण्ड सरकार के अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श से एन०सी०एस०एम० द्वारा एक भूमि खण्ड की भी पहचान की गई थी। परियोजना के लिए इस भूमि की उपलब्धता और परियोजना लागत का 50 प्रतिशत का हिस्सा जारी करने के संबंध में एन०सी०एस०एम० को झारखण्ड सरकार की पुष्टि की प्रतीक्षा है।

झारखण्ड सरकार द्वारा वाणिज्य विभाग, भारत सरकार को रांची में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क स्थापित करने का प्रस्ताव भेजा गया है, जिसे सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी०आई०टी०) को अग्रेषित कर दिया गया है। डी०आई०टी० में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एस०टी०पी०आई०) द्वारा झारखण्ड सरकार से पहले ही 3 एकड़ का भू-खण्ड, 3 हजार, वर्ग फुट बिल्ट अप स्पेस और कुल परियोजना लागत में आंशिक व्ययों के लिए 1 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। झारखण्ड सरकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय

14. **श्री टी० गोविन्दन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वर्ष 2003 में होने वाले केन्द्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में शिक्षकों के पद की भर्ती के संबंध में केरल में परीक्षा केन्द्र आवंटित करने हेतु आवेदकों से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, हां।

(ख) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, केरल राज्य में केन्द्रीय विद्यालय संगठन तथा नवोदय विद्यालय समिति के लिए शिक्षकों की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार के लिए परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण संबंधी एक पत्र प्राप्त हुआ है। तथापि, उचित निरीक्षण, नियंत्रण तथा विगत अनुभव के आधार पर उन्होंने देशभर में (सिल्चर क्षेत्र को छोड़कर) केवल उन्हीं सत्रह स्थानों पर लिखित परीक्षा, के लिए परीक्षा केन्द्र बनाए हैं, जहां पर इनके क्षेत्रीय कार्यालय स्थित हैं। चूंकि केरल राज्य में कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है अतएव केरल में केन्द्र का होना संभव नहीं है। दूसरे स्तर की परीक्षा में उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाती है अतएव प्रभावी निरीक्षण तथा नियंत्रण के मद्देनजर साक्षात्कार के लिए आठ स्थानों पर केन्द्र बनाए गए हैं।

समूची प्रक्रिया में एकरूपता, पारदर्शिता तथा निष्पक्षता रखने के लिए साक्षात्कार, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्यालय) के निरीक्षणाधीन दिल्ली में ही आयोजित किए जाते हैं।

विदेशों में कैम्पस स्थापित किया जाना

15. **श्रीमती प्रभा राव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कई भारतीय विश्वविद्यालय, विशेषकर मुम्बई विश्वविद्यालय, ने विदेशों में कार्यरत आप्रवासियों के बच्चों की शैक्षिक आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए विदेशों में कैम्पस स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी विश्वविद्यालय-वार ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या मुम्बई विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन के अभाव में यह प्रस्ताव अधर में लटक गया है;

(घ) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने मुम्बई विश्वविद्यालय अधिनियम में संशोधन करने का आवश्यक अनुमोदन नहीं किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ङ) मुम्बई विश्वविद्यालय ने कुवैत स्थित पार्टनर संस्थान के सहयोग से विदेशों में कैम्पस स्थापित करने की संभावना का पता लगाया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रस्ताव पर आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई क्योंकि सहयोगी पार्टनर ने इस उद्यम से अपना नाम वापस लेने का निर्णय लिया था।

कोयला खानों में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त कामगार

16. **श्री रामदास आठवले** : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक अनुषंगी कोयला खान में ठेकेदारों द्वारा नियुक्त किए गए कामगारों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) क्या कामगारों की कार्य स्थिति और उनकी मजदूरी के संबंध में ठेकेदारों और प्रबंधन के बीच किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाते हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या ठेकेदारों द्वारा नियुक्त विभिन्न श्रेणियों के कामगारों को भुगतान के लिए कुल कितना पारिश्रमिक निर्धारित किया गया है;

(घ) क्या ठेकेदारों द्वारा समझौते के अनुसार कामगारों को भुगतान किया जा रहा है; और

(ङ) यदि नहीं, तो प्रबंधन द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) कोल इंडिया लि० की प्रत्येक सहायक कम्पनी की कोयला खानों में विभिन्न कार्यों में ठेकेदार के लगे हुए श्रमिकों की कुल संख्या नीचे दी गयी है :–

सहायक कम्पनी का नाम	ठेकेदार के श्रमिकों की संख्या
ई०सी०एल०	3952
बी०सी०सी०एल०	1244
सी०सी०एल०	7000
डब्ल्यू०सी०एल०	3301
एस०ई०सी०एल०	13255
एन०सी०एल०	5774
एम०सी०एल०	6754

(ख) और (ग) जी, हां। निबंधन तथा शर्तें ठेकेदारों को दिए गए अनुबन्ध के पत्र/उनके साथ हुए समझौते में उल्लिखित हैं। शर्तों में यह समाहित किया जाता है कि ठेकेदारों द्वारा लगाए गए श्रमिकों को अनुबंध – पत्र/समझौते में यथा उल्लिखित देय मजदूरी की न्यूनतम दर से कम का भुगतान नहीं किया जाएगा।

(घ) जी, हां।

(ङ) उपरोक्त भाग (घ) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

देश में अपराध

17. **श्री अबुल हसनत खां :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2000, 2001 और 2002 के दौरान प्रति एक लाख की आबादी पर राज्यवार कितने अपराध होने का समाचार है; और

(ख) अपराध पर काबू पाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) वर्ष 2000 और 2001 के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा राज्यवार संकलित भारतीय दण्ड सहिता के अन्तर्गत प्रति एक लाख की आबादी पर संज्ञेय अपराध की दर, विवरण में संलग्न है। वर्ष 2002 की सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं और इसलिए, अपराध का पंजीकरण, जांच-पड़ताल और रोकथाम करना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों को समय-समय पर, दाण्डिक न्यायिक प्रणाली के प्रशासन में सुधार लाने पर और अधिक ध्यान केन्द्रित करने की सलाह देती रही है।

विवरण

वर्ष 2000 और 2001 के दौरान भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत संज्ञेय अपराधों की दर

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	दर 2000	दर 2001
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	159.9	162.3
2.	अरूणाचल प्रदेश	197.3	214.7
3.	असम	133.8	140.5
4.	बिहार	123.4	104.9
5.	छत्तीसगढ़	एन०ई०	174.0
6.	गोवा	150.8	174.2
7.	गुजरात	238.9	195.8
8.	हरियाणा	198.2	183.6
9.	हिमाचल प्रदेश	165.1	189.3
10.	जम्मू और कश्मीर	175.4	193.7
11.	झारखण्ड	एन०ई०	101.3
12.	कर्नाटक	209.2	206.9
13.	केरल	306.1	324.2
14.	मध्य प्रदेश	269.8	264.9
15.	महाराष्ट्र	189.7	175.3
16.	मणिपुर	101.7	103.2
17.	मेघालय	69.4	71.9
18.	मिजोरम	241.5	252.4
19.	नागालैंड	80.7	61.0
20.	उड़ीसा	137.4	131.5
21.	पंजाब	103.2	114.3
22.	राजस्थान	298.8	274.8
23.	सिक्किम	76.9	66.3
24.	तमिलनाडु	244.3	220.3
25.	त्रिपुरा	88.6	87.7
26.	उत्तरांचल	एन०ई०	81.7
27.	उत्तर प्रदेश	102.4	105.0
28.	पश्चिम बंगाल	83.0	76.8
	कुल (राज्य)	173.3	163.1

1	2	3	4
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	193.8	184.8
30.	चंडीगढ़	328.3	369.1
31.	दादरा और नगर हवेली	229.2	147.3
32.	दमन और दीव	178.0	151.9
33.	दिल्ली	399.0	394.6
34.	लक्षद्वीप	33.3	59.0
35.	पांडिचेरी	302.1	418.4
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	378.8	383.2
	कुल (अखिल-भारत)	176.7	166.6

कोयला खानों में घायल हुए/मारे गए लोग

18. श्री अमर राय प्रधान : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 1.1.2002 और 31.12.2002 की अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों में कोयला खानों में राज्यवार कितने लोग घायल हुए/मारे गए और गत तीन वर्षों की तुलना में ये आंकड़े क्या हैं;

(ख) ऐसे मामलों में दोषी अधिकारियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) ऐसे प्रत्येक मामलों में प्रत्येक घायल और मृतक के परिवार को कितना मुआवजा दिया गया; और

(घ) भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) वर्ष 1999, 2000, 2001 तथा 2002 के दौरान विभिन्न राज्यों में कोयला खानों में गंभीर रूप से घायल हुए/मारे गए व्यक्तियों की संख्या निम्नानुसार है :—

राज्य	मारे गए व्यक्तियों की संख्या				गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों की संख्या			
	1999	2000	2001	2002	1999	2000	2001	2002
आंध्र प्रदेश	27	34	25	24	112	91	117	109
असम	1	1	—	—	2	1	—	—
बिहार	42	—	—	—	169	—	—	—
छत्तीसगढ़	—	6	9	7	—	84	83	68
गुजरात	0	1	2	1	3	5	6	2
झारखंड	—	39	52	27	—	176	145	93
जम्मू एवं कश्मीर	1	0	—	—	0	1	—	—
मध्य प्रदेश	28	21	13	17	90	63	72	44
महाराष्ट्र	7	18	12	8	42	78	79	40
उड़ीसा	7	2	4	3	17	18	11	16
राजस्थान	0	—	—	—	1	—	—	—
तमिलनाडु	2	3	5	1	5	2	7	8
उत्तर प्रदेश	0	2	1	0	4	4	9	2
पश्चिम बंगाल	23	17	19	11	205	184	191	130
अखिल भारतीय	138	143	142	99	650	707	720	512

(ख) वर्ष 1999, 2000, 2001 तथा 2002 के दौरान कोयला खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं के लिए जिम्मेवार पाए गए दोषी अधिकारियों के विरूद्ध सरकार द्वारा की गई कार्रवाई निम्नवत है :–

	की गई कार्रवाई	1999	2000	2001	2002*
क.	**डी०जी०एम०एस० द्वारा की गई कार्रवाई**				
1.	प्रमाण-पत्र का निलंबन/रद्द करना	0	0	0	0
2.	चेतावनी दी गयी	18	1	10	0
3.	मुकदमा चलाया गया	11	99	78	46
4.	दुर्घटना – कोई कार्रवाई नहीं	8	5	15	0
5.	अन्य कार्रवाई की गई	12	2	7	5
ख.	**प्रबंधन द्वारा की गई कार्रवाई**				
1.	ड्यूटी से निलंबन	60	41	43	15
2.	पदोन्नति से वंचित	2	3	1	0
3.	पदावनति	4	6	5	1
4.	स्थानान्तरित	1	0	1	0
5.	वेतन-वृद्धि रोकी गयी	24	14	31	7
6.	सेवाएं समाप्त की गई	14	11	2	1
7.	प्रबंधन द्वारा चेतावनी दी गई	31	11	17	13
8.	अनुशासनिक कार्रवाई	1	0	1	2
9.	मृतक – कोई कार्रवाई नहीं	50	58	32	14

*वर्ष 2002 हेतु आंकड़े अनंतिम हैं।

(ग) घातक दुर्घटना में मृतक के परिवार को मुआवजे का भुगतान श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अनुसार किया जाता है। दुर्घटना में चोट लगने से हुई स्थायी अक्षमता वाले व्यक्तियों को भी मुआवजे का भुगतान श्रमिक मुआवजा अधिनियम के अनुसार किया जाता है। जिन व्यक्तियों के दुर्घटना में लगी चोट स्थायी अक्षमता में परिणित नहीं होती, उनका उपचार कंपनी के खर्चे पर किया जाता है और उन्हें उपचार की अवधि के दौरान सवेतन अवकाश दिया जाता है।

वर्ष 2002 के दौरान कोल इंडिया लि० (सी०आई०एल०), सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० (एस०सी०सी०एल०) तथा नेयवेली लिग्नाइट, कारपोरेशन लि० (एन०एल०सी०) की खानों में गंभीर दुर्घटनाओं के मामलों में अदा किए गए मुआवजों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) खानों में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के प्रावधान खान अधिनियम, 1952 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली तथा विनियमों के अंतर्गत निहित हैं। सुरक्षा कानूनों की लगातार समीक्षा की जाती है और उनमें समय-समय पर संशोधन किया जाता है। खान सुरक्षा महानिदेशालय सुरक्षा उपायों में सुधार के लिए प्रबंधन को परिपत्र के रूप में दिशा-निर्देश जारी करता है। इन प्रावधानों का खान प्रबंधन द्वारा अनुपालन किया जाना अपेक्षित होता है। सुरक्षा प्रावधानों के अनुपालन की स्थिति की जांच करने और त्रुटि के मामले में खान अधिनियम, 1952 में दिए गए प्रावधान के अनुसार कार्रवाई करने के लिए, खान

सुरक्षा महानिदेशालय के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण अधिकारियों की उपलब्ध संख्या के आधार पर खानों का निरीक्षण किया जाता है।

वैधानिक उपायों के अतिरिक्त, सरकार कई अन्य पहलें कर रही है, जैसे :

(1) खानों में सुरक्षा पर सम्मेलन (2) सुरक्षा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी (3) विभिन्न स्तरों पर त्रिपक्षीय एवं द्विपक्षीय समीक्षाएं (4) श्रमिकों का प्रशिक्षण (5) सुरक्षा सप्ताह तथा सुरक्षा अभियानों का आयोजन (6) राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार और (7) कोयला खानों में सुरक्षा पर स्थायी समिति।

विवरण

सी०आई०एल०, एस०सी०सी०एल० तथा एन०एल०सी० की खानों में हुई घातक दुर्घटनाओं के मामलों में अदा किए गए मुआवजों का ब्यौरा निम्नानुसार है :–

कोल इंडिया लिमिटेड

राज्य	दुर्घटना की तिथि	खान	प्रभावित व्यक्तियों के नाम	मुआवजा (रु० में)
1	2	3	4	5
छत्तीसगढ़	24-फरवरी-02	गेवरा प्रोजेक्ट	दीपक टौंक	199400
छत्तीसगढ़	16-मार्च-02	नार्थ चिरिमिरी	श्री कबूतर	332580
छत्तीसगढ़	20-अप्रैल-02	लक्ष्मण ओ०सी०	हरी राम साहू	362740
छत्तीसगढ़	23-मई-02	राजगमार	लगानसाई	181370
छत्तीसगढ़	5-जून-02	छत्तरपुर माइन्स	झाबू	365240
छत्तीसगढ़	16-जुलाई-02	चिरिमिरी	नाथू	प्रक्रियाधीन
छत्तीसगढ़	26-नवंबर-02	मानिकपुर-ओ०सी०	बैगाराम	प्रक्रियाधीन
छत्तीसगढ़	7-दिसंबर-02	बिसरामपुर ओ०सी०	सतीश कुमार	199400
झारखंड	4-जनवरी-02	लोहापट्टी	रामु महतो	113410
झारखंड	15-जनवरी-02	गोविंदपुर यु०जी०	मनबोध	201660
झारखंड	2-फरवरी-02	राजरप्पा ओ०सी०पी०	विश्वनाथ मुण्डा	179060
झारखंड	10-मार्च-02	के०डी०एच०ओ०सी०	श्रीप्रसाद सिंह	319600
झारखंड	10-मार्च-02	गिडी-ए	लालजी कुमार	332580
झारखंड	25-मार्च-02	हरियाजाम	बसीर मियां	278260
झारखंड	25-मार्च-02	राजरप्प ओ०सी०पी०	निरंजन महतो	192140
झारखंड	3-अप्रैल-02	बासदेव पुर	बिक्रम सिंह	171000
झारखंड	3-अप्रैल-02	बासदेव पुर	अर्जुन रविदास	148000
झारखंड	4-अप्रैल-02	केडला ओ०सी०पी०	नेमचन्द महतो	278260

1	2	3	4	5
झारखंड	1-मई-02	दामोदा	विंदेश्वरी प्रसाद	153130
झारखंड	4-जून-02	भोवरा (एस)	सी०एच० इजरायल मियां	242000
झारखंड	7-जून-02	पिंदरा यू०जी०	हरसू भुइयां	194640
झारखंड	13-जून-02	के०बी० 5/6 पिट	सुकुमार सिंघा	180000
झारखंड	19-जून-02	सेलधोरी क्वेरी सं०-3	कलपटीआ कमीन	प्रक्रियाधीन
झारखंड	31-अगस्त-02	ए०के०एम०डब्ल्यू०	दीपक कुमार दुबे	50000
झारखंड	28-सितम्बर-02	लोहापट्टी	मोहन मेहरा	320471
झारखंड	29-अक्टुबर-02	नुडखुरकी	आर०बी० पाण्डे	कार्यपालक, पात्र नहीं
झारखंड	22-नवंबर-02	राजमहल ओ०सी०पी०	खिराव ठाकुर	प्रक्रियाधीन
झारखंड	10-दिसम्बर-02	घानोडीह	बुधनी भुइयां	161940
झारखंड	11-दिसम्बर-02	केडला यू/जी	अटवा मुण्डा	
झारखंड	21-दिसम्बर-02	सिरका सी०एच०पी०	चट्टु महतो	508680
महाराष्ट्र	8-फरवरी-02	न्यू माजरी ओ०सी०	नरसिम्हा मूर्ति	न्याय निर्णयाधीन
महाराष्ट्र	6-अप्रैल-02	गोन्डेगांव	यू० महोमुदीन	131950
महाराष्ट्र	13-अप्रैल-02	उमरेड़ ओ०सी०	अपूर्वा सामन्ता	358349
महाराष्ट्र	13-मई-02	मकरधोखरा ओ०सी०	एन०एन० जनबन्धु	292400
महाराष्ट्र	25-अगस्त-02	पिपला यू०जी०	रामजी	55632
महाराष्ट्र	19-सितम्बर-02	महाकाली	मुसाफिर जमुना	249400
महाराष्ट्र	28-दिसम्बर-02	महाकाली	प्रदीप नगीना पाल	प्रक्रियाधीन
महाराष्ट्र	29-दिसम्बर-02	बल्लारपुर 3 और 4 पिट	गजराज भरोसा	प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	3-जनवरी-02	राजनागार्रो	देवनाथ	128303
मध्य प्रदेश	30-जनवरी-02	विश्नुपुरी यू०जी० सं० 2	महेश	333912
मध्य प्रदेश	4-मई-02	मालगा	शम्भू प्रसाद	345040
मध्य प्रदेश	26-जून-02	नवरोजाबाद ईस्ट	हबीब	292400
मध्य प्रदेश	2-सितम्बर-02	निगाही ओ०सी०पी०	राम वृध	401300
मध्य प्रदेश	17-अक्टूबर-02	कोटमा वेस्ट 7/8	नरेन्द्र कुमार पाल	423580

1	2	3	4	5
मध्य प्रदेश	30-अक्टूबर-02	रावनवारा खास	प्रेमलाल	139130
मध्य प्रदेश	15-नवम्बर-02	बीजुरी	बुधसेन	319600
मध्य प्रदेश	15-नवम्बर-02	बीजुरी	भैयालाल	351080
मध्य प्रदेश	17-नवम्बर-02	मोहन	सुदेश कुमार	प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	28-नवम्बर-02	गणपती	मैकू	285360
मध्य प्रदेश	4-दिसम्बर-02	नहेरीआ	धनीराम	प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	7-दिसम्बर-02	नन्दन 2	एच०एल० नागले	प्रक्रियाधीन
मध्य प्रदेश	17-दिसम्बर-02	मालगा	कुंअर बहादुर	292400
मध्य प्रदेश	17-दिसम्बर-02	मालगा	जौहन	319600
मध्य प्रदेश	17-दिसम्बर-02	मालगा	गोविन्द	351080
उड़ीसा	4-मार्च-02	बालन्दा ओ०सी०	अक्षय प्रधान	143890
उड़ीसा	26-मार्च-02	तलचर	रबी बहेरा	172520
उड़ीसा	27-अप्रैल-02	कालिंगा ओ०सी०	दिलहरन दास	433820
उड़ीसा	25-मई-02	लिंगराज	गोलेखा भूटिया	219950
पश्चिम बंगाल	9-जनवरी-02	सोडेपुर (आर) 3 ए पिट	तनिक पासवान	149670
पश्चिम बंगाल	25-जनवरी-02	बंकोला	कमरूद्दीन खान	135560
पश्चिम बंगाल	25-जनवरी-02	बंकोला	सोवानी देवी	172530
पश्चिम बंगाल	25-जनवरी-02	बंकोला	कमला देवी	172530
पश्चिम बंगाल	25-जनवरी-02	बंकोला	लक्ष्मी देवी	205950
पश्चिम बंगाल	30-मई-02	मधाईपुर	राम लखन बेलदार	124000
पश्चिम बंगाल	7-अगस्त-02	सोनेपुर बाजारी ओ०सी०पी०	चैतरा केओटीआ	15000
पश्चिम बंगाल	19-अगस्त-02	शंकर पुर ओ०सी०पी०	के०के० सैनी	312940
पश्चिम बंगाल	20-सितम्बर-02	नरसामुण्डा	आर०एन० प्रसाद	201600
पश्चिम बंगाल	27-सितम्बर-02	पंडावेस्वर 1 और 2 पिट	जगदीश पासवान	139130
पश्चिम बंगाल	2-अक्टूबर-02	नकाराकोंडा	महादेव बगदी	प्रक्रियाधीन

सिंगरेनी कोलियरीज कम्पनी लि० (एस०सी०सी०एल०)

राज्य	दुर्घटना की तारीख	खान	प्रभावित व्यक्ति का नाम	मुआवजा (रु० में)
आंध्र प्रदेश	9-जनवरी-02	एस०आर०पी०-2 इन्क०	एम० रायामल्लु	3,19,600
आंध्र प्रदेश	25-फरवरी-02	के०के०-2 इन्क०	ए० बक्कय्या	2,85,360
			एफ० इल्लय्या	3,34,040
			जे० राजय्या	3,73,800
			पी० लिंगय्या	4,23,580
			एम० वेंकटी	3,19,600
आंध्र प्रदेश	18-मार्च-02	पी०के०-2 इन्क०	बी० जनुवर्धन राव	3,01,840
आंध्र प्रदेश	26-मार्च-02	एम०के०-4 इन्क०	एस०पी० बर्थोलोमिव	3,19,600
आंध्र प्रदेश	6-मार्च-02	शांति खानी	के० राजम	3,53,580
आंध्र प्रदेश	15-मई-02	के०के०-1 इन्क०	टी० रामचन्दर	3,19,600
			पी० रमेश	3,68,340
आंध्र प्रदेश	21-जून-02	एस०आर०पी०-3 और 3 ए	पी० मोगिली	3,45,040
आंध्र प्रदेश	17-जुलाई-02	जी०डी०के०-2ए इन्क०	के० राजय्या	3,13,940
			एस० प्रकाश राव	4,04,320
आंध्र प्रदेश	17-अगस्त-02	आर०के०-6 इन्क०	गुंडा रायलन्गू	प्रक्रियाधीन
आंध्र प्रदेश	27-अगस्त-02	सी०एच०एन०आर० 1/	जी० सामय्या	3,32,580
		एस०आर०पी०	के० बक्कय्या	3,79,120
			आई० पोशम	3,62,740
आंध्र प्रदेश	30-सितम्बर-02	जी०डी०के०-1 इन्क०	अनुमण्डला राघवुलु	प्रक्रियाधीन
आंध्र प्रदेश	18-अक्टूबर-02	एम०के०-4 इन्क०	नामपाली रमेश	प्रक्रियाधीन
आंध्र प्रदेश	10-नवम्बर-02	जी०डी०के०-5 इन्क०	अनुमाला राजय्या	प्रक्रियाधीन
आंध्र प्रदेश	12-नवम्बर-02	के०टी०के०-1 और 1ए	कोथुरी रामुलु	प्रक्रियाधीन
			कोंद्रा जक्कय्या	
नेयवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लि० (एन०एल०सी०)				
तमिलनाडु	4-मई-02	बी 6 कनवेयर (माइन-II)	ए० कान्डेकुमार	3,19,612

जनजातियों की स्वायत्तता

19. **श्री एम०के० सुब्बा :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार असम और पूर्वोत्तर क्षेत्रों के अन्य भागों में जनजातियों और नस्ली समूहों की स्वायत्तता की मांग से निपटने के लिए किसी नई नीति और रणनीति तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में अब तक क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) ऐसे कदमों का क्या परिणाम निकला है और बनाई गई नीति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर में विभिन्न आदिवासी ग्रुपों/जातीय ग्रुपों से स्वायत्तता प्रदान करने की मांगे होती रही हैं। इन मांगों पर, भारत के संविधान के वर्तमान उपबंधों के अनुसार विचार किया जाता है।

ग्रामीण विश्वविद्यालय

20. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ग्रामीण विश्वविद्यालयों की राज्य-वार वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान और आज तक इन ग्रामीण विश्वविद्यालयों को कितना धन दिया गया;

(ग) क्या सरकार का विचार ग्रामीण विकास के क्षेत्र में प्रशासकों/डी०आर०डी०ए० को प्रशिक्षत करने के लिए ऐसे विश्वविद्यालयों को काम में लाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) "ग्रामीण विश्वविद्यालय" जैसा कोई विश्वविद्यालय नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

जीवन रक्षक औषधियां

21. **श्री ए० नरेन्द्र :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में जीवन रक्षक औषधियों का उत्पादन करने वाली कौन-कौन सी देशी कम्पनियां हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान जीवन रक्षक औषधियों की कीमतों में वर्षवार, ब्रान्डवार और औषधिवार वृद्धि दर क्या है;

(ग) ऐसी औषधियों की मांग और आपूर्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उनकी आपूर्ति संबंधी स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1995 (डी०पी० सी०ओ०, 1995) में जीवन रक्षक औषधों और अन्य औषधों में कोई विभेद नहीं रखा गया है। उक्त आदेश के प्रावधानों के अनुसार सरकार इनकी प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध औषधों और उन पर आधारित सूत्रयोगों के मूल्य निर्धारित करती है। डी०पी०सी०ओ०, 1995 के प्रावधानों के अंतर्गत अनुसूचीबद्ध सूत्रयोगों के अनुमोदित/अधिसूचित मूल्य का किसी प्रकार का उल्लंघन किए जाने की स्थिति में कार्रवाई की जाएगी।

(ग) और (घ) विभिन्न राज्य औषध नियंत्रकों से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के आधार पर एन०पी०पी०ए० देश में औषधियों की उपलब्धता की नियमित मानिटरिंग करता है तथा उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करता है। सामान्यत:, देश में औषधियों की उपलब्धता की स्थिति संतोषजनक है। जहां कहीं कमी की सूचना मिलती है, वहां किसी विशिष्ट ब्रांड की होती है तथा ये स्थानिक हैं। ऐसे मामलों में अन्य विनिर्माताओं के वैकल्पिक ब्रांड उपलब्ध होते हैं।

अनुसंधान और विकास के लिए धन

22. **श्री ए० ब्रह्मनैया :** क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दसवीं योजनावधि के अंत तक अनुसंधान और विकास के लिए दिए जाने वाले धन को दुगना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और तथ्य क्या है;

(ग) क्या नौवीं योजनावधि के दौरान आबंटित धन को नियमानुसार पूरा-पूरा किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है कि अनुसंधान और विकास के लिए दिए जाने वाले धन को पूरी तरह से अनुसंधान और विकास कार्यों पर ही खर्च किया जाए?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। "विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003" में उद्योग द्वारा अनुसंधान तथा विकास पर निवेश में बढ़ी हुई भागीदारी से 10वीं योजना के अंत तक विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निवेश के स्तर को दुगना करने की परिकल्पना की गई है। वैज्ञानिक एजेंसियों के लिए 10वीं योजना में एस एण्ट टी पर व्यय बढ़कर 25243.00 करोड़ रुपये हो गया है जबकि 9वीं योजना में यह राशि 12022.17 करोड़ रुपये थी।

(ग) और (घ) विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित शोध योजनाओं के माध्यम से कई परियोजनाओं को आर एण्ड डी के लिए आबंटन का उपयोग कर सहयोग प्रदान किया गया है। ये योजनाएं हैं : राज्य विज्ञान और प्रौद्योगिक परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमवृत्ति विकास बोर्ड, विज्ञान और समाज कार्यक्रम, अनुसूचित जाति और जनजाति उपयोजना के विकास के लिए विशेष घटक योजना, जैव प्रौद्योगिकी में अनुसंधान तथा विकास, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, अंतरिक्ष, महासागर विकास और परमाणु ऊर्जा। उपलब्ध आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 और 1999-2000 के दौरान वित्त पोषित आर एण्ड डी परियोजनाओं की संख्या विभिन्न राज्यों में क्रमश: 1795, 1780, 2050 और 1793 हैं जिनकी कुल अनुमोदित लागत क्रमश: 186.48 करोड़ रुपये, 218.46 करोड़ रुपये, 349.84 करोड़ रुपये और 424.92 करोड़ रुपये थी जो विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानों और विश्वविद्यालयों में थी।

(ङ) योजनाओं/कार्यक्रमों का संबद्ध मंत्रालयों/विभागों द्वारा परियोजना से परियोजना आधार का आवधिक रूप से मानीटरन किया जाता है और इनकी समीक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त योजना आयोग द्वारा भी अनुसंधान तथा विकास के लिए निधि के प्रभावी प्रयोग को सुनिश्चित करने के लिए मैक्रो – स्तर पर कार्यक्रमों/योजनाओं की समीक्षा भी की जाती है।

[हिन्दी]

ग्रामीण गरीबी के लिए पनधारा विकास परियोजना

23. श्री राजो सिंह : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भूमि संबंधी कार्यकलापों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी दूर करने के लिए पनधारा विकास परियोजना के संबंध में राज्य सरकारों से प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की तारीख में केन्द्र सरकार के पास आवंटित धनराशि सहित राज्यवार और जिलावार स्वीकृत/मंजूर और लंबित परियोजनाओं की संख्या कितनी है; और

(घ) इन्हें कब तक मंजूर किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (घ) भूमि संसाधन विभाग बंजरभूमि/अवक्रमित भूमि को विकसित करने/उपजाऊ बनाने के लिए तीन कार्यक्रमों नामत: समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) को वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार कार्यान्वित कर रहा है। सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी० ए०पी०)/मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों से आमंत्रित नहीं किए जाते हैं अपितु भूमि संसाधन विभाग द्वारा अभिज्ञात विकास खण्डों में स्वीकृत किए जाते हैं जबकि समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू० डी०पी०) के अंतर्गत परियोजना प्रस्ताव राज्य सरकारों से आमंत्रित किए जाते हैं।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) के अंतर्गत, वर्ष 1999-2000 से एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्वीकृति हेतु परियोजना प्रस्तावों की राज्य सरकारों के साथ परामर्श से वर्ष-दर-वर्ष आधार पर प्राथमिकता निर्धारित की जाती है। ऐसे लम्बित पड़े परियोजना प्रस्तावों जिन्हें एक वित्तीय वर्ष में स्वीकृत नहीं किया जाता है, पर भी राज्य सरकारों के परामर्श से अगले वित्तीय वर्ष में प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु विचार किया जाता है। शेष परियोजना प्रस्तावों, जिन्हें प्राथमिकता सूची में शामिल नहीं किया जाता है, को तब राज्य सरकारों को वापस कर दिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष अर्थात् 2002-2003 के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) के अंतर्गत प्राप्त प्राथमिकता सूची में शामिल और स्वीकृत किए गए परियोजना प्रस्तावों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है। समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०) के अंतर्गत निधियां राज्य-वार अथवा जिला-वार आबंटित नहीं की जाती है।

एक वर्ष में नई परियोजनाएं सामान्यतया चल रही परियोजनाओं के लिए देयता को पूरा करने के बाद कार्यक्रम के लिए उपलब्ध निधियों, चल रही परियोजनाओं में की गई प्रगति, राज्य में विकसित की जाने वाली बंजरभूमि के विस्तार, कार्यान्वयन क्षमता तथा परियोजना

प्रस्तावों की वाटरशेड विकास संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्तों के साथ समनुरूपता को ध्यान में रखते हुए स्वीकृत की जाती हैं। चूंकि परियोजना प्रस्तावों को स्वीकृति देना उपलब्ध बजट, परियोजना प्रस्तावों की मार्गदशी सिद्धान्तों के साथ समनुरूपता, चल रही परियोजनाओं में प्रगति, आदि जैसी कई बातों पर निर्भर करता है अत: कोई निश्चित समय-सीमा निर्दिष्ट नहीं की जा सकती है। तथापि, चूंकि यह कार्यक्रम एक मांग आधारित कार्यक्रम है, अत: कोई राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०डी०पी०), सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (डी०पी०ए०पी०) तथा मरूभूमि विकास कार्यक्रम (डी०डी०पी०) को स्वीकृत करने की प्रक्रिया को अब ''हरियाली'' मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत युक्तिसंगत और एकरूप बनाया जा रहा है।

विवरण

चालू वित्तीय वर्ष, अर्थात् 2002-2003 (14.2.2003 तक) के दौरान समेकित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू० डी०पी०) के अंतर्गत प्राप्त और स्वीकृत की गई परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्यों के नाम	प्राप्त हुई परियोजनाओं की संख्या	स्वीकृत की गई परियोजनाओं की संख्या*
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	13	2
2.	अरूणाचल प्रदेश	12	
3.	असम	14	5
4.	बिहार	4	–
5.	छत्तीसगढ़	12	–
6.	गुजरात	9	–
7.	हरियाण	2	–
8.	हिमाचल प्रदेश	7	–
9.	कर्नाटक	9	1
10.	मध्य प्रदेश	20	1
11.	महाराष्ट्र	7	–
12.	मणिपुर	13	–
13.	नागालैण्ड	6	–
14.	उड़ीसा	9	–
15.	पंजाब	1	–
16.	राजस्थान	1	–
17.	तमिलनाडु	11	–
18.	उत्तर प्रदेश	20	–
19.	उत्तरांचल	7	4
20.	पश्चिम बंगाल	3	–

*प्रधान मंत्री द्वारा ''हरियाली'' नाम से एक नई योजना 27.1.2003 को आरंभ की गई है जिसके अन्तर्गत भविष्य में सभी वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की जाएंगी।

[अनुवाद]

हवाला कारोबार

24. श्री सी० श्रीनिवासन : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली पुलिस ने हाल ही में दो ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है जो जम्मू और कश्मीर तथा देश के अन्य भागों में आतंकवादी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए पाकिस्तान उच्चायोग के उप-उच्चयुक्त द्वारा उन्हें हवाला के माध्यम से दिए गए धन को ले जा रहे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि हवाला का धन हमारे देश में विभिन्न माध्यमों से लाया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) हवाला कारोबार को रोकने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या ठोस कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) दिल्ली पुलिस ने हाल ही में आल पार्टी हुरियत कान्फ्रेन्स की एक महिला कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया और उसे अन्य वस्तुओं के अलावा

एक बैग जिसमें 3.00 लाख रु० थे, बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान, उसने बताया कि उसे यह धन उग्रवादी गुटों में बांटने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तान उप-उच्चायुक्त से मिला है। उसने आगे यह भी बताया कि कश्मीर एवेयरनैस ब्यूरो के एक पदाधिकारी को भी आतंकवादी गतिविधियों को वित्त पोषित करने के लिए, उसी स्रोत से धन मिला था। ब्यूरो के, नई दिल्ली में मालवीय नगर, के नजदीक स्थित परिसर पर छापा मारा गया और अनेक अभिशंसी दस्तावेज बरामद किए गए। उस पदाधिकारी को भी गिरफ्तार किया गया और उसके बताने पर, उसके निवास से 2 लाख रु० नकद बरामद किए गए।

(ग) और (घ) जी हां, श्रीमान्। हवाला राशि, विभिन्न गैर कानूनी गतिविधियों जैसे कम चालान बनाना, अधिक चालान बनाना, जाली चालान, तस्करी, नशीली दवाओं का व्यापार और विदेशी संविदाओं से कमीशन के जरिए प्राप्त होती है।

(ङ) हवाला कारोबार के बारे में आसूचना नियमित आधार पर एकत्रित और विकसित की जाती है और इन गतिविधियों में संलिप्त पाये गए व्यक्तियों के खिलाफ विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के तहत मुकदमा चलाया जाता है।

कार्य-निष्पादन-मूल्यांकन-प्रणाली

25. डॉ० मन्दा जगन्नाथ : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई०ए०एस०/आई०पी०एस० और केन्द्रीय कैडर की अन्य सेवाओं के अधिकारियों की प्रोन्नति और स्थापन के लिए वर्तमान कार्य-निष्पादन-मूल्यांकन-प्रणाली में सुधार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) पुनरीक्षित प्रणाली से श्रेणीवार कितने अधिकारियों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर विभिन्न अधिकारी संगठनों की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) अधिकारियों को अभिप्रेरित करने के प्रयोजन से, कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की अपेक्षाकृत अधिक पारदर्शी और कार्यक्षम प्रणाली विकसित करने की दृष्टि से उपर्युक्त मूल्यांकन की मौजूदा प्रणाली की व्यापक समीक्षा किए जाने की आवश्यकता महसूस की गई है। तद्नुसार, कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की अन्यत्र अपनाई जा रही प्रणाली का अध्ययन करने और अखिल भारतीय सेवाओं और बाद में, समूह "क" केन्द्रीय सेवाओं के संबंध में अपनाई जा सकने वाली, कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन की प्रणाली के बारे में सुझाव प्रस्तुत करने हेतु एक दल गठित किया गया है।

(घ) ऊपर उल्लिखित दल को सौंपे गए कार्य के सम्बन्ध में किसी भी अधिकारी-संघ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं मिली है।

[हिन्दी]

सरकारी आवासों को किराए पर देना

26. डा० रमेश चन्द तोमर : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन महीनों के दौरान सरकारी आवासों को किराए पर देने के कॉलोनीवार और क्वार्टरवार कितने मामले प्रकाश में आए हैं;

(ख) क्या ऐसे मामलों की सुनवाई विधि मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा की जाती है;

(ग) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान ऐसे कितने मामले सुनवाई के लिए आए और वर्तमान में ऐसे कितने मामले लंबित पड़े हैं;

(घ) क्या जांच के दौरान किराए पर दिए पाये गए कुछ क्वार्टर कुछ समय बाद फिर से उन्हीं आवंटितियों को दे दिए गए जिन्हें ये पहले आवंटित थे;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और ऐसे कितने क्वार्टर थे और उनके नम्बर क्या थे और वे कहां-कहां स्थित थे;

(च) क्या हाल में की गई जांच के दौरान सरकारी आवासों को किराया पर देने के मामले में फिर से वही आवंटी पकड़े गए हैं जिन्हें पहले इस आरोप से बरी कर दिया गया था; और

(छ) यदि हां, तो कॉलोनी-वार ऐसे कौन-कौन से आवंटी हैं; उनके क्वार्टर नम्बर क्या हैं और तत्संबंधी कॉलोनी-वार ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) पिछले तीन महीनों के दौरान आकस्मिक जांच के दौरान पाए गए उपकिराएदारी के मामलों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) संपदा निदेशालय के अधिकारियों द्वारा आबंटन नियमावली के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सुनवाई की जाती है विधि मंत्रालय के अधिकारी संपदा अधिकारी के रूप में सार्वजनिक

परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के तहत अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तद्नुसार पिछले दो वर्षों के दौरान 1708 मामलों में सुनवाई हुई और निपटाया गया तथा 911 मामले सुनवाई के विभिन्न चरणों में है।

(घ) से (छ) जहां प्रथम दृष्ट्या उपकिराएदारी के मामले का संदेह हो वहां संबंधित आबंटी को कारण बताओं नोटिस जारी करके पुष्टि की जाती है। कभी-कभी पर्याप्त कागजातों और सहायक साक्ष्यों की कमी के कारण मामले को स्पष्ट रूप से उपकिराएदारी का मामला साबित करना कठिन हो जाता है। तदनुसार, पिछले तीन महीनों के दौरान तथ्यों और मामलों के परिस्थितिजन्य सबूतों की पुर्नसमीक्षा के पश्चात क्वार्टर सं० डी-499, मंदिर मार्ग का निरस्तीकरण आदेश वापस लेकर उसे श्री के०एम० निगम को बहाल किया गया है। तथापि नई जांच के दौरान क्वार्टर के पुन: उपकिराएदारी पर होने की सूचना मिली है। इसलिए आबंटी के खिलाफ आबंटन नियमावली के अनुसार पुन: कार्रवाई शुरू की गई है।

विवरण

01.11.2002 से 31.01.2003 के पिछले तीन महीनों के दौरान संपदा निदेशालय द्वारा पाए गए संदेहास्पद रूप से उपकिराएदारी के क्वार्टरों की संख्या

क्र० सं०	स्थान	क्वार्टरों की संख्या	क्वार्टरों का ब्यौरा
1	2	3	4
1.	डी०आई०जेड० एरिया	3	67/117, सेक्टर III 71/180, सेक्टर III 89-एच, सेक्टर IV
2.	किदवई नगर	3	डी-508 डी-509 डी-552
3.	लांसर रोड़	2	137 179
4.	लक्ष्मीबाई नगर	1	1913
5.	मिन्टो रोड़	3	ए-9 ए-461 सी-167
6.	मन्दिर मार्ग	1	डी-499
7.	एम०बी० रोड़	2	59-ए, सेक्टर-IV 670, सेक्टर-VII
8.	मुहम्मद पुर	1	94
9.	नौरोजी नगर	1	एफ-154
10.	नेताजी नगर	1	डी-734
11.	आर०के० पुरम्	1	1078, सेक्टर-VIII
12.	शादिक नगर	1	600, सेक्टर-II
13.	सरोजनी नगर	4	एल-143 एल-149 जी-616 बी-150
14.	तिमारपुर	5 29	309, सेक्टर-IV 662, सेक्टर-IV 694, सेक्टर-IV जेड-904 जेड-993

लीज होल्ड फ्लैटों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित किया जाना

27. **श्री पदमसेन चौधरी :**
श्री रामपाल सिंह :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण को लीज होल्ड फ्लैटों को फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने हेतु वर्ष-वार कितने आवेदन प्राप्त हुए;

(ख) उक्त अवधि के दौरान आज तक डी०डी०ए० द्वारा वर्ष-वार ऐसे कितने मामले निपटाए गए और ऐसे मामलों को निपटाए न जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ऐसे फ्लैटों को लीज होल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तित करने के लिए 90 दिनों की अवधि निर्धारित की है;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान ऐसे कितने मामलों को निपटाया गया;

(ङ) निर्धारित अवधि के दौरान अधिकांश आवेदनों को निपटाए न जाने के क्या कारण हैं;

(च) इस मामले में कितने आवेदन लंबित पड़े हैं और ये कितने दिनों से लंबित पड़े हैं;

(छ) क्या सरकार को इस प्रयोजनार्थ डी०डी०ए० के अधिकारियों द्वारा रिश्वत लिए जाने की शिकायतें मिली हैं; और

(ज) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन पर क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख पिछले तीन वर्षो के दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों को लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में बदलने के लिए प्राप्त तथा निपटाए गए आवेदनपत्रों की संख्या इस प्रकार है

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्र	निपटाए गए आवेदन पत्र (इसमें पिछले वर्ष के लंबित मामले भी शामिल हैं)
2000	19.878	19,073
2001	579	6.042
2002	2.549	2.838
योग	23.006	27.953

आवेदकों द्वारा पूरे कागजात प्रस्तुत न करने अथवा बकाया राशि का भुगतान न करने के कारण लंबित आवेदन पत्रों का निपटाया नहीं जा सका।

(ग) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि लीजहोल्ड से फ्रीहोल्ड में परिवर्तन की योजना में उल्लेख है कि इस प्रकार के आवेदन पत्रों पर कार्रवाई 90 दिन के अंदर कर ली जाए बशर्ते कि आवेदकों द्वारा प्रस्तुत अपेक्षित दस्तावेज पूरे हो और बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया हो। तथापि, वर्ष 2000 के दौरान बहुत अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिसके कारण बैंकों द्वारा आवेदनपत्रों को दिल्ली विकास प्राधिकरण को भिजवाने के 90 दिन से अधिक समय लगा। 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार वर्ष 2000 के पहले के मामलों सहित 1217 मामले अधूरे दस्तावेज और बकाया राशि का भुगतान करने के कारण लंबित हैं।

(छ) और (ज) जनता से शिकायतें प्राप्त होने पर सरकार द्वारा उनकी शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण को समुचित निदेश जारी किए जाते हैं। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि उन्हें ऐसी कुछ गुमनाम/काल्पनिक नाम से शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा परिवर्तन मामले में रिश्वत लेने का आरोप लगाया गया है इन शिकायतों पर दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग द्वारा केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी०वी०सी०) के निदेशानुसार कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

जिलैटिन उत्पादन पर प्रतिबंध

28. **श्री राजैया मल्याला** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैट्रोल पार्टियों पर हमला करने के लिए नक्सलियों द्वारा बारूदी सुरंगों और खांडा सुरंगों में जिलैटिन का प्रयोग किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो जिलैटिन के उत्पादन पर तत्काल प्रतिबंध लगाने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) केन्द्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने नाइट्रो-ग्लिसरीन आधारित विस्फोटकों का उत्पादन धीरे-धीरे बंद करने के लिए कदम उठाए हैं।

खनिज भंडार

29. **श्री पी०एस० गढ़वी** :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
श्री परसुराम माझी :
श्री अनन्त नायक :

क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में खनिजों के नये भंडारों का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, स्थान-वार, खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार ने इन खनिजों के उचित उत्खनन के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(घ) किस एजेन्सी द्वारा यह कार्य क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। विगत तीन वर्षों के दौरान सरकारी एजेंसियों द्वारा अनुमानित खनिज भंडारों का राज्य-वार, स्थान-वार और खनिज-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) देश में सरकारी एजेंसियों के गवेषण कार्यक्रमों का समन्वय केन्द्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड (सी०जी०पी०बी०) द्वारा किया जाता है। सी०जी०पी०बी० भूवैज्ञानिक क्रियाकलापों में संलग्न विभिन्न विभागों और संगठनों के कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है और ऐसे विभिन्न उपायों की समीक्षा करके सरकार को परामर्श देता है जिनसे अनिवार्य खनिजों का त्वरित गवेषण सम्भव हो सके। राज्य भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड राज्य में भूवैज्ञानिक क्रियाकलापों का समन्वय और मॉनीटरिंग करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०), राज्यों के भूविज्ञान और खान निदेशालयों (डी०जी०एम०) तथा अन्य सरकारी एजेंसियों के गवेषण क्रियाकलापों में पुनरावृत्ति (डुप्लीकेशन) न हो।

(घ) देश में खनिज गवेषण का कार्य जी०एस०आई०, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम०ई०सी०एल०), विभिन्न राज्य सरकारों के डी०जी०एम० तथा प्राइवेट एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

विवरण

क्र० सं०	खनिज	मात्रा	राज्य	स्थान
1	2	3	4	5
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०)				
1.	कोयला	5041 (एम०टी०)	छत्तीसगढ़	सोहागपुर, सिंगरौली, मंड-रायगढ़ और तातापानी रामकोला कोयला क्षेत्र।
			उड़ीसा	तलचेर कोयला क्षेत्र।
			महाराष्ट्र	वर्धा घाटी कोयला क्षेत्र।
			पश्चिम बंगाल	रानीगंज और बीरभूम कोयला क्षेत्र।
			झारखंड	पूर्व बोकारो कोयला क्षेत्र।
2.	लिग्नाइट	710 (एम०टी०)	तमिलनाडु	ओराट्टांडन-पट्टुक्कोट्टारी लिग्नाइट फील्ड्स।
			गुजरात	पश्चिम तट लिग्नाइट फील्ड और कामरेज-वेमा लिग्नाइट राजपरदी-वस्तन फील्ड्स।
3.	चूनापत्थर	2871 (एम०टी०)	मेघालय	लिटांग नदी घाटी और जैंतिया हिल्स जिला।
		120 (एम०टी०)	गुजरात	पोरबंदर और जूनागढ़ जिले में शेरीयाखान, इनाज, शेपा और रिनवदा।
4.	आधारधातु	3.65 (एम०टी०)	राजस्थान	लाटियो-का-खेड़ा ईस्ट ब्लॉक, दरीबा-बेथुम्बी पट्टी का सिन्देशर खुर्द क्षेत्र।
		0.271 (एम०टी०)	मध्य प्रदेश	मुआरिया ब्लॉक, जिला बेतूल।
5.	लौह अयस्क	108 (एम०टी०)	उड़ीसा	कोइरा-पाथिरिपोसी-केंडुझर जिला और सुन्दरगढ़ जिला।
6.	मैंगनीज अयस्क	7.18 (एम०टी०)	उड़ीसा	बोलंगीर और सुन्दरगढ़ जिला।
7.	बॉक्साइट	5.804 (एम०टी०)	महाराष्ट्र	रत्नागिरी जिला।

1	2	3	4	5
8.	क्ले	223.23 (एम०टी०)	केरल	पलाई ब्लॉक-जिला कसरगढ़।
9.	रेयर अर्थ	0.109 (एम०टी०)	पश्चिम बंगाल	पुरूलिया जिला।
10.	स्वर्ण अयस्क	4.86 (एम०टी०)	आंध्र प्रदेश	दोना ईस्ट कुरनूल जिला।
		0.09 (एम०टी०)	राजस्थान	भूकिया ईस्ट-बांसवाड़ा जिला।
		3.27 (एम०टी०)	मध्य प्रदेश	गुरहर पहाड़-सिद्धी जिला।
		0.024 (एम०टी०)	केरल	कोट्टाथारा-अट्टापाधा घाटी।
		0.223 (एम०टी०)	राजस्थान	डुंगोचा-उदयपुर जिला।
खनिज गवेषण निगम लिमिटेड (एम०ई०सी०एल०)				
1.	तांबा	2.02 (एम०टी०)	राजस्थान	कालापहाड़ ब्लॉक, खेतड़ी तांबा पट्टी।
		9.25 (एम०टी०)	झारखंड	ढाडकडीह ब्लॉक, सिंहभूम तांबा पट्टी।
राज्य भूविज्ञान और खान निदेशालय (डी०जी०एम०)				
1.	आयामी पत्थर	3.73 (एम०क्यू०/एम०)	आंध्र प्रदेश	कुड्डापाह जिला।
2.	फ्लेग स्टोन	0.854 (एम०क्यू०/एम०)	छत्तीसगढ़	मटकोट, जिला बस्तर।
3.	मार्बल	2.6 (एम०टी०)	राजस्थान	गोवर्धन पुरा ग्राम, जिला अलवर।
		7.07 (एम०टी०)	महाराष्ट्र	देगना-बांदा, जिला सिन्धुरदुर।

उड़ीसा में नाल्को द्वारा पेयजल परियोजना का कार्यान्वयन

30. **श्री के०पी० सिंह देव : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के कुछ गांव राख के ढेर के गिरने के कारण प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो ततसंबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या राष्ट्रीय एल्युमिनियम कंपनी (नाल्को) द्वारा राज्य के इन क्षेत्रों में पेयजल परियोजना आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नाल्को द्वारा इस परियोजना का कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। नालको के गृहीत विद्युत संयंत्र, अंगुल के राख पाड सं० 2 के बांध के एक हिस्से में दिनांक 31.12.2000 को अचानक दरार आ जाने की वजह से नंदिरा नदी के 25 तटीय राजस्व ग्रामों की कृषि-भूमि के कुछ भाग में बाढ़ आ गई। इसका ब्यौरा निम्नानुसार है :

i.	प्रभावित हुई कुल कृषि भूमि	968 एकड़
ii.	कुल सरकारी भूमि (160 एकड़ नंदिरा नदी तल और 140 एकड़ तटीय भूमि सहित) जो प्रभावित हुई।	300 एकड़

(ग) से (ङ) जी, हां। नालको प्रभावित क्षेत्रों हेतु एक पेयजल परियोजना में मदद देने के लिए सहमत हो गया है जिसका ब्यौरा निम्नानुसार है :—

(i) यह परियोजना 13 प्रभावित ग्रामों में 30,000 लोगों को कवर करेगी।

(ii) उड़ीसा सरकार ने इस योजना को 5.72 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से तैयार किया है। इस योजना का क्रियान्वयन

उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाएगा और समस्त निर्माण लागत नालको द्वारा वहन की जाएगी।

(iii) योजना का प्रचालन और अनुरक्षण उड़ीसा सरकार द्वारा किया जाएगा।

(iv) नालको ने उड़ीसा सरकार को इस योजना के लिए अग्रिम के रूप में अब तक 1.00 करोड़ रु० की राशि दी है।

बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बी०एल०टी०) के साथ बातचीत

31. **डा० (श्रीमती) सी० सुगुणा कुमारी :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर्स (बी०एल०टी०) के मध्य बातचीत अंतिम चरण पर है और शीघ्र ही घोषणा होने की संभावना है; और

(ख) यदि हां, तो इस समझौते की मुख्य शर्तों का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) बोडो मुद्दों के स्थायी हल के लिए केन्द्र सरकार, असम सरकार और बोडो लिबरेशन टाइगर (बी०एल०टी०) के बीच 10.2.2003 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए। समझौते की मुख्य बातों में, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित शामिल हैं :–

(i) असम राज्य के भीतर बोडोलैंड टेरीटोरियल काउन्सिल (बी०टी०सी०) के नाम से एक स्वायत्त स्वशासी निकाय का सृजन और इस स्वायत्तशासी निकाय के लिए भारत के संविधान की छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक संरक्षण की व्यवस्था।

(ii) असम सरकार द्वारा बी०टी०सी० को 40 विषय उनके प्रशासन हेतु सौपना। काउन्सिल के पास उसे सुपुर्द किए गए विषयों के बारे मे विधायी, कार्यकारी, प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां होगी।

(iii) बी०टी०सी० क्षेत्रों में सामाजिक आर्थिक मूलभूत संरचना के विकास की परियोजनाओं के लिए पांच वर्षों के लिए 100 करोड़ रु० प्रति वर्ष की अतिरिक्त वित्तीय सहायता (असम राज्य के लिए सामान्य योजना सहायता के अलावा)।

समझौते में यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सुरक्षोपाय किए गए हैं कि बी०टी०सी० क्षेत्रों में गैर-आदिवासी, बी०टी०सी० के प्रारम्भ होने के समय उन्हें प्राप्त भूमि-अधिकारों सहित किसी अधिकार और सुविधाओं के संबंध में नुकसान में न रहे।

गत दशक के दौरान आई०सी०डी०एस० का कार्यान्वयन

32. **श्री अशोक ना० मोहोल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग 15 राज्य गत दशक के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना "आई०सी०डी०एस०" के कार्यान्वयन में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे राज्य कौन-कौन से हैं और उक्त योजना के कार्यान्वयन में इन राज्यों में राज्य-वार प्रगति कितनी है;

(ग) क्या सरकार के ध्यान में इस योजना के लिए निर्धारित केन्द्रीय निधि का दुरूपयोग भी आया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय विज्ञान नीति

33. **श्री राधा मोहन सिंह :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय विज्ञान नीति की घोषणा की हैं,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस नीति के मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इससे लाभान्वित होने वाले लोगों की प्रतिक्रिया क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। सरकार ने हाल ही में वैज्ञानिक उद्यम के बदलते हुए परिप्रेक्ष्य के अभिज्ञान में तथा वैश्विकरण के इस नए युग में वर्तमान राष्ट्रीय

आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से "विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003" की घोषणा की है। इस नीति में पूरी मानव जाति के हित के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में होने वाली नई-नई खोजों का सृजन एवं सज्जित करने में एक समान एवं शक्तिशाली विश्व स्तरीय खिलाड़ी के रूप में भाग लेने के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराया गया है।

(ग) इस नीति में विभिन्न उद्देश्यों को स्पष्ट किया गया है जिनमें वैज्ञानिक अभिरूचि का विकास; बुनियादी आवश्यकताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना; विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अन्त:क्षेपों एवं नेटवर्किंग के माध्यम से ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार सृजन के साथ-साथ गरीबी का उन्मूलन; अनुसंधान और विकास को प्रतिभावान युवा वैज्ञानिकों द्वारा एक कैरियर के रूप में अपनाने हेतु आकर्षित करने के लिए विश्वविद्यालयों एवं अकादमिक संस्थानों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी अवसंरचना को सुदृढ़ करना; अकादमिक और अनुसंधान तथा विकास संस्थानों में बृहत्तर लचीलेपन के साथ स्वायत्तता; विज्ञान और प्रौद्योगिकी में महिलाओं को अधिकार प्रदान करना; राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना; पारंपरिक जानकारी और इसके संरक्षण को मोल देने हेतु एस एण्ड टी अन्त:क्षेप; अन्तर्राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी सहयोग; प्रौद्योगिकी विकास, एब्सोर्पशन एवं स्तरोन्नयन के लिए कार्यतंत्र तैयार करना; एक अनुकूल एवं सहायक बौद्धिक संपदा अधिकार (आई०पी०आर०) तंत्र की स्थापना करना; उद्योग क्षेत्र सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी में निजी एवं सार्वजनिक संस्थानों के बीच निकट एवं फलदायक परस्पर विचार-विमर्श को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। इस नीति दस्तावेज का वैज्ञानिक समुदाय द्वारा काफी स्वागत किया गया है।

कोयले का उत्पादन और आपूर्ति

34. **श्रीमती निवेदिता माने :**
श्री पी०डी० एलानगोवन :
श्री टी०टी०वी दिनाकरन :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि तक नेयवेली लिग्नाइट निगम सहित कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों और अन्य कंपनियों द्वारा किये गये कोयले के उत्पादन और आपूर्ति का सहायक कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) कोयला बाहुल्य राज्यों में उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार और राज्य-वार कितने कोयले का उत्पादन किया गया और कितना कोयला बेचा गया तथा उसका मूल्य कितना था;

(ग) देश में (घरेलू और उद्योग क्षेत्र में) कोयले की औसत वार्षिक मांग कितनी थी;

(घ) क्या गत तीन वर्षों के दौरान कोयले का निर्यात और आयात बहुत अधिक रहा;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं और उक्त अवधि के दौरान वर्ष-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(च) क्या कोल इंडिया लिमिटेड अन्य देशों के साथ मिलकर नयी परियोजनाएं आरंभ करने पर विचार कर रही हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) इस उद्देश्य के लिए कौन-कौन सी खानों की पहचान की गई है और इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं;

(झ) क्या सरकार के पास कोई योजना कोयले के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने, विशेषकर मांग पूरी करने हेतु लिग्नाइट के उत्पादन को बढ़ाने की है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाए हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) पिछले 3 वर्षों में से प्रत्येक के दौरान तथा अद्यतन तिथि तक (जनवरी 2003 तक) नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन सहित सभी कम्पनियों द्वारा कोयले के उत्पादन तथा आपूर्ति (प्रेषण) का ब्यौरा विवरण-I में दिया गया है।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान उत्पादन का कुल राज्य-वार मूल्य और मात्रा विवरण-II में दी गई है।

(ग) वर्ष 2002-2003 हेतु कोयले की अखिल भारतीय मांग 363.30 मिलियन टन है।

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान निर्यात किए जाने वाले कोयले का सी०आई०एफ० मूल्य और कोयले के आयात और निर्यात का ब्यौरा इस प्रकार है :-

(आंकड़े मिलियन टन में)

वर्ष	आयात		
	कोकिंग	नॉन-कोकिंग	जोड़
1999-00	10.99	8.71	19.70
2000-01	11.06	9.87	20.93
2001-02	11.11	9.44	20.55

(मात्रा मिलियन टन में और सी०आई०एफ० मूल्य मिलियन रु० में)

निर्यात

वर्ष	कोकिंग		नॉन कोकिंग		जोड़	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
1999-00	0.77	677	0.38	506	1.16	1183
2000-01	0.62	806	0.67	873	1.29	1679
2001-02	0.88	1359	1.02	1545	1.90	2904

अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा के देशीय रूप से अनुपलब्ध/अपर्याप्त रूप से उपलब्ध होने के कारण; अस्सी के दशक के आरम्भ से एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है। नब्बे के दशक के आरम्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ, उपभोक्ताओं द्वारा निम्न हेतु नान-कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है – (i) देशीय कोयले के साथ मिश्रण किए जाने के द्वारा उपयोग में लाए जाने हेतु और पर्यावरणीय विचार से भी, तथा (ii) स्थल- विशिष्ट अवतरित लागत के विचार से। चूंकि कोयला और कोयला उत्पादों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अंतर्गत रखा गया है, उपभोक्ता पर कोयले को आयात करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

(च) से (ज) चेन्नई में 29 जनवरी, 2003 को आयोजित नौवें भारत-ब्रिटिश कोयला मंच के दौरान, ई०सी०एल० और बी०सी० सी०एल० प्रत्येक की 2 परियोजनाओं को द्विपक्षीय सहयोग के लिए निर्दिष्ट किया गया था जो इस प्रकार है :–

(i) ई०सी०एल० की मिलेनियम और कोटाडीट परियोजनाएं

(ii) बी०सी०सी०एल० की धनसेर और कुइया परियोजनाएं

दोनों पक्ष परियोजनाओं को द्विपक्षीय आधार पर समर्थन देने पर सहमत हो गए। यू०के० पक्ष से परियोजना विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। कैनेडियन कमर्शियल कारपोरेशन (सी०सी०सी०) ने अपनी कार्यान्वयन एजेन्सी मैट-चैम के माध्यम से ई०सी०एल० की राजमहल ओपनकास्ट परियोजना के 10 मिलियन टन से 17 मिलियन टन प्रति वर्ष में विस्तार हेतु एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो ई०सी०एल०/सी०आई०एल० की जांच के अंतर्गत है।

(झ) और (ञ) कोयले तथा लिग्नाइट के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए उठाए गए कदमों में नई परियोजनाओं को शुरू करना/नई खानें खोलना, विद्यमान खानों का आधुनिकीकरण/विस्तार, प्रौद्योगिकी का उन्नयन/उत्पादकता में वृद्धि, आदि शामिल है।

विवरण-I

(आंकड़े मिलियन टन में)

कम्पनी	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अनंतिम) (अप्रैल, 02–जनवरी, 03)
1	2	3	4	5
		कोयला		
ई०सी०एल०	25.124	28.030	28.552	20.778
बी०सी०सी०एल०	27.896	25.969	25.252	18.842
सी०सी०एल०	32.402	31.746	33.806	28.941
एन०सी०एल०	38.428	41.400	42.462	36.895
डब्ल्यू०सी०एल०	33.860	35.200	37.009	31.488
एस०ई०सी०एल०	58.750	60.331	64.120	53.877
एम०सी०एल०	43.554	44.803	47.805	42.468
एन०ई०सी०	0.572	0.660	0.640	0.486
सी०आई०एल०	260.586	268.139	279.646	233.775

1	2	3	4	5
एस०सी०सी०एल०	29.556	30.274	30.811	27.492
बी०एस०एम०डी०सी०एल०	0.286	0.400	0.558	0.361
डी०वी०सी०	0.371	0.374	0.335	0.088
इस्को	1.034	1.242	1.140	0.785
जे०के०एम०एल०	0.028	0.033	0.035	0.026
बी०ई०सी०एम०एल०	2.165	2.411	2.911	2.587
जे०एस०पी०एल०	0.781	1.416	1.549	1.651
मेघालय	4.060	4.065	5.149	3.561
टिस्को	5.236	5.342	5.653	4.929
भारत	**304.103**	**313.696**	**327.787**	**275.255**
		लिग्नाइट		
एन०एल०सी०	17.552	18.172	18.369	14.410

पिछले 3 वर्षों के दौरान तथा अद्यतन तिथि तक कम्पनी द्वारा कच्चे कोयले तथा लिग्नाइट (एन०एल०सी०) की आपूर्ति (प्रेषण)

(आंकड़े मिलियन टन में)

कम्पनी	1999-2000	2000-2001	2001-2002	2002-2003 (अनंतिम) (अप्रैल, 02—जनवरी, 03)
1	2	3	4	5
		कोयला		
ई०सी०एल०	25.894	27.774	27.804	21.659
बी०सी०सी०एल०	28.583	25.683	24.696	17.851
सी०सी०एल०	32.539	32.631	33.064	30.098
एन०सी०एल०	39.182	42.058	42.684	36.386
डब्ल्यू०सी०एल०	34.628	35.213	38.027	31.288
एस०ई०सी०एल०	57.576	60.443	64.860	56.044
एम०सी०एल०	42.080	47.302	49.030	42.407
एन०ई०सी०	0.821	0.760	0.620	0.461
सी०आई०एल०	**261.303**	**271.864**	**280.785**	**236.194**

1	2	3	4	5
एस०सी०सी०एल०	29.745	30.314	31.043	27.713
बी०एस०एम०डी०सी०एल०	0.282	0.398	0.560	0.366
डी०वी०सी०	0.352	0.381	0.325	0.114
इस्को	1.011	1.258	1.133	0.829
जे०के०एम०एल०	0.022	0.034	0.026	0.021
बी०ई०सी०एम०एल०	2.179	2.405	2.913	2.490
जे०एस०पी०एल०	0.781	1.416	1.549	1.651
मेघालय	4.060	4.065	5.149	3.561
टिस्को	5.194	5.338	5.658	4.929
भारत	**304.929**	**317.473**	**329.141**	**277.868**
		लिग्नाइट		
एन०एल०सी०	16.931	18.799	18.071	14.839

विवरण-II

पिछले 3 वर्षों के दौरान कोयले के वर्ष-वार और राज्य-वार उत्पादन की तुलना में मूल्य

(उत्पादन आंकड़े मिलियन टन में)
(मूल्य मिलियन रुपए में)

राज्य	1999-2000		2000-2001		2001-2002	
	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य	उत्पादन	मूल्य
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	29.556	26356.6	30.274	27841.5	30.811	29425.3
असम	0.572	599.8	0.660	529.0	0.640	837.8
छत्तीसगढ़	0	0	0	0	53.621	28688.0
झारखण्ड	76.533	43279.5	75.416	45332.7	76.813	41807.4
जम्मू और कश्मीर	0.028	19.8	0.033	67.0	0.035	16.0
मध्य प्रदेश	7.901	59695.0	92.730	55391.3	44.156	31704.8
महाराष्ट्र	27.698	19443.0	28.754	21019.2	30.830	22854.4
मेघालय	4.060	4257.3	4.065	2540.6	5.149	3218.1

1	2	3	4	5	6	7
उड़ीसा	43.554	15225.3	44.803	17367.5	47.805	19091.6
उत्तर प्रदेश	16.220	10193.0	16.863	12168.3	16.533	14261.3
पश्चिम बंगाल	17.981	18344.0	20.098	21262.6	21.394	24574.9
अखिल भारतीय	304.103	197413.3	313.696	203519.7	327.787	216479.6

टिप्पणी : (1) उपर्युक्त मूल्य कंपनियों द्वारा सूचित उत्पादन का मूल्य है।
(2) मेघालय कोयले का पिट हैड मूल्य अनुमानित किया गया है।

[अनुवाद]

उर्वरकों का उत्पादन

35. श्री सुनील खां :
श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान भारत में उर्वरकों की कुल मांग की तुलना में वर्ष वार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) उर्वरक इकाइयों को हाल ही में बंद किये जाने के पश्चात् सरकार इनकी मांग को किस प्रकार पूरा करने जा रही है;

(ग) उर्वरक का उत्पादन करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा क्या है और उनकी संस्थापित क्षमता एवं वास्तविक उत्पादन कितना है; और

(घ) सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के माध्यम से उर्वरकों के अधिक उत्पादन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) गत पांच वर्ष के दौरान भारत में पोषक के रूप में उर्वरकों वर्षवार उत्पादन एवं मांग/खपत निम्नानुसार रहा है :–

(लाख मी० टन)

वर्ष	उर्वरक उत्पादन		मांग/खपत		
	नाईट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)	नाईट्रोजन (एन)	फास्फेट (पी)	पोटाश (के)
1	2	3	4	5	6
1997–98	100.86	29.76	109.00	39.15	13.73
1998–99	104.80	31.44	113.54	41.12	13.32
1999–2000	108.90	33.99	115.92	47.99	16.78
2000–01	109.61	37.43	109.22	42.15	15.67
2001–02	107.68	38.60	113.11	43.82	16.67

देश में वाणिज्यिक रूप से दोहन योग्य ज्ञात भंडार की अनुपस्थिति में पोटाश की सम्पूर्ण मात्रा आयात द्वारा पूरी की जाती है।

(ख) रुग्न उर्वरक इकाइयों के बंद होने के कारण देश में अभी उर्वरकों की कोई कमी नहीं है क्योंकि इनमें से अधिकांश इकाईयां गत कुछ वर्षों से प्रचालन में नहीं थी।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की उर्वरक उत्पादक इकाईयों का विवरण उनकी स्थापित क्षमता और वास्तविक क्षमता उपयोग सहित संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों के प्रचालन में सुधार के लिए किए गये उपाय :

उर्वरक उद्योग विशेषकर यूरिया उत्पादक स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने में मुख्यत: दो कारणों से समस्या का सामना कर रहे हैं। प्रथमत: विशेष रूप से गैस आधारित यूरिया संयंत्रों जैसे आर०सी०एफ०-थाल एवं कृभको हजीरा के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में परिसीमन और दूसरे पुराने संयंत्रों का बारंबार बंद होना/ खराब होना। यूरिया उद्योग को पर्याप्त एवं अच्छी गुणवत्ता वाली गैस उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक विभाग ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध किया है। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को गैस की घरेलू उपलब्धता की समस्या के समाधान के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल०एन०जी०) और/या प्राकृतिक गैस के भावी आपूर्तिकर्त्ताओं से दीर्घावधि समझौता करने की सलाह दी गई है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों सहित अनेक यूरिया इकाइयों ने वैकल्पिक फीड की सम्पूर्ति के लिए

नेफ्था की दोहरी ईंधन सुविधा स्थापित की हैं प्रतिधारण-सह-राजसहायता योजना के तहत पूंजी वृद्धि को मान्यता दी जा रही है ताकि इन इकाईयों को उपकरण खराबियों आदि पर काबू पाने के लिए मौजूदा संयंत्रों का विस्तार/रेट्रो-फिटिंग/पुनरूद्धार करने उनकी दक्षता में सुधार करने के लिए निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अपने प्रचलनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार के लिए निम्नांकित उपाय किए जा रहे हैं।

1. 509.40 करोड़ रु० की लागत पर ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लि० की नामरूप इकाईयों का पुनरूद्धार क्रियान्वयनाधीन है और मई, 2003 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

2. भारत सरकार ने फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि० एवं मद्रास फर्टिलाइजर्स लि० को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्रमशः मार्च, 2002 और जुलाई, 2002 में वित्तीय राहत प्रदान की है।

3. पूंजी निवेश, प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण, नवीनीकरण एवं प्रतिस्थापन इत्यादि करने के लिए उन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को योजनागत सहायता प्रदान की जा रही है जो आन्तरिक संसाधन जुटाने में असमर्थ है।

4. अपने संयंत्रों के बेहत्तर एवं दक्ष प्रचालन के लिए आन्तरिक संसाधन जुटाने हेतु वित्तीय अनुशासन लाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा अनेक लागत कटौती उपाय किए गये हैं।

विवरण

वर्ष 1997-98 से 2001-02 तक उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की पोषक के रूप में वार्षिक स्थापित क्षमता एवं प्रतिशत क्षमता उपयोग :

सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों/इकाई का नाम	वार्षिक स्थापित क्षमता (000 मी० टन) (31.3.02 को)	% क्षमता उपयोग 2001-02
1	2	3
नाइट्रोजन		
एफ०सी०आई० : सिंदरी आधुनिकीकरण	151.8	3.1
एफ०सी०आई० : गोरखपुर*	0.0	0.0
एफ०सी०आई० : रामागुण्डम*	0.0	0.0
एफ०सी०आई० : तालचर*	0.0	0.0
एन०एफ०एल० : नांगल-I	80.0	13.0
एन०एफ०एल० : नांगल-II	227.7	95.9
एन०एफ०एल० : भटिंडा	235.3	100.5
एन०एफ०एल० : पानीपत	235.3	100.0
एन०एफ०एल० : विजयपुर	392.6	100.0
एन०एफ०एल० : विजयपुर विस्तार	392.6	100.0
बी०वी०एफ०सी०एल० : नामरूप-I*	0.0	0.0
बी०वी०एफ०सी०एल० : नामरूप-II*	0.0	0.0
बी०वी०एफ०सी०एल० : नामरूप-III*	151.8	19.5
बी०वी०एफ०सी०एल० : दुर्गापुर*	0.0	0.0
बी०वी०एफ०सी०एल० : बरौनी*	0.0	0.0
एफ०ए०सी०टी० : उद्योगमंडल	77.0	114.1
एफ०ए०सी०टी० : कोचीन-I	151.8	6.7
एफ०ए०सी०टी० : कोचीन-II	97.0	127.7
आर०सी०एफ० : ट्राम्बे	45.0	117.1
आर०सी०एफ० : ट्राम्बे-IV	75.1	74.4
आर०सी०एफ० : ट्राम्बे-V	151.8	11.9
आर०सी०एफ० : थाल	683.1	97.7
एम०एफ०एल० : चेन्नई	366.7	62.9
पी०पी०एल० : पारादीप #	129.6	31.8
फास्फेट		
एफ०ए०सी०टी० : उद्योगमंडल	29.7	139.4
एफ०ए०सी०टी० : कोचीन-II	97.0	127.7
आर०सी०एफ० : ट्राम्बे	45.0	117.1
आर०सी०एफ० : ट्राम्बे-IV	75.1	74.4

1	2	3
एम०एफ०एल० : चेन्नई	142.8	69.5
पी०पी०एल० : पारादीप #	331.2	30.9
पी०पी०सी०एल० : अमझोर*	42.2	0.0
पी०पी०सी०एल० : सलादीपुरा*	15.8	0.0

*बंद इकाई

#28.2.2002 को विनिवेशित।

बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ

36. **श्री श्रीनिवास पाटील :**
श्री अम्बरीश :
श्री किरीट सौमैया :
श्री वाई०वी० राव :
डा० बी०बी० रमैया :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :
श्री मोइनुल हसन :
श्री विकास चौधरी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आतंकवादी और घुसपैठिये आतंकवादी गतिविधियां चलाने और घुसपैठ के लिए भारत बांग्लादेश सीमा का दुरूपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर भारत-बांग्लादेश सीमा पर हाल ही में तनाव बढ़ गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा भारत-बांग्लादेश सीमा पर तनाव कम करने तथा घुसपैठियों को वापस भेजने और घुसपैठ को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) रिपोर्टों के अनुसार, बांग्लादेशी राष्ट्रिक भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने के लिए सुभेद्य भारत बांग्लादेश सीमा का प्रयोग करते हुए पाए गए हैं। सुभेद्य सीमा भी पूर्वोत्तर उग्रवादियों को विद्यटनकारी गतिविधियां चलाने के लिए सीमापार से आवागमन के लिए घुसपैठ करने/बाहर निकलने घुसपैठ का आसान तथा सुरक्षित गार्ग प्रदान करती है।

(ग) और (घ) 31 जनवरी, 2003 को पं० बंगाल के कूच बिहार जिले के सातगाछी सीमाचौकी के क्षेत्र में 213 बांग्लादेशी राष्ट्रिकों का एक ग्रुप, जिसमें 68 महिलाएं तथा 80 बच्चे थे, भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने का प्रयास करते समय सीमा सुरक्षा बल द्वारा रोक लिया गया था। इस संबंध में स्वीकृत प्रक्रिया के अनुसार बांग्ला देश राइफल्स द्वारा इन्हें वापस लेने से इंकार करने पर वे जीरो लाइन पर फंस गए। इससे सीमा पर तनाव हो गया। अनेक कूटनीतिक पहलों तथा बांग्लादेश सरकार पर दबाव बनाए जाने के परिणामस्वरूप ये लोग अन्तत: 5 फरवरी, 2003 को वापस बांग्लादेश लौट गए।

(ङ) सरकार ने समय-समय पर अवैध आप्रवासन के मामले को बांग्लादेश सरकार के साथ उठाया है तथा इस संबंध में उनका सहयोग मांगा है। बांग्लादेश सरकार से अवैध आप्रवासियों को वापस लेने के स्वीकृत तौर-तरीकों का अनुसरण करने का भी अनुरोध किया गया है। इसी बीच, सरकार ने घुसपैठ रोकने के लिए भारत बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लागाने की परियोजनाओं को मंजूरी दी है, जिस पर कार्य चल रहा है। इसके अलावा भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ रोकने के लिए अतिरिक्त बलों की तैनाती करके सीमा चौकियों के बीच के अंतर को कम करने, नाइट विजन उपकरण प्रारंभ करने तथा गश्त बढ़ाने आदि सहित अनेक कदम भी उठाए गए हैं।

आंध्र प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना

37. **श्री गंता श्रीनिवास राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश में बालिका समृद्धि योजना की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इस राज्य में और देश के अन्य भागों में इस योजना का प्रचार करने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) वर्ष 1997 में बालिका समृद्धि योजना के प्रारंभ से ही यह योजना आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, अब तक इस स्कीम के अंतर्गत राज्य में 2,32,234 बालिकाओं को लाभ पहुंचाया जा चुका है।

(ख) और (ग) पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से इस स्कीम का व्यापक प्रचार किया जा रहा है। आन्ध्र प्रदेश में जन्म भूमि कार्यक्रम के दौरान सभी ग्राम सभाओं में कलाजत्था (स्थानीय लोक नृत्यों) के माध्यम से तथा पत्र-पत्रिकाओं के माध्यम से इस स्कीम पर व्यापक चर्चा की गई।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड (सी०आई०एल०) द्वारा कोयले का वार्षिक उत्पादन

38. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सूशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लिमिटेड अच्छी गुणवत्ता वाले कोयले का उत्पादन भी करता है;

(ख) यदि हां, तो इसका औसत वार्षिक उत्पादन कितना है;

(ग) इस प्रकार के कोयले में कितने प्रतिशत राख पायी जाती है; और

(घ) देश में ऐसे कोयले का उपभोक्ता मूल्य क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) कोयले की गुणवत्ता को उच्च अथवा निम्न के रूप में श्रेणीकृत नहीं किया जाता है। सरकार की अधिसूचना के अनुसार कोयले को ग्रेड दिया जाता है जहां विभिन्न ग्रेड के लिए पैरामीटर दिए होते हैं। कोकिंग कोल तथा गैर-कोकिंग कोयले के ए०बी० और सी० ग्रेडों को बेहतर ग्रेड/अच्छी गुणवत्ता वाला कोयला समझा जाता है। कोल इंडिया लि० उपरोक्त ग्रेडों/प्रकारों के कोयले का उत्पादन कर रहा है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वार्षिक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :–

(मिलियन टन में)

ग्रेड		1999-2000	2000-2001	2001-2002
1		2	3	4
कुल कोकिंग		27.248	25.008	22.119
बेहतर गैर-कोकिंग	ग्रेड-ए	3.559	3.548	3.410
	ग्रेड-बी	20.348	20.151	21.852
	ग्रेड-सी	38.714	41.198	37.225
कुल कोकिंग + बेहतर गैर-कोकिंग		89.869	89.905	84.606

(ग) कोयले का ग्रेड तथा उसमें राख तत्व नीचे दिए अनुसार है :–

कोकिंग कोयला

ग्रेड	राख की मात्रा
इस्पात ग्रेड-I	15% से अधिक नहीं
इस्पात ग्रेड-II	15% से अधिक लेकिन 18% से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-I	18% से अधिक लेकिन 21% से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-II	21% से अधिक लेकिन 24% से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-III	24% से अधिक लेकिन 28% से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-IV	28% से अधिक लेकिन 35% से अधिक नहीं

नॉन कोकिंग कोयला

ग्रेड	तदनुवर्ती राख % + एम% (60% आर०एच० तथा 40 डिग्री से०)
ए	19.5 से अधिक नहीं
बी	19.6 से 23.8 तक
सी	23.9 से 28.6 तक

नार्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स के कोयले के संबंध में "ए" तथा "बी" दो ग्रेड हैं। तदनुरूपी यू०एच०वी० तथा राख और नमी प्रतिशत निम्नवत है :–

ग्रेड	यू०एच०वी० रेन्ज/ कि०कैलो०/के०जी०	राख तथा नमी प्रतिशतता
ए	62000-6299	18.85-19.57
बी	5600-6199	19.58-23.91

(घ) विभिन्न श्रेणी के कोयले के मूल्य निम्नानुसार है :–

कोयला कंपनी के नाम	कोयला तथा नॉन कोकिंग कोयला का ग्रेड		
	ए	बी	सी
ईस्टर्न कोलफील्ड्स	1450	1370	1170
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० नॉन-लांग फ्लेम कोयला	1177	1059	870
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (एस०पी० माइन्स)	1628	1447	1211
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० (मुगमा)	1345	1197	1000
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	1110	1040	890
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि० नॉन-लांग फ्लेम कोयला	1000	940	810
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स	940	880	750
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०*	1330	1203	1006
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०**	1248	1129	994
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	1166	1049	862
भारत कोकिंग कोल लि०	1135	1030	847
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० लांग-फ्लेम कोयला	1147	1039	867
नार्दर्न कोलफील्ड्स लि० नॉन-लॉंग फ्लेम कोयला	1072	964	792
महानदी कोलफील्ड्स लि० लॉंग फ्लेम कोयला	979	885	740
महानदी कोलफील्ड्स लि० नॉन-लॉंग फ्लेम कोयला	912	819	674
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	1148	1083	1012

कोयला कंपनी का नाम	कोयला का ग्रेड – कोकिंग कोयला					
	एस०जी०-I	एस०जी०-II	डब्ल्यू०जी०-I	डब्ल्यू०जी०-II	डब्ल्यू०जी०-III	डब्ल्यू०जी०-IV
भारत कोकिंग कोल लि०	1970	1650	1440	1200	900	830
भारत कोकिंग कोल लि०	–	–	1337	1107	819	762
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	–	–	1575	1305	964	896
सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि०	–	–	1351	1120	828	771
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि०	–	–	970	880	–	–

*बचरा, चुरी, भुरकुंडा (संगम परियोजना), सौदा, सौंदा-डी-भूमिगत तथा अरगदा नामक कोलियरियों के संबंध में मूल्य।

**भुरकुंडा, सेन्ट्रल सौंदा, सयाल – डी, उरीमरी, नार्थ उरीमरी, हिन्दगिर, सिरका, गिडी-ए, गिडी-सी, रिलीगोरा, राजहरा, हुरीलॉंग, पिपरवार, क़रमा तथा कुजु नामक कोलियरियों के संबंध में मूल्य।

[अनुवाद]

खनिजों की खोज के लिए उपग्रही/हवाई सर्वेक्षण

39. **श्री टी०टी०वी० दिनाकरन :** क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कतिपय खनिजों की पहचान/खोज के लिए उपग्रह सर्वेक्षण और हवाई फोटोग्राफी का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक खोजे गये खनिजों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में खनिज खानों का पता लगाने हेतु इस प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी हां, देश में खनिज निक्षेपों के लिए अनुकूल उपयुक्त संरचनाओं का पता लगाने हेतु उपग्रह इमेजरी, हवाई फोटोग्राफी और बहु-संवेदी हवाई सर्वेक्षण का सहायक उपकरण के रूप में सफलतापूर्वक उपयोग किया गया है।

(ग) सुदूर संवेदी आंकड़ों तथा हवाई सर्वेक्षणों के बाद किए गए फील्ड परीक्षणों पर आधारित खोजे गए खनिजों का राज्यवार और स्थानवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नहीं। वर्तमान में तमिलनाडु में हवाई भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

राज्य	खनिज	स्थान
1	2	3
राजस्थान	सीसा (लेड) और जस्ता (जिंक)	देदवास-देवपुरा क्षेत्र, जिला भीडवाड़ा। कयेर जिंक और लेड निक्षेप
	तांबा (कॉपर)	खेतड़ी कॉपर बैल्ट। अकोला-दरिबा कॉपर प्रोजेक्ट, जिला चित्तौड़गढ़
झारखंड	तांबा (कॉपर)	बहरगौडा
आंध्र प्रदेश	सीसा (लेड) और जस्ता (जिंक)	गोल्लापल्ली
महाराष्ट्र	जस्ता (जिंक)	कोलारी
	तांबा (कॉपर)	रन मंगली और थूटनबोरी साकोली बेसिन
कर्नाटक	स्वर्ण	कोलार गोल्ड फील्ड
उड़ीसा	स्वर्ण	रायबोंगा – बिरमित्रापुर जिला – सुन्दरगढ़

आई०डी०पी०एल० इकाइयों में स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना

40. **श्री अजय चक्रवर्ती :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड (आई०डी०पी०एल०) की विभिन्न इकाइयों में अधिकांश कामगारों ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (वी०आर०एस०) को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो आई०डी०पी०एल० की प्रत्येक इकाई में अधिकारियों सहित कर्मचारियों की संख्या कितनी है और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना को कितने कर्मचारियों और अधिकारियों ने स्वीकार किया है और कितनों ने इसे स्वीकार नहीं किया है;

(ग) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना की शर्तें क्या हैं और इसे कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है; और

(घ) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रस्ताव को स्वीकार न करने वाले कर्मचारियों की स्थिति क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कुल 6592 कर्मचारियों में से 6531 ने वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार आई०डी०पी०एल० में हाल ही में प्रारंभ की गई स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखायी है। स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाने वाले कर्मचारियों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। वी०आर०एस० के तहत इन कर्मचारियों का विलगन आई०डी०पी०एल० में धनराशियों की उपलब्धता पर निर्भर करता है। इस उद्देश्यार्थ भारत सरकार द्वारा 150 करोड़ रु० दिए जा चुके हैं।

(घ) स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना को अन्य बातों के साथ-साथ इस स्पष्टीकरण के साथ प्रारंभ किया गया है कि जो कर्मचारी इस अवधि के अन्दर स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें भविष्य में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना नहीं दी जा सकती है, और छटनी मुआवजा ही उनके लिए लागू होगा। तथापि, कंपनी और शेष कर्मचारियों का भविष्य औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा दिए जा रहे प्रबंधन में परिवर्तन के द्वारा पुनरुद्धार पर निर्भर करेगा।

विवरण

आई०डी०पी०एल० की प्रत्येक इकाई में अधिकारियों समेत कर्मचारियों की संख्या निम्नलिखित है :–

क्रम सं०	कुल जनशक्ति	वी०आर०एस० लेने वाले	जिन्होंने आवेदन नहीं किया
1. ऋषिकेश प्लांट	2137	2104	33
2. हैदराबाद प्लांट	2836	2823	13
3. गुड़गांव प्लांट	538	534	4
4. विपणन डिविजन (आरएसओज)	541	535	6
5. मुख्यालय	105	105	—
6. आईडीपीएल (तमिलनाड़) लि०	239	237	2
7. बीओडीसीएल, मुजफ्फरपुर	196	193	3
कुल	6592	6531	61

[हिन्दी]

झारखंड में माओवादी गतिविधियां

41. **श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :**
श्री सुन्दर लाल तिवारी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को झारखंड में माओवादियों द्वारा विद्यालय चलाये जाने की जानकारी है जिससे उनकी संख्या में वृद्धि हो रही है;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां माओवादी और अन्य आतंकवादी संगठन ऐसे विद्यालय चला रहे हैं; और

(ग) सरकार ने ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) माओवादियों द्वारा स्कूल चलाने के संबंध में कोई सूचना अभी तक सरकार के ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राज्य सरकार ने अपनी पुलिस को कड़ी निगरानी रखने के निदेश दिए हैं।

[अनुवाद]

उड़ान की अनुमति

42. **श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :**
श्री सी० श्रीनिवासन :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 29 जनवरी, 2003 के 'दि हिन्दुस्तान टाइम्स' में ''मिनिस्टर महाजन फ्लू इन बैन्स फेस-एम०एच०ए० अलाइड फ्लाइड डेस्पाइट सिक्योरिटी क्वारेन्टाइन'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा सिक्योरिटी क्वारेनटाइन के बावजूद किन परिस्थितियों में अनुमति प्रदान की गयी है; और

(घ) इस गैर नियत उड़ान को अनुमति प्रदान करने के दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) तत्कालीन केन्द्रीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार मंत्री को ले जाने वाली दिल्ली से हैदराबाद की उड़ान नियमानुसार क्लीयर की गई थी तथा ऐसी उड़ान को अनुमति देने में कोई अनियमितता नहीं हुई।

प्रतिबंधित औषधि की बिक्री

43. **श्री राम नायडू दग्गुबाटि : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लगभग सभी देशों में प्रतिबंधित की जा चुकी निमेसुलाइड औषधि के विनिर्माण हेतु भारतीय बाजार पाटन और बिक्री का स्थान बना हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो भारत के औषधि नियंत्रक द्वारा इस दवा की विश्वसनीयता की पुष्टि और विशेषकर बच्चों में इसकी प्रतिक्रिया हेतु क्या कदम उठाये गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) निमेसुलाइड पर लगभग सभी देशों में प्रतिबंध नहीं है। मात्र स्पेन, टर्की तथा फिनलेंड में निमेसुलाइड के प्रयोग में रोक लगाए जाने की सूचना है। निमेसुलाइड, एक गैर-स्टेराइडयुक्त प्रदाहरी औषधि (एन०एस०ए०आई०डी०), का प्रयोग भारत सहित 50 देशों में किया जाता है तथा यह अत्यधिक दर्द/प्रदाह तथा ज्वर के लिए है। भारत में, इसे 1995 में अनुमोदित किया गया था तथा यह एक नुस्खा औषधि है।

(ख) बच्चों पर इसके प्रयोग सहित निमेसुलाइड से सुरक्षा से संबंधित मामलों पर विचार विमर्श करने के लिए औषध तकनीकी सलाहकार बोर्ड की विशेषज्ञ (उप-समिति) द्वारा एक विस्तृत जांच की गई है। संपूर्ण देश के 20 से भी अधिक विशेषज्ञ बाल चिकित्सक तथा भारतीय बाल चिकित्सक अकादमी (आई०ए०पी०) से परामर्श किया गया था। अधिकांश विशेषज्ञों ने निमेसुलाइड की विश्वसनीयता तथा देश में बच्चों पर इसके किसी भी प्रकार का घातक प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने की पुष्टि की है।

गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिये दिशा-निर्देश

44. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की संख्या निर्धारित करने हेतु राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश जारी किये हैं और राज्यों से कहा है कि वे इस सीमा को पार न करें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे वाले कितने परिवार निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या कुछ राज्य सरकारों ने गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों की संख्या बढ़ाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, हां।

(ख) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सलाह दी थी कि वे मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ देने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की पहचान इस प्रकार करें कि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पता लगाए गए व्यक्तियों की कुल संख्या उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से अधिक न हो, जैसा कि योजना आयोग द्वारा अनुमान लगाया गया है और जिसके आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। बी०पी०एल० परिवारों के लिए और अधिक लाभ सुनिश्चित करने के लिए यह अधिकतम सीमा दी गई थी।

(ग) प्रत्येक राज्य में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले निर्धारित परिवारों की संख्या विवरण में दर्शाई गई है।

(घ) जी, हां।

(ङ) राजस्थान और केरल राज्य सरकारों ने केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है कि वे बी०पी०एल० परिवारों की निर्धारित अधिकतम सीमा को वापस ले लें।

(च) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब निर्णय लिया है कि बी०पी०एल० जनगणना, 2002 में पहचाने गए व्यक्तियों की संख्या 1999-2000 के लिए योजना आयोग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के लिए गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की अनुमानित संख्या या योजना आयोग द्वारा परिकलित समायोजित अंश के अनुसार व्यक्तियों की संख्या, इनमें से जो भी अधिक हो, से अधिक न हो। अस्थायी गरीबों के लिए अतिरिक्त 10 प्रतिशत की अनुमति दी गई है।

विवरण

वर्ष 1999-2000 के दौरान राज्यवार ग्रामीण गरीबी अनुपात

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण गरीबी अनुपात (प्रतिशत)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	11.05
2.	अरूणाचल प्रदेश	40.04
3.	असम	40.04
4.	बिहार	44.30
5.	गोआ	1.35

1	2	3
6.	गुजरात	13.17
7.	हरियाणा	8.27
8.	हिमाचल प्रदेश	7.94
9.	जम्मू व कश्मीर	3.97
10.	कर्नाटक	17.38
11.	केरल	9.38
12.	मध्य प्रदेश	37.06
13.	महाराष्ट्र	23.72
14.	मणिपुर	40.04
15.	मेघालय	40.04
16.	मिजोरम	40.04
17.	नागालैंड	40.04
18.	उड़ीसा	48.01
19.	पंजाब	6.35
20.	राजस्थान	13.74
21.	सिक्किम	40.04
22.	तमिलनाडु	20.55
23.	त्रिपुरा	40.04
24.	उत्तर प्रदेश	31.22
25.	प० बंगाल	31.85
26.	अंडमान निकोबार द्वीप समूह	20.55
27.	चंडीगढ़	5.75
28.	दादर व नागर हवेली	17.57
29.	दमन व द्वीव	1.35
30.	दिल्ली	0.40
31.	लक्षद्वीप	9.38
32.	पांडिचेरी	20.55
	कुल	27.09

बेघर लोगों के लिए आश्रय

45. श्री सुरेश कुरूप : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2003 में कड़ाके की ठंड के कारण शहरों में राज्यवार कितने लोगों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या सरकार के पास कड़ाके की ठंड के दौरान शहरी क्षेत्रों में बेघर लोगों हेतु घिरे हुए छत वाले आश्रय की न्यूनतम जरूरत सुनिश्चित करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) यह सूचना नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) महानगरों (मेट्रोपॉलिटन) तथा अन्य शहरों में बरसात और जाड़े जैसी विपरीत मौसम परिस्थितियों के कारण शहरी फुटपाथ-वासियों को होने वाली परेशानियों को कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1988-89 से "शहरी क्षेत्रों में फुटपाथ वासियों के लिए आश्रय और सफाई सुविधायें" नामक एक केन्द्र प्रायोजित स्कीम चल रही है। फुटपाथ वासियों या वेघर लोगों के जमाव वाले सभी शहरी केन्द्रों को शामिल करने के लिए अगस्त, 1992 में इस स्कीम को संशोधित किया गया। यह स्कीम मांग-मूलक है और इसका कार्यान्वयन राज्य सरकारों या स्थानीय म्युनिसिपल निकायों या स्वैच्छिक संस्थानों सहित राज्य द्वारा प्रायोजित/अनुशंसित एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है। स्कीम को निम्नलिखित घटकों के साथ अक्टूबर 2002 में और संशोधित किया गया है :–

(i) केन्द्र सरकार संयुक्त रैन बसेरों के निर्माण हेतु निर्माण लागत के 50% की दर से सब्सिडी मुहैया करायेगी जबकि रैन बसेरे के प्रत्येक बिस्तर के लिए अधिकतम सीमा 20,000/-रु० होगी। शेष राशि हड़को (वैकल्पिक) या किसी अन्य संगठन/संस्थान से ऋण के रूप में ली जायेगी या एजेंसी को स्वयं अंशदान करना होगा। यदि एजेंसो द्वारा ऋण मांगा जाये तो ऋण की राशि की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी।

(ii) राज्य सरकारे/कार्यान्वयन एजेंसियां भूमि/स्थान/नवीकरण के लिए मौजूदा भवन उपलब्ध करायेंगी तथा बसेरों का पूर्ण रखरखाव करेंगी। भूमि/स्थान राज्य सरकारों या शहरी स्थानीय निकायों/अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा। यदि उपयुक्त भूमि के अधिकग्रहण की आवश्यकता होती है तो भूमि अधिग्रहण के लिए हड़को ऋण उपलब्ध करायेगा।

तिहाड़ जेल में स्वास्थ्य संबंधी सुविधायें

46. **श्री अम्बरीश :** क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिहाड़ केन्द्रीय कारागार में गत तीन वर्षों के दौरान अपर्याप्त चिकित्सा के कारण वर्षावार कितने कैदियों की मृत्यु हुई;

(ख) क्या तिहाड़ केन्द्रीय कारागार में भेजे जाने से पहले सभी कैदियों की चिकित्सीय जांच की जाती है;

(ग) यदि हां, तो क्या ऐसे कैदियों का चिकित्सीय रिकार्ड तैयार किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या लगातार चिकित्सीय जांच वाली बीमारियों से पीड़ित कैदियों की समय-समय पर जांच की जाती है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(झ) सरकार द्वारा जेलों में बंद कैदियों की दशा सुधारने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) गत तीन वर्षों के दौरान, केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में रखे गए कैदियों में से किसी भी कैदी की मृत्यु अपर्याप्त चिकित्सा के कारण नहीं हुई है।

(ख) से (घ) जी हां, श्रीमान्। प्रत्येक कैदी की चिकित्सीय जांच उस दिन की जाती है जिस दिन से उसे कारागार में रखा जाता है तथा उसके चिकित्सीय ब्योरे निर्धारित प्रपत्र में रिकार्ड किए जाते हैं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

(च) जी हां, श्रीमान्।

(छ) केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में चौबीसों घंटे चिकित्सीय सुविधाएं प्रदान की जाती है जिनमें मुख्य अस्पताल, आपातकालीन, बाह्य रोगी विभाग, नशामुक्ति केन्द्र (डी-एडिक्शन सेंटर) और चिकित्सा जांच कक्ष शामिल हैं जहां ऐसे रोगी रखे जाते हैं जिन्हें चौबीसों घंटे निरीक्षण की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, वे रोगी, जिन्हें ऐसी विशेष चिकित्सा, जो कारागार परिसर के भीतर उपलब्ध नहीं है, की जरूरत होती है उन्हें उपचार हेतु बाहरी अस्पतालों में भेजा जाता है।

(ज) प्रश्न नहीं उठता है।

(झ) केन्द्रीय कारागार, तिहाड़ में रखे गए कैदियों की दशा में सुधार लाने के लिए उठाए गए कदमों में उनकी क्षमता बढ़ाकर कारागार में भीड़-भाड़ कम करना तथा शिक्षा और मनोविनोद की सुविधाओं का प्रावधान शामिल है।

भूमि सुधार

47. **श्री गुथा सुकेन्दर रेड्डी :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भूमिहीन ग्रामीणों की दशा दंयनीय है;

(ख) क्या सरकार का विचार भूमिहीनों और दलितों के बीच भूमि के समुचित पुनर्वितरण हेतु भूमि सुधारों के क्रियान्वयन की समीक्षा करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था की स्थिति सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ग) भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-II (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 18 के अंतर्गत की गई व्यवस्था के अनुसार भूमि और इसके प्रबन्धन का कार्य संबंधित राज्य सरकारों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। केन्द्र सरकार इस क्षेत्र में केवल एक सलाहकार और समन्वयक की भूमिका अदा करती है। तथापि, भूमि सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा मुख्य मंत्रियों/राजस्व मंत्रियों/राजस्व सचिवों के सम्मेलनों सहित विभिन्न मंचों पर समय-समय पर की जाती है। राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना के अनुसार 53.94 लाख एकड़ भूमि, ग्रामीण भूमिहीन गरीबों को वितरित की गई है जिसमें शामिल 50% क्षेत्र अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लाभार्थियों को वितरित किया गया है। इसके अलावा, पात्र ग्रामीण गरीब लाभार्थियों को 21.75 लाख एकड़ भू-दान भूमि तथा 147.47 लाख एकड़ सरकारी बंजरभूमि भी वितरित की गई है।

प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु दिशा-निर्देशों में संशोधन

48. **श्री के० मुरलीधरन :** क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत दिशा-निर्देशों में संशोधन करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस योजना के अंतर्गत कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार और स्कीमवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णम राजू) : (क) और (ख) सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पी०एम० जी०एस०वाई०) की दिशानिर्देशों का संशोधन जनवरी, 2003 में किया है। संशोधित दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताएं निम्न बातों से संबंधित हैं :–

– **ग्रामीण सड़क योजना और कोर नेटवर्क को तैयार करना :–** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समस्त सड़कों को, आबादी के आकार के संबंध में दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए और नई संपर्क सड़कों को तरजीह देते हुए कोर नेटवर्क के अन्तर्गत प्राथमिकता दी जाएगी।

– **सड़क विनिर्देशन :–** इण्डियन रोड्स कांग्रेस (आर०आर० सी० : एस०पी० 20: 2003) द्वारा प्रकाशित ग्रामीण सड़क नियमावली में दिए गए विनिर्देशनों के अनुरूप सड़कों को बनाया जाना है।

– **जिला स्तरीय कार्यक्रम :–** राज्य आबंटन को जिलों के बीच बांटा जाएगा जो सड़कों से न जुड़ी बसावटों को सड़कों से जोड़ने के लिए अपेक्षित सड़क की लम्बाई के आधार पर 80% और पी०एम०जी०एस०वाई० के अंतर्गत उन्नयन के लिए अपेक्षित सड़क की लम्बाई के आधार पर 20% होगा।

– **संवीक्षा, अनुमोदन और स्वीकृति :–** जिला पंचायतों द्वारा तैयार किए गए प्रस्तावों को राज्य स्तरीय स्थायी समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। राज्य तकनीकी एजेंसियों (एस०टी०ए०) द्वारा की गई संवीक्षा के आधार पर प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए भेजा जाएगा।

– **परियोजना की स्वीकृति और निधियों की रिलीज :–** परियोजनाओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय की अधिकार प्राप्त समिति द्वारा स्वीकृति दी जाएगी और स्वीकृति के समय अनुमानित लागत का 25% रिलीज किया जाएगा। समस्त सड़क कार्यों के लिए बाद की रिलीजें तभी जारी की जाएगी जब पूर्व में रिलीज निधियों का 60% उपयोग में ले लिया गया हो और साथ में वर्तमान वर्ष से पूर्व के वर्ष तक के (परंतु शामिल नहीं) अनुमोदित सड़क कार्यों का 80% और अन्य मानक शर्तों का पूरा कर लिया गया हो।

– **राज्य में निधि प्रबंध :–** प्रत्येक राज्य परियोजना की निधियां प्राप्त करने के लिए बैंक खाते को रख-रखाव और उसके संचालन हेतु एक राज्य स्तरीय स्वायत्त एजेंसी का निर्धारण/सृजन करेगा। यह खाता जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाइयों द्वारा संचालित किया जाएगा।

– **निष्पादन :–** केवल निष्पादन के लिए किसी नई एजेंसी/ सलाहकारों को नहीं नियुक्त किया जाएगा।

निविदा :– एन०आर०आर०आर०डी०ए० द्वारा राज्यों सरकारों को परिचालित किए जा रहे मानक निविदा दस्तावेज के अनुसार कार्यों की निविदा की जाएगी। परियोजनाओं को 9-10 महीनों में पूरा किया जाएगा, पर पहाड़ी राज्यों में परियोजनाओं को पूरा करने के लिए 18 महीने तक की अनुमति है।

निगरानी एवं गुणवत्ता नियंत्रण :– निगरानी की मुख्य जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग (डी०पी० आई०यू०) की होगी। प्रत्येक राज्य एक राज्य गुणवत्ता समन्वयकर्ता नियुक्त करेगा और फील्ड इंजीनियरों से स्वतंत्र राज्य स्तर पर दूसरे टीयर की गुणवत्ता नियंत्रण एजेंसी को सक्रिय करेगा। एन०आर०आर०डी०ए० भी स्वतंत्र राष्ट्रीय गुणवत्ता मानीटरों के माध्यम से सेंपल चेक की व्यवस्था करेगा। जहां सड़कों को "अच्छी" गुणवत्ता से नीचे पाया जाएगा उन मामलों में ठेकेदार को काली सूची में डाला जाना चाहिए। इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा गठित जिला सतर्कता एवं निगरानी समिति भी योजना के अंतर्गत प्रगति की निगरानी करेगी।

कम्प्यूटरीकरण :– सी-डैक पुणे ने एक इंटरनेट आधारित सॉफ्टवेयर विकसित किया है और हार्डवेयर सहित इसे समस्त राज्यों एव जिलों में स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत परियोजनाओं के नियमित वित्त पोषण के लिए सॉफ्टवेयर का नियमित अद्यतनीकरण (जिसे ओ०एम०एम०एस० कहा जाता है) अत्यावश्यक है और ऐसा न करने पर रिलीजों पर प्रभाव पड़ेगा।

– **रख-रखाव :–** प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का रख-रखाव राज्य सरकारों द्वारा किया जाना अपेक्षित है। राज्य सरकारों को कार्यक्रम सहायता प्राप्त करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के रख-रखाव के लिए संतोषप्रद कार्यतंत्र के बारे में सूचना देनी होती है।

(ग) से (ङ) 2003-04 के लिए मंत्रालय को अब तक राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मिजोरम और हरियाणा राज्य सरकारों से परियोजना

प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। दिशा-निर्देशों के अनुसार, अधिकार-प्राप्त समिति द्वारा की गई जांच के आधार पर परियोजनाओं को स्वीकृति दी जाती है।

गुजरात में भूकंप के प्रभाव का अध्ययन

49. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गुजरात में आये प्रलयकारी भूकंप के बाद ऐसी स्थितियों में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जान-माल की रक्षा के लिए कोई अध्ययन करवाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य हेतु भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण हेतु कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गयी है;

(घ) क्या जी०एस०आई० ने इस क्षेत्र के दुनिया भर में उपलब्ध विशेषज्ञों की सहायता ली है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जी०एस०आई०) ने भूकंप प्रभावित क्षेत्रों का पोस्ट डेमेज माइक्रो-सिस्मिक सर्वेक्षण किया है। भूकंप का आइसो-सिस्मल मानचित्र तैयार करने के प्रयोजन से 1.2 मिलियन वर्ग कि०मी० क्षेत्र में फैले लगभग 300 स्थानों का दौरा किया गया। 3 महीने तक आफ्टर शॉक को मॉनिटर करने के लिए क्षेत्र में 14 माइक्रो अर्थक्वेक (एम०ई०क्यू०) स्टेशन स्थापित किए गए। आफ्टर शॉक डाटा, फाल्ट प्लेन साल्यूशन और आइसो- सिस्मल मानचित्र यह दर्शाता है कि जिस तरह से हलचल उत्पन्न हुई उसकी दिशा उत्तर 60^0 पूर्व-दक्षिण 6^0 पश्चिम थी। जी०एस०आई० ने कच्छ जिले के अजर, भाचाऊ, रापेर आदि जैसे कुछ शहरों की पुन:स्थापना के लिए स्थानों के चयन हेतु भू-तकनोकी अंवेषण भी किए हैं। जी०एस०आई० ने अतिसंवेदनशील ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की एक्टिव फाल्ट मैपिंग और सिस्मिक माइक्रोजोनेशन का सुझाव दिया है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड (वी०आई०एस०) कोड के अनुसार अति संवेदनशील क्षेत्रों में सभी नए निर्माणों को एसेस्मिक डिजाइन का अनुसरण करना चाहिए। इसके अलावा, आम जनता में भी भूकंप के बारे में जागरूकता उत्पन्न की जाए।

(ग) इन अध्ययनों पर होने वाला व्यय जी०एस०आई० उपलब्ध कराए गए बजट से वहन करेगा।

(घ) और (ङ) जी, हां। जी०एस०आई० ने भूकंप अध्ययनों के क्षेत्र में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ जापान और यूनाइटिड स्टेट जियोलॉजिकल सर्वे जैसी विशेषज्ञ एजेंसियों के साथ जी०एस०आई० और इन संगठनों के मध्य संभावित सहयोग करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत आरम्भ की है।

गरीबी स्तर की पहचान के लिये मानदंड

50. **श्री रामशेठ ठाकुर :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नौंवी योजना अवधि के दौरान गरीबी स्तर की प्रतिशतता में कमी आई है;

(ख) क्या गरीबी स्तर का आकलन प्रतिमाह प्रति व्यक्ति उपयोग के आधार पर किया जाता है, न कि प्रति व्यक्ति आय के आधार पर;

(ग) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है; और

(घ) सरकार द्वारा देश के ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों की संख्या में कमी लाने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) गरीबी उन्मूलन में उपलब्धियों को गरीबी अनुपातों में दर्शाया गया है। योजना आयोग द्वारा प्राप्त गरीबी के अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण गरीबी 1993-1994 के 37.27% से घटकर 1999-2000 में 27.09% रह गयी। पंचवर्षीय योजना अवधियों से संबंधित गरीबी अनुमान पृथक् रूप से प्राप्त नहीं किए गए हैं।

(ख) और (ग) एक कार्यबल की सिफारिश पर, योजना आयोग गरीबी के स्तरों का अनुमान कैलोरी उपयोग के अनुरूप लगाता है, जो उपभोग की पद्धति पर आधारित होता है।

(घ) ग्रामीण विकास मंत्रालय स्वरोजगार योजना, मजदूरी रोजगार योजना, ग्रामीण आवास योजनाओं और वाटरशेड विकास कार्यक्रमों को कार्यान्वित कर रहा है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी को कम करने में योगदान देते हैं।

ग्रेनाइट उत्खनन और खनन गतिविधियों में सुधार के लिए योजनायें

51. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में ग्रेनाइट निकालने और खनन गतिविधियों में सुधार की कुछ विशेष योजनायें हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में राज्यवार, स्थानवार कितना ग्रेनाइट भंडार उपलब्ध है;

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने ग्रेनाइट का निर्यात किया गया;

(ङ) क्या हाल के वर्षों में ग्रेनाइट का निर्यात बुरी तरह प्रभावित हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये गये हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) और (ख) ग्रेनाइट खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3 (ङ) के तहत् परिभाषित एक गौण खनिज है तथा ग्रेनाइट के लिए खनिज रियायतें प्रदान करने की सभी शक्तियां संबंधित राज्य सरकारों के पास हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 के अनुसार केन्द्र सरकार ने ग्रेनाइट सहित सभी अलोह (नॉन-फेरस) और गैर-परमाणु खनिजों का गवेषण तथा दोहन निजी उद्यमियों के लिए खोल दिया है। सरकार ऐसे निवेश को आकर्षित करने हेतु अड़चनों को दूर करने तथा निवेशक अनुकूल वातावरण सृजित करके खनन क्षेत्र में निवेश बढ़ाने के सभी उपाय कर रही है।

सरकार ने ग्रेनाइट का क्रमबद्ध और वैज्ञानिक खनन सुनिश्चित करने के लिए ग्रेनाइट संरक्षण और विकास नियमावली, 1999 भी अधिसूचित की है।

(ग) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई०बी०एम०) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार ग्रेनाइट का राज्यवार प्रतिलभ्य भंडार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (छ) आई०बी०एम० द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट और उसके उत्पादों का निर्यात निम्नवत है :

वर्ष	मात्रा टन में	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1999-2000	1489167	1564
2000-2001	1582170	1860
2001-2002 (अनंतिम)	1673862	1874

उपरोक्त सारणी में दिए गए निर्यात आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान ग्रेनाइट के निर्यात में कमी नहीं आयी है।

विवरण

सभी श्रेणियों में सभी प्रकार के ग्रेनाइटों का राज्यवार प्रतिलभ्य भंडार

(हजार क्यूबिक मीटर में)

अखिल भारत	1027421
आंध्र प्रदेश	2300
असम	205520
बिहार	19105
गुजरात	23560
हरियाणा	13600
कर्नाटक	202986
केरल	544
महाराष्ट्र	326561
उड़ीसा	7588
राजस्थान	201692
तमिलनाडु	20340
पश्चिम बंगाल	3621

सुरक्षा एजेंसियों द्वारा सूचना का आदान-प्रदान

52. **श्री चन्द्र भूषण सिंह** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजधानी में 18 देशों के इंटरपोल के अधिकारी आतंकवाद, साइबर अपराध और नशीली दवाओं के अवैध व्यापार को रोकने के लिये नीति बनाने, जांच और प्रौद्योगिकी संबंधी विशेषज्ञता का आपस में आदान-प्रदान करने पर सहमत हो गये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने राजधानी में विभिन्न देशों के इंटरपोल अधिकारियों के बीच विशेषज्ञता विकास के लिये आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देशों की समिति के गठन का प्रस्ताव किया है ताकि इस बुराई से निपटा जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) आतंकवाद, साइबर अपराध तथा नशीली दवाओं के अवैध व्यापार आदि को रोकने के लिए पुलिस सहयोग बढ़ाने हेतु सूचना और प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो, नई दिल्ली के इंटरपोल विंग ने एक बैठक आयोजित की थी जिसमें 18 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। सभी प्रतिनिधियों ने यह महसूस किया कि अपराध के वैश्वोकरण को ध्यान में रखते हुए संरचित और असंरचित विचार-विमर्श पुलिस सहयोग को अधिकाधिक बनाने के लिए अपेक्षित है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

उर्दू भाषा के प्रोत्साहन के लिये धनराशि का आवंटन

53. **श्री इकबाल अहमद सरडगी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2003-2004 के दौरान उर्दू के प्रोत्साहन के लिये दस करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि आवंटित करने का फैसला किया है;

(ख) यदि हां, तो यह धनराशि किस उद्देश्य के लिये खर्च को जायेगी; और

(ग) उर्दू के प्रोत्साहन के लिये इस धनराशि के उपयोग में किस मानदण्ड का पालन किया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद जो इस मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है, को वर्ष 2003-04 के दौरान योजनागत के तहत 9.75 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

इसके अतिरिक्त, भाषा शिक्षकों की नियुक्ति संबंधी केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत अगले वर्ष के लिए 11.50 करोड़ रु० का बजट परिव्यय रखा गया है जिसमें वह उप घटक भी शामिल है जिसके तहत राज्य सरकारी स्कूलों में उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु राज्य सरकारों को अनुदान दिया जाएगा।

इसके अलावा, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मौलाना आजाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय, हैदराबाद को भी अनुदान प्रदान करता है।

(ख) और (ग) सरकार राष्ट्रीय उर्दू भाषा प्रोन्नयन परिषद के माध्यम से विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित करती है जिनमें से निम्नलिखित का उल्लेख किया जा सकता है : (1) कम्प्यूटरीकृत सुलेखन प्रशिक्षण केन्द्र खोलना (2) प्रोत्साहन कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान (3) उर्दू समाचार पत्रों को सहायता (4) अंशकालीन भाषा शिक्षकों की नियुक्ति (5) पुस्तकों के प्रकाशन और खरीद के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान, (6) दूरस्थ शिक्षा पत्राचार पाठ्यक्रम आदि। राज्य सरकारों के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावों पर इस प्रयोजनार्थ गठित विशेषज्ञ समितियों अनुदानों की सिफारिश करने तथा उन्हें जारी करने से पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार इन प्रस्तावों के गुण-दोष तथा व्यवहार्यता के आधार पर निर्णय करती है।

यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में रासायनिक अपशिष्ट

54. **श्री सुरेश रामराव जाधव** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भोपाल गैस त्रासदी के 18 वर्षों बाद भी भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड की कीटनाशी फैक्ट्री में काफी रासायनिक अपशिष्ट बिना देखरेख के पड़ा हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रासायनिक अपशिष्ट के निपटान और इसके लिये विशेषज्ञता उपलब्ध कराने हेतु कोई कदम उठाये गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार यूनियन कार्बाइड इंडिया लि० के स्थल से विषैले अपशिष्ट हटाने में उनकी सहायता करने के लिए रक्षा मंत्रालय के संपर्क में है।

(घ) उपर्युक्त (ख) और (ग) को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता।

भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास

55. **श्री वीरेन्द्र कुमार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस पीड़ितों के आर्थिक पुनर्वास के कार्य में गैर-सरकारी संगठनों की सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो उन गैर-सरकारी संगठनों के नाम क्या हैं जो आर्थिक पुनर्वास का काम कर रहे हैं; और

(ग) उन गैर-सरकारी संगठनों को दिये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जाएगी और सदन पटल पर रख दी जाएगी।

सी०बी०एस०ई० परीक्षाओं के लिये प्रश्नपत्र तैयार किया जाना

56. श्री वाई०वी० राव : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सी०बी०एस०ई० की दसवीं और बारहवीं की परीक्षाओं के लिये प्रश्नपत्र एन०सी०ई०आर०टी० की पुस्तकों की बजाय अन्य पुस्तकों की तैयार किये जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य हेतु क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(ग) क्या प्रश्नपत्र तैयार करते समय इन मानदण्डों का कड़ाई से पालन किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने सूचित किया है कि केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न पत्र, अध्ययन हेतु निर्धारित सम्पूर्ण पाठ्य विवरण को शामिल करते हुए पूर्वनिर्धारित कतिपय पैरामीटरों के अनुसार तैयार किए जाते हैं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एक विस्तृत डिजाइन और रूप-रेखा की भी व्यवस्था करता है जो विषय विशेषज्ञों द्वारा प्रश्न पत्र तैयार करने का आधार होता है। तथापि, राष्ट्रीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों पर ध्यान केन्द्रित करना हमेशा उपयुक्त है क्योंकि ये पुस्तकें निर्धारित पाठ्य वितरण को अपेक्षित कवरेज प्रदान करती है।

(ग) और (घ) जी, हां। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड इन पैरामीटरों का कड़ाई से पालन करता है जो ज्ञान/समझ/अनुप्रयोग/कौशल; प्रश्न के रूप (लघु उत्तर/निबंधात्मक प्रकार) विषय सामग्री एवं प्रश्नों के स्तर जैसे शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए अंकों के दृष्टिकोण से अधिमानता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड छात्रों को प्रश्नों में विविधता एवं विकल्प भी प्रदान करता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

यूरिया का उत्पादन

57. श्री रामचन्द्र पासवान : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या घरेलू गैस के मूल्य को आयातित गैस के मूल्य के बराबर रखने से यूरिया के उत्पादन की लागत पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यूरिया के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव को रोकने के लिए उठाये गये कदमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) प्राकृतिक गैस के मूल्य निर्धारण का मामला अभी भी सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

सरकारी कर्मचारियों को सेवा-विस्तार/पुन: रोजगार

58. श्री श्रीप्रकाश जायसवाल : क्या उप प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद सेवा-विस्तार/पुन: रोजगार के संबंध में कोई मार्ग-निर्देश तैयार किये हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे मार्ग-निर्देशों का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या इन मार्ग-निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और अधिकारियों को सेवा-विस्तार अथवा पुन: रोजगार दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो दिशा-निर्देशों का पालन न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सेवारत अधिकारियों की ओर से सेवा-विस्तार/पुन: रोजगार देने के बारे में एक वर्ष के दौरान कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिससे उनके कैरियर की संभावना प्रभावित हो रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्ति के बाद सेवा-विस्तार/पुन: रोजगार देने की प्रक्रिया को समाप्त करने का है;

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(झ) क्या सरकार सेवा-निवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारियों को सेवा-विस्तार/पुन:रोजगार देने की प्रक्रिया की समीक्षा कर रही है; और

(ञ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और परिवर्तन करने के क्या कारण हैं?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ)

सेवा-निवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष किए जाने से पहले, सेवा-काल बढ़ाए जाने/पुनर्नियोजन के बारे में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धान्त, मूल नियम 56 (घ) के प्रावधानों के अनुसार, संशोधित कर दिए गए हैं। मौजूदा मार्गदर्शी सिद्धान्तों में पुनर्नियोजन का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत-सरकार के दिनांक दिसम्बर 09, 2002 के कार्यालय-ज्ञापन सं० 26012/6/2002 स्थापना (क) द्वारा जारी किए गए संशोधित मार्गदर्शी सिद्धान्तों की एक प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

चिकित्सा और वैज्ञानिक क्षेत्रों के विशेषज्ञों और अन्य का सेवा-काल बढ़ाए जाने के प्रस्तावों पर सक्षम प्राधिकारियों द्वारा विचार किया जाता है।

(ङ) और (च) इस बारे में जानकारी, केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती।

(छ) से (ञ) चूंकि उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धान्त, मूल नियम 56(घ) के प्रावधानों के अनुसार जारी किए गए हैं, मौजूदा नीति की समीक्षा किए जाने का कोई भी प्रस्ताव नहीं है।

विवरण

दिनांक 18.02.2003 को उत्तर के लिए लोक-सभा के अतारांकित प्रश्न सं० 58 के भाग (ख) के उत्तर में संदर्भित दिनांक 09.12.2002 का कार्यालय-ज्ञापन सं० 26012/6/2002-स्थापना (क)

सं० 26012/6/2002-स्था० (क)
भारत सरकार
कार्मिक, लोक-शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

नई दिल्ली, दिनांक दिसम्बर 09, 2002

कार्यालय ज्ञापन

विषय : केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिवर्षिता की आयु के बाद कार्यकाल में वृद्धि/पुनर्नियोजन प्रदान करने के बारे में अनुदेश जारी किया जाना

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अधिवर्षिता की आयु पूरी हो जाने के बाद उनके कार्यकाल में वृद्धि करने/पुनर्नियोजन प्रदान करने के बारे में मानदंड इस विभाग के दिनांक 18 मई 1977 के कार्यालय-ज्ञापन संख्या 26011/1/77-स्था० (ख) में निर्धारित किए गए हैं। मई 1998 के बाद और जब से केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष कर दी गई है, 18 मई, 1977 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन में दिए गए कुछ अनुदेश अब संगत नहीं रह गए हैं। तद्नुसार, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के कार्यकाल में वृद्धि/पुनर्नियोजन से संबंधित अनुदेशों को संशोधित करने का निर्णय लिया गया है।

2. इसके विपरीत सक्षम प्राधिकारी के कोई विशिष्ट आदेश मौजूद न होने से, सरकारी कर्मचारी को नियत तारीख को ही सेवानिवृत्त होना होता है। सरकारी कर्मचारी की अधिवर्षिता की तारीख का समय रहते पता कर लिया जाता है और सामान्यत: सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की व्यवस्था, पर्याप्त समय रहते ही करने में किसी प्रकार की कमी नहीं रहनी चाहिए। यह सुनिश्चित करना संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी का उत्तरदायित्व है कि उनके नियंत्रणाधीन कार्यरत सरकारी कर्मचारी नियत तारीख को ही सेवानिवृत्त हो।

3. **कार्यकाल में वृद्धि :** मूल नियम 56(घ) में यह उल्लेख किया गया है कि 60 वर्ष की आयु पूरी हो जाने के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी के कार्यकाल को बढ़ाया नहीं जाएगा। तथापि, केवल कुछ ही श्रेणियों के सरकारी कर्मचारियों को कार्यकाल को बढ़ाए जाने की मंजूरी दिए जाने से संबंधित प्रावधान नियमों में मौजूद हैं। अत: यह सुनिश्चित किया जाए कि मंत्रालय/विभाग कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी केवल ऐसे ही प्रस्ताव भेजें जो कि नियमों के अन्तर्गत आते हों।

4. मूल नियम 56 (घ) के पहले, दूसरे और तीसरे परन्तुक में उल्लिखित श्रेणियों के कार्मिकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने संबंधी प्रस्ताव, संबंधित कर्मचारी की अधिवर्षिता की तारीख से दो माह पूर्व, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के स्थापना प्रभाग को भेजे जाएं। वैज्ञानिकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने की मंजूरी से संबंधित प्रक्रिया, कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के जुलाई 10, 2000 के कार्यालय ज्ञापन सं० 28/19/2000-ई०ओ० (एस०एम०-II) में निर्धारित की गई है।

5. **चिकित्सा तथा वैज्ञानिक क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के मामलों के विचारण हेतु कार्यविधि :**

यह भी उल्लेखनीय है कि यहां तक कि चिकित्सा अथवा वैज्ञानिक क्षेत्रों में वैज्ञानिकों का कार्यकाल बढ़ाए जाने के मामलों में भी, केवल एक ही अगला व्यक्ति पदोन्नति से वंचित नहीं रहता बल्कि पूरे पदक्रम में प्राय: कई व्यक्ति परिणामी पदोन्नति से वंचित रह जाते हैं। अत: कार्यकाल में वृद्धि अथवा पुनर्नियोजन के बहुत ज्यादा मामले, ऐसे उभरते वैज्ञानिकों के मन में कुण्ठा उत्पन्न कर सकते हैं और उनके मनोबल को प्रभावित कर सकते हैं जो अपने संबंधित कार्यक्षेत्रों में अद्यतन तकनीकी प्रगति की ओर अग्रसर रहते हैं। इन परिस्थितियों के मद्देनजर निम्नलिखित मानदण्ड और कार्यविधि यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से से तैयार किए गए हैं कि सेवानिवृत्त होने वाले वैज्ञानिकों के कार्यकाल में वृद्धि का

सहारा केवल पूर्णत: आपवादिक परिस्थितियों में ही लिया जाए। कार्यकाल में वृद्धि की मंजूरी हेतु अभिभावी विचारण यह है कि यह वृद्धि लोकहित में हो और इसके अतिरिक्त निम्नलिखित दो में से एक शर्त पूरी हो।

(i) सेवानिवृत्त होने वाला विशेषज्ञ न केवल एक उत्कृष्ट अधिकारी हो बल्कि वस्तुत: शेष विशेषज्ञों के ऊपर एक शीर्षस्थ अधिकारी हो; अथवा

(ii) अन्य विशेषज्ञ कार्यभार ग्रहण करने योग्य पर्याप्त परिपक्व और अनुभवी नहीं हो।

परीक्षण (ii) से समाधान केवल तभी किया जाए यदि किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशेषज्ञता का अभाव हो अथवा यदि कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी मिल पाना संभव नहीं हो अथवा यदि विशेषज्ञ किसी महत्वपूर्ण कार्य अथवा प्रोजेक्ट पर नियुक्त हो जिसका समापन या परिणाम एक अथवा दो वर्ष में होने की संभावना हो। यदि ठीक निचले पद पर नियुक्त विशेषज्ञ इस आधार पर पदोन्नति के पात्र नहीं हैं कि उन्होंने निचले ग्रेड में नियमानुसार निर्धारित न्यूनतम सेवा पूरी नहीं की है, तो उच्चतर ग्रेड में उनकी पदोन्नति नहीं की जा सकती, जब तक ऐसे विशेषज्ञ अपेक्षित सेवावधि पूरी नहीं कर लेते। किन्तु यदि कोई विशेषज्ञ ऐसे पद पर पदोन्नति के लिए पात्र है जिसके लिए कार्यकाल बढ़ाए जाने की संस्तुति की गई, उसे मात्र इस आधार पर पदोन्नति से इनकार नहीं किया जाएगा कि उनके पास सेवानिवृत्त होने वाले विशेषज्ञ के बराबर अनुभव नहीं है। उनकी पदोन्नति पर भर्ती नियमों के अनुसार विचार किया जाए और यदि वे पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाए जाते हैं तो उन्हें सेवानिवृत्त होने वाले विशेषज्ञों द्वारा रिक्त किए जा रहे पदों पर पदोन्नत किया जाए।

6. जब कभी भी किसी विशेषज्ञ का कार्यकाल बढ़ाने पर विचार किया जाए उसकी चरित्र पुंजी और वैयक्तिक फाइल की सावधानी पूर्वक संवीक्षा की जाए और अन्य सभी संगत जानकारियां जो उपलब्ध हों को भी यह मूल्यांकन करते समय ध्यान में रखा जाए कि क्या विशेषज्ञ की सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के संबंध में नेकनामी है? ऐसे मामलों में जहां विशेषज्ञ की सत्यनिष्ठा की ईमानदारी के संबंध में नेकनामी नहीं है वहां उसका कार्यकाल बढ़ाए जाने के संबंध में विचार नहीं किया जाए। प्रशासनिक मंत्रालय का उपयुक्त प्राधिकारी, किसी अधिकारी के कार्यकाल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव करते समय अनुबंध-I सहित निम्नानुसार सत्यनष्ठिा का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करे।

"श्री/श्रीमती/कुमारी ----------की चरित्र पंजिका और वैयक्तिक फाइल की संवीक्षा करके और उपलब्ध अन्य सभी संगत सूचनाओं को ध्यान में रखकर मैं यह प्रमाणित करता/करती हूं कि उसकी सत्यनिष्ठा/ईमानदारी के संबंध में नेकनामी है।"

7. उच्चतर पदों पर कार्यकाल बढ़ाए जाने का प्रस्ताव करते समय ऐसे व्यक्ति की कार्यदक्षता के संबंध में उच्चतर मानदंड लागू करना और भी अधिक आवश्यक है जिसकी उच्चतर पद पर नियुक्ति हेतु मंत्रिमण्डल की नियुक्ति समिति के अनुमोदन की संस्तुति की गई है। शीर्ष पद बहुत ही समिति होते हैं और केवल कुछ ही व्यक्ति उनपदों पर बहुत लंबे अर्से तक पदस्थ नहीं रहने चाहिए। कोई भी सरकारी कर्मचारी, जिसका कार्यकाल, सेवानिवृत्ति की नियतय तारीख के बाद बढ़ाया गया हो, उसके बढ़ाए गए कार्यकाल की अवधि के दौरान आगे किसी अन्य पद पर पदोन्नत नहीं किया जाए।

8. किसी भी अधिकारी के कार्यकाल को इस आधार पर नहीं बढ़ाया जाए कि कोई उपयुक्त उत्तराधिकारी उपलब्ध नहीं है, जब तक कि यह स्थापित नहीं कर लिया जाए कि किसी उत्तराधिकारी को चुनने की कार्रवाई काफी समय रहते ही कर ली गई थी किन्तु न्यायसंगत करणों की वजह से चयन को समय पर अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था। कार्यकाल में वृद्धि प्रदान किए जाने संबंधी प्रस्ताव, केवल इसी तथ्य के आधार पर स्वीकार नहीं किए जाएं कि विशेषज्ञ के पूर्ववर्ती अधिकारी के कार्यकाल को भी बढ़ाया गया था।

9. **पुनर्नियोजन :** 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूरी हो जाने के बाद किसी भी सरकारी कर्मचारी को रोजगार देने/नियुक्त करने पर विचार नहीं किया जाएगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि 60 वर्ष की अधिवर्षिता आयु पूरी हो जाने के बाद किसी भी व्यक्ति को केन्द्रीय सरकार में अनुबंध के माध्यम से नियुक्त/पुनर्नियोजित नहीं किया जा सकता।

10. सैन्य पेंशन भोगियों जो केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों वाली अधिवर्षिता आयु तक नहीं पहुंचे हैं उनका पुनर्नियोजन, इन अनुदेशों द्वारा अधिशासित नहीं होगा।

11. **परामर्शदाता की नियुक्ति :** परामर्शदाता की नियुक्ति के संबंध में विस्तृत अनुदेश कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग के फरवरी 13, 1998 के कार्यालय ज्ञापन सं० 16012/7/97-स्था० (भत्ते) में जारी किए गए थे।

ह०/-
(प्रतिभा मोहन)
निदेशक (स्थापन्न ii)

सेवा में,

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (मानक सूची के अनुसार)।

अनुबन्ध-I

अधिवर्षिता की आयु के पश्चात् सरकारी कर्मचारी की सेवा अवधि बढ़ाए जाने के लिए कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग को भेजे जाने वाले प्रस्ताव का प्रोफॉर्मा

1. पद-नाम :

2. पदावधि :

3. पद का वेतनमान तथा शर्तें और परिलब्धियां, यदि कोई हो :

4. क्या पद के सृजन/कॉलम (2) में दर्शाई गई पद की अवधि को बनाए रखने के लिए वित्तीय अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है :

5. भर्ती की पद्धति :

6. पद को रिक्त करके जाने वाले पदाधिकारी का नाम तथा पद की नियुक्ति की अन्तिम तारीख :

7. नियुक्ति हेतु प्रस्तावित विशेषज्ञ का नाम तथा जिस सेवा से संबंध रखता है उसका नाम :

8. अधिकारी की जन्म तिथि सहित उनके पूर्ण सेवाकाल का विवरण तथा वेतनमान :

9. अन्य अधिकारी जिनके नामों पर विचार किया गया :

10. यदि पदोन्नति पद है तो क्या पिछली विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही की प्रतियां संलग्न है? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

11. क्या प्रस्तवित विशेषज्ञ तथा जिन पर विचार किया गया है उनकी चरित्र पंजियां भेजी जा रही है। यदि नहीं तो क्यों नहीं?

12. कृपया निम्नलिखित का उल्लेख करें :—

(i) (क) क्या पद वैज्ञानिक अथवा चिकित्सा विशेषज्ञ का है?

(ख) अधिकारी के कार्यकाल में किया गया कार्य विस्तार, यदि कोई हो?

(ग) तारीख, जिससे कार्यकाल में विस्तार दिया जाना है।

(घ) कार्यकाल में विस्तार की अवधि :

(ii) कार्यकाल में विस्तार प्रदान किए जाने का औचित्य :

(iii) (क) तारीख जिससे यह पता चला कि रिक्ति होगी :

(ख) अगले अधिकारी के चयन हेतु की गई कार्रवाई का कालानुक्रम ब्योरा :

(ग) यदि चयन किया जा रहा है तो समय रहते ऐसा न कर पाने के कारण :

(घ) क्या समुचित चयन प्रक्रिया द्वारा नई नियुक्ति के लम्बित रहते कोई स्थानापन्न अथवा तदर्थ व्यवस्था की गई थी? यदि नहीं तो क्यों नहीं?

(iv) क्या प्रभारी मंत्री के आदेश प्राप्त कर लिए गए हैं?

13. क्या उपयुक्त अधिकारी से प्राप्त निर्धारित सत्यनिष्ठा प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है।

राष्ट्रीय मलिनबस्ती विकास कार्यक्रम (एन०एस० डी०पी०) के अंतर्गत धनराशि जारी किया जाना

59. श्री रमेश चेन्नितला : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय मलिनबस्ती विकास कार्यक्रम (एन०एस० डी०पी०) निधि को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी किया जाता है जिसमें 70 प्रतिशत को ऋण घटक माना जाता है और 30 प्रतिशत को अनुदान के रूप में;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न राज्यों ने खतरनाक स्थिति को ध्यान में रखते हुए 70 प्रतिशत ऋण घटक को पूर्ण वित्तीय अनुदान मानने का आग्रह किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन०एस०डी०पी०) के तहत राशि, अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता (ए०सी०ए०) के रूप में, 70% ऋण तथा 30% अनुदान आधार पर गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए तथा 10% ऋण और 90% अनुदान पर विशेष श्रेणी के राज्यों हेतु जारी की जाती है।

(ख) कुछ राज्यों ने 70% ऋण घटक को 100% अनुदान घटक में बदलने के लिए अनुरोध किया है।

(ग) राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम को 100% अनुदान घटक में बदलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

लखनऊ का विकास

60. डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने लखनऊ के विकास हेतु तीन हजार करोड़ रुपये स्वीकृत किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को वर्ष 2002 में बिहार सरकार से स्वीकृति हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसे बिहार राज्य जल आयोग द्वारा पटना में जल-मल व्ययन प्रणाली, भूमिगत जल-मल विकास प्रणाली, जलापूर्ति के विकास इत्यादि हेतु 1600 करोड़ रुपये की परियोजना के संबंध में तैयार किया गया था;

(घ) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा पटना के विकास हेतु भेजी गयी उपर्युक्त परियोजना की स्वीकृति और लागू करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा पटना के विकास के लिए जो योजनाएं चल रही हैं उनके अलावा आगे क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) लखनऊ के विकास के लिए सरकार द्वारा कोई विशिष्ट योजना स्वीकृत नहीं की गई है। तथापि, लखनऊ शहर में उपयोग के लिए योजना आयोग द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार को निम्नलिखित अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई गई है :–

क्र० सं०	वर्ष	स्कीम का नाम	राशि (करोड़ रुपये में)
1.	1997-98	लखनऊ में कुकरैल नाला पर कुर्शी-महमूदाबाद रोड़ पर पुल	0.59
2.	1999-00	जिला अस्पताल, बलरामपुर, लखनऊ में सिटी स्केन	2.23
3.	2000-01	लखनऊ में वृक्षारोपण	0.98
4.	2000-01	आर०के० मिसन सेवा आश्रम लखनऊ	5.00
5.	2001-02	जल आपूर्ति विकास स्कीम, लखनऊ	19.50
6.	2001-02	लखनऊ में तारामण्डल कार्य पूर्ण करना	5.00
7.	2001-02	आर०के० मिसन सेवा आश्रम, लखनऊ के लिए यंत्रों की खरीद	1.40
8.	2001-02	विज्ञान कांग्रेस लखनऊ विश्व विद्यालय को आर्गनाइज करने के लिए	8.70

(ग) से (ङ) शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय को पटना, गया और बोधगया कस्बों का एकीकृत विकास योजना के तहत पटना शहर में जलआपूर्ति, सीवरेज-जल निकासी तथा कचरा प्रबंध सेवाओं में वृद्धि/सुधार के लिए प्रस्ताव के संबंध में व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट (पी०एफ०आर०) प्राप्त हुई है जिसमें उक्त परियोजनाओं के लिए विदेशी धन की मांग की गई है। पटना के लिए परियोजना प्रस्ताव भेजते समय बिहार राज जल परिषद ने उल्लेख किया है कि गया और बोधगया के लिए परियोजना प्रस्ताव यथोचित समय में अलग से भेजे जाएंगें। तथापि, गया और बोधगया के लिए परियोजना रिपोर्ट/ पी०एफ०आर० अभी मंत्रालय को प्राप्त होनी है।

पटना टाउनशिप के लिए प्राप्त पी०एफ०आर० की रूपरेखा इस प्रकार है।

क्र०सं०	पी०एफ०आर० का नाम	अनुमानित लागत (रुपये करोड़ में)
1.	पटना शहर के लिए जल आपूर्ति प्रणाली	273.00
2.	पटना शहरी क्षेत्र के लिए सीवरेज परियोजना	348.09
3.	पटना शहर के बरसाती पानी की निकासी	921.70
4.	पटना में कचरा निपटान परियोजना	127.10
		1669.89

बिहार राज जल परिषद द्वारा भेजी गई व्यवहार्यता-पूर्व रिपोर्ट की तकनीकी दृष्टि से जांच की गई और टिप्पणियां उन्हें 16.01.2003 को सूचित की गई जिसमें मंत्रालय द्वारा की गई टिप्पणियों का निवारण करने और संशोधित व्यवहार्यता रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया ताकि विदेशी धनदाता एजेंसी से संभावित वित्तपोषण के लिए आर्थिक कार्य विभाग से इसकी सिफारिश की जा सके। इस मंत्रालय द्वारा टिप्पणियां भेजते समय बिहार जल परिषद से अनुरोध किया गया है कि उक्त परियोजना राज्य सरकार के माध्यम से भेजी जाए जिसमें उक्त प्रस्ताव के लिए वित्तीय योजना और प्रतिपूरक वित्त मुहैया कराने और परियोजना को कार्यान्वित कराने की राज्य सरकार की वचनबद्धता का स्पष्ट उल्लेख हो। राजय सरकार से संशोधित परियोजना प्रस्ताव अभी प्राप्त नहीं हुए हैं।

[अनुवाद]

नई यूरिया मूल्य निर्धारण नीति

61. **श्री के०ई० कृष्णामूर्ति :**
श्री कैलाश मेघवाल :
श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इकाई आधारित धारण मूल्यन योजना के स्थान पर नई यूरिया मूल्य निर्धारण नीति संबंधी कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) नई नीति के कब तक लागू होने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने नई उर्वरक नीति के अंतर्गत उर्वरक कारखानों में अब तक चालू इकाई आधारित ''धारण मूल्यन'' योजना का संशोधन करने और परिवहन पर राजसहायता को वापस लेने हेतु कोई निर्णय लिया है अथवा क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) सरकार द्वारा उर्वरक कारखानों को प्रदान करायी जा रही सभी प्रकार की राजसहायता के कारण गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् सरकार को 1.4.1998 से वर्ष-वार कितना वित्तीय बोझ वहन करना पड़ रहा है और तत्संबंधी वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(छ) नई उर्वरक नीति को लागू करने के बाद मद-वार कितनी बचत होने की संभावना है;

(ज) क्या नई उर्वरक नीति को लागू करने के बाद उर्वरकों के मूल्यों में वृद्धि होने से छोटे और सीमांत किसानों के सबसे अधिक प्रभावित होने की संभावना है; और

(झ) यदि हां, तो सरकार द्वारा किसानों के हितों की रक्षा हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ङ) यूरिया इकाईयों के लिए नयी मूल्य निर्धारण नीति, मौजूदा प्रतिधारण मूल्य योजना को प्रतिस्थापित करने के लिए व्यय सुधार आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए तैयार की गयी है। नयी योजना यूरिया इकाईयों को राज सहायता के संवितरण में और अधिक पारदर्शिता, समानता और दक्षता पर लक्षित होगी और यूरिया उत्पादक इकाईयों को लागत कटौती उपाय करने और प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित करेगी। नयी योजना को चरणों में कार्यान्वित किया जाएगा। चरण-I 1.4.2003 से 31.3.2004 तक एक वर्ष की अवधि का होगा। चरण-II 1.4.2004 से 31.3.2006 तक की दो वर्ष की अवधि का होगा। पश्चातवर्ती चरणों की रूपात्मकताओं का निर्णय चरण-I और चरण-II के दौरान इस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के पश्चात किया जाएगा। चरण-I अर्थात् 1.4.2003 से 31.3.2004 तक के दौरान आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 (ई०सी०ए०) के तहत यूरिया का आबंटन खरीफ-2003 और रबी 2003-04 में प्रत्येक इकाई की स्थापित क्षमता (यथा पुनर्मूल्यांकित) के क्रमश: 75 प्रतिशत और 50 प्रतिशत तक सीमित होगा। शेष यूरिया उत्पादन देश में कहीं भी कृषकों को अधिकतम खुदरा मूल्य पर बिक्री करने के लिए उत्पादकों को उपलब्ध होगा। चरण-II के दौरान यूरिया का वितरण चरण-I का मूल्यांकन करने के पश्चात् पूर्णत: नियंत्रणमुक्त हो जाएगा।

भाड़ा संबद्ध लागतों को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। वर्ष 2003-04 के दौरान गत 3 वर्षों अर्थात 2000-01, 2001-02 और 2002-03 के लिए प्रत्येक इकाई की औसत मानक दूरी और रेल-सड़क संयोजन के आधार पर ई०सी०ए० आबंटन के तहत यूरिया की मात्रा पर समेकित भाड़ा निकाला जाएगा। ई०सी०ए आबंटन के पश्चात रह गयी मात्रा के लिए समीकृत भाड़े से 100 रु० प्रति मी० टन की कटौती की जाएगी।

(च) गत 5 वर्षों के दौरान अर्थात दिनांक 1.4.98 से यूरिया पर राज सहायता व्यय और नियंत्रण-मुक्त फास्फेटिक और पोटासिक उर्वरकों पर रियायत व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है :–

(रु० करोड़ में)

अवधि	नियंत्रणमुक्त उर्वरकों पर संवितरित रियायत राशि	यूरिया पर संवितरित राजसहायता राशि
1998-1999	3789.94	7597.22
1999-2000	4500.00	8744.07
2000-2001	4319.00	9481.00
2001-2002	4504.00	8304.44
2002-2003 (बजट अनुमान)	4224.00	7004.00

(छ) यूरिया इकाईयों के लिये मौजूदा प्रतिधारण मूल्य योजना की तुलना में नयी मूल्य निर्धारण नीति के कार्यान्वयन से होने वाली बचत की मात्रा, नयी नीति के प्रचालन में आने के पश्चात् ही ज्ञात होगी।

(ज) और (झ) कृषक, लघु तथा सीमान्त कृषकों सहित, सांविधिक रूप से अधिसूचित बिक्री मूल्य पर यूरिया प्राप्त करते रहेंगे।

शहरी क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण

62. **श्री प्रकाश वी० पाटील : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रधान मंत्री सड़क योजना की भांति देश के शहरी क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण हेतु नई योजना शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस योजना हेतु कितना वित्तीय आवंटन किये जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सुरक्षा बलों के मृत कर्मियों के आश्रितों को रोजगार

63. **श्री सईदुज्जमा : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न सुरक्षा बलों के मृत कर्मियों के कुल कितने आश्रित 31.1.03 की स्थिति के अनुसार रोजगार के लिए प्रतीक्षारत हैं; और वे कब से प्रतीक्षा सूची में है;

(ख) मृत कर्मियों के आश्रितों को समय पर रोजगार प्रदान नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा विभिन्न बलों के मृत कर्मियों के आश्रितों को रोजगार प्रदान करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(घ) मृत कार्मियों के आश्रितों को कब तक रोजगार प्रदान किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

64. **श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश में विशेष शिक्षा निर्यात जोन्स का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य हैं; और

(ग) इस मामले में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों से घुसपैठ

65. **श्री सुबोध राय :**
श्री एम०के० सुब्बा :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्रों की संवेदनशील स्थिति की ओर दिलाया गया है जिसके कारण देश में कट्टरपंथियों की घुसपैठ और गैर-कानूनी ढंग से लोग प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों में गत तीन वर्षों के दौरान कितने लोगों ने घुसपैठ की है;

(ग) क्या पूर्वोत्तर राज्यों की ओर से अर्ध-सैनिक बलों की संख्या बढ़ाने और सीमावर्ती क्षेत्रों पर कांटेदार बाड़ लगाने की भी मांग की गई थी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं तथा पूर्वोत्तर राज्यों के कितने सीमावर्ती क्षेत्रों पर कांटेदार बाड़ लगाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) ऐसी रिपोर्टें है कि उन कुछ पड़ोसी देशों, जिनकी सीमाएं पूर्वोत्तर राज्यों से लगती है, के राष्ट्रिक अवैध रूप से भारतीय क्षेत्र में घुसने में कामयाब हो गए हैं। सुभेद्य सीमा भी, पूर्वोत्तर उग्रवादियों को विघटनकारी गतिविधियां चलाने हेतु सीमापार से उनके आवागमन के लिए, घुसपैठ का आसान और सुरक्षित रास्ता प्रदान करती है। कोई निश्चित संख्या बताना कठिन है क्योंकि इस प्रकार के अवैध घुसपैठिए चोरी छिपे भारत में प्रवेश करते हैं और अपनी जातीय, भाषायी समानताओं के कारण स्थानीय जनता में घुलमिल जाते हैं।

(ग) और (घ) कुछ पूर्वोत्तर राज्य सरकारों ने इस क्षेत्र में अधिक सुरक्षा बल तैनात करने के लिए कहा है। इन बलों की तैनाती, देश के विभिन्न भागों में व्याप्त सुरक्षा परिदृश्य और इन बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। इन दबावों को ध्यान में रखते हुए जहां तक संभव हो, केन्द्रीय अर्धसैनिक बलों को, पूर्वोत्तर राज्यों में तैनात किया जाता है।

बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की भारत में घुसपैठ को रोकने की दृष्टि से और असम समझौते के अनुसरण में, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल राज्यों में भारत-बांग्लादेश सीमा पर सड़क निर्माण और बाड़ लगाने के लिए एक परियोजना (चरण-I) 1987 से शुरू की गई है। ये कार्य लगभग पूरे हो गए है।

केन्द्र सरकार ने, चरण-II के अन्तर्गत भारत-बांग्लादेश सीमा के शेष भाग पर अतिरिक्त सड़कों का निर्माण करने और बाड़ लगाने के लिए 1334 करोड़ रु० की राशि भी अनुमोदित की है। इसमें 2429.5 किलोमीटर में बाड़ लगाने और 797 किलोमीटर सड़क बनाने का काम शामिल है। इन कार्यों के दिसम्बर 2007 तक पूरा कर दिए जाने का प्रस्ताव है। इस काम के पूरा होने के साथ ही, भारत-बांग्लादेश सीमा के पूरे क्षेत्र में, जहां कहीं भी बाड़ लगाना व्यवहारिक है, बाड़ लगा दी जाएगी।

भारत-बांग्लादेश सीमा पर अनुमोदित बाड़ की लम्बाई और लगाई गई बाड़ के राज्य-वार ब्योरे निम्न प्रकार से है :–

(आकड़े कि०मी० में)

राज्य का नाम	अनुमोदित बाड़	आज तक की प्रगति
पश्चिमी बंगाल	1528.00	662.42
असम	223.81	149.29
मेघालय	399.06	205.36
त्रिपुरा	736.00	9.53
मिजोरम	400.00	—
कुल	3286.87	1026.60

बांग्लादेशी राष्ट्रिकों की भारत में घुसपैठ करने की समस्या से निपटने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें; सीमा सुरक्षा बल की अतिरिक्त बटालियने खड़ी करना; सीमा चौकियों के बीच की दूरी को कम करना; भूमि और नदी-तटीय सीमा पर गश्त गहन करना; सीमा सड़को के निर्माण और बाड़ लगाने के कार्यक्रम को तेज करना; सीमा निगरानी बुर्जो की संख्या में बढ़ोत्तरी करना; निगरानी उपकरणों का प्रावधान इत्यादि शामिल है। यह मामला बांग्लादेश सरकार के साथ भी अनेक अवसरों पर उठाया गया है। इन उपायों की प्रगति की समीक्षा विभिन्न स्तरों पर नियमित रूप से की जाती है। राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को निदेश दिया गया है कि विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 (अवैध प्रवासी (अधिकरणों द्वारा अवधारणा) अधिनियम, 1983, असम के मामले में) के उपबंधों को सख्ती से लागू किया जाये।

डी०डी०ए० द्वारा संस्थानों का आवंटित भूमि के मूल्य का आकलन

66. **श्री अब्दुल रशीद शाहीन :**
डा० मदन प्रसाद जायसवाल :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत तीन वर्षों के दौरान डी०डी०ए० द्वारा सांस्कृतिक, सामाजिक, वाणिज्यिक और शैक्षणिक संस्थानों को आवंटित भूमि का आकलित मूल्य बाजार मूल्य से बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो निम्न मूल्य पर भूमि का आवंटन करने के क्या कारण हैं और भूमि का निर्धारण निम्न मूल्य पर करने हेतु अपनाई गई प्रक्रियाओं का ब्यौरा क्या है;

विवरण

विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत स्वीकृत ऋण तथा

स्कीम	1.4.1998 से 31.3.1999			1.4.1999 से 31.3.2000		
	स्वीकृत	संवितरण	लाभान्वित महिलाओं की सं०	स्वीकृत	संवितरण	लाभान्वित महिलाओं की सं०
मुख्य स्कीम	1225.20	971.88	36850	1392.00	1109.69	40230
चक्रीयन निधि	141.00	100.00	14,100	232.00	167.00	11403
ऋण संवर्धन	23.00	16.00	1032	167.95	34.00	6456
स्व सहायता समूह विकास	73.42	43.62		166.80	68.95	
विपणन	22.00	17.00			5.00	
कुल	1484.62	1148.50	51982	1958.75	1384.64	58089

(ग) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रक्रिया के अपनाने में भारी भ्रष्टाचार हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि यह डी०डी०ए० नियमावली 5 और 20 (विकसित नुजूल भूमि निपटान) के नियम, 1981 के अनुसार विभिन्न संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज चैरिटेबल संस्थानों, धार्मिक राजनैतिक संगठनों को लाभकारी, अर्ध लाभकारी अथवा अलाभकारी प्रयोजनों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रीमियम और भू-किराया आधार पर भूमि आबंटित करता है। औद्योगिक संस्थानों हेतु भूमि का आबंटन, बाजार दर पर किया जाता है। डी०डी०ए० ने आगे सूचित किया है कि गत तीन वर्षों से उपर्युक्त नियमावली में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

'राष्ट्रीय महिला कोष' के अंतर्गत योजना/कार्यक्रम

67. **श्री कैलाश मेघवाल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा 'राष्ट्रीय महिला कोष' के अंतर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम और योजनाएं प्रस्तावित हैं और किन-किन कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू किया जा रहा है;

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान अर्थात् 1.4.1998 से किस एजेंसी के माध्यम से इन कार्यक्रमों और योजनाओं का संचालन किया गया है और लागू किया गया है और इस अवधि के दौरान वर्ष-वार, कार्यक्रम-वार और योजना-वार कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) इन कार्यक्रमों और योजनाओं से लाभान्वित लोगों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) 'राष्ट्रीय महिला कोष' के अंतर्गत ऐसे कितने प्रस्तावित कार्यक्रम और योजनाएं हैं जिन्हें राजस्थान में लागू नहीं किया जा रहा है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत निम्नलिखित स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं :

1. ऋण संवर्धन स्कीम, 2. मुख्य ऋण स्कीम, 3. चक्रीयन निधि स्कीम, 4. विपणन स्कीम, 5. केन्द्रक अभिकरण स्कीम, 6. मृत्यु राहत एवं पुनर्वास स्कीम

(ख) और (ग) राष्ट्रीय महिला कोष गैर-सरकारी संगठनों, सामाजिक संगठनों, महिला विकास निगमों, सहकारी समितियों, इन्दिरा महिला ब्लॉक समितियों, राज्य सरकार के उपयुक्त अभिकरणों, जैसे जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों, डेयरी संघों तथा नगर पालिका परिषदों इत्यादि के माध्यम से विभिन्न राज्यों में अपने कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। दिनांक 1.4.1998 से विगत पांच वर्षों के दौरान प्रदत्त निधियों तथा लाभान्वित महिलाओं का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) राष्ट्रीय महिला कोष के अंतर्गत सभी स्कीमें राजस्थान में कार्यान्वित की जा रही हैं।

संवितरण का वर्ष-वार ब्यौरा

1.4.2000 से 31.3.2001			1.4.2001 से 31.3.2002			1.4.2002 से 31.12.2002		
स्वीकृत	संवितरण	लाभान्वित महिलाओं की सं०	स्वीकृत	संवितरण	लाभान्वित महिलाओं की सं०	स्वीकृत	संवितरण	लाभान्वित महिलाओं की सं०
987.00	960.65	19676	504.06	252.51	10153	562.13	387.38	10133
1006.00	515.00	23895	30.00	297.50	535	205.00	115.00	3502
75.10	97.20	2988	201.85	48.55	5495	56.95	77.85	1825
50.40	102.95		7.70	35.20				
2118.50	**1675.80**	**46559**	743.61	633.76	16183	824.08	580.23	15460

[अनुवाद]

एम०ई०सी०एल० के शाखा कार्यालयों को खोलने हेतु प्रस्ताव

68. श्री परशुराम मांझी : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मिनरल एक्सपलोरेशन कार्पोरेशन आफिसों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार कुछ खनिज बहुल राज्यों में मिनरल एक्सपलोरेशन कार्पोरेशन लिमिटेड के शाखा कार्यालय खोलने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य वार विशेषकर उड़ीसा का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खनिज गवेषण कारपोरेशन लिमिटेड (एम०ई०सी०एल०) का पंजीकृत कार्यालय नागपुर, महाराष्ट्र राज्य में है। इस समय इसके तीन जोनल कार्यालय हैं जो परियोजनाओं की मानीटरिंग कर रहे हैं तथा अपने अधिकार क्षेत्र में व्यापारिक गतिविधियों के लिए ग्राहकों के साथ निकट सम्पर्क स्थापित कर रहे हैं, इनका ब्यौरा निम्नवत है :

1. मध्य क्षेत्र : एम०ई०सी०एल० यूटिलिटि कम्पलैक्स, हाईलैंड ड्राइव रोड, डा० बाबा साहेब अम्बेडकर भवन, सेमिनरी हिल्स, नागपुर-440006.

2. दक्षिण क्षेत्र : एम०ई०सी०एल०, त्यागराया नगर, पो०ओ० बंडलगुडा, हैदराबाद, 500068.

3. पूर्वी क्षेत्र : एम०ई०सी०एल०, एन्सिलरी चौक, टिपूदाना, पो०ओ० हटिया, रांची – 834003.

इसके अतिरिक्त कम्पनी की वाणिज्यिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली और कोलकाता में दो व्यापारिक विकास केन्द्र हैं जिनका ब्यौरा निम्नवत है :

1. एम०ई०सी०एल०, बी-52, मधुबन, नई दिल्ली-110092.

2. एम०ई०सी०एल०, 8/5, अलीपुर पार्क रोड़, कोलकाता-720027.

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय भंडार द्वारा मांग-पत्र प्रस्तुत किया जाना

69. श्री रामजी मांझी :
श्री शीश राम सिंह रवि :

क्या **उप प्रधान मंत्री** 19.12.01 और 17.07.02 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4613 और 433 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय-ज्ञापन के प्रावधानों की समीक्षा की गई है और का०ज्ञा० को वापस करने हेतु कोई निर्णय लिये गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो का०ज्ञा० की समीक्षा में अनावश्यक विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त का०ज्ञा० यू०डी०एम० द्वारा दिनांक 27.02.1991 को जारी संकल्प सं० 017034/3/स्टे (खंड-छः) के विपरीत है जिसके अंतर्गत सरकारी कार्यालयों को अपने मांग-पत्र लेखन-सामग्री-कार्यालय, कोलकाता को प्रस्तुत करने को कहा गया है और मात्र आपातस्थिति में ही स्थानीय खरीद करने के लिए कहा गया है।

(घ) यदि हां, तो दिनांक 14.07.1981 का डी०ओ०पी० एंड ए०आर० का०ज्ञा० जारी करने के कारणों की जांच हेतु कोई प्रस्ताव है और संसद-सदस्यों द्वारा इस मामले की बार-बार समीक्षा कराए जाने की मांग के बावजूद इसकी समीक्षा नहीं कराए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) दिनांक 14.07.1981 के का०ज्ञा० को वापस लिए जाने/उसकी समीक्षा किए जाने तक यू०डी०एम० संकल्प का सरकारी कार्यालयों द्वारा ईमानदारी से पालन कराने हेतु क्या-क्या कदम उठाए गए हैं;

(च) क्या आपूर्तिकताओं द्वारा उद्धृत दर उचित है, इसे सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी कर्मचारियों की नहीं है; और

(छ) यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों/आपूर्तिकर्ताओं का ब्योरा क्या है जिनके विरूद्ध केन्द्रीय सतर्कता-कार्यालय द्वारा जांच किये जाने के बाद कार्रवाई की गई है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ङ) दिनांक 14.07.1981 का कार्यालय-ज्ञापन, निर्माण और आवास-मंत्रालय, अब शहरी विकास और गरीबी-उपशमन-मंत्रालय से परामर्श सहित, अन्तर विभागीय परामर्श करने के बाद जारी किया गया था। दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय ज्ञापन की समीक्षा किए जाने में कुछ और समय लगेगा, क्योंकि इसमें अन्तर विभागीय परामर्श किया जाना और अन्य प्रशासनिक औपचारिकताओं का निर्वाह किया जाना अपेक्षित है।

(च) केन्द्रीय भण्डार, उपायों अर्थात् आपूर्तिकर्ताओं से इस आशय का उपर्युक्त वचन-पत्र लिए जाने सहित, दरों की प्रामाणिकता सुनिश्चित करता है कि केन्द्रीय भण्डार को उद्धृत की गईं दरें न्यूनतम हैं।

(छ) नए मुख्य सतर्कता-अधिकारी ने अक्तूबर, 2002 में अपने पद से जुड़ा कार्य-भर ग्रहण कर लिया है और तबसे उनके द्वारा दरों की प्रामाणिकता से संबंधित ऐसे किसी भी मामले को अन्तिम रूप से नहीं निबटाया गया है।

एच०एफ०सी० की हल्दिया इकाई का बंद किया जाना

70. **श्री महबूब जहेदी :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एच०एफ०सी० की हल्दिया इकाई के बंद किये जाने से इसके अधिकांश कामगारों का भविष्य अधर में लटक गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) क्या स्वैच्छिक पृथक योजना के जरिए कामगारों को दी गई प्रतिपूर्ति संबंधी एकबारगी धनराशि अधर में है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या उक्त इकाई को 1982 में आरंभ किया गया था लेकिन केन्द्रीय वित्त मंत्रालय के आदेश के बाद इसे 1986 में बंद कर दिया गया; और

(च) यदि हां, तो इसका ब्यौरा और कारण क्या हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (घ) हल्दिया इकाई सहित हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एच०एफ०सी०) को बंद करने के सरकार के निर्णय के परिणामस्वरूप कम्पनी ने अपनी सभी कर्मचारियों को सरकार द्वारा वित्त पोषित की जाने वाली स्वैच्छिक पृथक्करण योजना के तहत लाभों की पेशकश की है। सभी कर्मचारियों को उनके देयों का भुगतान किया जायेगा।

(ङ) और (च) यद्यपि, यांत्रिक रूप से 1979 में पूर्ण हो गई हल्दिया इकाई कभी भी प्रारंभ नहीं की जा सकी।

बिक्री कर विभाग के विरूद्ध अपील

71. **श्री शीश राम सिंह रवि :** क्या **उप प्रधान मंत्री** 20 मार्च, 2002 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2747 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय भंडार द्वारा दिल्ली बिक्री-कर-विभाग द्वारा रखी गई मांग के विरूद्ध दर्ज की गई अपील को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है; और

(ग) दिल्ली बिक्री-कर-विभाग को प्रस्तुत किए जाने वाले अभिलेखों का ब्योरा क्या है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) केन्द्रीय भण्डार द्वारा दायर की गई पहली अपील, प्रथम अपीली प्राधिकारी द्वारा खारिज कर दी गई है। केन्द्रीय भण्डार ने बिक्री-कर-अपीली अधिकरण के समक्ष दूसरी अपील दायर करने का निर्णय किया है।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के बिक्री-कर-विभाग की अपेक्षा के अनुसार, संगत दस्तावेज़ अर्थात् लेखा-पुस्तिका, खाता-लेखा, तुलन-पत्र की प्रतियां आदि उसके समक्ष प्रस्तुत कर दिए गए।

विभिन्न राज्यों में उर्वरक की खपत

72. **श्री मोहन रावले :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में उर्वरक की प्रति हेक्टेयर खपत कितनी है;

(ख) गत एक वर्ष के दौरान विभिन्न राज्यों को आपूर्ति की गई यूरिया एवं अन्य उर्वरकों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रत्येक राज्य को उर्वरकों की आपूर्ति उनकी मांग के अनुरूप की गई थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) मांग को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) राज्यवार प्रति हैक्टेयर उर्वरक खपत संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) वर्ष 2001-02 के लिये प्रमुख उर्वरकों नामत: यूरिया, डी०ए०पी० और एम०ओ०पी० की राज्यवार मांग और आपूर्ति दर्शाने वाला विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) से (ङ) इन उर्वरकों की आपूर्ति राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त थी। वर्ष के दौरान किसी भी राज्य से किसी भी उर्वरक की कमी की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

विवरण-I

प्रति हेक्टेयर फसल क्षेत्र के लिए अनुमानित उर्वरकों का खपत

(किग्रा० एन+पी+के)

क्रम सं०	राज्य	2001-02
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	143.46
2.	कर्नाटक	101.48
3.	केरल	60.72
4.	तमिलनाडु	141.55
5.	गुजरात	85.52
6.	मध्य प्रदेश	39.96*
7.	महाराष्ट्र	76.24
8.	राजस्थान	36.86
9.	हरियाणा	155.69
10.	हिमाचल प्रदेश	41.40
11.	जम्मू तथा कश्मीर	64.55

विवरण-

दिनांक 18.2.2003 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न वर्ष 2001-02 के दौरान यूरिया, डी०ए०पी० व

क्र० सं०	राज्य	यूरिया						डी०ए०पी०		
		खरीफ 2001			रबी 2001-02			खरीफ 2001		
		आंकलित मांग	उपलब्धता	बिक्री	आंकलित मांग	उपलब्धता	बिक्री	आंकलित मांग	उपलब्धता	बिक्री
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	आंध्र प्रदेश	1050.00	922.83	741.38	1056.00	1217.24	1024.91	450.00	314.51	268.10
2.	कर्नाटक	680.00	593.91	558.59	330.00	382.10	364.36	300.00	265.17	208.89
3.	केरल	65.00	62.89	49.07	60.00	54.52	46.87	6.00	8.14	4.82
4.	तमिलनाडु	370.00	374.68	283.80	550.00	601.50	487.80	120.00	116.29	100.77
5.	गुजरात	510.00	533.61	484.55	625.00	566.89	506.50	225.00	261.17	224.84
6.	मध्य प्रदेश	380.00	457.52	333.62	600.00	461.15	366.56	225.00	324.70	263.82
7.	छत्तीसगढ़	250.00	327.16	272.28	75.00	126.99	93.87	68.00	87.94	70.44
8.	महाराष्ट्र	1180.00	1149.20	994.85	700.00	717.90	615.97	350.00	256.42	231.05
9.	राजस्थान	450.00	557.05	428.03	600.00	717.66	678.12	250.00	252.45	208.75
10.	गोवा	1.50	2.00	1.94	2.20	1.27	1.22	0.20	0.43	0.34

1	2	3
12.	पंजाब	173.38
13.	उत्तर प्रदेश	130.44 **
14.	बिहार	87.39 $
15.	उड़ीसा	40.91
16.	पश्चिम बंगाल	126.82
17.	अरूणाचल प्रदेश	2.88
18.	असम	38.81
19.	त्रिपुरा	30.45
20.	मणिपुर	104.94
21.	मेघालय	17.16
22.	नागालैंड	2.13
23.	मिजोरम	13.72
24.	सिक्किम	9.72
25.	गोवा	34.28
26.	दिल्ली	59.90
	अखिल भारत	90.12

*छत्तीसगढ़ सम्मिलित है।

**उत्तराचंल सम्मिलित है।

$झारखंड सम्मिलित है।

II

सं० 72 के भाग (ख) में उल्लिखित विवरण

एम०ओ०पी० की राज्यवार मांग, उपलब्धता और बिक्री

(000 टन)

एम०ओ०पी०								
रबी 2001-02			खरीफ 2001			रबी 2001-02		
आंकलित मांग	उपलब्धता	बिक्री	आंकलित मांग	उपलब्धता	बिक्री	आंकलित मांग	उपलब्धता	बिक्री
12	13	14	15	16	17	18	19	20
325.00	304.15	270.86	125.00	139.40	119.79	120.00	156.81	143.36
155.00	195.38	171.84	160.00	156.63	135.53	90.00	104.03	96.55
5.00	6.17	5.19	80.00	62.63	53.66	60.00	53.23	45.69
160.00	139.54	132.14	130.00	159.03	131.08	215.00	193.49	182.31
225.00	191.08	175.29	40.00	73.91	43.50	60.00	74.56	63.31
343.00	246.54	135.33	20.00	32.13	15.34	22.00	20.18	12.16
18.00	40.97	23.11	25.00	29.51	24.13	10.00	17.78	7.45
225.00	245.82	189.11	150.00	149.33	114.65	125.00	145.59	117.51
250.00	201.14	149.50	2.00	6.56	4.92	6.00	5.48	4.81
0.15	0.30	0.29	0.50	0.45	0.43	0.30	0.26	0.25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11.	हरियाणा	580.00	721.60	529.86	900.00	1004.46	915.49	160.00	275.70	149.33
12.	हिमाचल प्रदेश	30.00	27.54	25.89	25.00	19.27	18.95	0.30		
13.	जम्मू तथा कश्मीर	64.00	47.23	34.47	48.00	48.31	47.36	33.81	12.01	11.67
14.	पंजाब	1000.00	1036.25	890.58	1100.00	1161.76	1091.81	225.00	470.40	344.80
15.	उत्तर प्रदेश	2150.00	2753.00	2283.22	2300.00	2725.13	2490.34	450.00	573.09	430.54
16.	उत्तरांचल	107.00	124.61	92.12	72.00	87.50	70.74	16.00	7.57	4.38
17.	दिल्ली	5.00	6.91	1.89	20.00	4.32	2.89	2.00	1.06	1.06
18.	बिहार	650.00	721.07	598.48	680.00	679.39	616.11	160.00	110.58	91.77
19.	झारखण्ड	80.00	114.18	94.46	40.00	62.27	40.83	30.00	68.14	59.29
20.	उड़ीसा	360.00	400.86	314.99	160.00	139.32	83.24	90.00	64.96	56.70
21.	पश्चिम बंगाल	470.00	443.74	369.11	680.00	679.02	591.79	180.00	133.16	111.05
22.	असम	73.00	84.36	66.10	84.55	77.65	57.92	30.00	22.55	16.87
23.	मणिपुर	31.00	31.79	31.00	9.30	9.20	7.86	4.00	0.00	0.00
24.	मेघालय	3.00	2.93	2.93	2.50	3.00	2.78	1.00	1.32	1.32
25.	नागालैण्ड	0.50	0.88	0.06	0.13	0.40	0.00	0.35	0.00	0.00
26.	सिक्किम	0.50	0.80	0.80	0.50	0.60	0.20	0.35	0.00	0.00
27.	त्रिपुरा	9.70	11.65	8.39	12.00	10.41	7.11	2.30	0.18	0.18
28.	अरूणाचल प्रदेश	0.60	0.94	0.02	0.43	0.65	0.03	0.06	0.00	0.00
29.	मिजोरम	0.30	0.73	0.22	0.40	0.55	0.00	0.60	0.00	0.00
	अखिल भारत	10561.55	11523.43	9501.12	10744.15	11575.64	10244.42	3383.65	3630.94	2863.08

आंध्र प्रदेश में शहरी गरीबी में कमी लाने की परियोजना

73. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक एवं इटली की सरकार ने हैदराबाद एवं सिकन्दराबाद के जुड़वा शहरों में प्रस्तावित शहरी गरीबी में कमी लाने की परियोजना हेतु आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार के साथ चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो की गई चर्चा का क्या परिणाम निकले;

(ग) क्या विश्व बैंक एवं इटली की सरकार के द्वारा परियोजना को मंजूरी दे दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अद्यतन स्थिति क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) विश्व बैंक और इटली सरकार ने शहरी गरीबी में कमी लाने की परियोजना हेतु आंध्र प्रदेश सरकार के साथ बातचीत की है। विश्व बैंक द्वारा ''नगर समूह'' ढांचे के भीतर शुरू की गई परियोजना आंध्र प्रदेश के श्रेणी-II के 6 कस्बों के लिए तकनीकी सहायता हेतु लगभग 10.7 मिलियन अमेरिकी डालर की इटालियन अनुदान राशि से संबंधित है। परियोजना का उद्देश्य शहरी गरीबों की संवेदनशील स्थिति एवं गरीबी में कमी लाना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

12	13	14	15	16	17	18	19	20
310.00	330.87	310.72	10.00	12.18	4.34	8.00	14.32	10.18
0.50	0.20	0.20	0.30			3.00	3.83	3.83
29.23	27.44	22.81	7.30	1.00	0.51	7.10	2.10	1.94
430.00	373.80	356.78	25.00	41.99	30.24	15.00	21.34	12.74
975.00	1039.29	909.23	65.00	83.65	38.38	90.00	67.24	49.45
26.09	14.22	14.18	12.50	1.88	1.22	6.13	3.05	1.84
5.00	0.87	0.87	0.50			1.00	0.00	0.00
200.00	108.16	96.02	35.00	37.70	21.52	70.00	62.57	54.19
15.00	47.49	45.65	50.00	1.35	0.95	13.00	1.20	1.19
50.00	44.69	26.63	60.00	68.02	54.76	43.00	32.82	28.01
320.00	295.70	259.19	100.00	171.58	109.22	225.00	215.15	193.10
36.00	11.86	5.67	30.00	41.16	27.01	35.45	39.52	24.43
1.50	0.00	0.00	2.00			1.00	0.00	0.00
0.80	0.44	0.44	0.21	0.04	0.04	0.25	0.06	0.06
0.18	0.00	0.00	0.05			0.02	0.00	0.00
0.45	0.00	0.00	0.05			0.15	0.00	0.00
0.10	0.10	0.10	4.36	0.85	0.85	4.08	0.39	0.39
0.24	0.00	0.00	0.02			0.12	0.00	0.00
0.60	0.00	0.00	0.45			0.40	0.02	0.02
4110.94	3871.20	3305.87	1538.48	1658.00	1282.23	1535.91	1716.05	1502.67

यूरिया उत्पादन

74. श्रीमती प्रभा राव :
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत एक वर्ष के दौरान यूरिया के उत्पादन में गिरावट आई है;

(ख) क्या यूरिया के उत्पादन में भी गिरावट आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण के साथ कि यूरिया की निम्न खपत से खरीफ फसल की बुआई पर असर न पड़े, यूरिया के उत्पादन एवं खपत में वृद्धि लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ग) वर्ष 2000-01, 2001-02 के दौरान यूरिया के उत्पादन और खपत तथा वर्ष 2002-03 के लिए अनुमान नीचे दिये गए हैं :–

(लाख मी० टन)

वर्ष	उत्पादन	खपत/बिक्री
2001-02	191.73	199.17
2002-03 (अनुमानित)	189.00	186.00

चालू वर्ष में यूरिया के उत्पादन में वर्ष 2001-02 की तुलना में कमी मुख्यत: गैस पर आधारित गैस संयंत्रों में प्राकृतिक गैस की

कमी और दिनांक 1.4.2002 से फैक्ट: कोचीन-I एफ०सी०आई० सिन्दरी, एन०एल०सी०: नेवली और डी०आई०एल०: कानपुर के बंद रहने के कारण हुई है। खरीफ मौसमों में व्यापक सूखा के कारण और चालू रबी मौसमों में ज्यादा अनुकूल मौसम स्थिति न होने के कारण वर्ष 2002-03 में भी यूरिया की खपत कम होगी।

(घ) यूरिया उद्योग स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने के लिए मुख्यत: दो मोर्चों अर्थात् प्रथम-विशेषकर गैस आधारित आर०सी०एफ० – थाल और कृभको-हजीरा जैसे यूरिया संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में नियंत्रण द्वितीय-पुराने विटेंज संयंत्रों में बारम्बार बंदीकरण/खराबी के कारण समस्याओं का सामना कर रहा है। यूरिया संयंत्रों को पर्याप्त तथा अच्छी गुणवत्ता वाली गैस उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध कर रहा है। बहुत सी उर्वरक कम्पनियां गैस की घरेलू उपलब्धता से बाधाओं पर काबू पाने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस के संभावी आपूर्तिकत्ताओं के साथ दीर्घावधि समझौते करने के लिए कदम उठा रही है। बहुत सी यूरिया इकाईयों ने वैकल्पिक फीड की सम्पूर्ति के लिए नेफ्था की दोहरी ईंधन सुविधा भी स्थापित की है। प्रतिधारण मूल्य-सह-राज सहायता योजना के तहत पूंजी वृद्धि को भी मान्यता दी जा रही है ताकि यूरिया इकाईयों को उपकरण खराबियों आदि पर काबू पाने के लिए मौजूदा संयंत्रों का विस्तार/रेट्रो-फिटिंग/पुनरूद्धार करके उनकी दक्षता में सुधार करने के लिए निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

तथापि, सरकार अगले खरीफ मौसमों के लिए विभिन्न राज्यों की मांग को पूरा करने हेतु यूरिया की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करेगी।

दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार

75. **श्री बीर सिंह महतो :**
प्रो० दुखा भगत :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आज की तिथि तक दिल्ली विकास प्राधिकरण के कितने अधिकारी भ्रष्टाचार के मामलों में दंडित किए गए हैं;

(ख) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जिनके विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की जांच चल रही है;

(ग) उनके विरुद्ध लगाए गए एवं साबित किए गए आरोपों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार की बुराई को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि गत तीन वर्षों के दौरान 2000-2001 से 2002-2003 तक 6 अधिकारी/कर्मचारी आपराधिक मामलों में दोषी सिद्ध होने के कारण सेवा से हटाए/बर्खास्त किए गए थे।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण के नौ अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जांच की जा रही है।

(ग) उपर्युक्त पैरा (ख) में उल्लिखित नौ अधिकारियों के विरुद्ध रद्द आवंटनों को गैर-कानूनी रूप से दुबारा देने और तत्पश्चात उन फ्लैटों का अधिमूल्य पर निपटान करने का आरोप लगाया गया था। केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो से जांच रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया कि दिल्ली विकास प्राधिकरण में भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए विभिन्न उपाय किए गए हैं। निवारक, जासूसी और दण्डात्मक के रूप में त्रिपक्षीय रणनीति अपनाई गई है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेश कड़ाई से क्रियान्वित किए जा रहे हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने, कम्प्यूटरीकरण और ई-प्रशासन शुरू करने और साथ यही सभी स्तरों पर कड़ी सतर्कता बनाए रखने के लिए भी उपाय किए गए हैं। लोगों की सहायता के लिए विकास सदन के मुख्य स्वागत हॉल में कॉउंसलर/सुविधाकार बैठाए गए हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी लोक शिकायतों की निगरानी करते हैं और जनता की शिकायतों के निपटान हेतु उनके लिए उपलब्ध रहते हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग

76. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को गठित करने के क्या उद्देश्य थे और देश में विश्वविद्यालयीन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आयोग द्वारा क्या भूमिका निभाई जानी अपेक्षित है;

(ख) क्या सरकार ने उपलब्धियों का एवं इसके कार्य निष्पादन में कमियों/त्रुटियों का आकलन करने हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा किन उपायों पर विचार किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) भारत सरकार के एक संकल्प (नवम्बर 1952) के तहत दिसम्बर 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना की गई थी और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत नवम्बर, 1956 में एक निगमित निकाय के रूप में इसका पुनर्गठन किया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मुख्य कार्य इस प्रकार हैं : विश्वविद्यालय शिक्षा का संवर्धन करना तथा समन्वयन करना और विश्वविद्यालयों में शिक्षण, परीक्षा तथा अनुसंधान के स्तर निर्धारित करना एवं उन्हें बनाए रखना, आदि। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग केंद्रीय विश्वविद्यालयों/कालेजों तथा सम-विश्वविद्यालयों को उनके अनुरक्षण तथा विकास के लिए अनुदान आबंटित करके तथा उनकी प्रतिपूर्ति करके और उसके लिए आवश्यक उपायों की सिफारिश करके इन कर्तव्यों को पूरा करता है।

(ख) से (घ) केंन्द्र सरकार ने हाल के वर्षों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की कोई समीक्षा नहीं की है। तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार उसने समय-समय पर अपने कार्यकलापों की समीक्षा करवाई है।

पीपुल्स वार ग्रुप एवं आई०एस०आई० की गतिविधियां

77. **श्री कालवा श्रीनिवासुलु** : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्तूबर, 2002 में नेपाल/बिहार सीमा पर पीपुल्स वार ग्रुप एवं पाकिस्तानी आई०एस०आई० के प्रतिनिधियों की मुलाकात हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त बैठक के बाद उग्रवादी हिंसा में बढ़ोतरी हुई है; और

(घ) इनके गठजोड़ की रोकथाम हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्र सरकार को ऐसी बैठक के संबंध में कोई सचूना नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केन्द्र सरकार ने देश में उग्रवादी संगठनों से सम्पर्क स्थापित करने की पाक आई०एस०आई० की योजनाओं को विफल करने के लिए एक सुसमन्वित और बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है। विशेष सेवा ब्यूरो (एस०एस०बी०) को भारत-नेपाल सीमा पर तैनात किया गया है। वामपंथी अतिवादी से प्रभावित नेपाल से लगने वाले राज्यों को, भारतीय सीमा के भीतर पाक आई०एस०आई० की अवांछित गतिविधियों को रोकने हेतु नेपाल की सीमा से लगने वाले क्षेत्रों में गश्त गहन करने के प्रति सुग्राही बनाया गया है। आसूचना के संग्रहण और समन्वय में सुधार लाने के लिए भी कदम उठाए गए हैं।

सीमा क्षेत्र विकास

78. **श्री संतोष मोहन देव :**
श्री हरिभाई चौधरी :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में सीमा क्षेत्र विकास हेतु आबंटित धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के अंतर्गत किए गए कार्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 1998-99 से भारत बांग्ला देश सीमा से लगी सीमा सड़कों के निर्माण हेतु किया गया वर्षवार आबंटन कितना है; और

(घ) असम के कछार जिले में चार संपर्क सड़कों, विशेष कर गुमराह नातनपुर सड़क और बालेश्वर पुल की स्थिति क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी०ए०डी०पी०) के अंतर्गत पिछले तीन सालों के दौरान, राज्यवार आवंटित निधियों के ब्यौरे विवरण-I पर दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत शुरू की जाने वाली स्कीमों का निर्णय सम्बन्धित राज्य सरकार के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय छान-बीन समितियों द्वारा किया जाता है। प्रारंभ की जाने वाली स्कीमें ग्रामीण स्वच्छता, विद्युतीकरण, विद्यमान सड़कों के सुदृढ़ीकरण आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सामाजिक और आधारभूत संरचना, से संबंधित है।

(ग) भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने और सड़क निर्माण परियोजना के अंतर्गत सीमा सड़कों के निर्माण के लिए निधियों का वर्ष-वार आवंटन विवरण-II पर दिया गया है।

(घ) भारत-बांग्ला देश सीमा पर बाड़ लगाने तथा सड़क निर्माण परियोजना के भाग के रूप में सुरमा नदी के दांहिने तट पर पुश्ता-एवं-सड़क के निर्माण और इस पर 35 कि०मी० लम्बी संयुक्त बाड़ लगाने का अनुमोदन किया गया है। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने तथा सड़क निर्माण परियोजना के एक भाग के रूप में राष्ट्रीय राजमार्ग से प्रस्तावित भारत-बांग्लादेश सीमा सड़क तक चार फीडर सड़कों के सुधार का काम सीमा चौकी सं० 1341 से सीमा चौकी सं० 1348 तक के हिस्सें में किए जाने का प्रस्ताव था। ये सड़कें ग्राम/राज्य

लोक निर्माण विभाग की सड़कें हैं तथा इनमें से बालेश्वर आर०सी०सी० ब्रिज गुमराह-नातनपुर सड़क पर पड़ता है, जो कि राज्य लोक निर्माण विभाग की सड़क है। इस मामले पर विचार किया गया है और इन सड़कों/पुलों को भारत-बांग्लादेश सीमा निर्माण कार्यों में शामिल करना, सीमा सुरक्षा बल के लिए इन सड़कों/पुलों की अनिवार्यता पर निर्भर करेगा।

विवरण-I

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन सालों के दौरान आवंटित निधियां

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	वर्ष		
	1999-2000	2000-2001	2001-2002
1	2	3	4
अरूणाचल प्रदेश	13.00	13.51	13.51
असम	7.20	7.48	7.48
बिहार	7.00	7.28	7.28
गुजरात	9.87	10.26	10.26
हिमाचल प्रदेश	4.00	4.16	4.16
जम्मू और कश्मीर	33.52	34.85	34.85
मणिपुर	4.00	4.16	4.16
मेघालय	4.52	4.70	4.70
मिजोरम	8.00	8.32	8.32
नागालैंड	4.00	4.16	4.16
पंजाब	9.70	10.08	10.08
राजस्थान	37.17*	30.32	30.32
सिक्किम	5.50	5.72	5.72
त्रिपुरा	12.47	12.96	12.96
उत्तरांचल	शून्य	4.16	4.16
उत्तर प्रदेश	12.00	8.32	8.32
पश्चिम बंगाल	38.05	39.56	39.56
कुल	210.00	210.00	210.00

*इसमें इन्दिरा गांधी नहर परियोजना (आई०जी०एन०पी०) के लिए 8.00 करोड़ रुपये शामिल हैं।

विवरण-II

भारत-बांग्लादेश सीमा पर सीमा सड़कों के निर्माण के लिए वर्ष 1998-99 से वर्षवार आवंटन

(आंकड़े करोड़ रुपये में)

राज्य का नाम	वर्ष							
	1998-1999	1999-2000	2000-2001			2001-2002		
	चरण-I	चरण-I	चरण-I	चरण-II	कुल	चरण-I	चरण-II	कुल
असम	1220.00	1000.00	1100	—	1100	शून्य	1286	1286
पश्चिम बंगाल	4855.00	5685.00	4100	—	4100	2465	—	2465
मेघालय	150.00	135.00	200	9.75	209.75	133	451.08	584.08
त्रिपुरा	2125.00	1200.00	2000	—	2000	1175	—	1175
मिजोरम	640.00	730.00	520	18.00	538.00	262	1123	1385
कुल	8990.00	8750.00	7920	27.75	7947.75	4035	2860.08	6895.08

नोट : चरण-II के अंतर्गत कार्य जून, 2000 में स्वीकृत किया गया।

ग्रामीण विकास

79. **श्री ज्योतिरादित्य मा० सिंधिया :**
प्रो० ए०के० प्रेमाजम :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछली पंचवर्षीय योजना की तुलना में नौंवी पंचवर्षीय योजना के दौरान ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उपशमन हेतु प्राप्त की गई उपलब्धियां कम थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए उत्तरादायी कारण क्या हैं; और

(ग) दसवीं योजना के दौरान गरीबी उपशमन में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) गरीबी अनुपातों में गरीबी उपशमन की उपलब्धियां प्रतिलक्षित होती हैं। योजना आयोग द्वारा प्राप्त गरीबी अनुमानों के अनुसार, ग्रामीण गरीबी वर्ष 1993-94 में 37.27% से घटकर 1999-2000 में 27.09% रह गई। पंचवर्षीय योजना अवधियों के सदृश गरीबी अनुमानों का अलग से अनुमान नहीं लगाया जाता।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने बहु-आयामी गरीबी से निपटने के लिए तीन-सूत्री नीति अपनाई है जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक प्रगति, मानव विकास और सीधा हस्तक्षेप सम्मिलित है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सशक्त पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भूमिका और समुदायों की भागीदारी भी अपेक्षित है।

[हिन्दी]

महिला स्व-सहायता समूह

80. **श्री रतन लाल कटारिया :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में महिला अधिकारिता हेतु वर्तमान में कार्यरत महिला स्व-सहायता समूहों की संख्या कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन समूहों द्वारा प्राप्त की गई उपलब्धियां क्या रहीं; और

(ग) महिलाओं के सर्वांगीण पुनर्वास हेतु आरंभ की गई स्वयं सिद्ध एवं स्वधारा योजना के अन्तर्गत आज की तिथि तक लाभान्वित महिलाओं की संख्या कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) से (ग) महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्व-शक्ति तथा स्वयंसिद्धा स्कीमों के अंतर्गत, देश में 72640 महिला स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है। इन समूहों की उपलब्धियों में बचत, अन्तर-वैयक्तिक ऋण, बैंकों के साथ संपर्क, आर्थिक उद्यम, विभिन्न सरकारी और अन्य स्कीमों के साथ संकेन्द्रण तथा सामुदायिक परिसम्पत्तियों का विकास शामिल है।

अनुमान है कि दिनांक 31.3.2006 तक स्व-शक्ति तथा स्वयंसिद्धा स्कीमों के तहत 10.69 लाख महिलाएं लाभान्वित होंगी।

स्वाधार स्कीम के अंतर्गत लगभग 3000 महिलाएं अब तक लाभ प्राप्त कर चुकी हैं।

[अनुवाद]

पोटा का प्रयोग

81. **श्री सुबोध मोहिते :**
श्री श्रीनिवासन पाटील :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को कतिपय व्यक्तियों के विरूद्ध कथित रूप से गलत तरीके से पोटा, 2002 लगाए जाने की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इन संबंधित/अन्य लोगों से पोटा के कथित दुरूपयोग के बारे में कोई अभ्यावेदन/शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(घ) राज्यों द्वारा इस कानून के औचित्यपूर्ण एवं उचित प्रवर्तन को सुनिश्चित करने हेतु कानून में संशोधन करने सहित क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश राज्य सरकारों द्वारा पोटा-2002 के तथाकथित दुरूपयोग के विरूद्ध केन्द्र सरकार को तमिलनाडु से बड़ी संख्या में और उत्तर प्रदेश तथा झारखंड से एक-एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(घ) इस समय पोटा, 2002 को संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण पोटा, 2002 के कार्यान्वयन की प्रारम्भिक जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है। तथापि, राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को इस अधिनियम का उचित और पारदर्शी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने की सलाह दी गई है।

निदेशक (मुद्रण) द्वारा स्टाफ कार का दुरुपयोग

82. **श्री अधीर चौधरी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुद्रण निदेशालय के निदेशक (मुद्रण) को सितंबर, 1990 से विभागीय कार का दुरुपयोग करते हुए पाया गया है;

(ख) क्या सरकार ने भूतलक्षी प्रभाव से इसे सही ठहराने हेतु जुलाई/अगस्त, 2001 में वित्त मंत्रालय से विशेष अनुमति प्राप्त की है; और

(ग) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) एक संसद सदस्य (लोक सभा) ने अपने दिनांक 23.4.2001 के अ०शा० पत्र के तहत अन्य बातों के साथ-साथ यह मामला उठाया था कि मुद्रण निदेशक अपने निवास से कार्यालय तथा वापस आने-जाने के लिए सितंबर 1990 से नियमित रूप से स्टाफ कार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

(ख) यह पाया गया था कि यद्यपि मुद्रण निदेशक संयुक्त सचिव के समकक्ष पद के धारक नहीं है लेकिन वे कार्यालय प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं जिसका देश व्यापी क्षेत्राधिकार है। यह समझा गया था कि उनके निवास से कार्यालय तथा वापस आवाजाही के लिए स्टाफ कार का इस्तेमाल करने की सुविधा से अवश्य ही कार्यालय प्रमुख के रूप में उनके कार्यों में मदद मिलेगी। तदनुसार ऐसा प्रस्ताव जुलाई, 2001 में व्यय विभाग को भेजा गया था। उस विभाग ने दिनांक 6.8.2001 के अपने यू०ओ० नोट के तहत विशेष मामले के रूप में प्रस्ताव की सहमति दे दी।

(ग) उपर्युक्त के आलोक में अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई न्यायसंगत नहीं है।

भारत-नेपाल सीमा पर आई०एस०आई० की गतिविधियां

83. **डा० (कर्नल सेवानिवृत्त) धनी राम शांडिल्य :**
श्री वी० वेत्रिसेलवन :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार स्थित भारत-नेपाल की लगभग 750 किलोमीटर लंबा खुला सीमा क्षेत्र आतंकवादियों के लिए खुला मार्ग बन गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या पाकिस्तानी आतंकवादी भारत की शांति एवं अर्थव्यवस्था को ध्वस्त करने हेतु इस मार्ग का धड़ल्ले से उपयोग कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(घ) क्या सरकार ने भारत-नेपाल सीमा पर बढ़ रही आई०एस० आई० की गतिविधियों के संबंध में नेपाल सरकार के साथ कोई वार्त्ता की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या इस मुद्दे पर दोनों देशों के विचारों में मत भिन्नता है, जैसाकि दिनांक 23.11.02 के 'द हिन्दुस्तान टाईम्स' में प्रकाशित हुआ है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ज) भारत-नेपाल सीमा पर आई०एस०आई० द्वारा चलाई जा रही भारत विरोधी गतिविधियों को रोकने हेतु दोनों सरकारों द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) भारत सरकार को यह ज्ञात है तथा वह इस बात से चिन्तित है कि पाकिस्तान और इसकी आसूचना एजेन्सियां भारतीय उग्रवादी तत्वों की सहायता से भारत के हितों के प्रतिकूल गतिविधियां चलाने के लिए भातर-नेपाल खुली सीमा का लाभ उठा रही हैं। ऐसी रिपोर्ट है कि ये तत्व जाली मुद्रा के परिचालक, नशीली दवाईयों के अवैध व्यापार तथा हथियारों की तस्करी के लिए इस सीमा का दुरूपयोग कर रहे हैं। सरकार के ध्यान में ऐसी अनेक घटनाएं आई हैं जिनमें काठमंडू स्थित पाकिस्तानी दूतावास के स्टाफ सदस्यों को विस्फोटक पदार्थ तथा जाली भारतीय मुद्रा रखने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे अधिकारियों को बाद में नेपाल की सरकार ने देश छोड़कर जाने को कहा।

(घ) से (ङ) भारत सरकार ने नेपाली क्षेत्र में आई०एस०आई० की गतिविधियों तथा खुली भारत-नेपाल सीमा के दुरूपयोग संबंधी मुद्दों को नेपाल सरकार के साथ उठाया है। ऐसे मुद्दे द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र संस्थागत तंत्र जैसे सीमा प्रबंधन पर संयुक्त कार्य दल तथा गृह सचिव स्तरीय वार्ता के जरिए नेपाल के साथ उठाए गए हैं।

(च) से (ज) भारत और नेपाल सरकारें सभी रूपों और अभिव्यक्तियों में आतंकवाद से लड़ने पर सहमत हुई है और उन्होंने इस बात को दोहराया है कि वे अपने क्षेत्र का किसी भी देश के हितों के विरूद्ध गतिविधियां चलाने के लिए प्रयोग नहीं होने देंगे। नेपाल के साथ सहयोग बढ़ाने, विशेष रूप से प्रभावी सीमा प्रबंधन कार्यान्वित करने के लिए उपाय किए गए हैं। सीमा क्षेत्रों में सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए भारत-नेपाल सीमा पर संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष सेवा ब्यूरो (एस०एस०बी०) तैनात किया गया है।

[हिन्दी]

आपदा राहत कोष

84. **श्रीमती रेणूका चौधरी : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-03 के दौरान विभिन्न राज्यों, विशेषकर उत्तर प्रदेश को बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई एवं वहां ले जाई गई सडकों

की मरम्मत हेतु आपदा राहत कोष में से कितनी राशि सस्वीकृत एवं जारी की गई;

(ख) बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की जिलावार लम्बाई कितनी है; और

(ग) वहां ले जाई गई एवं क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत में देरी के क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) वर्ष 2002-2003 के लिए विभिन्न राज्यों को रिलीज की गई आपदा राहत निधि का केन्द्रीय हिस्सा दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है। उत्तर प्रदेश सरकार को, वर्ष 2002-2003 के दौरान, पिछले वर्ष की 57.60 करोड़ रु० की बकाया राशि सहित आपदा राहत निधि केन्द्रीय हिस्सें के रूप में 178.55 करोड़ की राशि जारी की गई। आपदा राहत निधि 11वें वित्त आयोग की सिफारिशों में निर्धारित मानदण्डों के अनुसार खर्च की जाती है। तदनुसार तत्काल स्वरूप के मरम्मत कार्य के अलावा क्षतिग्रस्त मूलभूत ढांचे की बहाली के लिए सहायता अनुज्ञेय नहीं है।

(ख) बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की लम्बाई के बारे में, जिले-वार सूचना केन्द्र सरकार के स्तर पर नहीं रखी जाती है।

(ग) सड़कों की मरम्मत और रखरखाव संबंधित राज्य सरकारों की जिम्मेवारी है।

विवरण

आपदा राहत निधि – 2002-03

(14.02.2003 की स्थिति के अनुसार)

(रु० लाखों में)

क्र० सं०	राज्य	केन्द्र का हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	2002-03 के दौरान जारी केन्द्र का हिस्सा	प्रथम किस्त 2002-03 के लिए देय राशि#	देय दूसरी किस्त
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	16377	5459	21836	12283.00 $	0.00	0.00
2.	अरूणाचल प्रदेश	994	331	1325	994.00	0.00	0.00
3.	असम	8392	2797	11189	8392.00	0.00	0.00
4.	बिहार	5537	1845	7382	8173.50 @	0.00	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2272	757	3029	2272.00	0.00	0.00
6.	गोवा	103	34	137	196.00 @	0.00	51.50
7.	गुजरात	13346	4449	17795	13346.00	0.00	0.00
8.	हरियाणा	6723	2241	8964	6723.00	0.00	0.00
9.	हिमाचल प्रदेश	3596	1199	4795	3596.00	0.00	0.00
10.	जम्मू और कश्मीर	2886	962	3848	5634.00 @	0.00	0.00
11.	झारखण्ड	4688	1563	6251	0.00	2344.00	2344.00
12.	कर्नाटक	6166	2055	8221	6166.00	0.00	0.00
13.	केरल	5560	1853	7413	5560.00	0.00	0.00
14.	मध्य प्रदेश	5178	1726	6904	5178.00	0.00	0.00
15.	महाराष्ट्र	12999	4333	17332	12999.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	मणिपुर	237	79	316	403.50 @	0.00	118.50
17.	मेघालय	326	109	435	0.00	163.00	163.00
18.	मिजोरम	246	82	328	468.50 @	0.00	123.00
19.	नागालैंड	162	54	216	81.00	0.00	81.00
20.	उड़ीसा	9052	3017	12069	9052.00	0.00	0.00
21.	पंजाब	10147	3382	13529	10147.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	17116	5705	22821	17116.00	0.00	0.00
23.	सिक्किम	571	190	761	557.50 @	0.00	285.50
24.	तमिलनाडु	8487	2829	11316	8487.00	0.00	0.00
25.	त्रिपुरा	430	143	573	430.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	12095	4032	16127	17854.50 @	0.00	0.00
27.	उत्तरांचल	2676	892	3568	2612.50	0.00	1338.00
28.	पश्चिम बंगाल	8360	2787	11147	12341.00 @	0.00	0.00
	कुल (राज्य)	164722	54905	219627	171063.00	2507.00	4504.50

$वर्ष 2002-03 के लिए आपदा राहत निधि के केन्द्रीय हिस्से का 25% 2001-02 के दौरान अग्रिम रूप से रिलीज किया गया था।

#केन्द्रीय हिस्से की शेष राशि, आपदा राहत निधि के गठन, पहले जारी की गई राशि को जमा खाते में लिखने, राज्य के समतुल्य हिस्से का अंशदान. उपयोगिता प्रमाण पत्र और वार्षिक रिपोर्ट के बारे में सूचना के अभाव में जारी नहीं की गई है।

@पिछले के बकाया सहित।

[अनुवाद]

दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधन समिति का चुनाव अभियान

85. श्री चन्द्रेश पटेल :
श्री जी०जे० जावीया :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधन समिति के चुनाव अभियान के दौरान करोल बाग में मारे गए व्यक्तियों, क्षतिग्रस्त घरों और जलाए गए वाहनों की संख्या कितनी है; और

(ख) इस संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा क्या कार्रवाई की गई और तत्संबंधी क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) करोल बाग क्षेत्र में उक्त चुनाव अभियान के दौरान ऐसी कोई घटना सूचित नहीं की गई।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालयों में मूल पाठ्यक्रम

86. श्री रवीन्द्र कुमार पाण्डेय : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विश्वविद्यालय मूल पाठ्यक्रम की अनदेखी कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) विश्वविद्यालयों से यह अपेक्षा की

जाती है कि वे समय समय पर विभिन्न ,विषयों की पाठ्यचर्या को संशोधित करें एवं अद्यतन बनाएं। इस कार्य में विश्वविद्यायों की मदद के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में विज्ञान, मानविकी और सामाजिक विज्ञान के 32 विषयों के विभिन्न विषय-क्षेत्रों में अवर स्नातक और स्नातकोत्तर स्तरों पर मॉडल पाठ्यचर्या तैयार करने का कार्य संपन्न किया। मॉडल पाठ्यचर्याओं को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा पूरे देश के विभिन्न विश्वविद्यालयों को इस सलाह के साथ परिचालित किया गया है कि वे इसे या तो पूर्णत: अपनाए या आवश्यक विलोपन/ संयोजन के बाद इसे अपनाए या फिर इसमें उचित समझे जाने वाले परिवर्तन करके वे इसे अपनाएं।

आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में मान्यता प्रदान किया जाना

87. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री रामजी लाल सुमन :
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री माणिकराव होडल्या गावित :
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने उनके मंत्रालय को सत्तर प्रतिशत से अधिक औद्योगिक इकाइयों वाले आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्र घोषित करने हेतु प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कालोनीवार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इन 24 आवासीय क्षेत्रों को औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में मान्यता प्रदान करने हेतु दिल्ली के मास्टर प्लान में संशोधन हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो ये 24 आवासीय क्षेत्र कौन-कौन से हैं और ये आवासीय कालोनियां कुल कितने भू-क्षेत्र में बसी हैं;

(ङ) वर्तमान में इन क्षेत्रों में उत्पादन में लगी औद्योगिक इकाइयों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने उक्त प्रस्ताव को लागू कस्ने के लिए कोई निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो उक्त निर्णय का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ग) जिन रिहायशी क्षेत्रों में 70% से अधिक क्षेत्र पर उद्योग हैं उनमें नॉन कन्फोर्मिंग उद्योगों को उसी स्थान पर नियमित करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण से एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस प्रकार के 24 रिहायशी क्षेत्र हैं जिनके नाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) और (ङ) इन क्षेत्रों में भूमि/औद्योगिक इकाइयों के विस्तार से संबंधित बयौरे एकत्र किए जा रहे हैं।

(च) और (छ) प्रस्ताव की जांच करने के लिए सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। समिति द्वारा सिफारिशें अभी प्रस्तुत की जानी है।

विवरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सिफारिश किए गए क्षेत्रों की सूची जिन्हें औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में उसी स्थान पर नियमित किया जाना है

1. शहजादा बाग एक्सटेंशन
2. नांगली सकरावती
3. मुण्डका
4. विश्वास नगर
5. ख्याला
6. त्रिनगर
7. शालीमार गांव
8. हस्तसाल
9. करावल नगर
10. पीरागढ़ी
11. बसई दारापुर
12. डाबरी
13. लिबासपुर
14. हैदरपुर
15. जी०टी० करनाल रोड (पॉकेट)
16. जवाहर नगर लोनी रोड़, शाहदरा
17. डब्ल्यू जैड 8-ए कीर्ति नगर
18. नवाडा
19. प्रहलादपुर

20. टीकरी गांव

21. नरेश पार्क एक्सटेंशन, नागलोई

22. न्यू मंडोली, शाहदरा

23. रिठाला

24. गांव सुल्तानपुर माजरा

बेहतर शिक्षा कार्यक्रम

88. डा० चरणदास महंत : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रीमंडलीय समिति ने देश में तकनीकी शिक्षा के स्तर में व्यापक सुधार लाने और इसे वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक की सहायता से कार्यान्वित किए जाने वाले बेहतर शिक्षा कार्यक्रम को अनुमोदित कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण स्तर को सुधारने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए कौन-कौन से शिक्षा संस्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) इस कार्यक्रम के अंतर्गत केन्द्र सरकार और राज्य सरकार की हिस्सेदारी कितनी है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (ग) आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडलीय समिति ने एशियाई विकास बैंक की सहायता से कार्यान्वित किए जाने वाले किसी ''गुणवत्ता शिक्षा कार्यक्रम'' को अनुमोदित नहीं किया है। तथापि, इस समिति ने विश्व बैंक की सहायता से कार्यान्वित करने के लिए ''भारत सरकार के तकनीकी शिक्षा गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम'' को अनुमोदित किया है। यह कार्यक्रम तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में सहायक होगा तथा इस दिशा में भारत सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करेगा। इसके अतिरिक्त यह कार्यक्रम संस्थाओं की मौजूदा क्षमताओं में वृद्धि करेगा ताकि ये संस्थान सक्रिय, मांग आधारित, गुणवत्ता के प्रति सजग, दक्षतापूर्ण तथा प्रगतिशील, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर हो रहे त्वरित आर्थिक तथा प्रौद्योगिकीय विकास के प्रति प्रतिक्रियाशील हों।

इस कार्यक्रम के तहत संस्थाओं के चयन की प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। दसवीं योजनावधि के लिये इस कार्यक्रम की कुल लागत 1550 करोड़ रु० है जिसमें 350 करोड़ रु० केन्द्रीय घटक तथा 1200 करोड़ रु० राज्य घटक के लिए है।

[अनुवाद]

समेकित बाल विकास सेवा परियोजना

89. कर्नल (सेवानिवृत्त) सोना राम चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान स्वीकृत समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान ऐसी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु प्रत्येक राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई;

(ग) आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान उन राज्यों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है, जिन्होंने इन योजनाओं का कार्यान्वयन नहीं किया है;

(घ) उक्त योजनावधि के दौरान इन समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं पर प्रत्येक राज्य द्वारा कितनी राशि का उपयोग किया गया है;

(ङ) क्या राज्यों द्वारा बाल विकास में हासिल की गई प्रगति राशि के उपयोग के अनुरूप है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) आठवीं योजनावधि के दौरान कुल 1587 परियोजनाएं और नौवीं योजनावधि के दौरान 1289 परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं।

(ख) से (घ) आठवीं और नौवीं योजनावधि के दौरान सभी राज्यों ने इस स्कीम को कार्यान्वित किया और इस अवधि के दौरान प्रत्येक राज्य को निर्मुक्त और उसके द्वारा प्रयुक्त राशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) और (च) देश ने बच्चों की उत्तरजीविता और विकास के संबंध में उनसे की गई प्रतिबद्धता को पूरा करने में काफी प्रगति हासिल की है। अत:, वर्ष 1992-93 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-1 के अनुसार, कम वज़नी बच्चों (0-4 वर्ष) का प्रतिशत 53.40, शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 78.50 और जन्म के समय कम वज़नी शिशुओं का प्रतिशत 33 था। 1998-99 में आयोजित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 के अनुसार कम वजनी बच्चों (0-3 वर्ष) का प्रतिशत घटकर 47, शिशु मृत्यु दर घटकर प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चों पर 67.60 और जन्म के समय कम वज़नी शिशुओं का प्रतिशत घटकर 22.70 हो गया है।

विवरण

आठवीं योजनावधि के दौरान आई०सी०डी०एस० (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि और व्यय का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1992-93		1993-94		1994-95		1995-96		1996-97	
		निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश		1477.35	1819.26	1477.35	1796.63	1998.29	2944.16	2104.57	2950.58	2733.32
2.	अरूणाचल प्रदेश	254.72	175.86	501.83	501.43	364.43	276.73	657.98	370.42	402.79	425.63
3.	असम	875.90	803.61	1129.93	1287.00	2006.10	1971.79	1859.19	1277.72	1741.46	1689.74
4.	बिहार	3171.41	2594.93	2867.11	3131.00	4779.49	2716.17	2955.19	1461.82	2450.28	1262.85
5.	गोआ	102.20	129.79	180.26	153.74	144.57	183.32	189.63	190.45	166.45	189.68
6.	गुजरात	1496.87	1695.75	2270.17	2138.65	1986.58	1720.00	2477.95	3203.04	4355.36	3988.78
7.	हरियाणा	597.30	541.15	829.86	818.38	703.74	825.46	1026.86	931.06	1473.45	1877.29
8.	हिमाचल प्रदेश	471.48	421.95	587.34	471.53	519.9	567.2	852.93	639.84	704.32	700.15
9.	जम्मू व कश्मीर	572.17	355.88	710.25	499.54	708.32	577.43	902.98	682.13	1531.59	1869.58
10.	कर्नाटक	2123.30	1919.05	3201.45	2582.24	2874.87	3194.23	4153.54	3647	4132.23	4100.79
11.	केरल	839.39	827.25	1259.01	1163.44	1252.62	1335.10	1788.95	1679.02	2390.12	1903.45
12.	मध्य प्रदेश	3091.00	2207.67	2631.69	3834.50	4088.09		3902.20	3496.74	3898.16	4022.99
13.	महाराष्ट्र	2484.09	2210.95	3484.91		3527.81	4253.80	5409.35		5682.23	5694.70
14.	मणिपुर	300.24	300.24	409.47	351.06	338.68	401.60	484.31	405.51	472.55	510.82
15.	मेघालय	334.21	202.34	462.88	288.42	333.72	201.58	549.69	317.59	120.98	348.72
16.	मिजोरम	206.53	222.43	315.19	273.73	280.41	291.88	308.16	329.30	382.53	349.98
17.	नागालैंड	304.76	195.00	316.38	315.38	467.62	235.65	559.76	643.79	736.30	402.00
18.	उड़ीसा	1652.50	926.71	722.28	1197.66	1096.32	1261.33	1737.01	1249.58	1629.46	1371.59
19.	पंजाब	672.50	648.55	1285.40	958.58	762.48	945.66	1093.17	1085.95	1288.62	
20.	राजस्थान	1463.98	2251.34	2258.58	1936.65	1972.64	2028.88	2565.63	2414.23	3238.83	3015.29
21.	सिक्किम	49.84	48.73	115.23	62.43	22.03	64.97	126.4	81.82	40.46	93.75
22.	तमिलनाडु	1551.48	945.82	2104.08	1542.05	1418.41	1063.68	2981.45	1139.69	1140.94	1196.68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23.	त्रिपुरा	274.15	187.7	245.96	305.34	237.84	248.25	359.9	240.9	382.71	313.27
24.	उत्तर प्रदेश	4721.76	2605.52	6977.27	3250.05	7287.72	2970.08	11141.94	3784.48	5798.34	
25.	पश्चिम बंगाल	2855.99	2529.88	3588.95	3157.5	3648.90	3605.40	4833.65	4602.32	4704.65	4250.00
26.	दिल्ली	446.01	408.23	494.41	502.41	603	572.27	616.47	637.74	601.24	627.55
27.	पाण्डिचेरी	74.00	82.94	115.33		105.82	95.8	117.78	106.22	50.76	110.93
28.	अण्डमान व निकोबार	51.84	31.33	53.07	45.23	59.54	42.42	66.62	50.54	66.65	58.43
29.	चण्डीगढ़	29.80	28.26	42.84	36.29	36.91	36.83	38.82	37.73	56.92	49.99
30.	दादर व नगर हवेली	15.62	14.98	17.24	16.99	16.29	17.52	27.81	21.75	18.72	19.60
31.	दमन व दीव	24.80	24.80	32.83	29.76	21.43	21.43	36.32		30.85	22.66
32.	लक्षद्वीप	14.90	6.93	14.70	7.95	18.19	14.99	15.66	9.66	14.58	13.95
	कुल	32934.39	27022.93	41045.16	32336.28	43481.10	33739.74	56781.46	36842.6	52655.11	43214.16

नौवीं योजनावधि के दौरान आई०सी०डी०एस० (सामान्य) स्कीम के अंतर्गत निर्मुक्त राशि और व्यय का ब्यौरा

(रुपये लाखों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1997-98		1998-99		1999-2000		2000-01		2001-02	
		निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय	निर्मुक्त	व्यय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	आंध्र प्रदेश	3135.53	2807.35	3185.12	5027.92	5402.87	5396.00	6299.00	6384.00	6580.61	6873.30
2.	अरूणाचल प्रदेश	406.52	528.13	660.57	630.56	817.00	681.19	681.00	943.2	1895.39	1760.00
3.	असम	1634.35	1657.72	1911.71	2578.92	2211.00	3296.53	5070.97	3695.63	6188.61	4476.29
4.	बिहार	1469.02	1146.08	3691.13	3568.07	4918.64	3791.99	3756.00	2556.98	2145.11	1863.42
5.	गोआ	188.76	253.77	326.48	268.66	284.13	282.21	284.13	269.23	339.35	336.92
6.	गुजरात	5312.40	4002.01	4788.12	4980.97	5370.21	4587.98	3726.01	6483.82	8070.09	4365.53
7.	हरियाणा	2203.65	2267.26	2633.07	2815.99	2754.12	2823.14	3593.61	3085.77	3660.59	3261.57
8.	हिमाचल प्रदेश	904.24	1086.45	1045.40	1351.44	1640.09	1428.67	1764.28	1607.59	1984.42	1605.23
9.	जम्मू व कश्मीर	511.86	1802.04	1431.72	1481.25	1963.00	2199.92	2266.00	2253.88	2739.16	2199.85
10.	कर्नाटक	5158.03	5768.69	5709.83	5935.36	5111.35	6424.15	7466.18	6715.49	7660.68	7329.77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11.	केरल	2380.62	2045.74	3120.80	2827.88	2641.82	3288.67	3101.90	3629.37	3516.30	3355.94
12.	मध्य प्रदेश	4840.29	4205.73	5131.48	5393.84	4368.00	5783.16	5590.00	4594.98	3771.08	3879.80
13.	महाराष्ट्र	6925.69	6335.89	6792.45	7316.95	6584.73	9502.78	6688.62	11384.17	10193.48	8916.65
14.	मणिपुर	795.10	764.86	846.78	646.78	840.88	958.13	1254.75	572.33	901.07	1099.64
15.	मेघालय	524.81	409.72	350.60	530.49	535.00	531.80	664.97	630.10	1060.15	694.32
16.	मिजोरम	413.11	438.08	542.12	535.79	535.66	535.66	865.85	646.85	572.95	737.98
17.	नागालैंड	543.85	906.18	1321.37	1354.00	1245.00	1245.00	1941.60	1941.60	1907.00	1657.00
18.	उड़ीसा	2158.13	2134.72	6641.30	4609.42	4042.97	5010.71	6133.71	6157.74	6881.86	6992.37
19.	पंजाब	1525.90	1988.23	2382.58	2242.10	2413.14	2583.91	3759.46	2969.79	3730.77	2985.66
20.	राजस्थान	3373.72	3734.91	3512.19	4603.38	4197.55	4443.53	5954.43	4838.78	5947.07	5267.88
21.	सिक्किम	63.29	99.15	241.96	155.87	129.75	130.26	156.01	149.98	192.35	174.40
22.	तमिलनाडु	2513.24	2513.24	7297.05	7171.01	10704.77	8822.42	10286.90	9972.12	9289.80	8084.64
23.	त्रिपुरा	447.67	418.06	463.68	507.42	646.08	603.38	630.98	646.99	1481.36	738.69
24.	उत्तर प्रदेश	7401.73		7265.52	7669.84	11349.00	8899.15	11519.28	9065.25	12696.42	9870.26
25.	पश्चिम बंगाल	5151.28	5930.00	6456.11	8728.47	6088.00	8728.47	8047.13	9227.65	12650.02	9829.23
26.	छत्तीसगढ़							625.61	733.89	1800.79	1789.02
27.	उत्तरांचल							462.78	कुछ नहीं		832.22
28.	झारखण्ड							865.57	कुछ नहीं	1961.66	3307.85
	संघ राज्य क्षेत्र										
26.	दिल्ली	565.98		1248.18	1046.69	818.42	698.42	808.47	786.68	796.41	781.23
27.	पाण्डिचेरी	105.55	148.12	151.82	181.27	181.58	142.31	154.85	173.75	154.85	181.11
28.	अण्डमान व निकोबार	63.27	76.08	112.26	85.65	130.44	83.47	107.88	109.1	154.85	138.11
29.	चण्डीगढ़	95.77	57.68	77.71	77.71	78.29	78.29	88.04	194.23	93.35	93.35
30.	दादर व नगर हवेली	21.88	5.32	28.60	28.60	26.83	29.25	26.83	37.81	31.85	30.60
31.	दमन व दीव	26.79	2679.00	28.17	28.17	42.00	31.6	52.56	88.04	37.45	35.00
32.	लक्षद्वीप	8.82	39.80	25.20	26.30	25.69	26.48	25.43	26.83	31.62	27.78
	कुल	60870.85	56250.01	79421.08	84406.77	88097.59	93068.63	104653.79	102537.62	117649.19	105572.61

गिलानी पर मुकदमा

90. **श्री बसुदेव आचार्य :**
श्री अम्बरीश :
श्री लक्ष्मण सेठ :
श्री प्रियरंजन दासमुंशी :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्चतम न्यायालय ने सरकार को 'कश्मीर टाइम्स' के संवाददाता सैयद इफ्तिकार गिलानी पर गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत मुकदमें को वापस लेने की अनुमति दे दी है जैसा कि 14 जनवरी 2003 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में इस आशय का समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो उच्चतम न्यायालय में मुकदमे को वापस लेने संबंधी आवेदन देने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र है कि आरोप पत्र बेबुनियाद आधारों पर दाखिल न किए जाएं;

(घ) क्या इस मामले में आरोप तय करने से पहले मामले की ईमानदारी से जांच की गई थी;

(ङ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का विचार है कि मीडिया में कार्यरत व्यक्ति राज्य उत्पीड़न के भय के बिना कार्य करते रहें;

(च) क्या सरकार गुप्त बात अधिनियम को हटाने पर विचार कर रही है क्योंकि स्वतंत्रता के पश्चात् यह अब प्रासंगिक नहीं रह गया है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) चीफ मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट न्यायालय, दिल्ली में एक मामला दायर किया गया था और इसी न्यायालय से प्रशासनिक आधार और लोक हित में वापस ले लिया गया था। इस मामले में उच्चतम न्यायालय का कोई उल्लेख नहीं था।

(ग) से (ङ) जी हां, श्रीमान। अभियोजन की स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व शासकीय गुप्त बात अधिनियम के अंतर्गत मामलों की जांच निश्चित रूप से विधि मंत्रालय से परामर्श करके की जाती है। इस मामले की जांच भी तदनुसार की गई थी।

(च) और (छ) जी नहीं, श्रीमान। यह अधिनियम 1923 से विधिक संवीक्षा में खरा उतरा है।

खनिज आधारित संयंत्रों की स्थापना

91. **श्री के०पी० सिंह देव :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्तमान में खनिज आधारित संयंत्रों का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देश में दसवीं योजनावधि के दौरान अधिक संख्या में खनिज आधारित इकाइयों की स्थापना किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों विशेषकर उड़ीसा में स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित खनिज आधारित संयंत्रों का ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) भारत 64 खनिजों (खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 3(ङ) के अंतर्गत परिभाषित गौण खनिजों को छोड़कर अन्य खनिज) का उत्पादन करता है। इनमें देश के विभिन्न राज्यों में फैले 4 ईंधन खनिज, 10 धात्विक खनिज और 50 गैर-धात्विक खनिज शामिल हैं। खनिज कई आधारभूत उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण कच्ची सामग्री और औद्योगिक विकास के लिए एक प्रमुख इंपुट हैं। इसके अलावा, इन खनिजों का एक से अधिक उद्योगों में उपयोग किया जा सकता है और केन्द्र सरकार के पास ऐसे खनिज आधारित संयंत्रों का स्थानवार विवरण नहीं होता है। खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो द्वारा अपने प्रकाशन इंडियन ''मिनरल ईयर बुक'' में आवधिक रूप से कुछ खनिज आधारित उद्योगों के बारे में व्यापक संकेतक प्रकाशित किए जाते हैं। इसकी प्रतियां नियमित रूप से संसद पुस्तकालय में रखी जाती हैं।

(ख) और (ग) खनिज उद्योगों की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ खनिजों की उपलब्धता के साथ-साथ पर्याप्त बुनियादी ढांचा संबंधी सहायता, औद्योगिक उत्पाद बाजार की संभावना का आकलन और केंद्र और संबंधित राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई निवेश अनुकूल नीति और प्रक्रियाओं पर निर्भर करती है। कोई भी खनिज आधारित उद्योग लगाने के लिए किसी औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है और कोई भी उद्यमी उड़ीसा सहित भारत के किसी भी राज्य में इस प्रकार का उद्योग लगा सकता है और दसवीं योजना अवधि में इसके लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

दिल्ली पुलिस की संख्या

92. डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने केन्द्र सरकार को इसकी सुरक्षा इकाई में तीन हजार अतिरिक्त पुलिस कर्मियों की भर्ती का प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रस्ताव पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी हां, श्रीमान। तथापि, दिल्ली पुलिस द्वारा अपनी सुरक्षा इकाई को सुदृढ़ करने के लिए किए गए प्रस्ताव में विभिन्न श्रेणियों के 8481 पदों का सृजन शामिल है।

(ख) पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस की मानवशक्ति और आधुनिकीकरण आवश्यकताओं पर अपनी अध्ययन रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ, दिल्ली पुलिस की सुरक्षा इकाई को सुदृढ़ करने की भी सिफारिश की है। तथापि, उक्त अध्ययन रिपोर्ट में निहित तथा सरकार द्वारा सिद्धांत रूप से स्वीकृत अनेक सिफारिशों पर भारी व्यय होगा तथा बड़ी संख्या में पदों का सृजन करना होगा जिससे यह आवश्यक हो जाता है कि सुरक्षा इकाई को सुदृढ़ करने संबंधी सिफारिश सहित इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्राथमिकता तय की जाये। तद्नुसार, दिल्ली पुलिस को अध्ययन रिपोर्ट में की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए तुलनात्मक प्राथमिकता और इन सिफारिशों, प्रत्येक के कार्यन्वयन पर होने वाले व्यय तथा इसमें लगने वाले समय को दर्शाते हुए एक कार्य योजना बनाने की सलाह दी गई है ताकि सरकार उनके चरणबद्ध रूप से कार्यन्वयन पर व्यापक निर्णय ले सके।

[हिन्दी]

कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कम्पनियों द्वारा भुगतान की गई रायल्टी

93. श्री ब्रज मोहन राम : क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड की प्रत्येक सहायक कम्पनी द्वारा विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी राशि की रायल्टी का भुगतान किया गया है और उन पर कुल कितनी रायल्टी बकाया है;

(ख) कोल इंडिया लिमिटेड के पास झारखंड की कितनी रायल्टी राशि शेष है;

(ग) क्या कोल इंडिया लिमिटेड इस बकाया राशि का भुगतान करने की इच्छुक है; और

(घ) यदि हां, तो इसका भुगतान कब तक किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) 1999-00 से 2001-02 तक के पिछले तीन वर्षों के लिए कोल इंडिया लि० की प्रत्येक सहायक कंपनी द्वारा सम्बन्धित राज्य सरकारों को अदा की गई रायल्टी की राशि तथा 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार इन राज्य सरकारों को देय बकाया रायल्टी संलग्न विवरण में दर्शायी गयी है।

(ख) से (घ) 31.12.2002 की स्थिति के अनुसार भारत कोकिंग कोल लि० (बी०सी०सी०एल०) द्वारा झारखण्ड सरकार को देय बकाया रायल्टी 40.62 करोड़ रुपये थी। मुख्यत: यह बी०सी०सी०एल० द्वारा सामना किए जा रहे भारी वित्तीय संकट के कारण उद्भूत हुई है। बी०सी०सी०एल० द्वारा इसका भुगतान यथा समय पर कर दिया जाएगा।

विवरण

(रु० करोड़ में)

वर्ष	कोयला कंपनी का नाम	पश्चिम बंगाल	बिहार	झारखण्ड	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	असम	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ई०सी०एल०	9.59	64.85								74.44
	बी०सी०सी०एल०	0.30	266.99								267.29
	सी०सी०एल०		259.81								259.61
1999-00	डब्ल्यू०सी०एल०					48.23		183.13			231.36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	एस०ई०सी०एल०					423.39					423.39
	एम०सी०एल०				226.58						226.58
	एन०सी०एल०					216.48			108.30		324.78
	एन०ई०सी०									13.27	13.27
	कुल	9.89	591.65	0.00	226.58	688.10	0.00	183.30	108.30	13.27	1820.92
	ई०सी०एल०	9.67	42.46	26.94							79.07
	बी०सी०सी०एल०	0.40	206.67	54.62							261.69
	सी०सी०एल०		143.66	112.68							256.34
2000-01	डब्ल्यू०सी०एल०					48.91		220.79			269.70
	एस०ई०सी०एल०					296.25	139.07				435.32
	एम०सी०एल०				253.95						253.95
	एन०सी०एल०					229.79			131.48		361.27
	एन०ई०सी०									7.80	7.80
	कुल	10.07	392.79	194.24	253.95	574.95	139.07	220.79	131.48	7.80	1925.14
	ई०सी०एल०	10.16		63.19							73.35
	बी०सी०सी०एल०	0.29		250.33							250.62
	सी०सी०एल०			257.67							257.67
2001-02	डब्ल्यू०सी०एल०					49.98		229.45			279.43
	एस०ई०सी०एल०					116.90	348.34				465.24
	एम०सी०एल०				267.00						267.00
	एन०सी०एल०					224.00			135.59		359.59
	एन०ई०सी०									7.48	7.48
	कुल	10.45	571.19	267.00	390.88	348.34	229.45	135.39	7.48		1960.38
	ई०सी०एल०	7.66		43.55							51.21
2002-03 दिसम्बर 02 तक)	बी०सी०सी०एल०	0.19		143.73							142.92
(अनन्तिम)	सी०सी०एल०			2286.37							226.37
	डब्ल्यू०सी०एल०					35.89		183.13			219.02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	एस०ई०सी०एल०					89.08	291.76				380.84
	एम०सी०एल०				208.72						208.72
	एन०सी०एल०					152.23			91.77		244.00
	एन०ई०सी०									5.41	5.41
	कुल	7.85		213.65	208.72	277.20	291.76	183.13	91.77	5.41	1479.49

राज्य-वार तथा कोयला कम्पनी-वार रायल्टी बकाया

(करोड़ रुपये में)

31.12.2002 की स्थिति के अनुसार

कोयला कंपनी का नाम	पश्चिम बंगाल	बिहार	झारखण्ड	उड़ीसा	मध्य प्रदेश	छत्तीसगढ़	महाराष्ट्र	उत्तर प्रदेश	असम	कुल
ई०सी०एल०	0.00		-0.09							-0.09
बी०सी०सी०एल०	0.02		40.62							40.64
सी०सी०एल०										
डब्ल्यू०सी०एल०					2.76		-0.74			2.02
कुल	0.02		40.53		2.76		-0.74			42.57

[अनुवाद]

बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना

94. श्री भर्तृहरि महताब : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सहित विभिन्न राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित बाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) यदि हां, तो अब तक विभिन्न राज्यों को वर्षवार और राज्यवार कितनी राशि आबंटित की गई है; और

(ग) वर्षवार और राज्यवार व्यय की गई राशि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) वाम्बे के अंतर्गत वर्ष 2001-2002 तथा 2002-2003 के दौरान राज्य-वार और वर्ष-वार आबंटित एवं जारी आर्थिक सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

वर्ष 2001-2002 के लिए आबंटनों और जारी राशि का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	2001-2002 के लिए अनन्तिम आबंटन	2001-2002 के दौरान जारी राशि	2002-03 के लिए अनन्तिम आबंटन	2002-2003 (31.1.2003 तक) के दौरान जारी राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	671.48	1200.00	2499.55	2786.080

1	2	3	4	5	6
2.	अरूणाचल प्रदेश	4.19		15.58	
3.	असम	65.02		242.04	
4.	बिहार	296.68		1104.37	
5.	छत्तीसगढ़	84.24	65.00	313.58	166.260
6.	गोवा	12.73		47.40	
7.	गुजरात	383.78	384.00	1428.62	3089.000
8.	हरियाणा	112.35		418.22	
9.	हिमाचल प्रदेश	18.01		67.05	
10.	जम्मू-कश्मीर	86.86	87.00	323.34	38.320
11.	झारखंड	98.89		368.12	
12.	कर्नाटक	198.22	915.00	737.87	1967.600
13.	केरल	183.61	182.00	683.48	1417.000
14.	मध्य प्रदेश	227.74	246.00	847.75	830.980
15.	महाराष्ट्र	1198.26	1198.00	4460.47	65.600
16.	मणिपुर	12.63		47.03	7.875
17.	मेघालय	12.96		48.23	
18.	मिजोरम	12.90		48.03	
19.	नागालैण्ड	6.80		25.30	9.000
20.	उड़ीसा	125.07		465.59	61.200
21.	पंजाब	211.33		786.68	
22.	राजस्थान	364.40	300.00	1356.46	200.000
23.	सिक्किम	1.37		5.11	
24.	तमिलनाडु	486.43	1172.00	1810.70	2096.500
25.	त्रिपुरा	9.97	10.05	37.10	92.328
26.	उत्तरांचल	43.02	36.00	160.15	
27.	उत्तर प्रदेश	817.42	743.45	3042.82	87.550
28.	पं० बंगाल	734.13	734.00	2732.77	915.600

1	2	3	4	5	6
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5.71		21.27	
30.	चंडीगढ़	23.81		88.61	
31.	दादर एवं नगर हवेली	0.44		1.62	
32.	दमन एवं द्वीव	1.55		5.77	
33.	दिल्ली	363.45	59.99	1352.93	
34.	पाण्डिचेरी	25.75	55.50	88.41	
35.	लक्षद्वीप	0.80		2.99	
	योग	6900.00	7556.00	25685.00	13850.695

देश में मदरसे

95. **श्री जी०एम० बनातवाला :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को राज्यों में स्थित मदरसों का ब्यौरा एकत्रित करने और उनके रिकार्ड रखने के अनुदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो एकत्रित किए जाने वाले विवरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ब्यौरों को एकत्रित करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या किसी मदरसे को राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में संलिप्त पाया गया है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाये गए मदरसों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (ग) शिक्षा भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में आती है। मदरसों सहित सभी शिक्षा संस्थानों के संबंध में दिन प्रति दिन का प्रशासन, नीति निर्धारण, आदि राज्य सरकारों का कार्य हैं। तथापि, मदरसों पर डाटाबेस विकसित करने के लिए केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों से उनकी संख्या, पाठ्यक्रम के विषय, प्राधिकारी/बोर्ड जो उनके कार्यकरण को नियमित करते हैं, उनके द्वारा प्राप्त अनुदान, राज्य सरकारों द्वारा उनके आधुनिकीकरण के लिए उठाए गए कदम, उन्हें शासित करने वाले अधिनियमों और विनियमों जैसी सूचना भेजने का अनुरोध किया गया है।

(घ) से (च) कुछ मदरसे राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से ठीक नहीं पाए गए है तथा संगत कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है।

[हिन्दी]

अ०जा०/अ०ज०जा० के रिक्त पद

96. **श्री राम दास आठवले :** क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कोई पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले तीन वर्षों के दौरान उक्त विभागों तथा उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है और नई नियुक्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान और चालू वर्ष के दौरान आज तक विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत की गई नियुक्तियों का वर्षवार और श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की भर्ती और पदोन्नति के संबंध में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) से (च) सूचना एकत्रित की जा रही और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

विदेशी अंशदान विनियमन का सुदृढ़ीकरण

97. **श्री एन० जनार्दन रेड्डी :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार हवाला माध्यमों की निगरानी और नियंत्रण करने के लिए विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम सुदृढ़ करने हेतु विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इस संख्या में वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन संगठनों की पहचान की है जो विदेशों से धनराशि प्राप्त करते हैं;

(घ) यदि हां, तो ऐसे संगठनों के नाम क्या हैं और वे संगठन किन स्त्रोतों से धनराशि प्राप्त कर रहे हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष उन्हें विदेशों से कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ङ) क्या पाकिस्तान की आई०एस०आई० भारत में कुछ संगठनों का वित्तपोषण करने के लिए हवाला माध्यमों का उपयोग कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार गैर सरकारी संगठनों के वित्तपोषण पर मौजूदा कानूनों को और अधिक कठोर बनाने की योजना बना रही है ताकि वित्तपोषण हेतु पूर्व सरकारी अनुमोदन लेने के लिए संगठनों के लिए इसे अनिवार्य बनाया जा सके; और

(ज) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क), (ख), (छ) और (ज) सरकार, वर्तमान कानून में नोटिस की गई कमियों को दूर करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति और उपयोग को शासित करने वाले कानून में कतिपय परिवर्तन करने पर विचार कर रही है।

(ग) और (घ) ऐसे ब्यौरे गृह मंत्रालय (विदेशी प्रभाग) द्वारा प्रकाशित स्वैच्छिक संगठनों द्वारा विदेशी अभिदाय की प्राप्ति पर वार्षिक रिपोर्ट में उपलब्ध हैं। वर्ष 2000-2001 तक की वार्षिक रिपोर्टें संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं। वर्ष 2001-2002 की रिपोर्ट संकलित की जा रही है।

(ङ) और (च) जी हां, श्रीमान। उपलब्ध सूचना के अनुसार, पाकिस्तान की आई०एस०आई०, हर प्रकार से, अन्य बातों के साथ-साथ, हवाला चैनलों के माध्यम से भारत में सक्रिय विघटनकारी और आतंकवादी संगठनों को, गुप्त रूप से धन उपलब्ध कराने का मुख्य स्त्रोत है।

एल०आई०जी० फ्लैटों का निर्माण

98. **श्री नरेश पुगलिया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने हजारों एल०आई०जी० फ्लैटों के निर्माण करने हेतु बड़ी निर्माण फर्मों को प्रमुख (टर्न की) परियोजनाएं दी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डी०डी०ए० बिल्डर्स एसोसिएशन ने एक पुस्तिका यह आरोप लगाते हुए प्रकाशित की है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के अधिकारियों और बड़ी निर्माण कंपनियों द्वारा 300 करोड़ रु० का सार्वजनिक धन हड़पा जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या इस मामले में सतर्कता जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सतर्कता जांच की रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जी, हां। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने निम्नलिखित पूर्व योग्यता प्राप्त बड़ी निर्माण फर्मों को टर्न की आधार पर कम आय वर्ग (एल०आई०जी०) आवास परियोजनाएं प्रदान की हैं :–

योजना का नाम	एजेंसी
1	2
बक्करवाला में 1320 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण	मैसर्स अहलुवालिया कांट्रेक्ट (इंडिया) लि०
बक्करवाला में 900 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण	मैसर्स गेमन इंडिया लि०
बक्करवाला में 900 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण	मैसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लि०

1	2
बक्करवाला में 1380 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण	मैसर्स लार्सन एंड टूबरो लि०
बक्करवाला में 1000 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण	मैसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लि०
सैक्ट-14, द्वारका में 756 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण	मैसर्स वी०आर०एम० (इंडिया)
सैक्ट-18, रोहिणी में 630 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण	मैसर्स यूनीटेक लि०
नरेला में 2420 एल०आई०जी० मकानों का निर्माण	मैसर्स यूनिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लि०
वसंतकुंज में 795 मकानों का निर्माण	मैसर्स अहलूवालिया कान्ट्रेक्ट (इंडिया) लि०

(ग) जी, हां।

(घ) से (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण के सतर्कता विभाग ने टर्न की परियोजनाओं के संबंध में कान्ट्रेक्टर्स एसोसिएशन द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। सतर्कता जांच तीन महीने में पूरी होने की संभावना है।

फैक्ट में वित्तीय संकट

99. श्री के० मुरलीधरन : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एफ०ए०सी०टी० (फैक्ट), कोचीन द्वारा सामना किए जा रहे वित्तीय संकट की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या फैक्ट ''नाफ्था'' की कमी का सामना कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) फैक्ट द्वारा वर्ष-वार उठाई गयी हानियों का विवरण निम्नानुसार है :—

वर्ष	रु० करोड़
1998-99	48.26
1999-2000	39.80
2000-01	151.50
2001-02	(+)0.63 *
2002-03 (जनवरी, 2003 तक	208.00 (अनुमानित)

*कम्पनी ने वर्ष के दौरान 226.25 करोड़ रु० की प्रचालनात्मक हानि उठाई है। तथापि, भारत सरकार द्वारा जी०ओ०आई० ऋण पर 226.88 करोड़ रुपये का ब्याज बट्टे खाते डालकर दी गई वित्तीय राहत के कारण कम्पनी ने वर्ष के दौरान कर-पूर्व 0.63 करोड़ रु० का सीमान्त लाभ अर्जित किया।

(ग) और (घ) फैक्ट अपनी आवश्यकता का पेट्रोलियम उत्पाद जैसे नेप्था इत्यादि कोची रिफाइनरी लि० (के०आर०एल०) और भारत पेट्रोलियम कोरपोरेशन लि० (बी०पी०सी०एल०) से प्राप्त कर रही है। वर्तमान में आपूर्तिकर्त्ता एक माह का मुफ्त उधार और एक माह ब्याज पर उधार दे रहा है। दिनांक 31.1.2003 को आपूर्तिकर्त्ता का बकाया भुगतान लगभग 90 करोड़ रु० का था। चूंकि कम्पनी भारी संचित हानि और उर्वरकों की उच्च माल सूची के कारण भारी धनाभाव समस्या का सामना कर रही है, अत: फैक्ट दिसम्बर, 2002 के आगे से के०आर०एल० और बी०पी०सी०एल० सहित कच्चा माल आपूर्तिकर्त्ताओं को भुगतान में कठिनाई का सामना कर रही है। इसके परिणामस्वरूप के०आर०एल० और बी०पी०सी०एल० ने आपूर्ति रोक दी है और वर्तमान में फैक्ट पेट्रोलियम उत्पाद नकद आधार पर प्राप्त कर रही हैं।

सीमा चौकी के निकट सुरंग

100. श्री एन० जनार्दन रेड्डी : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 13 जनवरी, 2003 के 'दि टाइम्स आफ इंडिया' में ''बी०एस०एफ० डिस्कवर्स ए टनल नीयर बार्डर आउटपोस्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित कराया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या इस कार्य के लिए जिम्मेदार एजेंसियों का पता लगाने हेतु कोई जांच कराई गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में कराई गई जांच के क्या परिणाम निकले?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। 11 जनवरी, 2003 को पंजाब के फिरोजपुर सैक्टर के कासोके सीमा चौकी के सीमा सुरक्षा बल के सैनिकों ने, एक ऐसे क्षेत्र, जहां घनी 'सरकंडा' (एलीफेंट ग्रास) उगी हुई थी, में एक अपूर्ण सुरंग का पता लगाया। खोदी गई सुरंग की अनुमानित लम्बाई 15 मीटर, व्यास लगभग ढाई फुट था और इसका मुंह सतह से नीचे लगभग 2 से 3 फुट की गहराई में था। इस सुरंग को मिट्टी से भर दिया गया है।

(ग) और (घ) सीमा सुरक्षा बल ने जांच न्यायालय (कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी) का आदेश दिया है। जांच चल रही है।

अयोध्या मामला

101. **श्री प्रियरंजन दासमुंशी :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री चन्द्रनाथ सिंह :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अयोध्या मंदिर गतिरोध को समाप्त करने हेतु दोनों पक्षों को स्वीकार्य फार्मूले पर पहुंचने के लिए हिंदू और मुस्लिम नेताओं के बीच मध्यस्थता कराने हेतु कोई नए प्रयास किए हैं;

(ख) क्या उस दिशा में अभी भी प्रयास चल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मामले पर प्रधान मंत्री और कांची के शंकराचार्य के बीच हाल ही में कोई बैठक हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) मामले पर हुई चर्चा का क्या निष्कर्ष निकला?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरकार का यह दृढ़ मत है कि अयोध्या विवाद का समाधान या तो सभी संबंधित पक्षों के बीच आपसी समझौते से या न्यायपालिका के निर्णय से किया जा सकता है। इसलिए जब तक न्यायपालिका का निर्णय नहीं आ जाता है तब तक सरकार इस विवाद का सौहार्दपूर्ण और शीघ्रता से समाधान तलाशने के सभी प्रयासों में मदद देना जारी रखेगी।

(घ) से (च) कांची के शंकराचार्य, मंगलवार, 4 फरवरी, 2003 को प्रधानमंत्री से मिले और अयोध्या की यात्रा करने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए नागरिक सुविधाएं और अयोध्या नगर के शहरी विकास से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की।

ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल हेतु निधियों में वृद्धि

102. **श्री पी०डी० एलानगोवन :**
श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की सूखा और पेयजल संकट का सामना कर रहे राज्यों को सुविधा प्रदान करने और जलापूर्ति योजनाओं में नई जान फूंकने हेतु और निधियां आबंटित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस उद्देश्य के लिए वर्ष 2001-2002, 2002-2003 के दौरान राज्य-वार कितनी निधियां आबंटित की गई?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) भारत सरकार ने निर्णय किया है कि चालू वित्तीय वर्ष (2002-2003) से वित्तीय वर्ष में आबंटित धन का 5 प्रतिशत त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों से उत्पन्न आकस्मिकताओं से निपटने के लिए रखा जाएगा। 2002-2003 के दौरान इस प्रयोजनार्थ 105.50 करोड़ रु० की राशि निर्धारित की गई है।

(ग) से (ङ) हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तरांचल सहित अनेक राज्य सरकारों ने सूखे की स्थिति से उत्पन्न जल की कमी की समस्या की दूर करने के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता के लिए अनुरोध किया है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्धारित 5 प्रतिशत भाग में से त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अंतर्गत सूखा राहत के लिए राज्य सरकार को रिलीज की गई निधियों का ब्यौरा नीचे दिए अनुसार है :–

1.	हिमाचल प्रदेश	890.00 लाख रुपये
2.	कर्नाटक	157.68 लाख रुपये
3.	मध्य प्रदेश	367.08 लाख रुपये
4.	उड़ीसा	311.25 लाख रुपये

स्काई बस के प्रस्ताव

103. श्री किरीट सोमैया : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्र सरकार को गोवा, केरल तथा महाराष्ट्र सहित विभिन्न राज्य सरकारों से स्काई बस के प्रस्ताव प्राप्त हुए है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन प्रस्तावों को शहरी अवसंरचना निधि अथवा ऐसी अन्य निधि के अंतर्गत स्थान दिया जा रहा है/समायोजित किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस दिशा में अब तक क्या कार्यवाही की गई?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) गोवा, केरल तथा महाराष्ट्र सरकारों से स्काई बस संबंधी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) महाराष्ट्र सरकार ने बम्बई में अन्धेरी-घाटकोपर मार्ग में स्काई बस शुरू करने के लिए एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्य रिपोर्ट तैयार करवाई है। अनुमानित परियोजना की लागत लगभग 550 करोड़ रु० है। तथापि, महाराष्ट्र सरकार ने अभी तक ऐसा कोई भी निर्णय नहीं लिया है कि अंधेरी-घाटकोपर मार्ग के लिए हल्की रेल परिवहन प्रणाली अथवा स्काई बस प्रणाली अपनाई जानी चाहिए। केरल सरकार ने कोच्ची में स्काई बस शुरू करने हेतु एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करवाई है। इस परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 798 करोड़ रु० है। गोवा सरकार ने लगभग 550 करोड़ रु० की अनुमानित लागत से करीब 10 कि०मी० लम्बाई में स्काई बस मेट्रो आरंभ करने का प्रस्ताव किया है।

(ग) से (ङ) जी, नहीं। इस मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों से प्राप्त प्रस्तावों की जांच इस क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों के परामर्श से की जा रही है। चूंकि विश्व में कही भी अभी तक ऐसी कोई भी प्रणाली कार्यान्वित नहीं की गई है, अत: सरकार द्वारा निवेश संबंधी कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व, इस अवधारणा का विस्तृत तकनीकी मूल्यांकन करना आवश्यक है।

बाल अधिकार

104. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बाल अधिकार संबंधी सम्मेलन के कार्यान्वयन संबंधी देश की पहली आवधिक रिपोर्ट में टिप्पणी की गई है कि भारत में ऐसे मामलों से निपटने हेतु अलग कानून की कमी है;

(ख) यदि हां, तो क्या महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट बाल अधिकार संबंधी संयुक्त राष्ट्र की समिति को प्रस्तुत की जानी है;

(ग) यदि हां, तो रिपोर्ट की अन्य सिफारिशें क्या हैं;

(घ) क्या सरकार बाल यौन शोषण के मामलों से निपटने के लिए किसी कानून पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती जसकौर मीणा) : (क) से (ग) जी, नहीं। बाल अधिकार कन्वेंशन के सदस्य देशों से कन्वेंशन के कार्यान्वयन पर आवधिक रिपोर्टें भेजी जानी अपेक्षित होती हैं। इस मंत्रालय द्वारा परामर्श प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए वर्ष 2001 में ऐसी प्रथम रिपोर्ट तैयार की गई तथा इसे संयुक्त राष्ट्र बाल अधिकार समिति को प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट में बाल अधिकार कन्वेंशन के विभिन्न प्रावधानों के संदर्भ में भारत में कार्यान्वित किए जा रहे संवैधानिक उपबंधों, कानूनों, नीतियों तथा कार्यक्रमों का उल्लेख किया गया है।

(घ) और (ङ) भारत के विधि आयोग ने अपनी 172वीं रिपोर्ट में बच्चों को यौन शोषण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु कानूनों में व्यापक परिवर्तन करने की सिफारिश की है। यह रिपोर्ट दांडिक न्याय सुधारों पर न्यायमूर्ति मालमिमथ आयोग के विचाराधीन है।

सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सी०ए०बी०ई०) का गठन

105. श्री पवन कुमार बंसल :
श्री वाई०वी० राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के क्या कार्य हैं;

(ख) क्या सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन (सी०ए० बी०आई०) का गत कई वर्षों से गठन नहीं किया गया है;

(ग) यदि हां, तो सी०ए०बी०ई० किस वर्ष से अस्तित्व में नहीं है और इसका आज तक गठन न किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) इस अवधिर के दौरान सी०ए०बी०ई० में परामर्श किए बिना क्या निर्णय लिए गए;

(ङ) क्या यह सच है कि सरकार ने सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पुनर्गठन की जांच करने हेतु एक समिति गठित की है;

(च) यदि हां, तो इसके विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(छ) समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (छ) केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के पुनर्गठन तथा उसके संघटन के प्रस्ताव पर तत्कालीन तथा उत्तरवर्ती सरकार द्वारा अंतिम केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड के विस्तृत कार्यकाल की 31.3.1994 को समाप्ति के बाद विचार किया गया; परंतु अंतिम रूप से कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। तथापि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुपालन में कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं को तैयार करने, कार्यान्वयन तथा मानीटरिंग करने के लिए राज्य सरकारों सहित सभी पणधारियों के साथ परामर्श तथा समन्वय हेतु एक कारगर प्रक्रिया का विकास करने के लिए सरकार ने हाल ही में श्री जे०सी० पंत की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है। समिति अपनी रिपोर्ट अपनी प्रथम बैठक की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर प्रस्तुत करेगी।

[हिन्दी]

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं

106. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह** : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मंत्रालय द्वारा लागू की जा रही केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) नौवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान उन पर किए गए व्यय का योजना-वार, वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजनाओं पर होने वाले संभावित व्यय का वर्ष-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) राज्यों में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा लागू की गई अन्य योजनाओं तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन योजनाओं तथा कार्यक्रमों की समीक्षा की गई है; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा कोई भी केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना नहीं चलाई जा रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केंद्र सरकार, प्रायोजित अनुसंधान योजनाओं जैसे विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान परिषद (एस०ई०आर०सी०), राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् (एस०एस० एण्ड टी०सी०), औषधि एवं भेषज अनुसंधान कार्यक्रम (डी०पी०आर०पी०), उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में अनुसंधान का तीव्रीकरण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अवसंरचना के लिए निधि (एफ०आई०एस०टी०), यंत्र विकास कार्यक्रम (आई०डी० पी०), ऊर्जा अनुसंधान योजना (आर०एस०ओ०पी०), रिसर्च स्पोंसर्ड, (रिस्पोंड), आदि के माध्यम से विभिन्न राज्यों में स्थित संस्थानों/ विश्वविद्यालयों से परियोजनाएं आमंत्रित करती है। इसके फलस्वरूप, विभिन्न राज्यों में सुदूर संवेदन, ऊर्जा सृजन, ऊर्जा संरक्षण, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव प्रौद्योगिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी आधारित विकासों इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग किया गया है।

(ङ) और (च) जी, हां। समीक्षा के फलस्वरूप योजनाओं को आवश्यकतानुसार पुनर्निर्मित किया गया है और उनमें तेजी लाई गई है।

आवास योजनाएं

107. **श्री राजो सिंह** : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्य सरकारों से समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए मकानों के निर्माण के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं और क्या उन्होंने 2002-2003 के दौरान इस प्रयोजनार्थ और निधियों की भी मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य-वार अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है;

(घ) क्या इन योजनाओं के लिए निधियां जारी कर दी गई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कृष्णमराजू) : (क) से (च) इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०) एक आबंटन

आधारित सतत् योजना है, जिसके अंतर्गत राज्यों/जिलों को वर्ष दर वर्ष आधार पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों के मकानों के निर्माण/मरम्मत के लिए सुस्पष्ट मानदंड के आधार पर निधियां आबंटित की जाती हैं। ऋण-सह-सब्सिडी योजना (सी०सी०एस०एस०) दूसरी अन्य आबंटन आधारित सतत् योजना है जिसके अंतर्गत 32,000 रु० तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवारों को मकानों के निर्माण के लिए निधियां प्रदान की जाती है। वर्ष 2002-2003 के लिए आई०ए०वाई०/सी०सी०एस०एस० के अंतर्गत रिलीज की गई निधियों के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

वर्ष 2002-2003 के दौरान, मंत्रालय को अब तक असम, बिहार, मध्य प्रदेश, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश राज्यों से अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के लिए अनुरोध मिले हैं। अतिरिक्त निधियों की अनुपलब्धता के कारण इन अनुरोधों को स्वीकार नहीं किया जा सका।

विवरण

वर्ष 2002-2003 के दौरान इंदिरा आवास योजना/ऋण-सह-सब्सिडी योजना के अंतर्गत राज्यवार केंद्रीय आबंटन और केन्द्रीय रिलीज

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केंद्रीय आबंटन	केंद्रीय रिलीज
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	12070.22	12070.22
2.	अरूणाचल प्रदेश	569.92	435.60
3.	असम	12823.65	6409.97
4.	बिहार	32787.84	15185.93
5.	छत्तीसगढ़	2064.05	1765.17
6.	गोवा	77.98	39.00
7.	गुजरात	3468.85	3489.92
8.	हरियाणा	1172.95	1163.51
9.	हिमाचल प्रदेश	518.91	826.62
10.	जम्मू एवं कश्मीर	620.72	356.50
11.	झारखंड	9633.38	4737.83
12.	कर्नाटक	6243.52	4761.12
13.	केरल	3868.97	2305.69
14.	मध्य प्रदेश	7202.92	6429.51
15.	महाराष्ट्र	11077.83	6852.01
16.	मणिपुर	679.51	222.14
17.	मेघालय	902.85	505.33
18.	मिजोरम	216.73	134.81
19.	नागालैंड	582.84	291.42
20.	उड़ीसा	9716.97	25799.61
21.	पंजाब	777.00	535.12
22.	राजस्थान	3273.06	2863.38
23.	सिक्किम	156.25	78.13
24.	तमिलनाडु	6061.33	6061.33
25.	त्रिपुरा	1318.25	1056.05
26.	उत्तर प्रदेश	22100.00	18605.07
27.	उत्तरांचल	2295.43	1672.89
28.	पं० बंगाल	13026.91	9104.64
29.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	146.82	40.32
30.	दादरा और नागर हवेली	77.05	0.00
31.	दमन व दीव	31.89	0.00
32.	लक्षद्वीप	2.50	2.50
33.	पांडिचेरी	72.90	72.90
	जोड़	165640.00	133874.22

[अनुवाद]

आपदा प्रबंधन

108. श्री के०ई० कृष्णमूर्ति : क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आपदा प्रबंधन संबंधी राष्ट्रीय समिति की अब तक कोई बैठक बुलाई है;

(ख) यदि हां, तो उसमें चर्चा की गई कार्यसूची का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (ग) राष्ट्र आपदा प्रबंधन समिति की पहली बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 18 फरवरी, 2001 को हुई थी। इस बैठक में, अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्णय लिया गया था कि जहां तक भविष्य में आपदा प्रबंधन से निपटने के लिए दीर्घकालीन रणनीति का संबंध है, इन मुद्दों की जांच एक कार्य दल करेगा। तद्नुसार राष्ट्रीय समिति के विचारार्थ प्रस्ताव/कार्यसूची तैयार करने के लिए राष्ट्रीय समिति के उप अध्यक्ष की अध्यक्षता में, एक कार्य दल गठित किया गया था। अनेक बैठकें करने के बाद, कार्य दल ने अब प्रस्तावों/कार्य सूची को अंतिम रूप दे दिया है। राष्ट्रीय समिति की दूसरी बैठक जल्दी ही किए जाने की संभावना है।

बंगलों में पशु तथा घोड़े रखने के लिए चालान जारी रखना

109. श्री रघुनाथ झा : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ने अपने बंगलों में मंत्रियों तथा अन्य प्रभावशाली राजनीतिज्ञों का पशु तथा घोड़े रखने के कारण चालान जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इन मंत्रियों तथा राजनेताओं के विरूद्ध बंगलों का आवंटन रद्द करने सहित क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या नगर प्राधिकारियों द्वारा पशुओं तथा घोड़ों को जब्त किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) नई दिलली नगर पालिका परिषद (एन०डी०एम०सी०) ने बताया है कि उन सभी परिसरों तथा बंगलों के निवासियों को बिना किसी भेदभाव के नोटिस तथा चालान जारी किए जाते हैं। जहां अनधिकृत रूप से पशु रखे पाए जाते हैं। एन०डी०एम०सी० ने हाल ही में अपने क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के बाद अनधिकृत रूप से पशु रखने के लिए 66 चालान तथा 67 नोटिस जारी किए हैं।

(ग) संपदा निदेशालय को अनधिकृत रूप से पशु रखे जाने के किसी मामले की रिपोर्ट नहीं की गई है और इसलिए ऐसे किसी बंगले का आवंटन रद्द करने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(घ) और (ङ) एन०डी०एम०सी० ने जनवरी, 2003 माह में 178 पशु जब्त किया है।

कोयले का आयात

110. श्री महबूब जहेदी : क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1997-98 में 11.75 मिलियन टन कोकिंग कोल तथा 4.70 मिलियन टन गैर-कोकिंग कोल का आयात किया गया था जबकि 2000-01 के दौरान 10.46 मिलियन टन कोकिंग तथा 13.55 मिलियन टन नान-कोकिंग कोल का आयात किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) और (ख) 1997-98 के दौरान, 11.74 मिलियन टन कोकिंग कोयला तथा 4.70 मिलियन टन नॉन-कोकिंग कोयला और वर्ष 2000-2001 के दौरान, 11.06 मिलियन टन कोकिंग कोयला और 9.87 मिलियन टन नॉन-कोकिंग कोयले का आयात किया गया। अपेक्षित गुणवत्ता तथा मात्रा के देशीय रूप से अनुपलब्ध/अपर्याप्त रूप से उपलब्ध होने के कारण अस्सी के दशक के आरम्भ से एकीकृत इस्पात संयंत्रों द्वारा कोकिंग कोयले का आयात किया जा रहा है। नब्बे के दशक के आरम्भ में भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ, उपभोक्ताओं द्वारा निम्न हेतु नॉन-कोकिंग कोयले का आयात किया जाता है –

(i) देशीय कोयले के साथ मिश्रण किए जाने के द्वारा उपयोग में लाए जाने हेतु और पर्यावरणीय विचार से भी, तथा (ii) स्थल-विशिष्ट अवतरित लागत के विचार से। चूंकि कोयला और कोयला उत्पादों को मुक्त सामान्य लाइसेंस (ओ०जी०एल०) के अंतर्गत रखा गया है, उपभोक्ता पर कोयले को आयात करने का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

एकल घट के अंतर्गत पनधारा विकास कार्यक्रम

111. श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पनधारा विकास कार्यक्रम वर्तमान में कृषि, ग्रामीण विकास और पर्यावरण तथा वन मंत्रालयों के बीच बटे हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यक्रमों के संबंध में कार्यों को दोहराया जा रहा है;

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सभी पनधारा विकास कार्यक्रमों को एकल घर के अंतर्गत रखने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में इन कार्यक्रमों के लिए निधियों के उचित उपयोग के लिए क्या रणनीति तैयार की गई है; और

(ङ) इस कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) से (ङ) जी, हां। इस समय भूमि-संरक्षण तथा वाटरशेड विकास से संबंधित कार्यक्रमों को केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में विभिन्न मार्गदर्शी सिद्धान्तों और अलग-अलग वित्तीय पद्धतियों के साथ चलाया जा रहा है। वित्तीय व्यवस्थाओं को केन्द्र स्तर पर समेकित करने तथा राज्य तथा क्षेत्र स्तर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में परस्पर-व्याप्ति और पुनरावृति से बचने के लिए एक सामान्य दृष्टिकोण सहित वैज्ञानिक निविष्टियों तथा प्रशासनिक तंत्र में कारगर समन्वय करने को ध्यान में रखते हुए भूमि संसाधन विभाग में भूमि तथा वाटरशेड विकास के संबंध में एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित करने तथा वाटरशेड तथा भूमि-संरक्षण से संबंधित कार्यकलापों को विभिन्न मंत्रालयों से ग्रामीण विकास मंत्रालय में भूमि संसाधन विभाग को अन्तरित करने संबंधी प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है।

भारत-ईरान संयुक्त उद्यम परियोजना

112. **श्रीमती प्रभा राव :**
श्री विलास मुत्तेमवार :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव यूरिया के उत्पादन हेतु ईरान में एक संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में दोनों देशों के बीच किसी समझौते को अंतिम रूप दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ईरान में ऐसी संयुक्त उद्यम परियोजना स्थापित करने में कितनी लागत आएगी?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (ङ) वर्तमान में सरकार का ईरान में संयुक्त उद्यम यूरिया परियोजना स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, इंडियन फारमर्स फर्टिलाइजर कोपरेटिव लि० (इफको) एवं कृषक भारती कोपरेटिव लि० (कृभको) ने एक संकाय बनाकर ईरान में गैस आधारित अमोनिया-यूरिया संयंत्र स्थापित करने के लिए क्वेश्म फ्री एरिया ऑथोरिटी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। प्रवर्तकों द्वारा नवम्बर, 2001 में मांग-आपूर्ति परिदृश्य से संबंधित प्रचलित बाजार स्थितियों और अन्तर्राष्ट्रीय यूरिया मूल्यों के अलोक में प्रस्ताव की समीक्षा की गई थी और इसे वित्तीय रूप से व्यवहार्य नहीं पाया गया था। प्रवर्तकों ने एकल आधार पर अमोनिया संयंत्र स्थापित करने के विकल्प की प्रौद्यो-आर्थिक एवं पर्यावरणीय व्यवहार्यता की समीक्षा करने का निर्णय लिया है।

अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा

113. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री वी० वेत्रिसेलवन :
श्री दिनेश चन्द्र यादव :
डा० चरण दास महंत :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री भास्कर राव पाटील :
डा० अशोक पटेल :
श्री सत्यव्रत चतुर्वेदी :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री सुन्दर लाल तिवारी :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री सी० श्रीनिवासन :
श्री टी०एम० सेल्वागनपति :
श्री महेन्द्र सिंह पाल :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा में बार-बार खामी की जानकारी है जैसा कि 29 और 31 जनवरी तथा 1 फरवरी 2003 को विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या दिल्ली पुलिस की खराब योजना के कारण सुरक्षा खामियां हुई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) सुरक्षा व्यवस्था में कमी के विषय में सरकार द्वारा कराई गयी जांच के क्या परिणाम निकले;

(घ) क्या दिल्ली पुलिस के अधिकारियों पर कोई जिम्मेदारी निर्धारित की गयी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भविष्य में इस प्रकार की खामियों को रोकने तथा विशिष्ट/अतिविशिष्ट व्यक्तियों को त्रुटिहीन सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) से (च) उपर्युक्त सूचित घटनाओं के पश्चात, सड़क यात्रा के दौरान अति विशिष्ट व्यक्तियों के सुरक्षा प्रबन्धों की समीक्षा की गई और सम्बन्धित सुरक्षा एजेन्सियों को पूर्ण सुरक्षित सुरक्षा प्रबन्ध सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं।

नयी मशीनों/उपकरणों की खरीद

114. श्री अधीर चौधरी : क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मार्च, 1995 में फरीदाबाद प्रेस में लगायी गयी दो परफेक्ट रोटा बाईंडिंग मशीनें उपयोग में नहीं लायी जा रही हैं;

(ख) क्या इन दो मशीनों की खरीद पर हुए 20.71 लाख रु० के व्यय को न्यायोचित ठहराने में मुद्रण निदेशालय असफल रहा है; और

(ग) मुद्रण निदेशालय नयी मशीनों/उपकरणों की खरीद के लिए संस्वीकृति/मंजूरी प्राप्त करते समय सरकार को गलत जानकारी न दे, यह देखने के लिए किस प्रकार के अंकुश लगाए गए हैं?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) फरीदाबाद प्रेस में 1995 में लगाई गई दो परफेक्ट रोटा बाईंडिंग मशीने निष्क्रिय नहीं है।

(ख) ये मशीने पुस्तकों की जिल्दसाजी के लिए उपयोग में लाई जाती है और किसी भी प्रिंटिंग प्रेस के लिए ये अनिवार्य पूरक मशीनें होती हैं। अत: इन मशीनों की खरीद पर खर्च की गई धनराशि को न्यायोचित ठहराने में किसी असफलता का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) मुद्रण निदेशालय से प्राप्त नई मशीनों/उपस्करों की खरीद के प्रस्तावों को मंत्रालय में विधिवत जांच की जाती है और वित्त प्रभाग की सहमति प्राप्त करने के बाद ही अन्तिम अनुमोदन/स्वीकृति दी जाती है।

डाटा बैंक की स्थापना

115. कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनीराम शांडिल्य : क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के प्रत्येक विकास खण्ड में डाटा बैंक की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत बचदा) : (क) जी, नहीं। सरकार का देश के प्रत्येक विकास खण्ड में डाटा बैंक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) लागू नहीं।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गयी सहायता

116. श्रीमती रीना चौधरी : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सहायता कार्यक्रम में शामिल होने के लिए महाविद्यालयों और शैक्षिक संस्थाओं के चयन हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, आयोग ऐसे कालेजों/शैक्षिक संस्थाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) और 12-ख के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त हैं।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम की धारा 2(च) के तहत कालेजों और शैक्षिक संस्थाओं की मान्यता के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्मित विनियमों/मानदंडों में अन्य बातों के साथ यह प्रावधान है कि संबंधित विश्वविद्यालय से परामर्श करके आयोग विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 की धारा 2 के खंड (च) के तहत किसी भी संस्था को मान्यता प्रदान कर सकता है बशर्ते कि :

(I) यह किसी विश्वविद्यालय कालेज से सम्बद्ध हो या इसका संघटक सदस्य हो या विश्वविद्यालय कालेज के रूप में सीधे चल रहा हो या किसी विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था हो या किसी केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम और विधान तथा इसके तहत बनाए गए विनियमों के तहत समाविष्ट या अधीन हो या सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा चलाया जा रहा हो।

(II) यह स्नातक डिग्री तक या स्नातकोत्तर डिग्री तक या सिर्फ स्नातकोत्तर डिग्री की शिक्षा प्रदान करे या कम से कम

एक शैक्षिक वर्ष की अवधि के डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए शिक्षा प्रदान करे और जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री हो; और

(III) यह सोसायटी पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के तहत सोसायटी के रूप में पंजीकृत हो या उस समय लागू केंद्रीय या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या समाविष्ट निगमित निकाय हो या एक न्यास हो जिसके न्यासी नियुक्त एवं कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों से युक्त हो परंतु इस खंड की अपेक्षाएं सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी विश्वविद्यालय द्वारा संचालित संस्था पर लागू नहीं होंगी।

(IV) जो संस्थाएं खंड (III) के तहत नहीं आएगी उनके संबंध में उस पंजीकृत सोसायटी का न्यास द्वारा एक बांड भरा जाएगा जिसके द्वारा यह संचालित या प्रबंधित होगी जिसमें उस अनुदान के समुचित उपयोग की गारंटी दी जाएगी जो आयोग द्वारा संस्था को प्रदान किया जाएगा तथा अनुदान के उस भाग को लौटाने की सहमति प्रदान की जाएगी जिसे संस्था के प्रयोजनार्थ समुचित रूप से प्रयुक्त नहीं किया जाएगा तथा इस बात की भी सहमति व्यक्त की जाएगी कि वे यथास्थिति पंजीकृत सोसायटी या न्यास द्वारा संचालित या प्रबंधित प्रत्येक संस्था का वार्षिक लेखाओं के साथ तुलनपत्र प्रस्तुत करेंगी।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 12-ख के साथ पठित धारा 25 द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार ने भी ''विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (अनुदान के लिए संस्थाओं की उपयुक्तता) नियमावली, 1975'' बनाया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (संशोधन) अधिनियम 1972 (1972 का 3) के लागू होने की तारीख अर्थात 17.6.1972 को अथवा इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त प्रत्येक संस्था पर भी ये नियम लागू होंगे। इन नियमों में यह प्रावधान है कि जिन संस्थाओं पर ये नियम लागू होंगे उन्हें केन्द्र सरकार, आयोग या केंद्र सरकार से कोई भी निधि प्राप्त करने वाले अन्य संगठनों से अनुदान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त घोषित नहीं किया जाएगा बशर्ते कि आयोग इस बात से संतुष्ट हो कि :

(I) संस्था स्नातक डिग्री तक या स्नातकोत्तर डिग्री तक या सिर्फ स्नातकोत्तर डिग्री के लिए शिक्षा प्रदान करती है या कम से कम एक शैक्षिक वर्ष की अवधि के लिए डिप्लोमा पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रदान करती है और जिसमें प्रवेश के लिए न्यूनतम योग्यता स्नातक डिग्री हो।

(II) संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के तहत एक सोसायटी हो या उस समय लागू केंद्रीय अधिनियम, प्रांतीय अधिनियम या राज्य अधिनियम के तहत स्थापित या समाविष्ट एक निगमित निकाय हो या एक ऐसा न्यास हो जिसके न्यासी नियुक्त किए जाते हों तथा कानूनी अधिकारों एवं कर्तव्यों से युक्त हों, और

(III) संस्था स्थाई रूप से ऐसे विश्वविद्यालय से संबद्ध हो जिसे अनुदान प्राप्त करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 1956 (1956 के 3) की धारा 12-ख के तहत उपयुक्त घोषित किया गया हो।

राष्ट्रीय स्लम नीति

117. **श्री चन्द्रनाथ सिंह :**
श्री सदाशिवराव दादोबा मंडलिक :
श्री सुबोध राय :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने मलिन बस्तियों के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और उद्देश्य क्या हैं;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा दसवीं पचंवर्षीय योजना के लिए कितनी धनराशि का आबंटन किया गया है;

(घ) क्या इस योजना का लाभ देने के लिए राज्य सूची तैयार कर ली गयी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय मलिन बस्ती (स्लम) नीति को अन्तिम रूप दिया जा रहा है।

(ग) योजना आयोग राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम (एन०एस० डी०पी०) के अंतर्गत वर्ष वार आधार पर धनराशि आबंटित करता है। योजना आयोग ने वर्ष 2002-03 के लिए राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 365 करोड़ रुपये का आबंटन किया है।

(घ) और (ङ) यह कार्यक्रम मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों को पेयजल, बिजली, सीवरेज, रास्तों का निर्माण आदि के प्रावधान जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से देश के सभी राज्यों/संघशासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान संस्वीकृत नई परियोजनाएं

118. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में संस्वीकृत नई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसी योजनावधि में शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नई खान खोलने का निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दसवीं योजना के दौरान कोयला क्षेत्र में निवेश की जाने वाले धनराशि का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) नौवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत कोल इंडिया लि०, सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि० तथा नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि० की नई परियोजनाओं का ब्यौरा तथा इसी योजनावधि में शुरू की गई परियोजनाओं की संख्या नीचे दी गई है :–

कोल इंडिया लि०

क्र० सं०	कंपनी का नाम	स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या		पूंजीगत लागत (करोड़ रु० में)		क्षमता (मि०ट० प्रतिवर्ष)	
		ओपन कास्ट	भूमिगत	ओपन कास्ट	भूमिगत	ओपन कास्ट	भूमिगत
1.	बी०सी०सी०एल०	2	2	59.08	9.77	1.06	0.21
2.	सी०सी०एल०	2	–	176.14	–	2.2	–
3.	एन०सी०एल०	3	–	1943.56	–	10.5	–
4.	डब्ल्यू०सी०एल०	7	7	434.02	243.36	3.27	2.23
5.	एस०ई०सी०एल०	1	9	23.92	368.48	0.32	3.83
6.	एम०सी०एल०	2	2	68.32	172.86	2.35	1.31
	कुल सी०आई०एल०	17	20	2705.04	794.47	19.7	7.58

सभी परियोजनाओं का कार्यान्वयन इसी योजनावधि के दौरान शुरू हुआ।

सिंगरेनी कोलियरीज़ कंपनी लि०

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 5.998 मि०ट० प्रतिवर्ष की कुल क्षमता तथा 321.879 करोड़ रु० की पूंजीगत लागत वाली 12 परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिन्हें उसी योजनावधि में शुरू किया गया था।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन

नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 3.00 मि०ट० प्रतिवर्ष की क्षमता के साथ 1032.81 करोड़ रु० की पूंजीगत लागत वाली खान-Iए नामक एक परियोजना स्वीकृत की गई जिसे इसी योजनावधि में शुरू किया गया था।

(ख) और (ग) सी०आई०एल०, एस०सी०सी०एल० तथा एन० एल०सी० की जिन नई खनन परियोजनाओं को 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खोले जाने का निर्णय लिया गया, उनका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

क्र० सं०	कंपनी का नाम	परियोजनाओं के नाम		क्षमता (मि०ट० प्रतिवर्ष)		अनुमानित पूंजी (करोड़ रु० में)
		ओपन कास्ट	भूमिगत	ओपन कास्ट	भूमिगत	
1	2	3	4	5	6	7
1.	ई०सी०एल०	5	8	24.00	1.90	2595.44
2.	बी०सी०सी०एल०	7	–	6.67	–	399.47

1	2	3	4	5	6	7
3.	सी०सी०एल०	8	—	42.20	—	3824.62
4.	एन०सी०एल०	7	—	16.50	—	2506.66
5.	डब्ल्यू०सी०एल०	19	4	11.10	2.04	1274.14
6.	एस०ई०सी०एल०	8	7	65.55	2.69	4948.69
7.	एम०सी०एल०	16	3	106.90	1.91	7523.07
	सी०आई०एल०	70	22	272.92	8.54	23072.09

10वीं योजनावधि में शुरू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सी०आई०एल० ने 6343.92 करोड़ रु० के परिव्यय की योजना बनाई है।

एन०सी०सी०एल० ने 10 वीं योजनावधि के लिए 4.606 मि०ट० प्रतिवर्ष की कुल क्षमता के साथ 8 परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किया है जिसके लिए उन्होंने 2113 करोड़ रु० के परिव्यय की योजना बनाई है।

एन०एल०सी० ने 10वीं योजनावधि के लिए 6406.87 करोड़ रु० की अनुमानित पूंजी के साथ 14.60 मि०ट० प्रतिवर्ष की कुल क्षमता वाली 3 परियोजनाओं को विनिर्दिष्ट किया है जिसके लिए उन्होंने 5431.72 करोड़ रु० के परिव्यय की योजना बनाई है।

ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत
धनराशि का आबंटन/उपयोग

119. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री अनन्त नायक :
श्री वीरेन्द्र कुमार :
डा० जसवंत सिंह यादव :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2002-2003 के दौरान ग्रामीण विकास योजनाओं के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार और योजना-वार आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) आबंटित/जारी/उपयोग में लायी गयी और खर्च न की जा सकी धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इन योजनाओं के लिए नियत धनराशि के दुरुपयोग की जानकारी है;

(घ) यदि हां, तो दुरुपयोग की गयी राशि और खर्च नहीं की गयी धनराशि का योजनावार सहित राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) वर्ष 2002-03 के दौरान अब तक राज्यवार और योजनावार आबंटित, रिलीज की गई, उपयोग की गई और खर्च न की गई शेष निधियों के ब्यौर संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) आंध्र प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पंजाब राज्यों में निधियों के दुरूपयोग के संबंध में कुछ शिकायतें मिली हैं। वर्ष 2002-03 के दौरान योजनावार अप्रयुक्त शेष संलग्न विवरण में दर्शाए गए हैं।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ग्रामीण विकास योजनाओं का लाभ लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचे, मंत्रालय ने निधियों के उपयोग सहित, ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा क्षेत्रों के नियमित दौरों, निष्पादन समीक्षा समिति की बैठकों, राज्य सरकार से आवधिक प्रगति रिपोर्ट, कार्यक्रमों का समवर्ती और शीघ्र मूल्यांकन आदि जैसी प्रक्रियाओं के जरिए कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी की एक व्यापक प्रणाली बनाई है। राज्य/जिला स्तरों पर सतर्कता एवं निगरानी समितियां गठित की गई हैं, जिसमें संसद सदस्यों को अधिक भूमिका दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्रालय कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा भी करता रहा है और राज्यों पर योजनाओं के प्रभावी और तीव्र कार्यान्वयन की जरूरत के बारे में जोर देता रहा है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में लोगों को शामिल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को सलाह दी गई है कि वे चार-सूत्री नीति कार्यान्वित करें जिसमें योजनाओं के बारे में जागरूकता का सृजन, पारदर्शिता, लोगों की भागीदारी और जवाबदेही, ग्राम सभाओं के जरिए लेखा परीक्षा शामिल है ताकि ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में गुणात्मक सुधार के साथ-साथ संपूर्ण लक्ष्य प्राप्त करना सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना का नाम							
		एस०जी०एस०वाई०				एस०जी०आर०वाई०-I			
		आवंटन	रिलीज	उपयोग$	अप्रयुक्त$	आवंटन	रिलीज	उपयोग$	अप्रयुक्त$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	9525.83	10295.83	6154.13	9026.23	12070.22	12327.09	13098.11	4831.87
2.	अरूणाचल प्रदेश	493.24	228.45	40.34	428.93	569.93	346.07	291.06	407.53
3.	असम	12816.04	6407.02	4114.75	6312.30	12823.65	6409.97	4942.19	5466.77
4.	विहार	17400.97	8174.66	8483.52	7385.07	32787.84	14306.85	14220.49	19551.50
5.	छत्तीसगढ़	3951.95	4511.95	4701.85	1445.25	2064.05	1543.51	1417.96	850.23
6.	गोवा	136.57	75.04	103.48	7.84	77.98	39.00	22.83	45.74
7.	गुजरात	4175.66	1642.72	3328.73	-637.77	3468.85	3450.04	301.41	4374.23
8.	हरियाणा	2197.16	2849.34	3303.07	282.18	1172.95	1163.51	1126.15	304.21
9.	हिमाचल प्रदेश	925.31	582.51	536.22	599.26	518.91	358.11	असूचित	882.92
10.	जम्मू और कश्मीर	1063.89	550.98	560.71	434.31	620.72	302.35	481.22	-47.41
11.	झारखंड	12793.29	6057.30	2260.42	8768.80	9633.38	4579.15	2446.40	6959.22
12.	कर्नाटक	6960.88	7786.06	6756.43	4983.20	6243.52	4761.12	4400.96	3579.51
13.	केरल	3123.04	1634.04	1606.13	1181.17	3868.97	2238.57	2666.96	783.15
14.	मध्य प्रदेश	11481.31	10657.15	8246.66	5605.94	7202.92	6009.94	4989.50	2747.69
15.	महाराष्ट्र	13894.00	6514.38	6852.98	4901.33	11077.83	6639.73	7067.24	3346.95
16.	मणिपुर	859.19	238.51	असूचित	238.51	679.51	222.14	178.14	238.49
17.	मेघालय	962.59	445.85	264.16	438.18	902.85	505.33	122.88	609.85
18.	मिजोरम	222.74	103.16	183.40	64.37	216.73	108.37	89.34	79.84
19.	नागालैंड	660.30	246.01	286.80	1.20	582.84	291.42	653.83	-128.36
20.	उड़ीसा	10542.48	11592.48	7438.12	9381.61	9716.97	24363.53	57012.67	16413.38
21.	पंजाब	2443.84	469.68	643.57	242.21	777.00	412.06	562.69	55.28
22.	राजस्थान	5291.01	6411.01	7350.18	2651.01	3273.06	2642.21	2943.04	1152.17
23.	सिक्किम	246.62	123.31	230.70	32.46	156.25	78.13	111.05	12.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
24.	तमिलनाडु	8207.15	9285.31	7774.86	4661.58	6061.33	6061.33	5268.15	2558.09
25.	त्रिपुरा	1551.28	718.51	1035.44	534.82	1318.25	659.13	1216.22	82.51
26.	उत्तर प्रदेश	31302.41	30667.74	19970.09	32253.86	22100.04	13100.65	13072.78	5964.63
27.	उत्तरांचल	2125.56	1127.42	724.13	1284.28	2295.43	1623.49	1044.15	1458.98
28.	पश्चिम बंगाल	11715.86	7511.80	10375.28	7204.23	13026.92	9104.64	9910.86	7468.36
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	89.61	42.32	असूचित	102.48	146.82	25.82	23.23	88.79
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	59.00	34.93	असूचित	34.93	77.05	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	28.59	0.00	0.00	0.00	31.89	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	44.81	0.00	5.79	11.54	2.50	2.50	2.75	0.02
35.	पांडिचेरी	90.82	43.00	70.19	112.40	72.90	72.90	35.26	46.35
	कुल	177383.00	137028.47	113402.13	109973.71	165640.06	123748.66	149719.52	90185.22

$अनंतिम

एस०जी०आर०वाई० = 11 सम्पूर्ण रोजगार योजना = 11

आई०ए०वाई० = इंदिरा आवास योजना

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना का नाम							
		एस०जी०आर०वाई०-II				आई०ए०वाई०			
		आवंटन	रिलीज	उपयोग$	अप्रयुक्त$	आवंटन	रिलीज	उपयोग$	अप्रयुक्त$
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	3068.31	3706.33	3324.72	1241.53	9451.49	9451.49	6319.93	7874.71
2.	अरूणाचल प्रदेश	127.10	45.39	39.86	188.22	493.74	246.88	321.03	426.91
3.	असम	3302.59	1698.43	1265.41	1984.65	12810.39	6405.20	5621.46	5360.01
4.	बिहार	7300.00	3219.93	3094.93	10389.72	18926.54	9642.61	11271.33	10919.45
5.	छत्तीसगढ़	1620.58	1403.91	1431.14	445.18	5334.11	5300.87	6924.69	1578.87
6.	गोवा	50.00	0.00	21.69	65.56	21.79	10.83	असूचित	24.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.	गुजरात	1154.96	1064.76	960.65	415.17	3557.64	1768.97	3955.14	-365.14
8.	हरियाणा	679.48	827.79	708.59	324.00	2093.06	2093.08	3216.59	-392.71
9.	हिमाचल प्रदेश	286.16	303.54	299.85	126.13	881.48	847.52	390.32	1589.76
10.	जम्मू और कश्मीर	354.16	288.36	325.21	117.13	1090.94	722.48	677.18	914.06
11.	झारखंड	2751.41	1295.08	572.73	2579.70	12035.69	7627.14	4078.66	10565.07
12.	कर्नाटक	2317.00	2090 32	2260.47	2102.31	7137.20	7762.18	7650.50	5258.91
13.	केरल	1039.63	1156.39	919.08	616.61	3202.49	1744.06	2162.87	748.43
14.	मध्य प्रदेश	3474.22	3430.62	3583.23	1375.01	10359.77	10966.11	10655.51	4925.45
15.	महाराष्ट्र	4580.15	4216.68	2856.33	3610.03	14108.68	7012.95	6826.02	6818.40
16.	मणिपुर	221.40	0.00	0.00	0.00	860.17	383.38	असूचित	907.10
17.	मेघालय	248.05	19.38	15.85	216.00	963.63	481.82	266.59	554.12
18.	मिजोरम	57.40	57.38	23.00	54.41	222.99	111.50	179.27	69.96
19.	नागालैंड	170.16	81.78	79.40	111.93	660.99	330.48	600.26	-180.44
20.	उड़ीसा	3509.50	2946.24	2003.46	1200.46	10810.67	11860.74	7454.24	9364.48
21.	पंजाब	330.22	284.81	243.02	136.90	1017:22	751.98	596.78	639.40
22.	राजस्थान	1759.38	1457.47	1371.30	1143.28	5419.60	6539.58	7385.78	3429.47
23.	सिक्किम	63.55	63.55	60.55	49.45	246.88	123.44	138.10	70.88
24.	तमिलनाडु	2713.06	3290.35	2095.89	2027.52	8357.26	9690.92	7232.32	5491.53
25.	त्रिपुरा	399.75	394.79	481.17	45.80	1553.21	776.61	798.28	266.64
26.	उत्तर प्रदेश	10509.37	4588.55	5563.77	11132.34	31940.92	21355.19	19910.17	28167.40
27.	उत्तरांचल	552.30	491.59	641.96	451.98	2133.31	1623.93	720.65	1841.22
28.	पश्चिम बंगाल	3900.11	793.35	3346.41	5353.63	12013.00	5732.78	10223.86	8552.14
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	50.00	0.00	4.49	23.49	50.27	0.00	22.19	17.77
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	-0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	50.00	0.00	0.00	0.00	50.27	26.47	असूचित	49.25
32.	दमन व दीव	50.00	0.00	असूचित	63.17	1.68	0.00	असूचित	1.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
33.	दिल्ली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	50.00	0.00	0.50	44.07	3.35	0.00	असूचित	20.84
35.	पांडिचेरी	50.00	35.91	39.40	37.42	63.68	31.66	70.19	101.06
	कुल	56790.00	39252.68	37634.06	47672.80	177875.01	131422.85	125579.26	115611.49

$अनंतिम

एस०जी०आर०वाई० – सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना

आई०ए०वाई० – इंदिरा आवास योजना

(लाख रुपए में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना का नाम							
		ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी०				टी०एस० सी०*	डी०डी० पी०*	डी०पी० ए०पी०*	आई०डब्ल्यू० डी०पी०*
		आवंटन	रिलीज	उपयोग$	अप्रयुक्त$	रिलीज	रिलीज	रिलीज	रिलीज
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	14865.00	14173.92	10631.00	4353.72	0.00	641.25	4095.49	3808.59
2.	अरूणाचल प्रदेश	4977.00	2488.50	1323.31	1274.48	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	8407.00	5252.50	3346.75	3493.38	0.00	0.00	0.00	310.73
4.	बिहार	7406.00	3703.00	असूचित	4140.84	1199.26	0.00	249.75	0.00
5.	छत्तीसगढ़	2443.00	2443.00	2039.83	403.17	0.00	0.00	1329.32	3795.10
6.	गोवा	122.00	0.00	10.21	678.28	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	गुजरात	6699.00	3393.00	3963.81	-327.84	0.00	3039.44	2690.28	994.89
8.	हरियाणा	2946.00	1473.00	2288.06	-815.06	125.68	1150.45	0.00	348.79
9.	हिमाचल प्रदेश	5643.00	5639.00	2174.51	3464.49	28.65	735.88	370.82	865.14
10.	जम्मू और कश्मीर	12388.00	6194.00	4951.35	2439.21	0.00	614.72	222.75	152.38
11.	झारखंड	3063.00	1531.50	असूचित	7587.15	17.95	0.00	553.50	0.00
12.	कर्नाटक	12313.00	11724.50	4479.62	9581.89	0.00	1124.03	1826.36	1498.51
13.	केरल	3698.00	1899.30	3102.35	1844.33	0.00	0.00	0.00	57.60
14.	मध्य प्रदेश	7159.00	7159.00	3141.54	4656.04	0.00	0.00	4503.76	6003.06
15.	महाराष्ट्र	16829.00	8414.50	8717.40	-302.90	0.00	0.00	1294.62	775.88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
16.	मणिपुर	1826.00	913.00	398.82	1071.90	0.00	0.00	0.00	37.32
17.	मेघालय	1957.00	1957.00	639.03	1471.59	0.00	0.00	0.00	0.00
18.	मिजोरम	1398.00	699.00	426.24	652.23	0.00	0.00	0.00	177.25
19.	नागालैंड	1454.00	1236.00	असूचित	1628.40	0.00	0.00	0.00	319.00
20.	उड़ीसा	6225.00	3112.50	636.00	3364.35	124.97	0.00	559.70	723.20
21.	पंजाब	2581.00	2581.00	1476.96	1259.95	52.67	0.00	0.00	0.00
22.	राजस्थान	26750.00	22395.96	13860.37	17355.94	0.00	5840.63	1279.58	709.66
23.	सिक्किम	597.00	597.00	298.40	504.02	0.00	0.00	0.00	142.13
24.	तमिलनाडु	6358.00	6358.00	5200.00	2158.00	156.62	0.00	849.13	349.62
25.	त्रिपुरा	1734.00	867.00	1346.32	-31.56	0.00	0.00	0.00	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	13022.00	6511.00	7148.09	6872.09	0.00	0.00	1176.63	1205.66
27.	उत्तरांचल	3083.00	1541.50	असूचित	1871.99	0.00	0.00	327.38	335.90
28.	पश्चिम बंगाल	8545.00	4272.50	2832.56	1806.51	0.00	0.00	108.00	0.00
29.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	13.00	0.00	असूचित	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
30.	चंडीगढ़	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31.	दादर व नगर हवेली	7.00	0.00	असूचित	48.41	0.00	0.00	0.00	0.00
32.	दमन व दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33.	दिल्ली	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34.	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35.	पांडिचेरी	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल	184518.00	128530.18	84432.53	82509.47	1705.80	13146.40	21437.10	22610.41

#इन योजनाओं के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां आबंटित नहीं की जाती

$अनंतिम

ए०आर०डब्ल्यू०एस०पी० – त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम

टी०एस०सी० – संपूर्ण स्वच्छता अभियान

डी०डी०पी० – मरूभूमि विकास कार्यक्रम

डी०पी०ए०पी० – सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम

आई०डब्ल्यू०डी०पी० – समन्वित बंजरभूमि विकास कार्यक्रम

केन्द्रीय भण्डार में भ्रष्टाचार

120. **श्री रामजी मांझी :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14.07.1981 को कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार-विभाग ने अपने कार्यालय ज्ञापन द्वारा सभी सरकारी कार्यालयों और निगमों को लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की खरीद इस तर्क पर केन्द्रीय भण्डार से करने को कहा हे कि उनकी कीमतें बाजार से कम हैं;

(ख) क्या उक्त कार्यालय-ज्ञापन ने कीमतों में स्पर्धा को नज़रअंदाज़ कर दिया है;

(ग) क्या केन्द्रीय भंडार कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार-विभाग में कार्यालय-ज्ञापन को झुठलाते हुए बाजार से अधिक मूल्य पर एल०जी० एयर कंडिशनर, स्टील फर्नीचर और अलमारी, मोदी ज़िरॉक्स फोटो कॉपियर कागज बेच रहे हैं और छोटे आकार के, कम भार के हथकरघा तौलिए, डस्टर, फ्लोर डस्टर, झाड़ू इत्यादि बेच रहे हैं;

(घ) क्या बाजार-मूल्य से अधिक कीमत पर मोदी जिरोक्स पेपर की बिक्री के संबंध में तत्कालीन मुख्य सतर्कता-अधिकारी ने एक जांच की थी और तत्कालीन खरीद तथा बिक्री कार्यकारी के निहित स्वार्थ को सिद्ध किया था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) खरीद तथा बिक्री कार्यकारी के विरूद्ध कार्रवाई नहीं करने और यह कह कर इसे मामले को दबाने के क्या कारण हैं कि यह खरीद तथा बिक्री-कार्यकारियों की दुर्भावना को नहीं दर्शाता; और

(छ) उस खरीद और बिक्री-कार्यकारी के विरूद्ध क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

गृह-मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक-शिकायत और पेंशन-मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) और (ख) कार्मिक और प्रशिक्षण-विभाग ने सहकारी प्रवृत्ति प्रोत्साहित करने की दृष्टि से, संबंधित मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करके लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुओं की खरीद, उपभोक्ता सहकारी समितियों अर्थात् केन्द्रीय भण्डार, सुपर बाजार और राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता-संघ से किए जाने के बारे में दिनांक 14.07.1981 का कार्यालय-ज्ञापन जारी किया, क्योंकि ये संगठन, सरकार से भारी सहायता प्राप्त कर रहे हैं और सहकारी समितियों के पंजीयक की सांविधिक देख-रेख और उनके नियंत्रण के अधीन हैं। यह भी महसूस किया गया कि वे सहकारी समितियां, उपभोक्ता वस्तुओं की वाजिब ओर युक्तियुक्त कीमत पर आपूर्ति करने के सबसे उपयुक्त अभिकरण हैं। सरकारी विभाग, खरीददारी के बारे में सामान्य वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया के शिथिलीकरण के फलस्वरूप, अपनी आवश्यकता की लेखन-सामग्री और अन्य वस्तुएं, इन उपभोक्ता समितियों में से किसी भी समिति से खरीद सकते हैं।

(ग) से (ङ) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार-विभाग के दिनांक 14.07.1981 के कार्यालय-ज्ञापन की भावना ध्यान में रखते हुए, केन्द्रीय भण्डार, आपूर्तिकर्ताओं से इस आशय का एक लिखित वचन लेता आ रहा है कि उनके द्वारा उद्धृत दरें निम्नतम हैं और इस तरह की शिकायतों से निबटने की दृष्टि से उपर्युक्त भण्डार, उपयुक्त आंतरिक व्यवस्था विकसित करने का निरंतर प्रयास करता है। इस समय, केन्द्रीय भण्डार में एक पूर्णकालिक मुख्य सतर्कता अधिकारी हैं। जहां कहीं आवश्यक होता है, छान-बीन करने के बाद कार्रवाई की जाती है। एल०जी० एयर इंडीशनर के आपूर्तिकर्ता द्वारा उपर्युक्त आशय के वचन का उल्लंघन किए जाने के कारण उससे लेन-देन स्थगित कर दिया गया है। उपर्युक्त आशय के वचन का उल्लंघन किए जाने के कारण मेसर्स ज़िरॉक्स मोदी कॉर्पोरेशन के विरूद्ध भी कार्रवाई की गई है। फिर भी, जांच-पड़ताल करने पर केन्द्रीय भण्डार ने, केन्द्रीय भण्डार के कर्मचारियों का कोई भी दुराशय नहीं पाया। जहां तक स्टील फर्नीचर और अलमारियां उच्चतर दरों पर बेचे जाने तथा कम आकार और कम वजन के हैंडलूम तौलिये, डस्टर, फ्लोर-डस्टर और झाड़ू आदि बेचे जाने का संबंध है, अब तक ऐसा कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हो पाया है।

(च) और (छ) ऊपर (ग), (घ) और (ङ) के उत्तर के मद्देनज़र, प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निगरानी और सतर्कता समितियों का गठन

121. **श्री ब्रज मोहन राम :** क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के सभी जिलों विशेषत: नवगठित जिलों में निगरानी और सतर्कता समितियां गठित की गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो राज्यों के शेष जिलों में इन समितियों का गठन करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इनका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) और (ख) देश के उन सभी जिलों में सतर्कता

और निगरानी समितियां गठित की गयी हैं जहां ग्रामीण विकास मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। तथापि, कुछ जिलों में अभी तक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और कुछ सदस्य नियुक्त नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

स्नातकों पर गुरूदक्षिणा कर लगाना

122. **श्री मोहन रावले :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपनी शिक्षा पूर्ण करने के बाद निजी या सरकारी क्षेत्र में पहले अवसर में ही रोजगार पाने वाले स्नातकों पर गुरूदक्षिणा कर लगाने हेतु कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के रिक्त पद

123. **श्री रामदास आठवले :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय के विभिन्न विभागों और उपक्रमों में विभिन्न श्रेणियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के पद रिक्त पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों के दौरान उक्त विभागों और उपक्रमों में कार्य कर रहे कर्मचारियों की पदोन्नति और नवनियुक्तियां की गई हैं;

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि और चालू वर्ष में आज की तिथि के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में की गयी नियुक्ति का वर्षवार तथा राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों की नियुक्ति और पदोन्नति में निर्धारित नियमों का अनुपालन किया गया है; और

(च) यदि नहीं, तो इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

कोल इंडिया लि० द्वारा कोयले की आपूर्ति

124. **श्री रामजीलाल सुमन :**
डा० सुशील कुमार इन्दौरा :

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोल इंडिया लि० राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को अपना कोयला बेचता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कोयले की ग्रेड वार औसत आपूर्ति कितनी है;

(ग) आपूर्ति किए गए प्रत्येक ग्रेड के कोयले में राख का प्रतिशत कितना है;

(घ) क्या कोयले की गुणवत्ता राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की मांग के अनुरूप है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को कोयले की औसत आपूर्ति नीचे दी गयी है :–

वर्ष	आपूर्तित कोयला (मिलियन टन में)
1999-2000	59.328
2000-2001	65.980
2001-2002	69.560

सामान्यत: एन०टी०पी०सी० के विद्युत गृहों को आपूर्ति नॉन-कोकिंग कोयले के सी०डी०ई०एफ०. तथा जी० ग्रेडों और एन०एल०डब्ल्यू० कोकिंग कोयले के वाशरी-II तथा वाशरी-IV के

ग्रेडों से की जाती है। इनमें से प्रत्येक ग्रेड में राख प्रतिशतता संलग्न विवरण में दी गयी है।

(घ) और (ङ) विद्युत उपयोगिताओं हेतु आपूर्ति के लिए कोयला लिंकेज निर्णय स्थायी लिंकेज समिति (अल्पावधि) द्वारा दिया जाता है, जिसमें विद्युत उपयोगिताओं, आपूर्तिकर्ता कोयला कंपनियों, रेलवे तथा संबंधित मंत्रालयों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं। इस प्रकार के लिंकेजों पर निर्णय विद्युत उपयोगिताओं की मात्रात्मक/गुणात्मक आवश्यकता/मांग, कोयले की उपलब्धता तथा रेलवे परिवहन के लाजिस्टिक्स पर उचित ध्यान देते हुए किया जाता है। कोयले की गुणवत्ता, विद्युत उत्पादन हेतु एन०टी०पी०सी० विद्युत गृहों के बॉयलरों में ऊष्मा तत्व की आवश्यकता के तौर पर किलो कैलोरी/कि०ग्रा० में उपयोगी ऊष्मा मान (यू०एच०वी०) में व्यक्त की जाती है तो लगभग उनकी आवश्यकताओं से मेल खाती है। कोयले के विभिन्न ग्रेडों के लिए यू०एच०वी० तथा साथ ही तदनुरूपी सकल कैलोरिफिक मान (जी०सी०वी०) संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(च) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

कोकिंग कोयले का ग्रेड

ग्रेड	राख तत्व
इस्पात ग्रेड-I	15% से अधिक नहीं
इस्पात ग्रेड-II	15% से अधिक परन्तु 18% से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-I	18% से अधिक परन्तु 21% से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-II	21% से अधिक परन्तु 24% से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-III	24% से अधिक परन्तु 28% से अधिक नहीं
वाशरी ग्रेड-IV	28% से अधिक परन्तु 35% से अधिक नहीं

नॉन कोकिंग कोयला

ग्रेड	यू०एच०वी० (कि० कैलोरी प्रति कि० ग्राम)	तदनुरूपी राख% + एम% (5% नमी के स्तर पर) (60% आर०एच० तथा 40 डिग्री से०)	जी०सी०वी० (कि० कैलोरी प्रति कि०ग्राम) (5% नमी के स्तर पर)
ए	6200 से अधिक	19.5 से अधिक	6454 से अधिक
बी	5600 से अधिक परन्तु 6200 से अधिक नहीं	19.6 से 23.8	6049 से अधिक परन्तु 6454 से अधिक नहीं
सी	4940 से अधिक परन्तु 5600 से अधिक नहीं	23.9 से 28.6	5597 से अधिक परन्तु 6049 से अधिक नहीं
डी	4200 से अधिक परन्तु 4940 से अधिक नहीं	28.7 से 34.0	5089 से अधिक परन्तु 5597 से अधिक नहीं
ई	3360 से अधिक परन्तु 4200 से अधिक नहीं	34.1 से 40.0	4324 से अधिक परन्तु 5089 से अधिक नहीं
एफ	2400 से अधिक परन्तु 3360 से अधिक नहीं	40.1 से 47.0	3865 से अधिक परन्तु 4324 से अधिक नहीं
जी	1300 से अधिक परन्तु 2400 से अधिक नहीं	47.1 से 55.0	3443 से अधिक परन्तु 3865 से अधिक नहीं

अर्ध कोकिंग कोयला

अर्ध-कोकिंग कोयले का ग्रेड	राख + नमी तत्व
अर्ध-कोकिंग ग्रेड-I	19% से अधिक नहीं
अर्ध-कोकिंग ग्रेड-I	19% से अधिक परन्तु 24% से अधिक नहीं

एन०ई०सी० कोयला

ग्रेड	यू०एच०वी० रेंज/कि० कैलोरी प्रति कि०ग्राम	राख तथा नमी प्रतिशतता
ए	6200-6299	18.85 - 19.57
बी	5600-6199	19.58 - 23.91

[अनुवाद]

उड़ीसा में क्रोम ओर खानों को बन्द किया जाना

125. **श्री परशुराम मांझी :** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कुछ क्रोम अयस्क खानों को बिन्द किए जाने के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक रोजगार से निकाले गए हैं;

(ख) क्या सरकार का इन खानों को पुन चालू करने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) से (ग) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ् कार्यालय, भारतीय खान ब्यूरो से प्राप्त सूचना के अनुसार, उड़ीसा में क्रोमाइट की 21 खानें हैं और इनमें अनुमानत: 5932 कामगार कार्य कर रहे हैं। वन प्राधिकारियों के आदेशों और/या श्रम संबंधी समस्याओं के कारण चार खानों के नान-वर्किंग होने की रिपोर्ट दी गई है। तथापि भारतीय खान ब्यूरो को इन खानों में से किसी भी खान के परित्याग का नोटिस नहीं मिला है। इस स्थिति में इन खानों के बन्द किए जाने के कारण कामगारों को उनके रोजगार से निकालने का प्रश्न ही नहीं उठता।

मध्याह्न भोजन योजना

126. **श्री नरेश पुगलिया :**
श्री टी० गोविन्दन :
श्री वाई०टी० राव :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय खाद्य निगम को मध्याह्न भोजन योजना के अंतर्गत खाद्यान्न की आपूर्ति हेतु 500 करोड़ रु० से भी अधिक की राशि अदा करनी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय खाद्य निगम ने मार्च 2003 के बाद खाद्यान्नों की आपूर्ति को रोकने की सरकार को धमकी दी है यदि सरकार 500 करोड़ रु० की बकाया राशि नहीं दे देती;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं कि मध्याह्न भोजन योजना बाधित न हो?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अशोक प्रधान) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, 31.12.02 की स्थिति के अनुसार मध्याह्न भोजन योजना के तहत खाद्यान्न की आपूर्ति के लिए भारतीय खाद्य निगम को 443 करोड़ रु० का भुगतान किया जाना है।

(ग) से (ङ) उपभोक्ता मामले, खाद्यान्न एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने इस मंत्रालय को सूचित किया था कि भविष्य में खाद्यान्न क्रेडिट आधार पर उपलब्ध नहीं होगा। इस मंत्रालय ने मध्याह्न भोजन योजना के तहत आपूर्ति बाधित न करने तथा आपूर्ति जारी रखने का उनसे पहले ही अनुरोध किया है। वित्त मंत्रालय से भी कार्यक्रम के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है ताकि बकाया राशि का भुतान किया जा सके।

भारत शिक्षा कोष

127. **श्री पी०डी० एलानगोवन :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने एक पंजीकृत समिति के रूप में भारत शिक्षा कोष की स्थापना का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य और मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) से (घ) भारत शिक्षा कोष को अब सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत पंजीकृत कर दिया गया है और 9 जनवरी, 2003 को शुरू किया गया है।

इस कोष के लक्ष्य निम्न प्रकार है :–

शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखना/संवर्धन करना तथा उत्कृष्टता केन्द्रों/विश्वकोटि की संस्थाओं को स्थापित करना;

सामान्य, तकनीकी तथा व्यावसायिक संस्थाओं सहित शैक्षिक संस्थाओं को सहायता प्रदान करना तथा मौजूदा व नई संस्थाओं, दोनों में बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना/स्तरोन्नत करना, सभी क्षेत्रों, विशेषरूप से उभरते क्षेत्रों में वैज्ञानिक कार्यकलापों तथा अनुसंधान परियोजनाओं को प्रोन्नत करना/शुरू करना; और ऐसे शैक्षिक कार्यकलाप शुरू करना जिसे समय-समय पर सोसायटी उपर्युक्त लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उचित समझे।

भारत शिक्षा कोष की मुख्य विशेषताएं निम्न प्रकार हैं :–

यह कोष प्रायोजकवृत्तियों की अनुमति प्रदान करता है जिसके अंतर्गत कोई संगठन अथवा व्यक्ति किसी विशेष गांव, कस्बे, शहर के विकास अथवा किसी स्कूल, कालेज या यहां तक कि किसी अकेले बच्चे के शैक्षिक विकास का (के) एक निर्धारित राशि का भुगतान करके प्रयोजक बन सकता (सकते) हैं;

तत्संबंधी स्कूल अथवा कालेज या किसी अन्य संस्था अथवा यहां तक कि किसी भवन या ब्लाक का नामकरण एक निर्धारित राशि का भुगतान करके प्रायोजक के नाम पर किया जा सकता है;

शैक्षिक संस्थाओं में चेयर्स, पुरस्कार, छात्रवृत्तियां तथा अनुसंधान परियोजनाएं भी प्रायोजकों के नामों पर शुरू की जा सकती है;

भारत शिक्षा कोष से निधियों का उपयोग मौजूदा अन्तरालों को पाटने तथा शैक्षिक विकास में वृद्धि करने के लिए किया जाएगा।

[हिन्दी]

बिहार में प्रौद्योगिकी संस्थानों की स्थापना

128. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार के बंटवारे के बाद बिहार में कोई भी आर०आई०टी० या बी०आई०टी० संस्थान नहीं है;

(ख) क्या बिहार में आई०आई०टी० की कोई भी शाखा नहीं है;

(ग) क्या झारखण्ड स्थित आई०आई०टी०, जमशेदपुर और बी०आई०टी० में कुछ स्थान बिहार के विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) आर०आई०टी० और आई०आई०टी० संस्थानों की स्थापना करके बिहार के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय औसत के अनुसार इंजीनियरी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) इस संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) बिहार के विभाजन के बाद बिहार में राज्य सरकार के तीन इंजीनियरी महाविद्यालय स्थित हैं जो निम्नलिखित हैं :

(i) भागलपुर इंजीनियरी महाविद्यालय, भागलपुर।

(ii) मुजफ्फरपुर प्रौद्योगिकी संस्थान, मुजफ्फरपुर।

(iii) बिहार इंजीनियरी महाविद्यालय, पटना।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) जमशेदपुर में कोई आई०आई०टी० स्थित नहीं है, तथापि जमशेदपुर में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (पहले जिसे आर०आई०टी० के नाम से जाना जाता था) स्थित है। बी०आई०टी०, सिन्दरी राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आती है।

जहां तक बिहार के छात्रों को इंजीनियरी शिक्षण हेतु सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रश्न है, वर्ष 2002-2003 के अकादमिक वर्ष के दौरान बिहार के छात्रों के लिए अखिल भारतीय कोटा से 183 सीटें आबंटित की गई हैं। वर्तमान में किसी भी राज्य में एन०आई०टी०/आर०ई०सी० खोलने की कोई नीति नहीं है। तथापि, मंत्रालय को बिहार की राज्य सरकार से "बिहार कालेज ऑफ इंजीनियरिंग", पटना को एन०आई०टी०/आर०ई०सी० के स्तर तक स्तरोन्नत करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुआ है। महाविद्यालय प्राधिकारियों को जांच हेतु पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

[अनुवाद]

यूरिया की आवश्यकता

129. **श्रीमती प्रभा राव : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अगले दो वर्षों के लिए देश में यूरिया की आवश्यकता का आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) घरेलू उत्पादन और आयात के द्वारा यूरिया की मांग किस हद तक पूरी होगी;

(घ) क्या गत कुछ महीनों के दौरान अन्तरराष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतों में वृद्धि का रूझान है;

(ङ) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष और अगले वर्ष के दौरान सरकार को यूरिया के आयात पर कितनी अतिरिक्त धनराशि खर्च करनी होगी; और

(च) घरेलू उत्पादन बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रसायन ओर उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) और (ख) प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश के लिए यूरिया की आवश्यकता का आकलन मौसम आरंभ होने के पूर्व खरीफ एवं रबी के प्रत्येक मौसम वर्ष के लिए किया जाता है। 2003 में आरंभ होने वाले खरीफ मौसम (1 अप्रैल से 30 सितम्बर) के लिए यूरिया की आवश्यकता 106.30 लाख मी० टन ऑकी गई है। राज्य-वार यूरिया की आवश्यकता संलग्न विवरण में है। यूरिया का आकलन अग्रिम रूप से दो वर्ष पूर्व नहीं किया जाता है। तथापि दसवीं योजना के लिए उर्वरक पर कार्यदल ने 2002-2003 से 2006-2007 के लिए यूरिया की मांग का अनुमान लगाया है। वर्ष 2003-04 और 2004-05 के लिए यूरिया की मांग का अनुमान क्रमश: 220.18 एवं 228.10 लाख मी० टन लगाया गया है लेकिन यूरिया की बिक्री के वर्तमान रूझान को देखते हुए यह ज्यादा प्रतीत होता है।

(ग) खरीफ 2003 के दौरान यूरिया का उत्पादन 96 लाख मी० टन होने का अनुमान है। दिनांक 1.4.2003 को यूरिया का प्रारंभिक भंडार 14 लाख मी० टन है। इस प्रकार 110 लाख मी० टन स्वदेशी यूरिया की कुल उपलब्धता खरीफ 2003 मौसम के दौरान यूरिया की संपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त होगी।

(घ) और (ङ) जी, हां। देश ने चालू वर्ष 2002-03 के दौरान आज की तारीख तक यूरिया का कोई आयात नहीं किया है। वर्ष 2003-2004 के लिए यूरिया की आयात आवश्यकता का अनुमान करना जल्दबाजी होगा क्योंकि वर्ष के दौरान यह मुख्यत: मौसम स्थितियों, यूरिया का वास्तविक उत्पादन एवं बिक्री रूझान पर निर्भर करता है।

(च) यूरिया उद्योग स्थापित क्षमता के अनुरूप उत्पादन करने के लिए मुख्यत: दो मोर्चों पर समस्या का सामना कर रहा है। प्रथम-विशेषकर गैस आधारित राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि०-थाल और कृभको-हजीरा जैसे यूरिया संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता में नियंत्रण, द्वितीय-पुराने विन्टेज संयंत्रों में बारम्बार बंदीकरण/खराबी। उर्वरक संयंत्रों को पर्याप्त तथा अच्छी गुणवत्तावाली गैस उपलब्ध कराने के लिए उर्वरक विभाग, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से अनुरोध कर रहा है। इसके अतिरिक्त उर्वरक कम्पनियां गैस की घरेलू उपलब्धता में बाधाओं पर काबू पाने के लिए तरलीकृत प्राकृतिक गैस और/प्राकृतिक गैस के संभावी आपूर्तिकर्ताओं के साथ दीर्घावधि समझौते करने के लिए कदम उठा रही है। सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम सहित बहुत सी यूरिया इकाईयों ने वैकल्पिक फीड की सम्पूर्ति के लिए नेफ्था की दोहरी ईंधन सुविधा भी स्थापित की है। प्रति-धारण मूल्य-सह-राज सहायता योजना (आर०पी०एस०) के तहत पूंजी वृद्धि को मान्यता दी जा रही है ताकि इन इकाईयों को उपकरण खराबियों आदि पर काबू पाने के लिए मौजूदा संयंत्रों का विस्तार/रैट्रो-फीटिंग/पुनरूद्धार करके उनकी दक्षता में सुधार करने के लिए निवेश करने हेतु प्रोत्साहित किया जा सके।

विवरण

खरीफ 2003 मौसम के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशवार यूरिया की आकलित आवश्यकता

(000 टन)

क्रम सं०	राज्य	आकलित आवश्यकता
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1050.00
2.	कर्नाटक	640.00
3.	केरल	65.00
4.	तमिलनाडु	325.00
5.	पांडिचेरी	11.00
6.	अंडमान तथा निकोबार	0.50
7.	गुजरात	500.00
8.	मध्य प्रदेश	350.00
9.	छत्तीसगढ़	300.00
10.	महाराष्ट्र	1050.00
11.	राजस्थान	375.00
12.	गोवा	1.50
13.	दमन और दीव	0.50
14.	दादर तथा नगर हवेली	0.90
15.	हरियाणा	570.00
16.	पंजाब	1100.00
17.	उत्तर प्रदेश	2400.00
18.	उत्तरांचल	102.00
19.	हिमाचल प्रदेश	32.00

1	2	3
20.	जम्मू तथा कश्मीर	60.00
21.	दिल्ली	2.00
22.	चंडीगढ़	0.02
23.	बिहार	660.00
24.	झारखंड	100.00
25.	उड़ीसा	320.00
26.	पश्चिम बंगाल	470.00
27.	असम	90.00
28.	त्रिपुरा	13.00
29.	मणिपुर	37.00
30.	मेघालय	3.00
31.	नागालैंड	0.20
32.	अरूणाचल प्रदेश	0.45
33.	सिक्किम	0.85
34.	मिजोरम	0.50
	अखिल भारत	10630.42

शहरी जनसंख्या में वृद्धि

130. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2002 के अंत तक शहरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान लगाया गया है;

(ख) वर्ष 2001 के अंत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की तुलना में वर्ष 2002 के अंत तक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ग) देश के उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि दर्ज हुई है और वहां राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रति व्यक्ति आय क्या है; और

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा तरीका अपनाए जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) भारत के महापंजीयक का कार्यालय हर 10 वर्ष के अन्तराल पर भारत की आबादी की जनगणना करता है। उन्होंने पिछली जनगणना वर्ष 2001 के लिए की थी। शहरी आबादी 217.60 मिलियन (वर्ष 1991 में) से 31.14% बढ़कर 285.35 मिलियन (वर्ष 2001 में) हो गई है।

(ख) योजना आयोग राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एन०एस० एस०ओ०) द्वारा करीब 5 वर्षों के अन्तराल पर किए गए उपभोक्ता व्यय संबंधी व्यापक प्रतिदर्श सर्वेक्षण से राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की प्रतिशतता का अनुमान लगाता है। उनके द्वारा दिए गए नवीनतम अनुमानों के तहत शहरी गरीबों की प्रतिशतता में वर्ष 1993-94 में 32.36% से 8.74% कम होकर वर्ष 1999-2000 में 23.62% रह गई है।

(ग) योजना आयोग गरीबी रेखा से नीचे के ऐसे मानदंड को अपनाता है, जो राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा उपभोक्ता व्यय पर किए गए सर्वेक्षण पर आधारित होते है। इस मानदंड पर आधारित केवल एक राज्य, यथा उड़ीसा में गरीबी रेखा से नीचे की आबादी में वृद्धि हुई है जो 1993-94 में 41.64% हो गई थी से बढ़कर 1999-2000 में 42.83% हो गई है।

(घ) शहरी गरीबों के जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार ''स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना'' केन्द्र स्तर पर चलाई जा रही है तथा शहरी गरीबी उपशमन कार्यक्रम, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले शहरी गरीब स्लम वासियों को आश्रय/उन्नत आश्रय मुहैया कराने हेतु ''वाल्मीकि अम्बेडकर आवास योजना (वाम्बे)'' नामक एक अन्य केन्द्र प्रवर्तित स्कीम और कार्यक्रम के घटक निर्मल भारत अभियान के अन्तर्गत समुदाय सफाई तथा साथ ही जल आपूर्ति, बरसाती पानी की नालियां, समुदाय स्नानघर, मौजूदा लेनों को चौड़ा करने खंडजा डालने, सीवर समुदाय शौचालय, पथ प्रकाश इत्यादि जैसी बुनियादी न्यूनतम सुविधाएं मुहैया कराकर शहरी स्लमों के सुधार के लिए राष्ट्रीय स्लम सुधार कार्यक्रम नामक एक अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रही है।

डी०डी०ए० और जी०एच०सी०एस० के फ्लैटों में अवैध परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण को नियमित किया जाना

131. **श्री अधीर चौधरी :**
डा० चरण दास महंत :
डा० एम०वी०वी०एस० मूर्ति :
श्रीमती निवेदिता माने :
श्री राममोहन गाड्डे :
श्री भास्करराव पाटील :
श्री नरेश पुगलिया :
श्री रघुनाथ झा :
श्रीमती श्यामा सिंह :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल :
श्री के०ई० कृष्णामूर्ति :
श्री जयप्रकाश :

क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने डी०डी०ए० और ग्रुप हाउसिंग सहकारी समितियों के फ्लैटों में किए गए अवैध परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण को अनुमति प्रदान कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सिविल निर्माण विशेषज्ञों ने इस प्रकार के कदम उठाने पर अप्रसन्नता जाहिर की है क्योंकि अतिरिक्त निर्माण और परिवर्तन किए जाने की दशा में भूकम्प आने पर मानव जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है और उन्होंने इस मामले की पुन: जांच की, आवश्यकता पर जोर दिया है क्योंकि इससे भवन की संरचना असुरक्षित हो सकती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या डी०डी०ए० इस प्रकार के परिवर्तन/अतिरिक्त निर्माण को अनुमति देने हेतु शुल्क एकत्रित करने का कोई फार्मूला तैयार कर रहा है;

(च) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) क्या सरकार द्वारा लिए गए निर्णय का पालन करने हेतु दिल्ली नगर निगम को कोई दिशानिर्देश जारी किए गए हैं; और

(ज) यदि हां, तो इस संबंध में दिल्ली नगर निगम की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार ने दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों में छूट प्राप्त 19 मदों की अनुमोदित सूची में निम्नलिखित परिवर्द्धन/परिवर्तन शामिल करने की अनुमति दी हैं :–

(i) पिछले अथवा सामने के आंगन में दरवाजे लगाना

(ii) खिड़की को अलमारी में बदलना बशर्ते रोशनी और हवा का प्रबंध हो।

(iii) पानी की टंकी की जगह बदलना/मुंडेर की दीवार 5' तक ऊंची करना तथा निर्धारित स्थान पर पानी की अतिरिक्त टंकी लगाना जिसकी संग्रहण क्षमता 550 लीटर से अधिक न हो।

(iv) सामने वाले ग्लोजिंग दरवाजों/खिड़कियों की जगह बदलकर अधिक से अधिक मौजूद छज्जे तक ले जाना।

(v) पिछले आंगन में स्नानघर और डब्ल्यू०सी० का निर्माण बशर्ते मौजूदा सेवाएं प्रभावित न हों।

(vi) खुले टेरेस को दलानदार छत के साथ 9 फीट की ऊंचाई तक कवर करना जिसमें फाईबर ग्लास/ए०सी० शीट/जी०आई० शीट/पाईप और स्टैंडर्ड एंगल आयरन सेक्शन आदि जैसी हल्की सामग्रियों का प्रयोग किया जाए और ग्लेजिंग से बंद किया जाए।

(vii) रसोई, स्नानघर तथा डब्ल्यू०सी० की जगह बदलना जिसमें बिजली के कनेक्शन सही हो बशर्ते संरचनात्मक सुरक्षा बनी रहे।

क्रम संख्या (v) से (vii) तक की मदों की अनुमति आबंटिती द्वारा अर्हताप्राप्त इंजीनियर द्वारा यथा प्रमाणित नक्शे प्रस्तुत करने पर दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण/दिल्ली नगर निगम के पूर्वानुमोदन से दी जाएगी।

(ग) और (घ) इस आशय की रिपोर्टें कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित हुई हैं। तथापि तकनीकी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों की जांच करने के लिए सरकार द्वारा गठित समिति ने अपनी सिफारिशें करते समय संरचनात्मक सुरक्षा पर विचार किया है और उनका विचार है कि संबंधित नागरिक एजेंसी द्वारा अनुमति देते समय भवन की संरचनात्मक मजबूती से समझौता न किया जाए।

(ङ) और (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण को अतिरिक्त फर्शी क्षेत्र की अनुमति देने के लिए शुल्क लगाने हेतु रूपरेखा तैयार करने का सुझाव दिया गया है।

(छ) और (ज) जारी किए गए निदेशों की एक प्रति आयुक्त, दिल्ली नगर निगम को भी भेज दी गई है।

गरीब लोगों के विकास के लिए विशेष पैकेज

132. **कर्नल (सेवानिवृत्त) डा० धनी राम शांडिल्य :** क्या **शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों विशेषकर हिमाचल प्रदेश से देश के गरीबों के विकास के लिए विशेष पैकेज दिए जाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार गरीब लोगों के विकास के लिए विशेष पैकेज को मंजूरी देने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) जहां तक शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय का संबंध है, ऐसे कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा खानों को बंद किया जाना

133. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोल इंडिया लिमिटेड की 30 खानों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इन खानों की व्यवहार्यता संबंधी प्रस्ताव की जांच की है या बंद करने का निर्णय लेने से पहले इन इकाइयों को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : (क) से (घ) कोयला खानों में खनन क्रियाकलाप बंद करना और नई कोयला खानों को खोलना एक सतत प्रक्रिया है। कोयला भंडारों का समापन, सुरक्षा पहलू, तकनीकी व्यवहार्यता, कोयला कंपनी की श्रमिकों को अधिक अर्थक्षम खान में पुनर्नियोजन कर सकने की क्षमता आदि जैसे मानदंडों के आधार पर कोयला कंपनियों द्वारा कुछ खानों में खनन क्रियाकलाप बंद करने तथा कुछ नई खानों को खोलने के लिए भी प्रचालनात्मक निर्णय लिए जाते हैं। कोल इंडिया लि० की सहायक कोयला कंपनियों द्वारा प्रचालन को चरणबद्ध तरीके से स्थगित करने के लिए 53 कोयला खानों की पहचान की गई है। इन खानों की कंपनी-वार तथा राज्य-वार स्थिति और स्थगित करने के कारण निम्नानुसार है :—

कम्पनी	पश्चिम बंगाल	झाखण्ड	संकार्य को स्थगित रखने के प्रस्ताव के कारण
ईस्टर्न कोलफील्डस लि०	23	3	आर्थिक तौर पर अव्यवहार्य
भारत कोकिंग कोल लि०	—	15	आर्थिक तौर पर अव्यवहार्य
सेन्ट्रल कोल्फील्ड्स लि०	—	12	आर्थिक तौर पर अव्यवहार्य
कुल	23	30	

तथापि, सरकार ने कई अवसरों पर कहा है कि खानों को बंद करने अथवा खनन प्रचालनों को स्थगित रखने के कारण श्रमिकों की छंटनी नहीं की जाएगी बल्कि उन्हें उचित रूप से पुनर्नियोजित किया जाएगा।

ग्रामीण विकास पर राष्ट्रीय सम्मेलन

134. **श्री के०पी० सिंह देव :**
श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :
श्री अजय चक्रवर्ती :
श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा :
श्री सुरेश रामराव जाधव :
श्री अशोक ना० मोहोल :
श्री ए० वेंकटेश नायक :
श्री रामशेठ ठाकुर :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में ग्रामीण विकास, पंचायती राज और लोक निर्माण विभाग के मंत्रियों और सचिवों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस सम्मेलन में ग्रामीण विकास योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में कोई सहमति हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार का दृष्टिकोण क्या है;

(च) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(छ) उक्त सम्मेलन की अन्य उपलब्धियां क्या हैं;

(ज) क्या सरकार ने पनधारा प्रबंधन में पंचायतों को सम्मिलत करके कोई हरियाली योजना शुरू की है;

(झ) यदि हां, तो इस योजना का ब्यौरा क्या है और इससे ग्रामीण समुदायों को पेयजल, सिंचाई, वनरोपण और मत्स्यकी हेतु जल को संरक्षित करने में किस सीमा तक मदद मिलेगी; और

(ञ) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि स्वीकृति किए जाने की संभावना है?

(ट) क्या जल प्रबंधन योजना के अंतर्गत धन के उपयोग हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिये गये हैं जैसा कि टाइम्स ऑफ इंडिया दिनांक 28 जनवरी, 2003 में छपा है; और

(ठ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) जी, हां, मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे विभिन्न विकास कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए नई दिल्ली में 27-28 जनवरी, 2003 को ग्रामीण विकास, पंचायती राज और लोक निर्माण विभाग के राज्य मंत्रियों का एक दो-दिवसीय सम्मेलन हुआ था।

(ख) इस सम्मेलन में राज्यों के ग्रामीण विकास, पंचायती राज और लोक निर्माण विभागों के मंत्रियों तथा सचिवों ने हिस्सा लिया था। इसका उद्घाटन प्रधान मंत्री जी ने किया था, जिन्होंने इस अवसर पर ''हरियाली'' नामक नई योजना भी शुरू की। इस सम्मेलन में ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर चर्चा हुई थी।

(ग) से (छ) चर्चाओं का सार, जिसमें विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर हुई चर्चाएं शामिल हैं, संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ज) जी हां, सम्मेलन के शुरू में प्रधानमंत्री द्वारा वाटरशेड कार्यक्रम में पंचायतों को शामिल करने के लिए ''हरियाली'' योजना शुरू की गयी थी।

(झ) और (ञ) ''हरियाली'' एक देशव्यापी कार्यक्रम है, जिसके दो उद्देश्य जल के अभाव की समस्या से निपटना और दूसरा पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए संसाधनों को बढ़ाना है। योजना के अंतर्गत, पंचायतें राज्य प्रशासन से तकनीकी सहायता लेकर वर्षाजल संरक्षण उपाय करेंगी और संग्रहित जल को बागवानी सहित सिंचाई, मत्स्य पालन और वृक्षारोपण के लिए प्रयोग में लाएंगी। जल प्रयोक्ता प्रभारों से प्राप्त आय और मत्स्य पालन की बिक्री से प्राप्त धन से पंचायतों के संसाधनों में वृद्धि होगी।

(ट) और (ठ) ''हरियाली'' के लिए दिशा-निर्देश तैयार किए जा रहे हैं।

विवरण

नई दिल्ली में 27-28 जनवरी, 2003 को हुए ग्रामीण विकास, पंचायती राज और लोक निर्माण विभागों के राज्य मंत्रियों के सम्मेलन की चर्चाओं का सार

इस सम्मेलन का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था और इसे माननीय उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा भी संबोधित किया गया था। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित किए जा रहे मुख्य केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों और 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित मामलों पर सम्मेलन के तकनीकी सत्रों में चर्चा हुई थी। जिन मामलों पर चर्चा हुई उनका सार निम्नानुसार है :–

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना : राज्य मंत्रियों/प्रतिनिधियों ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यान्वयन में हुई प्रगति पर संक्षिप्त चर्चा की। सम्मेलन में उठाए गए अन्य मामलों में आबंटन, कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईयों को आकस्मिक निधियों की बहाली तथा निष्पादन अवधि का विस्तार शामिल थे।

पंचायती राज : चुनाव की स्थिति, पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारों की सुपुर्दगी तथा डी०पी०सी० के गठन पर चर्चा हुई थी। इस संबंध में राज्यों ने अलग-अलग स्तर पर उपलब्धियां हासिल की हैं। पंचायती राज संस्थाओं को अधिकारसम्पन्न एवं सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता, जिससे उन्हें प्रभावी स्थानीय स्वशासी संस्था बनाया जा सके, पर सम्मेलन में जोर दिया गया था। राज्यों

ने सामान्यत: इन उपलब्धियों को हासिल करने में अपनी प्रतिबद्धता दर्शाई।

सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना : यद्यपि राज्य किस्तों की रिलीज से सन्तुष्ट थे और उन्होंने विभिन्न स्तरों पर नगद घटक के उपयोग की जानकारी दी परन्तु ऐसा महसूस किया गया था कि भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अच्छे खाद्यान्न की समय पर रिलीज और रोजगार सृजन के लिए खाद्यान्न के उठाये जाने एवं उसका उपयोग करने में सुधार की आवश्यकता है।

स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना : कुछेक राज्य मंत्रियों ने स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत ऋण की मंजूरी के लिए आवेदनों के लंबित रहने, ऋण की मंजूरी तथा वितरण के बीच लगने वाले समय और बड़ी संख्या में आवेदनों के मंजूर न किए जाने पर प्रकाश डाला।

वाटरशेड विकास कार्यक्रम : माननीय प्रधानमंत्री ने भूमि संसाधन विभाग ''हरियाली'' नामक की एक नई पहल का उद्घाटन किया जिसका उद्देश्य वाटरशेड कार्यों के नियोजन, निष्पादन और प्रबंधन में पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार सम्पन्न बनाना है।

ग्रामीण आवास : राज्यों ने इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत प्रति इकाई की सहायता को बढ़ाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। निधियों की दूसरी किस्त की रिलीज में विलंब की समस्या पर चर्चा हुई थी। राज्यों को प्रस्तावों तथा स्पष्टीकरणों में ऐसी कमियों के बारे में बताया गया था, जिन पर कार्यवाही किए जाने की आवश्यकता थी जिससे कि दूसरी किस्त रिलीज की जा सके।

निगरानी एवं सतर्कता : जिला स्तर पर सतर्कता एवं निगरानी समितियों के गठन (अध्यक्ष के रूप में संसद सदस्य-(लोक सभा सहित) के संबंध में कुछेक राज्य प्रतिनिधियों ने महसूस किया कि यह विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया से मेल नहीं खाता है और इससे पंचायती राज संस्थाओं को उनका अपेक्षित अधिकार नहीं मिलेगा। अत: सतर्कता एवं निगरानी समितियों के पुनर्गठन की समीक्षा करने के लिए अनुरोध किया गया था। कुछेक राज्यों ने इन समितियों के कुछ सदस्यों को नामित करने की अनुमति दिए जाने की इच्छा भी जाहिर की।

पंजाबी बाग उपरि पुल में दरार

135. **श्री रामजी मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 23 जनवरी, 2003 के ''द टाइम्स आफ इंडिया'' में ''पंजाबी बाग फलाई ओवर हेज क्रेकस'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसमें इतने कम समय में दरार पड़ने के कारणों को जानने हेतु कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या है;

(ङ) इस स्थिति को सुधारने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं; और

(च) इस प्रकार के निर्माण के जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग (लोनिवि) ने सूचित किया है कि गैर संरचनात्मक ईंट चिनाई आमुख दीवार में दरार आई है।

(ग) से (च) लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि दिल्ली मैट्रो रेल कारपोरेशन लि० के प्रबंध निदेशक द्वारा फ्लाई ओवर में दरार के कारणों का पता लगाने के लिए 25.1.2003 को निरीक्षण किया गया था। तथापि, डी०एम०आर०सी० से रिपोर्ट अपेक्षित है। लोक निर्माण विभाग ने आगे सूचित किया है कि ईंट अमुख दीवार के स्थान पर कटाव करके विस्तार जोड़ लगाया गया।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नीति

136. **श्री सुल्तान सल्लाऊद्दीन ओवेसी :**
श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन :
श्री पी०आर० खूंटे :

क्या **विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रधान मंत्री ने वैज्ञानिक संस्थापनाओं में व्यापक परिवर्तन को प्रोत्साहन देने हेतु 28 पृष्ठीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी नीति की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस नीति में राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरी अनुसंधान बोर्ड की स्थापना करने और विश्वविद्यालय शिक्षा का स्तर उठाने और विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधित क्षेत्रों में महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु कोई कदम उठाए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में राज्य मंत्री (श्री बची सिंह रावत "बचदा") : (क) और (ख) जी, हां। सरकार द्वारा हाल ही में वैज्ञानिक उद्यमों के बदलते परिप्रेक्ष्य के अभियान में तथा वैश्विकरण के नए युग में वर्तमान राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु "विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति 2003" की घोषणा की गई है। इस नीति में पूरी मानव जाति के हित के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी में होने वाली नई-नई खोजों का सृजन एवं उन्हें सज्जित करने में एक समान एवं शक्तिशाली विश्वस्तरीय खिलाड़ी के रूप में भाग लेने के प्रति भारत की वचनबद्धता को दोहराया गया है।

(ग) और (घ) इस नीति ने और अधिक प्रभावी वित्त पोषण कार्यतंत्रों को स्थापित करने की जांच की आवश्यकता का संकेत दिया है जो कि मौलिक अनुसंधान के संवर्धन के लिए या तो नए संगठनों का सृजन कर अथवा मौजूदा संगठनों को सुदृढ़ अथवा पुनर्निर्मित कर किया जा सकता है। सरकार ने पहले ही विश्वविद्यालयों तथा अन्य शैक्षिक संस्थानों में शिक्षण एवं अनुसंधान अवसंरचना का सृजन करने के उद्देश्य से एक कार्यक्रम की शुरूआत की है। "महिला वैज्ञानिकों एवं प्रौद्योगिकीविदों के लिए अध्येतावृत्ति" नामक एक योजना भी हाल ही में शुरू की गई है।

भारत सरकार के मुद्रणालयों का आधुनिकीकरण

137. **श्री परसुराम मांझी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत सरकार के मुद्रणालयों के आधुनिकीकरण का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए चिन्हित मुद्रणालयों का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) सरकार ने विभिन्न भारत सरकार मुद्रणालयों को बंद/विलय/हस्तांतरित/आधुनिक बनाने का निर्णय लिया है। आधुनिकीकरण के लिए मंत्रालय के पास पहले से उपलब्ध मूल्य ह्रास आरक्षित कोष (डेप्रीसिएशन रिजर्व फंड) में से लगभग 21.94 करोड़ रुपये खर्च किए जायेंगे।

(ग) 23 मुद्रणालयों/यूनिटों में से 4 बंद किये जाने है, 5 मुद्रणालयों को अन्य 5 के साथ विलय किया जाना है और तीन पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों को संबंधित राज्य सरकारों को हस्तांतरित किया जाना है जिसे यदि स्वीकार नहीं किया गया तो उन्हें बंद कर दिया जायेगा। अंत में निम्नलिखित 11 मुद्रणालय रखे जायेंगे और उन्हें आधुनिक बनाया जायेगा :-

1. भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टों रोड, नई दिल्ली।
2. भारत सरकार मुद्रणालय, फरीदाबाद।
3. भारत सरकार मुद्रणालय, संतरागाछी।
4. भारत सरकार मुद्रणालय, नासिक।
5. भारत सरकार मुद्रणालय, कोयम्बटूर।
6. भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड, नई दिल्ली।
7. भारत सरकार मुद्रणालय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली।
8. भारत सरकार मुद्रणालय, निलोखेडी।
9. भारत सरकार मुद्रणालय, अलीगढ़।
10. भारत सरकार मुद्रणालय, कोराट्टी।
11. भारत सरकार मुद्रणालय, टेम्पल स्ट्रीट, कोलकाता।

आई०डी०पी०एल० को बंद किया जाना

138. **डा० रघुवंश प्रसाद सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूरे देश में आई०डी०पी०एल० की शाखाओं का स्थानवार ब्यौरा क्या है;

(ख) बंद की गई शाखाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इनको बंद करने से कितने व्यक्ति बेरोजगार हुए हैं;

(घ) इसके परिणामस्वरूप हुई हानि का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या गत अनेक वर्षों से आई०डी०पी०एल० की मुजफ्फरपुर शाखा बंद पड़ी है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा आई०डी०पी०एल० की मुजफ्फरपुर शाखा सहित सभी शाखाओं को पुन: खोलने हेतु क्या कार्रवाई की जा रही है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री छत्रपाल सिंह) : (क) आई०डी०पी०एल० की गुड़गांव, ऋषिकेश तथा हैदराबाद में स्थित तीन विनिर्माण इकाइयां हैं तथा दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियां नामत: आई०डी०पी०एल० (तमिलनाडु) लिमिटेड तथा बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड मुजफ्फरपुर हैं।

(ख) से (छ) इनमें से किसी को बंद नहीं किया गया है।

ग्रामीण/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की जनसंख्या में वृद्धि

139. **श्री रामजीवन सिंह :**
श्री दिनेश चन्द्र यादव :

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 2001 की जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2002 के अंत तक ग्रामीण जनसंख्या/गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वालों की जनसंख्या में कितनी वृद्धि होने का अनुमान है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या में क्रमिक वृद्धि दर्ज हुई है और वहां राष्ट्रीय स्तर की तुलना में प्रतिव्यक्ति आय क्या है; और

(ग) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण व्यक्तियों का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा तरीका अपनाए जाने का विचार है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय ने वर्ष 2002 के अंत में ग्रामीण आबादी/गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले लोगों की संख्या का अनुमान नहीं लगाया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सरकार ने बहु-आयामी गरीबी से निपटने के लिए तीन-सूत्री नीति अपनाई है जिसमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के जरिए आर्थिक प्रगति, मानव विकास और सीधा हस्तक्षेप सम्मिलित है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में सशक्त पंचायती राज संस्थाओं की अधिक भूमिका और समुदायों की भागीदारी भी अपेक्षित है।

सचल सीमा चौकियां

140. **श्री अधीर चौधरी :**
डा० चरणदास महंत :
श्री भास्करराव पाटील :
श्री नरेश पुगलिया :
श्रीमती श्यामा सिंह :

क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घुसपैठ गैर-कानूनी अप्रवास और तस्करी को रोकने के लिए सचल सीमा चौकियां स्थापित करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों द्वारा घुसपैठ इत्यादि को रोकने की मौजूदा प्रणाली को अप्रभावी और अप्रचालित पाया गया है; और

(घ) यदि हां, तो नयी प्रणाली घुसपैठ तस्करी इत्यादि से निपटने में किस सीमा तक प्रभावी सिद्ध होगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। केन्द्र सरकार ने गुजरात के सँकरी खाड़ी क्षेत्र और भारत-बांग्लादेश सीमा के नदी-तटीय क्षेत्र में तैनाती हेतु 14 सचल सीमा चौकियों के प्रापण का निर्णय लिया है। तीन सचल सीमा चौकियों का पहला सैट कमीशन किया जा चुका है।

(ग) और (घ) सरकार ने सीमा चौकियों पर सैनिकों की संख्या में बढ़ोतरी, नाईट विजन डिवाइसिस का इस्तेमाल, घुसपैठ को रोकने के लिए चल गश्त लगाने सहित विभिन्न कदम उठाए हैं। नदी तटीय और सँकरी खाड़ी क्षेत्रों पर प्रभुत्व को बेहतर करने के लिए सचल सीमा चौकियों की तैनाती की जा रही है अन्यथा इन क्षेत्रों की निगरानी करना कठिन है। इससे ऐसे क्षेत्रों से घुसपैठ, तस्करी इत्यादि से निपटने में सीमा चौकसी बल की कारगरता में सुधार आएगा।

संथाली भाषा

141. **श्री बसुदेव आचार्य :** क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास संथाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने संबंधी कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस संबंध में संविधान में संशोधन करने हेतु कोई कानून लाने का है;

(ग) क्या इस संबंध में सरकार को कोई ज्ञापन प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने संथाली भाषा के संरक्षण और सवंर्धन हेतु एक पृथक 'संथाली भाषा समिति' के गठन के संबंध में अब तक कोई सकारात्मक कदम उठाया है; और

(च) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इसका गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) से (च) सन्थाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

चूंकि भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में और भाषाओं को शामिल करने के बारे में कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं, अत: अधिक भाषाओं को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के लिए मानदंड निर्धारित करने हेतु एक उच्चाधिकार प्राप्त निकाय गठित करने का निर्णय लिया गया है। प्रस्तावित निकाय गठित करने के लिए कार्रवाई पहले ही प्रारंभ कर दी गई है तथा संथाली भाषा को आठवीं अनुसूची में शामिल करने के मामले पर इस प्रकार तैयार किए गए मानदंडों के अनुसार ही विचार किया जाएगा। इस संबंध में तथा अन्य विषयों पर विधायन लाना इस प्रकार लिए गए निर्णय पर निर्भर करेगा।

सांप्रदायिक हिंसा

142. **श्रीमती प्रभा राव : क्या उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं और घृणा के मामलों पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो किस तिथि को यह बैठक बुलाए जाने का प्रस्ताव है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ईश्वर दयाल स्वामी) : (क) और (ख) राष्ट्रीय एकता परिषद (एन०आई०सी०) के पुनर्गठन का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। उस पर निर्णय लेने के बाद, प्रश्नाधीन मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुलाई जाएगी।

असुरक्षित पेयजल

143. **श्री शीशराम सिंह रवि :**
श्री रामजी मांझी

क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में विशेषकर दिल्ली में पेयजल में रसायनों, भारी धातुओं और बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 1 सितम्बर 2002 के ''द हिन्दुस्तान टाइम्स' में 'वाटर चेक ई०डेली टॉप, एम्स कम्ज, लास्ट'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या यह भी सच है कि अधिकांश दिल्ली निवासियों को दिल्ली जल बोर्ड से पुराने और जंग लगे पाइपों द्वारा असुरक्षित पानी मिल रहा है;

(च) यदि हां, तो संदूषित पेयजल के कारण हाल ही में बड़ी संख्या में विद्यालय जाने वाले बच्चे हाल ही में बीमार पड़ गए हैं;

(छ) सरकारी भवनों आदि आवासीय कॉलोनियों में पेयजल पाइपों की जगह नये पाइप न बिछाने के क्या कारण हैं; और

(ज) सरकार द्वारा दिल्ली निवासियों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने हेतु क्या कदम उठाये जाने का विचार है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) भारत में विभिन्न राज्यों में जल आपूर्ति परियोजनाओं की योजना, परिकल्पना और निष्पादन का कार्य राज्य लोक स्वास्थ्य इंजीनियरी विभागों/जल आपूर्ति बोर्डों/शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाता है। जल की आपूर्ति मई 1999 में शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित जल आपूर्ति व शोधन संबंधी मैनुअल तथा बी०आई०एस० (आई०एस०-10500-1993) में उल्लिखित मार्गनिर्देशों के अनुसार की जाती है।

जहां तक दिल्ली में पेय जल आपूर्ति का संबंध है, दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि इसमें रासायन, भारी धातु तथा जीवाणु (बैक्टेरिया) नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि वे दिल्ली में जिस पानी की आपूर्ति कर रहे हैं यह विनिर्दिष्ट मानकों तथा भारतीय मानक ब्यूरो आई०एस० 10500-1993 के अनुरूप है। अखिल भारतीय आर्युविज्ञान संस्थान जैसे किसी संस्थान द्वारा निकाले गए भूमिगत जल की गुणवत्ता की दिल्ली जल बोर्ड द्वारा जांच नहीं की जाती।

(ङ) जी, नहीं। दिल्ली जल बोर्ड ने सूचित किया है कि वह दिल्ली वासियों को साफ पेय जल की आपूर्ति कर रहा है। तेजी से पुराने पाइपों को बदला जाता है। 1999 से 920 कि०मी० लम्बी पाइपलाइन पहले ही बदली जा चुकी है।

(च) दिल्ली जल बोर्ड ने उल्लेख किया है कि पीतमपुरा दिल्ली के महाराजा अग्रसेन पब्लिक स्कूल के कुछ विद्यार्थियों के बीमार होने के एक मामले की सूचना प्रेस में मिली थी। तथापि, यह पाया गया कि दिल्ली जल बोर्ड द्वारा सप्लाई किया जा रहा पानी पीने योग्य था और समस्या स्कूल में एक वाटरकूलर में थी।

(छ) जैसा कि उपर्युक्त भाग (ङ) के उत्तर में बताया जा चुका है, दिल्ली जल बोर्ड एक चरणबद्ध ढंग से पुराने पाइपों के स्थान पर नए पाइप लगा रहा है।

(ज) दिल्ली वासियों को साफ पेय जल मुहैया कराने के लिए दिल्ली जल बोर्ड निम्नलिखित उपाय कर रहा है :–

(i) कच्चे पानी से उपभोक्ता के पास पहुंचने तक जल के नमूनों को लेकर उसकी जांच करके पानी की गुणवत्ता की नियमित निगरानी की जाती है। रोजना करीब 300 जल नमूने लिए जाते हैं और सुसज्जित 6 प्रयोगशालाओं (लेबोरेटरियों) में जांच की जाती है। अवशिष्ट क्लोरीन की जांच के लिए हर रोज 1000 नमूने लिए जाते हैं।

(ii) सोनिया विहार यमुना पार क्षेत्र में 140 एम०जी०डी० जल शोधन संयंत्र लगाया जा रहा है और दिसंबर 2003 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(iii) संक्षारित/रिसने वाली जल लाइन को बदलने के लिए नियमित सर्वेक्षण किया जाता है।

(iv) कमी वाले क्षेत्रों को पेय जल मुहैया कराने के लिए करीब 1000 टैंकर/ट्रक लगाए गए हैं।

कारों की चोरी

144. श्री रामजी मांझी : क्या **उप-प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली और जम्मू और कश्मीर पुलिस के अधिकारी कार उठाने वाले गिरोह में शामिल हैं जैसा कि 19.1.03 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में ''स्टोलन कार्स : जे के कोर्प्स आर को-डाईवर्स'' शीर्षक से प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या सरकार ने मामले में अपनी जांच पूरी कर ली है और यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ङ) दिल्ली और जम्मू तथा कश्मीर में कार्यरत उक्त गिरोह द्वारा जम्मू और कश्मीर में कुल कितने वाहन चोरी किए गए और तस्करी किए गए;

(च) क्या उक्त गिरोह कुछ अन्य राज्यों में अभी भी सक्रिय हैं; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस गिरोह द्वारा क्या क्रियाविधि अपनाई गई?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) से (छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

राशि के आबंटन में समानता

145. श्री रामदास आठवले : क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विकास अभिकरणों/जिला परिषदों को धनराशि के आबंटन में एक समानता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में प्रत्येक विकास अभिकरण को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्रामीण विकास अभिकरणों की आय/व्यय पर केन्द्र सरकार का कोई नियंत्रण है; और

(घ) ग्रामीण विकास अभिकरणों द्वारा धनराशि के उचित उपयोग की निगरानी की प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है?

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहेब एम०के० पाटील) : (क) ग्रामीण विकास मंत्रालय की निधियां पूर्व निर्धारित आबंटन मानदण्ड के अनुरूप, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ ग्रामीण गरीबों की आबादी को वेटेज दिया जाता है, जिला ग्रामीण एजेंसियों/जिला पंचायतों को आबंटित की जाती हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है।

(ग) जी, हां।

(घ) निधियों की रिलीज हेतु प्रस्तावों की जांच करते समय ऑडिट रिपोर्टों और उपयोग प्रमाणपत्रों की मांग की जाती हैं। इसके अलावा, मंत्रियों/अधिकारियों के क्षेत्र दौरों, क्षेत्र अधिकारियों की योजना और बाहरी प्रोफेशनल एजेंसियों के जरिए जिला स्तरीय निगरानी द्वारा भी क्षेत्र स्तर पर निधियों के उपयोग की निगरानी की जाती है।

शहरी सुधार

146. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय के शहरी सुधार शुरू करने के लिए राज्यों को जारी की जाने वाली धनराशि के बारे में वित्त मंत्रालय के साथ मतभेद हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सुधारों की गति के बारे में केन्द्र और राज्यों के मध्य भी मतभेद हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं।

(घ) क्या मंत्रालय अपनी ओर से यह देखने की उत्सुक है कि क्या इस वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पहले 500 करोड़ रुपए के कोष में से धन उपलब्ध होना शुरू हो जाए और इस पर बल दिया है कि सहमत राज्यों का पूर्ण हिस्सा जारी किया जाए; और

(ङ) यदि हां, तो मंत्रालय देश में शहरी विकास सुधारों के लिए जारी धनराशि प्राप्त करने में किस सीमा तक सफल रहा है?

शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) से (ङ) शहरी सुधार प्रोत्साहन कोष (यू०आर०आई०एफ०) के कार्यान्वयन के लिए चालू वर्ष के बजट में 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है जिसे राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में जारी किया जायेगा। योजना आयोग ने शहरी आबादी में प्रत्येक राज्य के अंश के आधार पर राज्य वार नियतन तैयार किया है और इसे वार्षिक योजना का आकार तय करते समय राज्य संसाधनों में शामिल किया है। राशि जारी करने की प्रक्रिया प्रत्येक राज्य द्वारा केन्द्र सरकार के साथ करार:ज्ञापन हस्ताक्षर करके शुरू की जायेगी। उपर्युक्त स्थिति को सभी राज्य सरकारों के ध्यान में लाया गया है और हस्ताक्षर किये जाने वाले करार ज्ञापन का मसौदा परिचालित कर दिया गया है। इस मुद्दे पर 12.9.2002 को आयोजित आवास मंत्रियों के सम्मेलन में भी विचार विमर्श हुआ। सामान्य सहमति यह हुई है कि शहरी सुधार एक लम्बी प्रक्रिया है और सुधारों को राज्यों पर थोपा नहीं जा सकता। कुछ राज्य संशोधित रूप में करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के इच्छुक है अर्थात् कुछ सुधारों को करने के वे इच्छुक है जबकि अन्य सुधारों के प्रति वे इच्छुक नहीं है।

अब तक कोई राशि जारी नहीं की गई है क्योंकि स्कीम को संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके अंतिम रूप दिया जा रहा है और कोई भी राज्य करार ज्ञापन पर अभी तक हस्ताक्षर नहीं कर पाया है।

दिल्ली में सज्जापूर्ण उद्यानों का रखरखाव

147. **डा० रमेश चन्द तोमर** : क्या शहरी विकास और गरीबी उपशमन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण दिल्ली में विशेषकर ग्रेटर कैलाश में, 16 सज्जापूर्ण पार्कों में रखरखाव में असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और इन पर वार्षिक कितना खर्च किया गया;

(ग) विद्युत, चारदीवारी का निर्माण घास के रखरखाव के लिए विद्युत का प्रावधान, दैनिक सफाई, पार्क में आवारा कुत्तों के प्रवेश पर रोक, पेयजल सुविधाएं, महिला एवं पुरूषों के लिए प्रसाधन सुविधाएं, असमतल पत्थरों को समतल करने या किसी अन्य प्रकार के मार्ग के निर्माण हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार की योजना इस सज्जापूर्ण उद्यानों के रखरखाव का कार्य किसी निजी एजेन्सी को देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास और गरीबी उपमशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पोन राधाकृष्णन) : (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी०डी०ए०) ने बताया है कि उसके हरित विकास क्षेत्र में कोई पूर्वनिर्दिष्ट पार्क नहीं है। तथापि ग्रेटर कैलाश में डी०डी०ए० पार्कों का समुचित रखरखाव किया जा रहा है। डी०डी०ए० द्वारा ग्रेटर कैलाश में स्थित अपने पार्कों के रखरखाव पर वर्ष 2001-2002 में 39.84 लाख रुपये का वार्षिक खर्च किया गया।

(ग) विद्युत के रखरखाव सहित डी०डी०ए० पार्कों को समुचित रखरखाव किया जा रहा है। अनुमोदित भू-दृश्य (लैंडस्केप) योजना के अनुसार चारदीवारी मुहैया करायी जा रही है। डीजल/विद्युत चालित घास काटने वाली मशीनों सहित आवश्यक औजार तथा पौधे भी मुहैया कराये जा रहे हैं। पार्क में आवारा कुत्तों को प्रवेश करने नहीं दिया जाता है।

(घ) और (ङ) डी०डी०ए० ने बताया है कि केवल 1.25 हेक्टेयर तक क्षेत्र वाले पार्क ही रखरखाव हेतु गैर-सरकारी संगठनों को दिये जाते हैं। ग्रेटर कैलाश के पार्क इससे बड़े हैं।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को धन का आवंटन

148. **प्रो० उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु** : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कार्यरत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को धन आवंटित करने के मानदंड क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को क्रमश: कितना धन आवंटित किया गया;

(ग) क्या यह सच है कि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से यह उम्मीद की जाती है कि इस धन को वे केवल अनुसंधान कार्यों पर ही खर्च करें;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार के पास निगरानी संबंधी ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि आई०आई०टी० इस संबंध में दिशानिर्देशों का पालन करें;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है कि आई०आई०टी० अपने स्तर को ऊंचा बनाए रखें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) वित्तपोषण में और अधिक स्पष्टता तथा पारदर्शिता लाने और संस्थानों को अधिकाधिक निष्पादन उन्मुखी बनाने के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए एक नई वित्तपोषण पद्धति निर्धारित की गयी है जो कार्यनिष्पादन आधारित वित्तपोषण पैटर्न होगा।

(ख) भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को वर्ष 1999-2000 में 499.18 करोड़ रु०, वर्ष 2000-2001 में 505.00 करोड़ रु० और 2001-02 में 519.20 करोड़ रु० का सहायता अनुदान दिया गया।

(ग) से (च) यह वित्तपोषण शैक्षिक तथा शोध के प्रयोजनार्थ है। नई वित्तपोषण पद्धति के तहत छात्रों की संख्या, शोध परिणाम, निष्पादन, आधारभूत सुविधाओं तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के उच्च मानदंडों को बनाए रखने वाले तत्वों के आधार पर अनुदान की राशि तय की जाती हैं इस वित्तपोषण पद्धति में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के कार्यनिष्पादन तथा कार्यकुशलता के नियमित अनुवीक्षण हेतु एक अंतर्निहीत प्रणाली मौजूद है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों हेतु अनुदान निर्धारित करते समय इनके कार्यनिष्पादन की समीक्षा की जाती है।

[हिन्दी]

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

149. श्रीमती जयश्री बैनर्जी :
श्री ए० नरेन्द्र :
श्री टी० गोविन्दन :

क्या उप-प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान और आज की तिथि के अनुसार राज्यवार और वर्षवार कितने स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन दी गई है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान स्वतंत्रता सेनानी नकली प्रमाणपत्र देकर पेंशन लेने संबंधी कितने मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ग) क्या स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के प्रावधान के विरूद्ध उच्च न्यायालय के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दिए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हरिन पाठक) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा विगत तीन वर्षों में तथा आज की तारीख तक जिन स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन मंजूर की गई है, उनकी राज्य वार संख्या दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ख) उक्त अवधि के दौरान जाली प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों, गलत सूचना आदि के बारे में प्राप्त शिकायतों के सत्यापन के बाद 252 मामलों में पेंशन रद्द की गई।

(ग) और (घ) जब कभी स्वतंत्रता सेनानी को पेंशन देने के प्रावधान के विरूद्ध उच्च न्यायालय का निर्णय प्राप्त होता है तो उसकी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जांच की जाती है और यदि उपयुक्त समझा जाए तो सरकारी वकील तथा विधि मंत्रालय के साथ परामर्श करके उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए उच्चतम न्यायालय में विशेष अनुमति याचिका दायर की जाती है।

विवरण

वर्ष 1999-2000, 2000-2001, 2001-2002 तथा 1.4.2002 से 31.1.2003 तक के दौरान स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन स्वीकृत किए गए मामलों का राज्यवार ब्यौरा

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1999 2000	2000 2001	2001 2002	01.04.2002 से 31.01.2003
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	28	02	01	03
2.	अरूणाचल प्रदेश	00	00	00	00

1	2	3	4	5	6
3.	असम	00	00	00	00
4.	बिहार	01	04	12	07
5.	गोवा	00	00	00	00
6.	गुजरात	04	05	01	02
7.	हरियाणा	00	01	03	00
8.	हिमाचल प्रदेश	00	01	01	02
9.	जम्मू और कश्मीर	00	00	00	00
10.	कर्नाटक	03	06	04	04
11.	केरल	23	19	09	77
12.	मध्य पदेश	01	02	02	03
13.	महाराष्ट्र	03	02	03	06
14.	मणिपुर	00	00	00	00
15.	मेघालय	00	00	00	00
16.	मिजोरम	00	00	00	00
17.	नागालैंड	00	00	00	00
18.	उड़ीसा	01	00	02	01
19.	पंजाब	04	01	00	11
20.	राजस्थान	00	00	00	00
21.	सिक्किम	00	00	00	00
22.	तमिलनाडु	01	06	01	00
23.	त्रिपुरा	00	00	01	00
24.	उत्तर प्रदेश	01	00	02	04
25.	पश्चिम बंगाल	05	06	03	00
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	00	00	00	00
27.	चंडीगढ़	00	00	00	00
28.	दादरा और नागर हवेली	00	83	00	00
29.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	00	00	00	01
30.	आई०एन०ए०	10	00	03	00
31.	पांडिचेरी	00	01	00	00
	कुल	85	139	48	121

व्यावसायिक शिक्षा

150. श्री राजो सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में व्यावसायिक शिक्षा की वर्तमान संरचना और संगठन इसके उद्देश्य प्राप्त करने में पूर्णतया असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सही है कि आज दसवीं पास करने के बाद मात्र 4.5 प्रतिशत छात्र ही व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश लेते हैं और शेष 95.5 प्रतिशत विश्वविद्यालयों में सामान्य शिक्षा लेने की सोचते हैं; और

(ग) यदि हां, तो वर्तमान व्यावसायिक शिक्षा की संरचना को बदलने के लिए सरकार द्वारा की गई तैयारियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, हां।

(ग) विभिन्न समितियों की सिफारिशों के आधार पर इस योजना में संशोधन किया जा रहा है। प्रस्तावित संशोधनों में मॉड्यूलर, योग्यता तथा सक्षमता आधारित पाठ्यक्रम होंगे जिनमें भावी संभावनाओं एवं पढ़ाई के किसी भी स्तर पर शामिल होने की गुंजाइश होगी।

[अनुवाद]

डोलोमाइट भण्डार

151. श्री एस०डी०एन०आर० वाडियार : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान में देश में राज्यवार विशेषत: कर्नाटक में कुल डोलोमाइट भंडार क्षेत्र कितना है; और

(ख) इन क्षेत्रों में डोलोमाइट के उचित दोहन के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री रमेश बैस) : (क) खान मंत्रालय के एक अधीनस्थ कार्यालय भारतीय खान ब्यूरो (आई० बी० एम०) द्वारा तैयार की गई राष्ट्रीय खनिज सूची के अनुसार राज्यवार डोलोमाइट के कुल प्राप्य भण्डार संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) राष्ट्रीय खनिज नीति 1993 के अनुसार, डोलोमाइट समेत सभी अलौह और गैर-परमाणु खनिजों का गवेषण और विदोहन गैर-सरकारी उद्यमियों के लिए खोल दिया गया है। सरकार खनन क्षेत्र में निवेश को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है। ऐसे निवेश को आकृष्ट करने हेतु अवरोधों को दूर करके निवेशक अनुकूल माहौल बनाया गया है।

विवरण

1.4.1995 की स्थिति के अनुसार डोलोमाइट के प्राप्य भण्डार

मात्रा हजार टन में

राज्य/जिला	कुल
1	2
अखिल भारतीय	4386854
आंध्र प्रदेश	129080
अरूणाचल प्रदेश	58368
छत्तीसगढ़	613294
गुजरात	509686
हरियाणा	7038
झारखंड	29864
कर्नाटक	346152
मध्य प्रदेश	1152662
महाराष्ट्र	211254
उड़ीसा	690490
राजस्थान	194429
सिक्किम	2068
तमिलनाडु	1627
उत्तरांचल	160337
उत्तर प्रदेश	60172
पश्चिम बंगाल	220333

[हिन्दी]

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय

152. श्री राममूर्ति सिंह वर्मा : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संबद्ध डिग्री पाठ्यक्रमों में किसी संस्थान से दो वर्ष का अनुभव रखने वाले उम्मीदवारों को ही प्रवेश दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार जांच के बाद कितने विद्यार्थियों के अनुभव प्रमाण-पत्र फर्जी पाये गये;

(ग) क्या सरकार का विचार डिग्री पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिये उम्मीदवारों से अनुभव प्रमाण-पत्र लेने की बजाय प्रणाली शुरू करने का है;

(घ) यदि हां, तो यह प्रणाली कब तक शुरू किये जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० वल्लभभाई कथीरिया) : (क) और (ख) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के केवल बी०एड० और बी०एस०सी० (नर्सिंग) कार्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के लिए ही दो वर्ष का अनुभव आवश्यक पात्रता मानदंड है। पिछले तीन वर्षों के दौरान इन कार्यक्रमों में जाली अनुभव प्रमाण पत्रों का कोई भी मामला विश्वविद्यालय की जानकारी में नहीं आया है।

(ग) से (ङ) आवश्यक मानदंड के रूप में दो वर्ष के अनुभव के अतिरिक्त इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद द्वारा यथा निर्धारित मानदंडों के अनुसार बी०एड० कार्यक्रम में प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षा भी आयोजित कर रहा है। क्योंकि बी०एस०सी० (नर्सिंग) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत ही कम है इसलिए इसमें प्रवेश के लिए कोई प्रवेश परीक्षा आयोजित नहीं की जाती है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाऐंगे। श्री कड़िया मुण्डा।

[हिन्दी]

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : अध्यक्ष महोदय...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ क्लेरिफाई करना चाहता हूं, कृपया मुझे बोलने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष महोदय : श्री कड़िया मुण्डा जी, आप एक मिनट बैठिये। यादव जी, आप बोलिये।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका तथा श्री येरननायडू जी का आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय सोमनाथ चटर्जी दादा का बहुत रैस्पैक्ट करता हूं। दादा ने जो कोट करके कहा, उससे मेरे धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत के विश्वास पर प्रश्नचिह्न लगा, इसलिए मैं अपना नजरिया स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मैं पूर्णत: धर्मनिरपेक्ष सिद्धांत में विश्वास करता हूं और जो इस देश का धर्मनिरपेक्ष संविधान, न्यायालय और संसद तथा प्रधान मंत्री है, उनकी बात को न मानने वाली जो कट्टरपंथी ताकत हैं, उसके पक्ष में जाने के लिए मैं कभी भी तैयार नहीं हूं। जो तथाकथित धर्म संसद की बात हुई है, केन्द्र सरकार ने जो प्रार्थना पत्र सर्वोच्च न्यायालय में दिया है, उस पर मैं अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। केन्द्र सरकार को अध्योध्या के मुद्दे पर प्रार्थना पत्र देने के पहले, इस देश को विश्वास में लेना चाहिए, सभी घटक दलों तथा विपक्ष को विश्वास में लेना चाहिए और फिर प्रार्थना पत्र देना चाहिए, नहीं तो तथाकथित धर्म संसद का कोई मतलब नहीं है। यदि हम भी धर्मनिरपेक्ष संसद की घोषणा कर दें तो क्या सरकार उसका नोटिस लेगी। सरकार को गंभीरता से इस विषय पर विचार करना चाहिए। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है।

अपराह्न 12.03 बजे

[हिन्दी]

सभा पटल पर रखे गए पत्र

कोयला मंत्री (श्री कड़िया मुण्डा) : अध्यक्ष महोदय, मैं कोयला खान भविष्य निधि (संशोधन) योजना, 2002 जो कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत 8 अक्टूबर, 2002 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 687(अ) में प्रकाशित हुई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उसका एक शुद्धिपत्र जो 4 दिसम्बर, 2002 की अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 800 (अ) में प्रकाशित हुआ था, सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये देखिए संख्या एल०टी० 6961/2003]

अपराह्न 12.03¼ बजे

[अनुवाद]

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति

महासचिव : महोदय, मैं 20 दिसम्बर, 2002 को सभा को दी गयी सूचना के बाद तेरहवीं लोक सभा के ग्यारहवें सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चौदह विधेयक सभा पटल पर रखता हूं:–

1. वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 2002
2. गर्भ का चिकित्सीय समापन (संशोधन) विधेयक, 2002
3. काउंटेस आफ डफरिन निधि (निरसन) विधेयक, 2002
4. खाद्य अपमिश्रण निवारण (कोहिमा और मोकोकचुंग जिलों पर विस्तारण) निरसन विधेयक, 2002
5. विनियोग (रेल) संख्यांक 5 विधेयक, 2002
6. पूर्वोत्तर परिषद (संशोधन) विधेयक, 2002
7. सामुद्रिक नौपरिवहन और महाद्वीपीय मार्ग तट भूमि पर स्थिर प्लेटफार्मों की सुरक्षा के विरुद्ध विधिविरुद्ध कार्यों का दमन विधेयक, 2002
8. विनियोग (संख्यांक 6) विधेयक, 2002
9. लोक प्रतिनिधित्व (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002
10. उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2002
11. उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (वेतन और सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 2002
12. प्रसवपूर्व निदान-तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन विधेयक, 2002

13. धन-शोधन निवारण विधेयक, 2002

14. वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2002

मैं संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित तथा राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त निम्नलिखित चौबीस विधेयकों की राज्य सभा के महासचिव द्वारा विधिवत अधिप्रमाणित प्रतियां भी सभा पटल पर रखता हूं:—

1. इम्पीरियल लाइब्रेरी (इंडेंचर्स वैलीडेशन) निरसन विधेयक, 2002

2. वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन विधेयक, 2002

3. परक्राम्य लिखत (संशोधन और प्रकीर्ण उपबंध) विधेयक, 2002

4. संसद अधिकारी तथा संसद में विपक्षी नेता वेतन और भत्ता (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002

5. मैसूर स्टेट लेजिस्लेचर (डेलीगेशन आफ पावर्स) निरसन विधेयक, 2002

6. भारतीय यूनिट ट्रस्ट (उपक्रम का अंतरण और निरसन) विधेयक, 2002

7. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2002

8. दिल्ली मेट्रो रेल (प्रचालन और अनुरक्षण) विधेयक, 2002

9. संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002

10. उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2002

11. शरणार्थी सहायता कर (उत्सादन) निरसन विधेयक, 2002

12. लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन) विधेयक, 2002

13. कंपनी (संशोधन) विधेयक, 2002

14. केबल टेलीविजन नेटवर्क (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2002

15. सम्पत्ति अंतरण (संशोधन) विधेयक, 2002

16. भारतीय साक्ष्य (संशोधन) विधेयक, 2002

17. सूचना-स्वातंत्र्य विधेयक, 2002

18. लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक, 2002

19. अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां आदेश (संशोधन) विधेयक, 2002

20. कंपनी (दूसरा संशोधन) विधेयक, 2002

21. प्रतिस्पर्धा विधेयक, 2002

22. राष्ट्रीय राजमार्ग नियंत्रण (भूमि और यातायात) विधेयक, 2002

23. अपतट खनिज क्षेत्र (विकास और विनियमन) विधेयक, 2002

24. जैव विविधता विधेयक, 2002

अपराह्न 12.03¾ बजे

[हिन्दी]

याचिका समिति

चौबीसवां प्रतिवेदन

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति का चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब जीरो ऑवर लेते हैं, श्री पी० मोहन जी आप बोलिये।

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले हमारा नोटिस है।

अध्यक्ष महोदय : इसके तुरंत बाद आपका नाम है।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फ़रनगर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है।

[**جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر)**: محترم صاحب، میں نے بھی نوٹس دیا ہے۔]

अध्यक्ष महोदय : आपका नाम आया है, अभी आप बैठिये।

[अनुवाद]

***श्री पी० मोहन** (मदुरै) : माननीय अध्यक्ष महोदय, तमिलनाडु भयंकर सूखे की स्थिति से गुजर रहा है और भयंकर सूखे की चपेट में है लगातार दो वर्षों तक मानसूनों के न आने पर किसानों की सिंचाई और आम आदमी की पेयजल की समस्या और बढ़ गई है कृषि पर बहुत बुरा असर हुआ है और प्रतिदिन के उपयोग हेतु जलापूर्ति प्रभावित हुई है। तमिलनाडु के कावेरी डेल्टा क्षेत्र में कावेरी नदी में पानी न होने या बहुत कम पानी होने के कारण कम से कम बीस किसानों ने आत्महत्या कर ली है। मानसून की असफलता और बर्बाद फसल ने उन्हें किकर्त्तव्यविमूढ़ कर दिया है उन्होंने ऋण के बोझ व उसके परिणामस्वरूप भूख और अत्यन्त गरीबी के कारण स्वयं को समाप्त कर लिया। मुदुरै जिले, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भी, एक किसान ने खेती और जीविका संबधी अपनी समस्याओं के कारण आत्महत्या कर ली। पेयजल की समस्या बहुत गंभीर हो गई है। पानी के अभाव से सिंचाई सुविधाओं से वंचित होने के कारण कई स्थानों पर कृषि संबंधी कार्यकलाप रुक गए हैं। मदुरै जिले में 1.50 लाख एकड़ कृषि योग्य भूमि में से केवल 30,000 एकड़ भूमि पर ही खेती हुई है। पानी की कमी के कारण फसलें सूख गई हैं। एक केन्द्रीय दल ने सूखे की स्थिति और उसके गंभीर असर की समीक्षा करने हेतु तमिलनाडु का दौरा किया था। अभी तक उस रिपोर्ट के आधार पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लोग इधर से उधर भाग रहे हैं वे वर्षा और पानी हासिल करने हेतु जो कुछ भी कर सकते हैं कर रहे हैं। वे भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वे वर्षा के देवता (इन्द्र) को मनाने के लिए गधों का विवाह करा रहे हैं। वे अपने संकट में पड़े जीवन को बचाने के लिए वर्षा कराने हेतु प्रत्येक अंधविश्वास का सहारा ले रहे हैं। उन्हें किसी स्रोत से कोई सहायता नहीं मिली है। यहां तक कि तमिलनाडु सरकार ने भी बहुत विलंब से चैन्नई को छोड़कर सभी 28 जिलों को सूखा प्रभावित घोषित किया है। अत: मैं केन्द्र सरकार से पर्याप्त धनराशि और खाद्यान्न जारी कर समय पर राहत उपाय किए जाने का अनुरोध करता हूं। पानी के अभाव से ग्रस्त किसानों और आम लोगों के जीवन और जीविका को बचाने हेतु आगे आना केन्द्र का कर्त्तव्य है। मैं आशा करता हूं कि तमिलनाडु के अन्य माननीय साथी भी जल संकट के इस उत्पीड़क मुद्दे को प्रकाश में लाऐंगे जिससे शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किसान और आम आदमी दोनों ही प्रभावित हुए हैं।

श्री वी० वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरि) : महोदय, मैं स्वयं को माननीय सदस्य के साथ सम्बद्ध करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, मैं स्वयं को सदस्य के साथ सम्बद्ध करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

---

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

अध्यक्ष महोदय : माननीय संसद सदस्य श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम, श्री वी० वेत्रिसेलवन, श्री ए०के०एस० विजयन, श्री आदि शंकर, और श्री ए० कृष्णस्वामी इस मुद्दे पर स्वयं को श्री पी० मोहन के साथ सम्बद्ध करते हैं।

श्री मोहन, कृपया यह बात याद रखिए कि जब भी आप अंग्रेजी या हिन्दी के अलावा किसी अन्य भाषा में बोलना चाहें तो आपको अग्रिम सूचना देनी पड़ेगी। मैंने आज आपको अनुमति दे दी है।

श्री पी० मोहन : मैंने अग्रिम सूचना दी है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, प्रयाग में गंगा का जल प्रदूषित हो रहा है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : क्या आपने नोटिस दिया है?

श्री शंकर प्रसाद जायसवाल : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : फिर आप रुकिये। आपका नंबर आएगा। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो कृपया सहयोग करें। यदि आप सहयोग करें तो हम सभी सूचनाएं ले सकते हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : श्री कीर्ति आज़ाद, एक नोटिस क्रिकेट पर भी आ रहा है।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, सरकार आतंकवाद तथा आतंकवाद को प्रोत्साहित करने वाले तत्वों से निपटने के लिए बहुत बेताब थी इसलिए इस सदन में पोटा लाया गया। दादागिरी के बल-बूते पर, बहुमत के बल-बूते पर लोक सभा से पोटा पास हो गया, लेकिन राज्य सभा से वह पास नहीं हो पाया। इसके बाद सरकार ने 26 मार्च, 2002 को एक संयुक्त अधिवेशन बुलाया और उस संयुक्त अधिवेशन में पोटा पास हो गया। समाजवादी पार्टी को आशंका थी कि टाडा के अनुभव हमारे सामने हैं और इस पोटा का भी दुरुपयोग राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के खिलाफ होगा। आज वही काम हो रहा है। श्री वैको साहब जो दोनों हाथ उठाकर पोटा का समर्थन कर रहे थे, वे आज

जेल में हैं और उनके ऊपर आरोप है कि वह लिट्टे समर्थक थे। मुझे माफ करें जिस समय इनको पोटा के अंतर्गत बंद किया गया, तब भारत सरकार लिट्टे समर्थकों से बातचीत कर रही थी।

आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? उत्तर प्रदेश में जो तांडव नृत्य पोटा के नाम पर हो रहा है, विधायकों के साथ जो व्यवहार हो रहा है, वहां जान-बूझकर लोगों को उत्पीड़ित करने का काम हो रहा है, यह बहुत गंभीर मामला है। राजा भैया जो पांच-सांढ़े पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे, तब उनका आचरण कैसा था - वे दूध के धुले थे। जब राजा भैया ने मायावती सरकार की आलोचना करनी शुरू की तो राजा भैया के खिलाफ पोटा लगाकर उनके पिता उदय प्रताप सिंह पर भी पोटा लगाया। अक्षय प्रताप सिंह जो विधायक हैं, उनके खिलाफ पोटा लगाया और तमाम विधायकों के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है।

उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री ने आरोप लगाये हैं कि ये लोग मेरी हत्या की साजिश कर रहे थे और राजा भैया के पिता उदय प्रताप सिंह के आई०एस०आई० से संबंध हैं। ये आरोप बेबुनियाद हैं। भारत सरकार से बात की गई तो जवाब मिला कि अरुण जेटली कानून मंत्री इसकी जांच करेंगे। वे बताएं कि उन्होंने इस मामले में क्या जांच की है और क्या तथ्यों का पता लगाया है। पोटा का दुरुपयोग अपने प्रतिद्वंदियों से निपटने के लिए हो रहा है। समाजवादी पार्टी के जो हमदर्द लोग हैं, उनके उत्पीड़न की कार्रवाई हो रही है।

अंत में बड़ी विनम्रता से मैं कहना चाहता हूं कि आप देखें कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार चल रही हैं। मैं मल्होत्रा जी को याद दिलाना चाहता हूं कि पोटा के सवाल पर आपके कानून मंत्री और गृह मंत्री ने विश्वास दिलाया था कि इसका दुरुपयोग नहीं होने देंगे।

आज बी०जे०पी० के लोगों ने, लोक दल के लोगों ने मायावती के सामने समर्पण कर दिया है। आपकी तो कोई औकात ही नहीं है। आपकी तो कोई हस्ती ही नहीं है। विनय कटियार बोलते हैं, कलराज मिश्र बोलते हैं, राजनाथ सिंह बोलते हैं कि राजा भैया और उनके पिता पर पोटा गलत लगाया गया है, इसे वापस लिया जाना चाहिए। आज कहां चले गए विनय कटियार? कल-परसों के हिन्दुस्तान में विनय कटियार का बयान छपा है जिसमें कटियार जी ने कहा है कैसा राजा भैया और कैसा पोटा।

आज मायावती जो कुछ कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की मुख्य मंत्री जो कुछ कर रही हैं, वह बी०जे०पी० और लोक दल के इशारे पर कर रही हैं वरना उनकी हिम्मत नहीं है किसी व्यक्ति के ऊपर उत्तर प्रदेश में पोटा लगा सकें। यह गम्भीर मामला है। इसलिए मेरा निवेदन है कि कानून मंत्री और गृह मंत्री यहां आकर सदन को आश्वस्त करें कि जिन-जिन के ऊपर पोटा लगाया गया है, राजा भैया, उदय प्रताप सिंह, अक्षय प्रताप सिंह आदि के ऊपर से पोटा वापस लिया जाए।

अध्यक्ष महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहते हैं कि कानून मंत्री और गृह मंत्री आकर बताएं कि उत्तर प्रदेश में जिन-जिन के विरुद्ध पोटा लगा है, उसका औचित्य क्या है, उसका आधार क्या है और उसकी बुनियाद क्या है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रामजी लाल सुमन जी, कृपया बैठिए।

श्री मुलायम सिंह यादव (सम्भल) : अध्यक्ष जी, माननीय रामजी लाल सुमन जी ने जो सवाल उठाया है कि पोटा का दुरुपयोग हुआ है, मैं यह जानना चाहता हूं, प्रधान मंत्री जी और उप प्रधान मंत्री जी जिनके पास गृह मंत्रालय भी है, अभी उठ कर चले गए, हमारा यह आरोप नहीं है, यह चर्चा का विषय है, इसलिए आरोप हो जाता है। पूरे अधिकारियों और जनता के बीच यह बात है कि जब पहले राजा भैया जिनका नाम रघुराज प्रताप सिंह है, मुख्य मंत्री के इशारे पर गिरफ्तार किया गया। एक मंत्री अपनी कार में ए.के.56 राइफल रखकर ले गए और हजरत गंज कोतवाली की पुलिस से कहा कि इसके साथ आपने कोई अवैध हथियार का आरोप नहीं लगाया है। पुलिस ने कहा कि हम इलैक्ट्रोनिक मीडिया, प्रैस मीडिया और अखबार के सामने कह चुके हैं कि इनके पास से कोई अवैध हथियार नहीं मिला है। उसके बाद उन्हें तत्काल वहां से लखनऊ कोतवाली ले गए। वहां उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री अपनी कार में ए.के.56 राइफल रखकर ले गए। इस पर गम्भीरता पूर्वक सोचिए। उसके बाद पुलिस ने मना कर दिया और जब उनके पिता जो 74 साल की उम्र के बूढ़े थे, संन्यास ले चुके थे, उन्हें पकड़ा गया और उनके पास ए.के.56 राइफल होना बताया गया और इस प्रकार से उनके ऊपर फर्जी चार्ज लगाया गया। यह षडयंत्र उत्तर प्रदेश के मंत्री और मुख्य मंत्री ने किया है।

हम जानना चाहते हैं केन्द्र सरकार के पास आई०बी० है, रॉ. है, सी०बी०आई० है और तमाम जासूसी एजेंसियां हैं, क्या प्रधान मंत्री जी को पता नहीं चल पाया, क्या उप प्रधान मंत्री जी को पता नहीं चल पाया? खबर यह है कि किसी एजेंसी ने दिल्ली की केन्द्र सरकार को बता दिया है कि उनके ऊपर फर्जी ए.के.56 राइफल का जार्च लगाया गया है। इस प्रकार से पोटा का कानून निर्दोष लोगों पर लगाया जाएगा और दिल्ली की सरकार चुप रहेगी और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य मंत्री चाहे जिसको पोटा में बन्द कर के जेल भेज देंगे,

[श्री मुलायम सिंह यादव]

यह कैसे चलेगा? मैं आपसे और पूरे सदन के माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि पोटा का इस्तेमाल राजनैतिक प्रतिशोध की भावना से किया जा रहा है जो नहीं करना चाहिए। यदि इसका प्रयोग प्रतिशोध की भावना से, राजनीति से प्रेरित होकर किया गया और इस पर अंकुश नहीं लगाया गया और पोटा को वापस नहीं लिया गया, तो मैं आज बताना चाहता हूं कि इसके कारण उत्तर प्रदेश टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। वहां इसके कारण आज गृह-युद्ध की स्थिति बनती जा रही है। चाहे किसी दल की सभा हो, तलवार उठाई जा रही हैं, शंका व्यक्त की जा रही है। इससे देश का पूरा का पूरा वातावरण खराब हो रहा है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर गम्भीरता से विचार कीजिए।

अध्यक्ष महोदय, चाहे राजा भैया हों, चाहे उनके पिता हों, चाहे राजा राम पांडे हों, चाहे रामनाथ सरोज या जय प्रकाश यादव हों, उन सबके विरुद्ध पोटा और रासुका के तहत लगाए गए चार्जेज समाप्त किए जाएं और पोटा को खत्म किया जाए। मैं आज दिल्ली सरकार को सदन में यह कह कर सावधान करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार, देश और समाज को तोड़ने का काम कर रही है। पोटा को तत्काल समाप्त करिए वरना उत्तर प्रदेश में गृह-युद्ध होने से कोई रोक नहीं पाएगा।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास क्रिकेट के बारे में एक नोटिस आया है। मैं आपको उस पर बोलने के लिए समय देने वाला हूं।

श्री कीर्ति झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, मैं पोटा के ऊपर भी बोलना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। मैं आपको भी समय दूंगा, लेकिन डा० रघुवंश प्रसाद सिंह जी के बाद।

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष महोदय, माननीय रामजी लाल सुमन एवं माननीय मुलायम सिह जी ने जो सवाल उठाया है कि पोटा का दुरुपयोग किया जा रहा है, मैं उस पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे सदन के माननीय सदस्य श्री वाईको, जो तमिलनाडु से हैं, उनके बारे में आपको मालूम ही है कि तमिलनाडु सरकार ने उनके ऊपर पोटा का दुरुपयोग किया।

उत्तर प्रदेश में जुल्म हो रहा है, पोटा का दुरुपयोग हो रहा हैं। भारत सरकार के मंत्री जी ने बार-बार कहा था कि पोटा का दुरुपयोग नहीं होगा, केन्द्र सरकार के मंत्रियों ने कहा था लेकिन फिर भी पोटा का दुरुपयोग हो रहा हैं। इस पर इनका क्या कहना है? सरकार क्यों चुप बैठी है, जब कि पोटा का दुरुपयोग देश के विभिन्न हिस्सों में हो रहा है। सरकार ने कहा था कि पोटा का दुरुपयोग नहीं होगा, लेकिन फिर भी पोटा का दुरुपयोग हो रहा है और सरकार मौन बैठी है।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, हमें भी इस पर बोलने की इजाजत दी जाए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपको भी बोलने की इजाजत दी जाएगी।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : महोदय, हम श्री मुलायम सिंह यादव की मांग का पूर्णतया समर्थन करते हैं। पोटा को तुरंत पूर्णतया समाप्त किया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, नियम 193 के अंतर्गत मैंने आपको बिहार में हो रही अराजकता के बारे में लिख कर दिया है। मैंने आपको बहुत मोटी फाइल भी दी है, आप इसके प्रत्येक कागज को देखिए। बिहार में इंसान को इंसान नहीं समझा जाता, वह फर्जी मुठभेड़ में मारा जाता है। वहां बड़ी अजीब स्थिति है। मैंने सोमनाथ दा को भी पिछली बार इतनी मोटी फाइल दी थी। आपने भी मुझ से कहा था कि मामला गंभीर है, लेकिन आज तक यहां पर मेरा समर्थन नहीं किया। बिहार में जब भी कभी फर्जी मुठभेड़ होती है, वहां लोगों को मार दिया जाता है। एक विवाहित महिला को उसके घर से वहां के गुंडे उठा कर ले जाते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन : महोदय, हमने भी पोटा पर नोटिस दिया है। कुंवर अखिलेश सिंह जी तथा अन्य कई माननीय सदस्यों ने भी पोटा पर बोलने के लिए नोटिस दिया है। इसलिए हमारी आपसे प्रार्थना है कि जिन्होंने पोटा पर नोटिस दिया है, उन्हें मेहरबानी करके एक साथ बोलने की इजाजत दी जाए, यही हमारा आपसे आग्रह है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की इजाजत दूंगा, अभी आप बैठ जाइए।

श्री कीर्ति झा आजाद : अध्यक्ष महोदय, वहां एक विवाहित महिला को गुंडे उठा कर ले जाते हैं और उसे ले जाकर दोबारा उससे विवाह कर लेते हैं। उस औरत का एक छोटा बच्चा भी है। नेशनल कमीशन

फॉर वूमैन की अध्यक्ष, पूर्णिमा आडवाणी जी वहां गई थीं, उन्होंने निर्देश दिया है। उन्हें लोगों ने आकर बताया कि गुंडों ने उस महिला को कहां ले जाकर रखा हुआ है लेकिन उसके बावजूद भी वहां की पुलिस ने कुछ नहीं किया। पूर्व पुलिस कमिश्नर ने कहा, मुझे लगता है कि वह हस्तिनापुर में कहीं बैठा हुआ है, जहां राज्य का चीरहरण हो रहा है और मैं उसे देख रहा हूं। वहां के पुलिस कमिश्नर, डीजी पुलिस, जो रिटायर हो गए हैं, उन्होंने यह बात कही। इस प्रकार से पिछले 11 साल में दलितों की वहां हत्याएं हुई हैं। मेरे क्षेत्र के एक एमसीडी, जो दिल्ली में हैं, वहां जूनियर इंजीनियर, एक मुसलमान, उन्हें मोटर साइकिल के साथ घसीट कर घनश्यामपुर, दरभंगा में उनकी जान ले ली गई, लेकिन आज तक उसका कुछ नहीं हुआ। जब भी उनके घर के लोग जाकर गुहार करते हैं तो वे सुनते नहीं है। मुझे बड़ा खेद होता है। अगर इस समय मेरे पिता जी कांग्रेस में होते तो शायद डूब कर मर जाते। उन्हें शर्म आती। आज यही लोग मिल कर बिहार में इन लोगों का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने बिहार में अराजकता फैलाई है, यह बहुत खेद की बात है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपा कर आप सब माननीय सदस्य बैठ जाइए।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : हिन्दुस्तान के एक पत्रकार का अपहरण हुआ।...*(व्यवधान)* तीन दिन तक वहां की पुलिस उस आदमी को ढूंढ नहीं पाई, लेकिन वहां लालू प्रसाद यादव के आदमी तीन घंटे में उस आदमी को ले आए। इससे पता लगता है कि किस प्रकार से इन गुंडे, बदमाशों को वहां की राज्य सरकार द्वारा पूरा समर्थन एवं संरक्षण मिला हुआ है। ...*(व्यवधान)* वहां की राज्य सरकार की एक मंत्री रमा देवी को भी अपनी सरकार से खतरा है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये! मुझे माननीय संसद, सदस्यों से विभिन्न मुद्दों पर 26 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। मैं वास्तव में यह चाहता हूं कि उन्हें सदन के सामने अपने मुद्दे रखने का अवसर मिले। लेकिन जिस प्रकार हम मुद्दों पर बोलना चाहते हैं इससे अन्य संसद सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए अब मैं केवल उन संसद सदस्यों को बोलने का अवसर दूंगा जिन्होंने विशिष्ट मुद्दों पर विशिष्ट सूचनाऐं दी हैं।

इस विशिष्ट मुद्दे पर जिन संसद सदस्यों ने सूचनाऐं दी हैं उन्हें ही बोलने की अनुमति दी गई थी।

अब श्री पी०आर० दासमुंशी बोल सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने मौका दिया, वह पूरा हो गया। आपका आज तक मुझे नोटिस नहीं मिला।

श्री कीर्ति झा आजाद : मैं बिहार की चर्चा कर रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब सदन में बिहार की चर्चा उपस्थित करेंगे तो मैं आपको ज्यादा टाइम दूंगा, अभी आप बैठिये।

श्री कीर्ति झा आजाद : आप बिहार की हालत देखिये, ये कागजात देखिये। वहां जिस प्रकार से हो रहा है, उस पर मुझे दो मिनट में अपनी बात खत्म करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको पांच मिनट बोलने का टाइम दिया, आपका नोटिस नहीं था, तो भी समय दिया। आप समझने की कोशिश कीजिए।

श्री कीर्ति झा आजाद : मैं खुद अरैस्ट हुआ। आपको लोक सभा में इसकी सूचना नहीं मिली। मुझे आज तक एक ट्रैफिक लाइट उल्लंघन करने का पर्चा नहीं मिला, लेकिन मैं वहां जेल में गया और दो दिन रहा। लोग कहते हैं कि राजनैतिक लोगों के लिए जेल जाना बहुत अच्छा होता है। जब तक राजनैतिक आदमी जेल नहीं जाये, वह बड़ा आदमी नहीं बनता। मैं जेल अच्छे काम के लिए गया, बुरे काम के लिए नहीं गया, मैंने बेल भी नहीं मांगी। जिस प्रकार की अराजकता बिहार में है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अब दूसरे विषय पर जा रहा हूं, प्लीज बैठिये।

श्री कीर्ति झा आजाद : उसे लेकर में सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि मैंने नियम 193 के तहत नोटिस दिया है और संविधान की धारा 355 के अन्तर्गत मैं आपसे सिर्फ इतना ही निवेदन करता हूं कि तुरन्त इसके ऊपर चर्चा कराई जाये। बिहार में जो कुछ भी हो सकता है, आप करने का काम करिये।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : पी०आर० दासमुंशी जी, अगर आप अपना विषय नहीं रखेंगे, तो मैं अगला नाम पुकारूंगा।

श्री कीर्ति झा आजाद : बिहार में सब गड़बड़ हो गया है, बिहार की बहुत बुरी स्थिति है, इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसकी

[श्री कीर्ति झा आज़ाद]

चर्चा नियम 193 के अन्तर्गत कराई जाये और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगवाया जाये। बहुत-बहुत धन्यवाद।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रघुवंश प्रसाद जी, अभी आप बैठिये।

अपराह्न 12.23 बजे

[अनुवाद]

विश्व कप में खेल रही भारतीय क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देने के बारे में

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : अध्यक्ष महोदय सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप विश्व कप क्रिकेट मैच को देखने के लिए दक्षिण अफ्रीका गये और वहां जाकर क्रिकेट खिलाड़ियों को आर्शीवाद दिया।

खेल प्रशंसक और इस देश के नागरिक होने के कारण जब कभी हमारी टीम हारती है तो हम मायूस हो जाते हैं और जब जीतती है तो उत्साहित हो जाते है। यह क्रिकेट टीम भारत की है और ये खिलाड़ी देश के सपूत हैं। कई अवसरों पर वे इतने अधिक रन बनाते है कि वह भारत के लिए इतिहास बन जाता है। सचिन तेंदुलकर हमारे ऐसे ही स्पोर्ट्स अम्बेसडरों में से एक है। चाहे युवराज सिंह हों, जवागल श्रीनाथ हों या सौरव गांगुली हों, उन्होंने काफी रन बनाये हैं और इस देश के लिए महान पारियां खेली हैं। हो सकता है; 2-3 मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा न रहा हो। कल इलाहबाद में मोहम्मद कैफ़ के घर पर हमला बोला गया।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : कई स्थानों पर सचिन और सौरव गांगुली के पोस्टर जलाये जा रहे हैं, और उनके पुतले फूंके जा रहे हैं। उन्हें अभी चार मैच और खेलने हैं। मेरा केन्द्रीय गृह मंत्री जी से अनुरोध है कि सभी क्रिकेट खिलाड़ियों के जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाये, ताकि उनका हौसला बना रहे; हमें आशा नहीं छोड़नी चाहिए, और आइये हम इस अवसर उनमें अपना पूर्ण विश्वास व्यक्त करें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : आईये हम उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी दें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हमें खिलाड़ियों के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए। उन्होंने कई बार इतिहास रचा है।

फ्रांस की फुटबाल टीम है, जिनेडेन जीडान इसका कैप्टन है और टीम की सफलता में उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। विश्वकप फुटबाल मैच में उसकी टीम दूसरे राउन्ड में जीत नहीं पायी। जीडान ने इसके कारण बताये। फिर भी, फ्रांस के लोगों ने उनके घरों पर हमला नहीं बोला, उनके पुतले नहीं जलाये। लेकिन यहां जो हो रहा है वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें अपने खिलाड़ियों के साथ इस अशिष्टता से पेश नहीं आना चाहिए। वे देश के लिए खेल रहे हैं। क्रिकेट - एक खेल है और खेल जीतने के लिए भाग्य का साथ होना बहुत जरूरी है। इस बार हो सकता है भाग्य उनके साथ न हों। लेकिन इसका तात्पर्य यह नहीं कि हम उन्हें भला बुरा कहें और उनके साथ ऐसा व्यवहार करें कि उनके घरों पर हमला बोल दें और उनके पुतले फूंकने लग जायें। कम से कम इस संसद द्वारा इस तरह के कार्यों को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए और हम सबको उन्हें शुभकामनाएं भेजनी चाहिए।

महोदय, आप तो क्रिकेट के जानकार हैं, इसीलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अपील करता हूं कि वह क्रिकेटरों को पूरी सुरक्षा प्रदान करे। आइये हम सब एक साथ मिलकर टीम की भलाई और अंतिम मैंच में उनकी जीत के लिए प्रार्थना करें, और आशा करें कि वे देश के लिए कप जीत कर लायेंगे। हमें यहां बैठकर रोज़-रोज उन्हें भला बुरा नहीं कहना चाहिए।

श्री रूपचन्द पाल (हुगली) : इस संसद से उनके लिए यह संदेश जाना चाहिए कि हम सब उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : संसद को क्रिकेट टीम को शुभकामनाएं देनी चाहिए और हमलों की निंदा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रामजी लाल सुमन (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, प्रियरंजन दासमुंशी जी ने जो मुद्दा उठाया है, हम उसका समर्थन करते हैं। मैं समझता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है, वह ठीक नहीं है, गृहमंत्री जी को इस मामले में नोटिस लेना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन रावले, आप क्या इसी मुद्दे पर बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आपकी बात से सारी सभा सहमत होगी ...*(व्यवधान)*

श्री रूपचन्द पाल : इस सभा से पूरे देश को यह संदेश जाना चाहिए कि इन खिलाड़ियों के साथ इस तरह का व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : इस मुद्दे पर, मैं अध्यक्ष महोदय से एक अनुरोध करना चाहता हूं। सभा को सरकार से सभी खिलाड़ियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए कहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोहन रावले (मुम्बई दक्षिण मध्य) : अध्यक्ष महोदय, अभी दास मुंशी जी ने जो कहा, मैं उसका समर्थन करता हूं। क्रिकेट एक चांस है। इसमें टीम कभी अच्छा खेलती है और कभी फेल्योर भी हो सकती है लेकिन हमें उनका मोरल बढ़ाने की आवश्यकता है। आप भी उनका मोरल बढ़ाने के लिए वहां गये थे लेकिन अनफार्चुनेटली हमारी टीम ठीक ढंग से खेल नहीं सकी। लेकिन हमारी टीम अभी भी मजबूत है। अगर हम उनका मोरल बढ़ायें तो शायद हमारी टीम अभी भी जीत सकती है। मेरा कहना है कि हिन्दुस्तान के सारे लोगों की भावनायें उनके साथ जुड़ी हुई हैं इसलिए उनके ठीक न खेलने पर कुछ प्रतिक्रियाएं हुईं। जिस तरह से उन लोगों ने मैच खेला उससे लोगों के दिलों को ठेस पहुंची लेकिन इसका नतीजा यह नहीं होना चाहिए कि किसी के ऊपर हमला हो।...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम भी हर चुनाव थोड़े ही जीतते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री मोहन रावले : यहां पर मंत्री जी बैठे हुए हैं। मैं उनसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि वे उनके परिवार वालों को प्रोटेक्शन दें।

श्री रामजीलाल सुमन : अध्यक्ष महोदय, आपको भी इस सवाल पर कुछ कहना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : मैं माननीय सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमें उस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए जैसा कि क्रिकेट समर्थकों ने किया है। यह तो अभी शुरूआत भर है। जैसाकि आप इलेक्ट्रानिक मीडिया से ठीक ही कह रहे थे कि यह शुरूआत भर है। अभी चार मैच और होने हैं। हमे अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाना चाहिए। हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जिससे उनका मूड खराब हो। महोदय, आपके नेतृत्व में क्रिकेट टीम को यह संदेश मिलना चाहिए कि "हिम्मत मत हारो" हम तुम्हारे साथ हैं। चिंता की कोई बात नहीं।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, सदन की जो भावना है, वह मैं एक खिलाड़ी होने के नाते, चूंकि मैं राष्ट्रीय चयनकर्ता हूं और टीम बनाकर भेजने में मेरा भी हाथ रहा है इसलिए सब सदस्यों ने जो भावना यहां प्रकट की है, उसका मैं आदर करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस समय 1983 में हमने विश्व कप जीता था, उस समय की क्रिकेट टीम का मैं भी सदस्य था। उस समय हमसे इतनी ज्यादा आशा नहीं रखी गयी थी कि हम जीतेंगे क्योंकि उस समय टेलीविजन पर इतने ज्यादा एडवर्टाइजमैंट नहीं होते थे। छक्का मारते हुए शेर को नहीं दिखाया जाता था या कहीं पहाड़ से कूदकर कैच नहीं पकड़ा जाता था। हम केवल सिम्पल क्रिकेट खेलते थे। अभी जो परिस्थिति पैदा हुई है, मैं समझता हूं कि अगर कोई खेलते हुए या लड़ते हुए हारता है तो किसी को दुख नहीं होता लेकिन जिस प्रकार का प्रदर्शन आस्ट्रेलिया के विरुद्ध हुआ, वह किसी भी टीम का हो सकता है। हमने जिस प्रकार से वहां बैटिंग की, उसे देखकर हमें अच्छा नहीं लगा। मैं भी वहां पर था। यह बड़ा ही अटपटा सा लगा कि हमारी टीम इस प्रकार से खेली। जब टीम हार गयी तो मेरे पास मैसेज आने शुरू हो गये कि प्रत्येक भारतीय को यह वायदा करना चाहिए कि वह इन खिलाड़ियों द्वारा विज्ञापित वस्तु को बिलकुल नही खरीदेगा। जो खिलाड़ी जिन-जिन जगहों पर एनडोर्स करता है, उसको नहीं करना चाहिए। भारतीय टीम जिस प्रकार से खेली उससे कई लोगों को बुरा लगा। मेरा कहना है कि भारतीय टीम जब कभी भी हारती या जीतती है तो उससे देश को जरूर फायदा होता है। जब हमारी टीम इस प्रकार से हारी तो पूरे देश में स्वदेशी की भावना फैल गयी कि हम पेप्सी और कोक नहीं पीयेंगे बल्कि थम्स अप पीयेंगे। हम सैमसंग और एल०जी० का टी, वी. नहीं लायेंगे बल्कि ओनिडा का लायेंगे। आज लोग जिस प्रकार से बैटिंग आर्डर की बात करते हैं, मैं चयनकर्ता हूं इसलिए लोग मुझसे इस संबंध में पूछते हैं। मैं समझता हूं कि जो भी खिलाड़ी फार्म में होता है, वह जिस नम्बर पर बैटिंग करने की फार्म में है, उसे उसी नम्बर पर बैटिंग करनी चाहिए। अब विवाद यहां हो रहा था कि ओपनिंग कौन करे? सचिन तेंदुलकर को ओपनिंग करनी चाहिए या नहीं? अब फार्म के हिसाब से खिलाड़ी की परफोर्मैंस को देखना चाहिए। इसके लिए अधिकतर टीम मैनेजमैंट जिम्मेवार होती है। ऐसी स्थिति में अगर वीरेन्द्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करते तो बड़ा अच्छा होता। लेकिन हम यहां बैठकर, मैं सलैक्टर हूं लेकिन हमारे ऊपर भी सुपर सलैक्टर है, तय करते रहते हैं कि किस को क्या करना चाहिए और किस को क्या नहीं करना चाहिए। हमारा काम है कि हम अपनी टीम को अपनी शुभकामनाएं दें। हमारी टीम को अभी भी चार मैच और खेलने हैं जबकि हम एक मैच जीत चुके हैं। अगर हम तीन

[श्री कीर्ति झा आजाद]

मैच भी जीतते हैं यानी नामीबिया वाला हार भी जायें तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता हालांकि हम उससे हारेंगे नहीं। अगर हम तीन मैच जीत जाते हैं तो हम सुपर सिक्स में पहुंच जायेंगे क्योंकि इंग्लैंड ज़िम्बाब्वे में खेलने नहीं गया तो उसके चार प्वाइंट कैंसिल हो गये। मैं इसके अंदर आई०सी०सी० की बात भी करना चाहता हूं। इंटरनैशनल क्रिकेट काउंसिल ने हरारे में ...*(व्यवधान)* इंग्लैंड की टीम खेलने नहीं गयी। ...*(व्यवधान)* इंग्लैंड को अपने चार प्वाइंट जिम्बाब्वे के खिलाफ गंवाने पड़े। ...*(व्यवधान)*

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : अध्यक्ष महोदय, यह क्या बोल रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अखिलेश जी, कीर्ति आजाद जी क्रिकेटर हैं और इस टीम के सलैक्टर भी हैं। अगर वे इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो उनको कहने दीजिए।

(व्यवधान)

श्री कीर्ति झा आजाद : मैं दो मिनट में अपनी बात खत्म कर रहा हूं। मैं इसके ऊपर आई०सी०सी० को भी जिम्मेदार ठहराता हूं कि इंग्लैंड जो जिम्बाब्वे खेलने के लिए नहीं गई, उसके चार प्वाइंट्स खत्म करके इंग्लैंड को पैनल्टी करनी चाहिए थी, आज भी उसके ऊपर बैठी है, निर्णय नहीं ले रही है। वह देख रही है कि कौन सी टीम जीते, कौन सी हारे जिससे इंग्लैंड को फायदा हो। इसलिए आज भी आई०सी०सी० में जो लोग बैठे हैं, वे रंगभेद की नीति चला रहे हैं। इसके लिए हमारे क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया के अध्यक्ष श्री डालमिया जी ने प्लेयर्स के लिए जो लड़ाई लड़ी, हिन्दुस्तान के लिए जो लड़ाई लड़ी इसके लिए उनका समर्थन करना चाहिए, हमको अपने खिलाड़ियों का समर्थन करना चाहिए कि वहां अच्छा प्रदर्शन करें और ऐसे चक्करों में बिल्कुल न फसें और किसी के दबाव में न आएं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री दासमुंशी ने जो मुद्दा उठाया है वह बहुत ही सीमित है।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर) : महोदय, मेरा इस मुद्दे पर थोड़ा भिन्न मत है। अति हर जगह खराब है।

[हिन्दी]

इंडियन प्लेयर्स हैं, कुछ भी कर दो, लड़ जाओ। अगर हम यह ज्यादा करेंगे तो फेल्योर के समय भी ईंट-पत्थर पड़ेंगे। इस तरफ ज्यादा हुआ तो उस तरफ भी ज्यादा होगा।

[अनुवाद]

उग्र राष्ट्रवाद वाली बात नहीं है। भारतीय खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं और ठीक खेल रहे हैं। जब भारतीय खिलाड़ी अच्छी तरह खेलते हैं तब मुझे गर्व होता है। लेकिन वहां भारत नहीं खेल रहा है। देश नहीं खेल रहा है। देश ने टीम का चयन नहीं किया है। देश ने ऐसा नहीं किया है। संसद ने ऐसा नहीं किया है। सरकार ने ऐसा नहीं किया है। यह तो एक गैर सरकारी संगठन जैसा है जिसने यह किया है। वहां भारतीय खिलाड़ी खेल रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। जब उनका समर्थन हद से ज्यादा किया जाता है तो उनका विरोध भी हद से ज्यादा होगा। सरकार को यह देखना चाहिए कि कानून व्यवस्था भंग न हो और खिलाड़ियों की सुरक्षा खतरे में न पड़े।

अध्यक्ष महोदय : मित्रों, मैं इस मामले गुण-दोषों में नहीं जाना चाहूंगा। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व होना चाहिए। उन्होंने विगत में कई रिकार्ड बनाये है। कुछ भी हो वे हमारे देश के खिलाड़ी हैं। यद्यपि तकनीकी रूप से वे एक स्वायत्तशासी निकाय के अंतर्गत कार्य करते हैं, फिर भी वे सब भारतीय हैं। हमें उनको शुभकामनाएं देनी चाहिए। हमें इस मुद्दे पर एक रहना चाहिए। मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि राज्य सरकारों के माध्यम से यह हमारा दायित्व बनता है कि हम यह देखें कि हमारे खिलाड़ी सुरक्षित रहें और उन्हें पूरी सुरक्षा दी जानी चाहिए ताकि वे तनाव मुक्त रहें और मैच जीतने की कोशिश कर सकें। मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय संसद द्वारा प्रोत्साहित किये जाने पर हमारी टीम अगले मैचों में बेहतर ढंग से खेल पायेगी।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, टीम को यह संदेश भेजा जा सकता है कि पूरी संसद की शुभकामनाएं उनके साथ हैं और संसद पूरी तरह से उनके साथ है।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें इस आशय का संदेश भेजा जायेगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री सईदुज्जमा, आपने उत्तर प्रदेश तथा दूसरे राज्यों में किसानों को भुगतान न करने के कारण उन्हें हो रही समस्याओं के बारे में सूचना दी हैं। क्या आपको इसकी प्रति चाहिए।

श्री सईदुज्जमा (मुजफ्फरनगर) : महोदय, मैंने इस बारे में एक प्रति पहले ही भेज दी है।

[हिन्दी]

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई है। आज किसान मौत और जिंदगी के बीच जूझ रहे हैं। आज काश्तकारों को दो वर्षों से पेमैंट नहीं हो पाई है और जो फसल खड़ी है उसको भी शुगर मिल लेने को तैयार नहीं है। अगर किसान अपना पैसा मांगते हैं तो उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा उनको पीटा जाता है, जेलों में बंद किया जाता है और उन पर अत्याचार किए जाते हैं। आज देश की स्थिति बहुत ही गंभीर बनी हुई हैं। आज इस गंभीर मौके पर जहां किसानों को दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है, वहीं उनसे कर्जे वसूल किए जा रहे हैं। सरकार ने जो कर्जे माफ किए थे, कहा था कि इस समय नहीं लिए जाएंगे, उसके बावजूद भी उनसे कर्जे की डिमांड की जा रही है और उनको जेलों में भेजा जा रहा है। आज प्रदेश में जगह-जगह किसान प्रदर्शन कर रहे हैं और शुगरकेन की प्राइस की मांग कर रहे हैं। उनका तरह-तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस मौके पर उनको पेमैंट कराई जाये और उनका जो बकाया है उसको भी दिया जाये तथा किसानों के उत्पीड़न को रोका जाये।

[**جناب سعید الزماں صاحب (مظفر نگر)**: جناب عالی، آج پورے پردیش کی حالت بہت ہی سنگین بنی ہوئی ہے۔ آج کسان موت اور زندگی کے بیچ جوجھ رہے ہیں۔ آج کاشت کاروں کو دو سالوں سے پیمنٹ نہیں ہو پائی ہے اور جو فصل کھڑی ہے، اس کو بھی شوگر مل لینے کو تیار نہیں ہے۔ اگر کسان اپنا پیسہ مانگتے ہیں تو اتر پردیش کی سرکار کے ذریعے ان کو پیٹا جاتا ہے، جیلوں میں بند کیا جاتا ہے اور ان پر اتیاچار کئے جاتے ہیں۔ آج دیش کی حالت بہت ہی سنگین بنی ہوئی ہے۔ آج اس سنگین موقع پر جہاں کسانوں کو دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، وہیں ان سے قرضے وصول کئے جا رہے ہیں۔ سرکار نے جو قرض معاف کئے تھے، کہا تھا کہ اس وقت نہیں لئے جائیں گے، اس کے باوجود بھی ان سے قرضے کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور ان کو جیلوں میں بھیجا جا رہا ہے۔ آج پردیش میں جگہ جگہ کسان مظاہرے کر رہے ہیں اور شوگر کین کی پرائس کی مانگ کر رہے ہیں۔ ان کا طرح طرح سے اتپیڑن کیا جا رہا ہے۔ میری سرکار سے مانگ ہے کہ اس موقع پر ان کو پیمنٹ کرائی جائے اور ان کا جو بقایا ہے اس کو بھی دیا جائے اور کسانوں کی اتپیڑن کو روکا جائے۔]

अध्यक्ष महोदय : कृपया संक्षेप में अपनी बात रखें। जो सूचनाएं मुझे दी गयी हैं, मैं उनमें से अधिक से अधिक सूचनाएं लेना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : हिन्दुस्तान उर्वरक निगम तथा भारतीय-उर्वरक निगम की उर्वरक इकाइयों को बंद करने का मुद्दा इस सभा में ही उठाया गया था। भारतीय उर्वरक निगम तथा हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की छह इकाइयां बंद कर दी गयी हैं और हज़ारों श्रमिकों को बेघर कर दिया गया है। बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा सहित पूरे पूर्वी भारत में अब यूरिया बनाने वाला कोई संयंत्र नही होगा। अब इन राज्यों के कृषकों को ऊंचे दामों पर उर्वरक खरीदने पड़ेगे।

जब हम प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने यह आश्वासन दिया था कि प्रत्येक राज्य में कम से कम एक उर्वरक संयंत्र रहेगा। लेकिन प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के बावजूद और इस मुद्दे को सभा में उठाये जाने के बावजूद इन सब इकाइयों को 20 दिसम्बर से बंद कर दिया गया और इसकी दुर्गापुर इकाई को भी 20 जनवरी को बंद कर दिया गया। इन इकाइयों में काम करने वाले कर्मचारियों के बच्चे अब भी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। लेकिन इनसे क्वार्टर खाली करा लिए गये हैं। पानी और बिजली की आपूर्ति रोक दी गयी है। अब इनके बच्चे कहां जायेंगे? किसानों को सस्ती खाद कैसे मिलेगी इस बात पर बिल्कुल विचार नहीं किया गया है।

यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब भी राष्ट्रीय जूट निगम लिमिटेड में पन्द्रह हजार श्रमिक हैं। इसकी छह इकाइयां हैं- पांच पश्चिम बंगाल में और एक बिहार में। सरकार ने अभी हाल में एन जे एम सी की इन सभी छह इकाइयों को बंद करने के आदेश जारी किये हैं। इसके परिणाम स्वरूप, सभी 15000 श्रमिक बेरोजगार हो गये है। इन श्रमिकों को पिछले छह महीनों से वेतन नहीं मिला है। पांच श्रमिकों ने आत्महत्या कर ली है और दो श्रमिक भूख से मर गये है। इसके बावजूद उन्हें वेतन नहीं दिया गया और सरकार ने एन जे एम सी की इन सभी इकाइयों को बंद करने का फैसला किया है। इसके कारण पश्चिम बंगाल के जूट उत्पादकों को भी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह उर्वरक इकाइयों तथा एन जे एम सी की इकाइयों को बंद करने के फैसले पर पुनर्विचार करे।

[हिन्दी]

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं बसुदेव आचार्य जी के साथ सहमत हूं लेकिन इसके बावजूद भी मैं कहना चाहता हूं कि 6 यूनिट्स के साथ जो मेरा दुर्गापुर यूनिट है, ये लोग कोर्ट में गये थे, जो बीस दिसम्बर तारीख थी और ये लोग हाई-कोर्ट में गये थे और हाई-कोर्ट ने 20 जनवरी तक का स्टे ऑर्डर दिया था और जब स्टे ऑर्डर की तारीख खत्म हो गयी तो उसके बाद इन्होंने क्या किया है कि जो रजनीश गोयल, आई०ए०एस०, आपके मंत्रालय के डायरेक्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है कि हम दुर्गापुर यूनिट के लोगों को सबक सिखाएंगे। जैसे दूसरी 6 यूनिट्स में पेमेंट्स की गई है लेकिन दुर्गापुर यूनिट में अभी तक कोई पेमेंट भी नहीं की गई है और सिर्फ

[श्री सुनील खां]

इतना ही नहीं, जो अस्पताल है, जो स्कूल चल रहा है, उसको भी बंद कर दिया गया। उसका पेमेंट भी नहीं किया गया। जिस तरह से जो हल्दिया है, बरौनी है, रामागुंडम है, उसमें करीब-करीब 200-215 आदमियों को पोस्ट-क्लोजर जॉब्स कैरी आउट करने के लिए रख लिया है लेकिन जो दुर्गापुर है, वहां सिर्फ 10 आदमी रखे हैं। इसीलिए जो काम है, वे लोग सारा काम नहीं कर पाते हैं। दुर्गापुर यूनिट के लोगों को तनख्वाह भी नहीं मिली है और जो रजनीश गोयल, आई०ए०एस० है, मैं कहूंगा कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि उन लोगों को अभी तक तनख्वाह भी नहीं दी गई है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सेठ श्री तरित बरण तोपदार और श्री विकास चौधरी को भी स्वयं को श्री बसुदेव आचार्य के साथ सम्बद्ध करने की अनुमति दी जाएगी।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक) : महोदय, एचएफसीएल की एक इकाई मेरे निर्चाचन क्षेत्र में स्थित हैं यह कारखाना 20 दिसम्बर से बंद हैं। साथ ही, इसके कर्मचारियों को 6 जनवरी, 2003 से काम से छुट्टी दे दी गयी हैं। भारत सरकार द्वारा किए गये वादे के अनुसार अधिकतर कर्मकारों को अभी तक उनका बकाया इस दलील के आधार पर नहीं दिया जा रहा है कि वे फैक्ट्री द्वारा आबंटित मकानों में रह रहे हैं। माननीय मंत्री ने आश्वासन दिया है कि जब तक कर्मकारों के बच्चों की परीक्षाऐं नहीं हो जाती, उनको उनके मकानों में रहने दिया जाएगा। परंतु जैसा कि मैंने पहले कहा है कि कर्मकारों को उनका बकाया नहीं दिया गया है इसके परिणामस्वरूप वे भूखों मर रहे हैं मकानों में रहने के परिणामस्वरूप उनको न तो वेतन मिल पा रहा है और न ही उनको बकाया मिल पा रहा हैं। मेरा इसलिए अनुरोध है कि जो भी कर्मकार मकान को अपने पास रखना चाहता है, उनको अवश्य ही इसकी अनुमति दी जानी चाहिए। उनको उनके मकानों का स्वामित्व दे दिया जाना चाहिए ताकि वे अपने फ्लैटों और मकानों में रह सके। विद्यार्थी भी अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं।

महोदय, सरकार की ओर से किया गया ये अति अमानवीय कार्य है इसलिए हम इस मामले में आपकी दखल चाहते हैं।

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, सभी जानते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री ने पहले ही नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। माननीय प्रधान मंत्री ने पहले ही घोषणा कर दी है कि 37 बड़ी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाएगा। इसके बाद योजना आयोग ने भी कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। इसके लिए बताया गया है कि नदियों को जोड़ने के लिए 5,60,000 करोड़ रु. की आवश्यकता है। इस संबंध में मेरा मुद्दा यह है कि यह एक वृहद कार्यक्रम है। इस पर इस सभा में ठीक प्रकार से चर्चा होनी चाहिए। प्रत्येक राज्य के हितों का ध्यान रखा जाना चाहिए। नदी से संबंधित मामले जैसे अपरदन, बाढ़ इत्यादि पर भी इस कार्यक्रम में ध्यान दिया जाना चाहिए।

इस संबंध में मैं यह भी कहना चाहता हूं। कि पश्चिमी बंगाल की मांग को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। मैं इस मामले पर आगे यह भी कहना चाहता हूं कि विशेषज्ञों के इस कार्यक्रम पर काफी मत भिन्नता है। उनके मतों पर भी सरकार को ध्यान देकर उस पर कार्यवाही करनी चाहिए। इस मामले को इस सभा में उचित समय पर विचारार्थ रख कर इस पर चर्चा होनी चाहिए ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्रीमती रेनु कुमारी (खगड़िया) : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार के खगड़ियां, भागलपुर, मुंगेर, बांका आदि जिलों के किसानों का दुख-दर्द आपको सुनाने के लिए खड़ी हुई हूं। अगस्त और सितम्बर महीनों में जब बिहार में बाढ़ आई थी, तो इन जिलों के किसानों की खरीफ की फसल उस बाढ़ में डूब गई थी। किसान इस दुख से उबरा भी नहीं था कि अभी जनवरी महीने की भीषण शीत लहर में उसकी पान, गेहूं, मक्का, केला, तिलहन और दलहन की फसल भी खत्म हो गई। पान के किसानों की सारी फसल चौपट हो गई। गेहूं का बड़ा-बड़ा पौधा है, उसमें बालियां आई हुई हैं, लेकिन उनमें एक भी दाना नहीं है। प्रकृति उसकी मदद नहीं कर पाई और प्रकृति का प्रकोप यह हुआ कि वहां हुई ओलावृष्टि में उसकी सारी फसल खत्म हो गई। आज हालत यह है कि खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर और बांका जिलों के किसान अपने खेत में दहाड़ें मार कर रो रहे हैं। उन किसानों की रबी की फसल भी बर्बाद हो चुकी है। उनके घरों में खाने को कोई अनाज नहीं है। इसके अलावा वहां के किसानों को कर्ज उतारने की भी समस्या पैदा हो गई है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह यहां से एक टीम वहां भेजे। वह टीम इन जिलों में जाकर किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति का जायजा ले। इसलिए मैं प्रधान मंत्री जी से आग्रह करती हूं कि इन किसानों को, जो दहाड़ें मार कर रो रहे हैं, त्राहिमाम की स्थिति में हैं, इनके आंसू नहीं सूख रहे हैं, उनको आंसुओं को पोंछने के लिए राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से उनकी बर्बाद फसल की क्षतिपूर्ति की जाए।

[अनुवाद]

श्री के० येरननायडू (श्रीकाकुलम) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मुझे एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना है...*(व्यवधान)*

श्री एस०एस० पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, श्री वेत्रिसेलवन को भी एक अति महत्वपूर्ण मामला उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : यह बहुत अच्छा है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : सर, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा विभाग में नांदेड़ जिले के देगलूर ताल्लुका में, मिरखेल गांव में भूकम्प के तीन बड़े झटके आये हैं। शाम को साढ़े पांच बजे के बाद लोगों में घबराहट फैल गयी। अभी तक दुर्घटना की पूरी जानकारी नहीं मिली है कि उसमें कितने लोगों को नुकसान हुआ है। महाराष्ट्र के बगल में लातूर जिला है। धाराशिव जिला जिसे अब उस्मानाबाद कहते हैं जैसे औरंगाबाद को शंभाजी नगर कहते हैं, उसमें बहुत मकान गिर गये हैं। मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार का ध्यान देगलूर ताल्लुका की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और चाहता हूं कि जहां भूकम्प से नुकसान हुआ है, वहां ज्यादा से ज्यादा मदद देने के साथ-साथ जो भूकम्प से विपत्ति आई है उसकी जानकारी सदन को दी जाए।

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (बडोदरा) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देती हूं आपने मेरे राज्य गुजरात की तटरेखा को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने, जैसे एक बहुत महत्वपूर्ण मामले को उठाने की अनुमति दी है।

भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित मानचित्र यह दर्शाता है कि देश की अधिकांश तटरेखा राष्ट्रीय राजमार्गों से जुड़ी है जबकि गुजरात तटरेखा देश की तटरेखा की 25 प्रतिशत है राष्ट्रीय राजमार्ग से जुड़ी हुई नहीं है। गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से इस बाबत आवश्यक कार्रवाई करने हेतु बार-बार गुजारिश की है परंतु इस पर अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। इसलिए मैं सरकार से गुजरात तटरेखा को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने हेतु अनुरोध करती हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सर, आठ दिसम्बर 2002 को राष्ट्र जूता ब्रिगेड नाम के दलित संगठन द्वारा हिंदू आतंकवाद के खिलाफ मेरठ में एक प्रदर्शन किया गया था। वहां आरएसएस को लोगों द्वारा उनका विरोध किया गया और पुतला जलाया गया। पुलिस ने शुरू में मदद की। इस संगठन के 214 लोगों को पुलिस द्वारा अरैस्ट किया गया और ढाई महीने मेरठ जेल में रखा है। मेरी आपके माध्यम से होम-डिपार्टमेंट से अनुरोध है कि उनके साथ बहुत बेइंसाफी हुई है। *...(व्यवधान)* सर, उन्हें न्याय दिलाया जाए।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरा नाम पुकारा। मैं जो विषय उठा रहा हूं वह पूरी तरह से संवैधानिक चुनौती देना वाला मध्य प्रदेश का मामला है। मेरे चुनाव क्षेत्र बालाघाट जिले के बैहर में ऐसा इलाका है जहां नक्सलवादियों का गढ़ है। अध्यक्ष जी, मैंने पिछले तीन वर्षों में करीब 20 बार नक्सलवाद के खिलाफ अपनी बात उठाई है। सर, मध्यप्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैहर की सभा में जो भाषण किया है वह सदन में विचार करने वाला है।

उन्होंने भाषण करते हुए यह बात कही। उसकी सीडी और वीडियो कैसेट मेरे पास है। ऐसा नहीं है कि इस बात के लिए मैं आज चुप रहूंगा। इस सत्र में इस बात का फैसला होना चाहिए। मुख्य मंत्री ने आम सभा में इस बात को कहा कि आप मुझसे मत लड़िए। आप जो चाहते थे, मैं करता था। अगर लड़ना ही है, तो केन्द्रीय सरकार से लड़िए। पीडब्ल्यूजी एक प्रतिबंधित संगठन है और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री आम सभा में खड़े होकर इस बात को कहें कि आप हम से मत लड़िए, केन्द्रीय सरकार से लड़िए।

दूसरी आपत्तिजनक बात उन्होंने फोर्सेस के बारे में कही और कहा कि चार महीने तक आप वारदात न करें। बड़े मजाकिया लहजे में उन्होंने इस बात को कहा है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि उस सीडी को सभा-पटल पर रखने की अनुमति दे दीजिए। इस संबंध में मैंने गृह मंत्री जी और मध्य प्रदेश के राज्यपाल महोदय को भी लिखा है और सीडी उपलब्ध कराई हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि पोटा की परिभाषा क्या है। मध्य प्रदेश में संवैधानिक स्तर पर काम करने वाला प्रमुख सीधे केन्द्रीय सरकार के खिलाफ एक नक्सलवादी ग्रुप को प्रवोक करे, तो उस पर पोटा लगना चाहिए। इस सदन में इस विषय पर बहस होनी चाहिए कि क्या किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री को ऐसे बयान देने का हक है। अगर वह इस सीमा तक जाता है, तो केन्द्रीय सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए और इस सदन को उस स्थिति पर विचार करना चाहिए कि किसी भी राज्य में मुख्य मंत्री के खिलाफ कौन सी कार्रवाई करनी चाहिए।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस विषय को शून्यकाल तक ही सीमित न करे। मैं आपसे यह भी प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप मुझे इस बात की अनुमति दें कि मैं उस सीडी को सदन के सभा पटल पर रख सकूं और सदन उसको देखकर फैसला कर सके।

[अनुवाद]

श्री कालवा श्रीनिवासुलु (अनन्तपुर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं आध्र प्रदेश के रायलसीमा जैसे अत्यंत पिछड़े इलाके से संबंधित एक ज्वलंत समस्या उठाना चाहता हूं। वहां गुनताकल रेलवे डिविजन है जिसका गठन 1955 में हुआ था। इस डिविजन की स्थापना से ही वह रायलसीमा के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है।

कल रेल मंत्री ने इस डिविजन के क्षेत्र के संबंध में नयी अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना में, गुनटाकल डिविजन के साथ नाइंसाफी की गयी हैं। इस डिविजन के बेलारी सेक्शन को द्विभाजित करके उसे हुबली डिविजन के साथ मिला दिया गया है।

इस डिविजन से प्राप्त होने वाली कुल आय 536 करोड़ रुपये है जिसमें से 400 करोड़ रु० केवल लोह अयस्क की ढुलाई से प्राप्त होते है। लौह अयस्क की खाने केवल बेलारी सेक्शन में ही स्थित है। इसलिए इस डिविजन पर भविष्य में प्रश्न उठ सकते है।

मैं रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे 2 जुलाई, 2002 को जारी पुरानी अधिसूचना को देखें। इस संबंध में आठ महीने के भीतर ही नयी अधिसूचना जारी करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र विजय सिंह (मुरादाबाद) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों की समस्याओं की ओर दिलाना चाहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गन्ना कृषक बहुत सालों से परेशान है। मिल-मालिक उनके उत्पादन का भुगतान नहीं कर रहे हैं। किसानों की लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं और उनके बच्चो की स्कूल की फीस तक नहीं दी जा रही हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान कचहरी पर धरना दे रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा उन पर प्रहार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से केन्द्रीय सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश की सरकार बुलन्द दिली से पोटा लागू कर रही है, तो यह कानून मिल-मालिकों के खिलाफ भी लगाया जाना चाहिए, जो किसानों को भुगतान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहता हूं, जब तक किसानों को उनके उत्पादन का भुगतान नहीं होता है, तब तक किसानों को जारी किए जाने वाले रिकवरी नोटिसैस पर रोक लगानी चाहिए।

कुंवर अखिलेश सिंह (महाराजगंज, उ०प्र०) : महोदय मैं माननीय सदस्य की बात का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार के आगे नतमस्तक है। ये उनके सामने कुछ भी कहने वाले नहीं है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप मेरा काम आसान कर देते हैं।

[अनुवाद]

श्री वी० वेत्रिसेलवन (कृष्णागिरी) : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे निर्वाचन क्षेत्र और साथ ही तमिलनाडु से सबंधित अति महत्वपूर्ण मामला है। दक्षिणी रेलवे से बैंगलोर और मैसूर डिविजन ले लिए जाएंगे। ये 1 अप्रैल, 2003 से दक्षिण-पश्चिम रेलवे का भाग बन जांएगे। इसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में हुए एक कार्यक्रम में किया था। बैंगलोर से ओमालुर और पेराशूट से जोलारपेट्ई तक के सेक्शन वर्तमान में दक्षिण रेलवे के बैंगलोर डिविजन के साथ है और दक्षिण-पश्चिम रेलवे के गठन के साथ ही ये सेक्शन दक्षिण-पश्चिम रेलवे के साथ चले जाएंगे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लोग इस कदम से बहुत क्षुब्ध है। होसूर-ओमालूर और पटशूर जोलारपेट्ई सेक्शन में काम करने वाले रेल-कर्मचारियों को अब अपनी समस्याएं सुलझाने के लिए हुबली भागना होगा।

वर्तमान में बैंगलोर डिविजन मुख्यालय होने के नाते और चेन्नई जोनल मुख्यालय होने के नाते उस तक कर्मचारियों की आसान पहुंच हैं। जब ये सेक्शन दक्षिण-पश्चिम रेलवे के साथ मिल जाएंगे तो कर्मचारियों का भी रूपान्तांतरण कर्नाटक करना होगा जिससे उन्हें उनके बच्चों की शिक्षा में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

रेल यात्री भी यह महसूस कर रहे हैं कि उन्हें दक्षिण-पश्चिम रेलवे से उचित न्याय नहीं मिलेगा और सभी समस्याएं जिनको जोनल स्तर पर ही निपटा लेना चाहिए के सामधान हेतु उन्हें हुबली जाना पड़ेगा जहां रेल से पहुंचना आसान नही है...*(व्यवधान)* नहीं यह सही नहीं है जोलारपेट्ई से हुबली कोई रेल नहीं चलती है।

महोदय, जहां तक कर्नाटक राज्य का संबंध है विभिन्न कारणों से तमिल लोगों के प्रति पहले ही कुछ शत्रुता चल रही है। यहां यह कहना गलत नहीं होगा कि कावेरी जल आंदोलन के दौरान अ-सामाजिक तत्वों द्वारा भड़काए जुनून का शिकार तमिलनाडु नंबर प्लेटो वाली गाड़ियाँ तक हुई थी।

हालांकि गुस्से की आग भड़की हुई थी लेकिन अपनी ओर से मैंने यह सुनिश्चित किया था कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कन्नड़ भाषी लोगों के विरूद्ध कोई हिंसा न भड़के। इसके बावजूद भी यह भावना बनी हुई है कि यदि ओमालूर-होसूर और पटशूर-जोलारपेट्ई सेक्शन

बैंगलोर डिविजन के साथ रहते है और वे दक्षिण-पश्चिम रेलवे के साथ मिल जाते हैं तो रेल-यात्री और साथ ही रेलवे कर्मचारियों से भी 'बाहरी' व्यक्ति की तरह व्यवहार किया जाएगा। इस तरह की दुर्भावना से औद्योगिक संबंधों से जुड़ी गंभीर समस्याएं पैदा होगी।

मैं इसलिए पुरजोर आग्रह करता हूं कि आमेालूर-होसूर और जोलारपेट्ई-पटशूर सेक्शन को दक्षिण रेलवे के साथ रहने दिया जाए। अस्थायी उपाय के रूप में इसे पालघाट डिविजन के साथ मिला दिया जाना चाहिए और कुछ समय में इसे सेलम डिविजन का भाग बनाया जा सकता है जिसकी मांग तमिलनाडु के सभी सांसद एक स्वर में कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैंने श्री पुन्नू लाल मोहले को बुलाया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : आपकी बात पूरी हो गई है। मैं इतना समय नहीं दे सकता हूं।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ में फसल बीमा योजना को लागू किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहले का ही वक्तव्य कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : मोहले जी, आप बोलिए। आपका रिकॉर्ड में जा रहा है।

श्री पुन्नू लाल मोहले : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने छत्तीसगढ़ सहित अन्य राज्यों जैसे मध्य प्रदेश और गुजरात आदि में फसल बीमा योजना लागू की। छत्तीसगढ़ में धान की फसल बरबाद हो चुकी है।...*(व्यवधान)* छत्तीसगढ़ सहित कई अन्य राज्यों ने फसल बीमा योजना लागू करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाए लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ के किसानों ने धान की फसल का बीमा करवाया। उसके बाद वहां सूखा पड़ गया। छत्तीसगढ़ सरकार ने उसे सूखाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया। वहां के किसानों का अभी तक सर्वे भी हो गया है लेकिन उनकी बरबाद फसल की क्षति-पूर्ति नहीं की गई है जिससे किसान परेशान हैं। वहां के लोगों को ऋण भी नहीं दिया जा रहा है। वहां जो कर्ज माफ करना था या स्थगित करना था, वहां की राज्य सरकार वह काम भी नहीं कर रही है। वहां रबी की फसल के लिए किसान आतुर थे। वहां बिजली और पानी की समस्या भी उत्पन्न हो गई है। किसानों के पास कर्ज चुकाने के लिए किसी प्रकार के साधन नहीं हैं और न ही पैसा है। केन्द्र सरकार किसानों की क्षति-पूर्ति का पैसा फसल बीमा योजना के अन्तर्गत दिलाए और इसके लिए राज्य सरकार को बाध्य करे।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : माननीय, अध्यक्ष महोदय, मैं गंगा-पद्मा नदी कटाव के संबंध में मामला उठाने के लिए खड़ा हुआ हूं।

नदी कटाव की समस्या ने गंभीर रूप धारण कर लिया है, विशेषकर पश्चिमी बंगाल में हजारों लोग परेशान हो रहे हैं और वे गंभीर समस्या का सामना कर रहे है। कटाव के कारण उनके घर, घरेलू सामान और संपत्ति नष्ट हो रही हैं। इस कटाव से पश्चिमी बंगाल में प्रतिवर्ष बाढ़ आ रही हैं।

महोदय, ये मुद्दे अनेकों बार उठाए जा चुके हैं और इस समस्या के समाधान हेतु हम माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मिल चुके हैं। वर्तमान में, पश्चिमी बंगाल के लाखों लोग केन्द्र सरकार से इस मामले को तत्काल निपटाने के आग्रह के साथ सड़कों पर आंदोलन कर रहे है।

अपराह्न 1.00 बजे

यह मामला बहुत गंभीर है और मैं केंद्र सरकार से इस मामले पर ध्यान देने और इसे अति शीघ्र सुलझाने के लिए आग्रह करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका) : अध्यक्ष महोदय, वेरावल से सुरेन्द्रनगर वाया बोटाद रेल लाइन का मीटर गेज से ब्रोड गेज में कंवर्शन हो रहा है। परिणमस्वरूप वेरावल और अमरेली से आने वाली लोकल तथा मेल गाड़ियां बंद कर दी गई हैं। जिसके कारण किसान, विद्यार्थीगण तथा रोजाना अप-डाउन करने वाले लोगों के लिए ट्रेन सुविधा बंद हो गई है और उन्हें अनेकों कठिनाइयों का सामना करना

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री रतिलाल कालीदास वर्मा]

पड़ रहा है। अहमदाबाद से बोटाद तक जाने के लिए कोई रात्रि ट्रेन नहीं है। हमारा अनुरोध है कि वहां एक रात्रि ट्रेन शुरू की जाए और बोटाद से अहमदाबाद तक जो मीटर गेज लाइन है, उसे ब्रोड गेज में परिवर्तित किया जाए तथा धसा से बोटाद तक लाइन बिछाई जाए, जिससे गुजरात और सौराष्ट्र के लोग इसका लाभ उठा सकें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.01 बजे

तत्पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

अध्यक्ष महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों को लेगी।

[हिन्दी]

(एक) पूर्वी उत्तर प्रदेश में बंद पड़ी चीनी मिलों को पुन: चालू करने के लिए उपाय किए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर) : महोदय, उत्तर प्रदेश का पूर्वी भाग प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे अधिक घनत्व वाला लेकिन आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा क्षेत्र है। इस क्षेत्र का अधिकतर भाग नेपाल तथा बिहार की सीमा से जुड़ा है। आजादी के बाद औद्योगिक दृष्टि से विकसित करने के लिए एकमात्र उद्योग फर्टिलाइजर की इकाई गोरखपुर में लगाई गई थी। 1990 में वह भी बंद हो गया। वर्तमान में इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की दृष्टि से केवल चीनी मिलें ही विकास का आधार हैं जो बेराजगार नौजवानों, किसानों, मजदूरों के आर्थिक स्रोत का आधार भी हैं। सभी चीनी मिलें 1920 और 1932 के बीच लगाई गई थीं। समय के साथ-साथ आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण न होने के कारण ये मिलें एक एक कर बंद होती जा रही हैं। यदि ये मिलें बंद हो गई तो निश्चित ही बेरोजगारी की मार पहले ही झेल रहा यह क्षेत्र भूखा मरने की स्थिति में पहुँच जाएगा और फिर इस क्षेत्र में पहले से अपनी अराजक गतिविधियों के लिए कुख्यात आई०एस०आई० और सिमी जैसे राष्ट्रविरोधी संगठन यहां के नोजवानों को गुमराह करने में सफल हो जाएंगे। इसलिए आवश्यकता है कि इस क्षेत्र का औद्योगिक विकास किया जाए। बंद हुई चीनी मिलों के लिए आर्थिक पैकेज की व्यवस्था की जाए जिससे बेरोजगार नौजवानों, किसानों, मजदूरों को कार्य मिल सके और सीमावर्ती क्षेत्र का अपेक्षित भौतिक विकास भी हो सके।

(दो) भारतीय मूल की अन्तरिक्ष यात्री स्व. कल्पना चावला को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रेश पटेल (जामनगर) : अध्यक्ष महोदय, अंतरिक्ष में गई भारतीय मूल की कल्पना चावला का आकस्कि निधन अंतरिक्ष में ही हो गया। देश-विदेश में उनकी मृत्यु पर गहरा शोक हुआ। उनको जगह-जगह श्रद्धांजलि दी गई।

वह भारत की थीं, इसलिए इस महान् आत्मा को "भारत रत्न" से सम्मानित करना चाहिए तभी देश की सच्ची श्रद्धांजलि मानी जाएगी। देश के लिए नाम रौशन करने वालों का यही उच्च सम्मान है। उन्हें संसद एवं देश को सम्मानित करना चाहिए।

[अनुवाद]

(तीन) गुजरात में तटीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़े जाने की आवश्यकता

श्रीमती जयाबहन बी० ठक्कर (वडोदरा) : गुजरात सरकार ने केन्द्र सरकार से अपने तटीय क्षेत्रों को राष्ट्रीय राजमार्गों से जोड़ने, राष्ट्रीय राजमार्ग 15 का भुज-खावड़ा इंडिया ब्रिज-धर्मशाला तक उन्नयन करने तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-8, 8क, 59 तथा 6 को चार लेन में बदलने का बार-बार अनुरोध किया है (कुल लम्बाई 140.20 कि०मी०) लेकिन इस संबंध में अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है।

मैं सरकार से इस मामले में आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करती हूं।

(चार) गुजरात के कच्छ और अन्य जिलों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए राज्य सरकार को पर्याप्त वित्तीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री पी०एस० गढ़वी (कच्छ) : गुजरात में कच्छ जिले तथा अन्य क्षेत्रों में लगातार तीसरी बार सूखा पड़ा है। यहां के लोग तथा पशु पेयजल की अत्यधिक कमी का सामना कर रहे हैं तथा पशुओं के लिए चारे अर्थात् घास की कमी हो गई है। कच्छ में हजारों पशु पर्याप्त घास और पेयजल न मिल पाने के कारण मर गए हैं।

मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस भयंकर स्थिति से उबरने हेतु राज्य सरकार को अतिरिक्त सहायता प्रदान करे।

[हिन्दी]

(पांच) बिहार में बक्सर से फरक्का तक गंगा नदी में अंतर्देशीय नौपरिवहन के विकास के लिए योजना बनाए जाने की आवश्यकता

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन के माध्यम से यह सूचित करना चाहता हूं कि अंतर्देशीय जल मार्ग की गंगा प्रणाली के तहत बिहार में बक्सर से फरक्का तक का बड़ा क्षेत्र आता है। इस क्षेत्र में अंतर्देशीय जल मार्ग को इस्तेमाल लायक बनाने की आवश्यकता है ताकि बिहार में ढुलाई और यातायात की सुविधाओं में सुधार हो सके। उत्तरी बिहार में अन्य आपरेशनल नदी प्रणालियां हैं जिनके माध्यम से यातायात को सुधारने तथा अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए अंतर्देशीय जल मार्गों संबंधी संभावनाओं का पता लगाया जा सकता है।

मैं, जल भूतल परिवहन मंत्री महोदय से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि एक विस्तृत व्यावहारिकता अध्ययन कराकर तथा इसके फलस्वरूप बनने वाले प्रस्तावों के कार्यान्वयन के लिए ठोस परियोजना बनाने की कृपा करें।

अपराह्न 2.08 बजे

[श्री पी०एच० पांडियन *पीठासीन* हुए]

(छह) "अंगिका" भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : महोदय, "अंगिका" भाषा बिहार राज्य के भागलपुर, बांका, मुंगेर, खगड़िया, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, पूर्णिया, गोड्डा, साहेबगंज, देवघर, मधेपुरा, सुपौल, बेगूसराय और कटिहार के ग्रामीण क्षेत्रों की मातृभाषा हैं लगभग 3 करोड़ की आबादी में अंगिका भाषा का आम बोल-चाल की भाषा में प्रयोग किया जाता है। यह भाषा अति प्राचीन एवं समृद्ध भाषा है जिसका अपना सर्वनाम है। गीत काव्य इस भाषा की मूल पहचान है। इसकी चार मुख्य उप-भाषा हैं- 1. चम्पानगरी, 2. मुंगरिया, 3. धर्मपुरिया एवं 4. खोहा। इस भाषा की बोलचाल लगभग 58 हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में है। अति प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय में इस भाषा का प्रयोग किया जाता था। वर्तमान में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय ने इस भाषा की पढ़ाई हेतु एक पृथक विभाग खोल दिया है। अत: मैं सदन के माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि "अंगिका" भाषा के समुचित विकास के लिए इसे संविधान की आठवीं सूची में सम्मिलित किया जाए।

[अनुवाद]

(सात) देश में जल के बेहतर प्रबंधन के लिए नदियों को जोड़ने की परियोजना को कार्यान्वित किए जाने की आवश्यकता

श्री वाई०वी० राव (गुंटूर) : महोदय, पूरे देश में अभूतपूर्व सूखे की स्थिति है। देश के अनेक भागों, शहरों और गांवों दोनों में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहां कृषि के लिए जल के साथ-साथ पेयजल की पर्याप्त मात्रा की आपूर्ति के लिए कदम उठाए जाने हैं। मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं कि 80 वर्षों के बाद मूसी नदी के किनारों पर स्थित गंदीपेट सूख गया है जिससे हैदराबाद में पेयजल की कमी हो गई है।

हम सभी जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र और गंगा सहित अनेक नदियों में पर्याप्त अधिशेष जल है जो बाढ़ के रूप में बहता है जिसके कारण मानव जीवन और सम्पत्ति को नुकसान हो रहा है। बहुत पहले एक विख्यात इंजीनियर डा० के०एल० राव ने देश के सभी भागों में जल की आवश्यकता को पूरा करने हेतु नदियों को परस्पर जोड़ने की योजना का प्रस्ताव किया था। अनेक दशकों से यह प्रस्ताव ज्यों का त्यों पड़ा है। यह सौभाग्य की बात है कि माननीय प्रधानमंत्री इस प्रस्ताव में काफी रूचि ले रहे हैं और इसे अंतिम रूप देने के लिए प्रयास चल रहे हैं। आंध्रप्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी प्रस्ताव का समर्थन किया है। प्रस्ताव समयोचित है और विचार करने योग्य है।

मैं समझता हूं कि परियोजना की मूल लागत बहुत अधिक होगी लेकिन पूरे देश की जनता को इससे होने वाले लाभ पर विचार करते हुए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह परियोजना शुरू करने के लिए शीघ्र कदम उठाने हेतु गंभीरतापूर्वक विचार करे।

[हिन्दी]

(आठ) देश में बढ़ती बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए प्रभावी उपाय किए जाने की आवश्यकता

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान बेरोजगारी जैसी देश की विकराल समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। एक ओर देश विकास की ओर बढ़ रहा है, नये आर्थिक सुधारों की वकालत हो रही है, देश की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने के दावे किए जा रहे हैं तो दूसरी ओर संसद में दबी जबान से ही बेराजगारी बढ़ने की बात स्वीकार की जा रही है। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि यह विरोधाभास आखिर क्यों है? दरअसल नयी उदारीकरण को औद्योगिक नीति के नाम और काम में अति अंतर है। यह नीति पूंजी-प्रधान है। देश की आवश्यकता श्रम प्रधान औद्योगिक नीति की है। मौजूदा नीति के तहत सरकार उन उद्योगों को प्रोत्साहन देने में लगी है, जो पूंजी-प्रधान तकनीक के आधार पर है। फलत: रोजगार के अवसर देश की आवश्यकता से कम पैदा हो रहे है और बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है।

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि अविलम्ब इस नीति में परिवर्तन कर देश में श्रम-प्रधान तकनीक को प्रोत्साहन दें और अधिकतम रोजगार के अवसर पैदा होने की स्थिति पैदा कर बेरोजगारी पर अंकुश लगाएं।

(नौ) महाराष्ट्र में औरंगाबाद में तेल डिपुओं को पुन: चालू किए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : महोदय, मराठवाड़ा क्षेत्र के तेल डीलरों एवं उपभोक्ताओं द्वारा मुझे ज्ञात हुआ है कि आई०ओ०सी०, आई०बी०पी० एवं एच०पी०सी० कम्पनियों ने अपने औरंगाबाद (सम्भाजीनगर) डिपों से तेल का वितरण जनवरी, 2003 से बंद कर दिया है। इस समय यह वितरण 150 किलोमीटर दूर मनमाड़ डिपों से किया जा रहा है। इन कम्पनियों का कहना है कि सम्भाजी नगर डिपो में इथनाल मिश्रित पेट्रोल के स्टोरेज की उचित व्यवस्था नहीं है, यह कारण बिलकुल उचित नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि इसे पुन: चालू किया जाए।

(दस) बिहार में रोहतास-सासाराम-बलिया बरास्ता बक्सर सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

श्री राम प्रसाद सिंह (आरा) : महोदय, बिहार राज्य के रोहतास, सासाराम, करगदर, कोचस, चौसा, बक्सर होते हुए बलिया (उत्तर प्रदेश) को जाने वाला मुख्य राज्य राजमार्ग है। यह बहुत व्यस्त सड़क है। बंगाल, झारखंड एवं बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश बलिया को जाने वाले सभी प्रकार से छोटे-बड़े ट्रक, बस और छोटी कारें इसी मार्ग से होकर इन शहरों से होती हुई बलिया को जाती है। यह एक मार्गीय सड़क है। भारी वाहन के आवागमन के कारण सड़क अक्सर अवरूद्ध ही रहती है। कई बड़ी दुर्घटनाएं भी घट चुकी हैं। जान-माल का भारी नुकसान होता है।

अत: मैं आपके माध्यम से भारत सरकार के भूतल-परिवहन मंत्री जी से मांग करता हूं कि जनहित में इस सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने का कष्ट किया जाए।

[अनुवाद]

(ग्यारह) कर्नाटक में किसानों द्वारा विभिन्न वित्तीय संस्थानों से लिए गए ऋणों पर ब्याज को माफ किए जाने की आवश्यकता

श्री जी० पुट्टास्वामी गौड़ा (हसन) : देश में, विशेषकर कर्नाटक में आत्महत्या करने वाले किसानों के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है। यह तथ्य चौकाने वाला है। पिछले माह से अर्थात् जनवरी, 2003 के दौरान छह किसानों ने कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में आत्महत्या की। पिछले छह माह के दौरान अनेक किसानों ने आत्महत्या की। इन किसानों में कॉफी, तम्बाकू और तूर दाल के उत्पादक शामिल हैं। कर्नाटक में मानसून न आने के कारण किसान संकट में हैं।

किसानों ने विभिन्न बैंकों और सहकारी समितियों से ऋण लिए हैं। इस समय वे कृषि ऋण और उसका ब्याज देने की स्थिति में नहीं है।

यह भारत सरकार के लिए उचित समय है कि वह किसानों के फायदे के लिए कर्नाटक सरकार को वित्तीय सहायता देकर उनकी मदद करे।

मैं भारत सरकार के माननीय वित्त मंत्री से आग्रह करता हूं कि वह सभी बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं को कृषि ऋण पर ब्याज माफ करने, किसानों को ऋण की किस्त देने हेतु पर्याप्त समय देने का निदेश दे तथा ऋण के एक भाग में छूट भी दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

(बारह) राजस्थान में बाड़मेर, जैसलमेर और जालौर जिलों में तेल और गैस भंडारों की खोज में तेजी लाए जाने की आवश्यकता

कर्नल (सेवानिवृत्त) सोन्ना राम चौधरी (बाड़मेर) : सभापति महोदय, राजस्थान के कुल रेगिस्तान का 50 प्रतिशत भाग मेरे संसदीय क्षेत्र बाड़मेर और जैसलमेर में पड़ता है। यद्यपि यह भाग जिप्सम, ग्रेनाइट, स्टील ग्रेड लाइम, संगमरमर, तेल व गैस बाहुल्य है, लेकिन फिर भी

यह क्षेत्र पिछड़ा, भुखमरी से ग्रस्त और नौकरियों के साधनों के अभावों से ग्रस्त है।

49 साल बाद तेल कम्पनियों को यहां तेल व गैस के भंडार मिले हैं। जैसा कि माननीय तेल व गैस मंत्री ने 04.02.2003 को सूचित किया, स्कौटिस की खोजी फर्म कैरन एनर्जी ने 20 मिलियन टन तेल व गैस के भंडार गुड़ामलानी जिला बाड़मेर में खोजा है। इससे पहले सरस्वती खोज ने 14 मिलियन टन तेल व गैस के भंडार का पता किया था। मैं यहां खास तौर पर बताना चाहता हूं कि तेल व गैस के अतिरिक्त कुंए जैसलमेर जिले और जालौर जिले के सांचौर क्षेत्र में मिले हैं। इनकी खोज को प्राथमिकता दी जाये। जो कुंए भारत-पाक में तनाव होने पर बंद हो गये थे, उन्हें शीघ्र खोला जाये।

अत: मैं माननीय प्रधानमंत्री से प्रार्थना करूंगा कि–

क. बाड़मेर-जेसलमेर और जालौर जिले के सारे ब्लाक्स विदेशी कंपनियों को सर्वे के लिए दिये जायें।

ख. जहां गैस व तेल मिला है, वहां काफी धन उसे उत्पादन के लिए आबंटित किया जाये।

ग. तेल का स्थानीय परीक्षण और शोध करने के लिए बाड़मेर और जैसलमेर जिले में प्राथमिकता के तौर पर तेलशोधक कारखाने लगाये जायें।

(तेरह) बिहार के मुंगेर जिले में जिन किसानों की फसल ओलावृष्टि से प्रभावित हुई है उन्हें मुआवजा दिए जाने की आवश्यकता

श्री ब्रह्मानन्द मंडल (मुंगेर) : सभापति महोदय, बिहार राज्य के मुंगेर जिले के जमालपुर, धरहरा, बरियारपुर और खड़गपुर प्रखण्ड में एक फरवरी को भारी ओलावृष्टि से झोआ बहियार, हरिणमार, कला रामपुर, इटहरी, पाटम, गढ़ी रामपुर, पड़िया, परहम, फरदा, सिधया, शिवकुण्ड, हेमजापुर, उकरा, लोहची, जबायद, कल्याणपुर बरियापुर इत्यादि पंचायतों और ग्राम में पचास हजार से अधिक किसानों की फसल पूर्णत: नष्ट हो गई है, जिसमें रबी की फसल गेहूं, मकई, सरसों (तिलहन), अरहर, चना, मसूर (दलहन) तथा सब्जियां भी हैं। किसान की साल भर की कमाई की बर्बादी हुई है। स्थिति यह है कि ज्यादातर (लगभग 99 प्रतिशत) किसानों के पास न किसान क्रेडिट कार्ड हैं और न फसल बीमा प्रशासन ने कराया है। किसानों के पास अब न तो खेती करने के लिए पूंजी है और न अपना जीवन-यापन करने के लिए पूंजी है। भूखमरी की स्थिति पैदा हो गई है। अभी सरकार की ओर से कोई सहायता नहीं दी जा रही है, जिससे स्थिति और खराब होती जा रही है।

अत: मैं कृषि मंत्री जी से मांग करता हूं कि किसानों को फसल का मुआवजा दिया जाये। खेती करने के लिए धन की व्यवस्था की जाये, जीवन-यापन के लिए सहायता दी जाये। सभी ऋण माफ किये जायें और प्रशासन को सख्ती से निर्देश दिया जाये कि सभी किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड और फसल बीमा कराने की गारंटी दी जाये एवं इस क्षेत्र को अकालग्रस्त क्षेत्र घोषित किया जाये।

अपराह्न 2.20 बजे

[अनुवाद]

जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक–पारित

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद सं० 6 पर विचार करेगी। श्री टी०आर० बालू।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी०आर० बालू) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक का उद्देश्य प्रदूषण कम करने की दृष्टि से केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संसाधनों को बढ़ाना तथा जल उपयोग में किफायत को बढ़ावा देना है।

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के पारित होने तथा उद्योगों और कस्बों के तीव्र विस्तार के साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का उत्तरदायित्व और कार्यभार काफी बढ़ गया हैं तथापि, इन बोर्डों के पास उपलब्ध वित्तीय और अन्य संसाधन, लागत में वृद्धि तथा समग्र वचनबद्धताओं, जिसमें बढ़ी हुई वित्तीय देयता शामिल है, के अनुरूप नहीं थे।

वर्ष 1991 में निर्धारित उपकर दरें कम हैं और उन्हें अभी तक बढ़ाया नहीं गया है। राज्य सरकारें तथा केन्द्र और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड वर्तमान उपकर दरों को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देते रहे हैं। यद्यपि राज्य बोर्डों के उत्तरदायित्व अभी भी बढ़ रहे हैं लेकिन उनके संसाधनों में समरूप वृद्धि नहीं हुई है तथा मौजूदा उपकर दरें जल का कम उपयोग करने हेतु उपभोक्ताओं के लिए पर्याप्त निवारक सिद्ध नहीं हुआ है।

पृथ्वी के लगभग तीन चौथाई भाग में जल है, हमारी नदियों, भूजल, हिम तथा बर्फ में स्वच्छ जल की अनुमानित मात्रा मात्र 2.5 प्रतिशत है तथा शेष समुद्र अथवा खारा जल है। नदियों, झीलों, आर्द्रभूमि, मृद्धा नमी तथा उथले भूजल से पारिस्थितिकी तंत्र और मानव

[श्री टी०आर० बालू]

को उपयोग हेतु स्वच्छ जल की आपूर्ति समग्र स्वच्छ जल के एक प्रतिशत से भी कम है तथा पृथ्वी पर कुल जल का मात्र 0.01 प्रतिशत है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, पृथ्वी पर कुल जल का केवल 0.007 प्रतिशत जल विश्व में मानव उपयोग के लिए सहज उपलब्ध है। इससे यह पता चलता है कि पृथ्वी पर स्वच्छ जल सीमित है तथा इसका वितरण असमान हैं इस तरह, राष्ट्रीय संसाधन के रूप में जल बहुत मूल्यवान है। तथापि, हमें जल के अंधाधुंध उपयोग की आदत पड़ रही है, काफी जल बर्बाद हो जाता है, उसका कुशलता से उपयोग नहीं होता तथा इसके गलत दोहन से यह दूषित हो जाता हैं स्वच्छ जल की प्रति व्यक्ति उपलब्ध मात्रा तेजी से घट रही है।

भारत में वर्ष 1951 में प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत स्वच्छ जल उपलब्धता 5177 क्यूबिक मीटर थी जो घटकर वर्ष 2001 में लगभग 1820 क्यूबिक मीटर रह गई और अनुमान है कि यह आगे और कम होकर वर्ष 2025 में 1341 क्यूबिक मीटर रह जाएगा। अत:, हमें जल संरक्षण को बढ़ावा देने तथा इसके प्रभावी उपयोग हेतु सभी उपाय करने होंगे। यह विधेयक इस दिशा में एक निर्णायक कदम है।

महोदय, जल उपकर दरों को बढ़ाने का प्रस्ताव सरकार की प्रदूषण समाप्त करने संबंधी नीति वक्तव्य के अनुरूप है जिसमें प्रदूषण समाप्त करने तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए आर्थिक साधन अपनाना विहित है। पर्यावरण संबंधी निर्णय लेते समय आर्थिक उपायों तथा आर्थिक विचार को ध्यान में रखा जाता हैं। वे उद्योगों को विनियमों द्वारा निर्धारित से कम प्रदूषण स्तर रखने हेतु प्रोत्साहन देते हैं और अत्यधिक जल का उपयोग करने वालों को हतोत्साहित करते हैं।

वे नई प्रौद्योगिकियों को अपनाने, नए अनुसंधान तथा विकास क्रियाकलापों के द्वारा गैर प्रदूषणकारी तथा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों को बढ़ावा देने तथा स्वच्छ उत्पादन प्रक्रिया को प्रोत्साहन देते हैं। इसके अतिरिक्त ये आर्थिक उपाय प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद करते हैं तथा यह उन संवैधानिक एजेन्सियों के लिए वित्त के स्रोत भी हैं जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण का कार्य सौंपा गया है।

बहि:स्राव के मानक पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत अधिसूचित किये गये हैं, और इन निर्धारित मानकों का पालन न करने पर मुकदमा चलाया जा सकता है।

ये विनियम आर्थिक उपायों के साथ और भी अधिक प्रभावी हो जाते हैं, तथा जल उपकर अधिनियम प्रदूषण कम करने में आर्थिक प्रोत्साहन देते हैं।

जल उपयोग करने वाली वे ईकाइयां जो बहिस्राव के निर्धारित मानकों का पालन करती हैं, उन्हें कम राशि का उपकर देना होता है और यह उनके लिए आर्थिक प्रोत्साहन का कार्य करता है।

उपकर की दर बढ़ाने से यह प्रोत्साहन, प्रदूषण को कम करने में और भी अधिक प्रेरक सिद्ध होगा। वर्तमान में जल के उपयोग पर जो दरें लागू हैं उनको तीन गुणा बढ़ाने का प्रस्ताव है।

नयी दरें प्रदुषण का अधिकतम अनुमेय स्तर बतायेंगी तथा वास्तविक दरें पर्यावरण एवं वन मंत्रालय समय-समय पर अधिसूचित करेगा।

महोदय, इस विधेयक द्वारा सभी श्रेणी के उद्योगों पर उपकर का विस्तार करने का प्रावधान है जो विहित न्यूनतम स्तर से अधिक जल का उपयोग करते हैं तथा जल-मल एवं कचरा व्ययमन करते हैं।

तथापि संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप जल-विद्युत पर लगने वाले उपकर को समाप्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

सम्माननीय सदन में यह विधेयक संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशों के अनुरूप ही प्रस्तुत किया गया है।

इस विधेयक को केन्द्रीय तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा अन्य मंत्रालयों और विभागों से परामर्श के परिणाम स्वरूप ही तैयार किया गया है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्माननीय सदन से इसके लिए राय तथा समर्थन चाहता हूं।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियत्रंण) उपकर अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : माननीय सभापति महोदय, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक 2000 का हम समर्थन करते हैं।, लेकिन साथ ही इस बात पर आशंका जाहिर करते हैं कि पर्यावरण नियंत्रण बोर्ड हेतु जल उपकर लगाना तथा उपकर का संग्रह करना संवैधानिक है अथवा नहीं। इसका उत्तर दिया जाना चाहिए। यह इसलिए कि संविधान में स्पष्ट कहा गया है कि जल की आपूर्ति और बहाव राज्य सूची की सातवीं अनुसूची की प्रविष्टि में दर्ज है। जिसमें कहा गया है कि "सूची 1 की प्रविष्टि 56 के उपबंधों के अधीन रहते हुए, जल अर्थात जल

प्रदाय, सिंचाई और नहरें, जल-निकास और तटबंध, जल-भंडारकरण और जलशक्ति''

इसी प्रकार भू-जल के संबंध में भी राज्य सरकारों को शक्तियां प्राप्त हैं। लेकिन इसके साथ ही अब पंचायतों को नये संशोधनों के द्वारा, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची का संशोधन कर जहां पेयजल ग्यारहवीं अनुसूची की प्रविष्टि में है, अपने क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए अधिक शक्तियां प्रदान की गयी हैं। इसी प्रकार नगर-पालिकाओं को-नगर निगमों तथा नगरपालिकाओं को बारहवीं अनुसूची के प्रविष्टि 5 के अतंर्गत जल को विनियमित करने के लिए—घरेलू, औद्योगिक तथा वाणिज्यिक कार्यों के लिए जल की आपूर्ति का अधिकार दिया गया है।

अत: अब जल को विनियमित करने की शक्ति केन्द्र सरकार से पूरी तरह से जा चुकी है। अगर इसे हम व्यापक तौर से देखें तो भी भूमि तथा भूमिगत-जल राज्य की सम्पत्ति होती है। संघीय प्रणाली में भूमि पर अधिकार राज्य का होता है, और उसके अंदर जो कुछ भी होता है चाहे वह मुख्य या कम खनिज हों उस पर राज्य सरकार का ही अधिकार होता है। इसे संसद के अधिनियम द्वारा वर्गीकृत किया गया है।

लेकिन अब प्रत्येक राज्य में जल दुर्लभ वस्तु है और इसको लेकर झगड़े हो रहे हैं तथा केन्द्र सरकार के सैम्पल ला' के आधार पर भूमिगत जल विनियमित करने के लिए राज्य सरकारें कानून बना रही हैं। तमिलनाडु में एक नया कानून बनाया गया है जिसके तहत लोग नये कुएं नहीं खोद सकते, फिर भी अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके विरुद्ध मामला दायर किया जा सकता है तथा जेल भेजा जा सकता है। इसलिए दुर्लभ वस्तु अर्थात जल को संचित करने के लिए सख्त प्रबंधन किया जा रहा है और यह राज्य विशेष की परिसम्पत्ति है।

अब केन्द्र सरकार जल पर विशेषकर उद्योगों द्वारा प्रयोग किये जाने वाले जल पर उपकर लगाना चाहती है। नये विधेयक के खंड 2 में कहा गया है :—

'(ग) ''उद्योग'' के अंतर्गत ऐसी कोई संक्रिया या प्रक्रिया या उपचार और व्ययन प्रणाली है, जो जल का उपयोग करता है और/या मल बहि:स्राव या व्यवसायिक बहि:स्राव में वृद्धि करती है किन्तु इसके अंतर्गत कोई हाइडल पावर यूनिट नहीं है;'।

इसमें कोई संदेह नहीं कि इसे उद्योगों के क्रियाकलापों से जोड़ा गया हैं इसे उद्योग की उत्पादन या निर्माण गतिविधियों से जोड़ा गया है। इसी पहलू को ध्यान में रखते हुये कि उद्योग केन्द्र सरकार का विषय है केन्द्रीय सरकार जल पर उपकर कैसे लगा सकती है जबकि यह गांव वालों के लिए दुर्लभ वस्तु है? आज उद्योग हमारे सारे भारतीय सामाजिक ढांचे को प्रदूषित कर रहे हैं। वे किसी गांव में सम्पत्ति ले लेते हैं और भू-जल तथा भूमिगत जल, तालाबों में संचित किया गया वर्षा का जल या सिंचाई के तालाबों से जल ले लेते हैं। इस जल को वे बड़ी-बड़ी मोटरों की मदद से निकाल लेते हैं और परिणाम स्वरूप गांव वालों को परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि कृषि कार्यों के लिए उन्हें जल उपलब्ध नहीं होता।

अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह कुछ बातों की ओर ध्यान दें। मैं जानता हूं कि माननीय मंत्री जी बड़े ओजस्वी हैं, उन्होंने पर्यावरण अनुकूल राष्ट्र का निर्माण किया है। भारत अब पर्यावरण अनुकूल बन गया है। अनेक सेमिनारों तथा संगोष्ठियों का आयोजन करने से, भारत उन देशों में से एक बन गया है जहां पर्यावरण को प्राथमिकता दी जाती है। इसके साथ ही हमें गांव वालों के उस पहलू की ओर भी देखना होगा जो केवल जल पर ही आश्रित हैं। इतना ही नहीं आज अनेक गांवों के पास पेयजल भी उपलब्ध नहीं है। अब बहुउद्देशीय पेयजल सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। राजीव गांधी पेयजल सुविधायों के माध्यम से केन्द्र सरकार एक गांव को जल उपलब्ध कराने के लिए जोकि दूसरे गांव से 20-40 किलोमीटर की दूरी पर है, अत्यधिक खर्च कर रही हैं। इसके अंतर्गत एक जगह पानी निकाला जाता है तथा पूरे गांव में जलापूर्ति की जाती है, अत: पूरा गांव एक ही स्रोत पर निर्भर रहता है। अगर उद्योग उपयोग द्वारा इस स्रोत को भी हथिया लेते हैं अब जल पर लगा उपकर भी केन्द्र सरकार या राज्य सरकार प्रदूषण निवारण बोर्ड को मिलेगा—तब स्थानीय पंचायतें कैसे अपना कार्य करेंगी? उन्हें पीने के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं होगा; उद्योगों द्वारा उनके अपने संसाधन ले लिए जायेंगे। उन्हें न तो पीने के लिए पानी मिलेगा और न ही सिंचाई कार्यों के लिए। इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

मेरा अनुरोध है कि सरकार को इस संबंध में समग्र समीक्षा करनी चाहिए और इस पहलू पर विचार करना चाहिए कि क्या यह उपकर राशि पंचायतों अथवा नगर पालिकाओं को दी जा सकती है, उपकर इकट्ठा किया जा सकता है, न्यायलय में उसे चुनौति दी जा सकती है, इस बारे में विधि विभाग विचार कर सकता है कि क्या इसे उचित तरीके से किया जा सकता है या नहीं। कम से कम तब तक जल उपकर पंचायतों या नगर पालिकाओं को दिया जाना चाहिए। वे पूर्णत: जल प्रबंधन पर ही निर्भर हैं; जल उपकर से प्राप्त राशियों को स्थानीय संसाधनों में वृद्धि करने हेतु उपयोग किया जा सकता है, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अथवा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रबंधन के लिए

[श्री ई०एम० सुदर्शन नाच्चीयपन]

नहीं। वे किसी और तरीके से स्वयं के प्रबंधन के लिए धन अर्जित कर सकते हैं, लेकिन उन्हें इस जल उपकर का उपयोग नहीं करना चाहिए। यही मेरा पहला अनुरोध है। आज अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां, कोका कोला या पेप्सी अथवा किसी मिनरल वाटर के नाम से गांवों के समस्त संसाधनों को छीन रही हैं। इस कारण गांव दिनोदिन निर्धन होते जा रहे हैं। वैज्ञानिक अध्ययन किये जा रहे हैं। उपग्रह की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि संपूर्ण भारतवर्ष में विशेषकर दक्षिण भारत के तमिलनाडू में भूमिगत जल का स्तर बहुत नीचे चला गया है और अगर यही स्थिति 20-30 वर्षों तक रही तो इसमें कोई संदेह नहीं कि दक्षिण भारत में एक दूसरा सहारा रेगिस्तान विकसित हो जाएगा। इनसैट मानचित्रण का यही निषकर्ष है। सुदूर नियन्त्रित वैज्ञानिक अध्ययन का स्पष्ट मानना है कि जहां तक सम्भव हो सके हमें जल संरक्षण करना है। पर्यावरण प्रदूषण को जल्द से जल्द नियंत्रित किया जाना चाहिए। हमें प्रदूषण निवारण एवं नियन्त्रण पर आपत्ति नहीं है यह अति आवश्यक है क्योंकि भारतीय सामाजिक प्रणाली के एक महत्वपूर्ण हिस्से को यह नष्ट कर रहा है।

जिन बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को पश्चिम में उद्योग चलाने की अनुमति नहीं दी गई उन्हें एशिया के देशों में विशेषकर भारत में उद्योग स्थापित करने की अनुमति दी जा रही है। हम भोपाल कांड से अवगत हैं। उस उद्योग पर अमेरिका में पूरी तरह प्रतिबंध था इसलिए वे भारत आये और यहां अपना उद्योग स्थापित किया, और वह भी शहर के मध्य भाग में। पूरे भारत में प्रत्येक रासायनिक उद्योग ऐसा ही कर रहा है। यूरोप तथा अमेरिका जिन कम्पनियों पर प्रतिबंध लगा रहे हैं उन्हें उद्योग स्थापित करने की अनुमति देने में हम लचीला रवैया अपना रहे हैं क्योंकि वे अपना उद्योग यहां से चलाने के लिए सहमत हैं, और इसका परिणाम है कि वे महाद्वीप पर प्रदूषण फैला रहे हैं। प्रदूषण को रिमोट कंट्रोल के माध्यम से दिल्ली या चेन्नई से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। दोषी को रंगे हाथ पकड़ने में प्रदूषण बोर्ड इतना प्रभावशाली नहीं है। वे बोर्ड को यह कह कर आसानी से धोखा दे सकते हैं कि क्या इस मामले में उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर है। उच्चतम न्यायालय ने निर्देश दिये है कि सभी 11 उद्योगों को बंद कर दिया जाना चाहिए। इसी तरह आगरा में तथा उसके आस-पास के सभी उद्योगों को भी बंद कर दिया जाना चाहिए। मंत्रालय द्वारा इस तरह के आदेश का पालन किया जा रहा है। इस तरह के प्रदूषण नियंत्रण को सुनिश्चित करने की शक्ति उनमें नहीं हैं। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को पंचायतों तथा स्थानीय निकायों को और अधिक शक्ति प्रदान करनी चाहिए ताकि वे प्रदूषण को रोक सकें। इसके लिए हमारे पास मंत्रालय भी है। माननीय मंत्री श्री बालू, पर्यावरण उपयुक्त जैव-विविधता जैसे अनेक अधिनियम लाये हैं जिससे गांवों और समुदायों को शक्ति प्रदान की गयी है। वे सम्पति का प्रबंधन, उपयोग तथा अधिग्रहण कर लाभ कमा सकते हैं। पर्यावरण मंत्रालय द्वारा लाए गए कानून के समक्ष इस तरह की नई विचार-धारा उभर कर आयी है। इस क्षेत्र में भी क्यों नही ऐसा ही अधिनियम लाया जाता क्योंकि संविधान के अनुसार जल का प्रबंधन स्थानीय निकायों द्वारा किया जाना चाहिए। स्थानीय निकायों को स्थिति पर निगरानी रखने और लोगों को सजा देने की शक्ति होनी चाहिए तथा उन लोगों से सम्पत्ति वापस लेने की भी शक्ति होनी चाहिए जो वास्तव में औद्योगिक कार्यों के लिए इस सुविधा का उपयोग कर रहे हैं।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम, 1974 का अधिनियमन श्रीमती इन्दिरा गाँधी के शासनकाल के दौरान किया गया था। शुरू में इस विधेयक को लाने का उद्देश्य पूरे भारत को यथाशीघ्र प्रदूषण से बचाना था। उसके बाद सत्ता में परिवर्तन हुआ और कार्यपालिका इस अधिनियम के कार्यान्वयन को प्रभावकारी नहीं कर पाई। मुझे डर है कि यद्यपि हम पांच पैसे प्रतिकिलोलीटर का उपकर लगा रहे हैं लेकिन इससे हम इसकी व्यवस्था कैसे कर पाएंगे। इसकी क्या प्रणाली है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास उपलब्ध मानवशक्ति इसे किस प्रकार लागू कर पाएगी?

मान लीजिए, किसी उद्योग ने यह उपकर अदा नही किया तो इसका क्या उपाय किया गया है? क्या वे कोई मुकदमा दायर करेंगे? क्या इसे राजस्व वसूली अधिनियम के माध्यम से लागू किया जाएगा? क्या इस बारे में राज्य सरकारों या स्थानीय प्रशासन के बीच कोई फैसला हुआ है? इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। मेरे विचार से इसका मूलमंत्र स्थानीय निकायों को शक्ति दिए जाने में है ताकि वे स्थिति को भली प्रकार नियंत्रित कर सकें। इसके साथ ही वे उद्योगों को पानी लेने की अनुमति न देकर अपने हितों की रक्षा भी कर पाएंगे। इस संबंध में हमारे पास बहुत से उदाहरण हैं।

इसका पहला उल्लंघन संबंधित निगम द्वारा किया गया है। हो सकता है कि मै एक विरोधाभासी विचार व्यक्त कर रहा हूं। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि निगमों और स्थानीय निकायों को जल उपकर की उगाही की शक्ति दी जाए और दूसरी तरफ मेरा कहना है कि वे ही प्रदूषण कानूनों का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि वे बड़ी आसानी से सारा मलजल एक स्थान पर डाल देते हैं। ये भूमि, सिंचाई टैंक, बंजर भूमि या दलदल वाली भूमि हो सकती है। कोई इस बारे में चिन्ता नहीं करता। हम किस प्रकार प्रदूषण के उचित नियंत्रण का ध्यान रख सकेंगें। क्या हमने निगमों या अन्य एजेंसियों से इसको पुनर्प्रयोज्य बनाने के लिए कहा है? इन सब बातों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हम एक एजेंसी को इस संबंध में शक्तियां देते है किन्तु मूलरूप से इस कार्य से जुड़े लोगों को कोई शक्ति नहीं दी जाती इसका मतलब है कि पूरी प्रणाली ही अस्तव्यस्त हो जाएगी। अत: हमें उसी निकाय को कर्त्तव्यों के साथ-साथ अधिकार भी देने होंगे ताकि वह इसे उचित

रूप से लागू कर सके। यदि कोई उल्लंघन होता है तो हम उस विशेष संस्थान या स्थानीय निकाय को अपने तरीके में सुधार लाने के लिए बाध्य कर सकते हैं। हम कह सकते है कि वे कानून का पालन करें अन्यथा उनके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

मैं कोयम्बटूर नगर निगम का उदाहरण दे सकता हूं जो कि निगम की सीमा के भीतर रहने वाले लोगों के लिए हानिकारक मलजल को एक स्थान पर डाल देते हैं। उस स्थान पर रहने वाले लोगों को बहुत सी संक्रमण वाली बीमारियां है क्योंकि निगम कोयम्बटूर के उस स्थान विशेष पर मलजल डाल रहा है। इसी प्रकार नदियों के किनारे स्थित उद्योगों ने नदी तल को काफी प्रदूषित कर रखा है। उनके विरूद्ध कोई कार्रवाई नही कर सकता। यह बताने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है कि उन्होंने कानून का उल्लंघन किया है और इसीलिए उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। हमें चेन्नई में कहीं स्थित प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को याचिका देनी पड़ती है जो कि इसकी जांच करती है। वे इस बारे में अपना समय लगाते है। अगर वे इस मामले को न्यायालय में ले जाते हैं तो पूरे उद्योग का कार्य ठप्प हो जाता है। ऐसी बातें हो रही हैं। अतएव, एक स्पष्ट प्रणाली विकसित की जानी चाहिए ताकि नगर निगम उद्योगों को नियंत्रित कर सके और नगर निगम स्वयं भी समुचित रूप से नियंत्रित हो पायें।

इस टिप्पणी के साथ मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस विधेयक की सम्पूर्ण समीक्षा की जानी चाहिए। हम अब इसका अधिनियमन कर सकते है लेकिन बाद में मंत्रालय स्थानीय प्रशासन से विचार-विमर्श करके इस अधिनियम को समुचित रूप से लागू किये जाने पर ध्यान दे सकती है। ऐसा नहीं होना चाहिये कि यह केवल कागजों में ही हो या कतिपय क्षेत्रों में ही लागू हो पाये। सरकारी तंत्र के माध्यम से भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने को कोई क्षेत्र छूटना नहीं चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस पर पुनर्विचार के लिए अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामपाल सिंह (डुमरियागंज) : सभापति, जी, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल वाटर-सैस के लिए लाया गया है क्योंकि तमाम इंडस्ट्रीज पानी का दुरुपयोग करती हैं। मूल बिल सन् 1977 में बना था। काफी समय हो चुका है और इसका दुरूपयोग बहुत बार किया गया है। इस बिल के माध्यम से वाटर-बोर्ड देखेगा कि पानी का दुरूपयोग न होने पाए और पानी प्रदूषित न होने पाए। कस्बों, शहरों में जो भी नदियां या नाले बहते हैं उनके द्वारा पानी का प्रदूषण होता है। पानी ही जीवन है और पानी को प्रदूषित होने से बचाना हमारा कर्तव्य है। इसलिए इस बिल का मैं समर्थन करता हूं। इस एक्ट को पास किया जाए, जिससे आने वाले दिनों में मानव को बीमारियों से राहत मिले और उसका स्वास्थ्य ठीक रहे।

[अनुवाद]

श्री मोइनुल हसन (मुर्शिदाबाद) : सभापति महोदय, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक के विषय पर आने से पहले मैं सदन को आज के मुख्य समाचारपत्रों में प्रकाशित इस समाचार की सूचना देना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि ''उत्तर-पश्चिमी दिल्ली के शकूरपुर क्षेत्र में विद्यालय के नल से संदूषित जल पीने से 48 विद्यार्थी बीमार पड़े।'' इस विधेयक का शीर्षक है 'प्रदूषण निवारण और नियंत्रण' और हम सब इस प्रकार का जल रोज पी रहे हैं। हाल ही में समाचारपत्रों में एक अन्य समाचार भी प्रकाशित हुआ था कि सीलबन्द मिनरल पानी की बोतलों में संदूषित पानी पाया गया। यह देश भर में तथाकथित प्रदूषणरहित पानी की वास्तविक स्थिति है।

महोदय, मेरी पहली बात यह है कि हमारे संविधान के अनुसार पानी का विषय राज्यों की सूची में सम्मिलित है। अत: इस विधेयक के पास हो जाने के बाद इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य सरकारों को विश्वास में लेना चाहिए। चूंकि पानी का विषय राज्य सरकार की सूची में है, संबंधित मंत्रालय को इस विधेयक के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को विश्वास में लेने के लिए कोई प्रक्रिया विकसित करनी पड़ेगी। मैं इस विधेयक के पक्ष में हूं। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में राज्य सरकारों को विश्वास में लेने के लिए मंत्रालय का क्या प्रस्ताव है।

महोदय, इस विधेयक का मूल उद्देश्य उपकर को बढ़ाना है। विधेयक के उद्देश्यों और कारणों में यह स्पष्ट कहा गया है कि ''केन्द्रीय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने में जल उपकर की वर्तमान दर अपर्याप्त है और इसीलिए उपकर की दर बढ़ाने की अति आवश्यकता है।'' इस विधेयक में यह भी कहा गया है कि उपकर में वृद्धि केवल औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। इस संबंध में मैं कहना चाहूंगा कि घरेलू क्षेत्र को इससे मुक्त रखा जाए। पीने के पानी और खाना बनाने में प्रयुक्त जल पर उपकर लगाना वांछित नहीं है।

महोदय, यह भी बताया गया है कि 'उपकर की दरों की संरचना को तर्कसंगत बनाने से पानी के उपयोग में अनुशासन और मितव्ययता आएगी। मैं समझता हूं कि यह एक महत्वाकांक्षी विचार है। उपकर में वृद्धि करके पानी के उपयोग में अनुशासन और मितव्ययता की भावना

[श्री मोइनुल हसन]

लाना सम्भव नहीं है। मै समझता हूं कि पानी के उपयोग में अनुशासन और मितव्ययता लाना आवश्यक है और इसके लिए कोई अन्य तरीका अपनाना आवश्यक होगा।

उद्देश्यों और कारणों के विवरण में यह भी कहा गया है कि ऐसा करना आवश्यक है क्योंकि पानी धीरे-धीरे एक दुर्लभ प्राकृतिक संसाधन बनता जा रहा है। यह बिल्कुल सही भी है। हमें इस प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा के लिए भरसक प्रयास करने चाहिए। इस प्राकृतिक संसाधन की सुरक्षा के लिए हमें कोई अन्य उपाय करना चाहिए।

अब मैं विधेयक को पुर:स्थापित करने के दौरान मंत्रीजी द्वारा दिए गए भाषण पर आता हूं। उन्होंने स्वच्छ जल के बारे में बोला। लेकिन यहां यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि देश में प्रति नागरिक स्वच्छ जल की मांग निम्नतम है। आज देश भर में क्या स्थिति है। यह किसी राज्य विशेष का मामला नहीं है। दिल्ली, पश्चिमी बंगाल, मध्यप्रदेश और आंध्रप्रदेश जैसे उत्तर और मध्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न राज्यों में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में लोग स्वच्छ जल की खोज में है। लोग जहरीले फ्लोराइड मिश्रित जल पीने को मजबूर है। यह स्वास्थ्य के लिए एक खतरा है और लोगों के लिए एक बड़ी समस्या बनने जा रहा है। इसका उचित उपचार उपलब्ध नहीं है। मै यह सब इसलिए कह रहा हूं कि हमारी न्यूनतम आवश्यकता स्वच्छ जल है, जो कि हमारे देशवासियों को उपलब्ध नहीं कराया जा रहा।

हाल ही में सरकार ने स्वजल धारा कार्यक्रम प्रारम्भ किया है। राष्ट्रपतिजी ने कल अपने अभिभाषण में भी इस कार्यक्रम के बारे में बताया था। लेकिन मुझे इस बारे में कुछ संदेह है क्योंकि भारत सरकार द्वारा स्वच्छ जल के लिए चलाये गए अन्य कार्यक्रम लगभग रूक गए हैं। मै यह समझता हूं कि यह विषय राज्य की सूची में शामिल है। लेकिन काफी लम्बे समय से भारत सरकार जल शोधन सयंत्र लगाने के लिए भी निधियों का आबंटन कर रही है ताकि आम आदमी को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों और बस्ती क्षेत्रों में स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा सके। मुझे संदेह है कि अब इन कार्यक्रमों को रोक दिया जाएगा। अत: आपके माध्यम से मेरी सरकार से प्रार्थना है कि वह जहां तक संभव हो अधिकाधिक जलशोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए फिर से इस कार्यक्रम को चलाए ताकि माननीय मंत्रीजी की घोषणा के अनुरूप लोगों को स्वच्छ जल प्राप्त हो सके। अन्यथा यह समस्या बहुत गम्भीर हो जाएगी।

पश्चिमी बंगाल के मेरे जिले में संखिया-मुक्त शुद्ध जल प्राप्त करना आम लोगों के लिए एक सनक बन गई है। संखिया युक्त पानी जहर जैसा हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों का कहना है कि संखिया फ्लोराइड पूरे देश के भूजल में मिला हुआ है। वर्तमान में कम-से-कम 12-13 राज्य इसके संक्रमण से प्रभावित है। मेरी भारत सरकार से प्रार्थना है कि इस संबंध में उचित कार्रवाई की जानी चाहिए।

विधेयक के प्रावधानों पर आते हुए मैं पाता हूं कि उपकर में वृद्धि केवल औद्योगिक क्षेत्र के लिए है। औद्योगिक क्षेत्र के लिए विभिन्न कारणों से पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए क्योंकि इसकी आवश्यकता भी है। इसके साथ ही सरकार को इस बारे में भी सर्तक रहना चाहिए कि इस अतिरिक्त उपकर का उपयोग कौन करेगा तथा किस प्रकार करेगा। उन क्षेत्रों, में जो कि औद्योगिक गतिविधियों के कारण प्रदूषित हो चुके हैं, उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए इस धन के उपयोग हेतु एक उचित तंत्र विकसित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

डॉ० रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, जल प्रदूषण के सम्बन्ध में जो संशोधन विधेयक माननीय मंत्री जी लाए हैं, उसमें कहा गया है कि 1977 में जो कानून बना था, उसी में फिर से संशोधन करने के लिए यह विधेयक लाया गया है। 1974 में जो विधेयक बना था, उसके अन्तर्गत केन्द्र और राज्यों का प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बना। जब खर्चा-पानी घट जाता है तो उसे बढ़ाने के लिए टैक्स लगाया जाता है। हालांकि बिना कानून में परिवर्तन किए सन् 1991 में जल पर उपकर लागू करने के लिए बिना कानून के संशोधन हो चुका है।

लेकिन अब सरकार कानून में संशोधन करना चाहेगी। इससे उप-कर फिर बढ़ेगा जिससे सरकार चाहेगी कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अच्छा काम करे। दुनिया में लोग जानते हैं कि जल ही जीवन है और जल के बिना काम नहीं चल सकता। पृथ्वी पर 97 प्रतिशत जल समुद्र का है जो खारा है और केवल 3 प्रतिशत जल ही मीठा है लेकिन वह भी प्रदूषित है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उप-कर बढ़ाने से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मदद होगी या उससे कोई सहूलियत होगी? गांवों में पीने की पानी की कमी है क्योंकि ग्राउंड वाटर प्रदूषित हो रहा है। सरकार ने इसके लिये क्या उपचार किया है? नदी-नाले, तालाब का जल या जब गड्ढे में जल एकत्र हो जाता है तो लोग उसमें कूड़ा-कर्कट डाल देते हैं, जिससे ग्राउंड वाटर प्रदूषित होता है। हां, 200 फीट की गहराई पर पानी ठीक है। आज ही अखबारों में छपा है कि दिल्ली में प्रदूषित जल पीकर 34 बच्चे बीमार होकर अस्पताल में पड़े हुये हैं। इसका मतलब यह हुआ कि लोग कनटैमिनेटेड पानी

पी रहे हैं। देश में आधी बीमारियां गन्दे जल से पैदा होती हैं। क्या उसके बाद भी सरकार को जल पर उप-कर लगाना होगा? हमारे देश में उद्योग लॉबी कितनी मजबूत है। चीनी उद्योग सब से ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करने में विफल हो रहा है।

अपराह्न 2.57 बजे

[श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा पीठासीन हुईं]

सभापति महोदया, जिन माननीय सदस्यों के ऐरियाज में चीनी मिल्स हैं, वे जानते हैं कि उनसे कितना जल प्रदूषण फैल रहा हैं आज आधुनिक टैक्नौलौजी आ गई है जिससे प्रदूषण पर नियंत्रण किया जा सकता है। उसमें कुछ पैसे लगेंगे लेकिन मिल वाले पैसा नहीं लगाना चाहते हैं। वे पानी को प्रदूषित कर रहे हैं। पानी एक राष्ट्रीय सम्पदा है। उद्योग लॉबी कहती है कि पानी, हवा और आवाज में प्रदूषण है लेकिन इस सरकार के विचारों में प्रदूषण है। इन सारे प्रदूषणों से मुक्ति पाने के लिये क्या उपाय किये जा सकते हैं, सरकार बताये क्योंकि पानी के बिना काम नहीं चलने वाला है। जब पहाड़ों पर बर्फ पिघलती है, उसका पानी नदियों के रूप में नीचे आता है, उसमें भी प्रदूषण हो जाता है। वर्षा और तालाब का पानी भी दूषित हो जाता है लेकिन प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पास इस प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लिये कोई उपाय नहीं है। आम जनता भी जान गई है कि ऊपर का पानी दूषित है लेकिन भूमि की 200 फीट की गहराई पर टयूबवैल से आया हुआ पानी ठीक है।

अपराह्न 3.00 बजे

लेकिन 25-30 फीट पर मिलने वाला पानी प्रदूषित है। उस पानी का स्वाद भी अच्छा नहीं होता उस पानी को पीने की इच्छा नहीं होती। लेकिन उसके सुधार के लिए कोई इंतज़ाम और नियंत्रण नहीं है। ग्राउंड वाटर के बिना आदमी पानी कैसे पियेगा। इसलिए उपकर में कुछ बढ़ाने का काम सरकार कर रही है।

हाइडल पावर को इन्होंने मुफ्त कर दिया है तो थर्मल पावर में क्यों चार्ज रखा है? थर्मल पावर में भी पानी का इस्तेमाल होता है। उसमें भी डीमैटीरियलाइज़ वाटर दिया जाता है और वह भी प्रदूषित होता हैं विभिन्न मैटल्स उसमें रहते हैं तो पानी जब भाप बनकर जाता है तो टयूब लीक करती है थर्मल पावर में और फिर कोयले की जो राख है उसको बनाने में भी पानी की ज़रूरत होती है। हाइडल में पानी बहता है, हाइडल में पनबिजली में पानी का खर्चा नहीं है। ऊपर से पानी बहता है और नीचे जाता है तो उससे बिजली पैदा होती है। उसमें पानी दिया जाता है, उसको आपने मुफ्त कर दिया ठीक है लेकिन थर्मल पावर को इसमें रखा है कि उस पर टैक्स बांधेंगे और टैक्स लेंगे। इस बात को भी साफ करिये। इसमें इन्होंने कहा है कि सरकार को जहां मन में आएगा यह छूट दे देगी। इस तरह की छूट रखनी है तो कानून क्यों लाए? उद्योगपतियों की लॉबी है और सरकार पर ये उद्योगपति लोग हावी हैं इसलिए कुछ करोड़ रुपये बचाने के लिए उनकी फैक्ट्रियां प्रदूषण करती हैं। पदूषण नियंत्रण बोर्ड भी काम नहीं करता है। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जहां-तहां फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण किया जाता है। गांवों में प्रदूषित पानी से मछलियां मर रही हैं और आम जनता वह पानी पीती है। बड़े लोग तो 10 रुपये लीटर वाला पानी खरीदकर पीते हैं मगर उसकी जांच में पाया गया है कि 60 प्रतिशत बोतल वाला पानी प्रदूषित है। किसान को 8 रुपये लीटर दूध का दाम मिल रहा है और 10 रुपये लीटर में पानी बिक रहा हैं हाय री सरकार और हाय री व्यवस्था! क्या इंतजाम है?

जल ही जीवन है जो कहावत है वह तभी व्यवहार में आएगी जब जल प्रदूषित नहीं होगा और आम लोगों को स्वच्छ पानी पीने के लिए मिलेगा। यह ज्यादातर गरीब लोगों का सवाल है। गरीब आदमी जो पानी उपलब्ध हो जाता है, वही पी लेता है और उससे बीमारियां होती हैं। आधुनिक मैडिकल साइंस बता रहा है कि आधी बीमारियां प्रदूषित पानी से होती हैं। पेट की खराबी और कई बीमारियां तब होती हैं जब विभिन्न तरह के कीटाणु पानी के साथ देह में चले जाते हैं। इसको देखकर माननीय मंत्री जी बताएं कि केवल जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर जो लगाएंगे, उससे ठीक है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो राज्यों और केन्द्र में हैं, उनको बल मिलेगा, उसकी आर्थिक हालत सुधरेगी। वह ज्यादा इफैक्टिव हो सकेगा, यह कल्पना की गई है। लेकिन इससे प्रदूषण पर नियंत्रण होगा और लोगों को स्वच्छ जल मिलेगा और आगे का काम ठीक कैसे चलेगा, यह बात स्पष्ट रूप से बताई नहीं गई है। अधिकारी लोगों ने बिल बनाकर दे दिया और मंत्री जी ले आए हैं लेकिन यदि स्वच्छ पानी का प्रबंध लोगों के लिए होगा और प्रदूषण रोकने का काम होगा, तब हम इस बिल के समर्थन में हैं अन्यथा हम इसकी खिलाफत करते हैं।

नदी का पानी, तालाब का पानी और ग्राउंड वाटर, तीनों को प्रदूषण से बचाने का क्या प्रबंध सरकार ने किया है जिससे आम लोगों को ठीक लैवल पर स्वच्छ ग्राउंड वाटर मिल सके, इसके लिए मंत्री जी को क्या जानकारी है यह बताएं और तभी इस बिल को पास किया जाए अन्यथा हम इसके खिलाफ हैं।

[अनुवाद]

श्री रमेश चेन्नितला (मवेलीकारा) : सभापति महोदया सर्वप्रथम मैं पर्यावरण और वन मंत्री श्री टी०आर० बालू द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

[श्री रमेश चेन्नितला]

जल उपकर अधिनियम 1977 में अधिनियमित किया था। इस अधिनियम का उद्देश्य केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाना था। इस कानून को कुछ विशिष्ट उद्योगों तथा स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा जल की खपत पर उपकर लगाने और उसे एकत्रित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 1991 में पहली बार उपकर की दरों में संशोधन किया गया और इसमें तीन गुना वृद्धि की गयी। यह उपकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा एकत्रित किया जाता है और बाद में सरकार द्वारा निर्धारित फार्मूला के अनुसार इसे वितरित किया जाता है।

प्रस्तावित संशोधन विधेयक का उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सुदृढ करना है अब जब हम केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के संसाधनों को बढ़ाने जा रहे हैं, जब हम उपकर की दरों को तर्कसंगत बनाने का प्रयास कर रहे हैं, मैं माननीय मंत्री जी के समक्ष एक या दो महत्वपूर्ण बातें उठाना चाहता हूं।

आज संपूर्ण मानव जाति प्रदूषण के प्रति गंभीर रूप से चिंतित है—चाहे वह नदियों का प्रदूषण हो, छोटे तालाबों और दूसरे जल स्रोतों का प्रदूषण हो। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारी अपेक्षाओं के अनुरूप कार्य कर रहे हैं। हम उपकर बढ़ाये जाने की कार्यवाही का स्वागत करते हैं। साथ ही, मैं जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार ने केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यनिष्पादन की समीक्षा के लिए कोई कदम उठाये हैं। निश्चित रूप से, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड राज्य सरकारों के अंतर्गत कार्य करते हैं। साथ ही, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों पर केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी नियंत्रण रहता है। मेरी राय में, यह निराशाजनक हालत सब जगह है। कुछ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों में तो व्यापक भ्रष्टाचार है। इसके विरुद्ध विभिन्न मंचों पर अनगिनत बार आरोप लगाये गये हैं। लेकिन सरकार ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया है। यह एक बहुत गंभीर मामला है। यह आशा की जाती है कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हमारे देश में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेंगे। लेकिन, दुर्भाग्य से, ऐसा नहीं हो रहा है।

आज की स्थिति में जल बहुमूल्य है। जल की कमी पूरी मानवजाति के लिए चिंता का सबमे बड़ा कारण है। इतिहासकार कहते हैं कि यदि तीसरा विश्वयुद्ध हुआ तो यह पानी के लिए होगा। सीरिया में तो पानी के लिए एक छोटी लड़ाई हो भी चुकी है। यद्यपि विश्व समुदाय ने इसकी ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया। लेकिन पानी के लिए युद्ध हुआ था। नदियां बड़े पैमाने पर प्रदूषित हैं। लोगों की भूमिगत जल पर निर्भरता बहुत अधिक बढ़ गयी है। बारिश के जल को संरक्षित किये जाने की कोई योजना नहीं बनायी गयी है। विभिन्न सरकारों द्वारा भी प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता। मंत्री महोदय, निश्चित रूप से, ये विषय आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। लेकिन ये एक ऐसा विषय है जो जल संसाधन मंत्रालय से भी जुड़ा है। इसलिए जब हम जल प्रदूषण की बात करते हैं, तब इन मुद्दों का उचित समाधान भी किया जाना चाहिए।

अभी क्या हो रहा है? हमारे देश में अधिकतर नदियां सूख रही हैं या लुप्त हो रही है। आप कहीं भी जाये आपको लंबे-लंबे पुल दिखेंगे। लेकिन वहां पानी नहीं है। हम नदियों पर लंबे-लंबे पुल देख सकते हैं लेकिन नदियों में पानी नही है। यदि कोई नदी लुप्त हो जाती है तो वह राज्य मृतप्राय हो जाता है वहां की सभ्यता समाप्त हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है। इसलिए, इस पहलू पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है।

अब सबसे बड़ी चिंता कुछ राज्यों में नदियों का बेचा जाना है। मेरे अपने केरल राज्य में कुछ बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां बड़े पैमाने पर नदियों का पानी खरीदने की कोशिश कर रही हैं।

इसकी प्रक्रिया तब शुरू की गयी थी जब राज्य में वामपंथी लोकतांत्रिक मोर्चे की सरकारी थी।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : नहीं, यह ठीक नही है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : आपकी सरकार ने ही इसे आरंभ किया था।

श्री वरकला राधाकृष्णन : लेकिन इसे आपकी सरकार द्वारा लागू किया गया था।

श्री रमेश चेन्नितला : केरल में यह बहुत विवादास्पद मामला बन गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई राज्य नदी के पानी को बहुराष्ट्रीय कंपनियों को बेचने का अधिकार रखता है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : श्री एंटनी ने इसे आरंभ किया है।

श्री रमेश चेन्नितला : श्री एंटनी ने इस मामले पर कोई फैसला नहीं लिया है। आपकी सरकार ने ही इसे आरंभ किया था। इस मामले पर हमारी सरकार ने कोई निर्णय नहीं लिया है...*(व्यवधान)* यहां इस मामले पर मैं किसी तरह की बहस नहीं करना चाहता। मैं देश में लोगों द्वारा उठाई जा रही आम समस्याओं की बात कर रहा हूं। यह केवल केरल में ही नहीं अपितु दूसरी जगहों पर भी है जहां बहुराष्ट्रीय कंपनियां नदी के पानी के खरीदने का प्रयास कर रही है। हमारे देश में यह पर्यावरण से संबंधित एक बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। मेरी यही चिंता है।

सभापति महोदया : लेकिन पानी के बोतलबंद करने के बाद यह और अधिक प्रदूषित पाया गया है।

श्री रमेश चेन्नितला : हां, अखबारों में इस तरह की बहुत सी खबरें आयी हैं।

मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि सरकार द्वारा इन लोगों पर कोई उपकर नहीं लगाया जा रहा है जो 10 और 15 रुपये में पानी बेच रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदया, इस बात की जांच की जानी चाहिए कि यह प्रदूषण युक्त पानी बेंचने के लिए स्वास्थ मंत्री अथवा पर्यावरण मंत्री जिम्मेदार हैं या नही। इसके लिए मंजूरी किसने दी। सभा में सभी तथ्यों को शीघ्र रखा जाना चाहिए। हम इस मुद्दे पर मंत्री को माफ नहीं कर सकते क्यों कि वे पानी के नाम पर लोगों के जीवन से खिलवाड कर रहे हैं।

सभापति महोदया : उन्होंने तो बोतल बंद पानी बेचने वालों को यह कहकर निर्दोष करार दिया है कि इस के लिए मानक विश्व स्वास्थ संगठन द्वारा निर्धारित किये जाते हैं।

श्री रमेश चेन्नितला : सभापति महोदया यह बहुत ही गंभीर मामला है। ये लोग जो बेच रहे हैं वह मिनरल वाटर नहीं है। यह तथाकथित मिनरल वाटर है। वे हमारी नदियों से ही पानी लेकर इसे बोतल बंद करते है और अपना लेबल चस्पा कर लाभ अर्जित करते हैं लेकिन इनपर किसी तरह का उपकर नहीं लगाया जाता है।

मैं कहना चाहूंगा कि अब समय आ गया है कि इस तरह के सभी कार्यकलापों को बंद कर दिया जाये। पानी के उपयोग पर कुछ न कुछ प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि हमारी नदियां प्रदूषित हो रही हैं और इसके कारण पर्यावरणीय क्षरण हो रहा है।

हमारे देश में, पेयजल की समस्या प्रत्येक गांव में एक बड़ी समस्या हैं। भूमिगत जल का स्तर नीचे चला गया है। तालाब और कुएं सूख गये हैं और लोगो ने उन्हें पूरी तरह त्याग दिया है। कृषि कार्य के लिए पानी नहीं है। प्रत्येक राज्य पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्य से लड़ रहा है। तमिलनाडु कर्नाटक से लड़ रहा है, कर्नाटक आंध्रप्रदेश से लड़ रहा है और पंजाब तथा राजस्थान भी आपस में लड़ रहे हैं। यहां तक कि हमारा राज्य केरल भी तमिलनाडु से पानी के लिए लड़ रहा है। इसलिए, पानी की कमी के कारण यह एक राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है और जिससे समाज के सभी वर्ग चिंतित है।

महोदय, नहीं प्रदूषण हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या हैं। माननीय मंत्री जी केरल की पवित्र नदी पम्बा से अच्छी तरह परिचित है। पम्बा एक पवित्र नदी है जो हमारे केरल राज्य के हजारों सबरीमाला तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। पम्बा हमारे राज्य की एक बड़ी नदी है और अब वह भी प्रदूषित हो गयी है। मंत्री जी इस बात से अवगत हैं। केरल सरकार ने इस नदी को साफ करने के लिए एक प्रस्ताव रखा है और मंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री तथा केरल के संसद सदस्यों को इसका आश्वासन भी दिया है। श्री फ्रैसिंस जार्ज, स्वयं मैं तथा केरल के दूसरे संसद सदस्यों ने मंत्री जी से मुलाकात की थी और पम्बा नदी की उचित ढंग से सफाई करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने का अनुरोध किया था।

मेरा अनुरोध है कि इस कार्य को राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना में शामिल कर लिया जाये और प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों, जो भ्रष्ट हो गये हैं, को धन देने के बजाय इस परियोजना पर और अधिक धन दिया जाये। यदि राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना में अधिक धन दिया जाता है, तो वे कई और कार्यक्रम शुरू कर सकते हैं और हमारी नदियों को स्वच्छ कर सकते हैं। इसलिए मैं इस बात पर बल देना चाहूगा कि केरल राज्य के लिए पम्बा कार्य योजना अत्यधिक आवश्यक है क्योंकि पम्बा नदी प्रत्येक वर्ष सबरीमाला में आने वाले हजारों तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है।

हमारे राज्य में एक और नदी मनीमाला है। यह नदी भी देश के विभिन्न क्षेत्रों से आने वाले सबरीमाला तीर्थयात्रियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। एरीमेली में भी हजारों तीर्थयात्री आते हैं और वे भी मनीमाला नदी के जल का प्रयोग करते हैं। इसे भी या तो पम्बा कार्य योजना के अंतर्गत शामिल कर लिया जाना चाहिए या फिर पर्यावरण तथा वन मंत्रालय द्वारा उसके लिए एक अलग योजना तैयार की जानी चाहिए ताकि मनीमाला नदी को साफ किया जा सके। मैं यह इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आगे आने वाले दिनों में यह एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। इसलिए नदियों को साफ करने और प्राकृतिक जल स्रोतों के संरक्षण की दिशा में पर्यावरण और वन मंत्रालय को अधिक से अधिक ध्यान देना होगा। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यकरण और उनके द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन की ओर भी अधिक ध्यान देना होगा।

निश्चित रूप से, हमारी एक जल नीति है। लेकिन बदली परिस्थितियों में, यह आवश्यक है कि हम वर्तमान जननीति की समीक्षा करें। मेरी राय में इस माननीय सभा के समक्ष एक व्यापक जल नीति रखी जानी चाहिए ताकि उन सभी समस्याओं पर एक बार फिर से विचार किया जा सके जो आज लोगों के और समाज के सामने हैं।

इस बारे में एक बहुत बड़ी चुनौती बहुराष्ट्रीय कंपनियों और बड़े उद्योगपतियों की ओर से आ रही है। मै आपको एक उदाहरण देता हूं। हमारे राज्य में, कोच्चि में एक औद्योगिक क्षेत्र है। कोच्चि और उसके आस-पास के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध नहीं है।

[श्री रमेश चेन्नितला]

लेकिन उस क्षेत्र के बड़े उद्योगों के लिए पानी की बहुतायत है। हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं।

यहां तक कि गांवों में लोगों को पेयजल नहीं मिल रहा है। लेकिन इन उद्योगों को काफी जल मिल रहा है। हम ऐसा क्यों होने दे रहे हैं? कृषि संबंधी कार्यों के लिए हमारे पास पानी की काफी कमी है। इस मामले में हम समुद्री जल का खारापन दूर करके उसका उपयोग क्यों नहीं करते? खैर, वे काफी धन निवेश कर रहे हैं, वे औद्योगिक प्रयोजनों के लिए समुद्री जल का उपयोग क्यों नहीं करते?

मैं सुझाव देता हूं कि जल की कमी को देखते हुए भारत सरकार को इन्हें निदेश देना चाहिए कि वे अपने औद्योगिक कार्यों के लिए समुद्री जल का उपयोग करें ताकि गरीब लोगों को जल की कमी न हो।

चूंकि मंत्री महोदय तमिलनाडु राज्य के हैं और वे सदैव कावेरी जल के लिए लड़ते रहे हैं, मेरे विचार से इन मुद्दों पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाए। इन मुद्दों का समाधान तभी निकल सकता है जब हमारे पास संकल्पना होगी।

स्थायी समिति ने तीन सिफारिशें की हैं। मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं क्योंकि उन्होंने उन सिफारिशों को मान लिया है। एक सिफारिश पन परियोजनाओं को शामिल न करने के बारे में है। घरेलू प्रयोजनों के लिए उपयोग में आने वाले जल पर उपकर बढ़ाए जाने की आवश्यकता नहीं हैं पन विद्युत एककों द्वारा जल के उपयोग पर उपकर लगाए जाने की आवश्यकता नहीं है। वे सभी उद्योग जो जल का उपयोग करते हैं और प्रदूषण फैलाते हैं उन्हें अधिनियम की अनुसूची एक की जांच करने अधिनियम के अंतर्गत शामिल किया जाए। इन तीनों सिफारिशों को स्वीकार कर लिया गया है। आपने स्थायी समिति की इच्छाओं का सम्मान किया हैं मैं आपके इस कार्य के लिए आपका आभारी हूं।

यह मामला बहुत गंभीर है। छोटे से संशोधन पर चर्चा करने से ही सभा संतुष्ट नहीं होगी। मेरे विचार से इसके लिए अलग से समय निकाला जाना चाहिए। इस सभा को जल की कमी, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण तथा वर्षा जल के प्रभावी उपयोग के मुद्दों पर चर्चा करनी चाहिए। इन सभी पहलुओं पर उचित रूप से चर्चा की जानी चाहिए।

सभापति महोदया : अब माननीय मंत्री बोलेंगे।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : मैं इस विषय पर बोलना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मैं सूची में से नाम पुकार रही हूं। सचिवालय द्वारा दी गई सूची में कुछ भ्रम है। मैं जरा इसकी जांच करती हूं।

(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव : सभापति महोदया, मैं जल पर उपकर लगाने के लिए माननीय पर्यावरण और वन मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं। यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जल ही जीवन है और इतिहास में भी इस बारे में काफी कहानियां है। जब शाहजहां आगरा के लाल किले में कैद था तो वह यमुना का जल पीना चाहता था लेकिन औरंगजेब ने जल देने से मना कर दिया। इसलिए ताजमहल पर लिखा है कि 'हिन्दू धन्य हैं जो पितृों को भी जल अर्पित करते हैं।

अत:, जल ही जीवन है और निश्चित रूप से यह इस पृथ्वी ग्रह में जीवन का स्रोत है। जल संरक्षण हेतु हमारे मंत्री महोदय ने पहल की है और मैं उन्हें इसके लिए बधाई देता हूं। सभापति महोदया, लेकिन इसके साथ ही मैं यह बताना चाहता हूं कि बहुत पहले से जल को लापरवाही पूर्ण तरीके से लिया गया है।

स्वतंत्रता पूर्व प्रति व्यक्ति जल खपत और उपलब्धता बहुत अधिक थी लेकिन यदि आप आंकड़े देखेंगे तो पाएंगे कि प्रतिव्यक्ति जल उपलब्धता और खपत में काफी कमी आई है। अत: इससे स्पष्ट रूप से पता चला है कि जल बहुत दुर्लभ वस्तु बन गई है और इसका सावधानीपूर्वक संरक्षण किया जाना चाहिए।

इसके साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र तथा राज्यों के प्रदूषण बोर्ड जिन्हें जल के उचित उपयोग की निगरानी करनी चाहिए, वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। विधानसभा में मेरे तीन कार्यकाल में मैं उड़ीसा में राज्य स्तर पर वन और पर्यावरण समिति का सदस्य रहा हूं। उन उद्योगपतियों के विरूद्ध अनेक मामले दर्ज हुए थे जो जल प्रदूषित कर रहे हैं लेकिन इनमें से किसी को भी दोषी नहीं ठहराया गया। इस तरह, यहां आपको पता चल गया होगा कि विभिन्न प्रदूषण बोर्ड कितनी गंभीरतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। अत:, क्रियान्वयन और जल में प्रदूषण की जांच गंभीरतापूर्वक की जानी चाहिए।

अब गंगा कार्य योजना भी है। इस साल ही ब्रह्मपुत्र नदी को साफ करने के लिए कुछ धनराशि स्वीकृत की गई है। इसी तरह, उड़ीसा में नदियां है, देशभर में नदियां है जो धीरे-धीरे प्रदूषित हो रही हैं और इस तरह समुद्री जीवन को प्रभावित कर रही है। प्रदूषित समुद्री जीवन का अर्थ है गरीब लोगों, मछुआरों का जीवन संकट में है। लोगों का जीवन बचाने हेतु समुद्री जीवन की रक्षा की जानी चाहिए और ऐसा तभी हो सकता है जब जल स्वच्छ हो और कारखानों से निकलने वाले कचरे का उचित रूप से शोधन हो।

महोदया, राज्यों में कुछ समितियों के जैसे प्राक्कलन समिति और लोक लेखा समिति में सदस्य के रूप में मैंने नवरत्न सहित अनेक इस्पात संयंत्रों का दौरा किया है और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वहां एक भी जल शोधन संयंत्र कार्य नहीं कर रहा है। जब हमने राउरकेला का दौरा किया तब जल शोधन संयंत्र बंद था। जे.के. पेपर मिल, जिसका उड़ीसा में नागबली नदी पर बहुत बड़ा संयंत्र है, ने नागवली नदी को पूर्णत: प्रदूषित कर दिया है और इसके कारण समग्र समुद्री जीवन नष्ट हो गया है तथा मछुआरे भूखों मर रहे हैं। आज मानवाधिकार आयोग के समक्ष भूख से हुई मौतों का आरोप लगाया जाता है। देश के अन्य भागों के लोगों की तुलना में यहां के मछुआरों के खाने में प्रोटीन और कैलोरी कम है।

अत:, माननीय मंत्री ने जिस उपकर का प्रस्ताव किया है वह बहुत अच्छा कदम है। मुझे आशा है कि जल संरक्षण के लिए धनराशि सही दिशा में खर्च की गई है। पनविद्युत इकाई पर उपकर समाप्त करने का स्वागत है क्योंकि पनविद्युत सामान्यत: विद्युत प्रदूषण मुक्त विद्युत है। यह ऊर्जा के स्वच्छतम स्रोत में से एक है। इसलिए, पनविद्युत पर उपकर हटाना एक अच्छा कदम है। मैं जल पर उपकर लगाने के लिए इस विधेयक का समर्थन करता हूं। यह स्वागतयोग्य कदम है लेकिन इसके साथ ही इसे गंभीरतापूर्वक क्रियान्वित किया जाना चाहिए।

सभापति महोदया : मुझे खेद है, इसमें कुछ नाम थे लेकिन वे सूचीबद्ध नहीं थे। अब मैं श्री धर्मराज सिंह पटेल का नाम लेती हूं।

[हिन्दी]

श्री धर्म राज सिंह पटेल (फूलपुर) : सभापति महोदया, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2000 जो मंत्री जी ने पेश किया है, उसके संबंध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जल प्रदूषण को दूर करने के संबंध में मंत्री जी का प्रयास आंशिक है। सब माननीय सदस्यों ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि भूमि के अंदर जो जल है, जिसका उपयोग कुओं द्वारा किया जाता है, वह इतना प्रदूषित हो गया है कि अब पीने लायक नहीं रहा। मैं अपने फूलपुर संसदीय क्षेत्र इलाहाबाद में बरसात के दिनों में दौरा करने गया था तो वहां देखा कि सैंकड़ों कुओं में पानी एकदम ऊपर आ चुका है जो काला है। गांव के लोग उस पानी को पीने में असमर्थ थे। वे हमसे कह रहे थे कि हम कैसा पानी पी रहे हैं। इस तरह जहां जल ऊपर है, जहां ऊसर भूमि है या नदियों का किनारा है, जहां नदियों में जल भरा हुआ है, वहां जल ऊपर होने की वजह से पानी गंदा है जिसे लोग पीने के लिए मजबूर हैं।

अभी आपने ब्रह्मपुत्र आदि अनेक नदियों की तरफ ध्यान आकृष्ट किया है। मैं गंगा प्रदूषण के बारे में आपको बताना चाहता हूं। अभी इलाहाबाद में मेला लगा था जिसमें साधु-संतों के साथ-साथ सैंकड़ों लोग भी गए थे। वहां गंगा जल काफी प्रदूषित हो चुका है। जो नदियां हजारों सालों से पवित्र मानी जाती हैं, जहां लाखों लोग कुंभ में संगम स्नान करने जाते हैं और जहां लोग मरने वाले की अस्थियां बहाने जाते हैं, वहां का जल काला हो गया है, लाल चमड़े के पानी से लाल हो गया है। कुंभ मेले में भी सर्वे किया गया। कई सर्वे रिपोर्ट आ चुकी हैं जिसमें गंगा जल प्रदूषित पाया गया है। लेकिन इस बार तो आश्चर्य ही हो गया कि लोग वहां नहाना ही नहीं चाहते थे। हम जानना चाहेंगे कि आंशिक बिल लाकर और थोड़ा सा कैश बढ़ा कर केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड या राज्य बोर्ड कौन सा उपाय करने जा रहे हैं? जो भूजल ज्यादा उपयोग हो रहा है, उसे आप रोक देंगे।

आप बहुत ही समझदार और योग्य मंत्री हैं। आप कम से कम एक व्यापक बिल लाएं जो नदियों की साफ-सफाई के संबंध में हो, गांवों में जो ट्यूबवैल खराब हैं, उनके संबंध में हो या जो वायु प्रदूषित नदियां हैं, उनकी सफाई के संबंध में हो। इस संबंध में एक व्यापक बिल लाना चाहिए जिससे पवित्र नदियों की सफाई हो सके। आप कुओं के प्रदूषित जल का क्या उपाय कर रहे हैं। सरकार की भविष्य में नदियों की सफाई के संबंध में क्या योजनाएं हैं। हमको लगता है कि गंगा, यमुना, सरस्वती का पानी जिस तरह गंदा हो चुका है, काला और लाल पानी हो चुका है, कुछ दिन बाद वहां लोग दर्शन करने नहीं जायंगे, गंगा नदी को भूल जाएंगे और यह एक ऐतिहासिक कमी होगी। इसलिए मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि आप व्यापक बिल लाएं। भारत सरकार यह बताए कि वह नदियों और कुओं की सफाई के लिए कौन से उपाय करने जा रही है जिससे देश को लाभ हो। इसी अनुरोध के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पण्डा (मिदनापुर) : सभापति महोदया, मैं इस विधेयक का विरोध नहीं कर रहा हूं। एक तरह से विधेयक का नाम सही है। विधेयक का नाम जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि विधेयक उपकर दर से संबंधित है और प्रदूषण नियंत्रण के संबंध में पर्याप्त नहीं है।

सर्वप्रथम, मैं उपकर दर के संबंध में एक बात कहना चाहता हूं। इस सम्मानीय सभा में एक माननीय सदस्य ने पहले ही बताया हैं कि संविधान के 73वें संशोधन, ग्यारहवीं अनुसूची के अनुसार जल संबंधी विषय स्थानीय स्वशासन संस्था के पास चला गया है।

[श्री प्रबोध पण्डा]

लघु सिंचाई तथा ऐसे अन्य विषय स्थानीय स्वशासन संस्था के पास चले गए हैं। इसलिए वह उपकर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डो द्वारा एकत्रित किया जाता है और भारत के संचित निधि में जमा किया जाता है। संसद द्वारा विनियोग विधेयक पारित होने के पश्चात् बोर्डों में वितरित किया जाता है लेकिन क्या स्थानीय स्वशासन हेतु किसी तरह के हिस्से के लिए कोई उपबंध है? चूंकि यह विषय स्थानीय निकायों को सौंपा गया है इसलिए हमें यह चर्चा करनी चाहिए कि स्थानीय निकायों को शाक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे विनियमित और प्रदूषण नियंत्रित कर सकें।

मैं आपका ध्यान और आपके माध्यम से संबंधित माननीय मंत्री का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि अनेक स्थानों विशेषरूप से पश्चिमी बंगाल में 200 से अधिक ब्लाकों में भूमिगत जल प्रदूषित है। जल में संखिया, क्लोराइड और लवण से समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। इसलिए, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने उन क्षेत्रों में प्रदूषण नियंत्रण हेतु, कोई कार्यक्रम शुरू किया है।

मैं यह समझ नहीं पा रहा हूं कि माननीय मंत्री ने ताप विद्युत घर का उल्लेख नहीं किया है। ताप विद्युत घर बहुत प्रदूषण फैलाते हैं क्योंकि वे गंदा पानी नदी में बहा देते है जो मछलियों तथा पर्यावरण के लिए भी हानिकारक है। इसलिए, इस संबंध में कुछ किया जाना चाहिए।

हमारे किसानों को भी समस्याएं आई है। कुछ माननीय सहयोगियों ने यहां बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का उल्लेख किया है जो यहां आकर जल का उपयोग बेचने और धन कमाने के लिए कर रही हैं। उन्हें धन कमाने के लिए पूरा जल मिल रहा है लेकिन किसानों को अपने क्षेत्रों में सिंचाई के लिए जल नहीं मिल रहा है। उनके लिए स्वच्छ जल मिलना भी संभव नहीं है।

इस विधेयक का उद्देश्य मूलत: सही है लेकिन पर्याप्त नहीं है। स्थानीय निकायों को पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिए ताकि वे स्वच्छ जल प्रदूषित करने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करके प्रदूषण नियंत्रण और विनियमन कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर) : सभापति महोदया, यह जो बालू साहब जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर (संशोधन) विधेयक, 2000 लाए हैं, इसके बारे में हमारा यही कहना है कि पानी में जो पौल्यूशन है इससे हमारे देश के बहुत सारे लोगों का जीवन खतरे में आ रहा है। कंपनियां पानी भी लेती हैं और पानी खराब भी करती हैं। जहां-जहां कंपनियां हैं, वहां का पानी दूषित हो जाता है और वही पानी वहां के लोगों को पानी पड़ता है। इसलिए हमारा कहना यह है कि कंपनियां भी चलनी चाहिए और लोगों को नौकरी भी मिलनी चाहिए लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कंपनियां वहां का पानी दूषित करें क्योंकि दूषित पानी से लोगों का जीवन खराब होता है। इसलिए कंपनियों को अपने दूषित पानी को नदियों में नहीं डालना चाहिए।

इस सम्बन्ध में आपको उद्योग विभाग से बात करनी चाहिए। मंत्री जी जो यह विधेयक लाए हैं कि पानी साफ होना चाहिए, उसका हम समर्थन करते हैं। बालू जी अच्छे मंत्री हैं। वे बालू हैं, लेकिन हमारे साथ लालू भी हैं। हम लोग अच्छा काम करेंगे इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। इसलिए पानी में कोई राजनीति नहीं लाई जानी चाहिए। पानी को साफ रखने के लिए आपके विभाग को काम करना चाहिए। बालू जी मजबूत मंत्री हैं। आज ये उधर हैं, कल हमारे साथ भी आ सकते हैं। आप उधर भी रहेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप अच्छा काम करेंगे। तमिलनाडु की स्थिति ऐसी है कि अगले चुनाव में जब हमारी सरकार बनेगी तो ये हमारे साथ आ सकते हैं। जो विभाग मंत्री जी सम्भाल रहे हैं, वे अच्छी तरह से सम्भालेंगे, ऐसी हम आशा करते हैं और इस बिल का समर्थन करते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदया : वे आपकी ओर से भविष्यवाणी कर रहे हैं।

पर्यावरण और वन मंत्री (श्री टी.आर. बालू) : महोदया, सबसे पहले तो मैं प्रतिपक्ष और सत्तापक्ष में बैठे अपने मित्रों को आश्वस्त कर दूं कि मैं जहां कहीं भी रहूंगा, ईमानदारी से कार्य करूंगा।

बहुत से माननीय सदस्यों, जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया है, ने कमियों की ओर ठीक ही इशारा किया है और सराहनीय बात की सराहना भी की है और वे अच्छी बात की सदैव सराहना करते आये है। इसलिए सबसे पहले मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने इस विधेयक पर वाद-विवाद में भाग लिया। साथ ही, बहुत से सदस्य इस विधेयक की परिधि से बाहर चले गये हैं। लेकिन कुछ भी हो, उनके द्वारा दिये गये सुझावों को निश्चित रूप से ध्यान में रखा जायेगा और मैं स्वयं इस बात को देखूंगा कि उन सुझावों पर सकारात्मक और उचित विचार रूप से हो।

यह विधेयक मुख्य रूप से औद्योगिक जल से संबंधित है। या यों कहा जाये कि उद्योगों में पानी का अधिक प्रयोग न हो यह विधेयक उसके लिए एक निवारक का काम करेगा। पानी का अनावश्यक रूप से प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और यदि किसी विशेष इकाई के लिए जितने भी पानी की आवश्यकता हो उसे ध्यान पूर्वक और नपेतुले ढंग से प्रयुक्त किया जाना चाहिए। लेकिन साथ ही जो लोग अविवेक पूर्ण ढंग से पानी का प्रयोग कर रहे हैं, उन्हें दंडित किया जा रहा है। यह उपकर उन्हीं लोगों पर लगाया जायेगा जो पानी का उपयोग सोच समझकर नहीं कर रहे हैं।

माननीय सदस्य, श्री सुदर्शन नाच्चीयपन एक विद्वान अधिवक्ता हैं। वह इसके बारे में जानते हैं। यह उनका अपना ही विधेयक है। इस बारे में, पहला विधेयक 1977 में लाया गया था और इसे 1977 में ही पारित किया गया था। इसे अनुच्छेद 248 द्वारा और अधिक शक्ति सम्पन्न बनाया गया है और इसके कारण ही इस विधेयक को संसद के समक्ष लाया गया है। इसलिए इस बारे में जहां तक संवैधानिक उपबंधों का प्रश्न है, इसमें कोई अस्पष्टता अथवा इस तरह की कोई अन्य बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन, साथ ही श्री सुदर्शन नाच्चीयपन जानना चाहते थे कि इसमें भागीदारी का अनुपात क्या होगा। मैं बताना चाहता हूं कि इसमें भागीदारी का अनुपात इस तरह होगा: राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को 80 प्रतिशत प्राप्त होगा तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जो मेरे अधिकार क्षेत्र में आता है को केवल 20 प्रतिशत प्राप्त होगा। यह मुद्दा एक दशक से भी अधिक समय से लंबित पड़ा था।

वर्ष 1991-92 से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बहुत जोर शोर से अपनी मांग उठा रहे थे और वे विचार-विमर्श के विभिन्न मंचों, से मिनारों, और विशेषरूप से, यदि मैं सही हूं, 1 जनवरी, 1992 के कोयम्बटूर सम्मेलन में जिसमें सभी राज्यों के पर्यावरण मंत्रियों तेथा परामर्शदात्री समिति के सदस्यों ने भाग लिया था, उपकर को संशोधित किये जाने के पक्ष में उन्होंने तर्क रखे थे। उनका कहना था कि उपकर को कइ गुना बढ़ा दिया जाना चाहिए।

इसलिए, अभी जितना उपकर लिया जा रहा है, मैंने उसे बढ़ाकर तीन गुना करने तक ही सीमित रखा है। अभी जो राजस्व एकत्रित किया जा रहा है वह पहले केन्द्र सरकार के खजाने में जाता है और फिर उसे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को इस्तांतरित किया जाता है। वास्तव में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 को अधिनियमित करने के बाद, प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के कार्यकलापों में अत्यधिक वृद्धि हुई है और उनके दायित्वों में कई गुना वृद्धि हो गयी है। काम को देखते हुए वे अपने दायित्वों को भलीभांति नहीं निभा पा रहे हैं। इसलिए अभी जितनी धनराशि एकत्रित हो रही है, उसकी 80 प्रतिशत राशि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को दे दी जायेगी।

सभापति महोदया : लेकिन सबकी चिंता यही है कि इस तरह से नये पद सृजित होंगे और उन पर अधिक से अधिक लोगों को भर्ती किया जायेगा लेकिन वे प्रदूषण नियंत्रण का वास्तविक कार्य नहीं करेंगे। सारा पैसा ऐसे ही खर्च हो जायेगा।

श्री टी.आर. बालू : सभापति महोदया, आप ठीक कह रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूं। हमें तंत्र की ओर भी ध्यान देना होगा। यह सभी कुछ विभाग के प्रमुख पर निर्भर करता हैं यह उस व्यक्ति पर भी निर्भर करता है जो विभाग प्रमुख का कार्य भार देखता है। मैं नहीं समझता कि इस बारे में कोई समस्या होगी। इसके बाद, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कम से कम यह तो नहीं कहेंगे कि उनके पास वित्तीय संसाधन नहीं हैं। इस विधेयक से इस ओर ध्यान दिया जायेगा कि राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संसाधनों में वृद्धि हो सके।

श्री मोइनुल हसन ने यह प्रश्न भी किया है कि ऐसे मामलों में क्या राज्य सरकारों को विश्वास में लिया जायेगा। राज्यों को पहले से ही विश्वास में लिया गया है। मंत्रियों को विश्वास में लिया गया है। कोयम्बटूर सम्मेलन के दौरान मैंने व्यक्तिगत रूप से कई पर्यावरण मंत्रियों के साथ विचार-विमर्श किया था। कुल धनराशि जो एकत्रित की जा रही है और जो 130 से 140 करोड़ रुपये के लगभग होगी, उनके संसाधनों में वृद्धि करेगी। इससे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों को सहायता मिलेगी।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह ने पूछा है कि नदियां और जल के दूसरे स्रोत प्रदूषित क्यों हैं और मंत्रालय इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। उन्होंने विशेषतौर पर उल्लेख किया है कि गंगा प्रदूषित हो गयी हैं और इसी तरह की कुछ और बातें भी कहीं हैं। वह शत प्रतिशत सच कह रहे हैं। महोदय, 1985 में जब स्वर्गीय राजीव गांधी जी सत्ता में थे, तो उन्होंने राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम की परिकल्पना की थी। उसी कार्यक्रम में, गंगा कार्य योजना-एक की परिकल्पना की गयी थी। गंगा नदी की लम्बाई क्या है। यह 2,525 किमी लंबी है। लेकिन एक समय विशेष में लिया गया प्रदूषण भार कितना है जिसे दूर किया जाना है। यह 30 प्रतिशत भी नहीं है। फिर भी, चलिए हम मान लेते हैं यह 35 प्रतिशत है। अब, 35 प्रतिशत प्रदूषण भार दूर करने के हिसाब से इसमें पैसा लगाया गया। ये सब अभी किया गया है। हमने केवल 35 प्रतिशत प्रदूषण भार दूर करने के लिए कार्य किया है। अब हम शत प्रतिशत परिणाम की आशा कैसे करते हैं? जब

[श्री टी.आर. बालू]

हम इसकी तुलना थेम्स नदी से करते हैं, तो हम पाते हैं कि थेम्स नदी तो केवल 250 कि.मी. ही लम्बी है।

[हिन्दी]

श्री धर्मराज सिंह पटेल : हमने रिपोर्ट में पढ़ा है कि गंगा एक्शन प्लान का प्रथम फेस खत्म हो गया है और उस पर 500 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है लेकिन अभी तक 35 प्रतिशत ही काम हुआ है।

सभापति महोदया : आप पहले उत्तर तो सुनिये।

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू : हां, यह सच है कि इस पर लगभग 460 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है। इसमें से हमने प्रदूषण भार के लिए केवल 30 से 35 प्रतिशत की राशि व्यय की है। इसीलिए तो हम लंदन की थेम्स नदी से इसकी तुलना करना चाहते हैं। थेम्स को साफ करने में 39 वर्ष लग गये जबकि गंगा कार्य योजना-एक की परिकल्पना 1985 में की गयी थी और गत वर्ष मार्च में यह कार्यक्रम पूरा हो गया। लेकिन इसके लिए जितनी धनराशि निर्धारित की गयी थी वह व्यय हो गयी है और हमने इस राशि का अच्छा उपयोग किया है। बस इतनी सी बात है। लेकिन मैं यह नहीं कह सकता कि इस बारे में शत प्रतिशत सफलता हासिल हुई है। मैं शतप्रतिशत सफलता का दावा नहीं करता। यह काय्रक्रम केवल 35 प्रतिशत के लिए था। थेम्स नदी को साफ करने में 39 वर्ष लग गये और उन्होंने आंख बंद कर पैसा खर्च किया, लेकिन इसके बावजूद उन्हें परिणाम 100 वर्ष बाद ही प्राप्त हुए। नदी मे सैलमंन मछली 100 वर्षों बाद ही दिखाई दी। नदियों के प्रदूषण की सम्स्या से तुरन्त नहीं निपटा जा सकता। मैं नहीं कहता कि सारा प्रदूषण आपके दल की सरकार के कार्यकाल में हुआ। सभी राज्य सरकारों से बार-बार अनुरोध किया जाता है कि वे यह देखें कि नदियों में प्रदूषण में कमी आये। पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि नदियां प्रदूषित क्यों हो जाती है। नदियां गंदे नालों की वजह से नगरीय कचरे की वजह से, औद्योगिक कचरे आदि की वजह से प्रदूषित हो रही हैं।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में अत्यधिक प्रदूषण फैलाने वाले 1,555 उद्योग हैं, इनमें से 17 श्रेणी के उद्योगों में से केवल 23 इकाइयां प्रदूषण फैला रही हैं। मंत्रालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाली इन 23 इकाइयों के विरूद्ध कार्यवाही पहले से ही की जा चुकी है। हम चुप नहीं बैठे हैं। यदि आप को लगता हैं कि कोई औद्योगिक इकाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के नियमों और विनियमों का उल्लंघन कर रही है, तो आप हमें लिख सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम भेज सकते हैं, या हमें संसद में मौखिक रूप से बता सकते हैं। मैं उस इकाई के विरूद्ध मिनटों में कार्यवाही आरम्भ कर दूंगा। इसमें कोई समस्या नही है। सभापति महोदया, मुझे पता नहीं कि सभी सांसदों में से अकेले डा. रघुवंश प्रसाद सिंह प्रत्येक सप्ताह चार शिकायती पत्र कहां से लिख देते हैं। शायद वह इस विषय में दूसरे संसद सदस्यों को भी सलाह दें। यदि उन्होंने इस मामले पर व्यक्तिगत तौर पर मुझ से चर्चा की होती, तो शायद उनकी समस्या का बहुत पहले समाधान हो गया होता।

अब मैं श्री रमेश चेन्नित्तला द्वारा उठाये गये मुद्दे पर आता हूं। वह मेरे पड़ोसी है। वह केरल से हैं।

सभापति महोदया : यही तो समस्या है।

श्री टी.आर. बालू : महोदया, राजनीति में नहीं। राजनीति में तो आपस में हम काफी दूर हैं और वास्तव में एक दूसरे के पूरी तरह विरोध में है।

वे अच्छी तरह जानते हैं कि हमने अपने अधिकारियों के साथ इन सब विषयें पर चर्चा करने के लिए काफी मेहनत की थी। मैंने दूसरे ही दिन उनके मुख्यमंत्री और स्वयं उनसे बायदा किया था कि पाम्बा नदी की ओर ध्यान दिया जायेगा। मैंने कहा था कि तय प्रक्रिया तथा तकनीकी जांच हो जाने के बाद, परियोजना पर विचार किया जायेगा। इस परियोजना को मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखना होगा। उनकी पार्टी ने देश पर 40 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया है। उस समय वह इस परियोजना को मंजूर नहीं करा पाये। अब वे अपने मित्र की मदद ले रहे हैं कि इस बारे में कुछ हो जाये। पाम्बा नदी सफाई एक महत्वपूर्ण मामला है। पूरे देश से लाखों तीर्थयात्री आयप्पा मंदिर में दर्शन हेतु जाते हैं। मैंने केरल के मुख्य मंत्री और माननीय सांसद महोदय क्यों उन्होंने मेरी ओर उंगली उठाकर संकेत किया कि मैं ऐसा कह रहा हूं- को बताया कि मैं अपने विभाग के सचिव और दूसरें अधिकारियों के साथ इस बात पर चर्चा करने के लिए तैयार था कि 25 करोड़ रुपये की परियोजना को एक सप्ताह या 10 दिन के अंदर स्वीकृति दे दी जाये। लेकिन वे दुबारा मेरे पास नहीं आये। क्या यह सच नहीं है?

श्री के. फ्रांसिस जार्ज (इडुक्की) : हम इस बात से सहमत नहीं हैं। इस परियोजना को प्रस्तुत किया गया है। आपने इस पर सकारात्मक ढंग विचार करने की उदारता दर्शायी है। मेरी समझ से तो अब आपके

मंत्रालय में 25 करोड़ रुपये की परियोजना लंबित है। हम इस परियोजना की शीघ्र मंजूरी चाहते हैं।

श्री टी.आर. बालू : आपका परियोजना प्रस्ताव अभी विभाग के विचाराधीन है। मैंने आपके मुख्यमंत्री से वायदा किया है कि जब भी संभव होगा हम इस परियोजना पर विचार करेंगे। प्रक्रिया में कुछ समय लगेगा। इसमें देरी आपकी वजह से हुई है।

श्री रमेश चेन्नितला : हम आप पर आशेप नहीं लगा रहे हैं। हम तो इसकी प्रक्रिया में तेजी लाने का अनुरोध कर रहे हैं।

श्री टी.आर. बालू : कोई बात नहीं, मैंने तो यूं ही दोस्ती में कह दिया।

अब, श्री बिक्रम केशरी देव जी ने जो कहा है मैं उनकी बात का जवाब देता हूं। वह एक बहुत बड़े पर्यावरण विद हैं। उन्होंने मेरे साथ कई विश्व सम्मेलनों में भाग लिया है। उन्होंने जो कुछ कहा मैं उससे सहमत हूं। श्री पटेल ने गंगा कार्य योजना-एक और दो इत्यादि के बारे में बातें की। मैंने इनका उत्तर पहले ही दे दिया है।

श्री दासमुंशी, जो एक बहुत ही प्यारे विरोधी और मेरे अच्छे मित्र हैं, ने बोतल बंद पानी का मामला उठाया है। जैसा कि आप सब अच्छी तरह जानते हैं यह उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित मामला है।

लेकिन सरकार के रूप में, एक कैबिनेट मंत्री के रूप में, मैं यह स्वीकार करता हूं कि मैं भी जिम्मेदार हूं। हमारी माननीय संसदीय कार्य मंत्री, जो कि केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, इस संबंध में पहले ही कुछ कार्यवाही कर चुकी हैं।

पूर्व में, वे सत्ता में थे और उस समय उनकी सरकार थी, प्रत्येक इसपर सहमत था और यह विचार था कि बी.आई.एस. मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। अत: प्रत्येक ने भारतीय मानक ब्यूरो के मानक बनाए रखे। लेकिन अब कुछ गैर-सरकारी संगठनों ने हाय-तौबा की है। लेकिन मैं इस प्रतिष्ठित सदन को आश्वस्त कर सकता हूं कि सरकार इस मुद्दे पर समुचित कार्यवाही करेगी।

सभापति महोदया, श्री पी. एच. पांडियन यह जानना चाहते थे कि क्या स्थानीय निकायों को उनका समुचित हिस्सा मिलेगा। हां, निश्चित रूप से, स्थानीय निकायों को उनका देय हिस्सा मिलेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 80 प्रतिशत राशि केवल राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ही जाता है।

अत: निश्चित रूप से राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल की सुरक्षा करने व प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों आदि को चलाने में स्थानीय निकायों का ध्यान रखेगा।

मैं सदन को बताना चाहता हूं कि गत 100 वर्षों से पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हुई है...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : महोदय, मेरे सुझाव के बारे में क्या ख्याल है?

श्री टी.आर. बालू : मैं उसका उत्तर पहले ही दे चुका हूं। मैं उस ओर नहीं आना चाहूंगा। शुरू में ही मैंने बता दिया था कि मैं उस ओर नही जाऊंगा।

श्री रामदास आठवले : लेकिन स्वत: ही आप उस ओर आऐंगे. ..*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू : महोदया, गत 100 वर्षों से पृथ्वी का तापमान लगभग 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ा है। यह दृश्य उभर रहा है। गत कई वर्षों से वैज्ञानिक समुदाय इस मुद्दे पर विश्व-सम्मेलनों में जोर-शोर से विचार-विमर्श कर रहा है।

जलवायु में यह परिवर्तन और तापमान में वृद्धि कार्बन डाइआक्साइड के उर्त्सजन के कारण हो रही है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भारत सहित कई देशों में विकासात्मक गतिविधियां हुई। अब, कार्बन डाइआक्साइड़ के भारी उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार कई पश्चिमी देश यह सुनिश्चित करने हेतु आगे आए हैं कि यह उत्सर्जन घटे और पर्यावरण की सुरक्षा हो। लेकिन इसी के साथ-साथ कुछ देशों विशेषकर अमरीका ने इस परिदृश्य के प्रति तर्कसंगत रवैया नहीं अपनाया है।

जहां तक भारत का संबंध है, यह हमें देखना है कि कार्बन डाइआक्साइड़ का उत्सर्जन समुचित रूप से नियंत्रित हो। यही बर्फ के पिघलने, नदियों में बाढ़ आने, समुद्र का जल स्तर ऊंचा उठने, भूमि के कटाव आदि का मूल कारण है और अब भूमि में पानी कम होते जाने के लिए भी जिम्मेदार है।

अत: प्रत्येक को यह ध्यान देना पड़ेगा कि यह उत्सर्जन नियंत्रित हो। किसी न किसी समय इसे नियंत्रित करना पड़ेगा। जलवायु में परिवर्तन में जिम्मेदार कार्बन डाइआक्साइड़ के उत्सर्जन को नियंत्रित करना ही पड़ेगा। इस उद्देश्य के लिए हमारे राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड व केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड अपना पूरा समय समर्पित कर रहे हैं।

[श्री टी.आर. बालू]

महोदया, मैंने सभी माननीय संसद सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का उत्तर दे दिया है। लेकिन यदि किसी माननीय मित्र की किसी बात को और स्पष्ट किया जाना है, तो मैं उन्हें संक्षेप में बता दूंगा।

अब मैं यह अनुरोध करता हूं कि कृपया इस विधेयक को पारित किया जाए।

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) उपकर अधिनियम, 1977 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदया : अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरम्भ करेगी।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 6 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 6 विधेयक में जोड़ दिए गए।

खण्ड 1

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 4,...

"2000" के स्थान पर "2003" प्रतिस्थापित किया जाए। (2)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

अधिनियमन सूत्र

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 1, पंक्ति 1,--

"इक्यावनवें" के स्थान पर "चौवनवें" प्रतिस्थापित किया जाए।(1)

(श्री टी.आर. बालू)

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि अधिनियमन सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अधिनियम सूत्र, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।

श्री टी.आर. बालू : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदया : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.57 बजे

[अनुवाद]

निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक-विचाराधीन

विधि और न्याय मंत्री तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री अरूण जेटली) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

महोदया, मैं इस माननीय सदन के विचारार्थ और स्वीकृति हेतु यह विधेयक प्रस्तुत करता हूं। यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम और भारतीय दंड संहिता दोनों में एक छोटा सा संशोधन है। मैं इस संशोधन की पृष्ठ भूमि को थोड़ा स्पष्ट कर दूं।

वर्ष 1997 में रक्षा बलों के एक वर्ग की ओर से उठाई गई मांग पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सरकार को ऐसी स्थिति के बारे में लिखकर सूचित किया था जिस में सैन्य बलों और सैन्य बलों में कार्यरत उन कर्मचारियों को मताधिकार से लगभग वंचित कर दिया गया है जो देश के दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात हैं। मैंने 'वंचित' शब्द का उपयोग इसलिए किया क्योंकि विशेषकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 70 में संशोधन के बाद उम्मीदवारों के द्वारा नाम वापस लेने और मतदान की तिथि के बीच की अवधि को घटाकर 14 दिन कर दिया गया, जो कि पहले 21 दिन थी। इस 14 दिन की अवधि के परिणामस्वरूप सीमा पर दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात सैन्य बलों के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के लिए डाक द्वारा मतदान करना, जो सुविधा उन्हें उपलब्ध है, एक दुसाध्य प्रक्रिया बन गया।

डाक द्वारा मतदान करने की यह प्रक्रिया इस प्रकार है। उदाहरण के लिए नौ-सेना के परिप्रेक्ष्य में यह डाक मतपत्र इस 14 दिन की अवधि में, पीठासीन अधिकारी द्वारा नौ-सेना मुख्यालय को भेजा जाता है। नौ-सेना मुख्यालय से यह पोत या इकाई को एफ.एम.ओ. के माध्यम से भेजा जाता है और फिर उसके बाद, मत, मतदान किए जाने के बाद डाक द्वारा वापस पीठासीन अधिकारी को भेजा जाता है। अधिकारियों के लिए भी इसी प्रकार की प्रक्रिया है।

इसी प्रकार, वायु सेना के मामले में पीठासीन अधिकारी पूरे देश में वायु सेना मुख्यालयों को मत पत्र भेजते हैं; वहां से वह उनकी संबंधित इकाइयों में भेजे जाते हैं। अधिकारी मतदान करते हैं और फिर वह मतपत्र वापस पीठासीन अधिकारी को भेजे जाते हैं। थल सेना के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र के पीठासीन अधिकारी द्वारा ये मतपत्र थल-सेना मुख्यालय को भेजे जाते हैं। मान लीजिए कि थल-सेना का अधिकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात है तब थल-सेना मुख्यालय से वह मतपत्र कोलकाता में ए.पी.ओ. को भेजे जाते हैं; वहां से वे मतपत्र अरूणाचल प्रदेश या नागालैंड या जहां भी वह अधिकारी तैनात है वहां भेजे जाते हैं। वहां से वह मतपत्र, मतदान के बाद, वापस पीठासीन अधिकारी के पास आता है।

अब हम यह भी आशा करते हैं कि इस पूरे घुमावदार मार्ग को पूरा करने के बाद वह मतपत्र पीठासीन अधिकारी के पास 14 दिन की अवधि के अन्दर-अन्दर पहुंच ही जाना चाहिए जिससे कि उसे स्वीकार किया जा सके।

इस पूरी प्रक्रिया के कारण 19 दिसंबर, 1997 को मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने सरकार को लिखा कि डाक मतपत्रों को भेजने, मतदान होने और उन्हे वापस लाने में आने वाली संभारतंत्र संबंधी कठिनाइयों के कारण सैन्य बलों के मतदाताओं, जो कि वास्तव में अपने मताधिकार का उपयोग करने में सक्षम हैं, की संख्या में चिंताजनक रूप से गिरावट आई है।

अपराह्न 4.00 बजे

उन्होंने उल्लेख किया था कि कुल मतदान अब 10 से 15 प्रतिशत के बीच रह गया है, जिसका अर्थ है कि प्रक्रियागत कठिनाइयों के कारण उनमें से लगभग 85 प्रतिशत लोग अपने अधिकार से वंचित हो गए हैं। कानून में यह अधिकार दिया गया है। यह कागजों में तो अस्तित्वमान है परंतु इसका प्रभावी उपयोग संभव नहीं है। अत: इस पूरी प्रक्रिया में संशोधन करने का सुझाव दिया गया था।

वर्ष 1998 में सरकार ने इस कानून में एक संशोधन का प्रस्तुत किया था परन्तु 12वीं लोक सभा के भंग हो जाने के कारण इसपर विचार नहीं किया जा सका। वर्ष 1999 में वर्तमान संशोधन द्वारा इस कानून को पुनप्रवर्तित किया गया। प्रस्तावित संशोधन सैन्य बलों के उन सभी अधिकारियों पर लागू होता है जो सेना अधिनियम में घोषित हैं। यह स्वत: ही सैनिक अधिकारियों पर लागू होता है और यह उन अन्य सैनिक अधिकारियों पर भी लागू हो सकता है जो सेना अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित हैं।

इसमें स्पष्ट बताया गया है कि यह किन-किन अधिकारियों पर लागू होगा। यह प्रादेशिक सेना, केन्द्रीय आरक्षी पुलिस, वायुसेना, नौसेना, सीमा सुरक्षा बल, तटरक्षक, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल, केन्द्रीय सुरक्षा बल, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड, रेलवे सुरक्षा बल और स्वयं सेना पर लागू होगा। यह इन विभिन्न श्रेणियों के लिए उपलब्ध कराया जा सकता है। इस पर विभिन्न स्तरों पर विचार किया गया है। संसद में पुर:स्थापित किए जाने के बाद इसे स्थायी समिति के पास भेज दिया गया। स्थायी समिति में इस पर दो प्रकार के विचार व्यक्त किये गए।....*(व्यवधान)*

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : आप इलैक्ट्रानिक मत प्रणाली प्रारम्भ किए जाने से पूर्व की स्थिति पर चर्चा कर रहे है। हमारे पास अब कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है। हम मत प्रणाली में गोपनीयता को क्यों भंग करें?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : हमें मंत्री महोदय की बात ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए। मैं आपको व्यवधान पैदा करने की अनुमति नहीं दूंगी। कृपया मंत्रीजी को अपना वक्तव्य देने दें। आप अपनी बारी आने पर बोलिएगा। आप इस स्तर पर व्यवधान पैदा नहीं कर सकते। आप इसके बाद बोल सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : उन्होंने मुझे बोलने का अवसर दिया है।

सभापति महोदय : आपको बोलने की अनुमति मैं दूंगी न कि वे। मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं। मैं अब किसी को भी बोलने की अनुमति नहीं दे रही हूं। कृपया बैठिये। आप चर्चा में भाग लेने के लिए अपना नाम दे सकते हैं।

श्री वरकला राधाकृष्णन : मैं यह मुद्दा उठा रहा हूं कि गोपनीयता क्यों भंग की जाए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदया : मंत्री महोदय, यदि आप अपना भाषण समाप्त करने से पहले ही इस पर बहस चाहते हैं तो ठीक है। आप ऐसा कर सकते है। जब मंत्री जी उनकी बात मे सहमत है तो मैं इसमें क्या कर सकती हूं।

(व्यवधान)

श्री अरूण जेटली : महोदया, इस पर दो तरह के विचार व्यक्त किये गए। अत: इस मुद्दे पर पूर्ण सहमति नहीं थी और सरकार ने इस पर सदन में बहस कराना और मतदान कराना उचित समझा। जो विचार व्यक्त किये गए, उनमें से एक तो यह था कि जो लोग देश के दूरदराज के क्षेत्रों में कार्यरत हैं अपने संसदीय क्षेत्र से दूर होने के कारण क्या उन्हें उनके मतदान अधिकार से बिल्कुल ही वंचित कर दिया जाए क्योंकि हम उनके पास मतपत्र भेजने में असमर्थ हैं।

आज हम इलैक्ट्रानिक मत प्रणाली अपना रहे है। इलैक्ट्रानिक मत-प्रणाली के लिए साधारणतया व्यक्तिगत उपस्थिति आवश्यक है। कुछ अतिरिक्त डाक मतपत्र हो सकते हैं। इससे 1000-1500 किलोमीटर दूर रहने वालों का भाग्य नहीं बदलने वाला। संभार-व्यवस्था के कारण यह संभव भी नहीं हो सकता। यह सुनिश्चित करना कि जहां-जहां सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ. या सेना की कोई यूनिट तैनात हो वहां-वहां देश के प्रतयेक संसदीय क्षेत्र से संबंधित 540 मतपेटियां या मशीने उपलब्ध कराना संभव नहीं हो सकता। वे तो बहुत दूर-दराज के क्षेत्रों में सेवारत हो सकते हैं। यह स्थिति वास्तव में संभव नहीं भी हो सकती।

जैसा कि रक्षा मंत्रालय ने अभ्यावेदन किया था कि सशस्त्र बलों में भी इसके लिए काफी प्रतिवाद था, चुनाव आयोग ने भी इसकी जोरदार सिफारिश की थी। लेकिन जहां तक इस संदर्भ में राजनीतिक राय का संबंध है इसमें मतभेद थे। मैं नहीं समझता कि राजनीतिक तौर पर यह सुनिश्चित की इच्छा के संबंध में कोई मतभेद था कि जो लोग प्रभावी तरीके से मताधिकार का प्रयोग कर सकें उन्हें मताधिकार दिया जाए। लेकिन इसकी कार्यविधि के संबंध में दिए गए तर्कों में से एक तर्क यह है कि यदि परोक्ष मत प्रणाली अपना ली जाती है जिसके अंतर्गत नियमों में संशोधन किया जाता है और परिवार के प्राधिकृत सदस्य या संबंधी, जो कि नियमों के अनुसार नामनिर्देशित है, को मत देने की अनुमति दिये जाने से मत की गोपनीयता समाप्त होती है।

परोक्षी मत पद्धति के विरूद्ध उठायी गई आपत्तियों में से यह एक प्रमुख आपत्ति थी। एक ओर तो लोक हित को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें प्रभावी ढंग मे मत देने की अनुमति देते हैं लेकिन वर्तमान प्रणाली को चालू रखने की स्थिति में आप डाक विभाग को कितना कार्यकुशल बनाएंगे? संभार-तंत्र के कारण, काफी बड़ी संख्या में लोगों को उनके मताधिकार से वंचित किया जाएगा। दूसरी तरफ तर्क दिया जाता है कि यदि वे पत्नी या माता-पिता या बच्चे जैसे किसी संबंधी विशेष को अपने गृहनगर में मत देने के लिए प्राधिकृत करते हैं तो क्या इस प्रक्रिया में गोपनीयता समाप्त हो जाएगी?

अब सरकार की विचारित राय यह है कि उसे इन दो विकल्पों में से एक को चुनना है, उन्हें प्रभावकारी ढंग से मत देने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति अपने विकल्प के अनुसार डाक द्वारा मत डालने के विकल्प के रहते यदि संभारतंत्र के कारण डाक द्वारा प्रेषित मतपत्र को अप्रभावी मानकर कोई परोक्ष मतप्रणाली का विकल्प चुनना चाहता है तो उसे यह सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। मेरा विश्वास है कि इस सम्माननीय सदन के सामने यह विचारार्थ लाया जाएगा।

इस संबंध में एक मजबूत तर्क यह दिया जाता है कि मत की गोपनीयता का क्या होगा? क्या मत की गोपनीयता हमारी चुनाव प्रणाली का एक अन्तर्निहित भाग है? इसके कई उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए जब हम सदन में मतदान करते हैं तो कोई गोपनीयता नहीं रखी जाती। अब मैं इस प्रश्न को माननीय सदस्यों के विचारार्थ छोड़ता हूं।

इसके साथ ही यह मुद्दा न्यायपालिका के भी विचाराधीन लाया गया। क्या हमारे द्वारा प्रयुक्त चुनाव प्रणाली में गोपनीयता एक आवश्यक अंश है? श्री बराड़ को याद होगा कि पंजाब से राज्य सभा के लिए हुए चुनाव के संदर्भ में यह मुद्दा उठा था जहां इस संबंध में कुछ स्पष्ट विपणन हुआ था और कुछ मत दिखाये गए थे। अतएव इस आधार पर इस चुनाव को चुनौती दी गई थी कि गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ था।

मैं इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गए निर्णय में से एक पैरा पढ़ना चाहता हूं। इसमें कुछेक वाक्य हैं और मैं आशा करता हूं कि मेरे साथ माननीय सदस्य भी इसमें सहयोग करेंगे। मैं निर्णय में से उद्धृत करता हूं :

"खंड 94 की व्याख्या जो कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने से के संबंध में कहती है। मत की गोपनीयता का विचार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए की गई। यदि मत की गोपनीयता स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की बजाए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के सिद्धांतों की जड़ों पर आघात करती है तो लोकतंत्र की इस मूल पूर्वधारणा का उपयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के विरूद्ध होगा जो कि संसदीय लोकतंत्र का जीवनदायक है। यदि मत की गोपनीयता का प्रयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के बजाए इसके अधिनियमन के उद्देश्य के विरूद्ध, जैसा कि इस मामले में किया गया था, किसी गलत बात को प्रकाश में लाने से छिपाने, चुनाव प्रक्रिया में की गई धोखाधड़ी को संरक्षण देने या मतपत्रों की गड़बड़ी जैसे अपराध के संरक्षण के लिए किया जाता है तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के प्रमुख सिद्धांत के सामने मत की गोपनीयता के सिद्धांत को समर्पण करना ही होगा।"

इस मामले में हालात ऐसे नहीं हैं। इस मामले में चयन का मुद्दा और अधिक है। वे एक ऐसे मामले में निपटान कर रहे थे जहां गोपनीयता के सिद्धांत को इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि गोपनीयता का प्रयोग एक भ्रष्ट आचरण के लिए किया जा रहा था और उन्होंने कहा कि जहां गोपनीयता का उपयोग भ्रष्ट आचरण के लिए किया जाता है, वहां पारदर्शिता शायद कोई रोशनी दिखा सके। यहां हम मताधिकार के खतरे के मामले से निपट रहे हैं। या तो आपको ऐसा मताधिकार को प्राप्त हो जिसकी प्रभावकारी तरीके से वंचना की जा रही है या आपको वैकल्पिक रूप से ऐसा मताधिकार प्राप्त हो जहां कि आपको मत की गोपनीयता का अधिकार उस व्यक्ति के पक्ष में छोड़ना पड़ेगा जिस पर आपको भरोसा है और वह इसके लिए बनाए गए नियमों के अनुसार नामनिर्देशित व्यक्तियों में से एक हो। अत:एव सरकार की राय में इस मुद्दे को सदन द्वारा विचारार्थ लिया जाना चाहिए और ऐसे मामलों में डाक द्वारा मतपत्र भेजने का विकल्प उपलब्ध रहेगा लेकिन सशस्त्र बलों के उन कर्मचारियों, जो कि परोक्ष मत के सिद्धांत से मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं अपनी ओर से किसी व्यक्ति को प्राधिकृत कर सकते हैं। उनकी ओर से प्राधिकृत व्यक्ति कौन होंगे, इस संबंध में नियम बनाए जाएंगे और प्रभावी ढंग से यह अधिकार उनके लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

अत: इसके कारण धारा 59 में परिणामी संशोधन करने होंगे क्योंकि धारा 59 परोक्षी मतदान की मनाही करता है। अतएव यदि किसी अधिकार प्रदान करने वाले उपबंध का प्रावधान किया जाए तो धारा 59 परोक्षी मतदान की अनुमति देगा। तब इसी के अनुरूप धारा 60 और धारा 62 में संशोधन किए जाएंगे। भारतीय दंड संहिता की धारा 171(घ) पर भी इसका तद्नुसार प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इसके अंतर्गत छद्मवेष-धारण आदि एक अपराध है और इसमें इसके अनुरूप परिवर्तन करने होंगे। इस संशोधन के माध्यम से, दूरदराज क्षेत्रों में सेवारत सशस्त्र बलों के सदस्यों के लिए परोक्षी मतदान संबंधी सिद्धांत के आधार पर अनुवर्ती परिवर्तन के रूप में अधिकार प्रदान करने वाले उपबंध का प्रावधान किया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों से आग्रह करूंगा कि वे इस विधेयक को विचारार्थ चर्चा करके स्वीकार करके पारित करें।

सभापति महोदया : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और भारतीय दंड संहिता में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री प्रियरंजन दासमुंशी (रायगंज) : सभापति महोदया, मैंने माननीय विधि मंत्री, जो कि गुजरात में अपना कार्य पूरा करके फिर से यह पद संभाल चुके हैं, द्वारा दिये गए तर्क को सुना। कानून मंत्री जी द्वारा दिये गए तर्क सुनते हुए मुझे लगा कि वे अचानक शुरू की गयी प्रतिस्पर्द्धा में सार्वभौम मताधिकार के औचित्य के बिना, किसी विश्वविद्यालय स्तर की बहस में भाग ले रहे थे।

मैं देख रहा था कि इस विधेयक को कब पुर:स्थापित किया गया। यह श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गठित बारहवीं लोकसभा में पुर:स्थापित किया गया था और अब फिर से श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली तेरहवीं लोकसभा में हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। मैं 'परोक्षी' शब्द की प्रशंसा करता हूं जो कि बार-बार पहले दिन से इनके दिमाग में दोहराया जा रहा है क्योंकि यह सरकार स्वयं भी बजरंग दल और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का परोक्ष रूप है।

अपराह्न 4.11 बजे

[श्री पी.एच. पांडियन *पीठासीन हुए*]

हम किसी की सदस्यता पर प्रश्न नहीं उठाते। 1950 के अधिनियम के अनुसार सशस्त्र बलों और अन्य अर्धसैनिक बलों में कार्यरत हमारे भाई, बहन और मित्र महान लोग हैं जो हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं और राष्ट्र की संप्रभुता की रक्षा करते हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं और जब भी हमें कोई अवसर मिलेगा, हम उनका अभिवादन

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

करते रहेंगे। इस सदन में हममें से कोई भी यह नहीं चाहेगा कि उन्हें किसी भी अधिकार से वंचित किया जाए या उन्हें अवसर उन्हें उपलब्ध न कराये जाएं। इसके विपरीत, यह संसद उनकी और अधिक स्पष्ट रूप से निर्वाचन प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत रहेगी। इसीलिए हम सब इस सदन के दोनों ओर बैठे हैं। मैं प्रारम्भ में ही, अपने दल की ओर से इस भावना को स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देना चाहता हूं। हम दूरदराज क्षेत्रों में सेवारत सशस्त्र बलों और अन्य बलों जैसे आई.टी.बी.पी., सी.आर.पी.एफ., बी.एस.एफ., तटरक्षक, नौसेना, वायुसेना की समस्याओं को समझते हैं। हम भी यह समझते हैं कि साल-दर-साल उन्हें यह महसूस न हो कि देश में चुनाव संबंधी महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय उनके विचारों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा है।

यदि एक दिन में बात नहीं बनती है और यदि आवश्यक समझा जाता है तो आइये हम एक महीने तक साथ बैठकर इसका हल निकालते हैं वे लोग अपनी इच्छा के अनुसार चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकें इसके लिए हमें सभी उपायों पर विचार करना चाहिए। दुर्भाग्य से, उन्हें जब भी सुविधाजनक लगता है, यह सरकार विभिन्न समितियों की सिफारिशों सहित पैराओं को उद्घृत करने लग जाती है, चाहे यह श्री एस.बी. चव्हाण के नेतृत्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संबंधित समिति हो, यदि यह श्री मुरली मनोहर जोशी के पक्ष का समर्थन करती है; या फिर श्री प्रणव मुखर्जी के नेतृत्व में गृह मामले से संबंधित समिति हो, यदि विधि मंत्री श्री अरूण जेटली द्वारा इस की कुछ सिफारिशों पर अच्छे ढंग से तर्क प्रस्तुत किये जा सकते हैं। परन्तु यदि यह श्री मुलायम सिंह यादव की अध्यक्षता वाली पेट्रोलियम संबंधी समिति हो और यदि सिफारिशें श्री अरूण शौरी के अनुरूप नहीं है तो अंतिम राय से सभा को अवगत नहीं कराया जाता। इस मामले पर संसदीय समिति की अंतिम राय क्या है?

समिति की अंतिम राय यह है कि विधेयक के इस विषय पर समिति के नितांत विरोधी विचार होने के कारण समिति का यह सुविचारित मत है कि सरकार को बड़े राजनीतिक दलों के साथ बड़े स्तर पर इस मुद्दे को उठना चाहिए और इस पर सर्वसम्मति की संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए। समिति का यही निदेश है और यही सिफारिश है।

यदि मुझे अच्छी तरह याद है तो माननीय प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बार-बार, सभा के अंदर और बाहर यह कहा है कि किसी भी बड़े मुद्दे पर अथवा प्रकृति से संबंधित मुद्दे पर जहां राष्ट्र को अपनी प्राथमिकता व्यक्त करनी चाहिए। यदि इस पर कोई दो राय है, तो हमें इस पर सर्वसम्मति बनाने का प्रयास करना चाहिए। सरकार के सत्ता में आने के दिन से ही यह उस प्रधान मंत्री द्वारा दावा किया गया था जिसकी सरकार में श्री अरुण जेटली एक कैबिनेट मंत्री हैं।

समिति ने पाया है कि महत्वपूर्ण विषय पर दो विरोधी राय हैं। एक की राय है कि ऐसा नहीं होना चाहिए और दूसरे की राय है ऐसा होना चाहिए। मैं समिति के प्रतिवेदन में से उद्घृत करता हूं। पृष्ठ 5 पर पैरा 16.2 में यह दिया गया है। मैं सोचता हूं विधि मंत्री ने इसे छोड़ दिया है। इसमें कहा गया है :

> "दूसरे वर्ग के सदस्य यह महसूस करते हैं कि परोक्षी मत पद्धति का शुभारम्भ हमारे देश में ऐतिहासिक रूप से विकसित मतदान प्रक्रिया के सम्पूर्ण विचार के विरुद्ध, सज्जित करेगी, जिसका आधार होगा गुप्त मतदान।

अंतिम पैराग्राफ में कहा गया है :

> "उन्होंने यह सुझाव भी दिया है कि संसद में विधेयक रखने से पहले सरकार को आम सहमति के लिए एक सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए।

इसलिए, आपके लिए क्या यह उपयुक्त नहीं होता कि आज इस विधेयक को यहां लाने से पहले, यह सोचा होता कि यह सत्र 17 फरवरी से शुरू हो रहा था, कि आपने सर्वदलीय बैठक हेतु एक तिथि निर्धारित की होती और राजनीतिक दलों से बात कर उनका मन्तव्य भी समझा होता। इसमें कोई आफत तो नहीं आ जाती। निकट भविष्य में कोई चुनाव होने वाले नहीं हैं, कम से कम लोक सभा के। हम भी इसमें योगदान कर सकते थे। हम एक बार फिर इस पर विचार कर सकते थे। रक्षा मंत्री ने समिति के समक्ष जो बातें कहीं मैं उनकी सराहना करता हूं। उन्होंने समिति के समक्ष जो वक्तव्य दिया था मुझे उससे पूरी सहानुभूति है। मैं यहां उस वक्तव्य को पढ़कर सभा का समय बर्बाद नहीं करना चाहता। हमें सियाचीन में तैनात सशस्त्र बलों के बारे में सोचना चाहिए। हमें उनके बारे में सोचना चाहिए जो नाथू ला की चोटी पर तैनात है। वे भी सोचते हैं कि हमें देश की चुनाव प्रक्रिया में स्वयं क्यों नहीं शामिल होना चाहिए और वे जानते हैं कि हमारे चुनाव क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीतेगी या कौन-सा उम्मीदवार जीतेगा। वे भी ऐसा महसूस कर सकते हैं।

क्या संसद का यह दायित्व नहीं है कि वह ऐसे उपायों और साधनों को इस आधुनिक भारत में सुनिश्चित करें जहां सूचना प्रौद्योगिकी अपने चरम पर है, कि मतदान उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा उपाय क्या होगा। हम ऐसा कर सकते हैं। यह जरूरी

नहीं है कि हम जो कहें वहीं अंतिम हो। अन्ततोगत्वा, वर्तमान सरकार को ही इस पर विचार करना होगा। आप का केवल एक ही तर्क है कि 21 दिन की अवधि को घटाकर 14 दिन कर दिया गया है। समिति के समक्ष, डाक विभाग ने बताया कि 60 प्रतिशत डाक वापस आ गयी थी लेकिन निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि और दूसरे लोगों ने यही बताया होगा कि यह 15 से 20 प्रतिशत ही वापस हुई। हो सकता है ऐसा हो। मैं इस मुद्दे पर बहस नहीं करना चाहता। लेकिन पहले सभा को यह बात समझायी जाये कि प्रत्येक वोट, प्रत्येक वयस्क का मत, प्रत्येक व्यक्ति को मत देने के अधिकार का क्या हस्तांतरण हो सकता है या नहीं। क्या मतदान को गोपनीय रखने और अपने आप मत देने या निर्णय लेने की जो मूल भावना हैं, क्या उसे पुत्र, पुत्री, भाई, पत्नी अथवा किसी अन्य को हस्तांतरित किया जा सकता है। क्या मतदान के बारे में, भारतीय लोकतंत्र की अवधारणा में यही बात छिपी हुई है? मैं कोई सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं न ही कोई उपदेश या सलाह दे रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 14 अर्थात् विधि के समक्ष समानता की व्याख्या किस ढंग से की जानी चाहिए। जब लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अंतर्गत इस विषय पर विचार किया जा रहा था तब ही मैं इस बात को समझ गया था कि विशिष्ट श्रेणी के लोगों के लिए एक विशेष प्रावधान किया जा रहा है। जिस तरह से इस देश को चलाया जा रहा है, जिस तरह से समाज को बांटने का काम किया जा रहा है, मैं यह नहीं कहता कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है, हो सकता है इसके लिए मैं जिम्मेदार होऊं या आप जिम्मेदार हों और जिस तरह से इस देश में भावनाएं भड़काई जा रही हैं, यदि कल को बिहार या पश्चिमी बंगाल या उत्तर प्रदेश या दिल्ली या राजस्थान में किसी जिले का कोई विशेष समुदाय यह कहता है कि पिछले पांच चुनावों से इसे चुनाव वाले दिन चुनाव केन्द्र पर नहीं जाने दिया गया है और यदि वे कहने लग जायें कि अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समानता के अंतर्गत, सियाचीन में तैनात सशस्त्र बलों को जो अधिकार दिया गया है, और चूंकि मेरी दशा उनसे भी ज्यादा खराब है, मुझे भी परोक्ष अधिकार दिया जाना चाहिए ताकि दूसरे जिलों में हमारे मित्रगण हमारी ओर से मतदान कर सकें, तो आप इनके इस तर्क पर कैसे सवाल करेंगे? हो सकता है आपका जवाब हो कि कानून व्यवस्था बनाये रखना राज्य सरकार का विषय है और यह राज्य सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी गांव का कोई विशेष दलित या किसी गांव का कोई विशेष मुसलमान या किसी गांव का कोई पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति अथवा किसी गांव का कोई ब्राह्मण चुनाव केन्द्र में जाकर मतदान करने का अधिकार पाता है या नहीं। हो सकता है आपका यही जवाब हो।

लेकिन, क्या यह भी कोई अन्तर है? इसका उत्तर असुविधा, सामाजिक उत्पीड़न सांप्रदायिक हमलों आदि बातों को ध्यान में रखकर दिया जाना चाहिए। इसके लिए मतदाता विधि के समक्ष समानता का दावा कर सकता है। उदाहरण के लिए, कुछ विशेष कारणों से परोक्ष मतदान के लिए एक विशेष प्रावधान किया गया है। आप कह सकते हैं कि मेरे संबंधी दूसरे राज्य या गांव में रहते हैं। मैं मतदान केन्द्र पर नहीं जा सकता तो क्या वे मेरी ओर से मतदान कर सकते हैं। आप इस तर्क का क्या जवाब देंगे। इसलिए, इस विषय में विस्तार से जाने से पहले मैं आपसे अपील करता हूं। सरकार से मेरी यही अपील है कि जहां तक किसी महत्वपूर्ण मुद्दें पर सभा द्वारा सहयोग का प्रश्न है, तो सरकार से सहयोग न करने का कोई सवाल ही नहीं। सरकार ने जब भी किसी महत्वपूर्ण विषय पर कोई विधेयक पेश किया है, सभा ने अब तक उसे सहयोग ही दिया है। सरकार इस पर कुछ संशोधन कर सकती थी। वह एक अलग मामला है। मेरी माननीय विधि मंत्री से पहली अपील यह है कि मंत्री जी आज आप सब कुछ हैं। आप इस विधेयक को पारित कराये जाने पर बल न दें। मेरा आप से अनुरोध है कि सर्वदलीय बैठक बुलाये जाने के बारे में आप माननीय प्रधानमंत्री जी की राय जान लें। कृपया जितना हो सके उतना इस मुद्दे पर प्रत्येक राजनीतिक दल का दृष्टिकोण समझ लें। जितना संभव हो सके उन दलों के विचारों को भी इसमें शामिल करें और फिर विधेयक का नया प्रारूप प्रस्तुत करें। आप इसमें यह बहुत ही खतरनाक उपबंध कर रहे हैं। परोक्ष मतदान का क्या तात्पर्य है? यह संबद्ध व्यक्ति को संतुष्ट करने के लिए नहीं है। भारतीय दंड संहिता की धारा 171 क्या कहती है। यह निर्वाचन अधिकारों के बारे में है। मैं उद्धृत करता हूं :

> "171क (ख) 'निर्वाचन अधिकार' से किसी निर्वाचन में अभ्यर्थी के रूप में खड़े होने या खड़े न होने या अभ्यर्थन से अपना नाम वापस लेने या मत देने दे या मत देने से विरत रहने का किसी व्यक्ति का अधिकार अभिप्रेत है।"

किसी व्यक्ति का मतदान अधिकार किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरणीय नहीं है। हो सकता है मैं सियाचीन में होऊं। जब श्री अरुण जेटली गुजरात से चुनाव लड़ें तो हो सकता है मेरा मन उनका समर्थन करने का हो। या, हो सकता है मैं श्री त्रिपाठी का समर्थन करूं। मैं इसके लिए अपनी पत्नी को अधिकृत कर दूं। लेकिन हो सकता है मैं जिसे समर्थन करना चाहूं मेरी पत्नी उसे समर्थन न करना चाहे। हो सकता है इस बारे में मेरे पुत्र का विचार भी मुझसे भिन्न हो। तो वे मेरी इच्छा के अनुरूप कैसे कार्य करेंगे? वे मेरी इच्छा की व्याख्या कैसे करेंगे? इसलिए, यह केवल शक्ति प्रदान करने की बात नहीं है। प्रश्न यह नहीं है कि मेरे लिए यह कहना सुविधाजनक है कि चूंकि मेरा पुत्र मतदान कर रहा है इसलिए मैं ही उसमें शामिल हूं। इस तरह तो, अनुच्छेद 326 के अनुसार गोपनीयता और वयस्क मतदान की जो

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

संवैधानिक शुचिता है, और उसका जो उद्देश्य है, वही निष्फल हो जाता है। इसलिए, यह एक राजनीतिक लड़ाई मात्र नहीं है। यह एक ऐसा मुद्दा मात्र नहीं है जिसपर मैं श्री अरुण जेटली, भाजपा, कांग्रेस और सीपीएम के बीच वाद-विवाद भर होकर रह जाये। अपितु यह एक ऐसा मामला है जिस पर यदि हम सहभागियों की अधिकतम संख्या निश्चित करना चाहते हैं तो हमें एक अच्छा तंत्र विकसित करना होगा। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं कि कुल कितने लोग मतदान करते हैं। मैं लोगों के अधिकतम संख्या में भाग लेने की बात कर रहा हूं। मैं देश के विभिन्न भागों में रह रहे शुभेच्छु और देशभक्त सशस्त्र बलों की भागीदारी की बात कर रहा हूं। उनके लिए हम अब भी एक उपाय खोज सकते है और तंत्र विकसित कर सकते है। इस बात को कहने का कोई अर्थ नहीं कि आज चुनाव हो रहे हैं, इसलिए परसों मतगणना शुरू हो जानी चाहिए। मंत्री महोदय आप कह सकते हैं कि चुनाव के एक हफ्ते बाद भी मतगणना की जा सकती है। तो हमें इन सभी बातों पर विचार करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो कोई आफत नहीं आ जायेगी। आप इस तरह की योजना बना सकते हैं। आप विरोधी दलों के विचारों को भी इसमें स्थान दे सकते हैं। आप इसी तर्क को क्यों दिये जा रहे हैं कि चुनाव अभियान की अवधि 21 दिनों से घटाकर 14 दिन कर दी गयी है इसलिए डाक द्वारा भेजे गये मत पत्र समय से प्राप्त नहीं होंगे? यह कोई समाधान नहीं है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। यह कोई समाधान नहीं है।

मंत्री महोदय, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं किसी की विश्वसनीयता पर सवाल नहीं खड़े कर रहा हूं। मैं आपको एक बात पूरी ईमानदारी से बता देना चाहता हूं। श्री जेटली, आप कानून मंत्री हैं। आपने उच्चतम न्यायालय में कई मामलों में पैरवी की है। द्वितीय लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल ये सभी कैंटोनमेंट के कमांडिग आफिसर होते हैं। किसी कैंटोनमेंट में मेजर के पद से नियुक्ति होती है। एक वरिष्ठ अधिकारी अपनी योजना, चयन तथा विकल्प के बारे में डाक द्वारा भेजे गये मतदान पत्र के माध्यम से निर्णय ले सकता है। परोक्षी मतदान के मामले में वह मतदान कर सकता है। लेकिन मुझे उस जवान की स्थिति के बारे में बताइये जो असहाय है। वह अपनी तैनाती के दौरान अपने अधिकारी के आदेशों पर निर्भर होगा। इसलिए, कृपया वास्तविकता समझने की कोशिश करें। सीमा सुरक्षा बल अथवा किसी अन्य बल के जवान कमांडिग आफिसर के तहत कार्य करते हैं। वे यह नहीं कह सकते कि उनका विकल्प यह है। कमांडिग आफिसर जो आदेश देगा उन्हें वह करना पड़ेगा। वास्तविकता यही है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप इसके परिणामों को समझने की कोशिश करें। यह कोई अंतिम निर्णय नहीं है कि आज मतदान हो गया है तो परसों से मतगणना शुरू हो जायेगी। यदि आप चाहते हैं कि इसमें दूर-दराज के क्षेत्रों को शामिल किया जाये तो पहले आप ऐसे क्षेत्रों की पहचान करें।

मैं दिल्ली, मेरठ, नाथू ला, सियाचीन अथवा पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी दूर-दराज क्षेत्र के कैंटोनमेंट की बात नहीं कर रहा हूं। ये लोग चुनावी प्रक्रिया में भाग लें सकें इसके लिए हम दूसरे बहुत उपायों के बारे में सोच सकते हैं। रक्षा बलों—चाहे वह सेना, हो, नौसेना हो या वायु सेना हो, में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के पास उसकी पे बुक और पहचान पत्र रहता है।

इसी तरह उनके पास निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची संख्या तथा थल सेना द्वारा तैयार किया गया इस बारे में पहचान पत्र होना चाहिए कि यह सैनिक देश के विशेष निर्वाचन क्षेत्र से है। जब बटालियन सैनिक कार्यवाही में लिप्त हो और चुनाव की घोषणा होती है तो बटालियन के जनसंपर्क कक्ष का पहला कार्य इस बात का पता लगाना होना चाहिए कि इस बटालियन के कितने व्यक्ति सामरिक क्षेत्र विशेष में तैनात है और निर्वाचन प्रक्रिया में उनकी भागीदारी के लिए क्या तंत्र बनाया जाना चाहिए। यदि कमांडिग आफिसर निर्वाचन अधिकारी से बातचीत करना चाहते है और उसका मतपत्र सीधा 56 ए.पी.ओ. अथवा सेना मुख्यालय में भेजने की बजाय निर्वाचन क्षेत्र में भेजना चाहे तो वह ऐसा कर सकता है। इस तरह हम आगे और विकेन्द्रीयकरण के तरीकों का पता लगा सकते हैं। लेकिन यदि सरकार 14 दिन के अभियान के तर्क को ध्यान में रखते हुए परोक्षी मतदान शुरू करना चाहती है और डाक द्वारा मतदान पद्धति ठीक से कार्य नहीं कर रही है तो यह सही नहीं है।

महोदय, मैं मंत्री महोदय से सहमत हूं कि डाक द्वारा मतदान पद्धति भी सही नहीं है क्योंकि हम सभी लोक सभा के चुनाव लड़ते हैं और हम जानते हैं कि डाक द्वारा मतदान का क्या होता है। अधिकतर यह मतदान बहुत विलंब से पहुंचता है और अनेक बार उन्हें समय से भेजने का समय भी नहीं मिलता। लेकिन पिछले पांच आम चुनावों में हमारे देश में मतदान की औसत प्रतिशतता क्या रही है? यह 58 प्रतिशत से अधिक नहीं रही है। मैं देश के निर्वाचन प्रक्रिया में लोकप्रिय भागीदारी के बारे में कह रहा हूं। मैं 58 प्रतिशत मतदान से प्रसन्न नहीं हूं। वस्तुतः, मैं चाहता हूं कि अधिकाधिक लोग मतदान केन्द्रों में आए और अपने मताधिकार का प्रयोग करे ताकि हमारे देश में मतदान प्रतिशतता बढ़ सके। यदि हम इस वर्ष के चुनाव देखते हैं तो इसमें और गिरावट आ सकती है लेकिन हमारे देश में मतदान प्रतिशत कभी भी 60 प्रतिशत तक भी नहीं रहा।

अत:, सशस्त्र बलों के कार्मिक निर्वाचन प्रक्रिया में हमारी तरह उचित रूप से शामिल होना चाहते हैं तो संसद और सरकार का यह कर्त्तव्य है कि नवीनतम संभव तंत्र का पता लगाए ताकि वे निर्वाचन प्रक्रिया में वास्तव में अपनी राय व्यक्त कर सके। यदि वह जानता है कि अमुक दल का अमुक व्यक्ति चुनाव लड़ रहा है तो उसे अपनी पंसद के अनुसार अपने मताधिकार का प्रयोग करने देना चाहिए। वह यह कह नहीं सकता है कि वह उसके स्थान में उसके घर की देखभाल करने वाली पत्नी अथवा भाई को परोक्ष मतदान करने के लिए चुन रहा है। जैसाकि हम सभी जानते है कि परोक्ष मतदान का अर्थ लोकप्रिय अवधारणा के आधार पर सदैव फर्जी मतदान होता है। इसलिए हम सशस्त्र बल कार्मिकों को परोक्ष मतदान प्रणाली, जो एक कलंक है। क्यों दें? यदि सरकार उनका सम्मान करना तथा उनके अधिकार की रक्षा करना चाहती है तो सरकार को ऐसा कोई तरीका ढूंढना चाहिए जिसके द्वारा वे जिस तरह से चाहें अपने विचार व्यक्त कर सके। इसलिए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 59 में कहा गया है कि, 'गोपनीय मतदान' का अर्थ 'परोक्षी के माध्यम से मतदान' नहीं है। लेकिन सरकार इसे बदलने के कोशिश कर रही है। क्या यह उचित है?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा (कनारा) : माननीय सभापति महोदय, विदेश में दूतावासों में कार्यरत भारतीय कर्मचारियों का क्या हुआ? क्या उन्हें भी परोक्ष मतदान का अधिकार है? केवल सशस्त्र बलों को यह अधिकार क्यों हो? विदेशी दूतावासों में हमारे सैंकड़ों अधिकारी और कर्मचारी कार्यरत है? वे किस तरह मतदान करेंगे?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 59 में कहा गया है :

> "ऐसे हर निर्वाचन में, जिसमें मतदान होता है, मतपत्र द्वारा ऐसी रीति में दिए जाएंगे जैसी विहित की जाए और कोई मत परोक्षी के माध्यम से न लिए जाएंगे।"

यह उपबंध बहुत स्पष्ट है। अत:, मैंने इस वाद-विवाद में अपना तर्क औचित्यपूर्ण ठहराने के लिए उद्धाहरण नहीं दिया है अपितु मैं ईमानदारी से अपना दृष्टिकोण रखना चाहता था। यदि मुझे एक अन्य मामले का उद्धाहरण देने की अनुमति दी जाए तो मैं बताना चाहता हूं कि राज्य विशेष में एक समुदाय विशेष को प्रत्येक चुनाव में मतदान केन्द्र में जाने तथा मताधिकार का उपयोग करने से वंचित रखा जाता है। वे महसूस करते हैं कि यदि वे सेना में होते तथा सियाचिन जैसे किसी दूरस्थ क्षेत्र अथवा किसी अन्य क्षेत्र में तैनात होते तो वे अपने परोक्ष मतदान का प्रयोग कर पाते। लेकिन चूंकि वे सशस्त्र बल में नहीं है इसलिए अन्य समुदाय उन्हें प्रताड़ित करते हैं तथा उनका दमन करते हैं और राज्य उन्हें कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करता है तथा उन्हें परोक्ष मतदान करने का कोई अधिकार नहीं है। क्या यह कानून के समक्ष समानता है? क्या यह चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता है? क्या यह निष्पक्षता है? आप प्रणाली के बारे में विचार करें, समूह के बारे में नहीं। पूरी संसद की सशस्त्र बलों के प्रति भावनाएं हैं। लेकिन आप उन पर कलंक क्यों लगाते हैं, "यदि आप मतदान नहीं कर कर सकते तो आप जिसे चाहे उसका चयन कर सकते हैं। अमुक व्यक्ति आपके स्थान पर मतदान कर सकता है।" नहीं, यह नहीं हो सकता।

सशस्त्र बलों ने विचार व्यक्त किया कि वे अन्यत्र खतरनाक कार्य के लिए तैनात होने के कारण चुनाव में भाग नहीं ले सके। जब कभी उन्होंने डाक द्वारा मतदान किया, वह समय पर नहीं पहुंचा। वे सही कहते हैं। अब हम इलैक्ट्रॉनिक मतदान मशीनों के बारे में पता लगाएं। रक्षा सचिव ने स्वयं स्थायी समिति के समक्ष बताया है कि, "इलैक्ट्रानिक मतदान मशीन के बारे मैं भी मुझे डर है कि वहां गोपनीयता में गड़बड़ होगी और सभी को मालूम हो जाएगा।" उनका भी यह विचार है कि इलैक्ट्रानिक मतदान मशीनों का उपयोग करते समय गोपनीयता सुनिश्चित नहीं होगी। उन्होंने परोक्ष मतदान की सिफारिश नहीं की थी। मुझे यह कहते हुए खेद है। उन्होंने स्थायी समिति की बैठक में कहा कि "ये हमारे लिए खतरा है। यदि आप विधेयक के बारे में अंतिम राय कायम करते हैं तो कृपया हमारी समस्याओं को समझे।" समिति ने अंत में कहा, "इसलिए, अलग-अलग विचार व्यक्त करने की बजाय सभी दलों में सर्वसम्मति बनाने हेतु उन्हें विश्वास में लिया जाए।" हम किस तरह से अधिक संख्या में मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उन्हें शामिल कर सकते हैं? समिति की रिपोर्ट में कहा गया है: "दो विचारों को समान रूप से विभाजित करके प्रस्तुत किया गया है।" समिति ने अनेक महत्वपूर्ण लोगों के साथ इस पर चर्चा की। यदि समिति की रिपोर्ट का प्रत्येक पृष्ठ पढ़ा जाए तो उनका अंतिम विचार यह है। 'सर्वसम्मति' एक बात है। इस बात पर सर्वसम्मति है कि सशस्त्र बलों को अपने अधिकार का प्रयोग सुनिश्चित करना चाहिए। यह सर्वसम्मति है। सर्वसम्मति 'परोक्ष' अथवा 'उन्हें अधिकार से वंचित करना' नहीं है। यह ऐसा नहीं है।

श्री जेटली यदि आपकी यह भावना है तो अभी भी समय है। मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से आपसे अनुरोध करता हूं कि आप आज विधेयक पारित करने का आग्रह न करें। आप बैठक बुलाएं... *(व्यवधान)* हम आपके साथ हैं। आप हमारी राय लीजिए ओर विशेषज्ञता हासिल कर लीजिए। तब आप पुन: विचार करके हमें बता सकते हैं। ऐसा नहीं कि आकाश टूट पड़ेगा अथवा कल कुछ हो जाएगा।

इस संसद में प्रत्येक दल यह देखने का इच्छुक है कि संविधान के अनुच्छेद 14 के उपबंध, संविधान के अनुच्छेद 326 के उपबंध तथा

[श्री प्रियरंजन दासमुंशी]

मतदान की गोपनीयता के प्रावधानों में फेर बदल किए बिना विशिष्ट श्रेणी के लोगों की भांति विशिष्ट श्रेणी के प्रबंध करने के उपरांत हमारे सशस्त्र बल चुनाव प्रक्रिया में सम्मिलित हों। मतदान की गोपनीयता भारतीय लोकतंत्र का मूल आधार है। मान लीजिए मैं अपना अधिकार अपनी पत्नी को हस्तातंरित करके उन्हें मेरी तरफ से मतदान करने के लिए कहता हूं। इससे गोपनीयता प्रभावित होगी जो कि महत्वपूर्ण है। आप कह सकते है कि पत्नी अगर जाएगी तो गोपनीयता बनी रहेगी। यह समझा जा सकता है। लेकिन जिस तरह से मैं चाहता हूं उस तरह मतदान कैसे हो पाएगा?

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : इसका मतलब यह हुआ कि आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं समझता हूं कि जो यह मानते है कि उनकी पत्नियों को आज्ञाकारी होना चाहिए वे अपनी पत्नियों का सम्मान नही करतें। उनके अपने स्वतंत्र विचार होने चाहिये...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : आपको भी मौका मिलेगा।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं इस पर प्रश्न उठना नहीं चाहता। मै सिर्फ यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि मैं अपनी पत्नी को अपने अधीनस्थ नहीं समझता। मै उनका सम्मान करता हूं और सोचने के अधिकार में उन्हें अपने बराबर समझता हूं।

सभापति महोदय : सामान्य बराबरी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : सशस्त्र बलों से सेवानिवृत लोगों और राजनीति में सक्रिय यहां बैठे लोगों में यही अन्तर है। दुर्भाग्य से हर चीज पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। सेना पर नियंत्रण हो सकता है। पत्नियां नियंत्रण पसन्द नहीं करती।

श्री अरुण जेटली : इसका मतलब है कि आप गोपनीय बातें नहीं करते।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : हम आपस में वे गोपनीय बातें करते हैं जो परिवार के लिए अच्छी होती हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी (खम्माम) : महोदय, मैं इनकी पत्नी से मिलना चाहती हूं। मैं सेना के अधिकारी की बेटी हूं, मैं उन्हें देखना चाहती हूं ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, इसीलिए हमारे दल ने प्रारम्भ में ही, विधेयक को पुर:स्थापित करते समय इस पर आपत्ति की थी और सरकार से इस विषय में बातचीत भी की थी। अब स्थायी समिति के निष्कर्ष भी आ चुके हैं। मै विधि मंत्री से आग्रह करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने में जल्दबाजी न करें। पिछले सत्र में हमने रिकार्ड विधेयक पारित किए है लेकिन जहां तक इस विधेयक का संबंध है मैं प्रार्थना करूंगा कि भविष्य के लिए ऐसी स्थिति न बनाए, जिसका लाभ दूसरे लोग उठायें। अतएव मै प्राथना करता हूं कि वे कुछ समय तक प्रतीक्षा करे; माननीय मंत्रीजी इस पर अपने विचार रख सकते हैं। मै समझता हूं कि सर्वदलीय बैठक में वे इस विषय पर और विचारों से अवगत होंगे, अत: इस विधेयक को और समय दिया जाए। सत्र के अंत में वे पुन: कुछ और संयोजकों या संशोधनों या परिशिष्टों के साथ इस विधेयक को ला सकते है और तब हम सहयोग करने का प्रयास करेंगे।

अपनी बात समाप्त करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि हमारा दल स्पष्ट रूप से इस पक्ष में है कि अब समय आ गया है जबकि न केवल सशस्त्र बलों बल्कि प्रत्येक व्यक्ति जो कही और कार्यरत है और जिसके पास मतदान करने के लिए उचित संचार व्यवस्था उपलब्ध नही है, उसे इसका इस प्रकार अवसर दिया जाना चाहिए कि उसके द्वारा अपने वैयक्तिक अधिकारों को हस्तांतरित किये बिना पारदर्शिता और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, मै जानना चाहता हूं कि क्या माननीय विधि मंत्री जी श्री दासमुंशी की राय से सहमत हैं ...*(व्यवधान)* मै जानना चाहता हूं कि क्या जो कुछ श्री दासमुंशी ने कहा है वे उसका जवाब दे रहे हैं। वे अभी भी उस विधेयक को पारित करने पर दबाव डाल रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने माननीय सदस्य से बोलने के लिए कहा है।

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 में और संशोधन किये जाने के लिए लाए गए निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैने अपने माननीय मित्र श्री दासमुंशी को ध्यानपूर्वक सुना है और सैनिकों को मतदान का अधिकार देने परन्तु परोक्षी मतदान का अधिकार न देने के लिए काफी मीठी-मीठी बातें कही गयी हैं। लेकिन यह एक कड़वा सच है और हमें इसका सामना करना चाहिये कि वे उन्हें मतदान की सुविधा देने का विरोध कर रहे हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : बिल्कुल नही...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : जी हां, जोर से बोलने से इसमें अन्तर नहीं आएगा...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, वे इसमें राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं। *(व्यवधान)* मै चाहता हूं कि सशस्त्र बलों के नाम पर ऐसी बातें नहीं कही जानी चाहिए। *(व्यवधान)*

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : महोदय, ये इनका सिद्धान्तों का उल्लघन करने का तरीका है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है ...*(व्यवधान)* उन्हें अपने विचार रखने दीजिए, लेकिन इसका राजनीतिकरण नहीं कीजिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : महोदय, मैं उन्हें संतुष्ट कर दूंगा। आज वे सशस्त्र बलों को बड़े पैमाने पर मतदान की सुविधा प्रदान करने का विरोध कर रहे हैं।

श्रीमती रेणूका चौधरी : पहले सशस्त्र बलों को बेहतर राशन दिया जाना चाहिये उसके बाद मतदान किस प्रकार किया जाए इसकी बात की जानी चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : जी हां।

इसका एक उचित कारण है। यह विधेयक उन कुछेक विधेयको में से है जो भारतीय नौकर शाही के 50 वर्षों के अनुभव डाक विभाग के कार्यों सैन्य कार्मिकों के कार्यो और निर्वाचन आयोग के कार्यो के बाद सामने आया है। हम इसके बारे में बात करते रह सकते हैं लेकिन वस्तुत: ऐसा अनुभव किया जा रहा है, कि कार्मिक सेवा को कि इस विधेयक की बहुत अधिक आवश्यकता है। उन्होंने इसकी मांग की थी। या तो यह सभा यह दृष्टिकोण अपनाये कि वे लोग उसी श्रेणी में है, जिन लोगों को जैसा कि श्री दसामुंशी ने कहा है, चुनाव केन्द्रों तक जाने से वंचित रखा गया है अथवा इसका तात्पर्य यह है कि वे इस देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, क्योंकि उन बाध्यताओं के चलते वे मत देने में समर्थ नहीं रहे हैं। हमें इस बारे में स्पष्ट होना चाहिए। यह एक बहुत ही दु:खद सच हमारे सामने आ रहा है और हम इसका राजनीतिकरण नहीं कर रहे है। हर कोई इस बात से सहमत है कि उन्हें बंकरों से मतदान की सुविधा दी जानी चाहिए।

हर कोई इस बात से सहमत है कि वे हमारे समाज के सर्वाधिक अनुशासित लोगों में से एक हैं और वे इस बात का पूरी तरह पालन करेंगे कि यथा आवश्यक पारदर्शिता अथवा गोपनीयता में रूकावट आये बिना वे अपने मतदान को किस तरह सुगम बनायें। यदि आप सैनिकों को यह विशेष दर्जा देने के लिए तैयार नही है, तो आप इस बात को खुलकर कहें। यह बताया जाना चाहिए कि वे अलग नही हैं और यह कि हम केवल दूरियों तथा प्रक्रियागत समस्याओं की बात कर रहे हैं। यह केवल कहने भर की बात नहीं है अपितु इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। यह उन सैनिकों के लिए आवश्यक है जिन्होंने अपने सेना प्रमुख के माध्यम से इसकी मांग उठायी है। इस विषय पर समिति में बड़े विस्तार से चर्चा हुई है। यह सच है कि चर्चा के दौरान दो मत उभर कर सामने आये, लेकिन यह मत कहो कि हम इसका राजनीतिकरण कर रहे हैं। हम सैनिकों की वास्तविक आवश्यकता पर प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। अभी, तो हमने डाक विभाग से कहा है। उन्होंने एक आंकड़ा दिया और यह कह कर बात समाप्त की कि 60 प्रतिशत मतदान हुआ। मैं आपके आंकड़े को उद्घृत करता हूं।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कुल 5,60,000 वोट डाले गये। मैं उस क्षेत्र का लेफ्टिनेंट जनरल हूं। यहां केवल 49 डाक बैलेट ही पहुंचे। आप इसकी जांच कर सकते है। आंकडे ये हैं। मैं नहीं जानता कि आपने इस बात को समझा है। संभवत श्री बरार ने समझा हो क्योंकि वह उस स्थान के अधिक निकट है। केवल 49 बोट डाले गये। यदि कोई यह सोच रहा है कि यह संशोधन करके कोई बड़ा अंतर आ जायेगा, तो यह उसकी भूल है। सैन्य कर्मी जिस की आवश्यकता महसूस कर रहे है कि यह सभा उनकी समस्याओं के प्रति जागरूक है और यह कि सभा उन्हें एक विशेष दर्जा देती है और यह अनुभव करती है कि यदि सैनिकों को यह दर्जा दिया जाता है तो वे इसका दुरूपयोग नही करेंगे, तो यह एक बड़ा अंतर लायेगा। यदि यह सभा यही महसूस करती है तो आइए हम यही संदेश दें। यदि सभा ऐसा महसूस नहीं करती है तो हम इन संशोधनों पर जितना चाहें वाद-विवाद करते जायें।

वस्तुत:, जहां तक मतों के हस्तांतरण का प्रश्न है, श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने इस बारे में अपने विचार रखे है। मैं मतों के हस्तांतरण के पक्ष में नही हूं। मैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में किसी व्यक्ति द्वारा मतदान करने की मांग समर्थन करता हूं और मेरा कहना है कि जिस व्यक्ति को कह रहा हूं उसमें मेरा विश्वास है और यह ऐसा होगा जैसे मैं ही मतदान कर रहा हूं।

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : यदि मैं आप से एक सवाल पूछूं तो क्या आप इसे अन्यथा तो नहीं लेगें। एक बहुत ही सीधा सा व्यावहारिक प्रश्न है। चुनाव प्रक्रिया के लिए 14 दिन की अवधि तय की गयी है। नामांकन वापस लिए जाने के बाद ही उम्मीदवारों की वास्तविक संख्या का पता चलता है। आप को उस सैनिक को सियाचीन या वह जहां कही भी हो यह सूचना देनी होगी कि अंतत: अब ये उम्मीदवार मैदान में हैं। उसके बाद वह बतायेगा कि उन उम्मीदवारों में से वह अमुक व्यक्ति को अपना वोट देना चाहता है। चौकी पर तैनात वह व्यक्ति अपनी पत्नी, पुत्र अथवा पुत्री से कैसे बात करता है? यदि वह बातचीत कर सकता है, तो क्या वहां टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है। उसे बातचीत के लिए कहां जाना चाहिए। वह किसी व्यक्ति से कैसे और किस तरह बात करता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि अपनी पत्नी को अधिकृत करने वाला एक अग्रिक फार्म पहले से ही उसकी पत्नी के पास है, लेकिन उम्मीदवारों का पता नामांकन वापस होने के बाद ही पता चलता है। 14 दिनों के अंदर आपकों उसे बताना होगा कि इस निर्वाचन क्षेत्र में अमुक उम्मीदवार मैदान में रह गये है और तब तक वह अपनी पंसद के उम्मीदवार की जानकारी आपको वापस देगा। तो यह घुमाफिरा कर मामला वही रहा जो पत्र के माध्यम से उसे संदेश दिया जाता और वह उसका उत्तर देता क्योंकि उसके मत को रिकार्ड किया जाना चाहिए, जैसा कि वह चाहता है, अथवा उसकी पत्नी इसके लिए अधित हो कि वह किसी भी उम्मीदवार को वोट दे दे और इसमें कोई दिक्कत नही है। आप इतनी कम अवधि में अंतत: चुनाव में उतरे उम्मीदवारों की सूचना उसे कैसे देंगे और उसका उत्तर कैसे प्राप्त करेंगे ताकि वह वोट दे सके। यह तो एक ही बात हुई। इसमें कोई अंतर नही हैं। यह सब क्या है?

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : क्या वह इस विषय पर बोलने जा रही है?

श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा : मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं।

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : मैं यहां किसी के प्रश्न का उत्तर देने के लिए नही हूं, लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं कि यह बात विशेषरूप से कही गयी है कि सरकार इसको सुगम बनाने के लिए नियम बनायेगी और इसकी प्रमुख बातें ये हैं जिनकी ओर हमें ध्यान देना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह त्रुटिरहित ढंग से कार्य करे।

मुझे पक्का विश्वास है कि जब नियम बनाये जायेंगे इस बात को ध्यान में रखा जायेगा। हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम इस अवधारण की, विशेषकर उन संशोधनों के बारे में बात कर रहे हैं जिन्हें इस विधेयक में शामिल किये जाने का प्रस्ताव है। हम नियमों की बात नहीं कर रहे हैं। इन सब बातों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जायेगा। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती रेणूका चौधरी : यदि पत्नियों को पता बताने की भी अनुमति नही होगी और यदि उनके पत्रों को सुरक्षित कैंपों में पढा जाता है, तो ये सब कैसे हो पायेगा? इसके बाद मशस्त्र सेनाएं कितना सुरक्षित रह पायेंगी? यह कैंपों में घुसपैठ मानी जायेगी। हमें उनके पत्र लिखने तक की अनुमति नही है जब तक उन पत्रों की सेंसर न कर दिया जाये। केवल वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए इस पूरे मामले को मजाक बना दिया गया है।...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद (दरभंगा) : महोदय जब हमारे सैन्य कर्मी सीमा पर लड़ रहे हैं, अपनी जाने गवां रहे है तो इस तरह की प्रतिक्रिया व्यक्त कारना सोभा नैही देता। यह उनके वोट देने के अधिकार से संबंधित मामला है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी जी बोल रहे हैं। कृपया बाधा न पहुंचाएं।

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : वास्तव में वोट बैंक बजरंग दल और अन्य सभी के बारे में टिप्पणियां सुसंगत नही हैं। पूर्व सैनिकों तथा सैन्य पुत्रियों के बीच संवाद का सदा ही स्वागत है। आप को यह कहने की पूरी छूट है।

अब, मुख्य बात यह है कि ये सब निरर्थक बातें क्यों कही जाती है? इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है? कोई पत्र जवान तक क्यों नही पहुंचता है वह और इसका उत्तर क्यों नहीं दे पाता है? इसमें कुछ सेवा संबंधी बाध्यताएं हैं...*(व्यवधान)* मैं आपकों बताना चाहता हूं यदि आप मेरी बात सुनें।

ऐसा इसलिए है क्योंकि खुलेआम यह नहीं बताया जा सकता कि वह कहां सेवारत्त है या उसकी इकाई कहां तैनात है। अत: उसे कुछ चैनलों से गुजरना होता है जिससे उसकी इकाई का पता न लगे। इससे यह कार्य कहीं अधिक कठिन हो जाता है।

मैं श्रीमती मार्ग्रेट आल्वा द्वारा यहां उठाए गए प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। इन्होंने पूछा था कि : ''यदि आप मतपत्र ही नहीं भेज सकते तो आप यह सूचना कैसे भेज सकते हैं कि किसको मत देना है? एक क्रान्ति आई है, जिससे जवान अपने गृहनगर टेलीफोन से बात कर सकता है। आज अधिकांश जवान अपने घर बात कर सकते हैं और वे ऐसा करते भी हैं। यह एक क्रान्ति है और इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। पुराने समय की तरह अब ऐसा नहीं

है कि वे पत्र भेजते थे और तब तक बच्चा जन्म भी ले लेता था और इसी तरह अब वह मुंह से बोलकर अपनी बात वहां पहुंचा सकते हैं और आज मुंह से बोलकर अपनी बात पहुंचाना कल की अपेक्षाकृत अधिक तीव्र हो गया है और आने वाले कल में यह और बेहतर होगा और इसलिए उसके द्वारा इस या उस उम्मीदवार को मतदान करने हेतु संचार की व्यवस्था की जा सकती है। बाद में नियम बनाए जा सकते हैं; मैं अभी उसके बारे में विस्तार से बात नहीं कर रहा हूं।

इसके अतिरिक्त एक और बात है। माननीय मंत्री जी अधिकांश बातों को स्पष्ट कर चुके हैं लेकिन मैं एक और बात कहना चाहता हूं। इस मतपत्र का यह मामला एक अन्य कारक से जटिल हो गया है। प्रतिदिन, अर्धसैनिक बलों की इकाईयों और केन्द्रिय पुलिस संगठन की इकाईयों, जो सेना अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं, को चुनाव अवधि में अधिकाधिक तैनात किया जाता है। अधिकांशत: सभी इकाईयों को अधिकाधिक तैनात किया जाता है इसके परिणामस्वरूप अधिकारी भी उनकी तैनाती और उन्हें कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाए इसके बारे में अधिक चिंतित रहते हैं बजाय इसके कि जवानों को कैसे मतपत्र दिए जाएं और उन मतपत्रों को वापस उनके घर भेजा जाए। गत दस वर्षों के दौरान ये परिवर्तन हुए हैं और इन परिवर्तनों के कारण डाक से प्राप्त होने वाले मतपत्रों की संख्या में अधिकाधिक गिरावट आती गई है। अत: ये सब तर्क-वितर्क चलते रह सकते हैं और मैं इस सारे मामले पर कोई भावुक वाक्य नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं यह बात अवश्य कहना चाहता हूं कि यह सेना अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले सेवा कर्मियों की भावना है कि उन्हें इस देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करने के बदले में एक मूल अधिकार से ही वंचित किया जा रहा है। अत: वास्तव में उन्हें अशफलता-पूर्वक अपने कर्त्तव्य का पालन करने हेतु दंडित किया जा रहा है।

हम सभी जानते हैं कि कभी न कभी परिस्थितियां बहुत खराब हो सकती हैं और ये वर्दी धारी लोग ही हैं जो इसके बारे में ऐसा कुछ करेंगे जिससे उनकी समस्या का हल किया जा सकेगा यह उनकी भावना है और यह उनकी मांग है। अत: जब हम आज 'नहीं' कहते हैं तो हम इसमें जितना चाहें उतना विलंब कर सकते हैं। इसमें पहले ही विलंब हो चुका है। इस मामले पर बार बार समिति में ही डेढ़ वर्ष से अधिक समय तक व्यापक चर्चा हो चुकी है। एक लघु सवंदलीय प्रणाली बनाए जाने पर चर्चा हुई थी लेकिन इस सदन के अलावा सभी दलों को अधिक प्रतिनिधित्व या बेहतर प्रतिनिधित्व कहां प्राप्त है?

इसलिए, इस प्रक्रिया में जल्दबाजी करने का क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य यह संदेश देना है कि जैसे के देश के हितों की रक्षा करने हेतु सतर्क हैं उसी प्रकार यह सदन भी उनकी उन आवश्यकताओं के प्रति उतना ही सजग है जिन की वे गत 50 वर्षों से मांग कर रहे हैं और जिनसे उन्हें वंचित किया गया। इस सदन को यह सुविधा देने के बारे में सर्वसम्मति से निर्णय लेना चाहिए।

महोदय, यह बात उठाई गई है कि उन अन्य लोगों का क्या होगा जो अपना मत नहीं दे पाते। खैर, आप सैन्यकर्मियों की तुलना अन्य लोगों से नहीं कर सकते। हम मतदाताओं की बात नहीं कर रहे हैं, हम उन वर्दीधारी लोगों की बात कर रहे हैं जो अपना जीवन हमें दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही 30 मिनट का समय ले चुके हैं। आपके दल को 20 मिनट का समय दिया गया था।

[हिन्दी]

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : सभापति महोदय, मुझे इस पर ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूं कि हमारे जवानों के पास इस हाउस से क्या संदेश जाएगा? यह आज हम को डिसाइड करना है कि हम क्या संदेश भेजना चाहते हैं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, पूरा सदन सैन्य बलों के समर्थन में है। इस तरह की बात पूर्णतया गलत है। यदि कोई व्यक्ति किसी परिप्रेक्ष्य में अपनी व्यक्तिगत छवि बनाने का प्रयास कर रहा है, तो इसका अर्थ यह है कि हम सैन्य बलों को गलत संदेश दे रहे हैं। हम सभी इस प्रकार की भावना के बारे में जानते हैं। प्रत्येक इसके बारे में जानता है। यह काम नहीं करेगा। संसद ने कभी भी सैन्य बलों की नेक नीयत पर प्रश्न नहीं उठाया है...*(व्यवधान)*

श्री प्रकाशमणि त्रिपाठी : माननीय संसद सदस्य कितनी ही ऊंची आवाज में अपनी बात कह सकते हैं परन्तु वे इस सच्चाई को नहीं छिपा सकते कि वे सैन्यकर्मियों को यह सुविधा दिए जाने का विरोध करते हैं।

महोदय, इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में हमने यह निर्णय लिया था कि प्रत्येक विधेयक के लिए दो घंटे का समय दिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : माननीय अध्यक्ष महोदय ने 'एक घंटा' लिखा है।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : नहीं महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यह निर्णय लिया गया था। आज यह निर्णय लिया गया था कि प्रत्येक विधेयक के लिए दो घंटे का समय दिया जाना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : माननीय अध्यक्ष महोदय से परामर्श कर लेते हैं। महासचिव भी वहां उपस्थित थे।

सभापति महोदय : हम महासचिव से पूछ सकते हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम (तंजावूर) : महोदय, कार्य-मंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सभी विधेयकों के लिए दो घंटे का समय दिया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : यह कल और उसके बाद से लागू होगा।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : यह उन विधेयकों के लिए होगा जो कल से लिए जाएंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील : नहीं। जिन विधेयकों पर चर्चा हुई थी वे विधेयक आज ही विचारार्थ लिए जाने थे। मैं नहीं जानता कैसे. ..*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यदि विपक्ष के साथ इस तरह का व्यवहार किया जा रहा है तो हम इसमें भाग नहीं लेंगे, हम किसी बहस में भाग नहीं लेंगे। यह तरीका नहीं है। मैं इससे सहमत नहीं हूं... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : एक मिनट रूकें। महासचिव कहते है कि कार्य-मंत्रणा समिति की कार्यवाही के अनुसार कल से लिए जाने वाले विधेयकों के लिए समय दो घंटे का होगा। आज लिए जाने वाले विधेयकों के लिए यह केवल एक घंटा है।

श्री शिवराज वि. पाटील : नहीं, इसपर कभी भी चर्चा नहीं हुई थी। यदि कोई यह कर रहा है तो यह गलत है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : यह बिल्कुल गलत है...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : हमने इस पर चर्चा नहीं की थी. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : फिर भी यह चर्चा छह बजे तक चलेगी। सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह बिलकुल अलग है। यदि कार्य मंत्रणा समिति ने इसका निर्णय लिया है और यदि सभा इस पर चर्चा करना चाहती है तो इसकी अनुमति दी जाएगी लेकिन यह कहना कि वह निर्णय कल प्रस्तुत होने वाले विधेयकों पर लागू होना था। मेरा कहना है कि इस पर कभी चर्चा नहीं हुई।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : शब्द 'कल' कार्यवाही सारांश में नहीं था। मैं अधिकार के साथ यह कहता हूं।

सभापति महोदय : आप कार्यवाही सारांश देखिए।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : इस तरह सभा को गुमराह नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा श्रम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : अगर माननीय सदस्य इस पर एक या दो घंटा डिसका करना चाहें तो सरकार को कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : यह सही है। हम यह बात समझते हैं और इस पर कोई विवाद नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन विधेयकों के लिए समय निर्धारित कर दिया गया है जिन पर कल चर्चा होनी है।

श्री शिवराज वि. पाटील : ऐसा नहीं था। सभा का सदस्य वक्तव्य दे रहा है और यदि कोई यह कहता है तो या तो उसने नहीं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : वह कह रहे हैं कि आज के लिए समय निर्धारित नहीं किया गया है। इसलिए हम इस पर चर्चा करेंगे।

(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : आज अथवा कल के लिए कुछ भी निर्णय नहीं लिया गया। स्पष्ट रूप से कहा गया था कि सभी विधेयकों पर दो घंटे के लिए चर्चा होगी ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : फिर भी हम 6 बजे तक यहां चर्चा करेंगे। हमारे पास एक और घंटे का समय है।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, सतारूढ़ दल के सदस्य इस पर चर्चा करने हेतु सहमत हैं। हम नही चाहते ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि सभा सहमत है तो हम इस पर 6 बजे तक चर्चा करेंगे। इस पर चर्चा करने के लिए समय दो घंटे का होगा।

श्री शिवराज वि. पाटील : इस पर 6 बजे अथवा अधिक समय तक चर्चा हो सकती है लेकिन तब अन्य बातों पर सावधानीपूर्वक ध्यान देना होगा। शायद वे न समझ पाए हो; शायद उन्होंने गलत पढ़ लिया हो अथवा ऐसा ही कुछ हुआ हो लेकिन इस पर कभी चर्चा नहीं हुई।

श्री वरकला राधाकृष्णन : महोदय, यह महत्त्वपूर्ण विधेयक है। हम विधेयक पर चर्चा करना चाहते हैं।

सभापति महोदय : क्या हम 6 बजे तक चर्चा करेंगे?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सभापति महोदय : ठीक है, हम 6 बजे तक इस पर चर्चा करेंगे।

श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार को ऐसे विधेयक आधे-अधूरे रूप में लाने की आदत पड़ गई है यद्यपि निर्वाचन सुधार संबंधी मुद्दे तथा अनेक समितियों के अन्य सुझाव बड़ी संख्या में लंबित पड़े हैं। सरकार केवल कतिपय भाग पर चर्चा करती है जिससे उसे फायदा हो। भाजपा सरकार का यही रवैया है। जैसाकि श्री दासमुंशी ने कहा कि उन्हें जब कभी यह महसूस होता है कि किसी खास समय पर उन्हें इससे फायदा होगा तो वे उस भाग का चयन कर लेते हैं। वे निर्वाचन सुधार के समग्र विषय पर ध्यान नहीं दे रहे हैं; वे राजनीति तथा चुनावों का अपराधीकरण रोकने, चुनाव में राज्य द्वारा धन देने तथा इन्द्रजीत गुप्त समिति और अन्य समितियों द्वारा सिफारिश किए गए विभिन्न अन्य मुद्दों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह, वे विधेयक आधे-अधूरे रूप के प्रस्तुत कर रहे हैं। मेरे विचार से यह सही नहीं है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए और इन सभी लंबित मुद्दों को शामिल करते हुए व्यापक विधेयक लाने चाहिएं ताकि हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में चुनाव, चुनाव प्रक्रिया तथा मतदान के अधिकार पर पूर्णत: अमल हो सके।

दूसरी बात यह है कि हमारी पार्टी की ओर से मैं यह बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम सैनिकों के अधिकारों की समान रूप से रक्षा करते हैं। हम उनके अधिकारों यथा आर्थिक, राजनैतिक तथा अन्य सामाजिक अधिकारों में उनके साथ हैं क्योंकि वे हमारे देश के पुत्र, पुत्रियां और नागरिक हैं। वे हमारे राष्ट्र संप्रभुता तथा सुरक्षा की रक्षा करके अत्यधिक महत्वपूर्ण कर्त्तव्य का निवेदन कर रहे हैं। इस तरह सेना के हित की रक्षा करने के बारे में हमारे देश में दो राय नहीं है लेकिन दुर्भाग्य से श्री त्रिपाठी ने भावनात्मक होकर यह बताने की कोशिश की है कि वे ही सशस्त्र बलों के एकमात्र समर्थक है और अन्य सभी इनके विरूद्ध हैं। मैं इस दृष्टिकोण की निंदा करता हूं। भाजपा का यह दृष्टिकोण है।

अपराह्न 5.00 बजे

वे साम्प्रदायिकता के बारे में विकृत बयान देने की कोशिश कर रहे हैं, वे इसे हिंदुत्व कह रहे हैं और सभी हिन्दुओं की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं मानो वे ही एकमात्र उनके प्रतिनिधि हैं। यह उनका रवैया है।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : क्या सैनिकों की बात करना साम्प्रदायिक है?

श्री हन्नान मोल्लाह : यह भाजपा का दृष्टिकोण है। आप भावनाओं को भड़काने हेतु भावनात्मक मुद्दा प्रस्तुत कर रहे हैं और आप कहना चाहते हैं कि आज हिन्दुओं, सशस्त्र बलों अथवा जनता के विशेष वर्ग के एकमात्र प्रतिनिधि हैं। भाजपा का यह दृष्टिकोण है और वह हमारे देश में इसका इस्तेमाल कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री रामदास आठवले : भाजपा जनता के लिए नहीं अपितु हिन्दुत्व के लिए है।

श्री हन्नान मोल्लाह : ऐसी अनेक बाते हैं और हम उनके लिए समान रैंक, समान पेंशन की मांग कर रहे हैं। आप इसे प्रबल समर्थक हैं। उसका क्या हुआ? उस दल में जाने के बाद आप आसानी से यह भूल गए। यह आपका दृष्टिकोण है। जब आपको उचित लगता है आप उनके मताधिकारों के बारे में इस तरह चर्चा करते हैं जोकि एक भावात्मक मुद्दा है, मानो आप ही उनके प्रतिनिधि हैं।

*मुद्दों को इस तरह प्रस्तुत करने का आपका यह प्रयास अथवा तरीका है। मैं इसकी निंदा क़रता हूं। भारतीय सेना भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व करती है तथा सभी भारतीय नागरिक भारतीय सेना के साथ

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

है। जिस तरह से आपने यह प्रस्तुत किया, मैं उसकी निंदा करता हूं. ..*(व्यवधान)*

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : इसे कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी : मैं इसका बड़ा विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मैं इस भाग को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दूंगा।

*(व्यवधान)**

श्रीमती रेणूका चौधरी : आप पेंशन लेते रहे हैं; आप भूतलक्षी प्रभाव से सशस्त्र बलों की व्यवसाय निषेध भत्ता लेते रहे हैं। सेवानिवृत्त पेंशनभोगियों मे धनराशि लेने हेतु दबाव डाला जा रहा है। मैं आप सब के लिए इस मुद्दे पर लड़ रही हूं और आप हमारी सैन्य सेवा का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रहे हैं ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : किसी इरादे को गलत मत समझिए। कोई भी सदस्य सशस्त्र बलों के सदस्यों के इरादों पर लांछन नहीं लगाए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। जो कुछ श्री हन्नान मोल्लाह ने सशस्त्र बलों के बारे में कहा, वह मैंने सुना। मैं उसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल रहा हूं। श्री हन्नान मोल्लाह ने सशस्त्र बलों के साम्प्रदायिकरण के बारे में जो कुछ कहा, मैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल रहा हूं यहां साम्प्रदायिकता मत थोपिए। यह सही नहीं है और आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

श्री हन्नान मोल्लाह : उन्होंने कहा कि वे ही सशस्त्र बलों के एकमात्र एजेंट हैं और सभी दल सशस्त्र बलों के विरूद्ध है। उनका यह दृष्टिकोण है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए।

श्री हन्नान मोल्लाह : वे कह रहे हैं कि वे ही एकमात्र प्रतिनिधि हैं....*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री हन्नान मोल्लाह, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। सदस्य अपने स्थान पर बैठ जाएं। श्री रामदास, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

सभा सशस्त्र बल के विरूद्ध ऐसा कोई वक्तव्य अनुमोदित नहीं करेगी। सशस्त्र बल राजनीति से ऊपर हैं; वे हमारी सीमाओं के रक्षक हैं। वे हमारे देश की अखण्डता और संप्रभुता बनाए रखे हुए है। कृपया राजनीति की बात मत कीजिए।

(व्यवधान)

श्रीमती रेणूका चौधरी : कृपया रिकार्ड देखिए उन्होंने यही कहा है।

सभापति महोदय : मैं रिकार्ड देखूंगा यदि इस में मैं कुछ इस प्रकार की बात हुई तो उसे मैं कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। यदि ऐसी कोई बात हुई तो मैं उस भाग को भी कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा। हमें राजनीति की बातें नहीं करनी चाहिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : मैं आपकी अच्छी टिप्पणियों से सहमत हूं। जब चर्चा आरंभ हुई हमारी ओर से हमने सरकार या सशस्त्र बलो के विरूद्ध कुछ भी नहीं कहा...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री कीर्ति आजाद बैठ जाइए मेरी सभी माननीय सदस्यों से अपील है कि हमें सशस्त्र बलों के खिलाफ कोई वक्तव्य देने से बचना चाहिए उनका यहां कोई प्रतिनिधि नहीं है। हमें उन पर किसी इरादे का आरोप नहीं लगाना चाहिए।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : महोदय, बात को स्पष्ट करने के लिए मैंने कांग्रेस पार्टी की ओर से चर्चा के आरंभ में कहा था, "हम यहां सबके साथ सहयोग करने के लिए हैं। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे चुनाव प्रक्रिया में भाग लें। हम उन्हें प्रणाम करते हैं हम चाहते हैं कि उनकी भी भागीदारी बढ़े इस पर और परामर्श की आवश्यकता है। उनकी कुछ और भागीदारी बढ़ाए" यही हमने कहा था। इसके अलावा हमने कुछ नहीं कहा था। तथापि इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सत्ता पक्ष के प्रवक्ता ने कहा, "इससे सशस्त्र सेना को क्या संदेश पहुंचेगा? आप उनको उनके अधिकारों से वंचित कर रहे हैं। हमारे कहने का यह अर्थ नही था...*(व्यवधान)* हमने यह नहीं कहा था...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

श्री हन्नान मोल्लाह : मैंने यह कभी नहीं कहा है ...*(व्यवधान)* कृपया रिकार्ड देखिए ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं मंत्रीजी से कह रहा हूं कि वे बोलें।

श्री अरूण जैटली : महोदय, हम इस मामले में उत्तर खोजने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कैसे हम हमारे सशस्त्र बलों के मतदान के अधिकारों को अधिक प्रभावी बना सकते है।

यह विधेयक पुर:स्थापित करते समय मैंने स्वयं कहा था कि इस विषय पर दो मत है। एक मत यह है कि जहां तक चुनाव का सवाल है गोपनियता के अधिकार का सम्मान करना चाहिए। दूसरा मत यह है कि उस गोपनियता के अधिकार की रक्षा के अवलोकन में इस अधिकार का इतने प्रभावी रूप से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा है क्योंकि वोट डालने वाले लोग नगण्य हैं। इसलिए इसका हल हम खोजने का प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि मैंने आरंभ में कहा था एक विषय पर दो मत हो सकते हैं। स्थायी समिति में भी दो मत थे। मेरे विचार से यह वह चर्चा नहीं है जहां उद्देश्य पर संशय किया जाए।

मैं माननीय सदस्य श्री दासमुशी का आभारी हूं कि उन्होंने हमें तस्वीर का दूसरा रूख दिखाया। यह ऐसा मुद्दा हैं जिस पर सभा में चर्चा सभा के बाहर सहमति के आभाव में हो रही है। फिर भी हमने वक्तव्य सुना है मैंने सुना है जिसमें यहां तक कहा गया था कि यह भाजपा का प्रयास है ...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : जी नहीं, महोदय, मैंने यह नहीं कहा है।

सभापति महोदय : मैं उस भाग को कार्यवाही-वृत्तांत से निकालता हूं।

श्री अरूण जेटली : यहां यह मामला कहा से आ गया? चर्चा में इस प्रकार के मामले को लाने के प्रयास से बचा जाना चाहिए। मेरा यही एक निवेदन है।

श्री हन्नान मोल्लाह : महोदय, वे मुझसे ऐसे शब्द न बुलवाएं।

सभापति महोदय : मैंने पहले ही मंत्रीजी की टिप्पणी कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दी है।

[हिन्दी]

श्री कीर्ति झा आजाद : इनकी प्रिपरेशन नहीं होती है। कुछ नहीं होता है। आकर बात करना शुरू कर देते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं है।...*(व्यवधान)*

श्री हन्नान मोल्लाह : तुमहारा मंत्री बनना संभव नहीं है, कितना भी चिल्लाओ।

[अनुवाद]

महोदय, श्री प्रकाश मणि त्रिपाठी ऐसे बोले जैसे भाजपा ही सशस्त्र बलों की एकमात्र शुभचिंतक हैं। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं• ...*(व्यवधान)*

श्री कीर्ति झा आजाद : महोदय, मैं विरोध में सभा भवन से बाहर जा रहा हूं।

अपराह्न 5.08 बजे

(इस समय श्री कीर्ति झा आजाद सभा भवन से बाहर चले गये।)

श्री हन्नान मोल्लाह : वह इस प्रकार बोले जैसे वे ही सशस्त्र बलों के एकमात्र शुभचिंतक है। मैंने ऐसे रवैये का विरोध किया और ऐसा कहा। वे ही एकमात्र सशस्त्र बलों के प्रतिनिधि नहीं है। सशस्त्र बल संपूर्ण देश की जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं। सशस्त्र बलों का समर्थन भारत की संपूर्ण जनता करती है। हमारा यही रवैया है। मैंने इस दृष्टिकोण की तुलना भाजपा के दृष्टिकोण से की थी और कहा था कि वे जो कुछ भी कहते है वह द्वीअर्थी होता है। वे दोहरा मापदंड अपनाते है। इस प्रकार वे भावनाओं को भड़का कर उससे फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उनका यही चरित्र है। मैंने यही कहा था और मैंने कुछ नहीं कहा था। मंत्री जी मुझसे जो कहलाना चाह रहे है जो मैंने कभी नहीं कहा था।

[श्री हन्नान मोल्लाह]

महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि स्थायी समिति में ने मतदान और गुप्तता के प्रश्न पर विचार से चर्चा की थी। भाजपा सिद्धांत के मुद्दे पर हमेशा पीछे हटने का प्रयत्न करती है। इस सरकार का यही रवैया है। जब भी सिद्धांत का मामला आता है वे पीछे हट जाते है। वे उन्हीं मामलों को उठाते हैं जो उनके लिए फायदेमंद होते हैं। वे उन्ही मामलों को सामने लाते हैं जो उनके लिए सुविधाजनक होते हैं। जब सिद्धांत का प्रश्न आता है वे उसे त्याग देते हैं। जब व्यस्क मतदान, एक व्यक्ति एक मत, गुप्त मतदान का सिद्धांत होता है। वे इस सिद्धांत को छोड़ने के लिए तैयार हो जाते है। उन्होंने अनेक मामलों में सिद्धांत त्याग दिए।

हम सिद्धात के पक्षधर है। इन सिद्धांतो से जैसा कि श्री दासमुंशी ने अपने निवेदन में कहा है, हम समझौता नहीं कर सकते। इन सिद्धांतों को छोड़ना नहीं चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए आपके लिए आवंटित समय तीन मिनट है।

श्री हन्नान मोल्लाह : दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि ''परोक्षी'' शब्द बहुत खतरनाक हैं।

यहां ''परोक्षी'' का मतलब है धोखाधड़ी। चुनावों में 'परोक्षी' शब्द का प्रयोग धोखाधड़ी के लिए किया जाता है। क्या आप सशस्त्र बलों को धोखाधड़ी का शब्द का प्रयोग करेंगे। आप ऐसा नही कर सकते। चुनावों में 'परोक्षी' शब्द का अर्थ है चुनाव में धोखाधड़ी अत: इस शब्द का प्रयोग नही किया जाना चाहिए क्योंकि यह अपमानजनक है।

वास्तव में, मैं यह मांग करता हूं कि सरकार को इस विधेयक पर राजनीतिक दलों के साथ चर्चा करनी चाहिए ताकि कोई तरीका निकाला जा सके। आज यदि हम डाक द्वारा मतदान का मुद्दा उठते हैं तो पता चलता है कि कोई आधुनिक तरीके उपलब्ध नही है। हमारे यहां विज्ञान और प्रौधेगिकी के क्षेत्र में काफी प्रगति हुई है। यदि सरकार इस विषय में ईमानदार है तो इसका प्रयोग सशस्त्र बलों के लिए मतदान का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किया जा सकता है। लेकिन वे इसके लिए कोई सुगम और लघु रास्ता निकालना चाहते हैं।

महोदय, सुगम रास्ते के नाम पर ये सिद्धांतों की बलि दे रहे हैं, और हम इसका विरोध करते हैं। मैं समझता हूं कि हमें सिद्धांतों का साथ देना चाहिए और विज्ञान तथा प्रौधेगिकी का प्रयोग करना चाहिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए कोशिश करनी चाहिए कि वे अपने मतदान के अधिकार को प्रयोग कर पायें। यह तभी सम्भव हो सकता है जबकि सरकार उदारतापूर्वक इस पर विचार-विमर्श करके कोई तरीका निकालने का प्रयास करे। हमें कोई तरीका अवश्य ढूंढना चाहिए।

अत: महोदय मैं समझता हूं कि यह विधेयक सही परिपेक्ष्य में नहीं हैं। यह उनको न तो उनका अधिकार देता • बल्कि अधिकार के बदले अपमानजनक शब्द दिया जा रहा हैं। हम इसका विरोध करते हैं। मैं फिर से कहना चाहूंगा कि हम मिलकर इसका हल निकाल सकते हैं ताकि हमारे वर्दीधारी भाई मतदान का अधिकार प्राप्त करके उसका उचित प्रयोग कर सकें।

इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा. एम.वी.वी.एस. मूर्ति (विशाखापत्तनम) : सभापति महोदय, हम निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 पर चर्चा कर रहे हैं। तीन वर्ष बीत जाने के बाद भी इस विधेयक पर बहुत से विद्वान संसद सदस्यों ने भिन्न-भिन्न विचार व्यक्त किये हैं। इस विधेयक पर तथा विशेषकर सशस्त्र बलों के मामले में किसी भी दल को राजनीतिक लाभ नहीं मिलना चाहिए। इस मुद्दे पर सारा सदन सहमत है।

लेकिन इसके साथ ही हमें उनको निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से मतदान के अधिकार का प्रयोग किये जाने का अवसर देने का कोई तरीका भी अवश्य निकालना चाहिए।

चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की अंतिम सूची आने और चुनाव की तारीख के बीच के दिनों को 21 से हटाकर 14 कर दिया गया है। अब संचार के क्षेत्र में हमारी कार्यकुशलता काफी बढ़ गयी है और निष्पक्ष व पारदर्शी तरीके से मतदान करने के सभी अवसर उपलब्ध हैं।

लेकिन यहां कहा गया है कि 'परोक्षी' मतदान द्वारा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है। 'परोक्षी' शब्द का मतलब है अपनी ओर से अपने अधिकार का प्रयोग करने के लिए किसी और को नियुक्त करना। मैं 'उनके मत' शब्द का प्रयोग न करके 'उनके अधिकार' कहना चाहूंगा।

महोदय, वर्तमान में बहुत से सदस्य पहली बार चुनकर आए हैं। चुनावों में हम देखते है कि पति अपनी पत्नी के विरूद्ध चुनाव लड़ रहा है, बेटा अपने पिता के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। यह प्रवृति

देशभर में देखी जा सकती है। ऐसे मामले में सबसे महत्वपूर्ण समस्या यह है कि उनके विचार किस प्रकार पारदर्शी तरीके से व्यक्त हों। इसे किसी भी राजनीतिक दल से समर्थन प्राप्त नहीं हो रहा है। यदि ''परोक्षी'' मतदान द्वारा इसकी वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकती है तो यह विधेयक पारित कर दिया जाना चाहिए। लेकिन इस बारे में मेरे अपने संदेह हैं। यह व्यक्तिगत रूप से मतदान या डाक द्वारा मतदान की जगह नहीं ले सकता। जब एक पत्नी या पति या बेटा या बेटी एक दूसरे के विरूद्ध चुनाव लड़ रहे हैं तो दूसरे के विचार किस तरह व्यक्त किये जा सकते हैं? ये बाहरी साधनों और प्रक्रिया से प्रभावित हो सकते हैं।

अन्ततोगत्वा, इससे सैन्य कर्मियों को दिये जा रहे अधिकार का प्रयोजन ही पूरा नहीं हो पा रहा। यही इस समस्या का मूल प्रश्न है। हमे वृहदाकार कानून पारित करने में कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। विद्वान मंत्रीजी यहां उपस्थित है; वे सभी नियमों और कानूनों के बारे में जानते हैं। यदि वे राजनीतिक तौर पर विचार-विर्मश किये जाने के लिए एक और अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं तो हम राजनैतिक चर्चा कर सकते है; कोई भी दल इस स्थिति से राजनीतिक लाभ उठाना नहीं चाहता। तीन साल पहले ही बीत चुके हैं। यदि कुछ और समय इसके लिये दिया जाता है तो कोई आसमान नहीं टूट जाएगा। अत: इस मुद्दे पर राजनीतिक दलों के बीच विचार-विर्मश करने का एक निष्पक्ष अवसर दिया जाए और इस विधेयक को पारित किये जाने के लिए आम सहमति बन पाए ताकि सशस्त्र बलों में कार्यरत हमारे भाई यह महसूस कर सकें कि उनको यह अवसर देने के लिए हमारे बीच सर्वसम्मति है और हम उनके साथ हैं। हमें इस बात पर तर्क-वितर्क नहीं करना चाहिए कि केवल इस कानून के माध्यम से हम उन्हें यह अधिकार दे पायेंगे। ऐसा नहीं है, इससे उनके विचार व्यक्त नहीं भी हो सकते।

कृपया इन बातों का ध्यान रखिए। इन बातों को ध्यान में रखते हुए हम सशस्त्र बलों या हमारे देश और सीमाओं की रक्षा में लगे हमारे भाइयों को आवश्यक रूप से मतदान का अधिकार देंगे न कि परोक्ष मतदान की सुविधा। हमें कोई तरीका निकालना ही होगा ताकि उनके वास्तविक विचार मतदान प्रणाली के माध्यम से व्यक्त हो सके, अत: इस पर विचार करना चाहिए। विद्वान मंत्रीजी इस मुद्दे पर विभिन्न राजनीतिक दलों से पुन: विचार-विमर्श करके इसका कोई हल निकाल सकते हैं ताकि उस समय इस विधेयक को सर्वसम्मति से पारित किया जा सके।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन (शिवगंगा) : सभापति महोदय, आपका धन्यवाद।

मैं कतिपय सुझाव देने की स्थिति में हूं ताकि सैन्य कर्मियों के अधिकारों की रक्षा की जा सके। लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी और को अधिकार देने से काफी गड़बड़ हो सकती है।

भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी के समय इंटरनेट और ई-मेल आदि का सृजन किया गया। आजकल, संसार में ई-कामर्स का बोलबाला है। एक वेबसाइट का सृजन करके कोई भी व्यक्ति आसानी से सम्पर्क स्थापित कर सकता है। प्रतिदिन किसी विषय विशेष पर बहुत सी पत्रिकाओं द्वारा आन लाइन 'रायशुमारी' की जा रही हैं। बैंक खातों के लिए एक गुप्त पी.आई.एन. संख्या उपलब्ध होती है; इलैक्ट्रानिक माध्यमों के द्वारा धन एक खाते से दूसरे खाते में हस्तांतरित किया जा रहा है। बहुत सी विकसित चीजें आ गई हैं।

अत: मैं सीधे एक बात का सुझाव देना चाहूंगा। अब हम इलैक्ट्रानिक युग में आ गए हैं और मतदान के लिए वोटिंग मशीनों का प्रयोग हो रहा है। चुनाव आयोग कोई वेबसाइट या साफ्टवेयर विकसित कर सकता है जिसमें कोई भी व्यक्ति पी. आई. एन. के माध्यम से सम्पर्क स्थापित कर सकता है, सीमाओं पर सेवारत सैन्यकर्मी इलैक्टानिक माध्यमों के द्वारा अपना मतदान आसानी से कर सकते हैं। इस तरह की आधुनिक चीजों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। इस तरीके से वे बड़ी आसानी से मतपत्र का पता लगाकर, उम्मीदवार को चुन कर मतदान कर सकता है। यदि व्यक्ति विशेष को कोई गुप्त संख्या दी जाती है तो गोपनीयता भी बनायी रखी जा सकती है। यहां तक कि लैपटाप भी उपलब्ध हैं और वे कहीं से भी सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं। इसके लिए जमीन में कोई तार बिछने की भी जरूरत नही हैं। आज विश्व में यह स्थिति है और विश्व की दूरियां मुट्ठी में सिमट आयी है। ये वस्तुएं उपलब्ध करायी जा सकती हैं।

'उद्देश्यों और कारणों के कथन' में उन्होंने कहा है कि यह 14 दिनों की अवधि आड़े आ रही है। उन्होंने इसे मुख्य कारण के रूप में दिखाया है। वे चाहते है कि प्रक्रिया संबंधी दृष्टिकोण पर भी विचार किया जाए। मैं तो यहां तक कह सकता हूं कि कई शीघ्र भेजे जाने वाले पत्र आधुनिक संचार प्रणाली से भेजे जाते हैं। इनसे तुरंत पत्र भेज कर उत्तर भी प्राप्त किया जा सकता है। कूरियर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। फैक्स मशीनें भी उपलब्ध है, बहुत सी नई चीजे आ गई हैं।

अत: उस तरह से सोचने के बजाए इन चीजों पर ध्यान दिया जा सकता है। मैं उस अधिकार को डाक द्वारा वहन करने या किसी और को यह अधिकार देने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि अभी श्री मूर्ति ने कहा कि पति और पत्नी भी एक दूसरे के विरूद्ध चुनाव लड़ते हैं। अत: हम मतदान का अधिकार नहीं खो सकते। इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिये।

[श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन]

मैं इस बारे में एक विशिष्ट उदाहरण भी दे सकता हूं। हमें एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। स्थानकुलम विधान सभा क्षेत्र के नजरेथ प्रदेश में उपचुनाव होने वाले हैं, वहां लगभग 3000 लोग आमरण अनशन पर बैठे हैं।*

सभापति महोदय : मुझे उलझन में मत डालिए।

(व्यवधान)

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं यह नही कह रहा कि ए. आई.डी.एम.के. जो कि सत्ता में है वह ऐसा कर रही है। मै शब्दों के चयन में बहुत ध्यान रख रहा हूं...*(व्यवधान)* अब हम इलैक्ट्रानिक वोटिंग मशीन का प्रयोग शुरू कर रहे हैं और पहचान पत्र दे रहे हैं। वे कार्ड भी खरीदे जा रहे हैं, प्रयोग की बाध्यता है और वापिस भी लिये जा रहे हैं।

श्री रमेश चेन्नित्तला : आप भी जानते होंगे कि पूरे राज्य में इसका दुरूपयोग किया जा रहा है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मै किसी को शर्मिदा नहीं करना चाहता।

सभापति महोदय : बिना किसी प्रमाण के आपको आरोप नहीं लगाना चाहिये।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं यही बता रहा था कि आजकल क्या हो रहा है।

सभापति महोदय : बिना किसी ठोस प्रमाण या सामग्री के किसी राज्य सरकार के विरूद्ध आरोप लगाना ठीक नहीं है। इस मामले में किसी भी राज्य सरकार को बख्शा नही जाएगा। मैं उस आरोप को कार्यवाही वृतांत से निकाल रहा हूं।

(व्यवधान)

सभापति महोदय : हम यहां पर किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र पर विचार-विमर्श करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : माननीय सदस्य ने किसी मंत्री अथवा किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आरोप नहीं लगाया है। उन्होंने केवल एक स्थिति की चर्चा की है...*(व्यवधान)*

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अपराह्न 5.22 बजे

[डा. रघुवंश प्रसाद सिंह *पीठासीन* हुए]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि मतदान के इस परोक्ष तरीके से...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन (तिरूनेलवेली) : जब किसी सरकार या व्यक्ति के विरूद्ध कोई आरोप लगाया जाये तो हमारे पास उसकी पुष्टि के लिए सामग्री होनी चाहिए। माननीय सदस्य के पास ऐसी कोई सामग्री नही हैं। जब मैं पीठासीन था मैं इससे थोड़ा आतंकित था। मैंने कार्यवाही में से उस भाग को निकाल दिया है।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मेरे हाथ में अखबार की कतरन है। मैं इसे सभा में प्रस्तुत कर सकता हूं। नये भवनों का निर्माण किया गया था। नई सड़कें बनायी गयी। हर तरह का दुरूपयोग हो रहा है। पूरी सरकारी तंत्र चुनावी कानूनों को ताक पर रखकर ये कार्य कर रहा है और यह बात मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संज्ञान में लायी गयी है और उन्होंने इस पर कार्रवाई भी की है। उन्होंने प्रमाण पत्र देने के अधिकार को ग्राम प्रशासन से वापस ले लिया है। पहले सहकारिता बैंकों को खातें खोलने की अनुमति दी गयी थी जिसे निर्वाचन आयोग द्वारा रोक दिया गया है। मैं रिकार्ड के बगैर नहीं बोल रहा हूं। मेरे पास यह दिखाने के लिए फोटो हैं कि किस तरह से साड़िया बांटी गयी। मैं हर चीज दिखा सकता हूं। नये भवन बनाये गये। नयी सड़कें बनायी गयी। मंदिर की दीवार पर...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, सदस्य को पहले पीठासीन अधिकारी को फोटो दिखाने चाहिए। पीठासीन अधिकारी को पहले फोटो दिखाये बिना वह उनकी बात नहीं कर सकते।

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : मैं उन्हें सभा पटल पर रख रहा हूं।

श्री पी.एच. पांडियन : यह एक अच्छी प्रथा नही है। जब कोई सदस्य आरोप लगाता है तो इसकी कुछ उपयुक्तता होनी चाहिए। इसका इस विधेयक से कुछ भी लेना देना नहीं है।

सभापति महोदय : वह समर्थन नहीं कर रहे हैं।

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, श्री नाच्चीयपन द्वारा लगाये गये सारे आरोप सच हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : हमे स्थापित मानदंडों का अनुसरण करना चाहिए और उन पर कार्य करना चाहिए। अन्यथा, कल मैं सैंकडों

फोटो ला सकता हूं। मैं उन्हें गलत उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते हुए दिखा सकता हूं। मैं फोटो ग्राफ किसी व्यक्ति को बदनाम करने के लिए प्रयोग कर सकता हूं और इस तरह उसका राज नीतिक जीवन ही चौपट हो जायेगा। इसलिए हमें मानदंडो का अनुसरण करना चाहिए। उन्हें पहले इसे पीठासीन अधिकारी को देना चाहिए था और उन्होंने इसकी जांच पड़ताल की होती। इसके बाद ही उन्हें इसकी अनुमति देनी चाहिए। इसलिए ये सारे तथ्य रहित निराधार आरोप हैं। इनमें कोई सचाई नहीं है। इसलिए इसे कार्यवाही में रिकार्ड किये जाने की आवश्यकता नहीं है। इसका इस विधेयक से कुछ भी लेना देना नहीं है। वे इस मंच का दुरूपयोग कर रहे हैं...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री दिलीप संघाणी (अमरेली) : पंजाब के मंत्रियों के भी फोटो आये हैं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : अब भाजपा ए आई ए डी एम के का समर्थन कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : वे अपनी जमानत भी नहीं बचा पायेंगे। उनकी जमानत भी जब्त...*(व्यवधान)* आपने 1988 में त्रिपुरा में क्या किया? आप ने सैनिकों का प्रयोग किया। आप वहां चुनाव जीत गये। लेकिन हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। आप मुझे मुंह खोलने पर मजबूर न करें। हम सभी आपास में मित्र हैं...*(व्यवधान)*

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, मुझे यह निवेदन करने की अनुमति दी जाये...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, इन कागजातों की कोई उपयुक्तता नहीं है। ये सभी फर्जी कागजात हैं। इसकी जांच करायी जानी चाहिए. ..*(व्यवधान)* वे मुद्दे को दर किनार कर रहे हैं। साथांकुलम में इनकी जमानत जब्त होने वाली हैं। उन्हें अपनी सदस्यता से हाथ धोना पड़ेगा. ..*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठें।

(व्यवधान)

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, चूंकि मैं अध्यक्ष के आसन पर विराजमान था इसलिए इन्होंने इसका फायदा उठाया है। उन्होंने सोचा था कि मैं उनको जवाब देने के लिए सभा में नहीं आऊंगा। इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : यदि आप इस विधेयक पर बोलना चाहते है, तो मैं आपको अनुमति दे दूंगा। लेकिन अभी कृपया बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री एस.एस. पलानीमनिक्कम : महोदय, माननीय सदस्य श्री नाच्चीयपन द्वारा लगाये गये सभी आरोप सत्य हैं। निर्वाचन क्षेत्र में लगभग 5000 लोग भूख हड़ताल पर बैठे थे। ये सभी सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं। यदि अध्यक्षपीठ चाहे तो मैं कल ही सभी सबूत उपलब्ध करा दूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, वे चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। डी एम के पार्टी चुनाव इसलिए नहीं लड़ रही है क्योंकि उनकी जमानत ज़ब्त हो जायेगी...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, वे चुनाव में वोट दे रहे हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : वे आपको वोट नहीं देंगे। सभी बेबुनियाद आरोप हैं। मैं श्री दासमुंशी से पूछता हूं कि क्या यही इसका ढंग है? कल को मैं कुछ कागज़ात लेकर आ जाऊंगा। आप जानते हैं कि मैं पेशे से एक वकील हूं। मैं आप को एक-एक कर ठिकाने लगा सकता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया बात समाप्त करें।

(व्यवधान)

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, यह हम को संसद में भी धमका रहे हैं। ये इसी तरह मतदाताओं को भी धमकाएंगे। वह कह रहे हैं कि हमको ठिकाने लगा देंगे। यह ये कैसे कह सकते हैं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : क्या यह ठीक है? वह कुछ फोटो और दस्तावेज दिखा रहे हैं। यह ठीक नहीं हैं। मैं खुद भी पीठासीन अधिकारी रह चुका हूं...*(व्यवधान)*

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, मैं सभी कागज़ात इस सभा पटल पर रख रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : यह ठीक बात नहीं है। इसकी कोई प्रासंगिकता नहीं है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : महोदय, यह उन दस्तावेजों को प्रमाणित करने और उन्हें सभापटल पर रखने के लिए तैयार हैं ...*(व्यवधान)*

श्री शिवराज वि. पाटील : मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि यदि उसमें ऐसा कुछ है जिसे सभा पर नहीं रखना चाहिए तो हम इसे देख लेंगे...*(व्यवधान)*

श्री पी.एच. पांडियन : महोदय, अचानक हमें-भौचक्क कर दिया है...*(व्यवधान)*

श्री रमेश चेन्नितला : श्री पांडियन, साथांकुलम में जो कुछ हो रहा है यह उसको बता रहे हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं?...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आप अपना आसन ग्रहण कोजिए।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री ई.एम. सुदर्शन नाच्चीयपन : महोदय, हम सैन्यकर्मियों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं *(व्यवधान)* मैं इन दस्तावेजों को सभा पटल पर रख रहा हूं। इस विधेयक में हम सैन्यकर्मियों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं। उन्हें लोकतांत्रिक प्रक्रिया में मतदान करता और उसमें भाग लेना ही चाहिए। लेकिन साथ ही एक आम मतदाता जिसे चुनाव केन्द्र पर स्वयं जाकर अपने उम्मीदवार को गोपनीय ढंग से चुनने का अधिकार है और जो मतदान पत्र अथवा मतदान मशीन की ओर देख रहा है, और बिना किसी दबाव के अपना मत स्वतंत्र रूप से देता है; सैन्यकर्मियों को यह अधिकार भी दिया जाना चाहिए।

इसीलिए हम चाहते हैं कि इस अधिकार को किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जाना चाहिए। यदि मताधिकार को हस्तांतरित करने की यह प्रक्रिया शुरू हो गयी तो एक ऐसा दिन भी आयेगा जब आप्रवासी भारतीयों को भी मतदान का अधिकार दे दिया जायेगा और कहा जायेगा कि वे भी अपना परोक्ष मतदान कर सकते हैं। वे जर्मनी और अमरीका से मतदान कर सकेंगें और फिर तो यह सिलसिला शुरू हो जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की शुचिता किसी तरह कम नहीं होनी चाहिए। इस मामले से तो किसी व्यक्ति को मतदान के अधिकार देने का ही उल्लंघन हो जायेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मतदान के इस अधिकार को किसी और को हस्तांतरित करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। यह कोई कंपनी ला नहीं है जिसमें आप परोक्ष मतदान का अधिकार दें। यह नागरिक का जन्म सिद्ध वोट देने का अधिकार है और समुचित आयु होने पर वह इस अधिकार का प्रयोग करता है। यहां तक कि संसदीय चुनावों सहित प्रत्येक चुनाव के परिणामों पर वास्तव में एक वोट का भी असर हो सकता है। किसी की इच्छा के विरूद्ध दिया गया एक मत भी वास्तव में लोकतंत्र की दिशा बदल सकता है।

यहां जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि हमें आधुनिक विचारों को अपनाना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मतदान पत्र अलग-अलग जगहों पर भेजे जायेंगे और इस प्रक्रिया में कई लोग शामिल होंगे। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जब किसी व्यक्ति को डाक मतदाता के रूप में पंजीकृत किया जाता है, तब उसकी पहचान की जानी चाहिए और मतपत्र संबद्ध व्यक्ति को ही मिलना चाहिए और उसे अपनी इच्छा अनुसार मतदान करना चाहिए। इस तरह की प्रणाली अपनायी जानी चाहिए।

महोदय, इन्ही शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह इस विधेयक पर पुनर्विचार करें।

श्री अनादि साहू (बरहामपुर, उड़ीसा) : सभापति महोदय, धन्यवाद। मैं यहां निर्वाचन विधि संशोधनों से संबंधित विधेयक का समर्थन करने हेतु खड़ा हुआ हूं।

महोदय, अपनी बात आरंभ करने से पूर्व मैं एक वाक्यांश उद्धत करना चाहूंगा। कहा गया है, 'तुम मेरी ओर ध्यान दो, मैं तुम्हारी ओर ध्यान दूंगा।' यह श्री हन्नान मोल्लाह के विचारार्थ है। मैं उन्हें बता दूं कि यह बाइबल का उदाहरण है और इसका हिन्दु धर्मग्रन्थों से कोई लेना-देना नहीं है। मूल सिद्धांत यह है कि हमें सैन्य बलों की ओर ध्यान देना चाहिए तभी सैन्य बल भी हमारी ओर समुचित तरीके से ध्यान देंगे। यह हमारा समुचित ध्यान रखेंगे। सिद्धांत की ओर देखने के स्थान पर विपक्ष के सदस्य प्रक्रियागत कठिनाइयों में उलझ गए हैं। हमें यहां प्रक्रियाओं पर चर्चा नहीं करनी चाहिए। प्रक्रियाओं पर बाद में उस समय भी चर्चा की जा सकती है जब इस विधेयक के बाद निर्वाचन संचालन नियम, 1961 के प्रश्न पर चर्चा होगी और जब चुनाव आयोग स्वयं परोक्षी मतदान के बारे में ब्यौरों की जांच करेगा। उन्होंने गाड़ी के आगे घोड़ा लगाने के स्थान पर घोड़े के आगे गाड़ी लगा दी है।

सभापति महोदय, श्री त्रिपाठी ने इसके पीछे कुछ वजनदार बात कही है? श्री प्रियरंजन दासमुंशी ने सचिव, रक्षा मंत्रालय के विचारों

को उद्धत किया है। मुझे तब अधिक प्रसन्नता होती जब इन्होंने लेफ्टीनेंट जनरल के स्थायी समिति के समक्ष दिए गए वक्तव्य को उद्धत किया होता। स्थायी समिति सिद्धान्त के प्रश्न पर विभाजित थी। उसमें सर्वसम्मति नहीं थी। स्थायी समितियां सर्वसम्मत राय पर निर्णय लेती हैं। चूंकि वहां सर्वसम्मति नहीं थी, मुझे यह कहते हुए खेद होता है कि पुन: दलगत आग्रहों के कारण सिद्धान्त के मुद्दे पर निर्णय नहीं लिया गया था। इस बात के ठोस कारण थे कि क्यों सैन्य बलों को अप्रत्यक्ष मतदान की अनुमति दी जानी चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी और सैन्य बलों के भूतपूर्व डिप्टी चीफ आंफ स्टाफ आंफ आर्मड फोर्सिज श्री त्रिपाठी के कथन को दोहराना चाहूंगा। सैन्य बलों को दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनात किया जाता है। जैसे कि नाथू-ला या कारगिल का मामला ही है, या फिर नौ-सेना के कर्मियों को ही लें जो किसी पनडुब्बी में तैनात है और अपने घरों से बहुत दूर हैं तथा उनसे संपर्क करना कठिन है और इसी प्रकार की सब चीजें या फिर सैन्य बलों के इन कर्मियो को लें जो देश के बाहर शांति-स्थापना अभियानों पर तैनात हैं या यहां या वहां किसी गोपनीय अभियान पर भेजे गए हैं।

यदि हम उन्हें उचित तरीके से उनके मताधिकार का उपयोग करने का अधिकार नहीं देते हैं तो वे उनके प्रतिनिधियों के रूप में इस सदन में बैठे हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे? लोगों के एक बड़े वर्ग को अपना मतदान करने से वंचित कर दिया जाएगा।

डाक प्राधिकारियों के बारे में उल्लेख किया गया था। डाक प्राधिकारी अभिज्ञ हैं। वे यह नहीं जानते के क्या डाक मतपत्रों का संबंध सैन्य कर्मियों से है या मतदान करने के पात्र व्यक्तियों से संबंधित है। इसीलिए स्वयं स्थायी समिति ने भी इसपर ध्यान दिया था। यह स्पष्ट रूप से इंगित किया गया था कि सैन्य बलों के केवल दस से प्रन्द्रह प्रतिशत व्यक्ति ही डाक द्वारा मतदान कर पाते हैं। आप इस बात को समझेगें कि सेबा की लाभ्मबंदी, सैन्य-वियोजन होने, दूर-दराज के क्षेत्रों में तैनाती होने आदि कारणों से सैन्य बलों के शीर्ष निकाय भी यह पता लगाने में सक्षम नहीं होता कि किसी जवान को कहां तैनात किया गया है। अधिकारियों के बारे में यह पता लगाना आसान हो सकता है; परंतु जवानों के बारे में पता लगाना उतना आसान नहीं है। ये सभी मतपत्र पीठासीन अधिकारी से अभिलेख कक्ष में अभिलेख अधिकारी के पास आते हैं और अभिलेख अधिकारी से 99 ए.पी.ओ. के पास, फिर वे वहां से थल सेना के अंदर इधर से उधर बांटे है चूंकि माननीय मंत्री जी ने नौ-सैना और वायु-सेना के बारे में उल्लेख कर दिया है अत: मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूं। यह एक बहुत बड़ा और कठिन कार्य है।

यह उल्लेख किया गया था कि इलैक्ट्रॉनिक मशीनों का उपयोग किया जा सकता है। जब श्री राधा कृष्णन ने हस्तक्षेप किया था तो वे यही कहने का प्रयास कर रहे थे। हमें विभिन्न क्षेत्रों में, जो कि संवेदनशील क्षेत्र हैं, सैन्य बलों की तैनाती की सूचना को गोपनीय रखना होता है। यदि हम इलैक्ट्रॉनिक मशीनें और मतदान हेतु छोटी मशीनें उन्हें दे देते हैं तो ऐसी संभावना है कि उनकी तैनाती की बात खुल जाए या दूसरों को पता लग जाए। इन सब बातों पर ध्यान दिया गया है और बहुत विचार-विमर्श के बाद यह विधेयक आया है। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की केवल दो धाराओं को बदलने से इसके परिणामस्वरूप दोष परिवर्तन घटित हो जाऐंगे। लेकिन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण बात प्रक्रिया निर्धारित करने की है जिसे बाद म लिया जाएगा।

जहां तक गोपनीयता का संबंध है, मैं मंत्री जी को स्मरण करा दूं कि 1878 में दस देश ने साक्ष्य अधिनियम बनाया था जिसमें इस बात का उल्लेख था कि एक पति और पत्नी के बीच हुए किसी भी वार्तालाप को अति पवित्र और गोपनीय माना जाएगा। उन्होंने इसका ध्यान क्यों रखा? ऐसा इसलिए है जिससे कि थोड़ी-बहुत गोपनीयता तो बनाई रखी जा सके। अत: हम ऐसा क्यों कहें कि यदि किसी अन्य को अप्रत्यक्ष मतदान की शक्ति दे देंगे तो आसमान गिर जाएगा; या लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ही खतरे में पड़ जाऐगी; या भारत के संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन हो जाएगा? हम इसको अतिशयोक्ति पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं।

मैं सारे ब्यौरे में नहीं जा रहा हूं क्योंकि यहां इस सब पर चर्चा हो चुकी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि परोक्ष मतदान का यह अधिकार सैन्य बलों और अन्य सी.पी.एम.एफ. या अर्थ-सैनिक बलों के उन कर्मियों को दिया जाता है जिन्हें किसी कार्य-विशेष के लिए तैनात किया जाता है न कि अर्ध-सैनिक बलों या सी.पी.एम.एफ. के सभी कर्मियों को दिया जाता है। यह केवल उन्हे प्राप्त है जिन्हें किसी कार्य विशेष के लिए तैनात किया गया है और जो सेना अधिनियम से शासित होते हैं, जैसे असम राइफल्स या तट रक्षक बलों को ही यह शक्ति प्राप्त हैं। सी.पी.एम.एफ. और अर्ध सैनिक बलों के सभी कर्मियों को आने वाले हर समय में अप्रत्यक्ष मतदान की यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। जब उन्हें किसी कार्य विशेष के लिए तैनात किया जाएगा केवल तभी उन्हें यह शक्ति दी जाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सही संदेश भेजें कि हम सैन्य बलों को यह अधिकार देने के इच्छुक हैं। हमें सैन्य बलों को ठीक संदेश देना ही चाहिए कि हम उनकी आवश्यकताओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं।

इसके विभिन्न पहलुओं को देखते हुए किसी को इसमें कुछ गुण या अवगुण मिल सकते हैं, कि कोई ऐसी स्थिति भी आ सकती है

[श्री अनादि साहू]

और यह कि कोई भी सिद्धांत त्रुटिरहित नहीं हो सकता क्योंकि 'इंसान गलतियों का पुतला हैं। हम यह नहीं कह सकते कि हमने पूर्णतया त्रुटिरहित प्रणाली बनाई है परन्तु हमें ऐसा मार्ग निकालना ही पड़ेगा जिससे हम उन्हें उनके मताधिकार का उपयोग करने में सक्षम बना सकें।

यही एकमात्र ऐसा तरीका है जिसके बारे में विचार किया गया है। मैं लेफ्टीनेंट जनरल के वक्तव्य से बहुत प्रभावित हुआ था जो स्थायी समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए थे और जिस प्रकार उन्होंने तर्क दिए थे उससे भी में बहुत प्रभावित हुआ था। जनरल त्रिपाठी सैन्य बलों और उनकी आकांक्षा के बारे में बहुत विनीत थे। ये वे लोग हैं जो अपने बारे में ढींगें नहीं मारते। ये वे लोग नहीं हैं जो स्वयं के बारे में प्रचार करते फिरें। यह तो हम हैं जो यह कहते है कि हमने यह किया है है और हमने यह राजनैतिक लाभ लेने के लिए किया है। इससे बचना पड़ेगा और प्रत्येक को इसका ध्यान रखना होगा। लेफ्टीनेंट जनरल ने बहुत शानदार तरीके से यह तथ्य प्रस्तुत किया कि सैन्य बलों के 15 लाख कर्मी-यह संख्या थोड़ी कम या अधिक हो सकती है- अपने मताधिकार का उपयोग नहीं कर पाते क्योंकि इसमें सन्निहित समय की बाध्यता है और इस देश में प्रस्तुत संचारगत कठिनाइयां हैं। जैसा कि उन्होंने कहा कि वे टेलीफोन द्वारा यह कह सकते हैं कि किसे मत देना है। इसी समय यह इंगित नहीं किया गया है कि परोक्ष मतदान कौन करेगा। इसका निर्णय बाद में होगा।

अत: मैं यहां उपस्थित संसद सदस्यों से यह अनुरोध करूंगा कि वे समुचित रूप से विचार करें और इस विधेयक को पारित करने का निर्णय लें क्योंकि हम चुनाव प्रक्रिया में बहुत से संशोधन कर रहे हैं। हमने पिछले सत्र में ही तीन संशोधन किए हैं। हम यह संशोधन कर रहे हैं और हम अन्य संशोधन भी करने जा रहे हैं। यह आवश्यक है कि चुनाव कानूनों में परिवर्तन हो। इसमें बनावटीपन नहीं है। यह स्वयं में कठोर नहीं है। जैसे-जैसे समाज बदलता है, वैसे-वैसे हमारे रवैये में परिवर्तन होता है और हमारी आवश्यकताएं बदलती हैं तदनुसार अनिवार्यत: चुनाव कानूनों को भी बदलना होगा और लोगों के एक विशेष वर्ग को उनका अधिकार देना होगा जिससे कि लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अच्छी हो सके और सबको अपने में सम्मिलित कर सके। इसीलिए मैं सभी संसद सदस्यों से इस विधेयक को पारित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री शिवराज वि. पाटील (लातूर) : महोदय, हम इस सदन में एक बात कहना चाहेंगे कि हम सैन्य बलों को सभी चुनावों में मतदान करने की सुविधा दे रहे हैं। किसी भी संसद सदस्य को हमपर यह आक्षेप नहीं लगाना चाहिए कि हम सैन्य बलों को मतदान करने की सुविधा देने की प्रक्रिया को बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम सभी संसद सदस्यों के साथ इस बात पर सहमत हैं कि सैन्य कर्मी मतदान करें और हम इस बात का ध्यान रखें कि उनके मत गणना स्थल पर पहुंचे। यह कैसे हो सकता है इसपर सरकार और स्थायी समिति द्वारा विचार किया गया था। ऐसा लगता है कि स्थायी समिति ने सुझाव दिया है कि वे इस निर्णय पर पहुंचने की स्थिति में नहीं हैं कि क्या 'परोक्ष मतदान' को अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं। उनको आपत्ति यह थी कि यदि परोक्ष मतदान की अनुमति दी जाती हैं तो गुप्त मतदान का सिद्धान्त प्रभावित होगा और इसलिए उन्होंने यह सुझाव दिया है कि सरकार को विभिन्न पक्षों से परामर्श करना चाहिए और यह जानने का प्रयास करना चाहिए कि क्या इस मामले में ऐसा कुछ किया जा सकता है जिससे यह सिद्धांत प्रभावित न हो। मुझे यह अहसास था कि सरकार ने परामर्श नहीं किया है लेकिन मुझे यह बताया गया था कि सरकार ने विभिन्न दलों के नेताओं और प्रतिनिधियों से परामर्श किया था और फिर इस निर्णय पर पहुंची है।

मेरा केवल यह कहना है कि इस आधुनिक समय में हमारे लिए यह आवश्यक नहीं है कि हम गुप्त मतदान में इस अभिनन्दनीय सिद्धान्त के विरूद्ध जाएं। यदि ऐसा कोई अन्य तरीका हो जिसे अपनाकर हम मतदान की सुविधा दे सकें, जैसा कि यहां किसी संसद सदस्य ने सुझाव दिया था, तो हमें वह करना चाहिए। यदि हम इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि यह संभव नहीं है तो हमें इस विधेयक को स्वीकार करना चाहिए।

विचार विमर्श के लिए एक अवसर और दिया जाना चाहिए और यदि यह संभव है, शायद कल, तो माननीय मंत्री जी संसद सदस्यों से परामर्श कर सकते हैं और वे अन्य लोगों से परामर्श करने के बाद कल इस बहस का उत्तर दे सकते हैं। हम भी इस मुद्दे पर चर्चा करने हेतु अपने दिमाग का उपयोग करेंगे। यदि यह संभव है तो वह हमारा प्रस्ताव स्वीकार करेंगे और यदि यह संभव नहीं है तो हम उनका प्रस्ताव स्वीकार करेंगे। मैं केवल यही बात कहना चाहता था।

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर (भीलवाड़ा) : महोदय, मैं निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को पारित करते समय जो मुद्दे सामने आए हैं उनमें से एक है: गोपनीयता तथा दूसरा यह कि सदस्यों ने कहा है कि जिस व्यक्ति को परोक्ष मतदान का अधिकार दिया जा रहा है, उस पर विशवास नहीं किया जा सकता है। मैं वास्तव में इस मुद्दे पर चर्चा करना चाहता हूं।

लेकिन यह सच है कि आपको किसी पर विश्वास करना होगा। नियम अभी बनाए जाने हैं। यदि आप अपने पिता जिन्हें आप परोक्ष मतदान का अधिकार देना चाहते हैं, उन पर विश्वास नहीं कर सकते, यदि आप अपनी पत्नी को परोक्ष मतदान का अधिकार नहीं दे सकते हैं तो मै नहीं जानता कि आप किस पर विश्वास करेंगे और किस पर नहीं। उस दल के सदस्य इटली से आई महिला पर विश्वास कर सकते हैं परन्तु अपनी पत्नियों पर विश्वास नहीं करेंगे। मुझे इस बात पर वास्तव में आश्चर्य होता है...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : भारत के किसी भी नागरिक, चाहे उसका मूल स्थान पाकिस्तान अथवा ब्लूचिस्तान अथवा अफगानिस्तान हो, पर हमें विश्वास है। आपको यह बात समझनी चाहिए...*(व्यवधान)* आप कानून नहीं पढ़ते हैं।...(व्यवधान) आप केवल टोपी पहनकर यहां आ जाते हो ...*(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : आपको अपनी पत्नी पर विश्वास नहीं है...*(व्यवधान)* आपको अपने पिता पर विश्वास नहीं है ...*(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी : पहले अपना अज्ञान समाप्त कीजिए ...*(व्यवधान)* मैं सदस्य से अनुरोध करता हूं कि वह उनको प्राप्त नागरिकता के बारे में अपना अज्ञान समाप्त करे और इसके बाद बात करें ...*(व्यवधान)* उन्हें अपना मूल स्थान नहीं पता है ... *(व्यवधान)*

श्री विजयेन्द्र पाल सिंह बदनोर : मैंने किसी का नाम नहीं लिया है *(व्यवधान)*

सेना में मेरे अनेक मित्र हैं। मेरी पृष्ठभूमि भी सशस्त्र बल की रही है। वे हमेशा कहते हैं कि बर्फ से ढके पर्वतों में बैठे हुए, सीमाओं पर बैठे हुए भी वे प्रतिदिन अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में रहते हैं। हर तीसरे अथवा पांचवें दिन वे उनसे बात करते हैं। वे जानते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह उनके लिए सबसे अच्छी खबर है। यहां तक कि जवान भी अपने परिवारों के संपर्क में रहते हैं। यदि वे सीधे अपने परिवारों के संपर्क में नहीं रहते तो वे रेडियो और इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से संपर्क में रहते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि वहां क्या हो रहा है।

वे महसूस करते हैं कि वे सीमा पर तैनात है इसलिए वे किसी तरह किसी पार्टी अथवा व्यक्ति पर विश्वास नहीं कर सकते हैं और यह कि उनका मत कभी कोई मायने नहीं रखता। यह सच है। लगभग बीस लाख सैन्य कार्मिक हैं और ये एक बिलियन जनता अथवा 80 करोड़ लोगों का मात्र थोड़ा सा प्रतिशत हैं जो मतदान करते हैं। इससे वास्तव में कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे याद है कि हर बार चुनाव होते हैं और चुनाव समाप्त होने के बाद परिणाम घोषित किए जाते हे तो लोग कहते हैं कि डाक से आए मतों की गणना कर लें क्योंकि हमें इन मतों की सही संख्या देनी है। इसमे चुनाव परिणामों में अंतर नहीं आता है। इससे कभी भी चुनाव परिणामों में फर्क नहीं पड़ेगा। इन 20 लाख लोगों के मतों का अधिकांश निर्वाचन क्षेत्रों में लोक सभा चुनाव में ही नहीं अपितु विधानसभा के चुनावों में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यह केवल एक भावना है और अच्छी लगने वाली बात है। हमें यह संदेश भेजना चाहिए कि वे भी हमारा अंग हैं। चूंकि वे देश के लिए खतरों भरा काम कर रहे हैं इसलिए हमें उनमें यह भावना जागृत करनी चाहिए। यह मताधिकार देने से अधिक महत्त्वपूर्ण है। लोकतांत्रिक प्रणाली में परोक्ष मतदान नई बात नहीं है। अनेक देशों ने परोक्ष मतदान प्रणाली अपनाई है। यह लोकतांत्रिक प्रणाली में नई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि परोक्ष मतदान इसी देश में शुरू किया जा रहा है, और कहीं नहीं। अन्य देशों में भी यह प्रणाली है। लेकिन हमें उन पर विश्वास होना चाहिए। रक्षा बलों को हम पर विश्वास होना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस सभा में सर्वसम्मति से यह संदेश दिया जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है।

अत: में, मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि चुनाव अभियान का समय 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दिया गया है। लेकिन जब यह 21 दिन का था तो भी लोग हमेशा यह सोचते थे कि उनका मत कभी भी समय पर नहीं पहुंचेगा। इसलिए, यह इससे संबंधित प्रश्न नहीं है। मेरे मित्रों ने सही कहा है कि हमारे पास इससे बेहतर प्रणाली क्यों नहीं हो सकती है। यदि कोई बेहतर प्रणाली आती है तो अच्छा है। यदि हम बेहतर प्रणाली लाते हैं तो आकाश नहीं टूट पड़ेगा। यदि हमारे पास वह प्रणाली होती तो हम वास्तव में उस कानून में पुन: संशोधन कर सकते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का यह अवसर प्रदान किया।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, इस विधेयक पर बोलने का अवसर प्रदान करने हेतु आपका धन्यवाद।

सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय विधि मंत्री एक छोटा सा विधेयक लाए हैं। सरकार विभिन्न पहलुओं को शामिल करके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के संबंध में आधे-अधूरे विधेयक क्यों प्रस्तुत करती है? मेरा सबसे पहला मुद्दा यह है कि सरकार को एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए। वह केवल आधे-अधूरे विधेयक प्रस्तुत कर रही है।

[श्री अजय चक्रवर्ती]

माननीय विधि मंत्री ने सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्यों के लिए परोक्षी के माध्यम से मतदान करने का उपबंध शामिल करते हुए संशोधनकारी विधेयक पुर:स्थापित किया है। उन्होंने तर्क दिया है कि निर्वाचन आयोग ने चुनाव अभियान की अवधि 21 दिन से घटाकर 14 दिन कर दी है और सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्यों की ओर से इतने कम समय के भीतर डाक द्वारा मताधिकार का प्रयोग करना संभव नहीं है और इसलिए सरकार ने यह उपाय शुरू किया है। इस प्रयोजनार्थ, विधि मंत्री परोक्ष मतदान का उपबंध कर रहे हैं।

हम सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्यों का अत्यधिक सम्मान करते हैं। हम उनका अभिवादन करते हैं। वे हमारी मातृभूमि की रक्षा कर रहे हैं। वे मातृभूमि के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर रहे हैं। हम माननीय विधि मंत्री से भी सहमत हैं कि यहां एक उपबंध होना चाहिए ताकि सशस्त्र बलों और अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्य अपने मताधिकार और लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कर सकें। लेकिन मेरा विचार माननीय विधि मंत्री के विचार से अलग है। हम इस तर्क का समर्थन नहीं कर सकते कि वे केवले परोक्ष मतदान के द्वारा अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

विभिन्न दलों के माननीय सदस्यों ने इस संबंध में चर्चा की है। मैं उनकी बात से भी सहमत हूं कि परोक्ष मतदान के द्वारा मत अधिकार शुरू करना गोपनीयता के सिद्धांत के उल्लंघन के अलावा कुछ नहीं है। मान लो, मैं सशस्त्र बल का सदस्य हूं। मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात हूं। मैं अपनी पत्नी को निदेश देता हूं कि वे 'क' दल के पक्ष में मेरा मत दे। यहां पत्नी और पति के बीच विश्वास या अविश्वास का प्रश्न नहीं आता है। बात यह है कि पत्नी की अलग पहचान है। उसे अलग राजनैतिक राय बनाने का पूरा अधिकार है। मेरी पत्नी मेरे राजनैतिक दल का समर्थन नहीं कर सकती है। इस संबंध में अनेक उदाहरण हैं। श्री मूर्ति इस बारे में पहले ही बता चुके हैं। मैं एक उद्धाहरण देता हूं।

श्री टी. वी. थॉमस और श्रीमती गौरी थॉमस नमबूदरीपाद सरकार के सदस्य थे। श्री टी. वी. थॉमस ने भा. क. प. का प्रतिनिधित्व किया। श्रीमती गौरी थॉमस ने भा. क. प. (मा.) का प्रतिनिधित्व किया। ये दोनों ही नमबूदरीपाद सरकार में मंत्री थे और अलग-अलग राजनैतिक दलों के सदस्य थे। इस तरह, पत्नी की अलग राजनैतिक पहचान है। जैसाकि मैंने कहा कि यह विश्वास अथवा अविश्वास का प्रश्न नहीं है मैं अपनी पत्नी को 'क' दल के पक्ष में अपना मताधिकार का प्रयोग करने का निदेश देता हूं। मेरी पत्नी को 'क' दल के सिद्धांतों और विचारों पर विश्वास नहीं है। वह अपने मताधिकार का प्रयोग अपनी पसंद के अनुसार 'ख' दल के पक्ष में कर सकती है।

यह गोपनीयता के सिद्धांत का उल्लंघन है। इसलिए हम इस संशोधन विधेयक का समर्थन नहीं कर सकते हैं जिसमें सशस्त्र बलों तथा अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्यों हेतु परोक्ष मतदान की व्यवस्था की गई हो। मैं माननीय मंत्री से आग्रह करता हूं कि वे आज विधेयक पारित न करें तथा इस पर सर्वसम्मति बनाएं क्योंकि यह मामला सशस्त्र बलों, अर्द्ध-सैनिक बलों में हमारे प्रिय भाइयों से संबंधित हैं जो देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर रहे हैं। मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि वे सशस्त्र बलों के कार्मियों को मताधिकार देने के मुद्दे पर सभा में विभाजन न करें।

मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे इस मुद्दे पर पुनर्विचार करें, सभी राजनैतिक दलों से परामर्श करें, सर्वसम्मति बनाएं तथा बाद में एक व्यापक विधेयक लाएं जिसका सत्तारूढ़ दल तथा दलगत भावना से उठकर विपक्षी दल समर्थन कर सके। मैं कहना चाहता हूं कि हमें सभा में सर्वसम्मति से ऐसा विधेयक पारित करवाने हेतु उपाय ढूंढने चाहिए ताकि सशस्त्र बलों और अर्द्ध-सैनिक बलों के सदस्य अपने मताधिकार का उचित रूप से प्रयोग कर सके।

श्री बिक्रम केशरी देव (कालाहांडी) : माननीय सभापति महोदय, मैं निर्वाचन विधि (संशोधन) विधेयक, 1999 का पूर्णत: समर्थन करता हूं। आज जब हम इस विधेयक पर विचार-विमर्श कर रहे हैं हम स्वयं को विश्व का वे सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश होने का दावा करते हैं। हमने ब्रिटेन की शासन प्रणाली अपनाई है। लोकतंत्र में प्रत्येक मत का अपना मूल्य है। अत:, अधिक लोग निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल होंगे और जहां देश का प्रत्येक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता हो तो यही उचित होगा।

महोदय, पूर्व अनुभव से यह देखा गया है कि हमारे समाज का कतिपय वर्ग अर्थात सशस्त्र बल के कार्मिक अपने मताधिकार का पूरा प्रयोग नहीं कर पाते हैं। स्थायी समिति की रिपोर्ट यहां है और उसमें रक्षा मंत्रालय तथा विधायी विभाग ने स्पष्ट रूप से बताया है कि केवल 10 से 15 प्रतिशत तक मतपत्र निर्वाचन क्षेत्र में वापस आते हैं और शेष, सशस्त्र बल में शायद 12 से 13 लाख मतदाता जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हैं, इस अवसर से वंचित हो जाते हैं। इसलिए, यह विधेयक लाया गया है ताकि वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, जो एक संवैधानिक प्राधिकारी है, ने वर्ष 1997 में सिफारिश की थी कि परोक्ष मतदान की प्रणाली की अनुमति दी जानी चाहिए।

देश अर्थात् ब्रिटेन जहां से हमने ब्रिटेन की तरह की शासन प्रणाली अपनाई है तथा अलजीरिया जैसे अन्य गरीब देश जहां लोकतांत्रिक प्रणाली बहुत सुदृढ़ नहीं है, ने भी अपने देशों में परोक्ष मतदान की प्रणाली अपनाई है। इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि यदि लोकतंत्र में अधिकाधिक लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। माननीय मंत्री ने भी इस सभा में वचन दिया है कि सशस्त्र बलों में मतदाताओं की सुविधा के लिए 1961 के अधिनियम की धारा 18 में बाद में समुचित रूप से संशोधन किया जा सकता है। इसलिए, सशस्त्र बलों के कार्मिकों को उनके अधिकार से वंचित क्यों रखा जाए?

महोदय, स्थायी समिति के निष्कर्षों के अनुसार निर्वाचन अधिकारी को डाक द्वारा मतपत्र भेजने में काफी विलंब होता है जिसके कारण सशस्त्र बलों के कार्मिक लोकतांत्रिक अधिकार से वंचित हो जाते हैं। इसलिए, मैं इस विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हू ...*(व्यवधान)* मैं माकपा (मा.) के मेरे सहयोगी द्वारा व्यवधान नहीं चाहता हूं क्योंकि पश्चिमी बंगाल में हमारे रिश्तेदार है और हम जानते हैं कि कुछ ब्लाकों और कालोनियों के लोग जो उनके दल के लिए मतदान करने के पक्ष में नहीं हैं, को चुनावों में मतदान नहीं करने दिया जाता।

सायं 6.00 बजे

श्री सुनील खां (दुर्गापुर) : हम उन्हें आमंत्रित करते हैं... *(व्यवधान)*

श्री बिक्रम केशरी देव : आप आमंत्रित नहीं करते हैं... *(व्यवधान)* उन्हें मतदान नहीं करने दिया जाता...*(व्यवधान)* यदि वे माकपा (मा.) मतदाता हैं तो वे उस पार्टी के लिए मत देंगे... *(व्यवधान)* हमने पश्चिमी बंगाल में चुनाव देखे हैं...*(व्यवधान)*

मैं विधेयक का पूर्णत: समर्थन करता हूं। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : अब सभा कल पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.01 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 19 फरवरी, 2003/ 30 माघ, 1924 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

© 2003 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (दसवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्र

और इंडियन प्रेस, नई दिल्ली-110033 द्वारा मुद्रित।